अष्टम माला, खंड 9, अंक 22,

गुरुवार 22 अगस्त, 1985
1 भाद्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 21 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 9, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 22, गुरुवार, 22 अगस्त, 1985/1 भाद्र, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 430 से 437 और 445	...	1—32
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या : 410 से 429 (21.8.85) 438 से 444 और 446 से 449 (22.8.85)	...	33—55
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4280 से 4321, 4323 से 4422, 4424 से 4448, 4450 से 4514 4514क, 4514ख, और 4514ग (21.8.85) 4415 से 4747 और 4747क (22.8.85)	...	55—441
दिनांक 9.5.1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5880 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	...	442
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	... ...	451—458
राज्य सभा से संदेश	....	458—459
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा/संकल्पों संबंधी समिति — पांचवां प्रतिवेदन	...	459
प्राक्कलन समिति — ग्यारहवं तथा बारहवां प्रतिवेदन	... ...	459

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
रेलवे अभिसमय समिति			
प्रथम प्रतिवेदन	...	...	459—460
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ...			460
अध्ययन दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन			
पंजाब की समस्याओं के संबंध में एक आयोग गठित करने के बारे में वक्तव्य...			460
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या और... जालंधर में गोली मारे जाने की एक घटना के बारे में वक्तव्य			461—462
असम-नागालैंड सीमा पर हुई मुठभेड़ों की घटनाओं की जांच के लिए आयोग गठित करने के बारे में वक्तव्य			462— 463
विधेयक—पुर:स्थापित	...	...	463
(1) विक्रय संवर्धन कर्मचारी सेवा शर्तें (संशोधन) विधेयक			463
(2) न्यायाधीश (संरक्षण) विधेयक		...	464—467
(3) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक		...	467
(4) रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक		...	467—471
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	471—478
(एक) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए उपाय करने की आवश्यकता			
श्री कमल नाथ	...	...	471—472
(दो) कर्मचारियों के लाभार्थ वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए बोनस अधिनियम के अविलंब संशोधन करने की आवश्यकता			
श्री एस० कृष्ण कुमार	...	...	472
(तीन) कटिहार-दानापुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के परिचालन समय में तुरन्त कमी करने और इस गाड़ी के सुधार तथा उचित रख-रखाव की आवश्यकता			
श्री तारिक अनवर	...	...	472—473
(चार) पटना में पेय जल सुविधाओं और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता			
श्री सी० पी० ठाकुर	...	...	473

(पांच) आगरा को और अधिक आकर्षक पर्यटक केन्द्र बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री निहाल सिंह जैन ... ... 473—474

(छः) कृष्णा नदी थाला जल वितरण सम्बन्धी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार पर जोर देने की आवश्यकता

श्री शरद डिघे 474

(सात) गोवध रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा ... ... 474—475

(आठ) पर्याप्त धनराशि के आबंटन और शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक शाखा हैदराबाद में स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव ... ... 475—476

(नौ) तमिलनाडु के तिरुची जिले में पेट्टावेथालाई स्थित कावेरी शुगर्स के प्रबन्ध पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण जारी रखने की आवश्यकता

श्री पी० कुलनदईवेलु 476

(दस) बीड़ी कर्मकारों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी विधान को खाने वाले तम्बाकू का निर्माण करने वाले कर्मकारों पर लागू करने के लिए कानून बनाने तथा महिला बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के प्रति अधिक ध्यान देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री बालासाहिब विखे पाटिल ... ... 476—477

(ग्यारह) उच्च पदों पर रिक्त स्थानों को पदोन्नति द्वारा भरने के प्रयोजनार्थ, भर्ती पर लगे हुए प्रतिबन्ध में ढील देने और नैमित्तिक अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की आवश्यकता

श्री एन० वी० एन० सोमू ... ... 477—478

विषय	पृष्ठ
तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक	478—504
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	478—482
श्री बी० एन० रेड्डी	482—485
प्रो० एन० जी० रंगा	485—488
श्री आर० जीवरत्नम	488—490
श्री सोडे रमैय्या	490—491
श्री० जी० एस० बसवराजू	491—492
श्री अमर रायप्रधान	492—494
श्री हरीश रावत	494—497
श्री सी० जंगा रेड्डी	
श्री पी० ए० संगमा	497—504
खंड 2 से 13 तथा 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी० ए० संगमा	504—508
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक (चर्चा समाप्त)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ए० के० सेन	508
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	508—511
श्री श्याम लाल यादव	511—513
श्री सोमनाथ रथ	513—515
श्री अमल दत्त	515—517
श्री जगन्नाथ राव	517—519
श्री के० आर० नटराजन	519—520

विषय			पृष्ठ
श्री डी० के० नायकर	...	...	520—521
श्री एस० जयपाल रेड्डी	...	...	521—523
श्री मूल चन्द डागा	...	...	524
श्री विजय कुमार यादव	...	...	524
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	...	...	524—525
खंड 2 तथा 1			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री ए० के० सेन	...	...	528—529
"भारत में काले धन की अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं" पर राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा	...	...	529—589
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	...	529—536
श्री वाई० एस० महाजन	...	...	537—541
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	541—544
श्री एम० सुब्बा रेड्डी	...	...	544—547
श्री गिरधारी लाल डोगरा	...	...	547—549
श्री शरद डिघे	...	...	550—552
श्री अमल दत्त	...	...	552—555
कुमारी डी० के० तारादेवी	...	...	555—557
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	...	557—560
श्री वीरेन्द्र सिंह	...	...	561—562
श्री आर० अण्णानम्बी	...	...	562—564
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	...	...	565—567
श्री विजय एन० पाटिल	...	...	567—569
श्री तम्पन थामस	...	...	570—572

विषय			पृष्ठ
श्री अजय मुशरान	...	...	572—574
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	...	...	574—576
श्री मनोज पांडे	...	...	576—577
श्री गौरीशंकर राजहंस	...	...	577—579
डा० ए० कलानिधि	...	...	579—581
श्री चिन्तामणि जेना	...	...	581—583
श्री अनादि चरण दास	...	...	583—584
श्री मानकूराम सोडी	...	...	584—585
श्री नारायण चौबे	...	...	585—587
श्री गिरिधर गोमांगो	...	...	587—589
कार्य मंत्रणा समिति			
बारहवां प्रतिवेदन	...	...	589
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	589—590

लोक सभा

गुरुवार, 22 अगस्त, 1985/ 1 भाद्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

श्रीमती इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

*430. श्रीमती कृष्णा साही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि पटना में बनाया जाने वाला श्रीमती इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसका शिलान्यास भारत के राष्ट्रपति ने 12 फरवरी, 1983 को किया था, की परियोजना में अब तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या धन की कमी अथवा उचित योजना तथा प्रबन्ध की कमी के कारण ऐसा हुआ है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दिवंगत प्रधान मंत्री के उपयुक्त स्मारक के रूप में इसका निर्माण कार्य पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु इसे वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने का है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) रिपोर्टों से पता चलता है कि संस्थान ने दो वर्षों के बीच अच्छी-खासी प्रगति की है ।

(ग) यह परियोजना राज्य की सातवीं योजना में शामिल कर ली गई है और सातवीं

योजना के दौरान संस्थान के लिए 20 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का लम्बा-चौड़ा उत्तर नहीं दिया, जिसमें हम खो कर रह जाते। उनका उत्तर सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, देश की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा, उत्तर पूर्वी भारत की आबादी, पिछड़ा इलाका है। बिहार सरकार ने सम्पूर्ण क्षेत्र में इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर एक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की है। उसमें विशेषज्ञों की स्वास्थ्य सुविधा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को असाधारण ढंग से उपलब्ध की जा रही हैं। जो लोग चिकित्सा हेतु बम्बई, दिल्ली या वैल्लोर आदि नहीं जा सकते, जिनमें जाने की क्षमता नहीं है, वैसे लोगों को वहां सेवा उपलब्ध की जा रही है। उसका वर्क एक्सीलैंट है, जिसे स्वयं मन्त्री महोदय ने भी स्वीकार किया है और बिहार विधान सभा में भी एक प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ है जिसमें इस संस्थान की बहुत ही तारीफ की गई है। इसके लिए 400 एकड़ जमीन उपलब्ध है और इसमें आधुनिक औजार, जांच-पड़ताल की सुविधायें, डाक्टर आदि सभी कुछ उपलब्ध है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित करने का विचार रखती है, क्या मंत्री महोदय इसकी घोषणा करेंगी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह समानता का प्रतीक है।

श्रीमती कृष्णा साही : ताकि इसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मिल सके और श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में बनी यह संस्था मानव की सेवा में प्रगति कर सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान बिहार सरकार का प्रोजैक्ट है, यह भारत सरकार का प्रोजैक्ट नहीं है और जैसा मैंने पहले बताया, आज तक इसमें अच्छी प्रगति हुई है लेकिन पैसे की कमी हर जगह महसूस होती है और इस प्रोजैक्ट में भी यही स्थिति है। इसीलिए इस प्रोजैक्ट का काम फेस-वाइज चल रहा है। उसके बावजूद भी काफी प्रगति इस प्रोजैक्ट ने की है। करीबन 6 सर्विसेज तो शुरू हो गई हैं और दूसरी दो सर्विसेज एक-दो महीने में शुरू होने वाली हैं। जहां तक उसको राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित करने का सम्बन्ध है, उसका अभी कोई सवाल नहीं उठता है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा भले ही यह संस्थान पटना में स्थित है लेकिन उससे पूरे उत्तर-पूर्वी भारत के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरे आपके यहां के इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ मैडिकल साइंसेज पर इतना प्रैशर पड़ा हुआ है कि हम लोगों को भी उसमें काफी परेशानी होती है और आस-पास के तमाम क्षेत्रों के लोग वहां आते हैं। संस्थानइस के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है, जैसा मंत्री जी ने

कहा है, लेकिन बिहार सरकार ने वर्ष 1985-86 में इसके लिए मात्र 4 करोड़ रु० ही दिए हैं। इतनी बड़ी योजना पर यदि इस तरह से पैसा आबंटित किया जाता रहा तो यह योजना शायद दो-तीन शताब्दी में बिहार सरकार पूरी कर पायेगी···दो-तन शताब्दी बिहार सरकार को लगेंगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं, गरीब प्रान्त है। वैसे तो कहा जाता है कि अच्छा काम नहीं होता है, तो भारत सरकार सहायता नही देगी, लेकिन जब अच्छा काम किया जाता है और यहां इस संस्थान में हो रहा है, तो भारत सरकार पैसा नहीं देती है, इसलिए मैं भारत सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या इस संस्थान को वित्तीय, संस्थान, मैन-पॉवर और अन्य सुविधाएं इस को देगी, ताकि श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर चल रहे इस संस्थान द्वारा मानवता की सेवा ज्यादा हो सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, अच्छा काम भारत सरकार के सहयोग से ही होता है और इसमें भी भारत सरकार ने काफी सहयोग दिया है। जो प्लान रिसोर्सेस है, वह भी भारत सरकार से गाडगिल फार्मूले के मुताबिक स्ट्रेप्स को मिलता है, और इसके सम्पूर्ण होने में जो माननीय सदस्या कहती हैं कि काफी लम्बा समय लगेगा, यह ठीक नहीं है। अगर इस ढंग से भी काम चलेगा, तो भी पन्द्रह साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय गाडगिल फार्मूले की बात बात कर रहे थे। यदि हम इस फार्मूले के अनुसार चलें; तो मुझे विश्वास है कि बिहार सरकार असमर्थ रहेगी।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अब यह वी० एन० गाडगिल फार्मूला बन गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : अब यह केवल गाडगिल फार्मूले के नाम से जाना जाता है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में यह सर्वोत्तम स्मारक होगा। संसाधनों की कमी तथा बिहार सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, मुझे विश्वास है कि बिहार सरकार इसे कभी भी पूरा नहीं कर पायेगी। इससे पूरे राज्य की आवश्यकताएं पूरी होनी हैं। देश के अन्य भागों में, विशेषकर दिल्ली में चिकित्सा संस्थानों पर इतना अधिक भार है कि उनके भार को कम करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से, मेरे विचार से उत्तम यही होगा कि केन्द्रीय सरकार इसका अधिग्रहण कर ले।

अध्यक्ष महोदय : उनसे पूछिए, क्या वह उसका अधिग्रहण करना चाहते हैं; अथवा नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे विचार से स्वास्थ्य मंत्रालय को इसे अधिगृहीत कर लेना चाहिये जिससे कि इसे उपयुक्त स्मारक के रूप में विकसित किया जा सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, बिहार देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है जहां सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। किन्तु मुझे यह नहीं पता कि माननीय सदस्य इसे निर्धन क्यों समझ रहे हैं। वे लोग इन संसाधनों का दोहन नहीं कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने यह नहीं कहा कि हम लोग निर्धन है। मैंने यह कहा था कि संसाधनों की कमी है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत संयंत्रों की निर्धारित क्षमता

*431. डा० ए० के० पटेल }
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित ताप बिजली, पन-बिजली और डीजल बिजली घरों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक बिजली संयंत्र की पिछले तीन वर्षों में वर्षवार निर्धारित क्षमता, वास्तविक औसत क्षमता क्या है एवं इनके उपयोग का प्रतिशत (लोड् फैक्टर) क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के पांच सबसे बड़े बिजली संयंत्रों एवं निजी क्षेत्र के पांच सबसे बड़े बिजली संयंत्रों के नाम क्या है तथा सरकारी बिजली संयंत्रों की तुलना में उनका लोड फैक्टर एवं प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों (केवल यूटीलिटीज) के नाम तथा 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान उनकी क्षमता और

संयंत्र भार अनुपात संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के जल-विद्युत केन्द्रों (केवल यूटिलिटीज) के नाम तथा 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान उनकी क्षमता विद्युत उत्पादन भी संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं। जल-विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए संयंत्र भार अनुपात एक स्वीकृत मापदंड नहीं है। इसलिए, उनके संयंत्र भार अनुपात की गणना नहीं की गई है।

केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा किन्हीं डीजल केन्द्रों का प्रचालन नहीं किया जाता।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के पांच विद्युत संयंत्रों और निजी क्षेत्र की यूटिलिटीज के विद्युत संयंत्रों के नाम और उनका कार्यनिष्पादन इस प्रकार है :—

	केन्द्र	1982-83		1983-84		1984-85		1985-86 (अप्रैल-जुलाई)		1983-84 में विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत पैसे/यूनिट
		क्षमता (मेगा०)	संयंत्र भार अनु० (%)	क्षमता (मेगा०)	संयंत्र भार अनु० (%)	क्षमता (मेगा०)	संयंत्र भार अनु० (%)	क्षमता (मेगा०)	संयंत्र भार अनु० (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सार्वजनिक क्षेत्र									
1.	विजयवाड़ा (ता० वि०)	420	79.1	420	84.2	420	77.4	420	96.9	28.68
2.	सिंगरौली (ता० वि०)	630	64.2	1050	55.7	1050	59.3	1050	61.7	25 48
3.	नेवेली (ता० वि०)	600	73.0	600	74.2	600	77.2	600	81.3	29.76
4.	भटिंडा	440	51.0	440	57.0	440	61.9	440	72.3	52.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ता० वि०)									
5.	पारली (ता० वि०)	270	75.3	270	69.9	480	74.2	480	83.6	39.09
	निजी क्षेत्र									
1.	अहमदाबाद इले०कंपनीज (ता० वि०)	302.5	68.7	271	75.6	271	71.4	381	61.3	उ० न०
2.	टाटा इले०कंपनीज (ता० वि०)	380	75 1	830	75.1	830	65.7	830	57.5	उ० न०
3.	कलकत्ता इले०सप्लाई निगम (ता० वि०)	328	57.6	508	52.7	568	54.0	559	57.9	उ० न०

निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटीज के संबंध में विद्युत उत्पादन की लागत का ब्यौरा विद्युत विभाग में नहीं रखा जाता।

अनुबन्ध

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्र, उनकी क्षमता तथा 1982-83 से 1985-86 (अप्रैल-जुलाई) तक की अवधि का संयंत्र भार अनुपात।

केन्द्र		1982-83		1983-84		1984-85		1985-86	
		क्षमता (मेगा)	सं० भ० अनु० (%)	क्षमता (मेगा)	सं० भ० अनु० (%)	क्षमता (मेगा)	सं० भ० अनु० (%)	4/85-7/85 क्षमता (मेगा)	सं० भ० अनु० (—) अनन्तिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ताप विद्युत :									
1. बदरपुर (रा० ता० वि० नि०)		720	49.1	720	48.7	720	47.8	720	36.7
2. सिंगसैली (रा०ता०वि०नि०)		630	64.2	1050	55.7	1050	59.3	1050	61.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	कोखा (स० ता० वि०के०) (रा०ता० वि० नि०)	210	—	630	62.1	630	52.2	630	64.0
4.	रामगुण्डम (रा०ता०वि०नि०)	210	—	200	—	600	57.4	600	53.3
5.	नेवेली	600	73.0	600	74.2	600	77.2	600	81.3
6.	चन्द्रपुरा (दा०घा०नि०)	780	50.5	780	54.3	780	52.8	780	50.5
7.	दुर्गापुर (दा०घा०नि०)	460	46.2	460	35.0	460	40.3	460	48.6
8.	वोकारो (दा०घा०नि०)	227.5	51.3	205	54.0	205	51.0	205	54.3
9.	चोला (रेलवे)	40	34.2	40	45.8	40	49.1	40	49.5

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत जल विद्युत केन्द्र, उनकी क्षमता तथा 1982-83 से 1985-86 (अप्रैल-जुलाई) तक की अवधि का विद्युत उत्पादन ।

केन्द्र	1982-83		1983-84		1984-85		1985-86	
	क्षमता (मेगा)	उत्पादन (गे० आ०)	क्षमता (मेगा)	उत्पादन (गे० आ०)	क्षमता (मेगा)	उत्पादन (गे० आ०)	क्षमता (मेगा)	उत्पादन (गे० आ०) अप्रैल-जुलाई
जल विद्युत								
1. बैरासियूल	180	823	180	846	180	656	180	333
2. लोकतक	—	—	105	49	105	259	105	127
3. दा०घा०नि०	104	144	104	·233	104	362	104	85
4. नीपको (खण्डोंग)	—	—	25	1	50	99	50	75

डा० ए० के० पटेल : अपने प्रश्न के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत केन्द्रों में बिजली के कम उत्पादन का कारण यह नहीं है कि घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई की जाती है। दूसरे यह कि उत्तरी राज्यों में जहां बिजली की कमी है, क्या सरकार इन राज्यों को पन बिजली केन्द्रों के माध्यम से अपने संसाधन बढ़ाने की अनुमति देगी ?

श्री अरुण नेहरू : सर्वप्रथम, जहां तक गैर-सरकारी और केन्द्रीय क्षेत्र का संबंध है अप्रैल से जून तक केन्द्रीय क्षेत्र में हमारा उत्पादन अर्थात् संयन्त्र भार कारक 56.5 प्रतिशत रहा है और गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन 58.5 प्रतिशत रहा। किन्तु जब हम गैर-सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल उन तीन कम्पनियों से होता है, जिनमें से एक टाटा है, जहां अनेक प्रकार के ईन्धन का उपयोग किया जाता है और वह कोयले पर आश्रित नहीं है किन्तु जसा कि माननी सदस्य ने कहा है कि यदि हमें अच्छे किस्म का कोयला अर्थात् उचित कैलोरी का कोयला प्राप्त हो जाता है तो हमारा बिजली का उत्पादन कहीं अधिक हो जायगा। किन्तु हमारे पास 'सी' ग्रेड या 'डी' ग्रेड का कोयला नहीं है, हमें तो केवल 'ई' और 'एफ' ग्रेड का कोयला मिल रहा है। हमें 'सी' और 'डी' ग्रेड का कोयला नहीं मिल रहा है जिसका हमें आश्वासन दिया गया था। यदि उस ग्रेड का कोयला मिल जाता तो हमारा उत्पादन कहीं अधिक अच्छा होता। किन्तु इस समय हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा।

जहां तक पन बिजली योजनाओं का संबंध है, केन्द्रीय क्षेत्र में एन०एच०पी०सी० (राष्ट्रीय पन बिजली निगम) का व्यापक कार्यक्रम है वास्तव में, सातवीं योजना में भी हम लोग पांच या छः परियोजनाओं के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं। हम लोग वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कुछ परियोजनाओं को जिन्हें सातवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है, अब इसमें शामिल कर लिया जाये।

डा० ए० के० पटेल : क्या सिक्किम की सरकार ने एक पन विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमति मांगी है ?

श्री अरुण नेहरू : सिक्किम सरकार ने पन विद्युत केन्द्र के लिए कहा है। सी० डब्लू० सी० और योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है।

तेलगु गंगा परियोजना

*432. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी } : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर को 150 लाख टी० एम० सी० जल सप्लाई करने संबंधी तेलुगु गंगा

परियोजना केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इसे स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री पी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) तेलुगु गंगा परियोजना रिपोर्ट, जिसमें कृष्णा के 15 टी०एम०सी० जल को मद्रास पहुंचाना तथा रास्ते में आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भेजी गई विस्तृत टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तर अभी प्राप्त होने हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर बहुत अविश्वसनीय, असन्तोषजनक और अनुचित है। छोटी-सी बात के लिए स्वीकृति देने में भारत सरकार ने लगभग 1½ वर्ष का समय लगा लिया है और स्वीकृति अभी तक नहीं दी जा सकी है। यदि भारत सरकार को स्वीकृति देने में ही 10 या 20 वर्ष या एक शताब्दी लगेगी तो आंध्र प्रदेश सरकार परियोजना को आगे कैसे बढ़ा पायेगी, मद्रास के लोगों को पेय जल कैसे मिल सकेगा और रायल सीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसान उस पानी का उपयोग कैसे कर सकेंगे। इस परियोजना के दो प्रयोजन हैं—एक है मद्रास शहर के लिए पेय जल की पूर्ति करना और दूसरा रायल सीमा के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को पानी उपलब्ध करना, आन्ध्रप्रदेश की सन 2000 तक अतिरिक्त जल के उपयोग का अधिकार है। (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी। उसने आंध्र प्रदेश सरकार से क्या ब्यौरे मांगे हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं जानता कि मुझे माननीय सदस्य की बातों से सहमत होना चाहिये अथवा नहीं···

अध्यक्ष महोदय : अपना विचार सुनिश्चित कीजिये ?

श्री बी० शंकरानन्द :···जब वह कहते हैं कि छोटी-सी बात के लिए स्वीकृति देने में सरकार इतने वर्ष ले रही है। किन्तु क्या मैं पूछ सकता हूं कि छोटे से स्पष्टीकरण के बारे में उत्तर भेजने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार इतना अधिक समय क्यों लगा रही है ? इस सभा की सूचना के लिए बता दूं कि जब परियोजना से संबंधित प्रतिवेदन पूरा नहीं है, तो हम राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं इस मामले में पनविद्युत, सिंचाईआयोजना, संयत्रआयोजना, राष्ट्रीय जलयोजना, आधार-भूत इंजीनियरी पहलू लागत सम्बन्धी प्राक्कलन, वित्तीय पहलू नहर आरेखन, बांध आरेखन आदि के संबंध में, परियोजना के ऐसे अनेक पहलू हैं जिनकी केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जायेगी। जब कि एक विशिष्ट कमी है हम लोग राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। जैसा मैं कह चुका हूं स्पष्टीकरण आंध्र प्रदेश सरकार से मांगा गया था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं

नहीं जानता कि क्या सदस्य महोदय का आशय यह है कि जांच-पड़ताल किये बिना ही किसी परियोजना का स्वीकृत कर दिया जाना चाहिये ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, भारत सरकार द्वारा मांगी गई सभी सूचना आंध्र प्रदेश सरकार ने दे दी है । सरकार द्वारा कुछ असंगत प्रश्न पूछे गये थे यथा वहां कितने संयन्त्र हैं, प्रत्येक संयन्त्र की परिधि कितनी है, वहां कितने वृक्ष है; वहां कितनी शाखायें हैं, आदि । आंध्र प्रदेश सरकार ने उन प्रश्नों का उत्तर भी दे दिए हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उनका इस समस्या को कब तक सुलझाने का विचार है, और क्या आंध्र प्रदेश सरकार को 2000 ईसवी तक अतिरिक्त पानी का उपयोग करने का अधिकार है, अथवा नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, संभवतः माननीय सदस्य मेरे द्वारा दिये गये उत्तर को समझ नहीं पाए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : साधारण भाषा में कहिये जिससे कि वह समझ सकें ।

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें भी समझना चाहिये ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं समझने की चेष्टा कर रहा हूं । महोदय, मैं उन पहलुओं का ब्यौरा दे चुका हूं जिनकी केन्द्रीय जल आयोग जांच-पड़ताल कर रहा है तथा जिन स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है । संभवत: माननीय सदस्य को पता होगा कि जून के महीने में मैं स्वयं हैदराबाद गया था और मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री तथा अन्य अधिकारियों से मिला था । इसके साथ-साथ हम लोगों ने अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की थी । भारत सरकार के इरादे के बारे में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए । हम उन सभी राज्यों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं जिनका संबंध इस परियोजना से है तथा इसके साथ ही हमें तमिलनाडु के हितों की भी चिन्ता है जिसे पेय जल की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री मानिक रेड्डी : रिपोर्ट के मुताबिक आन्ध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कृष्णा वाटर के एक्सेस वाटर को यूज करने का डिसिजन लिया है, फिर यह डिसप्यूट क्यों हो रहा है ? साथ में यह तेलगु गंगा पूरा करने के लिए 3 से 6 साल तक का समय निर्धारित किया है और उसके लिए 680 करोड़ रुपए खर्च करने हैं । अगर यह डिले हुआ तो खर्चा बढ़ जाएगा ? क्या इस एक्सेस एमाउन्ट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी ?

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० रंगा : इसमें केन्द्र का दोष नहीं है ।

श्री बी० शंकरानन्द : भारत सरकार तीनों राज्यों के बीच उठने वाले विवादों को सुलझाने का भरसक प्रयास कर रही है··· (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : कोई भी विवाद नहीं है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपनी-अपनी राय है। कृपया उत्तर जारी रखिए।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्यों को पता है कि इस परियोजना को स्वीकृति देने के संबंध में अपनी आपत्तियां उठाते हुए कर्नाटक सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को लिखा है। यह बात गुप्त नहीं है। सभी को इसके बारे में पता है। इसके बावजूद यदि कोई यह कहे कि कोई विवाद नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वह विवाद का अर्थ समझता भी है, अथवा नहीं। यहां तक कि प्रधान मंत्री ने भी विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक को इस आशय का पत्र लिखा था कि मतभेदों का समाधान इस प्रकार किया जाए जो सभी राज्यों को मान्य हो। मैंने भी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की थी कि मतभेद सौहार्दपूर्ण ढंग से दूर हो जाएं जिससे कि मद्रास के हितों में विशेषकर पेयजल के संबंध में उसकी समस्या का तत्काल समाधान हो जाए। मंत्री स्तर पर एक बैठक आयोजित करने से पूर्व, पिछले महीने मैंने सरकारी स्तर पर एक बैठक बुलाई थी। दुर्भाग्यवश आंध्र प्रदेश ने उस बैठक में भाग नहीं लिया।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि तेलगु गंगा परियोजना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने कोई अभ्यावेदन भेजा है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर हम सरकार की प्रतिक्रिया भी जानना चाहते हैं। क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार विशेषकर कृष्णा घाटी के सूखाग्रस्त क्षेत्र के हितों की रक्षा करेगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं और उसने भारत सरकार को लिखा है। हमने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को लिख दिया है मामले को शीघ्र ही सुलझाया जा सके।

श्री जाफर शरीफ : 1977 के समझौते में इन जल भण्डारों से सिंचाई के लिए पानी लेने का स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। क्या यह सच है अथवा नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : वह 1977 के समझौते के बारे में पूछ रहे हैं। 1977 के समझौते के अन्तर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों में से प्रत्येक को मद्रास को टी०एम०सी० जल सप्लाई करने को कहा गया था। सभी राज्यों को इसकी पुष्टि करने को कहा गया था। आंध्र प्रदेश को छोड़ सभी राज्यों ने इसकी पुष्टि कर दी थी। आंध्र प्रदेश ने कहा था कि इस

समझौते के कारण उनके द्वारा कृष्ण नदी का जल उपयोग करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। मेरे विचार से इस समझौते में आंध्र प्रदेश को अपने जल का उपयोग करने के अधिकार से कभी इनकार नहीं किया गया है।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : तेलगू गंगा परियोजना की कल्पना इसलिए की गई थी ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, मद्रास नगर को 15 टी०एम०सी० जल प्रदान करने के अतिरिक्त श्री सैलम में कृष्णा नदी से 29 टी०एम०सी० जल लेकर करनूल तथा कुड्डपा जिलों की 2.75 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके। परन्तु दुर्भाग्य से प्रश्न में इसे .150 लाख टी०एम०सी० बताया गया है। यह इतना नहीं हो सकता है क्योंकि समस्त भारत में भी सिंचाई हेतु 150 लाग टी०एम० सी० जल उपलब्ध नहीं हैं। यह केवल 15 टी० एम० सी० हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : टंकरण की गलती को दूर कर दिया जायेगा। आप कृपया अपना प्रश्न रखिये।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : श्रीमती गाँधी ने मद्रास में इस परियोजा का उद्घाटन 25-5-1983 को किया था। उस उत्सव में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री सम्मिलित हुए थे। जब इसका उद्घाटन किया गया था तो प्राक्कलित लागत 827 करोड़ रुपये थी, परन्तु अब इसे कम करके 627 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार का प्रमुख कर्तव्य···

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न पूछिये। आप तो घुमावदार मार्ग अपना रहे हैं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। सरकार का मुख्य कर्तव्य है पीने के लिए पानी सप्लाई करना।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है ?

श्री पी० कुलन्दईवेलू : हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने यह कहते हुए 6 मई को आन्ध्र-प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य मन्त्रियों को एक पत्र लिखा था···

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री पी० कुलन्दईवेलू :···कि आन्ध्र-प्रदेश इस नदी किनारे का वह अन्तिम राज्य है जो कि जल के अपशिष्ट के रूप में समुद्र में मिल जाने से पूर्व उसका उपयोग करता है। अत: परियोजना को कार्यान्वित करने में किसी अन्य राज्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि श्री हेगड़े ने भी अपने उत्तर में कहा है कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि यदि कर्नाटक के हितों में रुकावट नहीं आती है तो उन्हें कोई आपित्त नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि मद्रास

नगर के लिए पीने के जल की व्यवस्था की जाये। बस इतनी सी बात है । हमने इस परियोजना हेतु केन्द्रीय सहायता लेने के लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजे हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि वह सहायता दी जा रही है या नहीं और तमिलनाडु को वास्तव में क्या सहायता दी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है यहां आपस में बातें नहीं की जानी चाहिएं ? क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मेरे विचार से यह बहुत लम्बा प्रश्न है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय···

अध्यक्ष महोदय : आप केवल इतना बताइए कि क्या आप मद्रास को पानी देंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैंने उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब अन्तिम पूरक प्रश्न श्री नन्जे गौड़ा पूछेगें ।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : महोदय, उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं कि वह उन्हें पानी प्रदान करेंगे।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्हें यह उत्तर देने दीजिए कि क्या यह सरकार के विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : महोदय, इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी जाए। इसमें तीन राज्यों का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, कृपया आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दीजिये। (व्यवधान)

श्री पी० कुलन्दईवेलू : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वह पानी देंगे। (व्यवधान)

श्री पी० कुलन्दईवेलू : तमिलनाडु ने जिस प्रस्ताव को पहले ही भेज दिया है, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर विचार करेंगे।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : क्या यह सरकार के विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर विचार न किया जाए।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह मद्रास के लोगों के जीवन और मरण का प्रश्न है। आप तो मद्रास शहर को भली-भांति जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलन्दईवेलू आप अनावश्यक रूप से मेरे 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : महोदय, मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैंने आपको समय दिया और आपने उसका दुरुपयोग किया।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : महोदय, यदि यह आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : फिर कैसे ? यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान) मुझे खेद है कि आप प्राय: गुस्सा होते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। आप अनावश्यक रूप से यह सब करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : दल का नेता होने के नाते मुझे प्रश्न पूछने होते हैं। यह एक मुख्य बात है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं, लेकिन भाषण नहीं दे सकते।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : इस प्रकार के रवैये से मैं सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैंने अवसर दिया तो उन्होंने इसका

दुरुपयोग किया, इसमें स्पष्टीकरण की कोई बात नहीं है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : महोदय, यह बड़े ही दुःख की बात है कि भारत सरकार को आंध्र-प्रदेश से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। (**व्यवधान**) महोदय मैं प्रश्न कर रहा हूं। भारत सरकार के क्षेत्रों में समझदारी की कमी तो हैं ही क्योंकि भारत सरकार को आन्ध्र-प्रदेश से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करने का कोई हक नहीं है, विशेषकर पीने के पानी के सम्बन्ध में दिनांक 28-10-77 के समझौते के अनुसार, जिसमें भारत सरकार भी एक पार्टी है, यह तमिलनाडु की परियोजना है। अत: उन्होंने इसको आंध्र-प्रदेश से क्यों प्राप्त किया है ? वे तो फालतू पानी के उपयोग की बात कर रहे थे। फालतू पानी के उपयोग की बात अलग है और नई परियोजना की बात दूसरी। पता नहीं भारत सरकार बात को समझ क्यों नहीं पाती है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये।

श्री एच०एन० नन्जे गौडा : बच्छावत न्यायाधिकरण ने योजना 'क' और योजना 'ख' के बारे में एक पंचाट दिया है। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत सरकार द्वारा केवल योजना 'क' को अधिसूचित किया जाता है और योजना 'क' के अधीन सम्बद्ध सभी राज्यों से अपनी परियोजनाओं को 2060 टी०एम०सी० फुट तक सीमित रखने की आशा की जाती है। और यदि किसी ने योजना 'क' का उल्लंघन किया है तो क्या उससे बाहर जाना उस पार्टी का अपराध नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि यह योजना आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से और एक तरफा रूप से तैयार की है ? क्या भारत सरकार भी ऐसी अवैध और एक-तरफा कार्यवाही में सहभागी है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें हर बात पर विचार करना होगा।

श्री सी० शंकरानन्द : शायद माननीय सदस्य ने उस उत्तर को नहीं सुना जो मैंने प्रथम अनुपूरक प्रश्न का दिया था। मैंने इसका उत्तर दे दिया है और यदि आपने नहीं सुना है तो आप मेरा उत्तर पढ़िये आपकी समझ में आ जायेगा।

यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग के परीक्षणाधीन है जोकि जल की उपलब्धता से सम्बद्ध सभी पहलुओं और अन्तर्राज्यीय विवादों के पहलुओं का भी अध्ययन कर रहा है।

सवारी डिब्बों, वैगनों तथा रेल इंजिनों का निर्माण

*433. **श्री श्रीहरि राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवारी डिब्बों, वैगनों तथा रेल इंजिनों का निर्माण करने वाले कारखानों के पास केवल देश की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधन उपलब्ध हैं;

(ख) क्या विदेशी बाजार में प्रवेश करने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से रेलवे भारत में बने सवारी डिब्बों, वैगनों तथा रेल इंजनों का निर्यात करने के लिए अपनी निर्माण क्षमता में वृद्धि करने हेतु प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण कर रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलवे उत्पादन कारखाने देशीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सवारी डिब्बों और रेल इंजनों का निर्माण करने के लिए स्थापित किये गये हैं। माल डिब्बों का निर्माण सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के माल डिब्बा निर्माताओं द्वारा किया जाता है। रेलों द्वारा निर्मित सवारी डिब्बे और रेल इंजन तथा सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में निर्मित माल डिब्बे निर्यात भी किए जाते हैं। किन्तु, निर्यात विश्व मार्किट में मूल्य, डिजाइन, विश्वसनीयता आदि की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अपनी योग्यता पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) : रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और कुशलता में सुधार लाने के लिए रेलों द्वारा नियमित रूप से टेक्नोलोजी को अद्यतन किया जाता है। इससे रेलों को विश्व मार्किट में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी।

श्री श्रीहरि राव : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सवारी डिब्बे, रेल इंजन और माल डिब्बे विदेशों को निर्यात किए गए हैं और यदि हां तो वे कौन से देश हैं ?

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, 1971-72 से 1984-85 तक की बारह वर्ष अवधि में 26.08 करोड़ की लागत के लगभग 326 सवारी गाड़ी के डिब्बे ताइवान, जाम्बिया, फिलीपाइन्स तनजानिया, यूगांडा, वियतनाम,. नेपाल, नाईजीरिया, मोजाम्बीक और बंगलादेश को निर्यात किए गए हैं।

बंगलादेश को 60 सवारी डिब्बों का एक अतिरिक्त निर्यात आर्डर अभी हाथ में है।

जहां तक रेल इंजनों का प्रश्न है, 30 इंजनों का निर्यात किया गया है जिनमें से पन्द्रह, तन्जानिया को और 15 वियतनाम को दक्षिण रेलवे के मरम्मत करके चालू किए गए पांच भाप इंजनों को जिनका कुल मूल्य 20.17 करोड़ रुपए है, तन्जानिया को निर्यात किया गया है।

श्री श्रीहरि राव : क्या आपको 1985-86 में भी कोई आर्डर मिले है ?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, अभी तो बंगलादेश का 60 सवारी डिब्बों का आर्डर हाथ में है और इसे कार्यरूप दिया जा रहा है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, बन स्टैन्डर्ड कम्पनी, जेसप कम्पनी, ब्रेथवेट कम्पनी ये सभी

वैगन तैयार कर रही हैं, परन्तु गत रेलवे बजट में मन्त्री महोदय ने पश्चिम-बंगाल में बीस हजार वैगनों को तैयार करने के आर्डर को घटाकर पांच हजार कर दिया है ।

(व्यवधान)

हमने आर्डर को बढ़ाने के निमित्त रेल मन्त्री महोदय, श्री बन्शीलाल से भेंट करने का प्रयास किया। क्या मन्त्री महोदय, पश्चिम-बंगाल को और वैगन तैयार करने का आदेश देने पर विचार करेंगे और इस प्रकार मजदूरों को भुखमरी से बचायेंगे ?

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, हम अभी भी आशा कर रहे हैं कि हमें धन का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा और हम अभी भी अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी और जैसे धन उपलब्ध हो जाएगा तो पश्चिम-बंगाल जहां पर बड़ी संख्या में वैगन निर्माता रहते हैं, के हितों को विशेषकर वैगन तैयार करने के मामले में निश्चय ही ध्यान में रखा जाएगा और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : आप क्यों 50000 श्रमिकों की स्थिति पर हंस रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

भोपाल से कलकत्ता, इलाहाबाद, अहमदाबाद और बम्बई के लिए ट्रेन आरम्भ करना

*434. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल और बम्बई के बीच सुपरफास्ट गाड़ी चलाने के प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ियां कब तक चलने लगेंगी ?

[अनुवाद]

रेल मन्त्री (श्री बंशी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान : अध्यक्ष महोदय, भोपाल से अहमदाबाद पहले साबरमती एक्सप्रेस चलती थी, लेकिन उसका रुट बदल दिया गया है। उसके बाद केवल एक बोगी भोपाल से उज्जैन साबरमती एक्सप्रेस में लगा दी गई है, जबकि उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या वहां के ट्रैफिक को देखते हुए कुछ और सुविधा देने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशी लाल : अध्यक्ष महोदय, फिलहाल और सुविधा नहीं दे सकते हैं।

श्री बालकवि बैरागी : सारी की सारी गाड़ी गायब हो गई।

अध्यक्ष महोदय : आप टके से जवाब से राजी नहीं हुए।

श्री के० एन० प्रधान : अध्यक्ष महोदय, इधर अहमदाबाद के लिए तो पूरी गाड़ी लेकर एक झुनझुना पकड़ाया गया है। इलाहाबाद और कलकत्ता के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है। सागर और दमोह के लोगों ने क्या मन्त्री महोदय से कोई मांग की है कि महानगर एक्सप्रेस की बजाय इटारसी से वाया जबलपुर, भोपाल, बीना और सागर तक पहुंचा दिया जाए जिस से क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा हो और कम से कम उस क्षेत्र के साथ अमिताभ बच्चन का मायका और ससुराल दोनों को सीधी ट्रेन से जोड़ा जा सकेगा। क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : ऐसी कोई मांग मेरी नोटिस में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : रेल राज्य मन्त्री के कार्यालय में एक मार्ग चार्ट है जिसमें इलाहाबाद, जबलपुर और अहमदाबाद के बीच अविकसित मार्ग को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। चार्ट को देखने के बाद क्या मन्त्री महोदय इन लाइनों को विकसित करने की बात सोचेंगे क्योंकि वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं :

[हिन्दी]

"ऐसी कोई मांग मेरी नोटिस में नहीं है।"

श्री बंसी लाल : मैं चार्ट मंगवा कर देख लूंगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, हावड़ा-बम्बई लाइन में वन-डाउन और टू-अप ट्रेन चलती है। उसके फर्स्ट-क्लास डिब्बे बहुत खराब हालत में हैं। हमको आपकी तरफ से जवाब आया कि फर्स्ट क्लास के जो डिब्बे हैं, उनके नए डिब्बे नहीं बना रहे हैं, ए० सी०-स्लीपर कोचेज

लगायेंगे। लेकिन मेरे अनस्टार्ड प्रश्न के उत्तर में आपने जवाब दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है मैं जानना चाहता हूं, वस्तुस्थिति क्या है ? क्या फर्स्ट क्लास के डिब्बों को बनाना बन्द कर दिया है या बना रहे हैं ?क्या उनको ऐ०सी० टू-टायर से रिप्लेस करने वाले हैं ?मैं वस्तुस्थिति को जानना चाहता हूं, क्योंकि आप की जो चिट्ठी आई है और जो अनस्टार्ड प्रश्न में जो आपने जबाब दिया है, दोनों में विरोधाभास है।

श्री बंसी लाल : टू-टायर ज्यादा बनायेंगे, फर्स्ट-क्लास नहीं बनायेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० गुरड्डी : हमारे मन्त्री महोदय, सदैव नकारात्मक उत्तर ही देते हैं मैं उनसे अपने प्रश्न का सकारात्मक उत्तर पाने की आशा करता हूं। क्या नई दिल्ली से बंगलौर तक प्रतिदिन एक सीधी रेल सेवा चालू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

[हिन्दी]

श्री बंसीलाल : नई दिल्ली बंगलौर के बीच में रोजाना ट्रेन अभी नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास कोचेज और लोकोमोटिव्ज की कमी है।

[अनुवाद]

बम्बई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर धबासी में तापी नदी पर पुल

*435. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर धुले (महाराष्ट्र) में धबासी नामक स्थान पर तापी नदी पर एक पुल का निर्माण आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो पुल की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) वर्ष 1985-86 में इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) 290.09 लाख रुपए।

(ग) वर्ष 1985-86 में इस निर्माण कार्य के लिए 200.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

श्री विजय एन० पाटिल : बम्बई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर धुबासी में तापी नदी पर बन रहा यह पुल एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुल है तथा इसके बनने से 6 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी······(व्यवधान) अगर आप कहते हैं कि इस पुल पर से एक हजार गाड़ियां निकलती है तो इसका अर्थ है 6000 किलोमीटर दूरी का कम होना तथा इतने ही पेट्रोल एवं समय की बचत। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने वर्ष 1985-85 के लिए 200 लाख रुपये आवंटित किए हैं जिसका अर्थ है कुल लागत का 70 प्रतिशत। क्या मैं मंत्री महोदय, से आशा रख सकता हूं कि यह परियोजना 2 वर्षों के भीतर पूरी हो जायेगी और क्या आप इस पुल को काम में लाने वालों पर चुंगी कर लगाने वाले हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इस परियोजना का निर्माण कार्य सितम्बर, 1988 तक पूरा हो जाने की आशा है।

श्री विजय एन० पाटिल : भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर महत्त्वपूर्ण नदियों पर बहुत से पुल बनाये जाने की आवश्यकता है तथा रेलवे फाटकों पर उपरि पुलों के निर्माण करवाये जाने की भी आवश्यकता है। अत: क्या धन की कमी का दृष्टिगत रखते हुए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है, कि इसे किन्हीं विख्यात इमारत निर्माण ठेकेदारों को सुपुर्द कर दिया जाये ताकि वे इस तरह के पुलों का निर्माण कर सकें तथा अपने पूंजी निवेश को इन पुलों पर से जाने वाली गाड़ियों पर, लगाये गये चुंगी कर से वसूल कर ककें ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : सरकार के विचाराधीन एक योजना है। हमारे पास एक प्रस्ताव आया है कि धन की कमी के कारण कतिपय महत्त्वपूर्ण पुलों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों की दरारों को भरने के लिए हमें गैर-परम्परागत संसाधनों को अपनाना चाहिये जिसके लिये निजी निजी क्षेत्र के ठेकेदार अपने संसाधनों को लेकर आगे आयें और उन राष्ट्रीय राजमार्गों एवं पुलों की दरारों को भरने का काम करें जिन्हें इसके लिए चुना गया है तथा उन मार्गों से चुंगी कर वसूल करें। यह प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है। अखबारों में विज्ञापन भी दिया गया है तथा निजी क्षेत्र के कुछ ठेकेदारों ने थोड़ी रुचि दिखाई है। हमारे पास लोग पूछ-ताछ करने भी आये हैं। अब हम इस मामले पर आगे कार्यवाही करेंगे।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम में सामान उतारने की प्रणाली

*436. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम ने वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान वर्षवार कितने जहाजों का निर्माण किया और कितनों की सुपुर्दगी दी;

(ख) फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार सामान उतारने का क्या प्रतिशत निर्धारित है और उपर्युक्त शिपयार्ड में पिछले तीन तीन वर्षों के दौरान सामान उतारने का कितने प्रतिशत कार्य दिया गया :

(ग) क्या सामान उतारने का कार्य शिपयार्ड के कर्मचारियों को सौंपा गया था और यदि हां, तो उन्हें सौंपे गये कार्य का मूल्य मात्रा और कार्य की प्रकृति क्या थी तथा उनमें से कितनों को यह कार्य दिया गया था; और

(घ) क्या यह सच है कि शिपयार्ड की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किये बिना शिपयार्ड के कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों को निजी तौर पर सामान उतारने का कार्य सौंपा गया था ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रमान अन्सारी) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) वर्षवार 1982-82, 1983-84 और 1984-85 में निर्मित तथा डिलिवर किए गए जहाजों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	पठाण डालना	जलावतरण	डिलिवरी
1982-83	1	1	—
1983-84	—	1	1
1984-85	7	5	2

(ख) हालांकि फैक्ट्री अधिनियम में किसी उद्योग में काम छोड़ने की प्रतिशतता के बारे में निर्धारित कोई उपबंध नहीं है, फिर भी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा पिछले तीन वर्षों में छोड़े गए काम का प्रतिशतता निम्न प्रकार है :

वर्ष	जन दिवस के आधार पर छोड़ गए कार्य की प्रतिशतता	उत्पादन के मूल्य के आधार पर छोड़ गए कार्य की प्रतिशतता
1982-83	4.31	1.25
1983-84	7.32	1.60
1984-85	4.10	0.83

(ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के एक कर्मचारी ने अवैतनिक अवकाश में एक सहायक यूनिट स्थापित की। इस यूनि1 के पिछले साल कुल 11.10 लाख रुपए मूल्य का काम किया। सहायक यूनिट स्थापित करना और उसको काम देना दोनों ही इस विषय पर मार्गदर्शी सिद्धांत और नियमों के तहत आते हैं।

(घ) जी नहीं।

श्री एस० एम० भट्टम : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का प्रति वर्ष कितने जहाज निर्माण करने का लक्ष्य है तथा उसके आधार पर क्या सरकार समझती है कि वर्तमान कार्य-निष्पादन संतोषजनक सीमा तक है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : 1984-85 के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की क्षमता उपयोगिता 97 प्रतिशत तक थी। 1985-86 के पहले छः महीनों में उनकी क्षमता उपयोगिता समान स्तर तक बनी हुई है।

श्री एस० एम० भट्टम : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड प्रति वर्ष कितने जहाज बनाने की आशा रखता है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1989-90 तक धीरे-धीरे प्रति वर्ष 21,500 डी. डब्ल्यू. टी. के 6-7 जहाज बनाने में समर्थ होगा। 1981 से इसकी क्षमता 3 जहाज प्रति वर्ष बनाने की है।

श्री एस० एम० भट्टम : वक्तव्य के अनुसार, वर्ष 1982-83 में एक भी जहाज नहीं दिया गया, वर्ष 1983-84 में मात्र एक भी पठाण नहीं डाला गया तथा 1984-85 में जलावतरण किये गये 5 जहाजों में से सिर्फ दो ही की सुपुर्दगी की गई। इन सब का कारण क्या है तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड की ओर से इतने असंतोषजनक कार्य-निष्पादन का क्या कारण है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : सुपुर्दगी करना एक बात है तथा शिपयार्ड के निर्माण करने की क्षमता एक अलग बात है। जहाजों का निर्माण काफी लम्बी अवधि के पश्चात् होता है। पाइप लाइन में जो कुछ भी जहाज हैं, निश्चित हो उनकी सुपुर्दगी नहीं की गई है। परन्तु अभी भी 6-7 जहाज निर्माण के विभिन्न चरणों में पाइप लाइन में मौजूद हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में कोई डिलिवरी नहीं हुई है, शिपयार्ड पाइप लाइन में हैं। आपने यह भी बताया है कि 97 परसेंट प्रोडक्शन हुआ है, ऐसी हालत में आपने इसमें 6 शिप का प्रोडक्शन बताया है, कहीं

पर तीन बताए हैं, ये दोनों जवाब कंट्राडिक्टरी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-सा जवाब सही है और कौन-सा गलत है। कितना कुल प्रोडक्शन हुआ है और जिन वर्षों में प्रोडक्शन नहीं हो पाया है उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह प्रश्न शिपयार्ड के कुल कार्य-निष्पादन से संबंधित नहीं है यह शिपयार्ड पर सामान उतारने की सुविधाओं के संबंध में है।

जहां तक इन आंकड़ों का संबंध है, ये बिलकुल सही हैं। वर्ष 1984-85 के आंकड़े इस प्रकार हैं :

पठाण ालना-7 : जलावतरण-5 तथा जहाजों की डिलिवरी-2 पाइप लाइन में बहुत से जहाज हैं। इनके पूरा होने पर इनका जलावतरण किया जायेगा। इसके बाद डिलिवरी की जायेगी।

श्री आनन्द गजपति राजू : जब यह ठेके का काम है तो क्षमता उपयोगिता की बात करना मुश्किल है। वास्तव में, हिन्दुस्तान शिपयार्ड ठेके पर जहाजों का निर्माण करवा रहा है यह प्रक्रिया में होने वाला निर्माण नहीं है। अतः मंत्री जी ने जो 97 प्रतिशत का उल्लेख किया है वह जरूरी नहीं है कि सही हो।

दूसरी बात, विशाखापतनम शिपयार्ड में बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो बेकार पड़े हुए हैं। अतः मैं समझता हूं कि क्षमता उपयोगिता 30-40 प्रतिशत तक होगी न कि वह जिसका माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है। अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस विषय की जांच करवायें।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैंने क्षमता उपयोगिता के बारे में 97 प्रतिशत के जो आंकड़े दिये हैं वे बिलकुल सही हैं। सहायक इकाइयों के विकास के संबंध में सामान उतारने का काम बी०पी०ई० द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अनुसार किया जाता है तथा कतिपय कार्य इरादतन सहायक इकाइयों के माध्यम से किए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रश्न संख्या 437।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या 445 को भी इसी प्रश्न के साथ ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं समझता हूं कि हम प्रश्न संख्या 445 को भी इस प्रश्न के साथ ले सकते हैं।

रक्त बैंकों द्वारा रक्त जमा करना

*437. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रक्त बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष इकट्ठा किए जाने वाले रक्त की कुल मात्रा क्या है;

(ख) उक्त मात्रा में से कितना प्रतिवर्ष स्वेच्छा से बिना मूल्य प्राप्त किया जाता है; और

(ग) कितना प्रतिशत पैसा देकर प्राप्त किया जाता है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में हर साल औसतन लगभग 5 लाख यूनिट रक्त एकत्र किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में स्वैच्छिक रूप से रक्त दान करने में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि एकत्र किये गये कुल रक्त का 50 प्रतिशत रक्त स्वैच्छिक रक्त दाताओं द्वारा दिया गया है जबकि तथाकथित व्यावसायिक रक्त-दाताओं से प्राप्त किया गया रक्त इसका लगभग 22 प्रतिशत बैठता है।

रक्त बैंक खोलने के लिए मानदण्ड तथा देश में रक्त बैंक की संख्या में वृद्धि करने की योजना

*445. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी स्थान पर रक्त बैंक खोलने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) देश में (राज्य-वार) कितने रक्त बैंक हैं;

(ग) सातवीं योजना में रक्त बैंकों की संख्या में वृद्धि के लिये मंत्रालय के क्या प्रस्ताव हैं; आर

(घ) उस प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल का कितना भाग है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ब्लड बैंक सामान्यतया उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में रक्त इकट्ठा होने की संभावना हो तथा जहां रक्त स्टोर करने की और रक्ताधान सेवाओं की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हों।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में रक्ताधान संबंधी मौजूदा सेवाओं को आधुनिक बनाने तथा उन्हें सुदृढ़ करने की एक व्यापक योजना सातवीं योजना में अनुमोदनार्थ प्रस्तावित की गई है। आरम्भ में दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में रक्त प्रभाजन के लिए तीन मार्ग-दर्शी संयंत्र स्थापित करने का विचार है।

विवरण

भारत में ब्लड बैंकों की सूची

(उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	ब्लड बैंकों की संख्या			कुल
		सरकारी	निजी	आई०आर०सी०एस० अथवा स्वैच्छिक	
1	2	3	4	5	6
1.	असम	6	—	—	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	48	7	—	55
8.	बिहार	19	10	—	29
4.	गुजरात	10	—	—	10
5.	हरियाणा	12	—	—	12
6.	हिमाचल प्रदेश	6	—	—	6
7.	जम्मू व कश्मीर	1	—	—	1
8.	कर्नाटक	33	2	—	35
9.	मध्य प्रदेश	50	6	—	56
10.	महाराष्ट्र	30	23	8	61
11.	केरल	53	—	—	53
12.	मणिपुर	2	—	—	2
13.	मेघालय	1	—	—	1
14.	उड़ीसा	3	—	24	27

1	2	3	4	5	6
15	पंजाब	17	3	1	21
16.	राजस्थान	18	—	—	18
17.	सिक्किम	1	—	—	1
18.	तमिलनाडु	63	17	—	80
19.	त्रिपुरा	2	—	—	2
20.	उत्तर प्रदेश	62	17	—	79
21.	पश्चिम बंगाल	33	—	—	33
22.	चण्डीगढ़	1	—	—	1
23.	दिल्ली (अस्पताल ब्लड बैंक)	1	4	1	16
24.	गोवा, दमण व दीव	1	—	—	1
25.	पांडिचेरी	2	—	—	2
26.	नागालैंड		(कोई ब्लड बैंक नहीं)		
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह		(कोई ब्लठ बैंक नहीं)		
28.	अरुणाचल प्रदेश		(कोई ब्लड बैंक नहीं)		
29.	दादर व नगर हवेली		(कोई ब्लड बैंक नहीं)		
30.	लक्षद्वीप समूह		(कोई ब्लड बैंक नहीं)		
31.	मिजोरम	2	—	—	2
	योग :	487	89	34	610

कुल ब्लड बैंक — 610

श्री दिग्विजय सिंह : यह अत्यन्त ही स्वागत योग्य रहस्योद्‌घाटन है कि 50 प्रतिशत रक्त स्वैच्छिक रक्त-दाताओं द्वारा दिया जाता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस पर दोहरा नियंत्रण होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं क्या इन रक्त एकत्र करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सियों में वे स्वैच्छिक एजेन्सियां भी शामिल हैं जो कि व्यावसायिक रक्त-दाताओं से भी रक्त प्राप्त करती हैं अथवा क्या यह रक्त-दान बिना पैसों के स्वेच्छा से किया गया है। यह एक बात है

जो मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि 50, 20 तथा 28 प्रतिशत का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब मैं कहता हूं 'स्वैच्छिक', तो उसका अर्थ है स्वैच्छिक रक्त-दाताओं से प्राप्त। रक्त स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा अस्पतालों द्वारा एकत्र किया जाता है। देश में कुल एकत्रित रक्त का 50 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्त-दाताओं से प्राप्त होता है। प्रतिस्थापन, अर्थात् किसी व्यक्ति द्वारा अपने रिश्तेदार अथवा मित्र या किसी अन्य के लिये दिया गया रक्त 28 प्रतिशत है। व्यावसायिक रक्त-दाताओं से केवल 22 प्रतिशत रक्त एकत्र किया जाता है।

श्री दिग्विजय सिंह : जो व्यक्ति रक्त-दान करते हैं उस पर उचित नियंत्रण रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी अस्वस्थ रक्त-दाता जिनको जन्मजात रक्त संबंधी बीमारी है उनकी पहचान की जाये तथा उन्हें रक्त-दान करने से रोका जाये क्या तरीका अपनाया गया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो रक्त से दूसरे व्यक्तियों में चली जाती हैं। विशेष रूप में एस०टी०डी०, मलेरिया पेरेसाइट, हैपटाइटीस (यकृत-शोथ) ये तीन बीमारियां हैं जो कि रक्त द्वारा दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाती हैं अतः रक्त-दाताओं से रक्त लेने से पूर्व उसके रक्त की आवश्यक जांच की जानी चाहिये।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रक्रिया क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रक्रिया है रक्त की जांच करना। रक्त लेने से पहले डाक्टरों द्वारा रक्त का परीक्षण किया जाता है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : अपने विवरण में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि पूरे देश में केवल 610 रक्त बैंक हैं। इस समय नागालैण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप में कोई रक्त बैंक नहीं है। इन संघ राज्य क्षेत्रों तथा नागालैण्ड राज्य में रहने वाले लोगों को ऑपरेशन तथा अन्य चिकित्सा के लिये रक्त की आवश्यकता पड़ने पर रक्त कहां से मिलता है ? विवरण के अनुसार इन क्षेत्रों में गत अनेक वर्षों से कोई रक्त बैंक नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आप जो तीन प्रायोगिक संयन्त्र आरम्भ करने वाले हैं, उनमें से एक कलकत्ता में स्थापित किया जायगा। क्या यह संयन्त्र कलकत्ता महानगर क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करेगा अथवा कुछ अन्य शहरी क्षेत्रों की भी जिन्हें अपने यहां के रोगियों की देखभाल के लिये अत्यधिक रक्त की आवश्यकता है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक अनुपूरक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, इन पांच राज्यों में प्रतिस्थापन का तरीका अपनाया जा रहा है; अर्थात् रक्त को स्वस्थ व्यक्ति से रोगी के शरीर में पहुंचाया जाता है। जहां तक अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है; आरम्भ में

रक्त प्लाविका प्रभाजन यन्त्र (ब्लड प्लास्मा फेक्शेन मशीन) तीन स्थानों में अर्थात दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में स्थापित किये जायेंगे। महोदय, यह अत्यन्त आधुनिकतम यन्त्र है। इसके लिए स्टाफ को प्रशिक्षण देने की तथा निरन्तर मिलने वाली बिजली की आवश्यकता है। इसे प्रति सप्ताह लगभग 500 यूनिट रक्त चाहिए। 500 यूनिट रक्त होने पर ही यह यन्त्र संस्थापित किया जा सकता है और प्रयोग में लाया जा सकता है इस समय तीन महानगर ऐसे हैं जहां प्रति सप्ताह 500 यूनिट रक्त एकत्र करना सम्भव है। इसलिए, इन्हें इन्हीं तीन महानगरों में संस्थापित करने का विचार किया गया है। यह न केवल कलकत्ता की ही आवश्यकता पूरा कर सकेगा किन्तु आपात स्थिति में, यह अन्य स्थानों को भी रक्त भेज सकता है क्योंकि रक्त को पाउडर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और पाउडर को आपात स्थिति में कहीं भी भेजा जा सकता है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : श्रीमान, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि स्वेच्छा से रक्त-दान करने के लिये देश में स्वयंसेवी रक्त-दाता संगठनों द्वारा जो अभियान चलाया गया है उन्हें अधिकांशतया सप्लाई उपकरणों, डाक्टरों और नर्सों की सप्लाई के सन्दर्भ में रक्त बैंक आधिकारियों का समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। रक्त-दाताओं को रक्त-दान करने की इच्छा होते हुए भी यह पूरी नहीं की जा सकती है क्योंकि भण्डारण क्षमता इतनी कम है कि पर्याप्त रक्त का भण्डारण संभव नहीं है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, यह सच नहीं है; क्योंकि सरकार स्वयंसेवी एजेन्सियों की सहायता कर रही है। किन्तु कुछ ऐसी औपचारिकताएं हैं; जिनका पालन करना पड़ता है। अब रक्त को एकत्र करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है जिसके लिए उन्हें औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है। कुछ ऐसे संगठन हैं जो उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिये सरकार उन एजेन्सियों का समर्थन नहीं कर सकती है जो उपकरण तथा अन्य वस्तुएं लाने में असमर्थ हैं। भण्डारण क्षमता भी कम है। छठी योजना तक अधिक प्रावधान नहीं था। सातवीं योजना में उन स्वयंसेवी एजेन्सियों, जो इस क्षेत्र में हैं; की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

डा० बी० वेंकटेश : महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इस देश में व्यावसायी रक्तदाता भी हैं। जब कभी रक्त एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, ये व्यवसायी रक्तदाता आगे आ जाते हैं। किन्तु एकत्र किया गया रक्त अच्छे किस्म का नहीं होता। माननीय मंत्री महोदय बता ही चुके हैं कि उनमें एस०टी०डी० तथा संक्रामक रोग होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या व्यावसायिक रक्तदाताओं को रोकने तथा अन्य व्यक्तियों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई व्यवस्था है जिससे कि अच्छे किस्म का रक्त मिल सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसे रक्तदाताओं को रोकने का सरकार सतत प्रयत्न करती है तो

भी इसे रोक पाना बहुत ही कठिन है क्योंकि हर अस्पताल में रक्त की आवश्यकता पड़ती है और कभी-कभी ये व्यावसायिक रक्तदाता भी आते हैं और रक्तदान करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं ऐसे रक्तदाओं से कुल 22 प्रतिशत रक्त प्राप्त होता है।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के विवरण के अनुसार रक्त बैंक की सुविधा पांच राज्यों में सुलभ नहीं है। मैं भी इन्हीं में से एक क्षेत्र अर्थात् लक्षद्वीप का हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो पूर्ण स्वस्थ्य हैं।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, माननीय मंत्री महोदय भी वहां गये थे···(**व्यवधान**)

हमारे यहाँ कवराती में एक सहायता प्रदान करने वाला अस्पताल है जहाँ सभी आपातकालीन रोगी भेजे जाते हैं रक्त बैंक की सुविधा न होने के कारण अनेक रोगी इसलिये मर जाते हैं क्योंकि लक्षद्वीप के मामले में रोगियों को तत्काल वहाँ से अन्यत्र ले जाना सम्भव नहीं है मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या लक्षद्वीप में रक्त बैंक स्थापित किया जायगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपका सुझाव नोट कर लिया है। श्री पटेल।

श्री मोहन भाई पटेल : महोदय, हमारे राज्य में दोनों ही रक्त बैंक संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिये गुजरात राज्य की रक्त प्रजानन सुविधा तत्काल दिये जाने की आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं यह अत्यंत आधुनिकतम यंत्र हैं और इस समय हमारी योजना केवल तीन महानगरों के लिए है।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपरेशन के दौरान रोगी के रक्त पुनरावर्तन की अद्यतन तकनीक को आरम्भ करने के बारे में विचार किया जायगा जिससे कि 50 प्रतिशत रक्त की आवश्यकता पूरी हो सके ? मुख्यत: आपरेशन के मामलों में रक्त की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है और सारे विश्व में रक्त पुनरावर्तन की तकनीक कार्यान्वित की जा रही है। क्या आप इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और अपने देश में इस तकनीक को आरम्भ करने के बारे में निर्णय लेंगे ? ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं ऐसा अवश्य करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एयर इंडिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा मानार्थ एयर टिकटें तथा पास जारी किया जाना

*410. श्री थम्पन थामस : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स में मानार्थ एयर टिकटें तथा पास जारी करने की प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मानार्थ एयर टिकटें तथा पास मुफ्त देने के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या इन दो एयर लाइनों के निदेशकों को भी मानार्थ टिकटें देने की सुविधा प्राप्त है; और

(घ) गत छः महीनों जनवरी-जून, 1985 के दौरान निदेशकों तथा अन्यों को जारी किए गए ऐसे मानार्थ टिकटों की मासिक अलग-अलग औसत संख्या क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख): अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा एसोसिएशन के अन्य सदस्यों की तरह इण्डियन एयर लाइन्स और इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा एसोसिएशन के विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार पात्र श्रेणी के व्यक्तियों को अपने विमानों में निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। मोटे तौर पर इन विनियमों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति निम्नलिखित हैं :

(i) एयर लाइन्स के अपने कर्मचारी;

(ii) अन्य विमानों के कर्मचारी; और

(iii) निगम द्वारा निर्दिष्ट कर्त्तव्यों के अनुपालन के यात्रा करने वाले व्यक्ति।

इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया निम्नलिखित को भी निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करता है :

(1) सरकार के आदेश पर पर्यटन के विकास के लिए यात्रा लेखक, पत्रकार, टेलिविजन दल, फोटोग्राफर आदि।

(2) जटिल चिकित्सा मामलों, अन्त: सरकारी अनुरोध, सांस्कृतिक कार्यकलापों, प्राकृतिक आपदाओं जैसी विशेष परिस्थितियों में सरकार के आदेश पर व्यक्ति विशेष व्यक्ति-समूहों को।

(3) एजेंटों तथा महत्वपूर्ण वाणिज्यिक ठेकेदारों को, जिन्हें व्यापार संबंधी आर्डर प्राप्त करने और प्रतियोगी कारणों से पास जारी किए जाते हैं।

(ग) जी हाँ, ए०टी०ए० विनियमों के अनुसार तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स द्वारा अनुकरण की जा रही प्रथा को देखते हुए ऐसा किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

"इम्पोवरिस्ड ट्राइबल्स लूट टू लिव" शीर्षक से समाचार

*411. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1985 के "स्टेट्समैन" में "इम्पोवरिस्ड ट्राइबल्स लूट टू लिव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आदिवासियों को भूख के कारण मृत्यु से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आदिवासी विकास योजनाओं के बावजूद देश में लगभग प्रत्येक स्थान पर जहां पर आदिवासी रह रहे हैं, अभाव के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) : समाचार में भूख के कारण हुई मौतों की कोई सूचना नहीं दी गई है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में सूखा, ऊपरी मिट्टी के कटाव आदि जैसे तत्वों के कारण अभाव की परिस्थितियां व्याप्त हैं जिनके लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं।

(1) कुछ आदिवासी क्षेत्रों को सूखा प्रवृत क्षेत्र घोषित किया गया है और संबंधित आदिवासी क्षेत्रों में सूखाप्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) कार्यान्वित किया जाता है।

(2) अनुसूचित जनजातियों में गरीबी कम करने के लिए आई०आर०डी०पी०आई०टी०डी०पी० तथा अन्य क्षेत्रों के अन्तर्गत परिवारभिमुख आर्थिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(3) अभाव की परिस्थितियां कम करने के लिए रोजगार उत्पन्न करने की योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) और ग्रामीण श्रम रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) शामिल हैं।

(4) कुछ आदिवासी क्षेत्र खण्डों में एकीकृत बाल विकास योजना (आई०सी०डी०एम०) शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएं भी सभी जिलों में कार्यान्वित की जाती है।

इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिए साज-समाज के विकास हेतु केन्द्र

*412. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वदेशी क्षमता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इलैक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु साज-समान का विकास करने के लिए केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन केन्द्रों का सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) इसके लिए कितने परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने आयतित प्रौद्योगिकी के आधार पर नवीनतम डिजटिल माइक्रोवेव प्रणालियों के निर्माण का निर्णय किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग हेतु साज-सज्जा का विकास करने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है ।

(ख) यह केन्द्र इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के अन्तर्गत स्थापित किए जाने का विचार है ।

(ग) इसके पर किए जाने वाले परिव्यय के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(घ) जी हां, महोदय ।

जबलपुर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण परिसर की स्थापना

*413. **श्री अजय मुशरान** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य क्षेत्र के लिए जबलपुर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण परिसर स्थापित करने का है, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवा-कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बच्चों को चुराना और उनका अपहरण करना

*414 श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक भागों में बच्चों को चुराने और उनका अपहरण करने की घटनायें प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश मामलों में विदेशों को मानव अस्थि-पंजर भेजने वालों के एजेंट ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) हालांकि देश के कुछ भागों में बच्चों को चुराने और उनका अपहरण करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, किन्तु सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है कि विदेशों में मानव अस्थि-पंजर भेजने वाले एजेंट ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। फिर भी वाणिज्य मंत्रालय ने मानव अस्थि-पंजर और उसके अंगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

चीन-अमरीका परमाणु समझौता

*415. श्री जी० जी० स्वैल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-अमरीका परमाणु समझौते ने भारत सहित दक्षिण एशिया को परमाणु अस्त्र युग की ओर आगे धकेल दिया है;

(ख) क्या चीन ने अपने परमाणु हथियारों के सूक्ष्मीकरण के लिए कोई कोशिश की है; और

(ग) क्या उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल शांति के उद्देश्य के लिए हमारी प्रौद्योगिकी नीति की पुनरीक्षा की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जहाँ तक भारत का संबंध है, ऐसा नहीं है। हमें आशा है कि इस समझौते का दक्षिण एशिया के अन्य देशों पर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) चीन द्वारा अपने परमाणु हथियारों के सूक्ष्मीकरण में दिलचस्पी लेने के बारे में छपी खबरों को सरकार ने देखा है।

(ग) जी, नहीं।

बीस सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

*416. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन में पीछे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसे कार्यक्रमों को गरीबों तथा पिछड़े वर्गों के हित में तेजी से कार्यान्वित किया जाए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायण): (क) वर्ष 1984-85 के दौरान छह राज्यों का कार्य-निस्पादन अर्थात सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड एवं जम्मू तथा कश्मीर को न्यूनतम कार्य-निष्पादन दल में वर्गीकृत किया गया था यानि कि जिनका वार्षिक लक्ष्य 70 प्रतिशत से कम था, अपेक्षाकृत कम कार्य-निष्पादन, प्रशासनिक कारणों एवं आधार भूत अपर्याप्ताओं की वजह से हुआ है।

(ख) योजना आयोग 20-सूत्री कार्यक्रम पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन जाँच करती है तथा जो राज्य इसके कार्यान्वियन में पीछे है उनके यहां तीव्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार कोशिश करती है।

सम्बन्ध केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ भी मामलों को इसी तरह से लिया जाता है।

अखिल भारतीय सेवाओं में ग्रामीण प्रत्याशियों के लिए विशेष सुविधाएं

*417. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से चुने जाने वाले प्रत्याशियों की प्रतिशतता शहरी क्षेत्रों के प्रत्याशियों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस असंतुलन के मूल कारणों की जांच करने तथा आवश्यक हो तो संविधान में समुचित संशोधन करने का है ताकि सामान्य अभ्यर्थियों, विशेषकर ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों के सम्बन्ध में उसी प्रकार की नि:शुल्क कोचिंग सुविधा, विशेष रियायतें, आरक्षण तथा छूट दी जाये जैसा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्यमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। उम्मीदवारों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग को यह पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्र

अथवा शहरी क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने के लिए यदि जन्म-स्थान को आधार मान लिया जाए तो वर्ष 1982 तथा 1983 में ली गई सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों के लगभग 50% को ग्रामीण क्षेत्रों से आनेवाले उम्मीदवारों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। यदि जीवन के शुरू के 15 वर्षों के दौरान गांव में निवास को आधार माना जाता है तो उक्त दो वर्षों की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों की प्रतिशतता लगभग $33\frac{1}{3}\%$ बैठती है। यदि पिछले 15 वर्षों के दौरान माता-पिता/संरक्षक के निवास स्थान को एक आधार माना जाता है तो वर्ष 1982 तथा 1983 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उम्मींदवारों की प्रतिशतता क्रमशः लगभग 40 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत बैठती है।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

वनरोपण कार्यक्रम

*418. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना क्षेत्र नये वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया;

(ख) छठी योजना के दौरान कितने क्षेत्र में वनों को काटा गया;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वनरोपण का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या था और इसमें से कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(घ) पश्चिमी बंगाल में पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान नये वन-रोपण कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी और कितनी खर्च की गयी ?

प्रधानमन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.65 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में नया वनरोपण किया गया है।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत 25-10-1980 और 31-3-1985 के मध्य 27668 हैक्टेयर वन भूमि को गैर-वन्य प्रयोग में बदल दिया गया था। अवैध वृक्षों के गिरने तथा कब्जा करने के कारण कितने हरियाली क्षेत्र का नुकसान किया गया है इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये वनरोपण के लिए देश में 891 करोड़ पौध का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध 930 करोड़ पौध बाँटने का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। क्षेत्र के रूप में यह क्रमशः 4.455 तथा 4.65 मिलियन हैक्टेयर के बराबर है।

(घ) पाँचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पश्चिम बंगाल में नये वनरोपण के लिए मंजूर की गई तथा खर्च की गई राशियां क्रमशः 9.06 तथा 46.21 करोड़ रुपये थीं।

इंडियन एयर लाइन्स द्वारा यात्री किराए में वृद्धि

*419. श्री एस० कृष्णकुमार : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स के यात्री किरायों में कितनी बार वृद्धि की गई ;

(ख) ईंधन की बढ़ी हुई लागत और स्थापना व्यय में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए पृथक्-पृथक् प्रतिशतवार कितनी वृद्धि की गई; और

(ग) इंडियन एयरलाईन्स की आंतरिक दक्षता में सुधार के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 1980-81 से अब तक, इन्डियन एयरलाईन्स के किराए में पांच बार वृद्धि की गई।

(ख) जबकि ईंधन अधिभार और अतिरिक्त ईंधन अधिभार ईंधन की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप लिया जाता है, लेकिन मूल किराये में वृद्धि प्रचालन लागत में हुई वृद्धि के कारण हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्थापना व्यय में हुई वृद्धि भी शामिल है। वर्ष 1980-81 से आगे के वर्षों से प्रतिशतवार वृद्धि के ब्यौरे निम्न प्रकार है—

वर्ष	ईंधन अधिभार/अतिरिक्त ईंधन अधिभार	मूल किराए में वृद्धि
1	2	3
1980-81	27 जून, 1980 से 350 रुपये किराये तक 25 प्रतिशत की दर से तथा 350 रुपये से ऊपर 20 प्रतिशत की दर से ईंधन अधिभार	——
1980-81	29 जनवरी, 1981 से सभी किराये स्तरों के लिए 25 प्रतिशत की दर से एक समान रूप से ईंधन अधिभार लगाया गया था।	——
1981-82	1 अगस्त, 1981 से ईंधन अधिभार में 25 से 32 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई।	1 अगस्त, 1981 से मूल किरायों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
1983-84	2 अप्रैल, 1983 से अतिरिक्त ईंधन अधिभार में 6.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई।	——

1	2	3
1985-86	29 मई, 1985 से 11.5 प्रतिशत की दर से प्रतिरिक्त ईंधन अधिभार लगाया गया।	29 मई, 1985 से मूल किराये में 7 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक विभिन्न स्तरों पर वृद्धि की गई।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में इन्डियन एयरलाईन्स के निष्पादनों की आवधिक समीक्षा की जाती है और इन्हें आमतौर पर ठीक पाया गया है। वर्ष 1984-85 के नियम ने 52.84 करोड़ रुपये का रिकार्ड लाभ अर्जित किया और 85.09 लाख यात्री वाहित किए। यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत रही और भार-गुणक 69.2 प्रतिशत रहा। आरक्षण की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही है। तथापि मार्गों को युक्ति-संगत बनाकर, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके और उच्चस्तर का रख-रखाव अपनाकर निगम की दक्षता में और सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*420. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री सांडे रामैय्या } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को अपने मामले का स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना ही बर्खास्त किया जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है अथवा पदावन्नत किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस निर्णय से कर्मचारियों में भारी असन्तोष है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्यमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 जुलाई, 1985 को दिए गए उस निर्णय को ध्यानपूर्वक नोट किया है जिसके द्वारा कई ऐसी सिविल अपीलों का निपटान किया गया है जिनमें संविधान के अनुच्छेद 311 की धारा (2) के दूसरे परन्तुक का निर्वचन अन्तग्रस्त था। संयुक्त परामर्श तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव ने, इस निर्णय के संभावित प्रभावों को लेकर सरकार से सरकारी कर्मचारियों की चिन्ता अभिव्यक्त की है उच्चतम न्यायालय के निर्णय निहितार्थ पर सावधानी पूर्वक विचार करनेके बाद, सर-

कार की यह राय है कि इस निर्णय के कारण सेवा अवधि के असुरक्षित हो जाने के बारे में सरकारी कर्मचारियों की किसी भी आशंका का कारण यह है कि इस निर्णय के विभिन्न पहलुओं को सही तौर पर समझा नहीं गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में तो, पदच्युति, सेवा से हटाए जाने अथवा पंक्तिच्युत के मामले में अनुच्छेद 311 (2) के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण के सही मापदण्डों को ही स्पष्ट किया गया है और यह निर्णय किसी भी प्रकार से सेवा की अवधि के संबंध में कर्मचारियों के लिए उपलब्ध संवैधानिक गारन्टी में कोई बदलाव अथवा कमी नहीं लाता है। उच्चतम न्यायालय ने उसी अनुच्छेद के दूसरे परन्तुक में ही उल्लिखित संभावित अपवादों की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है जिनका उपर्युक्त दूसरे परन्तुक की तीन धाराओं में से किसी के भी अधीन कार्यवाही करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपालन किया जाना होता है। यह निर्णय क्षुब्ध सरकारी कर्मचारियों को विभागीय उपायों का सहारा लेने और उपयुक्त मामलों में न्यायिक पुनरीक्षा मांगने के अधिकार से वंचित नहीं करता है। अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक की धारा (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत आने वाले अपवादात्मक मामलों पर कार्रवाई करने से संबंधित इस निर्णय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हुए, सरकार सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करने का भी विचार रखती है।

[हिन्दी]

हज यात्रियों के लिए अतिरिक्त विमान सेवाएं

*421. **श्री मोहम्मद अय्यूब खां** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने भारत से हज यात्रियों को किस प्रकार की सुविधायें और छूट दी है;

(ख) क्या एयर इण्डिया किराए में भी कुछ छूट देता है; और

(ग) क्या हज यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार का विचार अतिरिक्त विमान सेवाए उपलब्ध कराने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) हज तीर्थ यात्रियों के लिए एयर इण्डिया वर्ष 1985 में निम्नलिखित सुविधाएं/छूट दे रहा है :—

(1) एयर इण्डिया हज समिति को विमान क्षमता का 1 प्रतिशत निःशुल्क दे रहा है।

(2) यह प्रति तीर्थयात्री 10 किलोग्राम वजन तक आबे जम-जम की एक बाल्टी नि:शुल्क लाने की अनुमति दे रहा है।

(3) जद्दाह और भारत के बीच दोनों दिशाओं में हज समिति के 500 किलोग्राम तक वजन के उपकरणों को नि:शुल्क लाया ले जाया जा रहा है।

(4) सउदिया को प्रति यात्री 20 किलोग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम तक नि:शुल्क सामान ले जाने दिया जा रहा है।

(5) एयर इण्डिया द्वारा यात्रियों से वसूल किया गया 35 किलोग्राम से अधिक समान पर अतिरिक्त सामान प्रभार हज समिति को अदा कर दिया जाएगा।

(6) जद्दाह/बम्बई और जद्दाह/दिल्ली के लिए किराये रियायती हैं अर्थात् इन सैक्टरों पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के लागू किरायों के क्रमश: 87.6 प्रतिशत और 90.1 प्रतिशत हैं।

(ग) इस वर्ष के लिए जिन तीर्थ यात्रियों को विमान द्वारा हज जाने की अनुमति दी गई है, उनकी जरूरत के लिए इस वर्ष पर्याप्त विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भविष्य में अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के प्रश्न की उपयुक्त स्तर पर जांच की जाएगी जो निम्नलिखित पर निर्भर करेगा :—

(1) ऐसे तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या जिन्हें विमान द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

(2) एयर इंडिया की क्षमता/सीमाएं।

[अनुवाद]

बेरोजगार पाइलटों को रोजगार

*4?2. श्री आई० रामा राय : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन में उच्च प्रशिक्षण देने के लिए हमारे देश में राज्यवार कितने संस्थान हैं;

(ख) प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार पाइलटों की राज्यवार संख्या क्या हैं; और

(ग) उनको देश में और देश के बाहर रोजगार देने के क्या प्रस्ताव हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हमारे

देश में नागर विमानन के उच्चतर प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित संस्थाएं हैं :

1. केन्द्रीय प्रशिक्षण स्थापना, इण्डियन एयरलाइन्स, हैदराबाद।

2. एयर इण्डिया, बम्बई।

3. नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद ।

(ख) बेरोजगार विमान चालकों के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बेरोजगार विमानचालकों को रोजगार सुलभ कराने में सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. नागर विमानन विभाग में विमान क्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया गया था ताकि वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस धारक विमान क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए पात्र हो सकें।

2. कृषि मन्त्रालय (कृषिविमानन निदेशालय) में रोजगार की संभावनाएं हैं।

3. इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इण्डिया और वायुदूत को जहां भी संभव हो, बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालकों की सेवाओं का उपयोग करने का परामर्श दिया गया है।

4. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जहां भी संभव हो, वे अपने नियंत्रण में वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस धारियों को नियुक्त करने पर विचार करें।

5. एक हेलीकाप्टर निगम बनाने का और हवाई टैक्सियां परिचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है जिनके परिणामस्वरूप पायलटों के लिए रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर के माध्यम से जासूसी

*423. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जुलाई, 1985 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में स्पाइंग कम्प्यूटर शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कम्प्यूटरों को भी टेलीफोन की तरह 'टैप' किया जा सकता है और टेपिंग उपकरणों का प्रयोग औद्योगिक जासूसी हेतु किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पूर्वोपाय किए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार सभी समस्याओं और साथ ही उपचारात्मक उपायों के बारे में भी जानती है।

(ग) और (घ) कम्प्यूटरों में हार्डवेयर कुन्जियोंतथा सॉफ्टवेयर कुन्जियों का प्रयोग करते हुए यथासंभव उन्हें अपेक्षित मात्रा में टैपिंग से सुरक्षित बनाया जा सकता है। किन्तु, टेलीफोन नेटवर्क के साथ लगे कम्प्यूटरों को उसी मात्रा तक टैप किया जा सकता है जिस स्तर तक टेलीफोन नेटवर्क को टैप किया जा सकता है, ऐसे मामलों में भी सूचनाको गोपनीय तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए समुचित सुस्पष्ट पद्धतियों का विकास किया गया है। कम्प्यूटरों के माध्यम से जहाँ भी गोपनीय सूचना से संबंधित कार्य किए जाते हैं, सरकार द्वारा उपर्युक्त के अनुसार उचित एहतियाती उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

दुर्लभ भू-खनिजों का मूल्यांकन

*424. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों से इल्मेनाइट तथा अन्त दुर्लभ भू-खनिजों के भन्डारों की मात्रा का मूल्यांकन किया है,

(क) यदि हाँ, तो राज्यवार उनकी मात्रा का ब्यौरा क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने केरल, तमिलनाडु तथा उड़ीसा की पुलिन बालुका में विद्यमान इल्मेनाइट तथा अन्य महत्वपूर्ण विरल मृदा खनिजों के भण्डारों का पता लगाया है। 1 अक्तूबर, 1984 की स्थिति के अनुसार इन भण्डारों में खनिजों की निम्नलिखित मात्रा होने का अनुमान है :

राज्य	इल्मेनाइट	अन्य विरल मृदा- खनिज
केरल	18.5 मीटरिक टन	0.31 मीटरिक टन
तमिलनाडु	68.88 मीटरिक टन	1.2 मीटरिक टन
उड़ीसा	35.9 मीटरिक टन	0.86मीटरिक टन

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की उपलब्धि

*425. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की क्या उपलब्धियां रही है; और

(ख) इसकी कुछ प्रयोगगशालाओं ने ऐसे कौन से अविष्कार किए हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का कहा जा सकता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : छठो पंचवर्षीय योजना अवधि में वैज्ञानिक मथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (सी० एस० आई० आर०) ने निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है :

(1) कृषि-रसायनों और नाशकमारों के विकास द्वारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि ।

(2) अनाज, भन्डारण और संरक्षण में सुधार ।

(3) पाइपलाईनों में कच्चे पेट्रोलियम तेल का परिवहन और इसके संसाधनों के लिए अनुकूलतम उत्पादन मिश्र ।

(4) औद्योगिक रसायनों, मध्यवर्ती रसायनों और औषधियों के बड़े क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई ।

(5) नई वैरायटियों के माध्यम से संगध तेलों और अखाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि ।

(6) ऊतक संवर्धन (टिशु कल्चर) तकनीकी द्वारा रोगमुक्त और ऊंचे गुणों वाली वैरायटी के गन्ने, जैव सामग्री आदि में तेजी से वृद्धि ।

(7) इलेक्ट्रोनीय उपकरणन प्रणाली द्वारा चीनी की अधिक मात्राओं में प्राप्ति ।

(8) खनन में सुधार और कोयले व खनिजों का स्तर बढ़ाना ।

(9) विशेष पदार्थों और मिश्र धातुओं का विकास ।

(10) सड़क और भवन निर्माण तकनीकों में सुधार ।

(11) शुष्क जलवायु के क्षेत्रों में भौम जल का पता लगा और खारे पानी को पेयजल में रूपांतरण ।

(12) चमड़ा संसाधन में तकनीक उन्नयन और गुणों में वृद्धि।

(13) औद्योगिक बहिस्रावों से प्रदूषण को रोकने के लिए योजनाएं।

(14) समुद्र विज्ञान : समुद्र की तलों से बहुधात्विक पिंडों का पता लगाना और प्राप्ति।

(15) गहन सेस्मिक साउंडिंग की उन्नत तकनीकों द्वारा खनिज सर्वेक्षण और अन्वेषण।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (सी०एस०आई०आर०) के कुछ प्रमुख अनुसन्धान निम्नांकित हैं :—

(1) पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायनों के लिए

(अ)—उत्कृष्ट धातु जियोलाइट उत्प्रेरकों का विकास।

(2) शोथरोधी और रूमेटीरोधी दो नई औषधियों का विकास

(3) विद्युत-रसायन उद्योग के लिए ऊर्जा बचत वाले टाइटैनियम सबस्ट्रेट अघुलनशील ऐनोडों के लिए प्रौद्योगिकी।

(4) मृदा वातावरण सुधार के लिए जलधारी पौलिमर्स।

(5) रडार प्रणालियों के लिए फ्रीक्वेंसी एजाइल मैग्नेट्रॉन्स सम्बन्धी सुधार।

(6) अयन—विनिमय झिल्लियों के लिए आधार पालिमर निर्माण हेतु प्रक्रम।

(7) पाइपलाईनों में परिवहन के लिए कोयला पानी गारे के उत्पादन के लिए प्रक्रम।

नेहरू युवक केन्द्रों को नया रूप देना

*426. **श्री एम० रामचन्द्रन** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू युवक केन्द्रों को नया रूप देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ख) नेहरू युवक केन्द्र के कोआर्डीनेटरों की नियुक्ति किस तरह की जा रही है और उनके कार्य तथा सेवा शर्तें क्या हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकलापों का क्षेत्र बढ़ाया गया है और चरित्र निर्माण, संस्कृति और शारीरिक उपयुक्तता के विकास पर बल देते हुए मार्गदर्शी रूपरेखाओं का एक नया

सैट इस संदर्भ में जारी किया गया है। मार्गदर्शी रूपरेखाओं के कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने को ध्यान में रखकर प्रत्येक केन्द्र का वर्ष 1985-86 से वार्षिक बजट 1·22 लाख रुपये से 1.68 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है।

नेहरू युवक केन्द्रों के युवा समन्वयकों को 700-1300 रु० वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जाता है। युवा समन्वयकों का कार्य ग्रामीण युवाओं में लाभदायी कार्यकलापों को विकसित करना है। वे राज्य के विकास विभागों और केन्द्रीय सरकार तथा अन्य एजेन्सियों के साथ निकट सहयोग और सहकारिता से केन्द्र चलाते हैं।

प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए दिशा-निर्देश

***427. श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण के खतरे से शीघ्र निपटने के लिए कोई तरीका खोजा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन दिशा-निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में ढिलाई की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) क्या इस बुराई से लड़ने में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने की सरकार की कोई योजना है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) मार्गदर्शक सिद्धान्तों में ये शामिल हैं :

(i) मुख्य प्रदूषक उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक;

(ii) वायु प्रदूषक उद्योगों के लिए उत्सर्जन सीमाएं तथा चिमनी की ऊँचाइयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त;

(iii) प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों से सम्बन्धित विशिष्ट उद्योगवार प्रलेख;

(iv) यानीय निकास के लिए उत्सर्जन मानक;

(v) प्रयोग-आधारित जोनिंग तथा प्रमुख अन्तर्राज्यीय नदियों, परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का वर्गीकरण; तथा

(vi) प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाना।

(ग) मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वियन में राज्य सरकारों की ओर से ढील देने की कोई विशेष शिकायत नहीं हुई है।

(घ) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब समझौते के बारे में राजस्थान और हरियाणा सरकारों के दृष्टिकोण

*428. **प्रो० मधु दण्डवते**
श्री चिन्ता मोहन }: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री और संत लोगोंवाल द्वारा पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने इस निर्णय के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन आशंकाओं के कारणों को दूर किया जाये ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के समुद्र तट का विकास

*429. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा के समुद्र तट के विकास हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना में धनराशि निर्धारित की गई है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस वर्ष कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में तैयार की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सातवीं योजना में विभाग ने अधिक पर्यटकों को आकिषत करने की अपनी कार्यनीति के एक अंग के रूप में भारत में समुद्र तट और अवकाश पर्यटन का विकास करने का निर्णय लिया है।

सभी आय-समूहों के लिए सस्ती कुटीरों जैसे आवारा सहित सुविधाएं प्रदान करते हुए राज्य सरकारों और प्राइवेट सैक्टर के साथ संयुक्त रूप से समुद्र बिहार स्थलों का विकास प्रारम्भ किया जाएगा। वार्षिक योजना 1985-86 में विभाग ने इसके प्रयोजनार्थ 25.00 लाख रु० आबंटन किया है। राज्य सरकारों के परामर्श से ब्यौरे तैयार किए जाएंगे।

जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से पूरी और कोणार्क के बीच एक समुद्र तटीय पर्यावरण अध्ययन कराने के लिए एक प्रस्तव प्राप्त हुआ है जो विभाग के विचाराधीन है।

जम्बो माल गाड़ियां

*438. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 9000 टन माल परिवहन क्षमता वाली जम्बो माल गाड़ियां चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को लागू करने में विशेष इंजनों का आयात करना होगा;

(ग) क्या पुराने माडल के माल डिब्बे, जो तीव्रगति से चल नहीं सकते हैं उनको आधुनिक बाक्स टाइप वैगनों के साथ जोड़ना मालगाड़ियों की धीमी गति से चलने का मुख्य कारण है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मालगाड़ियों को तीव्रगति से चलाने के लिए इंजनों का आयात करने से पहले इन पुरानी किस्म के माल डिब्बों का निपटान करने और आधुनिक बाक्स टाइप वैगनों का उपयोग करने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 9000 टन भार वाली माल गाड़ियां चलाने के लिए परीक्षण किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 9000 टन भार वाली गाड़ियों के लिए कोई विशेष रेल इंजन आवश्यक नहीं समझे जाते हैं।

(ग) जी नहीं, आधुनिक बी०ओ०एक्स०टाइप माल डिब्बों को तथा परम्परागत पुराने माल डिब्बों को प्रायः पूर्णतः अलग-अलग कर दिया गया है।

(घ) पुराने किस्म के माल डिब्बों को उनकी सामान्य उपयोगी आयु पूरी कर लेने पर नाकारा किया जायेगा।

केन्द्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम

*439. श्री सनत कुमार मंडल
श्री हरिहर सोरन } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सड़क परिवहन की वित्तीय आवश्यकताओं पर निगरानी रखने और इनको उपयुक्त तरीके से पूरा करने के लिए सातवीं योजना के दौरान एक केन्द्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कोई रूप-रेखा बना ली गई है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसमें कितनी पूंजी लगेगी;

(घ) क्या यह निगम ग्रामीण सड़क परिवहन को और विशेष रूप से पिछड़े इलाकों की सड़कों की भी देखभाल करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ग्रामीण इलाकों की परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यह निगम संबंधित राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध करायेगा अथवा योजना में सड़क परिवहन विकास वित्त के लिए राज्य निगमों को भी स्थापित करने का विचार है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) सातवीं योजना में सड़क परिवहन के बारे में एक केन्द्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम स्थापित करने के एक प्रस्ताव को शामिल किया गया है। यह नई बसें तथा उससे संबंधित आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए ऋण देने में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को सहायता पहुंचाने में एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इस बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इंचमपल्ली परियोजना

*440. श्री चिन्त मोहन
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी } : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इंचमपल्ली पर एक परियोजना का प्रस्ताव, जो तीन राज्यों का संयुक्त उपक्रम होगा, स्वीकृति के लिए भेजा है, और यदि हां, तो उस प्रस्ताव के बारे में

वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या उच्च शक्ति प्राप्त संयुक्त बैठक शीघ्र ही बुलाने का कोई प्रस्ताव है जिसमें अन्य अनुवर्ती कार्यवाही जैसे कि नियंत्रण बोर्ड का गठन करने तथा कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) मामले पर संबंधित राज्य सरकारें विचार-विमर्श कर रही हैं।

दिल्ली से केरल तक की लम्बी दूरी की एक्सप्रेस रेल गाड़ियों का देर से चलना

*441. **श्री के० मोहन दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से केरल तक चलने वाली लम्बी दूरी की एक्सप्रेस रेलगाड़ियां प्रायः कई घण्टे विलम्ब से चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने विशेष रूप से लम्बे मार्गों पर रेलगाड़ियों का देर से चलना रोकेने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) इन गाडियों के समयपालन पर क्षेत्रीय और मन्डल स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। दो गाडियों-केरल एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस पर रेलवे बोर्ड द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है तथा इन गाड़ियों के पालन में और अधिक सुधार करने के लिए अनुदेश दिए गये हैं।

[हिन्दी]

सरयू नदी पर विद्यमान पुल को रेल-तथा सड़क पुल बनाना

*44?. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांझी रेलवे स्टेशन (उत्तर-पूर्व रेलवे) के निकट सरयू नदी पर विद्यमान पुल

जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है और जिस पर पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत कुछ आर्थिक विकास निर्भर है, केवल रेल यातायात के लिए ही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुल को रेल तथा सड़क पुल बनाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेलों को उत्तर प्रदेश सरकार से, जिसे इसकी लागत वहन करनी होगी, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, बशर्ते यह तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक हो।

[अनुवाद]

पनार नदी योजना

*443. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनार नदी योजना पर इस बीच कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री शंकरानन्द) : (क) और (ख) बिहार सरकार से पनार नदी पर कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, "परमान बाढ़ नियंत्रण स्कीम" नामक एक स्कीम राज्य सरकार के विचाराधीन है। पनार नदी इस नदी प्रणाली की एक उप सहायक नदी है।

भू-तापीय संसाधन

*444. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यवार भूतापीय संसाधनों के आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में भू-तापीय संसाधन उपलब्ध हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में उपलब्ध भू-तापीय संसाधनों को समुचित रूप से उपयोग में लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरगुजा जिले में तत्तापानी तथा अन्य स्थानों में उपलब्ध गर्म जल को उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां । आंकड़े एकत्रित करना और उन्हें अद्यतन बनाना एक सतत प्रक्रिया हैं ।

(ख) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात आन्ध्र प्रदेश राजस्थान और हरियाणा में गर्म जल के झरने पाए गए हैं ।

(ग) मध्य प्रदेश में आशाजनक क्षेत्रों में भू-तापीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं ।

(घ) मध्य-प्रदेश के सरगुजा जिले में तत्तापाना में भू-वैज्ञानिक, भू-रसायनिक, भू-भौतिकी अध्ययन कर लिए गए हैं तथा अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य चल रहे हैं । गर्म जल के उपयोग की व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन किए जा रहे हैं ।

विद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव

*446. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के हैदराबाद में जुलाई, 1985 के पहले सप्ताह में हुए सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की गयी थी कि एक विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोसी बांध में गाद जमा हो जाना

*447. **श्री महावीर प्रसाद यादव** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी बांध और समस्त कोसी परियोजना को भारी गाद जमा होने के कारण क्षति पहुंचने और नष्ट होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का   या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या गाद जमा होने की समस्या का कोई स्थाई हल है; और

(घ) यदि हां, तो कोसी नदी के दोनों तटबन्धों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) हालांकि मुख्य बराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है परन्तु बराज के प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह में अत्यधिक गाद भर जाने के कारण अनुप्रवाह की ओर कुछ समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके लिये सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) भूमि संरक्षण उपायों के साथ-साथ कोसी-जलग्रहण की ऊपरी पहुंचों को बांधों के निर्माण से गाद भरने में कमी करने में मदद मिलेगी।

(घ) कोसी तटबन्धों की सुरक्षा के लिए तट पर पुश्ताबन्धी (रिवेटमेंट) तथा नदी नियंत्रण कार्यों इत्यादि के रूप में राज्य सरकार द्वारा सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

कोरापुझा सिंचाई परियोजना

*448. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वायनाड जिले में कोरापुझा सिंचाई परियोजना वर्ष 1977 से 760 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में 5 वर्षों के भीतर वायनाड जिले में 16,000 टन अतिरिक्त चावल उत्पादन करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा किस वर्ष से यह परियोजना अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करना आरम्भ कर सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कोरापुझा सिंचाई परियोजना, जिसमें 4650 हैक्टेयर भूमि पर धान की दो फसलें उपजाने की परिकल्पना है; को केरल सरकार ने 760 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पांचवीं योजना के दौरान शुरू किया था। परियोजना-कार्य चल रहे हैं तथा राज्य सरकार द्वारा इसको सातवीं योजना के अन्त तक चालू किए जाने की सम्भावना है।

बारगी बांध परियोजना

*449 श्री अजय मुशरान : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश की बारगी बांध परियोजना के लिए कितना ऋण दिया गया है;

(ख) क्या इस ऋण को केन्द्रीय निधि में पूल कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध न किये जाने के कारण इसके कार्यान्वयन में विलम्ब होने और इसकी अनुमानित लागत में वृद्धि होने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मध्य प्रदेश की बारगी बांध परियोजना विश्व बैंक को सहायता हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हां, सरकार को जानकारी है ।

(घ) इस परियोजना के लिए सातवीं योजना में 62.69 करोड़ रूपए के अंनतिम योजना-गत आबंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है । अन्तिम आबंटन को अभी सुनिश्चित किया जाना है ।

[अनुवाद]

पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यापार संवर्धन के लिए विदेशों से प्रस्ताव

4280. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी
श्री वी० शोभना द्रीशवर राव } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के साथ पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियां और व्यापार के संवर्धन के लिए विभिन्न देशों से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में बिक्री कर के अपवंचन को रोकने के लिए कदम

4281. **श्री बी० एम० बनातवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री कर प्राधिकारियों ने बड़े पैमाने पर कर चोरी रोकने के लिये बिक्री के प्रथम स्थान पर कर लगाने तथा सीमा पर नौ निगरानी चौकियां स्थापित करने के लिये दिल्ली प्रशासन को प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और यह कब प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) : बिक्री कर अधिकारियों ने 17 वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणियों पर अन्तिम अवस्था से हटाकर प्रथम अवस्था पर बिक्री कर लगाने के लिए जुलाई, 1984 में और निम्नलिखित स्थान पर 8 जांच चौकियों की स्थापना के लिए फरवरी, 1984 में दिल्ली प्रशासन को प्रस्ताव भेजे थे :—

1. लोनी रोड़
2. जी० टी० रोड़; शाहदरा
3. मोहन नगर
4. सिंघू बार्डर
5. टीकरी कलां
6. फतेहपुर
7. कापसहेड़ा
8. डेरा मोड़

(ग) प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

होस्टलों में रहने वाली कामकाजी लड़कियों की बलात्संग और हत्या

4282. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाजपत नगर होस्टल, नई दिल्ली की एक निर्दोष युवा निवासी के बलात्संग और हत्या के मामले में कोई प्रगति की है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और होस्टलों में रहने वाली निर्दोष कामकाजी लड़कियों की हत्या हुई थी; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हुई इस प्रकार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां, श्रीमान । लाजपत नगर पुलिस स्टेशन में भा० दं० संहिता की धारा 302/376 के अन्तर्गत तारीख 9.7.1985 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 384 में गुरु नानक मार्कीट, लाजपत नगर, नई दिल्ली निवासी एक अभियुक्त व्यक्ति राजेन्द्र कुमार उर्फ बबली गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं ।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार का कोई अन्य मामला दिल्ली पुलिस को सूचित नहीं किया गया है ।

न्यूयार्क और लंदन में भारत पर्यटन विकास निगम के रेस्तरां

4283. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम की न्यूयार्क और लंदन में रेस्तरां स्थापित करने की योजना है, यदि हां, तो यह योजना किस चरण में है और उक्त दोनों शहरों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में वित्तीय परिव्यय कितना होगा;

(ख) क्या विदेशों में होटल स्थापित करने की निगम की योजना अधिक सफल नहीं हुई है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) निगम द्वारा विदेशों में कितने होटल बनाए गए हैं और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और निगम द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे होटलों की संख्या कितनी है जिन्हें उसकी स्वयं अथवा विदेशी सहयोग से बनाने की योजना है;

(घ) क्या निगम का विचार इराक में बनाए गए अपने दो होटलों का प्रबंध गैर-सरकारी पार्टियों को सौंपने का है; यदि हां, तो किसको और ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन दो होटलों को प्रबंध के लिए गैर-सरकारी पार्टियों को किन शर्तों पर सौंपा जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं । लंदन में एक विशिष्ट होटल की स्थापना करने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने और वाणिज्यिक आधार पर इसका प्रबंध करने के वास्ते अक्तूबर, 1984 में भारत पर्यटन विकास निगम ने मैसर्स फ्रंटीयर आफ इंडिया लिमिटेड, लंदन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे । भारत पर्यटन विकास निगम ने इस उद्यम में कोई पूंजी नहीं लगाई है ।

(ख) और (ग) सातवीं योजनावधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशों में अपनी ओर से अथवा विदेशी सहयोग से होटलों की स्थापना करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। जनवरी, 1980 में भारत पर्यटन विकास निगम ने मैसर्स लोटस होटल लिमिटेड के साथ लिमासोल में उनकी होटल परियोजना के निर्माण, प्रबंध, तकनीकी जानकारी, विपणन, आदि के लिए वाणिज्यिक शर्तों पर सुविज्ञता प्रदान करने हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(घ) और (ङ) इराक सरकार संगठन द्वारा पर्यटन के लिए इराक के अंतर्गत डोकन और मोसुल में दो होटलों का निर्माण किया जा रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम आंतरिक साज-सज्जा, किचन और लांड्री उपकरणों की आपूर्ति तथा प्रतिष्ठापन, आदि के अलावा वाणिज्यिक शर्तों पर परामर्शी सेवाएं जुटा रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम ने कोई पूंजी नहीं लगाई है और ऐसी आशा है कि ये दोनों होटल परियोजनाएं अक्तूबर, 1985 तक चालू हो जाएंगी।

प्रत्येक राज्य के पिछड़ेपन के बारे में सर्वेक्षण

4284. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक राज्य के पिछड़ेपन की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सर्वेक्षण कराते समय "वास्तविक गरीब" को मदद देने के लिए शिक्षा, आमदनी और सम्प्रदाय विशेष को मिले रोजगार के प्रतिशत पर विचार करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के विदेशी दौरे

4285. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के कितने अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी 1984-85 के दौरान विदेश यात्रा पर गए तथा उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी यात्राओं के उद्देश्य क्या थे; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और उनके क्या परिणाम रहे?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम० सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	यात्रा का स्थान व तारीख	यात्रा का कारण/उद्देश्य	विदेशी मुद्रा में खर्च अमरीकी डॉलर/रु०
1	2	3	4	5
(क)	संवर्धनात्मक/मार्केटिंग/व्यावसायिक दौर			
1.	सर्वश्री आर० एस० जौली वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	फ्रैंकफार्ट (हेनोवर) 3-4-84 से 14-4-84 तक	हेनोवर व्यापार-मेले में भाग लेना।	700 अमरीकी डॉलर 7581.00 रुपये
2.	राजन जेटली प्रबंध निदेशक	सिंगापुर 23-4-84 से 29-4-84 तक	सिंगापुर में खाद्य व एशिया होटल प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए	800 अमरीकी डॉलर 8845.00 रुपये
3.	श्रीमती रंजना खन्ना प्रधान प्रबंधक (मार्केटिंग)	पैरिस, लियौंन, लन्दन, स्टॉकहोम, कॉपनहेगन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख 3-6-84 से 23-6-84 तक	विदेशी टुअर ऑपरेटरों से सीधी बातचीत और संविदा करने के लिए पश्चिम यूरोप और ब्रिटेन की बिक्री-यात्रा	2660 अमरीकी डॉलर 29584 रुपये

1	2	3	4	5
4.	के० बी० काचरू प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य अधिकारी व प्रधान प्रबंधक (एच० आई०)	रोम, फ्रैंकफर्ट, एथेंस 28-5-84 से 3-6-84 तक	एथेंस में संवर्धनात्मक खाद्य मेले का आयोजन करने के लिए	1050 अमरीकी डॉलर 11692-50 रुपए
5.	श्रीमती कमला सहगल उप प्रधान प्रबंधक (मार्केटिंग)	मानिया पोलिस 25-5-84 से 7-6-84 तक	मानसिक असक्षमता के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एसोसिएशन की सातवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने निगम की सम्पत्ति के संवर्धन और दिल्ली में विश्व सम्मेलन के आयोजन की क्षमता बताने के लिए।	980 अमरीकी डॉलर 10931.00 रुपये
6.	राजन जेटली प्रबंध निदेशक	एथेंस 12-6-84 से 16-6-84 तक	भारत के संवर्धन के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इन्डो-ग्रीक संगोष्ठी की व्यवस्था और पर्यवेक्षण के लिए।	800 अमरीकी डॉलर 8859. रुपये
7.	श्रीमती चांदनी लूथरा	एथेंस	पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित	3190 अमरीकी डॉलर

1	2	3	4	5
	प्रधान प्रबंधक (जनसम्पर्क)	21-6-84 से 21-6-84 तक	इन्डोग्रीड संगोष्ठी में भारत के संवर्धन के लिए।	35542.80 रुपये
8.	जी० एस० गिल शेफ	—वही—	—वही—	100 अमरीकी डॉलर 1108.00 रुपये
9.	एस० बी० सब्बरवाल रेजीडेंट प्रबंधक	—वही—	—वही—	100 अमरीकी डॉलर 1108.00 रुपये
10.	कुमारी किरण सब्बरवाल परिचारिका	एथेंस 13-6-84 से 21-6-84 तक	खाद्य-मेले आयोजन के लिए	30 अमरीकी डॉलर 222.50 रुपये
11.	आर० श्रीधरन वृश्य भुेव्य	—वही—	—वही—	100 अमरीकी डॉलर 1108.00 रुपये
12.	इन्द्रपाल सिंह यादव हलवाई	—वही—	—वही—	100 अमरीकी डॉलर 1108.00 रुपये
13.	सोहन सिंह कुक	—वही—	—वही—	100 अमरीकी डॉलर 1108.00 रुपए
13.	मेनुअल कुक	—वही—	—वही—	100 अमरीकी डॉलर 1108.00 रुपये
15.	अनिल भंडारी	पेनैंग कुआलालम्पुर,	खाद्य-व-सांस्कृतिक मेले में	720 अमरीकी डॉलर

1	2	3	4	5
	प्रधान प्रबंधक	सिंगापुर बैंकाक 3-8-84 से 12-8-84 तक	भाग लेने के लिए	8376.00 रुपये
16.	आर० के० पुरी उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजेल्स, सैनफ्रांसिस्को, सिडनी, पर्थ, सिंगापुर 26-8-84 से 16-9-84 तक	निगम की सम्पत्तियों के बिक्री-संवर्धन के लिए।	3450 अमरीकी डॉलर 40267.50 रुपये
17.	राजन जेटली प्रबंध निदेशक	न्यूयॉर्क वाशिंगटन, लंदन 27-8-84 से 8-9-84 तक	प्रतिष्ठित होटल श्रृंखलाओं से व्यापारिक संबंध बनाने की सम्भावनाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में अमरीका और लंदन का संवर्धनात्मक दौरा।	2400 अमरीकी डॉलर 27994.00 रुपये
18.	राजाराम दास सहायक प्रबंधक (टुअरस)	मॉरिशस 15-10-84 से 29-10-84 तक	व्यापार मेले में स्टॉल लगाने के लिए	1680 अमरीकी डॉलर 20395.20 रुपये
19.	के० बी० काचरू प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य अधिकारी और प्रधान प्रबंधक (एच० आई०)	रोम, लंदन, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन 21-11-84 से 8-12-84 तक	खाद्य मेले और आई० टी० बी० के लिए व्यवस्था करना और लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट बनाने के लिए अध्ययन करना।	2240 अमरीकी डॉलर 27223.00 रुपये

1	2	3	4	5
20.	एम० पी० चतर्वेदी आंतरिक सज्जाकार	फ्रैंकफर्ट, बर्लिन 30-11-84 से 5-12-84 तक	बर्लिन में खाद्य-मेला आयोजित करने के लिए	840 अमरीकी डॉलर 10212.00 रुपये
21.	आर० एस० जौली (होटल)	बहरीन, दुबई 20-11-84 से 27-11-84 तक	खाद्य व सांस्कृतिक मेले के संबंध में	1050 अमरीकी डॉलर 12767.00 रुपये
22.	आर० के० पुरी उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	कुवैत, बहरीन, दुबई 10-12-84 से 17-12-84 तक	संवर्धनात्मक दौरा	1450 अमरीकी डॉलर 17932.50 रुपये
23.	श्रीमती आर० खन्ना उपाध्यक्ष (एच० एस०)	मिलान, पैरिस, फ्रैंकफर्ट 19-1-85 से 8-2-85 तक	मिलान पैरिस व फ्रैंकफर्ट में हुए भारत ट्रैवल मार्ट में भाग लेने के लिए	2025 अमरीकी डॉलर 31035.75 रुपये
24.	सी० रत्नस्वामी उप प्रधान प्रबंधक (एच० एस०)	—वही—	—वही—	1820 अमरीकी डॉलर 23277.00 रुपये
25.	आर० के० पुरी उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	रोम, मैड्रिड, एमस्टर्डम और पैरिस 3-2-85 से 13-2-85 तक	स्पेन में फितर 85 सम्मेलन में भाग लेने तथा एमस्टर्डम गोल्डन तुलिप के साथ प्रस्तावित मार्केटिंग व आरक्षण करार के लिए ।	2000 अमरीकी डॉलर 25600.00 रुपये
26.	राजन जेटली प्रबंध निदेशक	लन्दन 13-1-85 से 20-1-85 तक	ट्रस्ट हाउस फोर्ट के साथ संबंध बन-ने और फ्रंटियर रेस्टोरैंट ऑफ	1525 अमरीकी डॉलर 19270.00 रुपये

1	2	3	4	5
			इंडिया से संबंधित मामले को अंतिम रूप देने के लिए।	
27.	एम० एन० गुप्ता उपाध्यक्ष (ए० टी० टी०)	फ्रकफर्ट बर्लिन 27-2-85 से 10-3-85 तक	आई० टी० बी० बर्लिन मेला, 1985 में भाग लेने के लिए	2225 अमरीकी डॉलर 29370.00 रुपये
28.	श्रीमती रंजना खन्ना उपाध्यक्ष (एच० एस०)	—वही—	—वही—	2100 अमरीकी डॉलर 28015.00 रुपये
29.	एम० एन० गुप्ता उपाध्यक्ष (ए०टी०टी०)	लाहौर, रावलपिण्ड, इस्लामा-बाद, करॉची 18-3-85 से 22-3-85 तक	पारस्परिक आधार पर पाकिस्तान के साथ ग्रुप दुअर का निरीक्षण व उसे अंतिम रूप देने के लिए।	594 अमरीकी डॉलर 7895.30 रुपये
30.	राजन जेटली प्रबंध निदेशक	लंदन न्यूयॉर्क, वाशिंगटन 27-3-85 से 8-4-85 तक	अमरीका में होने वाले भारतीय मेले के संबंध में प्रारम्भिक व्यवस्था करने व लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट के लिए स्थान का चयन करने के लिए।	1750 अमरीकी डॉलर 22717.50 रुपये
31.	आर० एस० जोली वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	न्यूयॉर्क वाशिंगटन 27-3-85 से 7-4-85 तक	अमरीका में होने वाले भारतीय मेले के संबंध में प्रारम्भिक व्यवस्था करने के लिए।	1925 अमरीकी डॉलर 24905.00 रुपये
32.	अनिल भंडारी उपाध्यक्ष (प्रचालन-उत्तर)	—वही—	—वही—	1925 अमरीकी डॉलर 24928.75 रुपये

1	2	3	4	5
33.	के॰बी॰ काचरू प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य अधिकारी तथा उपाध्यक्ष (आई॰ पी॰ एस॰)	लंदन, न्यूयार्क, वाशिंगटन 24-3-85 से 8-4-85 तक	लंदन में एक रेस्टोरेन्ट के लिए स्थान का चयन करने तथा अमरीका में सोने वाले भारतीय मेले के संबंध में प्रारम्भिक व्यवस्था करने के लिए।	2275 अमरीकी डॉलर 29503.75 रुपये
(ख) अनिवार्य दौरे/विश्व निकायों में निगम का प्रतिनिधित्व				
1.	श्रीमती दीप्ति भगत प्रधान प्रबंधक (ए॰टी॰ टी॰)	लाहौर, इस्लामाबाद 19-5-84 से 23-5-84 तक	नयाचार और अन्य संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गए प्रतिनिधि-मंडल के के रूप में।	480 अमरीकी डॉलर 5366.00 रुपये
2.	लेफ्टिनेंट जनरल ए॰ ए॰ सेठना अध्यक्ष, भारत पर्यटन विकास निगम	बैंकाक-सिओल, टोक्यो हांगकांग 1-12-84 से 16-12-84 तक	भारतीय पर्यटन के संवर्धन, 1986 में सिओल में होने वाले दसवें एशियाई खेलों के संबंध में और साथ ही साथ भारत पर्यटन विकास निगम और कोरिया पर्यटन विकास के बीच पारस्परिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए।	1893 अमरीकी डॉलर 23243.15 रुपये
3.	श्रीमती दीप्ति भगत	रोम, मैड्रिड	स्पेन में फित्र 85 सम्मेलन में	1086 अमरीकी डॉलर

1	2	3	4	5
	प्रधान प्रबंधक (ए० टी० टी०)	5-2-85 से 14-2-85 तक	भाग लेने के लिए।	14240.00 रुपये
(ग) प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे				
1.	रमेश तकलिया प्रशिक्षण प्रबंधक	लंदन 30-4-84 से 4-8-84 तक	कोलम्बो योजना के अंतर्गत लीड्स विश्वविद्यालय, ब्रिटेन में "प्रशिक्षण और आंतरिक परामर्श के माध्यम से कार्यक्षमता में सुधार" पर पाठ्यक्रम में भाग लिया और "ट्रस्ट हाउस" फोर्ट हाइड पार्ट, लंदन और ग्रांड मेट्रोपॉलिटन होटल समूह लंदन में प्रशिक्षण विभागों का अध्ययन करने के लिए।	2850 अमरीकी डॉलर 31946.40 रुपये
2.	टी० एल० नरसिंहन प्रधान प्रबंधक (पी०एंड०सी०)	पैरिस 10-6-84 से 30-6-84 तक	पर्यटन और होटल रखरखाव पर हुए सत्र में भाग लेने के लिए।	पैरिस में पाठ्यक्रम का खर्च ए० सी० टी० आई० एम० संगठन ने वहन किया। पैरिस दिल्ली लौटने का खर्च भी संगठन ने दिया।
3.	एन० भट्टाचार्जी वरिष्ठ प्रबंधक	हांगकांग, सिओल 16-6-84 से 23-6-84 तक	चौदहवीं एशियाई विज्ञापन कांग्रेस में भाग लेने के लिए।	840 अमरीकी डॉलर 9352.00 रुपये

1	2	3	4	5
4.	विवेक भटनागर शेफ	लारनका, साइप्रस 25-7-84 से 13-8-84 तक	साइप्रसी व्यंजनों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने।	320 अमरीकी डॉलर 3682.00 रुपये
5.	आर० नटराजन किचन कार्यपालक			
6.	एस० सी० द्विवेदी मुख्य सतर्कता अधिकारी	पैरिस, ट्यूनिस 10-3-84 से 17-3-84 तक	सुरक्षा और होटल प्रबंध पर ट्यूनिस में हुए सेमिनार में भाग लेने।	1100 अमरीकी डॉलर 14675.00 रुपये
(ख) परामर्श/संविदागत कार्य दौरे				
1.	एम० जी० भाटिया वरिष्ठ प्रबंधक (इन्जीनियरिंग)	लंदन, कॉपेनहेगन 25-5-84 से 28-5-84 तक	ईराक में मोसूल व डोकन परियोजना के लिए फर्नीचर और फर्नीशिंग सामग्री का निरीक्षण करने के लिए।	875 अमरीकी डॉलर 9744.00 रुपये
2.	एस० के० राय प्रधान प्रबंधक (इन्जीनियरिंग)	लंदन, कॉपेनहेगन 23-5-84 से 29-6-84 तक	—वही—	875 अमरीकी डॉलर 9744.00 रुपये
3.	डी० एन० बुआ सहायक प्रबंधक (ई० एड० एम०)	मारियाना, न्यूयॉर्क 4-6-84 से 24-7-84 तक	ईराक में मोसूल होटल के लिए लॉण्ड्री-उपकरणों का निरीक्षण	700 अमरीकी डॉलर 7800.00 रुपये

1	2	3	4	5
4.	एस० के० राय प्रधान प्रबंधक (इंजीनियरिंग)	फ्रैंकफर्ट, कॉपेनहेगन, सिंगापुर 13-7-84 से 24-7-84 तक	मोसूल और डोकन परियोजना के लिए फर्नीचर सामग्री का निरीक्षण करने के लिए।	1280 अमरीकी डॉलर 14617.60 रुपये
5.	एन० एन० क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (वित्त)	बगदाद, बहरीन 13-9-84 से 24-9-84 तक	मोसूल व डोकन परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए।	950 अमरीकी डॉलर 11356.50 रुपये
6.	एम० एस० एन० अय्यर उपाध्यक्ष (ई० पी०)	बगदाद 13-9-84 से 23-9-84 तक	—वही—	375 अमरीकी डॉलर 4553.50 रुपये
7.	ब्रिगे० जी० एस० साहनी उपाध्यक्ष (पी० एण्ड पी०)	सिंगापुर, हांगकांग 10-1-85 से 17-1-85 तक	ईराक में मोसूल व डोकन परियोजनाओं के लिए फर्नीशिंग सामग्री का निरीक्षण करने और लाइट-फिटिंग आपूर्तिकर्त्ता से बातचीत करने के लिए।	1050 अमरीकी डॉलर 13380.00 रुपये
४.	एम० एस० एन० अय्यंगर उपाध्यक्ष (इंजीनियरिंग)	—वही—	—वही—	1050 अमरीकी डॉलर 13380.00 रुपये

नोट :—भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों को निगम के कारोबार बढ़ाने, विश्व सम्मेलनों में भाग लेने प्रशिक्षण/अध्ययन करने और निगम द्वारा हस्ताक्षर किए गए परामर्शी करारों से संबंधित संविदागत कार्यों को पूरा करने के लिए विदेशी दौरों पर भेजा गया। जिन उद्देश्यों के लिए ये विदेशी दौरे किए गए, वे सभी प्राप्त हुए।

सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन

4286. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : *क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि* :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन के संबंध में बारम्बार अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद, उनके मामलों को तेजी से निपटाने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है और सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से लम्बे समय तक निलम्बित रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय/विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को शामिल करके, निलम्बन, प्राथमिक जांच करने, जांच अधिकारी बदलने और अग्रेतर जांच के आदेश देने आदि के संबंध में व्यापक अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ऐसे सभी मामलों में जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया गया हो शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं और ऐसी समय-सीमाएं निर्धारित की हैं जिन तक आरोप पत्र न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए अथवा कर्मचारी को तामील किया जाना चाहिए। जिन मामलों में जांच-पड़ताल में निर्धारित समय से अधिक समय लगने की सम्भावना हो, उनमें संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों से इस बात पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या निलम्बन को रद्द किया जा सकता है और संबंधित अधिकारी को अपना कार्य-भार सम्भालने की अनुमति दी जा सकती है। यह सुनिश्चित करना प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों का दायित्व है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

(ख) और (ग) निलम्बन, प्रारम्भिक जांच, जांच प्राधिकारी में परिवर्तन और आगे जांच इत्यादि के आदेश दिए जाने के विभिन्न पहलुओं पर पहले ही अनुदेश विद्यमान हैं। विभागीय अनुशासनिक कार्यवाहियों के इन सभी पहलुओं को उस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाता है जो सांविधिक स्वरूप की है और वाद-योग्य है। अत: इन नियमों को लागू करते समय इस संबंध में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी मामलों के बारे में एक ही स्थान पर व्यापक अनुदेश जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

4287. **श्री के० प्रधानी** : *क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि* केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों को पुलिस सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकार को क्या दिशा निर्देश भेजे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने मई, 1983 में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के विषय में 15-सूत्री निर्देश जारी किये थे, जिनमें राज्य पुलिस बल में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के विषय में भी निर्देश हैं। निर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15-सूत्रीय निर्देश

1. साम्प्रदायिक दंगे :

राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि जिन क्षेत्रों की साम्प्रदायिक दृष्टि से नाजुक और उपद्रव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है, वहां ऐसे जिला तथा पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाए, जिनका रिकार्ड यह बतलाए कि वे अत्यधिक कार्यकुशल, निष्पक्ष तथा धर्म निरपेक्ष हैं। ऐसे क्षेत्रों में तथा अन्य कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव को रोकना डी० एम० तथा एस० पी० के प्रमुख कर्त्तव्य होने चाहिएं। उनकी पदोन्नति की संभावनाओं का निर्धारण करने में इस संबंध में उनका कार्य-निष्पादन एक महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए।

2. इस संबंध में जिला तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

3. उन सभी के खिलाफ कठोर कारंवाई की जाए जो साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काएं अथवा हिंसा करने में शामिल हों।

4. साम्प्रदायिक अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों अथवा विशेष रूप से निर्धारित न्यायालयों की स्थापना की जाए ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलायी जा सके।

5. साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत दी जाए और उनके पुनर्वास के लिए फौरन तथा पर्याप्त वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाए।

6. ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास कायम करने, साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने में रेडियो और टेलीविजन द्वारा भी सहायता दी जानी चाहिए।

7. यह दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी प्रेस के कुछ लोग भी जान-बूझकर ऐसी रिपोर्ट तथा सामग्री का प्रकाशन करते हैं जो झूठी, आपत्तिजनक और उत्तेजनापूर्ण होती है, जिससे साम्प्रदायिक तनाव भड़क सकता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सामग्री के प्रकाशन से बचने का तरीका ढूंढने में सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशन तथा सम्बन्धित अन्य अपना सहयोग देंगे।

II राज्य और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

8. राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि पुलिस कर्मचारियों की भर्ती में अल्पसंख्यकों पर

विशेष ध्यान दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए चयन समिति का गठन प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए।

9. केन्द्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती में ऐसी ही कार्रवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाए।

10. रेलवे, राष्ट्रीयकृत बक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदायों से भर्ती करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

11. अनेक क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है। प्राय: अल्पसंख्यक समूह ऐसी परीक्षाओं ने बराबरी के आधार पर शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। इन कठिनाइयों को पार करने में, उनकी सहायता करने के लिए इन परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के वास्ते अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं में कोचिंग कक्षाएं शुरू करने को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएं।

12. इन अल्पसंख्यकों द्वारा जो आज पिछड़े हुए हैं, तकनीकी कौशल प्राप्त कर लेने से देश के विकास में भी सहायता मिलेगी। इन समुदायों के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में ऐसी संस्थाओं में दाखिला लेने में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और निजी एजेन्सियों द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) और पोलिटेक्निक खोलने के प्रबन्ध करने चाहिएं।

III. अन्य उपाय

13. यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को 20-सूत्री कार्यक्रम को शामिल करते हुए विभिन्न विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों में से पर्याप्त लाभ मिले। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की निगरानी रखने के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों में उन समुदायों के सदस्यों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करना चाहिए।

14. मेरे द्वारा बताए गए सामान्य मुद्दों के अलावा ऐसी विभिन्न स्थानीय समस्याएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए अनावश्यक रूप में क्षोभकारी बन जाती हैं। उदाहरण के लिए वक्फ सम्पत्तियों और श्मशानों के अतिक्रमण से कुछ स्थानों पर विरोध और शिकायतें पैदा हुई हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए शीघ्रतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से समुचित उपाय किए जाने चाहिएं।

15. अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि आशंकाओं को दूर किया जा सके और वास्तविक शिकायतों का निवारण किया जा सके। इसके लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष एकक खोला जा रहा है जिससे अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को निपटाया जा सकेगा।

एयर इण्डिया के कर्मचारियों के भाई/बहनों के लिए निःशुल्क रियायती विमानन यात्रा सुविधा

4288. **श्री आनन्द सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विभिन्न केन्द्रों पर कार्यरत एयर इण्डिया के कर्मचारियों के भाइयों और बहनों के लिए निःशुल्क/रियायती विमान यात्रा सुविधा फरवरी/मार्च, 1980 से भारत/जापान और भारत/आस्ट्रेलिया क्षेत्रों के लिए बन्द कर दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत से बाहर भारत/जापान और भारत/आस्ट्रेलिया क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को उनके भाइयों और बहनों के लिए अभी भी विमान यात्रा सुविधा दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थिति को सुधारने का है, यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) इस बात का ध्यान रखे बिना कि कर्मचारी भारत में काम कर रहा है या विदेश में, भारत-जापान और भारत-आस्ट्रेलिया सैक्टरों पर जनवरी/फरवरी, 1980 में एयर इन्डिया के कर्मचारियों के भाइयों और बहिनों को यात्रा सुविधाएं बन्द कर दी गई थीं। तथापि, इन सैक्टरों पर तैनात अविवाहित विमान परिचारिकाओं के मामले में उनकी बहिनों को यात्रा सुविधाओं के हस्तांतरण की अनुमति दी गई थी। उन मामलों में जहां उनकी कोई बहिन न हो अथवा बहिन न जा सकती हो, यात्रा की ऐसी सुविधा उनके भाई को दी गई। इसके अलावा, कर्मचारी की भारत या विदेश में तैनाती की बात को ध्यान में रखे बिना, बिमारी की स्थिति में अनुकंपा के आधार पर उपर्युक्त सैक्टरों पर भाइयों और बहिनों को यात्रा सुविधाओं के हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है।

उपर्युक्त सैक्टरों पर भाइयों और बहिनों को हस्तांतरण सुविधा को बन्द करने का निर्णय, इन सैक्टरों पर भारी बुकिंग के कारण लेना पड़ा ताकि इन सैक्टरों पर कर्मचारियों के पति/पत्नी और उनके बच्चे यात्रा कर सकें; क्योंकि इन संबंध में कर्मचारियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और श्रम संपर्क समिति में इन पर काफी विचार-विमर्श हुआ था। इस संबंध में भारत-जापान और भारत-आस्ट्रेलिया सैक्टरों पर काम कर रहे स्टाफ में कोई भेद-भाव नहीं है, सिवाय इस बात के कि इन सैक्टरों पर तैनात अविवाहित विमान परिचारिकाओं को उपलब्ध सुविधा अन्य जगहों पर तैनात विमान-परिचारिकाओं को उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) चूंकि ये निर्णय कर्मचारियों के अनुरोध पर और श्रम संपर्क समिति से परामर्श करके लिए गये थे इसलिए इन्हें बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हवाई अड्डों पर मजदूरों को मजूरी

4290. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर नैमित्तिक मजदूर काम पर लगाये जाते हैं;

(ख) क्या मानक श्रमिकों के अतिरिक्त भी नैमित्तिक मजदूर लगाये जाते हैं;

(ग) क्या मजदूरों को ठेके के माध्यम से लगाया जाता है, यदि हां, तो ठेकेदारों को किस दर पर कमीशन का भुगतान किया जाता है; और

(घ) मजदूरों को कुल कितनी मजदूरी दी जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) यद्यपि वायुदूत कोई नैमित्तिक मजदूर नियुक्त नहीं करती है, परन्तु इंडियन एयरलाइन्स छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों के स्थान पर नैमित्तिक मजदूर नियुक्त करती है। एयर इंडिया गैर-हाजिर अकुशल नियमित कर्मचारियों के स्थान पर तथा मौसमीय कार्य के देखने के लिए नैमित्तिक मजदूर नियुक्त करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नैमित्तिक मजदूरों को मंजूरी इस प्रकार दी जाती है :—

इण्डियन एयरलाइन्स

	लोडर/सहायक		ड्राइवर	
	रुपए	पैसे	रुपए	पैसे
क, ख—1 तथा				
ख—2 शहर	32	15	36	35
अन्य शहर	31	50	35	65

एयर इण्डिया

एयर इंडिया नैमित्तिक मजदूरों को पूरे 8 घन्टों के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की दर तथा चार घन्टों के लिए 10 रुपए की दर से भुगतान करता है।

लाटरियों का दुरुपयोग

4290. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाटरियां, जो आरम्भ में शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों

को सहायता देने, अस्पतालों का निर्माण करने, वृद्धावस्था पेंशन देने आदि के लिए तथा रोजगार का आसान अवसर प्रदान करने संबंधी आदर्शों की प्राप्ति के लिए शुरू की गई थीं, अब वे समाज के पहले से ही धनाढ्य व्यक्तियों का और धन एकत्रित करने का स्रोत बन गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी अधिकारियों की मिली-भगत से कुछ एजेन्ट बड़ी संख्या में टिकटें खरीदकर और उन्हें अन्यों में वितरित करके उस व्यापार पर एकाधिकार जमा रहे हैं और लाटरी निकलने वाले दिन वे अन्य छोटे एजेंटों का भी हक मार लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य लाटरियों के लाभ के उचित वितरण के लिए एक समान नीति तैयार करने का है ताकि छोटे टिकट विक्रेता लाटरियों से होने वाले लाभ में अपने हिस्से से वंचित न रहने पाएं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) राज्य सरकारें विकास योजनाओं, स्वास्थ्य, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यों, खेल-कूद विकास, कल्याण और राहत उपायों आदि की लागत पूरी करने के लिए सामान्यत: अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए लाटरियां आयोजित करती हैं। हालांकि अधिकांश राज्य सरकारें विभागीय तौर से लाटरियां चलाती हैं फिर भी उनमें से कुछ एकमात्र विक्रेता/आयोजक एजेंटों द्वारा इनको चलाती हैं। जून, 1984 में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों आदि को कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिनमें लाटरियों के संचालन को नियमित करने के लिए कहा गया था। इन दिशा-निर्देशों में टिकटों के मूल्यों के कम से कम 50% के पुरस्कार देने और कम से कम 15% शुद्ध लाभ की व्यवस्था थी। 10,000 रु० से अधिक कीमत के पुरस्कार राज्य सरकारों द्वारा सीधे वितरित किए जाने आवश्यक हैं। सरकार के पास लाटरी एजेंटों और सरकारी कर्मचारियों के बीच किसी गुप्त सहमति की कोई सूचना नहीं है।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास

4291. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की वृद्धि की प्रतिशतता के वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस हवाई अड्डे से आने-जाने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे पर उपलब्ध मौजूदा सुविधायें अपर्याप्त हैं;

(घ) क्या बढ़ते हुए यातायात के अनुरूप इस हवाई अड्डे का विकास करने की कोई भावी योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) विजयवाड़ा से और वहां तक यात्री यातायात तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रतिशत वृद्धि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	सवार होना	%वृद्धि	उतरना	%वृद्धि
1982-83	8272	—	7642	—
1983-84	11525	39	10684	40
1984-85	15570	35	14763	38

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) विजयवाड़ा हवाई अड्डे को सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में विकसित करने का प्रस्ताव है ताकि वह बोइंग 737 विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त हो सके । सातवीं योजना के मसौदे में निम्नलिखित निर्माण कार्यों के लिए, तदनुसार, व्यवस्था की गई है :

(i) धावन पथ और सम्बद्ध पेवमेंटों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण,

(ii) नए अन्तस्थ भवन, कार पार्क और सम्पर्क मार्ग का निर्माण,

(iii) प्रचालन दीवार का निर्माण,

(iv) बिजली पूर्ति में बढ़ोत्तरी, और

(v) जल पूर्ति में बढ़ोत्तरी ।

कोचीन हवाई अड्डे को स्थानांतरित करना

4292. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े विमानों के उतरने को सरल बनाने के लिए कोचीन हवाई अड्डे को अलप्पी जिले में शेरथलाई स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्थल का निरीक्षण करने हेतु सम्बद्ध अधिकारियों को भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल किसी अधिकारी को भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केरल राज्य सरकार से कुछ ब्यौरे प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जाएगा।

उड़ीसा में पर्यटक गाइडों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

4293. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाहरी ट्रेवल एजेंसियों द्वारा उड़ीसा की यात्रा पर जाने वाले पर्यटक दलों के साथ भेजे जा रहे गाइडों के कारण उड़ीसा के मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइडों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम अमान्यता प्राप्त गाइडों की सेवायें ले रहा है, जिससे मान्यता प्राप्त गाइडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हज यात्रा

4294. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान पवित्र तीर्थ स्थल मक्का और मदीना की यात्रा के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया और उनमें राज्य-वार, कितने लोगों को अनुमति दी गई;

(ख) क्या हज यात्रा की अनुमति देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) हज तीर्थयात्रा के लिए इस वर्ष राज्य-वार, विशेषकर गुजरात से, कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने लोगों को अनुमति दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या यह सच है कि हज पर जाने की अनुमति न मिलने के समय अनेक लोगों को निराशा हुई है; और

(च) यदि हां, तो और अधिक लोगों को हज यात्रा पर भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आंकड़ों का ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है। इन्हें एकत्रित किया जा रहा है और सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, हां। सऊदी अरब की सरकार द्वारा प्रस्तावित मानदंड में निम्न-लिखित श्रेणियों के लोग हज के पात्र नहीं हैं :

(i) वे व्यक्ति जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में हज-यात्रा की।

(ii) लम्बी संचारी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति।

(iii) 2 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे।

(iv) 20 सप्ताह से अधिक समय के गर्भ वाली महिला तीर्थ यात्री। इनके अतिरिक्त सरकार के कोटे से सीटों के आबंटन के लिए उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हों।

(घ) विमान से यात्रा के लिए कुल 20,673 लोगों के और समुद्री जहाज से यात्रा करने के लिए 26,500 आवेदन-पत्र आए थे। आवेदकों के राज्य-वार आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं इनका पक्का पता लगाया जा रहा है।

जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है, विमान द्वारा यात्रा करने के लिए 585 आबंटित कोटे के लिए 2,385 लोगों ने आवेदन दिए थे जिनमें से अन्तिम रूप से अन्य राज्य द्वारा वापस दी गई सीटों का प्रयोग करके 1,250 आवेदकों को भेजा गया गुजरात से समुद्री जहाज से यात्रा करने के लिए 2,502 आवेदक थे जिनमें से 1,064 जा चुके हैं।

(ङ) और (च) यह बहुत मुमकिन है कि बहुत से लोग हज के लिए न जा सकने के कारण निराश हुए हों। विदेशी मुद्रा के प्रतिबंधों के कारण हज तीर्थ यात्रियों के कोटे की कुल संख्या को बढ़ाना हमेशा संभव नहीं है।

वायुदूत सेवाएं

4295. श्री डाल चन्द जैन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी स्थान को वायुदूत सेवा से जोड़ने के लिए न्यूनतम शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे स्थानों को वायुदूत सेवा के माध्यम से न जोड़ने के क्या कारण हैं, जहां पर इन शर्तों को पहले ही पूरा कर लिया गया है; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जिन्हें वायुदूत सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वायुदूत द्वारा किसी भी नए स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने के लिए उपयुक्त आधार भूत सुविधा तथा पर्याप्त विमान क्षमता [न्यूनतम भौतिक अपेक्षाएं आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि इस स्टेशन को प्रचालन आर्थिक दृष्टि से साध्य होंगे तथापि उन मामलों में विशेष रूप ध्यान दिया जाता है जहां कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण तथा पर्यटन और औद्योगिक महत्व के स्थानों को विमान सेवा की व्यवस्था करना आवश्यक समझा जाता है।

(ख) उपर्युक्त मानदंड के आधार पर जिन स्टेशनों का चयन किया गया है वायुदूत द्वारा उन्हें प्रावस्थाबद्ध रूप से विमान सेवा से जोड़ा जा रहा है।

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्टेशनों को जोड़ने के प्रस्ताव पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है :—जैसलमेर, धनबाद, पटना, पूर्णिया, दापोरिजो, जेरो, पासीघाट, एकवाल, कैलाशहर, रूपसी, अगरतल्ला, वारंगल और रायचूर।

पूंछ, राजौरी और किश्टवार को जम्मू और काश्मीर से विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने की आर्थिक साध्यता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

केरल द्वारा सातवीं योजना के लिए साधन जुटाया जाना

4296. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य छठी योजना में कितनी धनराशि जुटाने के लिए सहमत हुआ था और राज्य द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि जुटाई गई;

(ख) केन्द्र छठी योजना के दौरान केरल राज्य को कितनी धनराशि देने के जिए सहमत हुआ था; और

(ग) केन्द्र सरकार ने वास्तव में कितनी धनराशि दी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 1119.84 करोड़ रु० के मूल अनुमान के मुकाबले, केरल सरकार ने छठी योजना की अवधि में 713.94 करोड़ रु० जुटाए हैं।

(ख) राज्य की छठी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में केरल को 430.16 करोड़ रु० की धनराशि आबंटित की गई थी।

(ग) केन्द्र सरकार ने छठी योजना की अवधि में 482.98 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता दी है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के अपने ओवरड्राफ्ट का निपटान करने के लिए 31 मार्च, 1984

तक राज्य सरकार को 136.19 करोड़ रु० का मध्यावधि ऋण दिया गया है।

नेडूमानगाड पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन एकक का निर्माण पूरा होना

4297. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नेडुमानगाड में पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन एकक का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) समग्र भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भाग के रूप में ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट के विकास के साथ-साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कुछ भावी कार्यक्रमों की सहायता के लिए कुछ सुविधाओं को नेडमानगाड के निकट वलियामाला में स्थापित किया जा रहा है। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट यूनिट के नाम से कोई भी पृथक यूनिट नेडुमानगाड में स्थापित नहीं की जा रही है। इन सुविधाओं के सिविल कार्यों से संबंधित भाग के इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) वलियामाला सुविधाओं की कुल लागत 27.50 करोड़ रुपये है।

(ग) वलियामाला सुविधाओं पर अब तक 13.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) चालू वर्ष के लिए 8.30 करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया है।

होटलों के निर्माण के लिए निजी उद्यमियों को ऋण

4298. **श्री मोतीलाल सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों के निर्माण के लिए निजी उद्यमियों को ऋण देने के मापदंड और शर्तें क्या हैं;

(ख) मंजूर किए गए ऋणों की संख्या और राशि क्या है विभिन्न राज्यों में ऋण की मात्रा के क्रम में उन पार्टियों के नाम क्या हैं, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण दिए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों की क्या ठोस उपलब्धियां हैं और आगामी पांच वर्षों के दौरान क्या उपलब्धियां होंगी;

(घ) इस समय होटलों का किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार, होटलों को विभिन्न स्टार वर्गों में वर्गीकृत करने के वर्तमान मापदंड को बदलने का है और यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक कुमार गहलोत) : (क) विवरण एक संलग्न है।

(ख) विवरण दो संलग्न है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों की सहायता से लगभग 4000 अतिरिक्त होटल कमरे जुटा पाना संभव होगा। आगामी पांच वर्षों की उपलब्धियां होटल उद्यमकर्ताओं से ऋण के लिए मिलने वाले आवेदनों के अन्तर्वाह पर निर्भर करेंगी।

(घ) केन्द्रीय होटल और रेस्तरां अनुमोदन तथा वर्गीकरण समिति और राज्य स्तर की समितियां विभिन्न स्टार श्रेणियों के अंतर्गत होटलों का वर्गीकरण इसके प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों के अनुसार करती है।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण—एक

ऋणों की मन्जूरी के लिए मानदण्ड : प्रवर्तकों की सामर्थ्य और सक्षमता को ध्यान में रखने के अलावा परियोजना की वित्तीय, तकनीकी और आर्थिक दृष्टियों से व्यवहार्यता के आधार पर ऋणों की मंजूरी की जाती है।

शर्तें :—

1. **पात्रता** : भारत में इन्कार्पोरेटेड और रजिस्टर्ड कोई भी ऐसी लिमिटेड कंपनी अथवा कोपरेटिव सोसाइटी जो होटल उद्योग में लगी है अथवा लगने का प्रस्ताव रखती है तो वह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण की मंजूरी के लिए पात्र है।

2. ब्याज दर :

1. मूल ऋण दर 14% प्रति वर्ष है। अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित नए यूनिट ऋण पर ब्याज की 12.5% प्रति वर्ष की एक रियायती दर के निम्नलिखित सीमाओं के अधीन रहते हुए हकदार हैं :—

श्रेणी "क" जिलों में परियोजनाओं के लिए : 5.00 करोड़ रु०

श्रेणी "ख" जिलों में परियोजनाओं के लिए : 3.00 करोड़ रु०

श्रेणी "ग" जिलों में परियोजनाओं के लिए : 2.00 करोड़ रु०

यदि होटल संस्थाएं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को की गई अपनी वचन बद्धताओं की पूर्ति करने में कोई चूक नहीं करती हैं तो वे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर ऋण (ऋणों) की राशि, जिनकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रु० होगी, पर (ब्याज की लागू दर के मामले में) ब्याज की इमदादी दर यानी 10% ब्याज इमदाद के हकदार हैं।

II. चूक के मामले में चूक (चूकों) की अवधि के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से निर्णित हरजाने लिए जाते हैं।

3. सुरक्षा : ऋण निम्नलिखित द्वारा प्रतिभूत होंगे :

I. होटल की अचल परिसम्पत्तियों का संयुक्त विश्वास बंधक और साथ ही चल परिसम्पत्तियों का आडमान (हाइपोथिकेशन)

II. अलग-अलग मामलों पर निर्भर रहते हुए प्रवर्तकों की निजी गारंटियां।

4. अनुमोदन : विचाराधीन होटल परियोजना को निम्नलिखित मामलों में सरकार/संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने होंगे :—

I. होटल परियोजना स्थापित करने के लिए पर्यटन विभाग का अनुमोदन;

II. बिल्डिंग प्लांस आदि के मामले में स्थानीय प्राधिकरणों/नागर-विमान प्राधिकरणों के अनुमोदन;

III. मल निकासी, कचरा निकासी, एल० पी० जी० स्टोरेज टैंक्स, बायलरों और अग्नि-शमन प्रतिष्ठापन के मामले में स्थानीय प्राधिकरणों से क्लियरेन्स;

IV. बिजली, पावर, पानी और ईंधन कनेक्शनों के लिए मंजूरी;

V. जहां आवश्यक हो वहां पूंजीगत सामान क्लियरेंस/आयात लाइसेंस; और

VI. विदेशों से ऋण एकत्र करने, गैर-निवासियों आदि से अंशदान एकत्र करने के लिए जहां लागू हो वहां सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का क्लियरेंस।

अन्य निर्धारित सामान्य शर्तों का संबंध बोर्ड को व्यापक आधार देने, प्रमुख कार्यपालकों की नियुक्ति द्वारा उपयुक्त प्रबंध संगठन, विपणन तथा विक्रय और साथ ही जहां कहीं भी जरूरी हो वहां टाई-अप के रूप में होटल के परिचालन के लिए संतोषजनक प्रबंध और स्टाफ के प्रशिक्षण आदि से है।

विवरण—दो

गत तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों में पार्टियों के नाम और उन्हें मन्जूर किए गए ऋण पत्रों की राशि को दर्शाने वाला विवरण :

वर्ष	क्रम० सं०	पार्टी का नाम	मंजुरी ऋण की राशि	राज्य का नाम
1	2	3	4	5
			(लाख रुपये में)	
1982-83	1.	सी० जे० इंटरनेशनल होटल लि०	225.00	दिल्ली
	2.	भारत पर्यटन विकास निगम	150.00	दिल्ली
	3.	होटल श्रीलेखा इंटरकांटीनेन्टल (प्रा०) लि०, मद्रास	100.00	तमिलनाडु
	4.	सन बीम होटल्स (प्रा०) लि०	35.00	चण्डीगढ़
	5.	कासमोपालिटन होटल्स लि०	18.00	दिल्ली
	6.	सिद्धार्थ इंटरकांटीनेन्टल होटल्स (इंडिया) लि०	10.00	दिल्ली
1983-84	7.	होटल लीला वेंचर (प्रा०) लि०, बम्बई	140.00	महाराष्ट्र
	8.	मैक चार्लस ब्रांदर्स (प्रा०) लि०, बंगलौर	138.00	कर्नाटक
	9.	डोलफिन होटल्स लि०, विशांखापत्तनम	62.50	आंध्र प्रदेश
	10.	होटल साहिल (प्रा०) लि०, बंबई	60.00	महाराष्ट्र
	11.	गुजरात होल्टस (बड़ौदा) लि० बड़ौदा	50.00	गुजरात
	12.	एशियन होटल्स लि०	17.50	दिल्ली
1984-85	13.	वेंकटरमणन् होटल्स लि०, हैदराबाद	152.00	आंध्र प्रदेश
	14.	प्लेजैंट होटल्स लि०, मद्रास	115.00	तमिलनाडु

1	2	3	4	5
		15. सी० जे० इंटरनेशनल होटल्स लि०	110.00	दिल्ली
		16. आगरा कंसट्रक्शन कं० लि०, जिला आगरा	85.00	उत्तर प्रदेश
		17. भारतीय होटल निगम लि० जिला, श्रीनगर	70.00	जम्मू और कश्मीर
		18. नार्दन एन्टरप्राइसेज कारपोरेशन (प्रा०) लि०	65.00	दिल्ली
		19. एशियन होटल लि०	50.00	दिल्ली
		20. शांति विहार होटल्स (प्रा०) लि०, जिला मद्रास	45.00	तमिलनाडु
		21. कासमोपालिटन होटल्स लि०	37.00	दिल्ली
		22. बनारस होटल्स लि०, जिला वाराणसी	32.00	उत्तर प्रदेश
		32. ब्राडवे इंटरप्राइसेज (प्रा०) लि, जिला श्रीनगर	30.00	जम्मू और कश्मीर
		24. पंडयान होटल्स लि० जिला मदुरै	20.00	तमिलनाडु

[हिन्दी]

मगहर का विकास

4299. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे विश्व में एकता की भावना जगाने वाले संत कबीर के निर्वाण स्थान मगहर का विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मगहर में संत कबीर की "समाधि और मजार" नामक एक स्मारक है। यह स्मारक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के बहुमुखी विकास की एक

योजना तैयार की है जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—(i) स्मारक की मरम्मत, (ii) स्मारक के चारों ओर भू-दृश्य-निर्माण, (iii) प्रवेश मार्गों को चौड़ा करना तथा उनमें सुधार करना तथा गलियों में बत्तियों की व्यवस्था करना, (iv) सड़कों का निर्माण और आमो नदी पर बांध बांधना, और (v) वनरोपण का एक कार्यक्रम ।

[अनुवाद]

सामान और प्रौद्योगिकी के आयात की नीति

4300. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री मुरलीधर माने
श्री गुरुदास कामत
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अगस्त, 1985 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा सानान और प्रौद्योगिकी के उदार आयात की नीतियों का स्वदेशी उद्योग और पूंजीगत उपकरणों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जैसी अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना पर चिंता व्यक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) एक काल संरचना के भीतर हमारी संस्थाओं द्वारा नयी उन्नतियों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए और अन्त उत्पादन की गुणवत्ता और लागतों में तीव्र संसाधनों के लिए आवश्यक साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी और उपकरणों का आयात चयनात्मक आधार पर चलता आ रहा है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लाभ सभी लोगों तक प्रभावित होते हैं । जब तक तुलनात्मक स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है उससे संबंधित वस्तुओं के आयात की अनुमति नहीं दी जाती ।

देश में विकसित प्रौद्योगिकी के उपयोग में क्रमशः सुधार हो रहा है और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थापित यूनिट लगातार सफलतापूर्वक परिचालित हो रहे हैं ।

देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सुधारों में सहायता प्रदान करने के वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नयी प्रौद्योगिकी का उत्पादन करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है । सरकारी विभागों और उद्योगों में उपभोक्ताओं को इसके साथ संबंध करके अनुसंधान को सुदृढ़ किया जाता है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा भरने में गिरावट

4301. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ने अपने 39वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) (1973-75) और चौथे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) (1977-78) में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा भरने में गिरावट आने के बारे में अप्रसन्नता व्यक्त की है और तीन वर्षों के अन्दर सभी हर सम्भव प्रयास करके पिछला बकाया पूरा करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछला बकाया पूरा कर दिया गया है जैसा कि सिफारिश संख्या 14 में सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चेकोस्लोवाकिया में भारतीय दूतावास का खोया थैला

4302. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या विदेश मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि चेकोस्लोवाकिया में हमारे दूतावास का एक राजनयिक थैला गुम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसे ढूंढने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राग (चेकोस्लोवाकिया) स्थित हमारे राजदूतावास ने अपना थैला संख्या 8-ए०एफ० चैक एयरलाइन को 3 मई, 1985 को भारत भेजने के लिए सौंपा था । यह थैला 3 महीने से अधिक समय से लापता था ।

(ग) प्राग स्थित हमारा राजदूतावास चेकोस्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय और चैक एयर-

लाइन से इस संबंध में निरन्तर संपर्क बनाए रहा। इस थैले का चैक प्राधिकारियों ने पता लगाकर 16 अगस्त, 1985 को प्राग में हमारे राजदूतावास को सौंप दिया है। थैले की मुहरें सही तरीके से लगी हुई पाई गई। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

8 घंटे की ड्यूटी के बाद समयोपरि भत्ते की मंजूरी

4303. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आठ घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद समयोपरि भत्ता मंजूर करने के आदेश जारी कर दिए हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों को अब कार्यालय बन्द होने के तुरन्त बाद से समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है अथवा उनको बन्द होने के एक घंटे के बाद से समयोपरि भत्ता दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें कार्यालय समय के बाद समयोपरि कार्य करना पड़ता है, निर्धारित कार्य के घंटों से पूर्व और बाद में किए गए समयोपरि कार्य की पूरी अवधि के लिए, फ्री ड्यूटी के एक घंटे को कम करके, समयोपरि भत्ता अनुज्ञेय होता है। इस संबंध में कोई नए आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय जल में तेल से प्रदूषण

4304. **श्री आशुतोष लाहा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल उद्योग द्वारा फैलाए जाने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने और भारतीय जल में तेल फैलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) भारतीय जल में तेल फैलने से होने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए क्या

व्यवस्थाएं की गई हैं/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : समुद्रीय पर्यावरण, विशेषतः गहरे समुद्र में प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं की जांच-पड़ताल करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। खोजबीन एवं दोहन के दौरान, तेल प्रदूषण पर निगरानी रखने एवं सामना करने के लिए, तेल खोजी अभिकरण जिम्मेदार होते हैं। गोदी प्राधिकारी गोदी क्षेत्रों में तेल प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैसे ही गहरे समुद्र में तटरक्षक जिम्मेदार होते हैं। तेल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं। तेल प्रदूषण प्रबोधन अध्ययन भी आरम्भ किए गए हैं।

विश्व बुद्धिजीवी सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यू०आई०पी०ओ०)

4305. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व भर में बुद्धिजीवी सम्पत्ति के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु विश्व बुद्धिजीवी सम्पत्ति (डब्ल्यू०आई०पी०ओ०) संगठन का सदस्य है;

(ख) यदि हां, तो इसमें हमारा योगदान क्या है; और

(ग) यदि वह (डब्ल्यू०आई०पी०ओ०) का सदस्य नहीं है, तो क्या सरकार विश्व बुद्धिजीवी सम्पत्ति संगठन का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एजेंसी है; सदस्य बनना आवश्यक समझती है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत विश्व बुद्धिजीवी सम्पत्ति संगठन के बर्न संघ का सदस्य है। बर्न संघ में, जो सरकारी तौर पर साहित्यिक एवं कलात्मक कार्य के संरक्षण का अन्तर्राष्ट्रीय संघ है, 1880 में वर्न सम्पन्न एक अभिसमय के राज्य पक्ष शामिल हैं जिसे पीछे 1971 में संशोधित किया गया था।

(ख) भारत ने 1985 में 1,18,789 स्विस फ्रैंक (5,93,945 रुपये) का अंशदान दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्र तट के निकट भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध

4306. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मंत्री ने सभी तटवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पर्यावरणीय

आधार की सुरक्षा हेतु समुद्र तट के 500 मीटर भीतर के क्षेत्र में भवनों के निर्माण की अनुमति न देने के विशेष अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या तटवर्ती राज्य निदेशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो दोषी राज्यों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। सरकार के ध्यान में अभी तक निदेशों के पालन न किए जाने के कोई दृष्टांत नहीं आए हैं।

(ग) प्रश्न, ही नहीं उठता।

सरकारी विभागों में कैंटीनें

4307. **श्री बाजूबन रियान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक बड़े शहर में कैन्टीन निदेशक के पास कितनी विभागीय कैन्टीनें पंजीकृत हैं;

(ख) बड़े शहरों में 26.9.83 से जून, 1985 तक विभागीय कैन्टीनों के कर्मचारियों को दी गई मजदूरी और भत्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़े शहरों में निदेशक कैन्टीन के पास पंजीकरण कराए बिना केन्द्रीय सरकार के विभागों में कितनी कैन्टीनें चल रही हैं;

(घ) उन्हें पंजीकृत न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार बड़े शहरों में विभागीय कैन्टीनों में भुगतान के लिए प्रबन्ध समितियों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण लिए गए हैं;

(च) बड़े शहरों में चल रही प्रत्येक विभागीय कैन्टीन का तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि के लेखे का विवरण क्या है; और

(छ) बड़े शहरों में 1 फरवरी, 1981 से जून, 1985 तक प्रत्येक विभागीय कैन्टीन में कितने कर्मचारी भर्ती किए गए ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) श्रेणी "क" के नौ शहरों

में से प्रत्येक में जो विभागीय कैन्टीनें, निदेशक, कैन्टीन के पास पंजीकृत हैं, उनकी संख्या निम्न-लिखित है :—

(1) अहमदाबाद	8
(2) बंगलौर	27
(3) बम्बई	37
(4) कलकत्ता	47
(5) दिल्ली	132
(6) हैदराबाद	14
(7) कानपुर	6
(8) मद्रास	26
(9) पुणे	12

(ख) 26.9.83 से आगे कैन्टीन कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अन्तरिम राहत, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता चिकित्सा भत्ता और धुलाई भत्ता शामिल है।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सारे देश में सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में चल रही सभी कैन्टीनों को (सिवाय उनके, जो रेलवे की हैं) कैन्टीन निदेशक के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित है। अत: यह माना जाता है कि सभी कैन्टीनें, कैन्टीन निदेशक के पास पंजीकृत हैं। डाक व तार विभाग की कैन्टीनें 7.6.85 तक पंजीकृत नहीं थी। फिर भी इन्हें अब पंजीकृत किया जा रहा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस विभाग में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न शहरों की भिन्न-भिन्न कैंटीनों द्वारा 5,77,990.22 रुपए ऋण के रूप में लिए गए हैं।

(च) और (छ) चूंकि कैंटीनों का प्रबन्ध विकेन्द्रीकृत है अत: इन मुद्दों से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संस्थान की ओर से खेलों का विकास प्रस्ताव

4308. श्री आर०एम० भोये : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संस्थान ने सरकार से सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान कुछ प्रस्तावों को क्रियान्वित के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मुख्य योजनाओं में से अपनाए गए स्कूलों सहित खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाने और पोषण, "राष्ट्रीय शारीरिक उपयुक्तता योजना", सामान्य खेलों के विकास और 'तक-नीकी उपस्करों के केन्द्रीय पूल' का उल्लेख किया जा सकता है। राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला (एन०एस०एन०आई०एस०) का अन्य बातों के साथ-साथ देश में एन०आई०एस० के और अधिक क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना, शरद कालीन खेल केन्द्र की स्थापना, उच्च ऐलटिट्यूड केन्द्र की स्थापना, रोइंग और नौका विहार केन्द्रों की स्थापना, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना का विस्तार और खेल छात्रावासों की स्थापना का प्रस्ताव है। सरकार इन प्रस्तावों का समर्थन करेगी बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

भोपाल में यूनियन कार्बाइड का अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र

4309. **श्री चित्त महाता**
श्री थम्पन थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने यूनियन कार्बाइड के अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के पंजीकरण का आगामी तीन और वर्षों के लिए नवीकरण कर दिया है जबकि मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : भोपाल में मेसर्स यूनियन कार्बाइड के अन्तर्गत अनुसंधान तथा विकास केन्द्र को अप्रैल 1982 में दी गई मान्यता 31.3.1985 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है। आगे अवधि बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

वन अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव

4310. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए उक्त अधिनियम के लागू होने से अब तक वर्ष-वार निर्माण कार्य के लिए पूर्ण तथा अपूर्ण कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) उनमें से प्रतिवर्ष जिला-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया और कितने प्रस्तावों को अपूर्ण होने के आधार पर राज्य सरकार को वापस किया गया;

(ग) क्या इस प्रक्रिया में निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा यह स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष/जिला	अल्मोड़ा	चमोली	पिथौरागढ़	नैनीताल	उत्तर काशी	देहरादून	टिहरी गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रस्ताव :—									
1980 प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्वीकृत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
वापस भेजा गया	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1981 प्राप्त	2	—	—	1	1	1	—	1	6
स्वीकृत	1	—	—	1	1	—	—	—	3
वापस भेजा गया	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1982 प्राप्त	31	9	21	10	18	8	13	6	116
स्वीकृत	19	3	15	10	15	7	5	5	79
वापस भेजा गया	2	—	—	—	—	—	1	—	3

1	2		3		4			5	
1983 प्राप्त	30	20	5	8	9	7	6	4	89
स्वीकृत	25	15	5	3	9	7	6	4	74
वापस भेजा गया	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1984 प्राप्त	45	10	12	9	16	5	8	4	109
स्वीकृत	27	3	4	6	10	1	2	3	56
वापस भेजा गया	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1985 प्राप्त	27	12	11	3	3	2	2	—	59
31.7-85 तक स्वीकृत	7	2	2	—	—	—	—	—	11
वापस भेजा गया	11	5	5	1	3	—	1	—	26
कुल प्राप्त	135	51	49	31	47	23	29	15	380
स्वीकृत	79	23	26	20	35	15	13	12	223
वापस भेजा गया	13	5	5	1	3	—	2	—	29

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों की हत्याएं

4311. श्री राम भगत पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में सवर्णों अथवा डाकुओं द्वारा अथवा पुलिस मुठभेड़ों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग मारे गए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध दिनांक 1 जुलाई, 1985 को "अपराधों" के अन्तर्गत "हत्या" के मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
बिहार 20 (अप्रैल, 1985 तक)	03 (मई, 1985 तक फरवरी, 1985 को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश 83 (मई, 1985 तक)	शून्य (मई, 1985 तक)
राजस्थान 08 (मई, 1985 तक)	05 (मई, 1985 तक)
दिल्ली शून्य	शून्य

ये तथाकथित अपराध गैर अनुसूचित जातियों तथा गैर अनुसूचित जनजातियों द्वारा किए गए हैं। अन्य सूचनाएं केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित रखी नहीं जाती है।

संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत रासायनिक त्रासदियों को रोकने के लिए नियम बनाना

4312. श्री बी० बी० देसाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 71 वें सत्र को सम्बोधित करते हुए भोपाल मे हुई त्रासदी जैसी त्रासदियों की पुनरावृति को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र के विधान के अन्तर्गत नियमों को बनाये जाने का आह्वान किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री के उक्त संबोधन में कहे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र में क्या अन्य कार्यवाही करने और किसी अन्य मंच का पता लगाने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 17 जून, 1985 को जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 71 वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधान मन्त्री ने भोपाल दुर्घटना का जिक्र किया था और इस आवश्यकता का भी कि पराराष्ट्रीय निगमों के लिए एक सुनिश्चित आचार संहिता की आवश्यकता है, यथा :

"आज मानव ने प्रौद्योगिकी के जिन आयामों को विकसित कर लिया है, उनके संदर्भ में यह निहायत जरूरी हो गया है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच समग्र सम्बन्धों को एक नया रूप देने के बारे में सोचा जाये। भोपाल में जो दुर्घटना हुई, जो कि अपनी तरह की सबसे विनाशक दुर्घटना थी, उससे यह पता चलता है कि जहां उद्योगों में प्रौद्योगिकी बहुत विकसित है, वहां कामगारों के लिए कितना खतरा हो सकता है । हम इस त्रासदी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं । लेकिन पराराष्ट्रीय निगमों की इससे भी बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी का सवाल उठता है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में तय किया जाना चाहिए। आज यह पहले से कहीं ज्यादी जरूरी है कि इस प्रकार के निगम किसी सुनिश्चित आचार संहिता के अनुरूप आचरण करें। ऐसे और उच्चतर प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विकासशील देशों के सामने इसका जोखिम कई गुना बढ़ गया है लेकिन नीतियों और प्रथाओं पर निगाह रखने की अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को और पराराष्ट्रीय निगमों को अभी इस संदर्भ में अभी एक रूप और आधार ग्रहण करना है ।

भारत, जिसे अपने सीमान्त क्षेत्रों में अत्युन्नत आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, उन्नत देशों के साथ सहयोग का स्वागत करता है लेकिन हम हृदय से यह आशा करते हैं कि प्रौद्योगिक सूचना के संदर्भ में यह आदान-प्रदान अधिक खुला हुआ होगा और सुरक्षा के मानकों को ज्यादा कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा ।"

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय ने 1977 में बहुर्राष्ट्रीय उद्यम और सामाजिक नीति से संबद्ध सिद्धान्तों के बारे में एक त्रिपक्षीय घोषणा स्वीकार की थी। इस घोषणा में सरकारों पर यह दायित्व डाला गया है कि वे इस बात का सुनिश्चय करें कि बहुर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के उद्यम अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मानक स्थापित करें। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि बहुर्राष्ट्रीय निगमों को सुरक्षा और स्वास्थ्य के ऐसे उच्चतम मानक कायम करने चाहिए जो राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप हों और ऐसा करते समय उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस उद्यम विशेष में समग्र रूप से पर्याप्त अनुभव क्या और कैसा है जिसमें अगर किसी खास तरह की मुश्किलें आ सकती हों तो वे क्या हो सकती हैं। लेकिन इस घोषणा में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं, वे सिर्फ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में हैं। उनमें किसी प्रकार की प्रादेशात्मक कार्रवाई निहित नहीं है। यह मामला संयुक्त राष्ट्र पराराष्ट्रीय निगम आयोग के ग्यारहवें अधिवेशन में उठाया गया था जो 11 से 27 अप्रैल, 1985 तक जेनेवा में हुआ था। इस मुद्दे को भारतीय प्रतिनिधि ने उठाया था कि "भोपाल की त्रासदी के संदर्भ में यह बात बहुत जरूरी हो गई है कि पराराष्ट्रीय निगमों के लिए एक आचार-संहिता तत्काल स्थिर की जाए ताकि अगर वे इस प्रकार के जोखिमजदा और जहरीली

सामग्री का काम करते हों तो उन्हें अनिवार्यत: सख्त और कठोरतम सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ें जिससे कि जनहानि न हो अथवा उनकी लापरवाही की वजह से किसी के जीवन के लिए खतरा पैदा न हो।" भारतीय प्रतिनिधि ने यह सुझाव किया कि संयुक्त राष्ट्र पराराष्ट्रीय नियम आयोग को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि पराराष्ट्रीय निगम आतिथेय देशों में सुरक्षा के जो मानक अख्तियार कर रहे हैं, क्या वे उसी उच्च स्तर के हैं जिन्हें वे अपने देश में अख्तियार करते हैं और इन देशों को मानक जीवन के सम्मान की दृष्टि से हिफाजत के वे ही मानक विकासशील देशों में भी निर्धारित और लागू करने चाहिएं जो वे इन उत्पादों के लिए अपने देश में स्थिर करते हैं। इस प्रकार की दुर्घटनायें भविष्य में फिर न हों, इस दिशा में यही उनका योगदान होगा।

राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर तस्करों/उग्रवादियों का बेरोकटोक घूमना

4313. **श्री शरद दिघे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ लगी हुई राजस्थान सीमा पर न कोई बाड़ है और न दीवार तथा सीमा सुरक्षा बल की चौकियां भी बहुत दूर-दूर हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा के पार तस्कर, उग्रवादी और अन्य लोग बेरोकटोक आते-जाते रहते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर कोई बाड़ अथवा दीवार नहीं है। भारत-पाकिस्तान सीमा की कुल लम्बाई, 1035 किलो मीटर है और सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान सीमा पर 122 सीमा बाह्य चौकियां स्थापित की हैं। सीमा स्कंध होम गार्डों द्वारा भी राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की सहायता की जाती है। सीमा सुरक्षा बल ने कई तरीकों से सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी है।

(ख) यह कहना गलत है कि सीमा के पार तस्कर, उग्रवादी और अन्य लोग बेरोक-टोक आते हैं।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए तीन-सूत्री योजना

4314. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए तीन सूत्री योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक तीन-सूत्री योजना अर्थात् निवारक, निगरानी और खोज तथा निवारक-दण्डात्मक कार्रवाई अपनाई गई है। सभी मंत्रालयों/विभागों को सतर्कता कार्रवाई के कैलण्डर सहित एक "कार्य योजना" भेज दी गई है। इस संबंध में किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपायों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों का पता लगाना, नियमों तथा पद्धतियों को सरल बनाना, विभागीय सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ बनाना, सतर्कता मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप देना, भ्रष्ट तथा अकुशल तत्वों की छंटनी करने के लिए उन सरकारी कर्मचारियों के मामलों की नियमित पुनरीक्षा करना, जिन्होंने 50-55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अथवा जो 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे और संदिग्ध सत्य-निष्ठा वाले अधिकारियों पर अधिक कड़ी नजर रखना शामिल है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के डाकूग्रस्त जिलों का विकास

4315. **श्री महेन्द्र सिंह**
श्री कृष्ण सिंह } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के डाकूग्रस्त जिलों के लिए उन क्षेत्रों के पूर्ण विकास के लिए कोई समेकित योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है जिसके उन कारणों से समाप्त किया जा सके जिसके कारण लोग डाकू बनने को मजबूर होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में डकैती-प्रणव क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए एक दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए योजना आयोग में एक कार्य दल स्थापित किया गया था। कार्यदल ने डकैती प्रणव क्षेत्रों में कार्यान्वित किए गए विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए समस्या की जांच की और महसूस किया कि इन क्षेत्रों में किसी विशेष कार्यक्रम में अधिक बल घाटी सुधार, सड़क विकास तथा ग्रामीण विद्युतिकरण से संबंधित आवश्यकताओं पर दिया जाना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए कार्यदल ने इन कार्य क्षेत्रों में तीव्र विकास के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। डकैती-प्रणव क्षेत्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तैयार करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों को भेज दी गई हैं।

[अनुवाद]

नगरों में आयुक्त प्रणाली

4316. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयाग ने देश में पांच लाख और इससे अधिक आबादी वाले सभी नगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कतरन व्यापारी की दुकान में यूरेनियम की कतरन का पाया जाना

4317. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता के कर्मचारियों ने कलकत्ता में एक कतरन व्यापारी की दुकान से 2 मिलीग्राम का रेडियमयुक्त चमकदार मिश्र पदार्थ पाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच-पड़ताल की है कि यह रेडियमयुक्त चमकदार मिश्र पदार्थ कतरन व्यापारी के पास कैसे आया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) से (ग) : भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विकिरण विशेषज्ञों के एक दल ने एक चमकीला यौगिक पाया था जिसका वजन लगभग 2 मिलिग्राम था । । यौगिक की जांच विस्तार से करने पर पता चला कि उसमें कुछ माइक्रोग्राम रेडियम मौजूद था जो सामान्य हस्तन की दृष्टि से अहानिप्रद समझा जा सकता है । यह यौगिक कबाड़ में बेचे गए पुराने हवाई जहाज के उपकरणों के पैनलों से निकाला गया था ।

ट्रांजिस्टर बम बनाने वाले कारखाने

4318. **श्री एम० एल० झिकराम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) आतंकवादियों द्वारा कितने व्यक्तियों की हत्या की गई है, कितने बैंक लूटे गये हैं और उनमें कितनी धनराशि लूटी गई है;

(ख) जून-जुलाई, 1985 के दौरान ट्रांजिस्टर बमों तथा हथगोलों के कारण हुए विस्फोटों में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ;

(ग) उन नगरों के नाम क्या हैं जहां ट्रांजिस्टर बम बनाने के कारखाने हैं और जहां से अवैध हथियारों और बमों का पता लगाया गया और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उक्त कार्यों में संलग्न कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है कितने आतंकवादी भूमिगत हो गये हैं और कितने व्यक्ति फरार हैं; और

(ङ) क्या आसूचना विभाग को उग्रवादियों की भावी योजनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो क्या आतंवाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विदेशों का सहयोग

4319. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन देशों ने आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में भारत को सहयोग दिया है उनके क्या नाम हैं तथा इन देशों ने किस प्रकार सहयोग दिया ; और

(ख) वे कौन से देश हैं जहां आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया तथा इस प्रकार से कितने आतंकवादी पकड़े गए तथा वहां उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने कुछ देशों विशेषकर अमरीका, यू० के०, कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य तथा पाकिस्तान का ध्यान इस ओर दिलाया है कि उनके देश से भारत विरोधी उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं । प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के बाद जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया है कि अमरीका के राष्ट्रपति भारत विरोधी उग्रवादी हिंसा के अन्तर्राष्ट्रीय आयामों के बारे में हमारे साथ बराबर सलाह मशविरा चाहते हैं तथा घनिष्ठ सहयोग करने के इच्छुक हैं ।

विदेश सचिव की 17 जुलाई से 23 जुलाई तक की यू० के० यात्रा के दौरान यू० के० सरकार ने बताया है कि वह अपने कानून के दायरे में यू० के० में भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सक्रिय प्रयत्न करेगी । सरकार इन देशों में और सीमा के पार होने वाली गतिविधियों पर भी बराबर निगाह रख रही है ।

(ख) कनाडा में एक व्यक्ति को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि उसके पास ऐसा प्रतिबंधित हथियार था जो लोक शांति के लिए खतरनाक हो सकता था। उस पर 4 सितम्बर, 1985 से मुकद्दमा चलाया जाने वाला है। एक अन्य व्यक्ति को जिस पर उग्रवादी होने का संदेह है, जनवरी, 1985 में वेनकूवर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और तब से वह आश्वासन प्राधिकारियों के आदेश पर जेल में है।

हरियाणा के मुख्यमन्त्री की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में अमरीका में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति की प्रधानमन्त्री की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में भी तलाश थी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों से जनमत संग्रह

4320. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1985 के जनसत्ता हिन्दी समाचार-पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान के जनरल जिया ने काश्मीर के लोगों से जनमत संग्रह करने का प्रश्न उठाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

पाकिस्तान की अखबारों की खबरों के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 16 जुलाई, 1985 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छत्तर में सार्वजनिक सभा में तथा कथित कश्मीर के मसले का उल्लेख किया।

(ख) कश्मीर के बारे में सरकार का दृष्टिकोण सुविदित है और कई अवसरों पर साफ-साफ शब्दों में बता दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर का समूचा प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और एक ही मसला जिसका समाधान किया जाना शेष है, वह है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय प्रदेश को खाली करना।

निर्गुट आन्दोलन के नए अध्यक्ष का चुनाव

4321. **श्री श्रीहरि राव** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्गुट आन्दोलन का नया अध्यक्ष चुनने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो निर्गुट आंदोलन के अगले अध्यक्ष के बारे में कब निर्णय किया जाएगा;

(ग) क्या कुछ नामों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ): नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में इस बात पर गौर किया गया था कि अधिकांश सदस्य देशों ने अपनी यह इच्छा जाहिर की थी कि ईराक आठवें शिखर सम्मेलन का कार्यस्थल बनाया जाए लेकिन इस मामले पर अन्तिम निर्णय लुआंडा मन्त्री-स्तरीय बैठक तक स्थगित कर दिया गया था। हाल ही में इराक ने अपनी उम्मीदवारी वपिस ले ली है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अगले शिखर सम्मेलन के कार्यस्थल पर निर्णय लुआंडा, अंगोला में 4 से 7 सितम्बर, 1985 तक होने वाली गुट-निरपेक्ष देशों की आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक में लिए जाने की उम्मीद है। तीन देशों अर्थात लीबिया, अरब जमाहीरिया, सीरियाई अरब गणराज्य तथा कोरियाई लोकतांत्रिक जन गणराज्य ने आठवां शिखर-सम्मेलन अपने देश में आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की थी। आन्दोलन के सदस्यों द्वारा अनौपचारिक रूप से अन्य सम्भावनाओं का सुझाव भी दिया गया है। भारत इस विषय पर गुट-निरपेक्ष देशों के साथ चल रही बातचीत में सक्रिय भाग ले रहा है।

मिलान (इटली) में वाणिज्य दूतावास खोलना

4323. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-इटली के बढ़ते हुए व्यापार सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मिलान (इटली) में वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। मिलान (इटली) में प्रधान कोंसलावास खोलने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया गया है।

(ख) मिलान में हमारी प्रस्तावित उपस्थिति का उद्देश्य इटली के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों को मजबूत करना है। मिलान इटली का वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्र है तथा यूरोप के सबसे बड़े व्यापारिक बैंकों और व्यापार मेला केन्द्र में से एक है। प्रस्तावित प्रधान कोंसलावास के कर्मचारी ढांचे तथा अन्य ब्योरों के बारे में इस समय विचार किया जा रहा है।

ओलम्पिक खेलों के लिए दिल्ली को नया रूप देना

4324. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को नया रूप देने का है ताकि वह आग.मी ओलम्पिक खेलों की मेजबानी कर सके जिसके लिए भारत एक प्रमुख दावेदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं । आगामी ओलम्पिक खेल 1988 में सियोल में होने के लिए पहले ही आबंटित किए गए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लकड़ी की मांग और पूर्ति

4325. **श्री रेणुपद दास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लकड़ी तथा लकड़ी की बनी वस्तुओं की मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के वन निदेशालय ने हाल ही में इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या निष्कर्ष है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के वन निदेशालय में राज्य में लकड़ी की मांग और आपूर्ति के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया है तथा क्षेत्रगत कार्य के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा कर लिया है ।

(ग) अभी अध्ययन पूरा नहीं हुआ है ।

बिजली के टाइपराइटरों का निर्माण

4326. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 15-20 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के बिजली के टाइपराइटर उपलब्ध थे;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ? जिन्होंने उनका निर्माण किया था;

(ग) पिछले पन्द्रह वर्षों से देवनागरी लिपि के बिजली के टाइपराइटरों के कम उपलब्ध होने के क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार ने देवनागरी लिपि के बिजली के टाइपराइटरों के निर्माण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इन प्रयासों के आधार पर अब तक ऐसे टाइपराइटरों का निर्माण न करने क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ): सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खेल आयुर्विज्ञान में परीक्षण

4327. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खिलाड़ियों तथा खेल प्रशिक्षकों में विज्ञान के बारे में जागरूकता के अभाव तथा खेल अनुसंधान के नये तरीकों की उपेक्षा तथा दक्ष कार्मिकों तथा उपकरणों की कमी के कारण खेल आयुर्विज्ञान में केवल कुछ ही परीक्षण किए जाते हैं;

(ख) देश में उन खेल अथवा अन्य संस्थाओं की संख्या क्या है जिनमें इस विज्ञान के बारे में अनुसंधान किया जाता है;

(ग) सरकार द्वारा खेल औषध के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग): कुल मिलाकर चिकित्सा के विषय के एक भाग के रूप में खेल चिकित्सा विज्ञान देश में अभी तक विकसित नहीं हुआ है और यह सम्भव है कि देश में खेल चिकित्सा में कुछ ही परीक्षण किए जायें। विभाग को ऐसे चिकित्सा कालेजों के संस्थानों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है जहां खेल चिकित्सा पर अनुसंधान किया जा रहा है। तथापि खेल चिकित्सा में अनुसंधान करने के लिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला खेल चिकित्सा सहित खेल विज्ञान संकाय के विकास की प्रक्रिया में है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी स्वामित्व वाले राष्ट्रीय महत्व के भवनों का संरक्षण

4328. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधि-

नियम, 1958 में गैर-सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे भवनों के, जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं संरक्षण के लिए कोई उपबन्ध नहीं है;

(ख) क्या किन्हीं संगठनों या विशेषज्ञों ने अधिनियम में इस आशय के संशोधनों की सिफारिश की है; और

(ग) यदि कोई संशोधन करने का विचार है तो वह क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में उन निजी स्वामित्व वाले भवनों की सुरक्षा की व्यवस्था है जो एक सौ वर्ष से कम नहीं हैं और राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अरब देशों से मृत्यु क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध

4329. **श्री जी० भूपति** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात सहित अरब देशों के साथ इन देशों में कार्य करते समय दुर्घटनाओं में मरने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के सम्बन्ध में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 35 और कामगार क्षतिपूर्ति (धन का अन्तरण) नियम, 1935 के अनुसार दिए जाने वाले मृत्यु क्षतिपूर्ति की धनराशि को प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध कर रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान कितने मामलों में इस प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की गई और मृतक कामगारों के आश्रितों को दी गई;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी अरब देशों के साथ इस प्रकार के प्रबन्ध की आवश्यकता महसूस करती है; और

(घ) सरकार ऐसे मृतक व्यक्तियों के आश्रितों की किस रूप में सहायता कर रही है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) मुआवजा नियोजन के देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार दिया जाता है। यह मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को ही दिया जा सकता है जिनका सुनिश्चय करने के लिए भारत के न्यायालय के समुचित प्राधिकारियों द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए विदेशों के साथ किसी औपचारिक समझौते की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि 1923 के श्रमिक मुआवजा अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत व्यवस्था है, श्रमिकों के मुआवजे की राशि के लिए नियम

बनाए हैं और श्रमिक मुआवजा (धन का हस्तांतरण) नियमावली, 1935 के रूप में लागू है और मुआवजा प्राप्त होने पर समुचित कानूनी उत्तराधिकारियों को तदनुसार किया जाता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है। एकत्र होते ही इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) : नियोजन के देश में स्थित सम्बद्ध भारतीय मिशन मृतक भारतीय उत्प्रवासियों के मुआवजे के सिलसिले में संबद्ध स्थानीय प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई करता है। यह एक श्रमसाध्य और समय साध्य प्रक्रिया है। सरकार यह व्यवस्था करने पर विचार कर रही कि अगर अरब देशों को स्वीकार्य हो तो उत्प्रवासी से उसका नामांकन पत्र और कार्य संविदा उत्प्रवासी संरक्षक के पास ही जमा करवाए जाएं। उम्मीद है कि इससे मुआवजा लेकर उसे अदा करने में बहुत कम समय लगेगा।

भारत महोत्सव के लिए कलाकारों का चयन

4330. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस और अमरीका में हाल ही में आयोजित भारत महोत्सव के लिए राज्यो से प्रतिनिधियों के चयन के मामले में राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) विभिन्न राज्य सरकारें और प्रदर्शन कलाओं से सम्बन्धित राज्य संस्थाएं, जो संगीत नाटक अकादमी और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के निकट परामर्श से कार्य करती है, से उत्सव कार्यक्रमों के लिए कलाकारों के चयन के मामले में परामर्श किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी अनुसूची के अन्तर्गत मणिपुर में स्वायत जिला परिषदों की स्थापना

4331. **प्रो० मिजिनेलंग कामसन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत अब तक कितनी स्वायत जिला परिषदें स्थापित की गई हैं और इस स्थापना का वर्षवार, राज्यवार और जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष के लिए स्वायत्त जिला परिषद की मांग मानने के लिये शर्तें और मानदण्ड क्या-क्या हैं; और

(ग) छठी अनुसूची के अन्तर्गत मणिपुर के पहाड़ी जिलों में स्वायत जिल परिषद की मांग के जवाब में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) संविधान के निर्माताओं ने असम, मेघालय और मिजोरम (मूलत: अविभाजित असम के हिस्से) में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के शासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदें बनाना आवश्यक समझा ताकि उनको स्वायत्तता दी जा सके। आदिवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए त्रिपुरा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर छठी अनुसूची लागू करने के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर संविधान की छठी अनुसूची को 1984 में संशोधित किया गया था।

(ग) इस सम्बन्ध में मणिपुर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

संविधान की छठी अनुसूची के अधीन स्थापित स्वायत्त जिला परिषदें

क्रम सं०	स्वायत्त जिला परिषद का नाम	राज्य	स्थापना का वर्ष
1.	करबी-अंगलोंग स्वायत्त जिला परिषद	असम	1952
2.	उत्तरी कछार स्वायत्त जिला परिषद	असम	1952
3.	लखेर स्वायत्त जिला परिषद	मिजोरम	1972
4.	पावी स्वायत्त जिला परिषद	मिजोरम	1972
5.	चकमा स्वायत्त जिला परिषद	मिजोरम	1972
6,	खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद	मेघालय	1952
7.	जैन्तिया पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद	मेघालय	1967
8.	गारो पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद	मेघालय	1952
9.	त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद	त्रिपुरा	1985

"जैनेटिक इंजीनियरिंग" और "बायो इलेक्ट्रोनिक्स" में प्रौद्योगिकी

4332. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों का जैनेटिक इंजीनियरिंग और बायो इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो सकें; और

(ख) यदि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है तो इस उद्देश्य की इस सदी के अन्त तक इन क्षेत्रों में विश्व में आगे रहने अथवा कम से कम बराबर रहने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उपयुक्त प्रौद्योगिकी में समन्वय तथा तेजी लाने के लिए 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड (नेशनल बायो टैक्नोलोजी बोर्ड) स्थापित किया गया। इस बोर्ड ने अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए प्राथमिकता प्राप्त थ्रस्ट क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया है और एकीकृत मानव-शक्ति विकास और प्रशिक्षण के गहन कार्यक्रम स्थापित किए हैं तथा विकास के लिए अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के क्षेत्रों का पता लगाया है। सदस्य अभिकरण और बोर्ड देश में सभी मुख्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान और विकास संस्थाओं में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। द्विपक्षी और बहु-पक्षी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से बहु-सांस्थनिक अनुसंधान कार्यक्रम, विशेषकर विकसित नई प्रक्रियाओं को स्केल-अप करने के लिए, ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञ परामर्श व्यवस्थाएं उपलब्ध करा कर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलापों को सहायता प्रदान की जा रही है। नई प्रौद्योगिकियों में औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जा रही है। कार्यशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास संस्थाओं और औद्योगिक घरानों के बीच निकट की अन्योन्यक्रिया चल रही थी, उसके परिणामस्वरूप जैव प्रौद्योगिकी में कुछ अग्रणी उद्योगों को अनुसंधान और विकास कार्यकलाप स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया है। यह बोर्ड सहयोग और प्रौद्योगिकी-स्थानान्तरण के लिए विदेशों में अग्रणी अनुसंधान और विकास संस्थाओं का अभिनिर्धारण करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है जिनकी भारतीय शैक्षिक और औद्योगिक संस्थाओं के साथ अन्योन्यक्रिया हो सकती है।

(ख) छठी योजना की अवधि के दौरान जो उपाय शुरू किए गए हैं उन्हें 7वीं और 8वीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा और सुदृढ़ किया जाएगा। इनके माध्यम से इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का उद्योगों द्वारा समाज के लाभ के लिए और जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए बड़े पैमाने पर दोहन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से यह आशा की जा सकती है कि इस शताब्दि के समाप्त होते-होते यह देश स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्रों में अपनी बहुत-सी विकट समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास कर चुका होगा और वस्तुतः वह इस स्थिति में हो सकता है कि वह अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी प्रौद्योगिकी और जानकारी का आदान-प्रदान कर सके।

सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित संस्थाओं आदि को सहायता

4333. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणी** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों में लगी संस्थानों, प्रतिष्ठानों और समितियों को सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो सहायता देने के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) सहायता देने के लिए क्या प्रतिक्रिया निर्धारित की गई है;

(घ) वर्ष 1984 और 1885 के दौरान भारत के विभिन्न भागों में इस प्रकार की विभिन्न संस्थानों आदि को कितनी राशि दी गई है; और

(ङ) गुजरात में ऐसे संस्थानों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें वर्ष 1984 और 1985 में 30 जून, 1985 तक सहायता दी गई थी, और उनमें से प्रत्येक संस्थान को कितनी राशि मिली है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां, विभिन्न उद्देश्यों के लिए भवन एवं उपस्कर उत्पादन, अनुरक्षण एवं स्थापना, पुस्तकालय एवं प्रलेखन और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान के संचालन एवं लोक पुस्तकालयों, संग्रहालयों के अनुरक्षण तथा पाण्डुलिपियों के संरक्षण के लिए, सांस्कृतिक कार्यकलापों में संलग्न पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) विभिन्न संस्थानों को क्षेत्र में उनके योगदान, अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान/चन्दा एवं क्षेत्र में मौजूदा सुविधाओं आदि के आधार पर सहायता दी जाती है।

हर वर्ष सामान्यतः राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र एवं संबंधित राज्य अकादमी अथवा कुछ योजनाओं के लिए विज्ञापन के माध्यम से पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थानों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तथापि इस क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा वाले उत्कृष्ट संस्थानों से भी सीधे ही आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं और योग्यता के आधार पर उन पर विचार किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति, जो इसी उद्देश्य के लिए गठित की गई है, की सिफारिशों के आधार पर आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है।

(घ) 1984-85 के दौरान विभिन्न संस्थानों को 178.10 लाख रुपये की राशि दी गई है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना का नाम	संस्था का नाम	राशि
1	2	3
सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान देने की योजना	1. कादंब कत्थक नृत्य स्कूल, अहमदाबाद	6,250/- रु०

1	2	3
	2. श्री भारतीय संगीत उत्तेजक मंडल, गोलशेरी पाटन-384265	5,000/- रु०
	3. राष्ट्रीयशाला मनहर प्लाट, राजकोट	32,500/- रु०
	4. दर्पण प्रदर्शन अकादमी, अहमदाबाद	18,750/- रु०
नृत्य नाटक मण्डलियों आदि को वित्तीय सहायता की योजना	1. दर्पण प्रदर्शन कला अकादमी, अहमदाबाद	2,80,000/- रु०
	2. कादंब कत्थक नृत्य स्कूल, अहमदाबाद	20,000/- रु०
संस्थानों/संस्थाओं/ सांस्कृतिक कार्यकलापों में संलग्न सोसायटियों को वित्तीय सहायता एवं अनुसंधान सहयोग की योजना	1. श्रेयस कला केन्द्र अम्बावादी, अहमदाबाद	10,000/- रु०
सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता की योजना।	1. गुलाबचंद तलाकचंद सेठ पुस्तकालय, सरदार सामरक भवन, राजकोट	9,000/- रु०
	2. गुजराती साहित्य परिषद द्वारा प्रबंधित चिम्मनलाल मंगलदास पुस्तकालय, आश्रम रोड, अहमदाबाद।	10,000/- रु०
	3. श्रीमत तातेसिंहराव सार्वजनिक पुस्तकालय, पाटन (उत्तर गुजरात)	10,000/- रु०
	4. बागरा युवक मंडल सार्वजनिक पब्लिक पुस्तकालय वागरा, भरौंच	5,000/- रु०

1	2	3
	5. श्री सूर्यपुर संस्कृत पाठशाला मंडल संचालित सार्वजनिक पुस्तकालय, आमलीराम, सूरत	15,000/- रु०
	6. पारेख वल्लभराम हेमचंद सामान्य पुस्तकालय, विषनगर	15,000/- रु०
पाण्डुलिपियों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना	1. एल०डी० संस्थान अहमदाबाद	1,03,125/- रु०
	2. बी०जे०शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	97,500/- रु०
	3. गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	1,84,872/- रु०
अन्य संग्राहलयों के पुनर्गठन एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना।	1. वेछार,अहमदाबाद	15,000.00/- रु०
	2. नेहरू विकास प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	18,750.00/ रु०
	3. श्रेयस प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	32,500.00/- रु०
	4. श्री गिरधर भाई संग्रहालय, अमरेली गुजरात	6,250.00/- रु०
	5. आरिएंटल संस्थान एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा	13,750.00/- रु०
	6. श्री गिरधर भाई संग्रहालय अमरेली गुजरात (1985-86)	25,000.00/- रु०

भारत के लिए मानव अधिकार आयोग

4334. **डा० श्री विजय रामा राव**
श्रीमती किशोरी सिंह } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नस्ल, रंग, लिंग, जाति और धर्म पर आधारित पूर्वाग्रहों को समूल नष्ट करने के लिए मानव अधिकार आयोग के गठन का विचार प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) : सरकार ने कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टें देखी हैं जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मानव अधिकार आयोग के गठन का सुझाव दिया था। सरकार को वर्तमान पद्धति में उन खामियों की जानकारी नहीं है जिनके संदर्भ में सुझाव दिया गया है। सरकार का विचार है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने गहन अध्ययन के बाद हमारे प्रकृति के अनुकूल संविधान का मसौदा तैयार किया था और इस प्रकार सावधानीपूर्वक बनाई गई पद्धति में संशोधन किए जाने की केवल तब जरूरत होती है, जब उसके लिए अत्यधिक अप्रतिरोध्य कारण होते हैं।

ऊर्जा संयंत्र के लिए एक योजना तैयार करना

4335. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों को बढ़ाने के लिए 1.5 लाख हैक्टेयर कम उपजाऊ भूमि अथवा परती भूमि पर ऊर्जा संयंत्र के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, अन्य बातों के साथ-साथ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए 1.5 लाख हेक्टेयर उप-स्तर की जमीन या बेकार भूमि जहां पर इस समय खेती-बाड़ी का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऊर्जा बागवानी के लिए प्रदान करता है। इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों, सार्वजनिक निगमों तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित कराने का विचार है। ऊर्जा बागवानी के लिए उपयुक्त भूमि की जानकारी राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्राप्त की जाएगी। सातवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

स्त्रोतों का अन्तर

4336. श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव
श्री बी० तुलसी राम
: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त पर होवे वाले खर्च और रक्षा व्यय आदि की सम्भावित वृद्धि से 33,000 करोड़ रुपये का स्रोतों के अन्तर का और अधिक बढ़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसलिए, सातवीं योजना की अंतिम संसाधन स्थिति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना अभी सम्भव नहीं है। लेकिन, वेतन आयोग की रिपोर्ट अथवा रक्षा व्यय में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले किसी अतिरिक्त दायित्व के असर से, योजना के लिए जुटाए जाने वाले संसाधनों के प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है।

केरल में आने वाले पर्यटकों के लिए हेलीकाप्टर सेवा

4337. डा० के०जी० आदियोडी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत ही सुन्दर इदुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे देवीकुलन, अन्नामलाई तार अभ्यारण्य कोवलम समुद्रतट मालमपूजा गार्डन्स, पोनमुडी पहाड़ी केन्द्र केरल में स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटकों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

काकीनाडा को वायुदूत सेवा

4338. श्री गोपाल कृष्ण थोटा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काकीनाडा के लोगों की ओर से इस स्थान को कम से कम इस समय राजामुन्द्री से चलने वाली वायुदूत सेवा से जोड़ने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) : अभी कुछ समय पूर्व में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल, वर्तमान में काकीनाडा तक हवाई सेवा की व्यवस्था करने की वायुदूत की कोई योजना नहीं है ।

सातवीं योजना के प्रारूप का अनुमोदन

4339. **श्री वी० तुलसीराम**
कुमारी पुष्पा देवी } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप से संबंधित दस्तावेज राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अनुमोदन के लिए अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाएगा; और

(ग) क्या परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख) : जी, नहीं । सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा अभी विचार किया जाना है । केवल इसके बाद ही, इसे विचार के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने रखा जाएगा ।

(ग) जी, हां । सभी राज्यों के मुख्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री/प्रशासक राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य हैं ।

लन्दन-दिल्ली सैक्टर में एयर इण्डिया की उड़ान में सीटें

4340. **श्री डी०पी० जडेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन से दिल्ली सैक्टर में एयर इण्डिया की प्रत्येक उड़ान में कितनी सीटें उपलब्ध होती हैं; और

(ख) जुलाई, 1985 में व्यापारी वर्ग द्वारा ग्रहण की जाने वाली सीटों की दर क्या थी और व्यापारी वर्ग को उपलब्ध सीटों के आंकड़े क्या हैं; और उनमें से क्रमशः कितनी सीटें भरी गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एयर इंडिया लंदन और दिल्ली के बीच प्रति सप्ताह सात बोइंग 747 सेवाएं प्रचालित करती है जिनमें से पांच न्यूयार्क से और दो लंदन से शुरू होती हैं और यूरोप के स्थानों से होकर प्रचालन करती हैं। एक बोइंग 747 की सीट क्षमता प्रथम श्रेणी में 16, एग्जीक्यूटिव श्रेणी में 40 और इकोनामी श्रेणी में 321 है। क्योंकि इस सेवा का प्रचालन केवल लंदन-दिल्ली पर ही नहीं होता, अपितु अन्य स्थानों को भी होता है, इसलिए इनका लंदन-दिल्ली सैक्टर पर सीट क्षमता का कोई विशेष सीमांकन नहीं किया जा सकता। तथापि, औसत रूप से, एयर इंडिया लंदन और दिल्ली के बीच प्रति उड़ान 58 यात्री वहन करती है।

(ख) भारत-अमरीका मार्ग पर लंदन-दिल्ली उड़ानें न्यूयार्क से दिल्ली और बम्बई और लंदन से बम्बई तक माल वहन भी करती हैं। जुलाई, 1985 में, भारत में औसत व्यापार (एक्जीक्यूटिव) श्रेणी प्रति उड़ान 28 यात्री रहा है जिससे 70 प्रतिशत अधिभोग दर का पता चलता है। इसी प्रकार, भारत-इंग्लैंड मार्ग पर लंदन-दिल्ली उड़ानें लंदन से बम्बई के लिए और यूरोप के मध्य भागों से बम्बई और दिल्ली के लिए माल वहन भी करती हैं। जुलाई, 1985 में इन उड़ानों पर, भारत में औसत व्यापार श्रेणी वहन प्रति उड़ान 35 यात्री है जो 87 प्रतिशत की अधिभोग दर्शाती है।

जनजाति विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा सातवीं योजना के लिए की गई सिफारिशें

4341. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के जनजाति विकास संबंधी कार्यकारी दल द्वारा आदिवासी विकास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए जनजाति विकास संबंधी कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों की तुलना में इन सिफारिशों में कैसा और क्या अन्तर है और क्या-क्या नई सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जनजाति विकास संबंधी कार्यकारी दल ने जनजातीय उपयोजना के भिन्न-भिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें की हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में चार लक्ष्यों की सिफारिश की गई थी।

(i) गरीबी कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर बढ़ाना।

(ii) औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा को उच्च अग्रता दी जाए।

(iii) शोषण समाप्त करना; और

(iv) पर्याप्त मूल संरचना की व्यवस्था।

सातवीं योजना के दौरान दो नए लक्ष्य जोड़े गए हैं जो निम्न हैं :—

(i) संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रों और समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना है।

(ii) आदिवासी क्षेत्रों के वातावरण के गिरते हुए स्तर में सुधार करना है।

(ग) 1985-86 के लिए मसौदा आदिवासी उप-योजना दस्तावेजों और सातवीं योजना 1985-90 पर उन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श किया गया है जो आदिवासी उप-योजना में शामिल हैं। उनको अपने संशोधित अंतिम आदिवासी उप-योजना दस्तावेजों में लक्ष्य और कार्यकारी दल की सिफारिशें निर्गमित करने के अनुदेश दिए गए हैं।

सिक्किम में पर्यटन क्षमता का सर्वेक्षण

4342. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम में पर्यटन क्षमता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) : पर्यटन संभाव्यता सर्वेक्षण सामान्यत: संबंधित राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के सन्दर्भ में कराए जा रहे हैं। सिक्किम की राज्य सरकार ने उस राज्य में ऐसा सर्वेक्षण कराने के लिए अब कारंवाई शुरू कर दी है।

विदेशों में सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन

4343. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किए है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में किन देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या भारत द्वारा इस अवधि के दौरान कुछ देशों में सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन प्रदर्शनियों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारत सरकार ने पांच देशों अर्थात् फिनलैंड, मालदीव, बुरकिना-फासो (अपर वोल्टा) यमन अरब गणराज्य, और वेनजुएला के साथ सांस्कृतिक करार किए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपयों में)

क्र०सं०	प्रदर्शनी का नाम	वह देश जहां लगाई गई है	खर्च की गई राशि
1	2	3	4
1.	"भारतीय हस्तकला" प्रदर्शनी	चीन	62,652-81
2.	समकालीन चित्रकला, संगीत वाद्यों और मुखौटों की प्रदर्शनी	ग्रीस	84,714-98
3.	रामलिगम कृत केलेन्डर कला प्रदर्शनी	कनाडा	219-00
4.	कठपुतली प्रदर्शनी	यू०एस०ए०	340-00
5.	वाई०डब्ल्यू०सी०ए० प्रदर्शनी के लिए भेजी गई अरपना कौर की एक चित्रकला	यू०एस०ए०	2,097-00
6.	रीनी धूमल द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी	चिली	922-00
7.	भारतीय समकालीन चित्रकला प्रदर्शनी	यू०एस०एस०आर० आस्ट्रिया	26,850-00
8.	कार्टून प्रदर्शनी	आस्ट्रिया	—
9.	सोनिया दीम्बलाकृत कलाकृतियों की प्रदर्शनी	यू०के	26,627-50
10.	गीता वधेरा कृत चित्रकला प्रदर्शनी	फ्रांस, इटली, अ०सं०म०	26,001-00

1	2	3		4
11.	रवीन्द्रनाथ टैगोर की मूल कृतियों की प्रदर्शनी	सिंगापुर, मलेशिया		1,40,808-00
12.	अर्पणा कौर कृत चित्रकला प्रदर्शनी	स्वीडन		23,139-00
13.	वाई०डी०डियोलालीकर कृत चित्रकला प्रदर्शनी	यू०के०		3,844-00
14.	रामचन्द्रन और सरोज पाल गेगी कृत चित्रकला प्रदर्शनी	फ्रांस		20,364-00
15.	"इण्डियन प्रिन्ट मेकिंग टुडे-1985" रेखाचित्र कला प्रदर्शनी	फिनलैण्ड		3,791-00
16.	दूसरी एशियन द्विवार्षिक कला में भाग लेने की प्रदर्शनी	बंगलादेश	लगभग	70,000/-
17.	भारतीय समकालीन चित्रकला प्रदर्शनी	अल्जीरिया	लगभग	50,000/-
18.	भारतीय समकालीन कला प्रदर्शनी	क्यूबा	लगभग	31,000/-
19.	'तंत्र' कला प्रदर्शनी	ज०सं०ग०		2,17,317-50
20.	आधुनिक भारत चित्रकला प्रदर्शनी	जापान		4,80,186-00
21.	नन्दलाल बोस और टैगोर की तीन चित्रकला प्रदर्शनी	जापान		40,855-10
22.	नन्दलाल बोस की 125 कृतियों की प्रदर्शनी	चीन		1,72,382-71
23.	भारतीय कला प्रदर्शनी	जापान		—
24.	भारतीय सज्जा कला प्रदर्शनी	सोवियत रूस		1,98,652-00

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं में वरिष्ठ उच्च अधिकारियों के पद भरना

4341. श्री मूल चंद डागा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवादों से बचने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रयोगशालाओं में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं में वरिष्ठ अधिकारियों के कितने पद नहीं भरे गए और कितनी अवधि के लिए नहीं भरे गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) प्रयोगशालाओं में निदेशकों के वरिष्ठ पदों का चयन समितियों द्वारा किया जाता है, जिनका गठन सोसाइटी के विनियमों में दिए गए नीति निर्देशनों के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के उपाध्यक्ष की स्वीकृति से होता है और प्रधान मन्त्री जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, की स्वीकृति से नियुक्तियां की जाती हैं।

(ख) सितम्बर, 1983 से अगस्त 1985 के दौरान निदेशकों के कुल 16 पदों पर नियुक्तियां की गई थीं। निदेशकों के निम्नांकित 3 पद बताई गई तारीखों से खाली हैं :

प्रयोगशाला/संस्थान का नाम	जिस तारीख से खाली है
1. राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	20-10-1984
2. राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर	1-4-1985
3. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूडकी	25-6-1985

इन पदों को भरने के लिए कार्यवाही की गई है।

मलेशिया में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार

4345. श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेशिया में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश

4346. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रतिवेदन में कितनी सिफारिशों का सुझाव दिया गया है;

(ख) उनमें से सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें सारतः स्वीकार की गई हैं;

(ग) सरकार ने राज्यों को स्वीकृत सिफारिशें अपनाने के लिए कब कहा था;

(घ) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में किन-किन सिफारिशों को लागू किया गया है; और

(ङ) अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में किन-किन सिफारिशों को लागू किया गया है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क)से(ङ) : विस्तृत रूप से विश्लेषण करने पर 800 से अधिक सिफारिशें/टिप्पणियां राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा अपने आठ प्रतिवेदनों में की गई हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को पहला प्रतिवेदन 1 जून, 1979 को भेजा गया था जबकि शेष सात (दूसरे से आठवें तक) उनको 31 मार्च, 1983 को भेजे गए थे।

आयोग्य के प्रथम प्रतिवेदन पर जून, 1979 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में ब्यौरे वार विचार किया गया था और सम्मेलन में सिफारिशों के कार्यान्वियन की रूप रेखाओं के सम्बन्ध में काफी सीमा तक सहमति हुई थी जिनमें निम्नलिखित विषय शामिल थे :—

(i) भत्तों सहित कन्सटेबलरी का स्तर;

(ii) कार्य की शर्तें;

(iii) पुलिस आवास;

(iv) पुलिस कार्मिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए तंत्र;

(v) अर्दली पद्धति को समाप्त करना; और

(vi) पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध शिकायतों को जांच-पड़ताल।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों (दिल्ली सहित) से प्राप्त रिपोर्टों सेमालूम होता है कि उनके द्वारा पहले प्रतिवेदन में की गई अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

आयोग्य के शेष सात प्रतिवेदनों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों (दिल्ली सहित) से प्राप्त रिपोर्टों से मालूम होता है कि अधिकतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अधिकांश सिफारिशों की जांच की है और उनमें से कुछ पर अनुकूल कार्रवाई की है तथा कुछ अन्य सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं।

दिल्ली में दहेज विरोधी कक्ष का कार्यकरण

4347. **श्री प्रताप सिंह बघेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दहेज विरोधी कक्ष के कार्यकरण का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि बहुत सी शिकायतें दुल्हों और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करने के दुराभाव के साथ की जाती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की शिकायते "दीवानी न्यायालय" में मुकदमा दायर करने के बावजूद भी दर्ज की जाती हैं और उनकी जांच की जाती है;

(घ) क्या इस कक्ष को उन शिकायतकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो दुल्हों और उनके परिवार वालों को परेशान करने के लिए दुराभाव के साथ शिकायतें दर्ज कराते हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन शक्तियों के न होने के कारण दुल्हा पक्ष को "कक्ष" से कोई न्याय नहीं मिल सकता, चाहे निसन्देह यह प्रमाणित हो जाए कि शिकायत पूर्णत: निराधार थी और दुराभावना के साथ की गई थी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। फिर भी भी, कुछ मामलों में आरोपों की पूरी तरह पुष्टि नहीं होती।

(ग) जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है उसका आपराधिक दायित्व मालूम करने के लिए शिकायतों पर कार्यवाई की जाती है। दोनों के निवारण की विधियां पूर्णत: परस्पर अलग-अलग नहीं हैं।

(घ) दहेज विरोधी कक्ष को झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भा० दं० सं० की धारा 182 के अधीन कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय फुटबाल संघ को अनुदान

4348. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय फुटबाल संघ को कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है;

(ख) इस प्रकार का अनुदान किस प्रयोजन के लिए दिया गया था;

(ग) क्या सरकार ने संघ के लेखे की लेखा परीक्षा करवाई है;

(घ) क्या जिस प्रयोजन के लिए अनुदान दिया गया था उसका उसी पर खर्च किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार से संघ के लेखों की लेखा परीक्षा करवाने की प्रत्याशा नहीं की जाती है। दूसरी ओर पंजीकृत सोसाइटी के रूप में संघ से स्वयं नियमित रूप से अपने लेखे परीक्षित करवाने की प्रत्याशा की जाती है।

(घ) जी, हां,।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

	राशि	प्रयोजन
	1	2
1982-83	35,902	8-10-82 से 23-10-82 तक कांठमाडू में हुई 23 वीं एशियाई युवा फुटबाल प्रतियोगिता में

	1	2
		भाग लेने के लिए फुटबाल टीम की यात्रा लागत ।
1983-84		
1984-85	18001 50	12-11-1984 से 25-11-1984 तक दिल्ली में हुए फुटबाल प्रशिक्षण शिविर ।

डोरनीयर एयर क्राफ्ट के संबंध में भारत, पश्चिमी जर्मन करार

4349. **श्री माधव रेड्डी : पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डोरनीयर एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए पश्चिम जर्मनी के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस एयरक्राफ्ट की कौन सी विशेषताओं के कारण सरकार ने इसे लेने का निर्णय किया है तथा इसकी क्या कीमत है;

(ग) क्या यह करार औद्योगिकी स्थामान्तरण के विचार से किया गया है जिससे इस विमान का धीरे-धीरे भारत में ही निर्माण होने लगेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) करार के अन्तर्गत कुल कितने एयरक्राफ्ट लिए जायेंगे तथा उनको प्राप्त करने का कार्यक्रम किस प्रकार से है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) : सरकार ने नवम्बर, 1983 में पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स डोरनियर गम्बिट से दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें एक समझौता विमानों की आपूर्ति के लिए तथा दूसरा डोर्नियर विमानों के तकनालोजी लाइसेंस उत्पादन के हस्तांतरण के लिए हैं।

समझौते के अनुसार, 10 विमानों का उड़न योग्यता स्थिति में आयात किया जाना है; उपरोक्त में से चार विमान जिनके वर्ष 1984-85 के दौरान प्राप्त होने का कार्यक्रम था पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। अन्य चार विमान वर्ष 1985-86 के दौरान डिलीवर कर दिए जायेंगे तथा शेष इसके बाद ।

जहां तक लाइसेंस प्राप्त करके विमानों का उत्पादन किए जाने का संबंध है समझौते की प्रावस्था I में मुख्य आयातित हिस्सों/पुर्जों से विमानों का संयोजन करने से लेकर इसके

बाद वर्ष 1988 में प्रावस्था-4 में कच्चे माल से विमानों का उत्पादन किए जाने का विचार किया गया है।

कम प्रचालन लागत के अलावा, उड़ान मूल्यांकन के दौरान अर्थात् कम स्थान से प्रस्थान करने तथा कम स्थान पर अवतरण करने, एक इंजिन के चालू रहने पर कार्य निष्पादन और अधिक ऊंचाई के लिए उन्नति तकनीकी विंग, कम ड्रैग पर किए गए कार्य-निष्पादन के आधार पर इस विमान का चयन किया गया है।

वर्तमान मूल्य स्तर पर 15 सीटों वाले मूल डोर्नियर विमान की उड़ान एकक लागत 4:356 मिलियन डी मार्क तथा (19 सीटों वाले) विमान की लागत 4.838 मिलियन डी मार्क है।

दिल्ली-श्रीनगर-लेह और दिल्ली-चंडीगढ़-लेह उड़ानों में विलम्ब

4350. **श्री पी० नामग्याल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली-श्रीनगर-लेह और दिल्ली-चंडीगढ़-लेह उड़ानें नवम्बर, 1984 से 30 जून, 1985 के दौरान दिनांकवार कितनी बार निर्धारित समय से नहीं चलाई जा सकीं और उक्त अवधि के दौरान कितनी बार रद्द की गई उड़ानों के स्थान पर स्थानापन्न उड़ानें अगले दिन उपलब्ध कराई गईं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ानें न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रद्द की गई उक्त उड़ानों के सभी यात्रियों के लिये हवाई अड्डों पर अर्थात् दिल्ली-चंडीगढ़, श्रीनगर और लेह में होटल आवास की व्यवस्था की गई थी और यदि हां, तो प्रत्येक हवाई अड्डे पर अलग-अलग कितनी धन-राशि खर्च की गई और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) इन उड़ानों को मुख्य: प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण रद्द करना पड़ा।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने सभी यात्रियों का सभी स्टेशनों पर उनकी हकदारी के अनुसार, उन्हें नियमों के अतर्गत 24 घंटे की होटल आवास की सुविधा उपलब्ध कराई थी। लेह में होटल आवास पर 1,95,420 रुपये की राशि खर्च की गई थी। अन्य स्टेशनों पर खर्च की गई राशि के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं।

विवरण

महीना	क्षेत्रक चण्डीगढ़-लेह-चण्डीगढ़ उड़ान अधिसूचित दिनांक	कुल	उड़ान रद्द करने की तारीख	कुल	अतिक्त उड़ान विस्तृत तारीखें	कुल	रद्द की गई अतिरिक्त उड़ानें	क्षेत्रक श्रीनगर-लेह-श्रीनगर उड़ान अनुसूचित तारीख	कुल	ईड़ान रद्द करने की तारीख	कुल	अतिरि त उड़ान की विस्तृत तारीखें	कुल	अतिरि त उड़ान रद्द करने की तारीख	रद्द करने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
नवम्बर, 1984	1,4,8, 11,15, 18,22,25 29,	9	—	—	—	—	—	2,4,7,9,11, 14,16,18,21, 23,25,28,30,	13	—	—	—	—	—	
दिसम्बर, 1984	3,6,10 13,17 20,24,27 31	9	10 24 27	3	—	—	—	2,5,7,9,12 14,16,19,21 23,26,28,30	13	5,7 9,12 26,30	6	6,8,11 15,18	5	8	खराब मौसम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15	16
जनवरी, 1985	3,7,10, 14,17,21, 24,28,31,	9	3,31, आई एक्स सी/ लेह पर 7वीं उड़ान रद्द की गई थी	2	1,5, 8,17,	4	1	2,4,6,9,11, 13,16,18,20 23,25,27,30	13	2,4,6, 18,20 25,27	7	7,19, 26,28	4	—	-वही-
फरवरी, 1985	4,7,11, 14,18,21, 25,18	8	4	1	5	1	—	1,36,8,10, 1,3,15,17,20 22,24,27,	12	20	1	21	1	—	-वही-
मार्च, 1985	4,7,11, 14,18,21, 25,28	8	18,28	2	11,25	2	—	1,3,6,8,10,13, 15,17,20,22, 24,27,29,	14	15,17, 29	3	19,21	2	—	-वही-
अप्रैल, 1985,	1,4,8,11,15,18 22,25,29,	9	4,22	2	1,8 18,23	4	8	2,5,7,10,12, 14,17,19,21, 24,26,28	12	12,14, 19	3	4,16	2	4	खराब मौसम
मई, 1985	2,6,9,13,16,20, 23,27,30,	9	—	—	—	—	—	1,3,5,8,10, 12,15,17,19, 22,24,26,29,31	14	1,10,15, 17,31	5	—	—	—	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
जून, 1995	3,6,10,13,17,20 24,27,	8	17,20	2	—	—	—	2,5,7,9,12 14,16,19,21, 23,26,28,30	13	21	5	22	1	—	-वही-

1. तथापि जब कभी संभव होता है, उसे अगले दिन अथवा जब कभी जितनी जल्दी विमान तथा कर्मीदल उपलब्ध होते थे, अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित की जाती थीं। मई, 1985 के दौरान अपर्याप्त भार गुणक तथा तत्पश्चात्‌ी अनुसूचित उड़ानों पर इसका समंजन कर दिए जाने के कारण कोई अतिरिक्त उड़ान प्रचालित नहीं की गई थी।
2. यह भी पुष्टि की जाती है कि नियमों के अनुसार यात्री (यात्रियों) के अधिकार के अनुसार दिल्ली-लेह-श्रीनगर, चण्डीगढ़ जैसे सभी स्टेशनों पर 24 घंटे होटल आवास की सुविधा प्रदान की गई थी।

देश में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

4351. श्री अमर सिंह राठवा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रमों का विस्तार करने और कार्यक्रम और अधिक स्थानों रर दिखाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) प्रकाश व ध्वनि प्रदर्शनों की कम आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णए किया गया है कि आगे से किन्हीं प्रकाश व ध्वनि कार्यक्रमों की माउन्टिग को सामान्यत: प्रोत्साहित न किया जाए।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में धुआं रहित चूल्हे लगाना

4352. श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में धुआं रहित चूल्हे लगाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी और उसमें से अब तक कितनी खर्च की गई; और

(ग) पश्चिम बंगाल के लिए कितना आबंटन किया गया था और उसमें से मार्च, 1985 तक कितनी धनराशि खर्च की गई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) : छठी योजना की अवधि के दौरान उन्नत प्रकार के चूल्हों पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए 4.34 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया था। छठी योजना के दौरान यह सम्पूर्ण राशि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और सहायक एजेंसियों को दी गयी थी। 14.37 लाख रुपये पश्चिम बंगाल राज्य को दिए गए थे। राज्य सरकार, 31-3-1985 तक की अवधि के लिए 12.17 लाख रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र दे चुका है।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन का विकास

4353. श्री एस० एम० भट्टम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र-प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन प्रस्तावों को शामिल किया गया है या अन्तिम रूप दिया जा रहा है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) क्या विशाखापटनम और भीमली पत्तनम के बीच समुद्र-तट का विकास विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :(क) से(ग) : विभाग के पास सांतवीं योजना में आंध्र प्रदेश में अवस्थित पर्यटक केन्द्रों को शामिल करते हुए, पर्यटक केन्द्रों पर आधार-संरचना के विकास के लिए कई स्कीमें हैं। विभाग ने राज्य सरकार से राज्य की सीमावर्ती कोस्टल लाइन पर समुद्रतटों के विकास सहित राज्य में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए स्कीमें/परियोजनाएं प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया है।

विदेशी पर्यटकों को अपर्याप्त यात्रा सुविधाएं

4354. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को उपलब्ध यात्रा सुविधाएं बिलकुल अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विदेशी पर्यटकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) : पर्यटन आधार-संरचना का सुधार करना (परिवहन सुविधाओं को शामिल करते हुए) एक सतत प्रक्रिया है। पर्यटक अभिरुचि के भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर पर्यटकों के लिए प्रदान की जाने वाली परिवहन सुविधा की पर्याप्तता अथवा अन्यथा स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए बजट प्रतिबन्धों और परस्पर प्राथमिकताओं की सीमाओं के अन्तर्गत यथावश्यक कार्रवाई की जाती है।

उड़ीसा के शिमली को पर्यटक केन्द्र घोषित करने का प्रस्ताव

4355. श्री सिद्ध लाल मुरमू : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा की शिमली पहाड़-पहाड़ियों को पर्यटक महत्व का स्थल घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) : सिमलीपाल, विभाग द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करते हुए केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के मिले-जुले संसाधनों द्वारा अवस्थावद्ध विकास के लिए अभिनिर्धारित 20 पर्यटक केन्द्रों में से एक पर्यटक केन्द्र है। विभाग ने सिमलीपाल में एक वनगृह के निर्माणार्थ 36.76 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

विदेशों में भारतीय कला कृतियों की प्रदर्शनियां

4356. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय कलाकृतियों को विदेशों में प्रदर्शनियों आदि में भेजने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) : यह मामला विचाराधीन है।

"इंडियन टेकनीक लैक्स कमर्शियल इन्सटिंक्ट" शीर्षक से समाचार

4357. **श्रीमती किशोरी सिंह**
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 30 जुलाई, 1958 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि अनुसंधान निष्कर्षों के वाणिज्यिक विकास के अभाव मे देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का उनका विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, प्रमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : जी, हां। भारत में अनुसंधान और विकास के परिणामों को कृषि, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में, कोयला पैट्रोलियम और खनिजों के अन्वेषण में, प्रदूषण को कम करने, निर्माण तथा कई किस्म के

रसायनों, औद्योगिक माध्यमों, कृषि पीड़क नाशियों, औषधियों और कृषि सम्बन्धी मशीनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में संतोषजनक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि ऐसा न किया जाता तो इन सामग्रियों या प्रौद्योगिकी के आयात की आवश्यकता होती।

अब सरकारी विभागों और उद्योगों में अनुसंधान के नियोजन और इसके परिणामों के उपयोग में घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

चिलका झील में पक्षी अभ्यारण्य

4358. **डा० सुधीर राय :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिलका झील से गाद निकालने और इसे पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक बृहद् योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य बनाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने चिलका झील के एकीकृत विकास के लिए 8.25 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक मास्टर प्लान (भूमि उपयोग योजना) तैयार करने के लिए यह कार्य नगर व ग्राम आयोजन संगठन को सौंपा है। तथापि, इस योजना में झील से गाद निकालना शामिल नहीं होगा।

(ख) और (ग) : 1973 के दौरान राज्य सरकार ने चिलका झील को पहले से ही संरक्षित वन और एक अभ्यारण्य के रूप में उड़ीसा फारेस्ट शूटिंग रूल्स 1972 के अधीन घोषित किया हुआ है।

राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता का निर्माण

4359. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता के 16 मंजिल भवन के निर्माण का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। तथापि प्रस्तावित

बहुमंजली भवन की मंजिलों की संख्या को राष्ट्रीय पुस्तकाल कलकत्ता के मौजूदा भवन के अनुरूप रखने का मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नक्शा तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कार्यकाल समाप्त होने पर वहीं बसने वाले भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगाना

4360. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों में नियुक्त कर्मचारियों में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहीं बस जाने की प्रवृति पिछले कुछ सालों के दौरान बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रवृति पर रोक लगाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। विदेश स्थित मिशनों में तैनात कर्मचारियों में अपनी कार्य-अवधि समाप्त कर लेने के बाद विदेश में ही बस जाने की प्रवृति इधर के कुछ वर्षों में कम हुई है।

(ख) पिछले दो वर्षों में इस मंत्रालय के प्रशासनिक आचरण और अनुशासन संबंधी नियमों में संशोधन करके सेवा-निवृत्ति, त्यागपत्र और आप्रवासक का दर्जा हासिल करने के आवेदन-पत्रों पर नए प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

[अनुवाद]

ट्रिनिडाड के साथ समझौता

4361. **श्री पी० कुलन्दईवेलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रिनिडाड के प्रधान मंत्री की 29 जुलाई, 1985 को भारत यात्रा के समय ट्रिनडाड और भारत के बीच हुए समझौते का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इलैक्ट्रानिक परमाणु ऊर्जा अथवा किसी भारी उद्योग के बारे में संयुक्त उद्यम की संभावना है; और

(ग) उक्त समझौता भारत के औद्योगिक विकास में कहां तक सहायक होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग): करार में दोनों सरकारों द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान, विशेषज्ञों, विद्वानों और तकनीकी-

विदों के आदान-प्रदान, आपसी हित के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, संयुक्त अनुसंधान के कार्यान्वयन और आपसी सहमति से निर्णीत तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग की व्यवस्था की गई है। विभिन्न क्रियाकलापों के कार्यान्वयन को दोनों सरकारों द्वारा नामित संबंधित संगठन/संस्थाओं के बीच विशेष व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। विशिष्ट कार्यक्रमों का अभी निर्धारण किया जाता है।' इनका निर्धारण दोनों देशों के लिए इन क्रियाकलापों की उपयोगिता के आधार पर किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खर्च की गई राशि

4362. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां यह राशि खर्च की गई है तथा सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख): केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने छठी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्कीमों पर 20·56 लाख रुपए खर्च किए हैं :—

		लाख रुपयों में
1.	क्लब हाउस, मनाली	8.62
2.	गर्म पानी के स्प्रिंग-बाथ के विकास के लिए वशिष्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण	3.25
3.	नौकाओं की व्यवस्था	3.24
4.	मेलों और त्योहारों का संवर्धन	0.50
5.	ट्रेकिंग उपकरणों की व्यवस्था	4.95
		20.56

इंदौर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र की स्थापना

4363. श्री सुभाष यादव
श्री महेन्द्र सिंह } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले लघु इलेक्ट्रानिक एककों को परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्दौर में एक इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण और विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्दौर में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स में लघु औद्योगिक एककों की स्थापना के आवेदन स्वीकृति के लिए सरकार के पास लंबित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अंशांकन, परीक्षण तथा विकास से सम्बन्धित सहायता के क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराकर खासकर लघु एवं मझोले क्षेत्र के उद्योगों को सहायता देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने मानकीकरण परीक्षा तथा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण एवं अंशांकन सुविधाओं का एक देशव्यापी एकीकृत नेटवर्क स्थापित किया गया है। जहां तक अंशांकन का सम्बन्ध है, एक त्रि-सोपानीय ढांचा तैयार किया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र सोपान III स्तर के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं सोपान II स्तर के रूप में, तथा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में प्राथमिक अंशांकन सुविधाएं सोपान I स्तर के रूप में कार्य कर कर रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं, जो आमतौर पर लघु एवं मझोले क्षेत्र के उद्योग समूह के समीप हैं इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्रों को अंशांकन उपस्कर, पर्यावरणीय परीक्षण, सहनशीलता-क्षमता/(मैकेनिकल) यान्त्रिकीय परीक्षण की आवश्यक सुविधाओं और सामान्य प्रयोजन की सहायक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

(ख) जी, नहीं, । इन्दौर में इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, स्थापित करने की अनुमति दी जा चुकी है। इलेट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, इन्दौर के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के साथ और आगे बातचीत कर रहा है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार से समय-समय पर आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं और उन पर उचित कार्रवाई करने के बाद निर्णय किए जाते हैं। इनमें से कुछ आवेदन-पत्रों पर इस समय कार्रवाई की जा रही है और 2 से 3 हफ्तों के बीच इन पर निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कोणार्क में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

4364. **श्री हरिहर सारन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूर्य मन्दिर कोणार्क में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम दिखाए जाने की अनुमति न दिये जाने का आधार क्या था;

(ख) क्या सूर्य मन्दिर कोणार्क में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम शुरू करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा फिर से अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कोणार्क में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम दिखाने की अनुमति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारतीय पुरातत्व-सर्वेक्षण और इसके विशेषज्ञ निकाय, केन्द्र द्वारा परिरक्षित स्मारकों में, जो धर्म-निरपेक्ष स्वभाव के हैं, ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने पर विचार करती हैं। ऐसे कार्यक्रमों में स्मारकों से जुड़ी हुई घटनाओं का विषयानुसार विश्वसनीय अनुक्रमण होना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मन्दिर एक धार्मिक प्रकार का स्मारक है और उसमें घटनाओं का वह अनुक्रमण नहीं है जिसे अनुमति प्रदान करने को न्यायोचित ठहराने के लिए ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम में प्रक्षेपित किया जा सके। इसके अलावा, स्मारक की स्थिति इतनी कमजोर है कि इससे पूर्व कि इस पर ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके, इसका संरक्षण अपेक्षित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तरिक्ष यान छोड़ना

4365. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन द्वारा अन्तरिक्ष यान छोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश किस वर्ष तक अपना अन्तरिक्ष यान छोड़ने में सक्षम हो जायेगा; और

(ग) इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (एस०एल०वी०-3) द्वारा 1980, 1981 और 1983 में 50 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के रोहिणी उपग्रहों के सफल प्रमोचन ने स्वदेशी प्रमोचन क्षमता अर्जित करने में प्रौद्योगिकी विकास के महत्वपूर्ण तत्व की पूर्ति को अंकित किया है। अधिक शक्तिशाली प्रमोचक रॉकेटों की प्रमोचन क्षमता अर्जित करने के लिए एस०एल०वी०-3 एक महत्वपूर्ण अग्रदूत था। संवर्धित उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (ए०एस०एल०वी०) जो कि पृथ्वी की निकट कक्षा में 150 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने की क्षमता वाले बृहत् प्रमोचक रॉकेटों की श्रृंखला में अगला है, की प्रथम विकासात्मक उड़ान के 1986 के प्रारम्भ में होने की संभावना है। पृथ्वी की निकट ध्रुवीय कक्षाओं में 1000 कि०ग्रा० भार की श्रेणी के सुदूर संवेदन उपग्रहों के प्रमोचन की क्षमता वाले अन्य अधिक शक्तिशाली प्रमोचक रॉकेट, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी०एस०एल०वी०) कहा गया है, पर कार्य प्रगति में है। पी०एस०एल०वी० की प्रथम विकासात्मक उड़ान के 1989 में में होने की संभावना है। इन्सैट-श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन की क्षमता वाले अधिक संवर्धित प्रमोचक रॉकेट के लिए योजनाएं हैं। इस प्रकार आज की स्थिति के अनुसार भारत के पास 50 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने की प्रमाणित क्षमता है, जिसे अगले कुछ महीनों में बढ़ाकर 150 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने तक कर दिया जायेगा। भारतीय आवश्यकताओं और उपयोगों के अनुकूल प्रमोचन क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा

4366. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या प्रधान मंत्री वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के बारे में 17 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3350 के उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में चलाये जा रहे विद्यालयों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अथवा इसकी प्रयोगशालाएं/भवन सज्जा सामग्री, अध्यापन कर्मचारियों के वेतन, अध्यापन उपकरणों आदि के रूप में निधि/सहायता/मदद दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा इसकी प्रयोगशालाएं निधि का समुचित उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(ग) क्या सरकार को इन विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन और सेवाओं में असंगति/भाव की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसा बोर्ड गठित करने का है जो अध्यापकों की परेशानियों को देख सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विद्यालयों के लिये भवनों, फर्नीचर और आवश्यक उपकरणों के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस० आई० आर०) द्वारा निधियां (धन) और सहायता प्रदान की जाती हैं। विद्यालयों के प्रबंधक, जो पंजीकृत शिक्षा संस्था या विद्यालय संगठन प्रबंधक समितियां हो सकती हैं, द्वारा कर्मचारियों का वेतन पूरा किया जाता है।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के कर्मचारी जो प्रबंधक समितियों के सदस्य हैं, के माध्यम से प्रबंधक समितियों द्वारा निधियों के उचित उपयोग का उत्तरदायित्व निभाया जाता है।

(ग) जी, नहीं। शिक्षकों पर संबंधित सोसाईटियों की सेवा शर्तें लागू होती हैं।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बेदखलियां

4367. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी संख्या में लोगों को, विशेषत: निर्धन वर्गों को उनके द्वारा किये गये अतिक्रमणों से हटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में इस प्रकार के कितने अतिक्रमणों को हटाया गया;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्व अधिकारियों ने अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही के दौरान महिलाओं पर अत्याचार किये थे;

(घ) क्या इस प्रकार की कार्यवाही करने से पहले काउन्सलर से परामर्श किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या वर्ष 1978 से पहले अतिक्रमण करने वालों को बेदखल किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख): अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने कहा है कि संघ शासित क्षेत्र में 895

अतिक्रमणों को हाल में हटाया गया है। हटाये गए अतिक्रमणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(i) पोर्ट ब्लेयर नगर क्षेत्र	—	229
(ii) पोर्ट ब्लेयर तहसील (नगर क्षेत्र से बाहर)	—	163
(iii) फेरारगंज	—	503

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) काउन्सलर (राजस्व) को सूचित किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी नहीं, श्रीमन्। केवल 1978 के बाद के अतिक्रमणों को हटाया गया है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पर खर्च की गई धनराशि

4368. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइब्रेरी बोर्ड को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में 4.75 लाख रुपये का अनियमिततापूर्ण खर्च किये जाने के एक मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने एहतियात के तौर पर और जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने मरम्मत और सेन्ट्रल लाइब्रेरी भवन निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों के ठेके की उपेक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) : 1984-85 के दौरान दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन के नवीकरण के लिए 4.75 लाख रु० का खर्च हुआ था। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा शीघ्र ही लेखा परीक्षा करने की आशा है। इनका कार्य पूरा होने तक यह कहना सम्भव नहीं है कि इस कार्य को करने में कोई अनियमितता हुई थी।

(ग) और (घ) : जी नहीं, 1984-85 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 2.35 रुपये का ठेका दिया गया था।

दिल्ली में हुए दंगों के शिकार व्यक्तियों का पुनर्वास

4369. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत नवम्बर में हुई हिंसा से प्रभावित कितने परिवार इस बीच अपने घरों को, जहां से वे भाग आये थे, वापस जा सके हैं;

(ख) उनमें से कितने लोगों को अभी तक उनके घर वापस नहीं दिलाये जा सके हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली प्रशासन ने यह कहते हुए कि परिवारों की वास्तविक संख्या बतलाना कठिन होगा, सूचित किया है कि दिल्ली में नवम्बर, 1984 की हिंसा के बाद विभिन्न परिवारों के लगभग 59,000 व्यक्ति दिल्ली में अपने घरों से राहत शिविरों और पड़ोसी राज्य में चले गए थे। इनमें से लगभग 54,800 व्यक्ति अपने मूल घरों में वापस आ चुके हैं, राहत शिविरों और पड़ोसी राज्यों में अब भी रह रहे शेष व्यक्तियों को अभी लौटना है। सरकार ने उनकी वापसी के लिए सुरक्षा और शांति का वातावरण उत्पन्न किया है और इस संबंध में उसका किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती करने का इरादा नहीं है।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त "क" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उनके घर वापस न करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि दिल्ली प्रशासन ने, मकानों की क्षति/नष्ट होने के संबंध में निर्धारित दर से अनेक दावेदारों को भुगतान किया है। इसके अलावा पुनर्वास उपाय के रूप में प्रभावित अनेक विधवाओं को डी० डी० ए० मकान आवंटित किए गए हैं।

रत्नगिरि में संग्रहालय का निर्माण

4370. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर के समीप रत्नगिरि संग्रहालय का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग दो-तिहाई काम पूरा हो गया है।

उड़ीसा में बृहदाकार-उद्देशीय समितियों का कार्य निष्पादन

4371. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटे व्यापारी और साहूकार आदिवासियों का शोषण करते हैं, वृहदाकार बहुउद्देशीय समितियों से ठीक ढंग से काम करने और अदिवासियों को इस षोषण से बचाने के लिए कहा गया है;

(ख) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में कितनी वृहदाकार बहु-उद्देशीय समितियां हैं;

(ग) क्या ये सभी बृहदाकार बहु-उद्देशीय समितियां आदिवासियों को समर्थन मूल्य देकर और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करके उनसे कृषि खान तथा वन उत्पाद खरीदने के लिए ठीक ढंग से काम कर रही हैं;

(घ) इनमें से कितनी बृहदाकार बहु-उद्देशीय समितियां इस सम्बन्ध में कार्य नहीं कर रही हैं; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 222 वृहद्‌ाकार बहुउद्देशीय समितियां ।

(ग), (घ) तथा (ङ) : कृषि तथा लघु वन उत्पादन प्राप्त करने के लिए टी०डी०सी०सी० उड़ीसा के साथ 36 वृह्‌दाकार बहुउद्देदेशीय समितियां सम्बद्ध की गई हैं । वृह्‌दाकार बहुउद्देशीय समितियाँ अतिरिक्त कृषि उत्पादन, लघु वन उत्पादन का लेन-देन करती हैं और आदिवासियों को उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति करती हैं । छठी योजना के दौरान 1982-83 तक इन तीन मदों में व्यापार की कुल मात्रा लगभग 26 करोड़ रु० थी । कुछ वृह्‌दकार बहुउद्देशीय समितियों को संगठनात्मक और वित्तीय दोनों प्रकार से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

सेवा-मामलों पर कानून

4372. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर एक विधेयक लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले पर क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उच्चतम न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों द्वारा सेवा-मामलों पर दिये गये विनिर्णयों को सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किये जाने से बचाने के लिए संरक्षण हेतु अनिवार्य नियम के रूप में मानने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राष्ट्रपति में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए विभिन्न सांविधिक नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होती हैं। चूंकि इन नियमों तथा विनियमों का स्वरूप सांविधिक है अतः इनमें कानूनी बल हैं तथा ये वादयोग्य हैं। परिणामस्वरूप, सेवा नियमों तथा विनियमों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्वचनों तथा विनिर्णयों को इन नियमों तथा विनियमों को लागू करते समय हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

वालीबाल के प्रशिक्षार्थियों के साथ किया गया बर्ताव

4373. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वालीबाल के किसी प्रशिक्षक ने इन्दिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में वाली-बाल के प्रशिक्षार्थियों के साथ किये गये बर्ताव पर असंतोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : वालीबाल प्रशिक्षक ने अन्य बातों के साथ-साथ रोशनी व्यवस्था, उपस्कर की उपलब्धता, आदि के बारे में कुछ संचालन सम्बन्धी कठिनाइयां व्यक्त की थीं। भारतीय खेल प्राधिकरण, जो इन्दिरा गांधी स्टेडियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, से ऐसी कठिनाइयों पर ध्यान देने के लिए अनुरोध किया गया है।

"कनाडा पोलिसिंग टेरर पाकेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4374. **श्री जितेन्द्र प्रसाद**
श्री बृजमोहन महन्ती } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1985 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "कनाडा पोलिसिंग टेरर पाकेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि कनाडा सरकार भारतीय मूल के आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या सरकार को कनाडा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) कनाडा की सरकार ने कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के विरुद्ध कानूनी कदम उठाये हैं और यह आश्वासन दिया है कि वह कनाडा में आतंकवादियों को कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिऐ हर सम्भव प्रयास करेगी।

(ख) भारत सरकार सभी विदेशी सरकारों से, जिसमें कनाडा की सरकार भी शामिल है, यह चाहती है कि वे आतंकवाद का विरोध करने के लिए उचित कार्रवाई करें।

मकबूल हुसैन शाह का पाकिस्तान भाग जाना

4375. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पर तस्करी करने और पाक-जासूसी काण्ड का मुख्य अभियुक्त मकबूल हुसैन शाह हाल ही में अपने परिवार के साथ काश्मीर सीमा से पाकिस्तान भाग गया है;

(ख) क्या हाल ही में मकबूल हुसैन शाह को 19 अन्य लोगों के साथ राजौरी मेंढर सीमा क्षेत्र से पुंछ पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था;

(ग) क्या उसके पाक अधिकृत काश्मीर में भाग जाने की परिस्थितियों की एक उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पुलिस अधिकारी को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी०चव्हाण) : (क) से (घ) : जम्मू और काश्मीर से प्राप्त सूचना के अनुसार, श्री मकबूल हुसैन शाह को प्रारम्भ में जम्मू और कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था लेकिन बाद में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत 21-6-1984 को रिहा कर दिया गया था। उसकी बाद में पूछताछ के लिए पुलिस को जरूरत पडी लेकिन वह भूमिगत हो गया और बाद मे पाकिस्तान चला गया। बताया जाता है कि उसका परिवार पिछले 4/5 वर्षों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहा है। उसके मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है और गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों, यदि कोई हों, के विरुद्ध, जांच पूरी होने के बाद, कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

'मल्टी-एक्सेस रूरल टेलीफोन सिस्टम' का निर्माण

4376. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम 'अप्ट्रॉन' ने माइक्रोप्रोसेसर द्वारा नियन्त्रित मल्टी एक्सेस रूरल टेलीफोन सिस्टम के निर्माण के लिए जापान की फुजित्सू लिमिटेड के साथ कोई तकनीकी करार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि उक्त टेलीफोन प्रणाली का निर्माण करने वाला एकक कहां पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जाएगा और यह कब से उत्पादन कार्य आरम्भ करेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) एकल एवं बहु अभिगामी दूर-संचार प्रणाली के विनिर्माण के उद्देश्य से मेसर्स फुजित्सू लिमिटेड, जापान के साथ विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी निगम (अपट्रॉन) को सशर्त अनुमोदन दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) उक्त टेलीफोन प्रणाली के विनिर्माण के लिए जिस स्थान पर इकाई की स्थापना की जा रही है, वह लखनऊ जिला है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद ही उत्पादन शुरू करने से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध होगें।

फ्रांसीसी कम्पनी जेन माउन्ट-शेनेडर द्वारा भारतीय कम्पनियों को तकनीकी जानकारी

4377. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकेली एक फ्रांसीसी कम्पनी जेन माउन्ट-शेनेडर ने इस संचार के क्षेत्र में 12 विभिन्न भारतीय कम्पनियों को उसके पास उपलब्ध तकनीकी जानकारी देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इन कम्पनियों के विभिन्न मदों का निर्माण किस प्रकार आवंटित किया गया है;

(ग) क्या इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज सम्पूर्ण तकनीक जानकारी स्वयं प्राप्त नहीं कर सकती थी; और

(घ) क्या सरकार कुछ मदों के निर्माण और उनकी सप्लाई के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ सौदे करेगी, यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज फांसीसी जानकारी की मदद से अपने यूनिटों में इनका विकास नहीं कर सकती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) ई०पी०ए०बी०एक्स०/

ई०पी०ए०एक्स० की प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए सरकार द्वारा चुने गए तीन सहयोगकर्त्ताओं में से जेमान्ट स्कर्न डर को एक सहयोगकर्त्ताओं के रूप में चुना गया है। इस कम्पनी के साथ-साथ पार्टियों ने विदेशी सहयोग के प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र :

(1) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड

(2) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड

(3) पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

निजी क्षेत्र :

(1) ब्लू स्टार लिमिटेड

(2) ऊषा कम्प्यूटर्स एण्ड पेरीफरल्स लिमिटेड

(3) एस्कॉर्ट्स लिमिटेड

(4) महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा लिमिटेड

(5) लार्सेन एण्ड टौबरो लिमिटेड

(6) अर्ट्रेल कम्प्यूनिकेशन (प्रा०) लिमिटेड

प्रत्येक कम्पनी को प्रतिवर्ष 50,000 लाइनों की उत्पादन क्षमता आबंटित की गयी है।

(ग) तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन पार्टियों ने प्रस्ताव भेजे हैं उनमें भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड भी शामिल है।

(घ) इस संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि सहयोगकर्त्ताओं के साथ निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा सीधे समझौता किया जाएगा। मैसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड अपनी फैक्टरी में ई० पी० ए० बी० एक्स०/ई० पी० ए० एक्स० का उत्पादन जेमान्ट स्कनीडर की तकनीकी जानकारी से करेगा।

'अवार्ड' से प्रतिबंधित क्षेत्रों के मानचित्रों का पकड़ा जाना

4378. प्रो० मधु दंडवते : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसूचना ब्यूरो 1975/1976 में आपातकाल के दौरान एसोसिएशन आफ वालेंटरी एसोसिएशन फार रूरल डेवलपमेंट के कार्यालय की तलाशी ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या तलाशी के दौरान आसूचना ब्यूरो को सीमा क्षेत्रों के कोई प्रतिबंधित मानचित्र मिले थे;

(ग) यदि हां, तो ये मानचित्र किन क्षेत्रों के थे;

(घ) क्या सरकार ने इनमें से कोई मानचित्र "अवार्ड" को वापस कर दिये थे; और

(ङ) यदि हां, तो कब और किसके आदेश से ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आसूचना ब्यूरो द्वारा ऐसी कोई तलाशी नहीं ली गई है।

(ख) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की पुलिस बल को पुनर्गठित करने सम्बन्धित सिफारिश

4379. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में साम्प्रदायिक दंगों के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता परिषद् ने पुलिस और सहायक सैन्य बलों के पुनर्गठन हेतु सिफारिश की थी ताकि ये बल प्रमुखतः समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिबिम्ब करे;

(ख) यदि हां, तो उस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इन बलों का पुनर्गठन कब तक कर लिया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय एकता परिषद की साम्प्रदायिक सद्भाव संबंधी समिति ने सशस्त्र कान्स्टेबुलरी की रचना के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व हो सके।

संविधान के अधीन "विधि व व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने पुलिस बलों के पुनर्गठन के संबंध में कार्रवाई करें। परन्तु राज्य सरकारों को अपने पुलिस बलों की रचना का पुनर्गठन करने की सलाह दी गई थी ताकि उन्हें व्यापक तथा समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधि बनाया जा सके। राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों से यह संकेत मिला कि वे स्थिति के प्रति सजग हैं और इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रही हैं।

जहां तक अर्ध सैनिक बलों का संबंध है, भारत सरकार ने साम्प्रदायिक और जातीय झगड़ों के संबंध में तैनातगी के लिए राज्यों की सहायता और पीड़ित लोगों को राहत तथा सहायता प्रदान करने हेतु विशेष शांति बल के रम में कार्य करने के लिए 1980 में 3 बटालियनें स्वीकृत की। अप्रैल, 1983 में तीन और बटालियनें स्वीकृत की गई थी।

निर्गुट आंदोलन की बैठक का स्थान

4380. श्री चित्त महाता : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्गुट आंदोलन राजनीतिक बैठक किस तारीख को और किस स्थान पर होगी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 7 सितम्बर, 1985 तक लुआंडा, अंगोला में होगी । इस बैठक में सार्वभौम राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का व्यापक मूल्यांकन और गुट-निरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी । नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के आदेशानुसार लुआंडा मन्त्री-स्तरीय बैठक से यह भी अपील की जाएगी कि वह गुट-निरपेक्ष देशों के आठवें शिखर सम्मेलन के स्थान के बारे में निर्णय लें ।

चीन द्वारा काशी और पाक अधिकृत काश्मीर को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण

4381. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
श्री जगन्नाथ पट्नायक } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी मिली है कि चीन ने उत्तर-पश्चिम जिन्जिग क्षेत्र में पाक अधिकृत काश्मीर के साथ काशी (काश्योर) को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) : सरकार का ध्यान इस आशय की खबरों की ओर दिलाया गया है कि चीन जिनजिआंग प्रान्त के उत्तर-पश्चिम में काशी (काशगर) को पाक-अधिकृत काश्मीर के बीच सम्पर्क कायम करने के लिए काराकोरम हाइवे को बढ़ा रहा है । अभी कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

[हिन्दी]

पारपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रह रहे लोग

4382. श्री एम०एल० झिकराम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान बंगला देश और पाकिस्तान से कितने लोग भारत आये;

(ख) उनमें से कितने लोग पारपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद स्वदेश लौट गये हैं; और

(ग) कितने लोग पारपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप में रह रहे हैं और सरकार ने उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क), (ख) और (ग) : 1984-85 में पाकिस्तान और बंगला देश राष्ट्रिकों का आगमन और प्रस्थान इस प्रकार है :—

	पाकिस्तानी	बंगलादेशी
1984		
आगमन	1,12,835	2,44,226
प्रस्थान	1,27,179	1,94,253
1985 (2/85 तक)		
आगमन	8,933	उपलब्ध नहीं है
प्रस्थान	7,625	उपलब्ध नहीं है

विदेशी नागरिकों का आगमन तथा प्रस्थान एक सतत प्रक्रिया है। यह संभव है कि किसी विशेष वर्ष में जाने वाले व्यक्ति पहले वर्षों में पहुंचे हों। उन सभी पाकिस्तानी तथा बंगला देश राष्ट्रिकों के विरूद्ध विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के अधीन कारंवाई की जाती है, जो अवैध रूप से भारत में ठहरे हुए पाये जाते हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली के निकट एक गांव में सौर ताप ऊर्जा केन्द्र

4383. श्री चिन्ता मोहन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट अछेजा गांव में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से एक सौर ताप ऊर्जा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, यदि हां, तो पूंजी निवेश सहित परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बैल शक्ति के रूप में उपलब्ध प्रचुर ऊर्जा की पूर्णत: उपेक्षा की जा रही है। क्योंकि अत्यन्त उपयोगी हल और बैलगाड़ी का विकास नहीं किया गया है;

(ग) देश में बैलों पर कुल कितना निवेश किया है और उनसे कितना लाभ हुआ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सम्भ्रान्त भारतीय वैज्ञानिकों की इस विषय में रूचि न होने के कारण आस्ट्रेलिया और अमरीका से संबंद्ध तकनीक प्राप्त कर ऊर्जा के इस स्रोत का विकास करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दिल्ली के निकट अछेजा गांव में एक सौर तापीय विद्युत स्टेशन का प्रस्ताव किया गया है। विद्युत संयंत्र के लिए उपकरण हेतु विभाग (टेंडर) प्राप्त हो चुके हैं और परीक्षाधीन हैं। लागत सहित विद्युत संबंध में विस्तृत जानकारी, विद्युत संयंत्र की स्थापना के अंतिम निर्णय के पश्चात् मालूम होगी ।

(ख) जी नहीं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में सरकार बैल (पशु) शक्ति के महत्व के बारे में पूरी तरह से जानकार है। आधुनिकीकरण, सुधार और भारवाही पशु ऊर्जा विकास के लिए विभिन्न सम्भावनाओं की पहचान हेतु इस विभाग में भारवाही पशु शक्ति पर एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है और इस पर कुछ अध्ययन प्रारम्भ किए गए हैं।

(ग) बैलों पर देश-भर में हुए खर्च (लागत) की निश्चित परिमाणवाचक संख्या बताना और उनसे प्राप्त कुल लाभों को बताना संभव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त क्षेत्रों सहित अन्य सभी क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विदेशों के साथ वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान के कार्यक्रमों पर आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जाता है।

"श्री नारायण गुरू जयन्ती" को सरकारी अवकाश घोषित करना

4184. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी अवकाश निर्धारित करने सम्बन्धी वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने प्रस्ताव किया है कि "श्री नारायण गुरू जयन्ती" को सरकारी अवकाश घोषित किया जाये ; और

(ग) क्या सरकार "श्री नारायण गुरू जयन्ती" को गुरूजी की स्मृति में सरकारी अवकाश घोषित करने पर विचार करेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए छुट्टियों की विद्यमान नीति की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) जी, नहीं। केरल सरकार ने श्री नारायण गुरू जयन्ती को केरल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये एक अतिरिक्त सरकारी अवकाश के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

संख्या 9/37/82-जे० सी० ए०

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001 दिनांक 11 नवम्बर, 1981.

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—भारत सरकार के कार्यालयों में 1983 के दौरान तथा उसके पश्चात् मनाई जाने वाली छुट्टियों की नीति के संबंध में।

1981 के दौरान तथा इसके पश्चात् भारत भरकार के कार्यालयों में छुट्टियां मनाये जाने के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/12/80-जे०सी०ए० में यह निर्धारित किया गया था कि केन्द्रीय सरकारी कार्यालय एक कैलेण्डर वर्ष में अधिक-से-अधिक मात्र 16 छुट्टियां मना सकेंगे, जिनमें से 11 छुट्टियां अनिवार्य होंगी, इन ग्यारह छुट्टियों में तीन राष्ट्रीय छुट्टियां अर्थात् गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा महात्मा गांधी जन्म-दिवस, ईद-उ-जुहा मुहरंम, गुड-फ़ाइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-फितर, गुरू नानक जन्म-दिवस, क्रिसमस दिवस, महावीर जयन्ती की छुट्टियां शामिल होंगी। बाकी की 5 छुट्टियों के बारे में हमेशा के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तथा जहां कहीं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियां स्थित हैं वहां उन समितियों द्वारा तथा अन्य स्थानों पर स्थित कार्यालय अध्यक्षों द्वारा अवसरों की स्थानीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से निर्णय किया जाना था। यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि इन 16 छुट्टियों में से कोई छुट्टी रविवार/द्वितीय शनिवार/किसी अन्य छुट्टी के दिन पड़ती है तो इसके बदले में कोई और छुट्टी नहीं दी जाएगी। वैकल्पिक छुट्टियों की पद्धति में, जो कि प्रत्येक वर्ष में दो होती हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था तथा इनका चुनाव कर्मचारियों द्वारा पहले से निर्धारित की गई वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में से किया जाना होता है। ऐसे संगठनों के मामले में जिनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान अर्थात् सचिवालयी कार्य-प्रकृति से भिन्न कार्यालय शामिल हैं, यह उल्लेख किया गया था कि वे भी मात्र 16 छुट्टियां मनाएंगे जिनमें तीन राष्ट्रीय छुट्टियां अनिवार्य होंगी तथा बाकी की 13 छुट्टियां उनकी इच्छा के अनुसार निर्धारित की जा सकेंगी किन्तु एक बार दी गई पसंद वर्ष 1982 में अपनाई गई पद्धति में कोई परिवर्तन किए बिना आगे आने वाले वर्षों के लिए भी लागू होगी।

2. ऊपर उल्लिखित छुट्टी नीति की पुनरीक्षा की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि इस विषय पर पहले के अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, वर्ष 1983 के कैलेण्डर वर्ष से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में निम्नलिखित छुट्टी नीति का अनुपालन किया जायगा :—

(i) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में एक वर्ष में 16 छुट्टियां मनाई जाएंगी।

(ii) इन 16 छुट्टियों में से 13 छुट्टियां जिनमें 3 राष्ट्रीय छुट्टियां अर्थात् गणतंत्र-दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा महात्मा गांधी जन्म दिवस तथा निम्नलिखित 10 अवसर सम्पूर्ण भारत में सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से मनाए जाएंगे :

1. बुद्ध पूर्णिमा
2. क्रिसमस दिवस
3. दीवाली
4. दशहरा (विजय दशमी)
5. गुड फ्राइडे
6. गुरूनानक जन्म दिवस
7. ईद-उल-फितर
8. ईद-उ-जुहा
9. महावीर जयन्ती
10. मुहर्रम

(iii) बकाया तीन छुट्टियां वर्षानुवर्ष के आधार पर निम्नलिखित त्यौहारों में से चुनी जाएं :

1. दशहरा के लिए एक अतिरिक्त छुट्टी
2. होली
3. जन्माष्टमी
4. रामनवमी
5. महाशिवरात्रि
6. गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी
7. मकर संक्रान्ति
8. रथ यात्रा
9. ओणम
10. पोंगल
11. श्रीपंचमी/बसंत पंचमी
12. विशु/वैशाखी

बाकी के नौ अवसर, उपर्युक्त उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अवसरों में से तीन वैकल्पिक छुट्टियां चुनने के बाद, वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में शामिल किए जायेंगे।

(iv) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पहले की तरह, वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में से दो छुट्टियां लेने के भी हकदार होंगे। वैकल्पिक छुट्टियों की ऐसी सूची उपर्युक्त उप पैरा 2 (iii) में यथा निर्दिष्ट बाकी के अवसरों को शामिल करके तथा स्थानीय महत्ता के अन्य अवसरों को भी शामिल करके प्रत्येक वर्ष बनाई जाए।

(v) दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के सम्बंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संबंध में छुट्टियों की सूची जारी की जाएगी तथा

दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के संबंध में जहां कहीं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियां स्थित हैं वहां उन समितियों द्वारा अथवा अवसरों की स्थानीय महत्ता के आधार पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

3. उपर्युक्त सिद्धांत, सचिवालयी स्वरूप के कार्य कर रहे भारत सरकार के कार्यालयों में लागू होगा।

4. केन्द्रीय सरकारी संगठन जिनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल हैं (अर्थात् सचिवालयी कार्य प्रकृति से भिन्न प्रकार के हैं (एक वर्ष में 16 छुट्टियां मनायेंगे जिनमें से तीन अर्थात् गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा महात्मा गांधी जन्म दिवस अनिवार्य छुट्टियां होंगी। बकाया 13 अवसर ऐसे प्रतिष्ठानों/संगठनों द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित किए जायेंगे।

ह०/-
(बट के० डे)
उप सचिव, भारत सरकार

हवाई अड्डों पर लोडरों का वेतन

4385. प्रो० सेफुद्दीन सोज : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी हवाई अड्डों पर लोडरों को समान वेतन मिलता है;

(ख) यदि हां, तो लोडर को प्रतिदिन या प्रतिमास कितना वेतन मिलता है; और

(ग) श्रीनगर हवाई अड्डे पर लोडरों को कितना वेतन मिलता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) यद्यपि एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे पर लोडरों को दी गई रकम भिन्न नहीं है तथापि विभिन्न संगठनों द्वारा दी गई रकम में भिन्नता है।

(ख) और (ग) : लोडर को प्रतिमास दी गई रकम इस प्रकार है :—

इण्डियन एयरलाइन्स (श्रीनगर सहित सभी स्टेशन)	...	1116 रुपए
एयर इण्डिया	...	1050 रुपए
भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	...	911 रुपए
वायुदूत	...	595 रुपए

कुछ विधायकों की नागरिकता

4386. **श्री थम्पन थामस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य विधान सभाओं के अनेक विधायक भारत के नागरिक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन और भारत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो गैर-नागरिकों को राज्य विधान सभाओं हेतु चुने जाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन किसी व्यक्ति के लिए विधान सभा का सदस्य बनने हेतु एक प्राथमिक शर्त यह है कि वह एक मतदाता होना चाहिए। मतदाता बनने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना होगा। इसलिए विधान सभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना होगा।

(ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हजीरा, गुजरात में भारी जल संयंत्र

4387. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण गुजरात में हजीरा में "हाइड्रोजन-सल्फाइड एक्सचेंज प्रोसेस" के प्रयोग से एक नया भारी जल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र के कब तक चालू होने की सम्भावना है; और

(ग) इसकी क्षमता कितनी है और संयंत्र की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलैक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :(क)से(ग) : गुजरात में हजीरा में 110 मीटरिक टन भारी पानी की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक दसा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जो अमोनिया और हाइड्रोजन के विनियम की प्रक्रिया पर आधारित होगा। इस संयंत्र की लागत लगभग 220 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है तथा इसे पूरा होने में संस्वीकृति मिलने की तारीख से लेकर 51 महीनों का समय लगेगा।

कान्हा राष्ट्रीय पार्क का विकास

4388. **श्री अजय मुशरान :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान कान्हा राष्ट्रीय पार्क के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो उसका योजनावार आबंटन किस प्रकार किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1985-86 के लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान केन्द्र सरकार की "बाघ परियोजना" के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 30 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) इस पार्क के लिए 1985-86 के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव अभी इस विभाग को प्राप्त होना है। इस संबंध में वित्तीय सहायता के लिए रखी गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाएगी।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय राजमार्ग तथा वायुदूत सेवा से जोड़ना

4389. **श्री अजय मुशरान :** क्या पर्यटन और नागरिक विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय राजमार्ग तथा वायुदूत सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष तक ऐसा किए जाने की आशा है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यटन नक्शे में जबलपुर जिले के भेड़ाघाट जल-प्रपात और संगमरमर चट्टान को शामिल करना

4390. **श्री अजय मुशरान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर के भेड़ाघाट जल-प्रपात और संगमरमर चट्टान को देश के पर्यटन नक्शे में शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) : भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश में, राज्य, केन्द्र और निजी क्षेत्र के मिले-जुले संसाधनों से, व्यवस्थित विकास के लिए अभिनिर्धारित किए गए पर्यटक महत्व के 25 केन्द्रों में से एक है। फिलहाल, भेड़ाघाट जल-प्रपातों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है। पर्यटक-काल के दौरान संगमरमर की चट्टानों की प्रकाश-सज्जा की जाती है भेड़ाघाट जल-प्रपातों और संगमरमर की चट्टानों को केन्द्र और राज्य पर्यटन विभागों द्वारा निकाले जाने वाले पर्यटक-प्रचार साहित्य में भी प्रचारित किया जाता है।

कटनी में विद्यमान सीमेन्ट कारखानों द्वारा दूषण

4391. **श्री अजय मुशरान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कटनी (जबलपुर जिला) में बड़ी संख्या में सीमेंट कारखानों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने, के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या कटनी में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) कटनी के आसपास में दो सीमेंट संयंत्र प्रदूषण समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।

(ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार, इन संयंत्रों में स्थिर वैद्युत अवक्षेपकों की स्थापना के लिए कदम उठाये गये हैं।

(ग) तथा (घ): अभी तक पर्यावरणीय प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है बहरहाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में इस क्षेत्र में चिमनी उत्सर्जनों तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता का प्रबोधन शरू किया है।

मेघालय और आसाम के बीच सीमा विवाद

4392. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मेघालब और आसाम के बीच सीमा विवाद पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल गठित करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या दल गठित हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो दल के विचारार्थ विषय क्या हैं ?

उद्योग और कंपनीकार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग): उपलब्ध सूचना के अनुसार असम और मेघालय की सरकारें अन्तर्राज्य संवैधानिक सीमा की व्याख्या के प्रश्न को सलाह के लिए संवैधानिक विशेषज्ञों को भेजने के लिए आपस में सहमत हो गई हैं। इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई पर दोनों राज्य सरकारें ध्यान दे रही हैं। परन्तु, इस मामले में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में उनसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

यूरेनियम का संवर्धन

4393. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा प्रजनन हेतु यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कौन-सी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) क्या कोई बेहतर और अधिक मितव्ययी तकनीकी भी हो सकती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अमेरिका के सातवें बेड़े के जहाजों का बन्दरगाहों पर आना

4394. **धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका के सातवें बेड़े का एक जहाज पिछले वर्ष के प्रारम्भ में एक दिन के लिए कोचीन बन्दरगाह पर रुका था ;

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये थे कि किसी विदेशी नौसेना के परमाणु जहाजों को किसी भारतीय बन्दरगाह में आने की अनुमति न देने की बात को सरकार की घोषित नीति के अनुरूप उक्त जहाज परमाणु शक्ति चालित अथवा परमाणु हथियारों से लैस नहीं था ; और

(ग) क्या अमेरिका सातवें बेड़े के एक अन्य जहाज का वर्तमान गर्मियों में मारमा गोआ बंदरगाह पर दुबारा आने का निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण हो गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अमरीका का एक नौ-सैनिक पोत यू.एस.एस. विप्पल 16 से 18 फरवरी, 1984 तक कोचीन में रुका था।

(ख) भारत के किसी पत्तन पर विदेशी नौसैनिक जहाज को आने की इजाजत देने के बारे में सरकार की नीति विदेश मंत्रालय के एक औपचारिक नोट में स्थिर की गई थी जो 17 नवम्बर, 1972 को नई दिल्ली स्थित सभी विदेशी मिशनों को भेजा गया था और जिसमें यह कहा गया था कि "मंत्रालय इन मिशनों का विशेष ध्यान हिन्द महासागर की शांति क्षेत्र के रूप में घोषणा के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 16 दिसम्बर, 1971 के संकल्प संख्या 2822 (XXVI) की ओर आकृष्ट करना चाहता है जिसमें, अन्य बातों के अलावा, बड़ी शक्तियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे हिन्द महासागर के तटवर्ती राज्यों से तत्काल परामर्श करें ताकि हिन्द महासागर से नाभिकीय अस्त्रों और जन-विनाश के अस्त्रों को दूर किया जा सके। भारत सरकार यह आशा करती है कि उससे किसी ऐसे पोत को अपने पत्तन पर रुकने की सुविधा देने का अनुरोध नहीं किया जाएगा जिस पर नाभिकीय अस्त्र लदे हों।"

भारत सरकार सभी विदेशी सरकारों से यह उम्मीद करती है कि वे इस सम्बन्ध में हमारी कथित नीति का सम्मान करेंगे।

(ग) अमरीका का एक नौसैनिक पोत यू.एस.एस. टाउन्स 28 फरवरी से 3 मार्च, 1985 तक गोआ में रुका था।

असम रेजीमेन्टल सेन्टर क्वार्टर से मेघालय पुलिस द्वारा हथियार पकड़ना

4395. **श्री जी० जी० स्वेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय पुलिस ने असम रेजीमेन्टल सेन्टर, हेपली वेली, शिलांग के फेमिली क्वाटरों में एक मकान से मई में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पकड़ा था;

(ख) क्या गिरफ्तार किए गए लोगों में असम रेजीमेंटल सेन्टर का एक सेवारत हवालदार और उसकी पत्नी तथा सेना के एक भूतपूर्व सूबेदार का लड़का था; और

(ग) क्या जांच से यह पता लगा था कि इन व्यक्तियों के सम्बन्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र के घुसपैठियों से थे ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी

हिमालय क्षेत्र की कला और संस्कृति का परिरक्षण

4396. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमालय और इसकी घाटियों में स्थित सभी पर्वतीय क्षेत्रों को प्राचीन कला और संस्कृति के परिरक्षण हेतु एक प्राधिकरण अथवा उच्च शक्ति प्राप्त निकाय गठित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके परिरक्षण हेतु सरकार का क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) और (ख) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने हिमालय क्षेत्र की कला और संस्कृति के परिरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। इसमें ये शामिल हैं :—

(i) क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की प्रदर्शन कलाओं का प्रलेखन;

(ii) प्रदर्शन कलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ;

(iii) संग्रहालयों में इस क्षेत्र के लोक संगीत वाद्यों और अन्य शिल्प तथ्यों का परिरक्षण ;

(iv) इन कार्यकलापों की प्रोन्नति में लगे हुए विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना ;

(v) स्मारकों/चित्रकलाओं का परिरक्षण और संरक्षण ;

(vi) हस्तलिपियों का संग्रह ; और

(vii) भित्ति-चित्रों का प्रलेखन।

नई वन नीति

4397. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री नई वन नीति में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में वनरोपण का कार्यक्रम के बारे में 10 अप्रैल, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वन नीति में अन्य बातों के अलावा मुख्य बल कम-से-कम 20 वर्षों तक पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा किसानों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों की तरह अधिक पेड़ लगाने के लिये जिनमें सेब के पेड़ों जैसे फल-वृक्ष सम्मिलित हैं, प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि भूमि कटाव तथा जल ग्रहण क्षेत्र और गंगा यमुना व उनकी सहायक नदियों के स्त्रोतों वाले पर्वतीय क्षेत्रों का अनाच्छादन रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति के कब तक तैयार हो जाने और लागू हो जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) : 1952 में घोषित राष्ट्रींय वन नीति के संशोधन पर सरकार अभी विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल

4398. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कितने पर्यटक स्थलों का पता लगाया गया है और उन पर कितना धन खर्च है ; और

(ख) पर्यटक स्थलों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं और क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित पर्यटक स्थलों की सूची में नैनीताल पहाड़ी स्थल को शामिल नहीं किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) : विभाग ने, राज्य सरकार के परामर्श से, उत्तर प्रदेश में, केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुल संसाधनों के माध्यम से अवस्थाबद्ध विकास के के लिए 25 पर्यटक केन्द्रों को (नैनीताल को छोड़ कर) अभिनिर्धारित किया है। पर्यटक स्थलों का चयन करने में अपनाये जाने वाले मानदण्ड सामान्यतया स्थान विशेष की अन्तर्राष्ट्रीय व स्वदेशीय दोनों प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करने की सम्भाव्यता पर आधारित थे। विभाग और आई०टी०डीं०सी० ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित खर्च किया है :—

	(लाख रुपयों में)
पर्यटन विभाग	150.05
भारत पर्यटन विकास	160.18*

*(वर्ष 1984-85 के लिए अनन्तिम अनुमान शामिल हैं)।

वन्य प्राणी संरक्षण कार्यक्रम

4399. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य प्राणी संरक्षण कार्यक्रम के अनुसार 31 मार्च, 1985 को जीवित रॉयल बंगाल टाइगर और सुंदरवन के बाघों, रीवां के सफेद बाघों और गिर वन के शेरों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में "गेंडे" सहित इनमें से किन्हीं प्राणियों के मारे जाने की सूचना मिली है ; और

(ग) सरकार वन्य प्राणी संरक्षण के लिए क्या प्रभावी उपाय कर रही है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) 1984 में अखिल भारतीय आधार पर की गई बाघों की गणना के अनुसार देश में 4,005 बाघ हैं। इनमें 264 बाघ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन बाघ आश्रय-स्थल में हैं। वन्य प्राणि क्षेत्र में सफेद बाघों की गणना नहीं की गई है। देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में उनकी संख्या 26 है। गिर के जंगलों में 1985 में की गई शेरों की गणना के अनुसार उनकी संख्या 239 है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

भारत में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हाल ही के वर्षों में कई कदम उठाए गये हैं। किए गए मुख्य उपायों के सम्बन्ध में विवरण नीचे दिया गया है :—

(क) देश में वन्यप्राणि संरक्षण के लिए एक जैसा कानून रखने के लिए वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 नामक एक व्यापक कानून बनाया गया है। तथापि, यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता, जहां जम्मू व कश्मीर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978 एक ऐसा ही अधिनियम है। इसके कारण इसे लाग करने में कुछ समस्याएं उठी हैं।

(ख) वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 गैर-वानिकी प्रयोगों हेतु वनों, जो कि देश में वन्य प्राणियों का मुख्य आश्रय-स्थल हैं, की अन्धाधुन्ध कटाई पर रोक लगाता है।

(ग) भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड, जो कि देश में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सलाहकार निकाय है, ने 1980 में प्रधान मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता संभाल लेने के पश्चात् अपना महत्व तथा प्रभाव बढ़ाया है।

(घ) देश में सुरक्षित क्षेत्र के सम्पूर्ण तन्त्र का, जिसमें 1980 में 19 राष्ट्रीय पार्क तथा 205 आश्रय स्थल थे, विस्तार किया गया है ताकि देश के करीब 3 प्रतिशत कुल भू-क्षेत्र में तथा करीब 12 प्रतिशत वन क्षेत्र में 53 राष्ट्रीय पार्क और 247 आश्रय स्थल तैयार किए जा सकें।

(ङ) विशेष परियोजनाएं जैसे बाघ परियोजना तथा मगरमच्छ परियोजना आरम्भ की गई है ताकि खतरे में पड़ी हुई विशिष्ट प्रजातियों को बचाया जा सके तथा ये परियोजनाएं सिद्ध हुई हैं।

(च) वन्य पशुओं, पक्षियों, पौधों और उनकी उत्पत्ति के व्यापार और वाणिज्य तथा साथ-ही-साथ उनके निर्यात और आयात पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाता है।

(छ) राष्ट्रीय पार्कों, और आश्रय स्थलों (बाघ आरक्षण स्थलों सहित) तथा चिड़ियाघरों के विकास में सहयोग देने और वन्य प्राणियों के संरक्षण सम्बन्धी जागरूकता लाने और इसकी शिक्षा बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

(ज) वन्य प्राणि प्रबंध, वन्य प्राणि शिक्षा अनुसंधान को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जिसे भारतीय वन्य प्राणि संस्थान के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई है।

(झ) लोगों में वन्य प्राणि संरक्षण के सम्बन्ध में आम जागरूकता पैदा करने तथा इनके संरक्षण में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में वन्यप्राणि सप्ताह मनाया जाता है।

(ञ) भारत ने पांच महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हस्ताक्षर किए हैं: खतरे में पड़ी हुई वनों की वनस्पतियों तथा जीव जन्तुओं की प्रजातियों सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन; नमभूमि; ह्वेल का शिकार; प्रवासी प्रजातियां; तथा रूस के साथ प्रवासी पक्षियों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर।

(ट) भविष्य में वन्य प्राणि संरक्षण के लिए हाल ही में एक राष्ट्रीय वन्य प्राणि कार्यकारी योजना अपनाई गई है जिसमें नीति से सम्बन्धित रूप रेखा तथा परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :—

—सुरक्षित क्षेत्रों के निरूपक कार्यतंत्र की स्थापना।

—सुरक्षित क्षेत्रों का प्रबन्ध तथा वास स्थलों का सुधार।

—बहु-उपयोगी क्षेत्रों में वन्य प्राणि संरक्षण।

—खतरे में पड़ी हुई तथा खतरे में पड़ने वाली प्रजातियों का पुनर्वास।

—वशवर्ती प्रजनन कार्यक्रम।

—वन्यप्राणि शिक्षा तथा व्याख्या।

—अनुसंधान और प्रबोधन।

—देश के कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा।

—राष्ट्रीय संरक्षण नीति।

—स्वैच्छिक निकायों/गैर सरकारी संगठनों से सहयोग।

कार्यकारी योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया है और इस सम्बन्ध में पहले ही काफी कदम उठाए गए हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वन्य प्राणि संरक्षण निदेशालय तथा भारतीय वन्य प्राणि संस्थान नोडल एजेंसी है जो कि इस कार्य में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की मदद लेती हैं और साथ-ही-साथ स्वैच्छिक निकायों और अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग लेती है।

कार्यकारी योजना के अधिकांश घटकों पर कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है; इस सम्बन्ध में उठाए गए उल्लेनीय कदम निम्नलिखित हैं :—

—देश में सुरक्षित क्षेत्रों के कार्यतंत्र को मजबूत बनाने तथा उन्हें व्यापक रूप देने के विचार से सभी राष्ट्रीय पार्कों, आश्रय-स्थलों और संरक्षण की अपेक्षा वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। वन्यप्राणियों के अभ्यारणों के प्रबंध की योजनाओं को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गए हैं तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किए गए हैं।

—वन्य प्राणि संरक्षण में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्ग-दर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं। इन्हें भी सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया है।

—वन्यप्राणि संरक्षण से सम्बन्धित विशिष्ट महत्व के मुद्दों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति की संवीक्षा करने तया उसमें संशोधन करने का कार्य आरंभ किया गया।

—वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधनों की जांच की जा रही है।

—भारतीय वन्यप्राणि संस्थान में प्रशिक्षण और अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलाप आरम्भ किए गए हैं।

—वशवर्ती प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम (जैसे कि गैंडे का पुनर्प्रवेश कार्यक्रम) शुरू किए गए हैं।

—अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी है तथा प्रवासी पक्षियों के लिए हाल ही में रूस के साथ सन्धि की गई है।

—कुछ अभ्यारण्यों तथा चिड़ियाघरों में प्रदर्शन की आदर्श सुविधाएं तैयार की गई हैं।

—एक समिति का गठन किया गया है जो यह तय करेगी कि कार्यकारी योजना के क्रियान्वन में स्वैच्छिक निकाय और गैर-सरकारी संगठन किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं। कार्यकारी योजना के क्रियान्वयन को सातवीं पंचवर्षीय (1985-90) में वन्य प्राणि संरक्षण कार्यक्रमों के मूल विषय के रूप में रखा गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में असन्तोषजनक सेवा और सुविधाएं

4400. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता (एयरपोर्ट होटल) और दिल्ली (जनपथ और रणजीत होटल) स्थित आई०टी०डी०सी० होटलों में सेवा तथा अन्य सुविधायें संतोषजनक नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन होटलों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) : होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता, होटल जनपथ और होटल रणजीत नई दिल्ली में प्रदान की जाने वाली सेवाएं और अन्य सुविधाएं अपेक्षित स्तर की हैं। तथापि, सेवाओं और सुविधाओं का सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसकी भारत पर्यटन विकास निगम और सरकार दोनों द्वारा मॉनीटॉरिंग की जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत महोत्सव में भाग लेने वाले लोग

4401. **श्री प्रिरंजन दास मुन्शी**
श्री मूल चन्द डागा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल के भारत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों की सूची क्या है ; और

(ख) महोत्सव के लिए कलाकारों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गये थे ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सहभागियों के चयन में, निष्पादन कलाओं से सम्बन्धि उप-समिति द्वारा निम्न लिखित विस्तृत नीति मार्गदर्शी रूप-रेखाएं अपनाई जाती हैं :

(i) ग्रामीण भारत में आम जनता की परम्परागत निष्पादन कलाओं को समारोह कार्यक्रमों में गौरव का स्थान दिया जाए ;

(ii) हमारी निष्पादन कलाओं के चयन में उच्चतम सृजनात्मक उत्कृष्टता का निरूपण होना चाहिए ;

(iii) भारतोत्सव में भारतीय प्रस्तुतीकरण में भारतीय निष्पादन कलाओं के यथासम्भव विशाल स्वरूपों को शामिल किया जाएगा ;

(iv) विदेशों में बार-बार नहीं दिखाई जाने वाली कला स्वरूपों को प्राथमिकता दी जाए ;

(v) व्यक्तिगत एकलवादकों की अपेक्षा सामूहिक कला स्वरूपों को प्राथमिकता दी जाए :

(vi) भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत जिसका अब तक तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ, को उचित महत्व दिया जाए ;

(vii) गौरवशाली अवसरों जैसे समारोह के विभिन्न उद्घाटनों में हमारी शास्त्रीय कलाओं में प्राप्त की गई उच्चतम कलात्मक उत्कृष्टता दिखाने वाले कलाकारों को प्रस्तुत किया जाए ; और

(viii) दानों विख्यात और उत्कृष्ट होनहार युवा कलाकारों को समारोह कार्यक्रमों में विशेषकर वर्ष 1985 अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष होने के कारण प्रतिनिधत्व दिया जाए ।

विवरण

संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित भारतोत्सव में अब तक विभिन्न समारोहों में भाग लेने वालों की सूची

केनेडी केन्द्र, वाशिंगटन में 13 जून, 1985 को उद्घाटन संगीत समारोह

1. पंडित रविशंकर
2. उस्ताद अली अकबर खान
3. उस्ताद अला राखा
4. जाकिर हुसैन

केरल कलामण्डलम के कत्थक कलाकार

1.	टी. एम. बी. नेडुंगडी,	दल का नेता
2.	पद्मश्री कलामंडलम कृष्णन नैयर	अभिनेता
3.	कलामंडलम रमनकुट्टी नायर	अभिनेता
4.	कलामंडलम गोपी,	अभिनेता
5.	मोनकोम्पु शिवशंकर पिल्लै	अभिनेता
6.	कोट्टाक्कल शिवरमण	अभिनेता
7.	नोलियोडे वासुदेवन नाम्बूदिरी	अभिनेता
8.	पार्बती मेनन	अभिनेत्री
9.	कलामंडलम उन्नीकृष्णन कुरूप	कंठगायक

10.	कलामंडलम हैदरअली	गायक
11.	कलामंडलम नाराण्णन नाम्बिसन	वाद्य वादक
12.	कलामंडलम बालारमन	वाद्यवादक
13.	कलामंडलम राम मोहन	मेकप कलाकार
14.	हरीदास	मेकप कलाकार
15.	एन० राधाकृष्णन	नेपथ्य प्रबन्धक

भारतोत्सव से सम्बन्धित संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों में भाग लेने वालों की सूची

भारत 2000 अगले पन्द्रह वर्ष

आस्टिन, टेक्सास

फरवरी, 7—9, 1985

1. डा० नारायण मेनन
2. श्री सी० टी० कुरियन
3. श्री चिदानन्दा दासगुप्ता
4. श्री एम० एन० श्रीनिवास
5. श्री बिपिन चन्द्र

उन सहभागियों की सूची जिन्होंने भारतोत्सव से सम्बन्धित संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों में भाग लिया

भारतीय प्रजातंत्र पर सम्मेलन

प्रिन्सेटन, संयुक्त राज्य अमेरिका 14-16.3.1985

1. श्री एल० के० झा
2. श्री गिरीलाल जैन
3. श्री के० सुब्रमनियम
4. डा० एम० गोपाल
5. श्री बसीरउद्दीन अहमद
6. श्री प्राण चोपड़ा

सराह लारेन्स कालेज : 2—5-6-1985

1. कु० नीरा देसाई

2. कु० मीरथ् ईकृष्णा राज
3. कु० निर्मला बनर्जी
4. कु० गीता सेन
5. कु० वीना दास

संस्कृति की परिधि

स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूट, वाशिंगटन जून 20-25, 1985

1. श्रीमती पुपुल जयकर
2. श्री राजीव सेठी
3. श्री ज्योतिन्द्र जैन
4. श्री हाकू शाह
5. श्री गीव गुस्ताद पटेल
6. श्री गुलाम शेख
7. श्री अशोक वाजपेयी
8. श्री अरुण पुरई
9. श्री बी० बी० वोहरा
10. श्री माधव गाडगिल
11. श्री चार्ल्स एम० कोरिया
12. श्री बालकृष्ण दोषी
13. श्री राज रेवल
14. प्रो० वीना दास
15. श्री रामचन्द्र गाँधी
16. श्री सुधीद कक्कड़
16. डा० कपिला वात्स्यायन
18. श्री गिरिश कर्नाड

पुराण पर सेमिनार

विसकोनसिन विश्वविद्यालय : अगस्त, 1985

1. श्री आर० एन० दण्डेकर

विश्वविद्यालयों ग्रौर तकनीकी संस्थानों में कम्प्यूटर लगाना

4402. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में कम्प्यूटर लगाने का है;

(ख) कितने विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में कम्प्यूटर लगाये जा चुके हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्कूलों में भी कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, ग्रन्तरिक्ष ग्रौर इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जिन विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों में कम्प्यूटर लगाए जा चुके हैं, उनकी संख्या लगभग 150 है। इसके अतिरिक्त, इस समय 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/समकक्ष संस्थानों में कम्प्यूटर सुविधाएं प्रतिष्ठापित की जा रही हैं।

(ग) तथा (घ) : सरकार ने विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा शिक्षा (क्लास) परियोजना नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रणालियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

"क्लास" परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

—कम्प्यूटरों तथा उनकी भूमिका के बारे में छात्रों को मोटेतौर पर जानकारी देना।

—मशीनों पर स्वयं कार्य करने के माध्यम से अनुभव उपलब्ध कराना।

—मनुष्य के कार्यकलापों, सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर के अनुप्रयोग किस सीमा तक हो सकते हैं और नियंत्रण एवं सूचना संसाधन औजार के रूप में कम्प्यूटरों की क्या क्षमता है, इससे छात्रों को परिचित कराना।

—कम्प्यूटरों के विषय में जो एक रहस्यमयता है, उसका उदघाटन करना और कम्प्यूटरों से एक सहज मशीन के रूप में परिचय प्राप्त करना, जो व्यक्तियों को उनके निकटतम पर्यावरण के अनुकूल अनुप्रयोगों का न केवल पता लगाने में अपितु उनका विकास करने की दृष्टि से भी अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा।

इस कार्यक्रम में कम्प्यूटर विज्ञान के सिद्धान्त पढ़ाने के बजाए हस्तकौशल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।

वर्ष 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 विद्यालयों को लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्ष 1984-85 में लाए गए 250 विद्यालयों के अतिरिक्त है।

परमाणु शक्ति संयंत्र का क्षमता उपयोग

4403. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न परमाणु शक्ति संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इन संयंत्रों की कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नीचे यह बताया जा रहा है कि हमारे देश के विभिन्न परमाणु बिजलीघरों की मौजूदा निर्धारित क्षमता कितनी है और पिछले 12 महीनों में उनकी क्षमता का उपयोग क्रमशः कितना हुआ है :—

बिजलीघर	निर्धारित क्षमता (मेगावाट)	पिछले 12 महीनों में कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ।
तारापुर परमाणु बिजलीघर—पहला यूनिट	160	50
दूसरा यूनिट	160	70
राजस्थान परमाणु बिजलीघर—पहला यूनिट	220	—
दूसरा यूनिट	220	52.57
मद्रास परमाणु बिजलीघर —पहला यूनिट	235	52

राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट बन्द है।

(ख) संयंत्रों के डिजायनों में निर्धारित क्षमता का विस्तार करने अथवा उसे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए उपाय

4404. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-प्रदेश, बिहार, और पश्चिम बंगाल के जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने अवशिष्ट पदार्थ को बहाकर गंगा के जल को प्रदूषित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कितने मुकदमें चलाए हैं; और

(ख) इन बोर्डों के प्रभावी कार्यकरण के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) उत्तर-प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में क्रमश: 31, 6 तथा 6 प्रदूषक उद्योगों के विरुद्ध अभियोग हैं।

(ख) सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने राज्य बोर्डों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिये सिफारिशें की हैं। राज्य सरकारों/संबंधित अभिकरणों को इन सिफारिशों के क्रियान्वय के लिए सलाह दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संयंत्रों के कारण गंगा का प्रदूषित होना

4405. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कौन से उपक्रम हैं जिनके संयंत्रों के अवशिष्ट सीधे गंगा नदी में डाले जाने से उसे प्रदूषित कर रहे हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रम अपने अवशिष्टों को पर्याप्त रूप से उपचारित करें और इस प्रकार गंगा के साफ करने में मदद करें ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

4406. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देश में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिये अनेक उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने प्राचीन स्मारक केन्द्र द्वारा संरक्षित घोषित किए गए हैं?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2
आन्ध्र-प्रदेश	134
असम	49
बिहार	76
गुजरात	196
हरियाणा	86
हिमाचल प्रदेश	33
जम्मू और काश्मीर	59
केरल	28
कर्नाटक	503
मध्य प्रदेश	318
महाराष्ट्र	283
मणिपुर	1
मेघालय	8
नागालैंड	4
उड़ीसा	66
पंजाब	24
राजस्थान	150
तमिलनाडु	402
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	778

1	2
पश्चिम बंगाल	109
संघ शासित क्षेत्र	
अरुणाचल प्रदेश	5
दिल्ली	163
गोवा, दमण और दीव	32
पांडिचेरी	8
योग	3517

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा बने के लिए गोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन

4407. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केट में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो 1984-85 में सरकार द्वारा कितनी गोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया गया;

(ग) उन गोष्ठियों/सम्मेलनों में विभिन्न देशों के कितने ट्रेवल एक्जीक्यूटिवों ने भाग लिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत):(क)से(घ) : भारत के बाहर विदेशों में और देश के अन्दर देश के अन्दर भारत का संवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है । भारत की एक अवकाश/व्यवसाय/सम्मेलन गंतव्य के रूप में छवि उभारने के लिए विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा अनेक सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं और संवर्धनात्मक भारत-संध्याओं का आयोजन किया जाता है । चूंकि यह एक सतत व निरन्तर क्रियमाण प्रक्रिया है, और कार्यकलाप विभिन्न स्तरों पर होता है, इसलिए यह बताना कठिन है कि ऐसे सेमिनार और सम्मेलन ठीक-ठीक कितनी संख्या में आयोजित किए गए या कितने यात्रा-निष्पादकों (ट्रेवल एक्जिक्यूटिव्ज) ने इनमें भाग लिया ।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण

4408. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न हो रहे पर्यावरणीय प्रदूषण की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि विजयवाड़ा और सिंगरोली संयंत्रों को छोड़कर सभी संयंत्रों में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय नहीं किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्काल प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को भेजे गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तालचेर और अन्य ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) तथा (घ) : 1. सभी मौजूदा संयंत्रों में स्थिर-वैद्युत अवक्षेपकों की पूर्व स्थापना के लिए अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, उपरोक्त 20 विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की युक्तियों की पूर्व स्थापना एवं वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

2. ५ णिकीय पदार्थ एवं चिमनियों की ऊंचाई के सम्बन्ध में हाल ही में बनाए गए मानकों के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारियों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय के क्रियान्वयन हेतु बता दिया गया है।

परमाणु ऊर्जा परियोजना तथा सातवीं योजना के दौरान उनके स्थापन हेतु धनराशि

4409. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान और अधिक संख्या में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजनावधि में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परमाणु विद्युत क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 465 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय हुआ था।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) : परमाणु बिजली सम्बन्धी 15 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा में 10,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले परमाणु बिजलीघर लगाने की परिकल्पना की गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटित की जाने वाली राशि के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में इमारती लकड़ी की तस्करी

4410. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में इमारती लकड़ी की कितनी मात्रा में तस्करी होती है;

(ख) क्या लकड़ी चीरने की मिलों की कमी के कारण तस्करी होती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस केन्द्र शासित प्रदेश में कितनी और लकड़ी की मिलें लगाई गई हैं; और

(घ) भारत के इस बहुत बड़े वन क्षेत्र की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी की तस्करी होने की सूचना मिली है। तस्करी की सही मात्रा की जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) अनधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 को सख्ती से लागू करना।

(2) वनों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजना।

(3) अव्यवस्था वाले संवेदनशील वन क्षेत्रों में रात-दिन चौकसी बनाए रखना।

(4) लकड़ी के कुछ विशिष्ट रूपों पर यथामूल्य आधार पर 10 प्रतिशत तक आयात शुल्क घटाया गया है।

(5) वन सम्बन्धी कार्यों में लगी ठेकेदारों की एजेंसियों को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बंगला देश से अवैध घुसपैठ और जाली भारतीय वीसाओं का पता चलना

4411. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बंगलादेश से भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या गृह मंत्रालय के एक उच्चस्तरीय दल ने जाली भारतीय वीसाओं के बारे में बड़े पैमाने पर की जा रही जालसाजी का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों में कितने कर्मचारियों की मिली-भगत होने का संकेत है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) बंगलादेश से भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) : जाली वीसाओं पर बंगलादेश के राष्ट्रिकों के भारत में घुसने की समस्या भारत सरकार के ध्यान में आई है और इसके लिए समुचित निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

एक राज्य से दूसरे राज्य को सांस्कृतिक गतिविधियों की योजना प्रायोजित करना

4412. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के युवकों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको आयोजित करने और इनके लिए सहायता प्राप्त करने के लिए मानदंड, नियम और विनियम क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1983 से 1985 के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों के लिए क्या प्रोत्साहन दिया गया है और उपरोक्त अवधि के दौरान नकद अथवा वस्तु के रूप में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) : युवा कार्य और खेल विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय एकीकरण के विकास की योजना में नेहरू युवक केन्द्रों, स्वैच्छिक एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों में भाग लेने वाले युवा व्यक्तियों को सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है। ऐसे शिविरों में देश के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों से युवा व्यक्ति भाग लेते हैं। योजना में विभिन्न संस्कृति वाले सीमावर्ती राज्यों में रहने और कार्य करने वाले युवा लोगों के भ्रमण के लिए तथा उन राज्यों के युवाओं द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के भ्रमण के आदान-प्रदान के लिए भी व्यवस्था है। जबकि नेहरू युवक केन्द्र और मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान ऐसे कार्यक्रमों के लिए अपने प्रस्ताव सीधे भेज सकते हैं, तथापि अखिल भारतीय प्रकार के अलावा स्वैच्छिक एजेंसियों को अपने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के जरिए भेजना अपेक्षित है। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों के आयोजन, युवा व्यक्तियों द्वारा अन्तर-राज्यीय भ्रमण और देश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण पर सेमिनारों में युवाओं के भाग लेने पर क्रमशः 7.67 लाख रुपये और 16.30 लाख रुपये का खर्च वहन किया था।

विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए स्मारक

4413. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय स्मारकों का क्या ब्यौरा है जो ब्यूरो आफ वर्ल्ड हेरीटेज द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किए गए हैं;

(ख) उनके रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) उक्त सूची में और अधिक स्मारकों को शामिल करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) निम्नलिखित भारतीय स्मारक विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं :—

(i) ताजमहल, आगरा

(ii) आगरा किला

(iii) अजन्ता गुफाएं, और

(iv) एलोरा की गुफाएं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी मरम्मत और रख-रखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 15,82,100/- रु० की राशि आबंटित की गई है।

(ग) इक्कीस और स्मारकों को शामिल करने के प्रश्न पर यूनेस्को से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

[हिन्दी]

बम्बई में नशीली औषधियों की खपत

4414. श्री आर०एम० भोये : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बम्बई में हिरोइन, मार्फिन, और ब्राउन शुगर के अतिरिक्त चरस, गांजा और अफीम का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है और ये वहां पर सरलता से उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह ब्राउन शुगर जो उपयोग करने वालों द्वारा "गारड" के नाम से पुकारी जाती जाती है, हिरोइन, धतूरा, जिंक ओक्साइड, मेनड्रेक्स, ग्लुकोज और चाक पाउडर का मिश्रण है और इसका ४ महीने तक उपयोग करने पर व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और यह घातक औषधि 50,000 रु० प्रति किलोग्राम भाव पर बेची जाती है; और

(ग) क्या ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भयंकर "गारड" के प्रचलन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) : सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि बम्बई में नशीली औषधियों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है और ये वहां पर सरलता से उपलब्ध हैं।

नशीली औषधियों की तस्करी रोकने के लिए क्षेत्र संगठन सतर्क रहते हैं और सम्बन्धित केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्राधिकरणों के समन्वय से उपयुक्त तस्करी विरोधी उपाय किए जाते हैं। औषधियों की तस्करी रोकने के लिए सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ निकट का सहयोग भी रखा जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण योजनाओं की पुनरीक्षा के लिये पेनल

4415. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण योजनाओं की पुनरीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा किसी उच्च स्तरीय पेनल की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई इसकी सिफारिशों तथा उनको लागू करने अथवा लागू किए जाने के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख) : योजना आयोग ने ग्रामीण विकास और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की है। इस समिति की रिपोर्ट योजना आयोग को अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पर्यटक मानचित्र में मणिपुर को शामिल करना

4416. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के पर्यटक मानचित्र में सीमावर्ती राज्य मणिपुर को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त राज्य को कोई अतिरिक्त सहायता दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से मणिपुर के पर्यटक अभिरुचि के छः स्थानों का अभिनिर्धारण किया है जिनका राज्य, केन्द्र और प्राइवेट सेक्टरों के मिश्रित संसाधनों द्वारा अवस्थाबद्ध विकास किया जाएगा।

(ख) और (ग) : सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए राज्य सरकार के पास 1.00 करोड़ रु० का प्रावधान है। इसके अलावा, विभाग भी सातवीं योजना में राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत कुछ स्कीमें प्रारम्भ करेगा। मोयरंग में आई०एन०ए० काम्पलैक्स में 18.50 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक अतिथि गृह का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी एक प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।

राज्य सरकार के अधिकारियों की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति

4417. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चल रहा है/शुरू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के अधिकारी बेहतर प्रशिक्षण और व्यापक अनुभव प्राप्त करने के लिए केन्द्र में निर्धारित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर सकें।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की कुछ योजनाएं शुरू करने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सचिवालय में नियुक्तियों को विनियमित करने वाली सीनियर स्टाफिंग स्कीम में पहले से ही यह व्यवस्था है कि विभिन्न राज्य संवर्गों से सम्बन्धित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए प्रवर सूची में शामिल राज्य सिविल सेवा अधिकारी और राज्यों की अन्य समूह "क" सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत नियुक्ति के पात्र होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अन्य पद भी उपलब्ध होते हैं जिनके भर्ती नियमों के अन्तर्गत चयन क्षेत्र में राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल होते हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता

4418. **श्री एम० टोम्बी सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए विशेष वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार भूतपूर्व असन्तुष्ट भगोड़ों द्वारा आतंकवाद भड़काने से रोकने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से पुनर्वास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्तमान पुनर्वास कार्यक्रम से मणिपुर में अत्यधिक असन्तोष व्याप्त है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्र सरकार को आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष वित्तीय सहायता के लिए मणिपुर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार, 1975 से भूतपूर्व भूमिगत व्यक्तियों के पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिए मणिपुर सरकार को सहायता अनुदान दे रही है । सरकार की नीति उन आतंकवादियों को पर्याप्त आर्थिक पुनर्वास प्रदान करने की है जिन्होंने स्वेच्छा से हिंसा को त्याग दिया तथा जो वफादार नागरिक की तरह बाहर रहकर शान्तिपूर्ण ढंग से जीवन यापन के लिए तैयार हैं, जिससे अन्य तथ्यों के अलावा यह भी सुनिश्चित होगा कि केवल आर्थिक आवश्यकता ही उन्हें पुनः भूमिगत होने पर मजबूर नहीं करती है ।

(घ) ऐसी कोई सूचना ध्यान में नहीं आई है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को सेवा के दौरान रहते हुए प्रशिक्षण

4419. **श्री श्रीहरि राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सेवा के दौरान अतिरिक्त प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालयों, विभिन्न विभागों को अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किन विशिष्ट क्षेत्रों में सेवा के दौरान अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(घ) क्या मंत्रालय आदि द्वारा दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई प्रगति दर्शाने वाला कोई विवरण भेजे जाने की अपेक्षा की गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां । अभी तक जारी किए गए अनुदेश, इस विभाग द्वारा प्रकाशित सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका (छठा संस्करण 1982) के पैरा 17.5 से 17.9 में दिए गए हैं । संगत उद्धरणों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) तथा (ग) : मार्गदर्शक सिद्धान्त ऊपर भाग (क) में उल्लिखित विवरण में दिए गए हैं ।

जिन विशिष्ट क्षेत्रों में सेवा के दौरान अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाना होता है उनकी पहचान सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है ।

(घ) इस सम्बन्ध में मंत्रालयों द्वारा भेजी जाने वाली कोई विवरणियां निर्धारित नहीं की गई हैं ।

विवरण

सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंध पुस्तिका (छठा संस्करण) से लिए गए उद्धरण

17.5 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समूह क (श्रेणी-I) के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समूह-क (श्रेणी-I) के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं :—

(i) प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधान सीधी भर्ती द्वारा रखे गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समूह-क (श्रेणी-I) के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के लिए, जो इस संबंध में सहायता चाहते हों, गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ।

(ii) विभिन्न विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के के लिए मंत्रालय/विभाग काफी बड़ी संख्या में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी नामित करें । इस उद्देश्य से मंत्रालय/विभाग एक समय सीमा निर्धारित करें, उदाहरणार्थ 3 वर्ष, जिसके भीतर इन अधिकारियों का उपयुक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण पूरा हो जाए । विभिन्न संस्थानों में ऐसे अधिकारियों को प्रायोजित करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए । मंत्रालय/विभाग को पता लगाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को किस-किस प्रकार का प्रशिक्षण देना जरूरी है और इसके बाद इस सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए कि इन अधिकारियों को किन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाए । जिन अधिकारियों को निर्धारित योग्यता स्तर पर छूट देकर पदोन्नत किया गया हो उनके प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि वे स्वयं को अपने कार्य के उपयुक्त सिद्ध कर सकें । आवश्यकता होने पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रशिक्षण डिवीजन उपयुक्त कार्यक्रम सुझाने और नये उचित कार्यक्रम तैयार करने में सभी प्रकार की सहायता करेगा ।

(iii) ऐसे प्रशिक्षण-कार्यक्रम तैयार करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उतने अधिकारी लेने की गुंजाइश रखी जाए कितने अधिकारियों के नाम मंत्रालय भेजे । जहां कहीं संभव हो वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना ठीक रहेगा । यदि किसी विशिष्ट कार्यक्रम में ऐसा करना कठिन हो तो इन अधिकारियों को बाद वाले पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए या उनके लिए उस पाठ्यक्रम के विशेष सत्र की व्यवस्था की जाए । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को विदेश में होने

वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना भी लाभदायक होगा। इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा तथा उन्हें विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। इससे इन समुदायों के अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

(iv) प्रशिक्षण संगोष्ठियों और सम्मेलनों में अधिकारी भेजते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को तरजीह दी जाए।

(v) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों को इन अधिकारियों के कार्य के दौरान प्रशिक्षण देने की ओर विशेष ध्यान देने और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहना चाहिए जिनमें विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक हो तथा विभाग के प्रशिक्षण समन्वय कर्ता और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशिक्षण डिवीजन के परामर्श से इस प्रशिक्षण के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा जाए।

(मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन न किए जाने के सम्बन्ध में आयुक्त की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इन अनुदेशों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4-9-78 के का० ज्ञा० संख्या 36013/18/77-स्था० (एस० सी० टी०) द्वारा दोहराया गया)।

17.6 ऊपर के पैरा 17.5 में स्पष्ट की गई स्थिति में विभिन्न विभागों और प्रशिक्षण संस्थाओं में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और विदेश में चलाए जा रहे प्रशिक्षण-कार्यक्रम या प्रशिक्षण, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के लिए अधिकारियों को नामित करते समय इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि नामित अधिकारियों में कौन से अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, जिससे संबंधित अधिकारी चयन के समय उन अधिकारियों के मामलों पर विधिवत् विचार कर सकें।

17.7 ऊपर पैरा 17.5 में दिए अनुसार संगोष्ठियों/सम्मेलनों, गोष्ठियों इत्यादि में अधिकारियों को भेजते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

17.8 भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण देना।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिन उम्मीदवारों का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्धारित स्तर में छूट देकर चयन हुआ हो उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाये जिससे वे अन्य उम्मीदवारों के स्तर तक आ सकें। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद तथा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली को यह सलाह दी गई है कि वे अपनी-अपनी संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों

के प्रशिक्षणार्थियों के लिए उन विषयों की अतिरिक्त अनुशिक्षण कक्षाएं लगाएं जिनमें वे कमजोर हों। यदि कोई मंत्रालय/विभाग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्था चला रहा हो, तो वह मंत्रालय/विभाग अपने अधीन ऐसी संस्थाओं को भी ऊपर उल्लिखित अनुदेश दें।

17.9 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति की 41वीं रिपोर्ट में की गई निम्नलिखित सिफारिशों को सरकार ने मन्जूर कर लिया है और मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया है :—

सिफारिश संख्या—21

"समिति ने यह नोट किया है कि मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश दिए जाएं कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित योग्यता स्तर में छूट देने पर भी उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में, उपलब्ध न हों तो नियुक्ति प्राधिकारी इन समुदायों के उन्हीं उम्मीदवारों में से एक से सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करें, जिनमें उन पदों के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हों और उन्हें उनके कार्यालयों में ही सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाये (पैरा 7.6 देखें)। उक्त समिति ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए यह इच्छा प्रकट की है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण-योजनाओं की रूपरेखा स्पष्ट रूप से तैयार की जाए, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार इन प्रशिक्षण योजनाओं से अधिकतम लाभ उठा सकें। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की रूपरेखा की आवधिक जांच करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया में एकरूपता रहे। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवधिक पुनरीक्षण भी करेगा। समिति आशा करती है कि प्रशिक्षण-योजनाएं तैयार करते समय मंत्रालय/विभाग अगले पांच वर्षों में होने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों का ध्यान रखेंगे। संवर्ग-पुनरीक्षण-समिति अगली योजना तैयार करते समय पांच संबंधी आवश्यकताओं का जिनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाने हैं, अनुमान लगाने का कार्य भी करेगी।"

मंत्रालय/विभाग विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करें जिनमें ऐसे सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हों जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके जैसे कि समिति ने सिफारिश की है। कार्यक्रम तैयार करते समय मंत्रालयों/विभागों को उपर्युक्त संसदीय समिति के अभिमतों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में मंत्रालयों/विभागों की सहायता करेगा और जब भी आवश्यकता होगी उन प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की आवधिक जांच भी करेगा।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा उधार पर जारी टिकट

4420. श्री श्रीहरि राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने कुछ राज्यों को उधार पर टिकट न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं और इन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें उधार पर टिकट नहीं दिए जा रहे;

(ग) क्या सरकार को सम्बन्धित राज्यों से विरोध प्राप्त हुआ है और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) उन संस्थानों/सरकारी कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इण्डियन एयरलाइन्स के टिकट उधार पर प्राप्त करने की सुविधा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी कुछ समय पूर्व में ऐसा कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा अनुरोध पर, कुल मिलाकर, सभी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के संगठनों को उधार की सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठन इस सुविधा का उपयोग करने के लिए काफी कारोबार दे रहे हैं।

होटल जनपथ के स्तर का मूल्यांकन

4421. श्री डॉ० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल और रेस्टोरेंट वर्गीकरण समिति की सिफारिशों पर भारत पर्यटन विकास निगम और गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ होटलों ने ऐसे होटलों का स्तर उन होटलों के प्राधिकृत स्तर के बाहर वर्गीकृत करने के लिए कुछ "स्टार" प्राप्त किये हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त समिति ने होटल जनपथ, नई दिल्ली के स्तर का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया है, जिसके "चार तारा" होने पर भी उसके कार्य निष्पादन में गिरावट आ रही है और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं बिगड़ती जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ): होटल जनपथ को, होटल और रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति ने अपने निरीक्षण के समय इसमें सुलभ सेवाओं और सुविधाओं के स्तर और उसकी आधार-संरचना के आधार पर, होटल के लिए निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए मार्च, 1980 में 4-स्टार होटल के रूप में वर्गीकृत किया था ।

[हिन्दी]

भुवनेश्वर की प्राचीन गुफाओं का रख-रखाव

4422. श्री हरीश रावत : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर में एक प्राचीन गुफा और मन्दिर है; और

(ख) यदि हां, तो यह गुफा किस काल की है और इसका कलात्मक मूल्य कितना है तथा सरकार इस प्राचीन गुफा के रख-रखाव के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) यह बिना किसी वास्तु-शिल्पीय विशेषताओं के एक प्राकृतिक गुफा है । क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नहीं है अतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसके रख-रखाव का प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

नेपाल में संयुक्त उपक्रम होटल परियोजना के लिए जापान के साथ भारत पर्यटन विकास निगम का समझौता

4424. श्री बी० तुलसी राम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने नेपाल में एक संयुक्त उपक्रम होटल परियोजना के लिए जापान की कंपनी के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो जापानी कम्पनी का नाम और अन्य तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) नेपाल में कितने होटलों का निर्माण किया जाएगा, वे कहां-कहां पर होंगे तथा भारत और जापान का उनमें क्रमशः कितना हिस्सा होगा; और

(घ) नेपाल सरकार द्वारा उसकी राजधानी में होटलों की स्थापना के लिए रखी गई शर्तों का ब्यौरा क्या है और ये शर्तें भारत के लिए कहां तक अनुकूल होंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) : जी, नहीं। तथापि, आई० टी० डी० सी० ने, काठमांडू (नेपाल) में एक होटल के निर्माण के लिए वाणिज्यिक आधार पर तकनीकी परामर्श तथा प्रबंध सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मैसर्ज होटल जया इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जुलाई, 1985 में, एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कम्पनी के प्रमुख अंश-धारक (शेयर होल्डर्स) मैसर्ज मित्सुई रीअल एस्टेट डैवलपमैंट कम्पनी लिमिटेड, टोकियो है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रीनगर में होटल और अतिथि-गृह

4425. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार की सहायता से श्रीनगर, पहलगांव और गुलमर्ग में कितने होटल और अतिथि-गृह बने हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा दिए गए ऋण वसूल कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) : पर्यटन विभाग ने श्रीनगर में एक होटल का निर्माण करने के लिए 36 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया था जिसमें से 33 लाख रुपये पहले ही वसूल किए जा चुके हैं। इसके अलावा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने श्रीनगर में एक होटल के निर्माण के लिए 235 लाख रुपये तथा एक अन्य होटल के आधुनिकीकरण के लिए 30 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए हैं जिसके लिए पर्यटन विभाग 1% ब्याज-इमदाद दे रहा है। इन ऋणों की वसूली क्रमशः नवम्बर, 1985 और नवम्बर, 1986 से प्रारम्भ होगी।

रामपुर का रजा ग्रन्थालय

4426. **प्रो सैफुद्दीन सोज** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रामपुर का रजा ग्रंथालय खराब हालत में है;

(ख) क्या इस ग्रन्थालय की छत से पानी टपकता है और किसी को उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है; और

(ग) सरकार उक्त ग्रन्थालय को उपयोग किए जा सकने की हालत में लाने के लिए क्या उपाय करेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : रामपुर रजा पुस्तकालय दो सौ अस्सी वर्ष पुराने भवनों में स्थित है जिनकी व्यापक मरम्मत और नवीनकरण करने की जरूरत है। मरम्मत/नवीकरण का कार्य, इन ऐतिहासिक भवनों के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श से राज्य निर्माण कार्य विभाग के जरिए किया जा रहा है। तथापि भवन इमारती दृष्टि से मजबूत है तथापि पुस्तकालय कर्मचारियों और आगुन्तकों द्वारा इनका प्रयोग किया जा रहा है।

आदिवासियों के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4427. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 27 लाख आदिवासी परिवारों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन उपलब्धि 40 लाख की रही;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के दौरान उनके मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जनजाति-उपयोजना क्षेत्रों में कौन-कौन-सी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए; और

(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितने आदिवासी परिवारों को सहायता दी गयी और उनके प्रत्येक परिवार को कितनी न्यूनतम और अधिकतम वित्तीय सहायता दी गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ग) : गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आई० आर० जे० पी० के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, पशु पालन, सहकारिता, बागवानी, लघु उद्योग, रेशम उत्पादन इत्यादि के अंतर्गत परिवार उन्मुखी आर्थिक योजनाएं हाथ में ली गई थी। आई० टी० डी० पी० ने राज्य धन राशि तथा विशेष केन्द्रीय सहायता दोनों से इसी प्रकार की योजनाएं हाथ में ली। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार जनजाति परिवारों की संख्या, जिन्हें सहायता दी गई, नीचे संलग्न विवरण में दी गई हैं। आई०आर०डी०पी० कार्यक्रम के अंतर्गत मानदण्डों के अनुसार आर्थिक सहायता की अधिकतम राशि 5000/- रु० है, जो किसी लाभ भोगी को दी जा सकती है तथा आर्थिक सहायता की कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

नये बीस सूत्री कार्यक्रम की मद सं० 7 (बी)—छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान (दिसम्बर 1984 तक) गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों का लक्ष्यांक	छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान (दिसम्बर 1984) तक उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,18,000	1,65,703
2.	असम	2,00,429	2,30,821
3.	बिहार	2,00,000	3,27,449
4	गुजरात	3,50,000	3,74,006
5.	हिमाचल प्रदेश	43,749	34,137
6.	कर्नाटक	15,500	21,644
7.	केरल	16,000	20,645
8.	मध्य प्रदेश	6,18,000	7,53,818
9.	महाराष्ट्र	4,97,332	9,75,478
10.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं	34,941
11.	उड़ीसा	5,14,794	4,25,859
12.	राजस्थान	50,000	1,85,015
13.	सिक्किम	उ० न०	7,540
14.	तमिलनाडु	19,000	24,519
15.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	1,20,467
16.	उत्तर प्रदेश	3,100	10,401
17.	पश्चिमी बंगाल	1,08,275	2,53,651
18.	अ० और नि० द्वीप समूह	3,700	7,623
19.	गोवा दमण और दिव	1,500	2,892
	जोड़	27,59,379	39,66,609

गरीबी कम करने की योजनाओं के लिए आवंटन

4428. **श्री शरद दिघे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग गरीबी कम करने की योजनाओं के लिए प्रारम्भ में मांगी गई 15,000 करोड़ रुपये की राशि के स्थान पर अब आवंटन को केवल 8600 करोड़ रुपये तक सीमित रखने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) : सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी कम करने के कार्यक्रमों के ब्यौरे, उनके लिए आवंटन सहित, तैयार किए जा रहे हैं और अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा जायेगा।

जल क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्थाएं

4429. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ जल क्रीड़ा संस्थाएं स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इस प्रकार के कितने जल क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) उड़ीसा में इस प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) : अवकाश और सावकाश पर्यटन का सातवीं योजना नीति के एक भाग के रूप में संवर्धन करने के लिए, विभाग द्वारा, जल-क्रीड़ाएं प्रारम्भ करने के साथ-साथ समुद्र-तट विहारों पर सुविधाओं का सृजन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने एक उपयुक्त स्थान पर एक जल-क्रीड़ा संस्थान स्थापित करने का भी निर्णय किया है।

वाणिज्यिक आधार पर हैलीकॉप्टर सेवाएं

4430. **श्री आशुतोष लाहा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का भारत के कुछ भागों में वाणिज्यक आधार पर हैली-कॉप्टर सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) निकट भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

समुद्री जल से बिजली उत्पादन

4431. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र तल में छिपे मूल्यवान पत्थरों, धातुओं और समुद्री जल से बिजली पैदा करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) समुद्र तल में मूल्यवान पत्थरों और धातुओं का जो उल्लेख किया गया है वह सम्भवत: बहुधात्विक पिण्डों के लिए है। ये दुर्लभ धातुओं के स्रोत तो हो सकते हैं परन्तु बिजली उत्पादन के नहीं। समुद्र से बिजली पैदा करने के लिए ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा और लहर ऊर्जा पर आधारित तीन स्कीमें विचाराधीन हैं। ज्वारीय ऊर्जा और समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण के लिए तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बिजली उत्पादन के लिए लहर ऊर्जा की उपयोगिता पर अनुसंधान और विकास कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है।

(ख) से (ग) : सातवीं योजना अवधि के दौरान, समुद्र से बिजली पैदा करने के लिए और अधिक प्रयास किया जाएगा।

[अनुवाद]

फ्रांस में हो रहे भारत महोत्सव में कलाकारों को शामिल न करना

4432. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कलाकारों और दस्तकारों को फ्रांस में हो रहे महोत्सव में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है;

(ख) क्या ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की पूरी तरह से अपेक्षा की गई है; और

(ग) आंध्र प्रदेश संगीत चित्रकारी और नृत्य आदि जैसी कला की ऐसी कौन-सी विधाओं को भारत महोत्सव में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं, ओडिसी नृत्य समारोह पेरिस में 21 और 22 सितम्बर, 1985 को प्रस्तुत किए जायेंगे।

(ग) फ्रांस और अमरीका में भारतोत्सव में प्रस्तुत किये जाने वाले आंध्र प्रदेश की प्रदर्शन कलाओं के प्रकारों में आंध्र शैडो कठपुतली और कुचीपुड़ी है।

विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर रात को विमान उतारने की सुविधाएं

4433. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) हवाई अड्डे पर रात को विमानों के उतरने सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) क्या हवाई अड्डे के बढ़ते हुए महत्व तथा इस पर बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस हवाई अड्डे पर कोई सुधार करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान मुख्य धावनपथ पर पुनः फर्श बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस समय इण्डियन एयरलाइन्स विशाखापत्तनम तक बोइंग 737 विमान का प्रचालन कर रहा है। एक नया अंतस्थ भवन और तकनीकी खण्ड पूरा होने के अन्तिम चरण पर है। कार पार्क का विस्तार सहायक जेनेरेटर और प्रचालन दीवार जैसी सुविधाओं का निर्माण-कार्य सातवीं योजना में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना में सम्पर्क पद्धति उपकरण, अग्निशमन सुविधाओं और सुरक्षा उपाय जैसे कार्यों के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

सोलर सेलों का निर्माण

4434. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को उन सोलर सेलों को बनाने की अनुमति दे दी जाएगी जो वर्तमान में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

द्वारा बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में अग्रिम निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) से (ग) : वर्तमान नीति के अनुसार निजी क्षेत्रों द्वारा सौर सेलों के निर्माण पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। औद्योगिक लाइसेन्सों के आवेदन पत्रों पर उनकी उत्पादन लागत, मांग और प्रौद्योगिकी की कसौटी पर कस कर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

ओल-चिकी लिपिक को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

4435. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों की ओल-चिकी लिपि को संथालों की भाषा और लिपि के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या 410 में विलम्ब

4436. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जुलाई, 1985 को इण्डियन एयरलाइन्स की पटना से उड़ान संख्या 410 में साढ़े दस घण्टे का विलम्ब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ान संख्या 410 एक निर्धारित उड़ान है और क्या दिल्ली आने वाले यात्रियों को कहा गया कि वे लखनऊ में उतर जाएं और वहां से उन्हें अन्य उड़ान में दिल्ली ले जाया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस घटना की जांच की गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) विलम्ब विमान की समय-सारणी को पुनः निर्धारित करने के कारण हुआ जिसे आई० सी० 410 का प्रचालन करना था। आई० सी० 410 उड़ान कलकत्ता से समय से 10 घंटे 45 मिनट पीछे रवाना हुई क्योंकि इस विमान का उपयोग आई०सी० 255 और 490 (कलकत्ता—सिल्चर—इम्फाल—गोवाहाटी—बागडोगरा—पटना—दिल्ली) पर प्रचालन के लिए किया गया था। यह करना जरूरी हो गया क्योंकि आई० सी० 255 के लिए निर्धारित विमान एक पहले की उड़ान करते समय अगरतल्ला पर रुक गया था और इस विमान द्वारा आई०सी० 255 तथा आई०सी० 490 के प्रचालन के लिए प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि इस क्षेत्रक के स्टेशनों पर उतरने की रोक हैं।

(ग) और (घ) : जी, हां। आई० सी० 410 एक अनुसूचित उड़ान है। 19-7-85 का दिल्ली—लखनऊ—पटना—रांची—कलकत्ता क्षेत्रक पर प्रचालन करने वाली आई०सी० 409 तकनीकी खराबी के कारण लखनऊ हवाई अड्डे पर रुक गया था। इण्डियन एयरलाइन्स ने इस विमान को आई० सी० 410 का प्रचालन कर रहे विमान के साथ आपस में बदलने का निर्णय किया ताकि इसके मूल स्थान पर इसके रात के रुकते समय इसकी पूरी जांच की जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए आई० सी० 410 के यात्रियों को इस विमान से उतरने और आई० सी० 409 में सवार होने के लिए कहा गया जो उन्हें दिल्ली ले जाता। चूंकि यात्रियों ने उतरने से इन्कार कर दिया इसलिए विमानों की आपस में अदला-बदली नहीं हुई।

केन्द्रीय भण्डार की विशेष लेखा परीक्षा

4437. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय**
श्री कमला प्रसाद सिंह } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सरकारी समिति लिमिटेड) नई दिल्ली की कोई विशेष लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो विशेष लेखा परीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : जी, हां। अधिकतर लेखन-सामग्री की मदों की खरीद से सम्बन्धित कतिपय लेन-देनों की, जिनके सम्बन्ध में

कतिपय आरोप प्राप्त हुए थे, एक विशेष लेखा-परीक्षा की गई थी। लेखा-परीक्षा दल ने यह टिप्पणी दी थी कि विशिष्ट मामलों में, वित्तीय अधिकारिता तथा कार्यविधियों के मानदंडों का अनुपालन नहीं किया गया था। इस मामले में आगे जांच चल रही है।

केन्द्रीय सरकार के पास प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

4438. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुलिस सेवा का डर कितने अधिकारियों की सेवाएं केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से प्राप्त की गई हैं और उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों से केन्द्र को कितने अधिकारी भेजे गए हैं; और

(ख) राज्यों से केन्द्र को अधिकारियों की सेवायें प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवाएं अलग-अलग राज्य सरकारें द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गयी उपलब्धता सूची के आधार पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व को ध्यान रखते हुए प्राप्त की जाती हैं। केन्द्र सरकार समय-समय पर जनहित में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करती है।

विवरण

प्रतिनियुक्ति के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	1984-85 तथा 1985-86 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त किये गए अधिकारियों की संख्या		1984-85 और 1985-86 के दौरान राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजे गए अधिकारियों की संख्या	
		1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8		4	2
2.	हरियाणा	15		3	5
3.	मध्य प्रदेश	12		3	3
4.	महाराष्ट्र	8		2	4
5.	उड़ीसा	10		2	1
6-	राजस्थान	16		2	4
7.	उत्तर प्रदेश	8		1	2

कल पुर्जा उद्योग में निवेश

4439. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब तक कल-पुर्जों के उपयोग में कुल 1000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आवश्यकता के स्तर से काफी कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार हिस्से-पुर्जे उद्योगों में निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या पेशकश कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) हालांकि संघटक-पुर्जा उद्योग में इस समय पूंजी निवेश का स्तर लगभग 150 करोड़ रु० है, तथापि यह अनुमान किया जा रहा है कि 350 करोड़ रु० के अतिरिक्त पूंजीनिवेश की जरूरत होगी। यह आशा की जाती है कि सातवीं योजना के दौरान संघटक-पुर्जों के लिए आवश्यक 500 करोड़ रु० का शेष पूंजी-निवेश अगले 2-3 वर्षों तक कर लिया जाएगा ताकि 1000 करोड़ रु० का योजनागत लक्ष्य प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।

(ख) संघटक-पुर्जा उद्योग में उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित संशोधनों की घोषणा की गई है :—उत्पादन क्षमता पर कोई ऊपरी सीमा नहीं रहेगी, गैर-लाइसेंसीकरण, इस क्षेत्र में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को भी पूंजी निवेश की अनुमति दी जाएगी, उत्पादन शुल्क हटा लेना तथा प्रौद्योगिकी को उदार रूप से प्राप्त करने की अनुमति।

केन्द्रीय सन्दर्भ ग्रन्थालय को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया जाना

4440. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि क दौरान केन्द्रीय संदर्भ ग्रंथालय को कलकत्ता से दिल्ली ले जाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"क्रेक्स फाउन्ड इन सम 747 जेट्स" शीर्षक समाचार

4441. **श्री के० प्रधानी**
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या पर्यटन **और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 जुलाई, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "क्रेक्स फाउन्ड इन सम 747 जेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो एयर इण्डिया के पास ऐसे कितने विमान हैं और नियमित समयन्तराल से निर्माताओं द्वारा इन विमानों की जांच कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा प्रारम्भ की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इण्डिया के विमान बेड़े में 9 बोइंग-747 विमान हैं। निर्माता और नागर विमानन महानिदेशालय की सिफारिशों के अनुसार सभी विमानों की आवधिक जांच की जाती है और उनका सतत् निरीक्षण किया जाता है।

परिचालन में लगे हुए विमानों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं द्वारा समय-समय पर सिफारिश किए गए संरचनात्मक निरीक्षण/सुधार/संशोधन करने के लिए एयर इण्डिया के पास समस्त उपकरणों की व्यवस्था है। ये निरीक्षण/सुधार निर्माता और नागर विमानन महानिदेशालय की सलाह के अनुसार निर्धारित अंतरालों के बाद लाइसेंस शुदा/मान्यता प्राप्त इन्जीनियरों द्वारा किए जाते हैं। अतः निर्माताओं द्वारा इन विमानों का निरीक्षण करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय अपराधी

4442. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय**
श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-नेपाल सीमा पर बिहार में पश्चिमी चम्पारन में सक्रिय अपराधियों की मौजूदगी की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जब कभी बिहार सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करती है वे सीमा पार कर नेपाल भाग जाते और वहां संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह देखने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है कि इन अपराधियों को नेपाल में संरक्षण न मिले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार भारत-नेपाल सीमा पर अपराधियों को पकड़ने के लिए जब कभी छापे आयोजित किए जाते हैं तो वे नेपाल में भूमिगत हो जाते हैं । तथापि इस विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस प्रकार के अपराधी नेपाल में संरक्षण प्राप्त करते हैं । जब कभी आवश्यक होता है नेपाल पुलिस से हमेशा सहयोग मांगा और प्राप्त किया जाता है ।

परम्परागत स्थानीय खेलों को राष्ट्रीय महत्व देना

4443. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ अत्याधिक रूचिकर परम्परागत स्थानीय खेलों की ओर विशेष ध्यान देने का है ताकि उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जा सके;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने का है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ): विभिन्न क्षेत्रों में परम्परागत खेलों के विकास को ध्यान में रखकर भारतीय खेल प्राधिकरण (एस० ए० आई०) से राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से ऐसे खेलों के बारे में आंकड़े एकत्र करके देश के विभिन्न भागों में ऐसे लोकप्रिय खेलों का पता लगाने के लिए कहा गया है ।

दूतावासों के लिए भवन तथा अन्य अचल सम्पत्तियों की खरीद

4444. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत मिशनों के लिए किन-किन देशों में भवन तथा अन्य अचल सम्पत्तियां खरीदी हैं;

(ख) खरीदी गई अचल सम्पत्ति का मूल्य क्या है;

(ग) क्या कुछ उन देशों में जहां उनका अभी तक कोई भवन नहीं है, भवन तथा अचल सम्पत्ति खरीदने का कोई और प्रस्ताव भी है; और

(घ) क्या भारतीय मिशनों के लिए सभी बाहरी देशों में आवश्यक भवन अधिग्रहण करने के लिए कोई समयबद्ध योजना अथवा कार्यक्रम है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) उन देशों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं जहां सरकार ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए भवन और अन्य अचल सम्पत्ति खरीदी है ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

उन देशों के नाम जहां भारत सरकार के अपने भवन और अन्य अचल सम्पत्ति है

1. अफगानिस्तान
2. अर्जन्तीना
3. आस्ट्रिया
4. आस्ट्रेलिया
5. बेल्जियम
6. भूटान
7. बर्मा
8. ब्राजील
9. कनाडा
10. कोलम्बिया
11. साइप्रस
12. चिली
13. डेनमार्क
14. मिश्र (ए०आर०ई०)
15. जर्मन संघीय गणराज्य
16. फिनलैंड
17. फीजी
18. फ्रांस
19. घना
20. ग्रीस
21. हांगकांग
22. इन्डोनेशिया
23. आयरलैंड
24. ईरान
25. जमैका
26. जापान
27. जोर्डन
28. कीनिया
29. कोरिया (दक्षिण गणराज्य)
30. कुवैत
31. मालागासी गणराज्य
32. मलावी
33. मारीशस
34. मलयेशिया
35. मैक्सिको
36. मोजाम्बीक
37. मोरक्को
38. नेपाल

39. नीदरलैंड
40. न्यूजीलैंड
41. नार्वे
42. नाइजीरिया
43. पाकिस्तान
44. फिलिपीन्स
45. पोलैंड
46. पुर्तगाल
47. कातार
48. सऊदी अरब
49. श्रीलंका
50. सिंगापुर
51. स्विटजरलैंड
52. स्पेन
53. स्वीडन
54. सीरिया
55. सूडान
56. तन्जानिया
57. थाईलैंड
58. तुर्की
59. तुनीशिया
60. त्रिनिदाद एवं तोबागो
61. यूनाइटेड किंगडम
63. संयुक्त राज्य अमरीका
63. संयुक्त अरब अमीरात
64. वेनेजुएला
65. उगांडा
66. यमन (लोकतांत्रिक जन गणराज्य
67. जाईर
68. जाम्बिया
69. जिम्बाबवे

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कुप्रबन्ध तथा भ्रष्टाचार

4445. **श्री मुरलीधर माने** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों में कुप्रबन्ध, कदाचार, ग्राहकों की असंतोषजक सेवा के सम्बन्ध में शिकायतें सरकार की जानकारी में लाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के मामलों की कोई जांच की गई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) : आई०टी०डी०सी० के होटलों में कुप्रबन्ध, अनाचार या ग्राहकों को खराब सेवाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी सभी शिकायतों की आई०टी०डी०सी० के प्रबन्धकों द्वारा पूर्ण-रूपेण जांच की जाती है तथा प्रत्येक मामले में गुण-दोषों की जांच करने के पश्चात उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

डर्बन शहर में भारतीय मूल के परिवारों पर हमला

4446. श्री भोला नाथ सेन
श्री अय्यप्पु रेड्डी
: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण अफ्रीका में पत्तन शहर डर्बन में भारतीय मूल के परिवारों पर हाल ही में किये गये आक्रमणों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे परिवारों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) : डर्बन और इसके आस-पास के नगरों में अगस्त, 1985 के शुरू में कुछ दिनों तक दंगे हुए थे और अशान्ति रही थी। समाचारपत्रों की खबरों में, जो सूचना के हमारे मुख्य स्रोत हैं, यह बताया गया है कि साठ से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई जिनमें अधिकांश अश्वेत थे। इनानदा नामक नगर में भारतीय मूल के लोगों की कुछ दुकानों और घरों को तथा महात्मा गांधी द्वारा 1890 में स्थापित समीपवर्ती फोनिक्स सेटलमेंट को नष्ट किये जाने की खबर है। बताया जाता है कि भारतीय मूल के अनेक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रिकों ने अन्य भारतीय बस्तियों तथा सामुदायिक केन्द्रों में शरण ली है। ऐसा लगता है कि ये उपद्रव गैर-पृथग्वासन ताकतों में फूट डालने तथा भारतीय और अफ्रीकी समुदाय के उन लोगों के बीच घृणा के बीज बोने के लिए कराये गये थे जो प्रीटोरिया शासन की घृणित जातिवादी नीतियों के विरुद्ध हमेशा से ही कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते आए हैं। ऐसा लगता है कि जातिवादी शासन की सुरक्षा सेनाएं इन हिंसात्मक घटनाओं के दौरान मात्र मूक दर्शक बनी रहीं। भारत सरकार पड़ोस की सम्बद्ध अफ्रीकी सरकारों के साथ और दक्षिण अफ्रीका में स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेताओं के साथ सम्पर्क बनाये हुये है ताकि गैर पृथग्वासन वादी शक्तियों में फूट डालने के प्रयास सफल न हो सकें।

[हिन्दी]

इन्दिरा सरोवर जल विद्युत योजना को मन्जूरी देना

4447. श्री महेन्द्र सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इन्दिरा जल विद्युत योजना को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत कब तक मन्जूरी मिलने की सम्भावना है; और

(ख) क्या पर्यावरण विभाग द्वारा गठित कार्यदल के सदस्यों ने अप्रैल, 1984 में परियोजना स्थल का निरीक्षण किया था और अपनी जांच रिपोर्ट भी पेश की थी और यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जब तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बस्तर "मास्टर प्लान" (जिसका उल्लेख नीचे किया गया है) प्रस्तुत नहीं किया जाता, इस सम्बन्ध में निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

(ख) पर्यावरण विभाग के कार्यकारी दल ने फरवरी और अप्रैल, 1984 में परियोजना स्थल का दौरा किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सरकार से बस्तर मास्टर प्लान भेजने का अनुरोध किया था जो कि पर्यावरण की स्थिति के मूल्यांकन के लिए जरूरी समझा गया था लेकिन यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है। फरवरी, 1985 में मूल्यांकन रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया था।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों द्वारा भारतीय लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार

4448. **श्री मुरली देवरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय लड़कियां और महिलाएं खाड़ी के देशों से आने वाले पर्यटकों के साथ विवाह करने के छलावे (सुविधा विवाह) में फंस जाती हैं और बाद में उन्हें उनके पतियों द्वारा बड़ा परेशान किया जाता है अथवा उनके साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार किया जाता है कि ताकि वे वापस भारत चली आयें; और

(ख) हमारे उत्प्रवास नियमों में ऐसी महिलाओं को क्या संरक्षण दिया गया है और यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे विवाह वास्तविक हैं तथा केवल "सुविधा विवाह" मात्र न हों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) खाड़ी देशों के पर्यटकों द्वारा गरीब परिवारों की मुस्लिम लड़कियों के साथ विवाह करने के समाचार हैं। इस प्रकार के विवाह सामान्यतः आर्थिक दबाव और लालच से होते हैं।

(ख) हमारे उत्प्रवास नियम इस प्रकार के मामलों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि ये नियम मजदूरों (पुरुष या महिला) के हितों की रक्षा के लिए हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारें स्थिति से अवगत हैं और मामले में पर्याप्त सतर्कता बरत रही हैं।

राजस्थान में वृक्षारोपण

4449. **श्री जुझार सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत वर्ष वृक्ष रोपण कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और प्रति वृक्ष कितनी लागत आई;

(ख) क्या वृक्ष रोपण कार्यक्रम के आरम्भ किये जाने के बारे से परम्परागत वनों की देख-भाल और संरक्षण की उपेक्षा की जा रही है और परम्परागत वनों से नए कार्यक्रम के अन्तर्गत

भारी लागत पर लगाये गये नये वृक्षों की संख्या की तुलना में कहीं अधिक संख्या में पुराने वृक्ष नष्ट कर दिए गए हैं; और

(ग) राजस्थान में तथा अन्यत्र स्थानों में परम्परागत वनों के संरक्षण के लिए सरकार का क्या प्रयास करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) 1984-85 के दौरान 857 लाख पौधों को उगाने तथा उनके रोपण पर 1496.13 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है। प्रति पौद की औसत लागत करीब 1.75 रुपए बैठती है। वितरित किये गये पौदों को रोपित करने की लागत को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश में वनों के संरक्षण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. अनधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वन अधिनियम लागू करना।

2. वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोगों में अन्धाधुन्ध बदले जाने पर रोक लगाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करना।

3. अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वन सम्बन्धी कार्यों में लगी ठेकेदारों की एजेंसियों को समाप्त करना।

4. वन संरक्षण के सम्बन्ध में दीर्घावधि आधार पर समस्या का समाधान करने के विचार से "झूम खेती" की समस्या सहित वन भूमि में चराई और अतिक्रमण की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना।

5. लुगदी और खपच्चियों को हाल ही में आयात शुल्क से मुक्त किया गया है। कुछ विशिष्ट रूप में लकड़ी पर आयात शुल्क को यथामूल्य आधार पर 10 प्रतिशत घटा दिया गया है।

6. लकड़ी के स्थान पर अन्य उत्पादों को प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में अध्ययन के लिये एक अन्त: मंत्रालय दल का गठन किया गया है, इससे वनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

7. प्रत्येक वर्ष 50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जलावन की लकड़ी के और चारे के वृक्ष लगाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। वनरोपण के लिए लोगों में जागरुकता का विकास किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संरक्षण सम्बन्धी उपायों को मजबूत बनाया जा रहा है।

8. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे बायो-गैस तथा ईंधन बचाने के उपकरण, जैसे उन्नत

चूल्हे, सौर-चूल्हे (सोलर कुकर) तथा सौर-ऊर्जा से जल गर्म करने की प्रणाली/पानी गर्म करने के हीटर, सौर ऊर्जा से लकड़ी पकाने के भट्टे, आदि को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 7.50 लाख उन्नत चूल्हे, 3.55 लाख बायो-गैस संयंत्र, 0.30 लाख सौर ऊर्जा कुकर, 573 सौर ऊर्जा से जल गर्म करने के उपकरण, 19 सौर ऊर्जा से लकड़ी पकाने के भट्टे तथा 500 सौर ऊर्जा के वाटर हीटर लगाए गए।

दिल्ली को राज्य का दर्जा

4450. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को पूर्ण राज्य में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विधिवत रूप से चुने गए विधानमंडल के साथ, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, अनेक अवसरों पर विभिन्न मंचों से उठाई गई है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने मामले की जांच गम्भीरता से की थी, आयोग ने दिल्ली की विशेष राजनैतिक तथा प्रशासनिक समस्याओं को ध्यान में रख कर यह सिफारिश की थी कि दिल्ली केन्द्र शासित क्षेत्र होना चाहिए। वे विचार अब भी मान्य हैं जिनके आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न देने का सिफारिश की थी। यह मामला जटिल नीतियों और विषयों से सम्बन्धित है और सभी पहलुओं से इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

तराई भाभर क्षेत्र में रेगिस्तान का दृश्य

4451. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बरेली से प्रकाशित होने वाले 5 जून, 1985 के दैनिक 'अमर उजाला" में "तराई भाभर क्षेत्रों में रेगिस्तान का दृश्य" शीर्षक से प्रकाशित समाचार का ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सारे मामले की जांच की है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार को जल संकट के बारे में कोई चिंता नहीं है; और

(घ) यदि सरकार चिंतित है तो सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (घ) : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु सेना तैयार करना

4453. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु सेना को लगातार तैनात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राजनीतिक पद्धति पर इसके विपरीत प्रभाव होने की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) : जब कभी स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए कानून के अन्तर्गत सशस्त्र बलों की आवश्यकता होती है। पिछले तीन वर्षों में 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने 30 बार सेना बुलाई । चूंकि सशस्त्र बलों की तैनाती, कानून के अन्तर्गत विनियमित की जाती है, इसलिए राजनैतिक पद्धति पर विपरीत प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

4454. **प्रो० पी०जे० कुरियन**
डा० जी० विजय रामा राव
प्रो० मधु दण्डवते : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (6) में संशोधन करने के लिए सरकारी कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय का निर्णय किसी भी तरह से सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवावधि से सम्बन्धित मामलों में उपलब्ध संवैधानिक गारंटी में कोई बदलाव अथवा कमी नहीं लाता है। यह केवल अनुच्छेद 311(2) के अपवादों के क्षेत्र को स्पष्ट करता है, जो कि उसी अनुच्छेद के दूसरे परन्तुक में उल्लिखित हैं तथा जो संविधान के लागू होने के समय से विद्यमान हैं। चूंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल, सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद 311(2) के अधीन पदच्युति, पद से हटाए जाने अथवा पंक्तिच्युत किए जाने की स्थिति में संवैधानिक संरक्षण के सही मापदण्डों को स्पष्ट किया है, इसलिए सरकार अनुच्छेद 311(2) में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं समझती।

इमारती लकड़ी के तैयार करने की लागत

4455. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में वन विभाग द्वारा विभागीय तौर पर कताई, गट्ठा बनाने, खींचने तथा छतम आरा मिल तक ले जाने सहित इमारती लकड़ी की प्रति क्युबिक मीट्रिक प्राप्ति लागत क्या बैठती है;

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कताई, गट्ठा बनाने, खींचने और छतम आरा मिल तक ले जाने सहित निर्माताओं एवं वन कूपे मायिकों की इमारती लकड़ी तैयार करने की क्या लागत आती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभागीय और निजी तौर पर कुल कितनी मात्रा में इमारती लकड़ी तैयार की गई; और

(घ) वन विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और अण्डमान तथा निकोबार वन रोपण तथा विकास निगम की लकड़ी तैयार करने की अलग-अलग क्षमता क्या है और विभाग तथा निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान पृथक रूप से कुल कितनी मात्रा में इमारती लकड़ी तैयार की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारी जल संयंत्रों की स्थापनायें करना

4456. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का दो और भारी जल संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों को कहां-कहां स्थापित किया जायेगा तथा उनकी क्षमता क्या होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : गुजरात में हजीरा में एक भारी पानी संयंत्र लगाने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है। इस संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष 110 मीटरीक टन भारी पानी का उत्पादन करने की है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनायें

4457. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए तैयार की गई विशेष योजनाओं की तरह अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने में किन कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि केवल अनुसूचित जातियों के लिए तैयार की गई योजनाएं राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप समुचित ढंग से उनको कार्यान्वित नहीं किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए खर्च की गई धनराशि के लाभ उन तक नहीं पहुंचे हैं अपितु लोगों तक पहुंचे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में की गई शिकायतों की जांच की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जैसा विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार की गई विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के मसौदा प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के दौरान मालूम हुआ था कि क्षेत्रीय विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत कुछ कार्यक्रम हैं जो केवल अनुसूचित जातियों के लिए योजनाओं का पता लगाने, धन की मात्रा निर्धारित करने और भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए विभाज्य नहीं हैं। यह भी देखा गया था कि अनुसूचित जनजातियों की तरह अनुसूचित जायितों की जनसंख्या सामान्यतः समूहों में इकट्ठी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप केवल अनुसूचित जातियों के लिए क्षेत्र पर आधारित योजनाएं तैयार करना व्यवहार्य नहीं है।

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन में सामान्यतः समाज कल्याण विभाग

एक नोडल विभाग है जो विशेष कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने को समन्वित करता है। इसलिए अनुसूचित जातियों के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं के उचित कार्यान्वियन पर साधारणत: इस कारण से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता कि वे एक से अधिक विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

छठी योजना में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्ति

4458. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग रहते थे और उनमें अनुसूचित जातियों के कितने लोग थे;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनमें से कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया था; और

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे थे और उनमें से अलग से अनुसूचित जातियों के कितने लोग थे ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1977-78 (32वां दौर) और 1983 (38वां दौर) में पंचवर्षीय पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण करता रहा है। इन सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्टों में व्यय की श्रेणी के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की खपत और व्यय की श्रेणी के अनुसार परिवारों की संख्या उनकी संरचना सहित दी होती है। वर्ष 1977-78 के सर्वेक्षण की रिपोर्टों में दिए गए परिणामों का योजना आयोग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या और उनके प्रतिशत का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता रहा है। नवीनतम राज्यवार अनुमान वर्ष 1977-78 के लिए उपलब्ध है और संलग्न विवरण में दिए गए हैं। लेकिन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों राज्यवार गरीबी के अनुमान अलग से तैयार नहीं किये गये हैं।

छठी योजना के अन्तिम वर्ष (1984-85) के लिये, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के अनुमान अभी तैयार नहीं किए गए है। फिर भी, यह अनुमान लगाया गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1977-78 में किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के (32वां दौर-संशोधित) के अनुसार 307 मिलियन थी और यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 1983 (38वां दौर—अनन्तिम) के अनुसार 1983-84 में कम होकर 271 मिलियन रह गई ।

विवरण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार अलग-अलग और प्रतिशत : 1976-78

क्र०सं०	राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	170.35	43.89	36.44	35.68	206.79	42.18
2.	असम	88.34	52.65	7.07	37.37	95.41	51.10
3.	बिहार	338.44	58.91	32.94	46.07	371.38	57.49
4.	गुजरात	94.84	43.20	26.48	29.02	121.32	39.04
5.	हरियाणा	22.10	23.25	6.95	31.74	29.05	24.84
6.	हिमाचल प्रदेश	10.37	28.12	0.51	16.56	10.88	27.23
7.	जम्मू और कश्मीर	14.57	32.75	4.95	39.33	18.92	34.06

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कर्नाटक	124.10	49.88	38.62	43.97	162.72	48.34
9.	केरल	93.42	46.00	22.19	51.44	115.61	46.95
10.	मध्य प्रदेश	244.59	59.82	42.74	49.09	287.33	57.73
11.	महाराष्ट्र	214.11	55.85	61.30	31.62	275.41	47.71
12.	मणिपुर	3.42	30.54	0.56	25.48	3.98	29.71
13.	मेघालय	5.51	53.87	0.36	18.16	5.87	48.03
14.	नागालैण्ड	उ०न०	उ०न०	0.03	4.11	उ०न०	उ०न०
15.	उड़ीसा	158.97	68.97	10.33	42.19	169.30	66.40
36.	पंजाब	13.49	11.87	9.59	24.66	23.08	15.13
17.	राजस्थान	85.79	33.75	19.12	33.80	104.91	33.76
18.	तमिलनाडु	170.47	55.68	66.59	44.79	237.06	52.12
19.	त्रिपुरा	10.93	64.28	0.61	26.34	11.54	59.73
20.	उत्तर प्रदेश	429.93	50.?3	72.27	49.24	502.20	50.09
21.	पश्चिम बंगाल	227.65	58.94	48.10	34.71	275.75	52.54

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	सभी संघ राज्य क्षेत्र	6.35	34.32	11.24	17.96	17.59	21.69
	अखिल भारतीय (भारत)	2527.74	50.82	518.39	38.19	3046.10	48.13

उ०न० —उपलब्ध नहीं

नोट :—(1) उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1977-78 की कीमतों के आधार पर 65 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा का उपयोग करते हुए प्राप्त किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, 75 रु० की गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार है।

(2) ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के 32वें दौर (जुलाई, 1977 से जून, 1978) से सम्बन्धित अनन्तिम और त्वरित सारणीयन पर आधारित है।

(3) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिए गए अखिल भारतीय निजी उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित कुल अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त कुल अनुमानों में जो अन्तर है उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आबंटित करने के सम्बन्ध में किसी सूचना के अभाव में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात समायोजित किया गया है।

(4) गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1978 की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

(5) अखिल भारतीय आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या उन राज्यों की जनसंख्या के अनुसार है, जिन्हें विवरण में शामिल किया गया है।

मध्य प्रदेश में कोरबा औद्योगिक नगर में प्रदूषण

4459. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : *क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) मध्य प्रदेश के कोरबा औद्योगिक नगर में प्रदूषण किस स्तर तक पहुंच गया है;

(ख) क्या इस प्रदूषण को रोकने के लिए फैक्टरियों में नवीनतम उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं; और यदि हां, तो कब से ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अकादमी भण्डार कक्ष में कलाकृतियों का खराब हो जाना

4460. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल**
श्री मुरली धर माने
श्री गुरदास कामत : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ललित कला अकादमी भंडार कक्ष में लगभग एक हजार कला कृतियां खराब हो रही हैं;

(ख) क्या बहुत ही मूल्यवान चित्रकारी जिन्हें 1974 में जापान में प्रदर्शनी के लिए ले जाया गया था; नमी में दबी पड़ी हैं;

(ग) क्या जब तक अतिरिक्त भंडार के लिए तत्काल स्थान लेने के लिए कदम नहीं उठाए जाएंगे कला के ये सभी चित्र क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और उनकी मरम्मत नहीं हो सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ) : सभी कला कृतियां पक्के भवन में लोहे के रैकों पर रखी जाती हैं और समय-समय पर उनकी धूल साफ कर दी जाती है तथा हवा बाहर निकाली जाती है। भंडार के कमरों का दीमक-विरोध उपचार और कीट-विरोध उपचार किया जाता है। जो चित्र प्रदर्शनी के लिए जापान ले जाए गए थे उन्हें नमी रहित सुरक्षित स्थिति में रखा गया है। अकादमी अतिरिक्त भंडार स्थान बनाने का प्रयत्न कर रही है।

[हिन्दी]

केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

4461. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए उच्च अधिकारियों (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) से उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि, समाप्त होने पर अपने सम्बन्धित राज्यों में वापिस जाने के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारी अपने सम्बन्धित राज्यों में वापिस चले गए हैं और अभी कितने को वापिस जाना है; और

(ग) शेष अधिकारियों को अपने सम्बन्धित राज्यों को वापिस न भेजने के क्या कारण हैं और कितने अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी नियुक्ति के समय से ही अथवा पिछले 20 वर्षों या इससे अधिक अवधि से केन्द्रीय सरकार की सेवा में कार्य कर रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई०ए०एस०) और भारतीय पुलिस सेवा (आई०पी०एस०) के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों में सामान्यत: निश्चित कार्यकाल के लिए ही नियुक्त किया जाता है और इस कार्यकाल के पूरा हो जाने पर कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें लोकहित में कार्यकाल में थोड़ी वृद्धियां कर दी जाती हैं, इन अधिकारियों को उनके मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। फिर भी भारतीय पुलिस सेवा के मामले में कुछ अधिकारियों की सेवाएं स्थाई रूप से केन्द्र को सौंप दी जाती हैं।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारियों की संख्या जिन्हें 1.1.1985 से उनके मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था, क्रमश: 41 और 22 थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मामलों में जिन अधिकारियों को निर्धारित कार्यकाल के आगे रखा गया था उनकी संख्या 4 है और भारतीय पुलिस सेवा के मामलों में उ.. ी संख्या 124 है। इनमें से भारतीय पुलिस सेवा के 89 अधिकारियों की सेवाएं स्थाई रूप में केन्द्र को सौंप दी गई हैं अथवा उन्हें स्थाई आधार पर केन्द्र में खपाया जाना है।

(ग) जिन अधिकारियों का कार्यकाल निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाया गया है, उन्हें लोकहित में केन्द्र में ही रख लिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी अधिकारी को 20 साल तक केन्द्र में नहीं रखा गया है। भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो गत 20 अथवा उससे अधिक वर्षों से अपने मूल संवर्गों में वापिस नहीं गए हैं, उनकी संख्या 22 है। इन अधिकारियों की सेवाएं या तो स्थाई आधार पर केन्द्र को सौंप दी गई हैं अथवा इन्हें स्थाई आधार पर केन्द्र में ही खपाया जाना है।

[अनुवाद]

कुर्नूल पेपर मिल्स द्वारा प्रदूषण

4462. श्री एम० सुब्बा रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित कुर्नूल पेपर मिल्स तुंगभद्रा नदी में अपशिष्ट पदार्थ बहा रही है;

(ख) क्या इसके कारण नदी के किनारों पर बसे गांवों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या इससे श्रीसेलम जलाशय में मछलियां आदि भी प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कारखाने से क्या प्रदूषण-रोधी उपाय करने के लिए कहा गया है और उसका उचित अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) : कुर्नूल पेपर मिल्स बहिस्त्रावों को निर्धारित मानकों के अनुसार उपचार के पश्चात् तुंगभद्रा नदी में बहा रही है। यद्यपि गांवों तथा मछलियों पर बहिस्त्रावों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई निश्चायक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी बहिस्त्रावों में रंग के कारण लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पेपर मिल को रंग को दूर करने के लिए बहिस्त्रावों के उपचार करने या रंगीन बहिस्त्राव को अलग करने और इसे भूमि पर बहाने के लिए निदेश दिए हैं। उन्हें बनस्पति उगाने के लिए बहिस्त्रावों के उपयोग की सलाह भी दी गई है। इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य बोर्ड प्रगति पर निगरानी रख रहा है।

बंगलादेशियों द्वारा चोरी छिपे भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करना

4463. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि अनेक बंगलादेशी व्यक्ति देश में बेईमान एजेंटों की सहायता से चोरी छिपे भारतीय पासपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने बम्बई से 4 अगस्त, 1985 को प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें यह कहा गया था कि श्री इस्मत अली खुलोमियां नामक एक ऐसे व्यक्ति को भारतीय पासपोर्ट जारी किया गया है जो बंगलादेश का राष्ट्रिक बताया जाता है। श्री इस्मत अली खुलोमियां को पासपोर्ट संख्या ए-328119 दिनांक 29-5-85 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई द्वारा तब जारी किया गया था जब बम्बई की पुलिस ने उनके बारे में उपयुक्त जांच पड़ताल कर ली थी।

श्री इयाकूबाली मोहम्मद अली को भी जिसके बारे में बंगलादेश का राष्ट्रिक होने की खबर है, उसी पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 30-12-1982 को पासपोर्ट संख्या टी-340081 तब जारी किया

गया था जब उदार प्रक्रिया के अन्तर्गत तीन सप्ताह के बाद पासपोर्ट जारी कर दिए जाते थे चाहे सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों से पहचान और सुरक्षा छानबीन रिपोर्ट प्राप्त न हुई हों। यह भी इसी प्रकार का एक मामला था।

(ख) इयाकूबाली मोहम्मद अली के मामले में सरकार को यह पता चला कि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि वे भारतीय राष्ट्रिक हैं जैसा कि सिटी सिविल न्यायालय ग्रेटर बम्बई के 29-1-85 के आदेश में कहा गया था। श्री इयाकूबाली मोहम्मद अली का पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3), (क) और (ख) के तहत अब रद्द कर दिया गया है क्योंकि पासपोर्ट धारक भारत का नागरिक नहीं है और पासपोर्ट धारक ने पासपोर्ट तथ्यात्मक सूचना छिपाकर या गलत सूचना के आधार पर हासिल किया था।

श्री इस्मत अली खुलोमियां को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि समाचार-पत्र की खबरों में निहित तथ्यों को देखते हुए क्यों न उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। बम्बई में सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे इस व्यक्ति के बारे में नई रिपोर्ट भेजें।

(ग) क्योंकि अब पासपोर्ट सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से आवेदक की उपयुक्त पहचान और सुरक्षा छानबीन कर लेने के बाद जारी किए जाते हैं, अत: राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे पुलिस प्राधिकारियों पर इस बात के लिए जोर दें कि वे इस सम्बन्ध में ज्यादा सतर्कता बरतें।

कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती के सम्बन्ध में जारी किए गए दिशा-निर्देश

4464. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए सेना के उपयोग के विरुद्ध निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में अशांत क्षेत्रों में सेना की तैनाती के लिए राज्यों के साथ-साथ सेना को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा तथा कृषि कचरे से ऊर्जा

4465. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस और भारत व्यापक रूप से प्रदूषित गंगा नदी तथा कृषि कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने पर सहमत हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो फ्रांस सरकार के सम्भावित सहयोग का ब्यौरा क्या है, जो इसकी तकनीकी का उपयोग करके गंगा को शुद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा तथा उन शहरों की संख्या और नाम क्या हैं जो इस नदी को प्रदूषित करते हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जून, 1985 में पेरिस में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में फ्रांस का एक प्रतिनिधिमंडल इस मास चर्चा के लिए तथा उन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए, जो कि फ्रांस की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ आरम्भ की जा सकती हैं, भारत का दौरा कर रहा है। अभी तक इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत विशेषकर सहयोग के लिए वाराणसी शहर को चुना गया है।

स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में सार्वजनिक रिकार्ड

4466. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने केन्द्र तथा राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम के अभिलेखों को, जो इस समय आसूचना ब्यूरो, राज्य पुलिस विभागों तथा आपराधिक जांच एजेंसियों के पास लोक विदित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने एक संकल्प पारित किया है, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों से स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में राजनीतिक आन्दोलन में लगे हुए व्यक्तियों और दलों से सम्बन्धित अभिलेखों को, जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राज्य पुलिस विभागों और अपराध अन्वेषण विभागों की अभि, रक्षा में थे, अनुसन्धान अध्येताओं के उपयोग के लिए खुले रखने का अनुरोध किया है। आयोग ने भी अन्वेषण ब्यूरो के अभिलेखों को चयनात्मक आधार पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप देने की सिफारिश की है।

पाक जेलों में भारतीय व्यक्ति

4467. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की जेलों में अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक और असैनिक व्यक्ति हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1984 को उनकी संख्या कितनी थी;

(ग) भारत सरकार द्वारा उनको मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) 31 दिसम्बर, 1984 को भारतीय जेलों में कितने पाकिस्तानी नागरिक थे;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला-बदली पर आपस में कोई बातचीत चल रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वास किया जाता है कि पाकिस्तानी जेलों में लगभग 600 भारतीय कैदी थे। इन आंकड़ों में 1971 से लापता भारतीय सुरक्षा सेनाओं के 43 कार्मिक भी शामिल हैं ।

(ग) पाकिस्तानी जेलों में भारतीय कैदियों की रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन के प्रश्न को पाकिस्तान सरकार के साथ विभिन्न अवसरों पर बराबर उठाया जाता रहा है ।

(घ) भारतीय जेलों में 31-12-84 तक लगभग 40 पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे ।

(ङ) और (च) : भारत और पाकिस्तान की जेलों में एक-दूसरे देश के कैदियों की रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन के मामले को भारत-पाक संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक (2 से 4 जुलाई, 1985 तक) में, जो नई दिल्ली में हुई थी, पुनः उठाया गया । बैठक में दोनों देशों की सरकारें इस बात पर सहमत हुई थी कि इस प्रकार के कैदियों के लिए वर्ष में तीन बार कोंसली सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनकी रिहाई तथा प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाया जाए ।

परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना

4468. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने परमाणु ऊर्जा केन्द्र कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) क्या देश में और परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके लिए किन स्थानों का सुझाव दिया गया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है; और

(घ) भारत सरकार की परमाणु नीति क्या है और उसे विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) से (घ) : भारत में इस समय पांच परमाणु विद्युत रिऐक्टर काम कर रहे हैं, जो तारापुर (महाराष्ट्र), रावतभाटा (राजस्थान) और कलपाक्कम (तमिलनाडु) में स्थित हैं। भारत का लक्ष्य यह है कि सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले संयंत्र लगा दिये जायें। इस विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने प्रत्येक राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वह परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों के बारे में सुझाव दे। उस समिति ने सभी राज्यों में स्थलों की जांच की है, जिनमें वे स्थल भी शामिल थे जिनके नामों की सिफारिश विभिन्न राज्यों ने विशेष रूप से की थी। स्थल चयन समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट का अध्ययन सरकार कर रही है।

भारत की परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी नीति यह है कि परमाणु उर्जा का विकास, नियंत्रण और उपयोग भारत की जनता के कल्याण के लिए तथा अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए, जैसे कि बिजली पैदा करना, तथा आयुर्विज्ञान, उद्योगों और कृषि के क्षेत्रों में उपयोग के लिए रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन करना, किया जाए।

जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, इम्फाल में शिक्षण और नृत्य नाट्य गतिविधि

4469. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, इम्फाल के नृत्य नाट्य निर्माता एककों द्वारा दी गई शिक्षा का समय-समय पर मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को मालूम है कि शिक्षा के स्तर में विशेषकर शास्त्रीय नृत्य अनुभाग में काफी गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) : जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी (ज०ने०म०नृ०अ०), इम्फाल, संगीत नाटक अकादमी, जो सरकार से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त निकाय है, का एक संघटक एकक है। संगीत नाटक अकादमी का कार्यकारी बोर्ड ज०ने०म०नृ०अ० के कार्यकरण का निरीक्षण करता है।

संस्था की शैक्षणिक पद्धति एवं अन्य सम्बन्धित मामलों की समीक्षा, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा मार्च, 1982 में गठित समिति ने की थी। इस समीक्षा के फलस्वरूप शिक्षण पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित किया गया है। सितम्बर, 1984 में नियुक्त की गई एक पाठ्यक्रम समिति द्वारा एक नया पाठ्यक्रम भी बनाया गया है।

ज०ने०म०नृ०अ० के उत्पादन एकक ने देश के विभिन्न भागों एवं विदेशों में कई प्रदर्शन किए हैं, जिनका अच्छा स्वागत किया गया है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय एकता के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सहायता

4470. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ स्वयंसेवी संगठन, संस्थान, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) : सरकार स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से कार्य करने के लिए ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता देकर राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में उनसे सहायता प्राप्त कर रही है। सहायता-अनुदान के लिए शर्तों की एक प्रति विवरण-एक के रूप में संलग्न है। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों, आदि जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान वित्तीय सहायता दी गई थी, की एक सूची विवरण-दो के रूप में संलग्न है।

विवरण-एक

राष्ट्रीय एकता परिषद

राष्ट्रीय एकता विषयक कार्यों के लिए स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता मन्जूरी की शर्तें

1. **स्वयं सेवी संगठन की परिभाषा :—**

इस कार्यक्रम के प्रयोजन से निम्नलिखित को "स्वयंसेवी संगठन" माना जाएगा :—

(क) **भारतीय सोसायटी पंजीकरण, अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम xxii) के अधीन पंजीकृत कोई सोसायटी, या**

(ख) तत्समय लागू किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई पब्लिक ट्रस्ट, या

(ग) *समाज कल्याण कार्यक्रम के विकास और संगठन कार्य में रत कोई गैर-सरकारी* निकाय जो उचित अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो।

2. सहायता के पात्र संस्थान/संगठन का प्रकार :—

जो एजेंसियां निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती होंगी, वे सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी :—

(क) *उन्हें किसी उचित अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए या किसी पंजीकृत* कल्याण-संगठन की नियमित रूप से गठित ब्रांच होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मात्र केन्द्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, या पंजीकृत निकाय से सम्बन्ध होना काफी नहीं होगा।

(ख) इसकी प्रबन्ध-समिति भली-भांति गठित होनी चाहिए, और उसकी शक्तियां, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्टतः परिभाषित और लिखित विधान में निर्धारित होने चाहियें।

(ग) स्वयंसेवी संगठनों अथवा कल्याण संगठनों के ध्येय और उद्देश्य राष्ट्रीय एकता परिषद के उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिएं।

(घ) राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा प्रबन्धित या राज्य विधान परिषद के किसी अधिनियम के अधीन या राज्य सरकार के किसी संकल्प द्वारा स्थापित, या विश्वविद्यालय अथवा किसी शैक्षिक संस्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थानीय निकाय के फण्ड से या मुख्यतः सरकार से धन प्राप्त करने वाला कोई संगठन या संस्थान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अपने कानूनी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए दिए गए प्रतिव्यक्ति अनुदान को पूरा करने के लिए किसी संस्थान को कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

(च) वह संस्थान, सहकारी समितियों को छोड़कर, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं चलाया जाता हो।

(छ) स्वयंसेवी संगठन से आशा की जाती है कि वह किसी विशेष कार्य/कार्यों पर आने वाले कुल अनुमानित खर्च का कम से कम एक तिहाई खर्च स्वयं पूरा करे।

(ज) यह ऐसा संगठन होना चाहिए जिसका हिसाब-किताब नियमित रूप से किसी आंतरिक या बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किया जाता है।

(झ) यह भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला है जिसमें धर्म, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी एक के लिए कोई भेदभाव नहीं होता है ।

3. किन कार्यों के लिए अनुदान मिल सकता है :—

अनुदान स्वीकृति की पात्रता ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में मानी जाएगी जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हो । ये कार्यकलाप विशेषकर ऐसे होने चाहिए जिनसे उन उद्देश्यों को उन्नति मिलती हो जिनकी घोषणा राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा 1968 में श्रीनगर में की गई थी । उदाहरण के लिए ये कार्य इन विषयों के बारे में हो सकते हैं—

(क) साम्प्रदायिक बैर-भाव और क्षेत्रीय विद्वेश को निरूत्साहित करना और हिंसा के मार्ग पर ले जाने वाले पथभ्रष्टी तत्वों को निकाल फेंकना ।

(ख) विशेष रूप से सहनशीलता और सद्भावना के सिद्धान्तों का सक्रिय और शक्तिशाली प्रचार करना क्योंकि ये हमारे देश के आधारभूत सिद्धान्त हैं ।

(ग) राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए निर्माणकारी तत्वों को गतिशील बनाना और उन्हें नेतृत्व, उत्साह एवं स्वर प्रदान करना ।

(घ) भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, समान नागरिकता के विशिष्ट अधिकार दिलाने और राष्ट्रीय-जीवन के स्तर को उन्नत करने पर बल देते हुए सामुदायिक या ग्रुप कार्यकलापों और कार्यक्रमों को तैयार करना ।

4. वे सिद्धान्त जिन पर कार्यकलाप सुगठित किए जायें :

ऊपर के पैराओं में उल्लिखित कार्यकलापों को नीचे लिखे अनुसार किसी भी रूप में सुगठित किया जा सकता है—

(क) सेमिनार और चर्चा ग्रुप

(ख) राष्ट्रीय दिवसों और त्यौहारों को विभिन्न समुदायों के साथ मिलकर मनाना ।

(ग) सांस्कृतिक कार्यक्रम ।

(घ) अन्तर-क्षेत्रीय कैंप और यात्राओं का आदान-प्रदान ।

(ङ) एकता विषयक समस्याओं और मसलों पर प्रकाशन निकालना और मूलभूत राष्ट्रीय मूल्यों पर जोर देना ।

(च) साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए नागरिक समितियां बनाना ।

(छ) नागरिकों में शान्ति सद्भावना और सहनशीलता को बनाए रखने से सम्बन्धित स्थानीय मामलों और घटनाओं की उद्देश्यपरक जांच या अध्ययन हाथ में लेना।

(ज) भाईचारे की भावना को बढ़ाने और भारतीय राष्ट्रीयता तथा धर्मनिर्पेक्षता के अनिवार्य सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शनियां या ग्रुप कार्यक्रम आयोजित करना।

(झ) उस संगठन के वित्तीय साधनों में सहायता देना जो साम्प्रदायिक सद्भावना धर्म-निर्पेक्षता और राष्ट्रीय एकता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो।

5. अनुदान के लिए शर्तें :—

(क) जिस कार्य के लिए अनुदान मंजूर किया गया हो उसे मंजूरी पत्र में दी गई समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा।

(ख) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय की किसी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलना चाहिए और किसी एक व्यक्ति के नाम या पदनाम पर नहीं खोलना चाहिए। इन खातों को संयुक्त रूप से दो अधिकारियों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

(ग) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय को अनुमोदित कार्यक्रमों को लागू करने में समुचित मितव्ययता बरतनी चाहिए।

(घ) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई सहायता अनुदान नहीं प्राप्त की गई है।

(ङ) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय को जब कभी कहा जाए गृह मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी या कार्यक्रम को लागू करने से सम्बन्धित अन्य कोई सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

(च) स्वयंसेवी संगठन को दी गई अनुदान में से कोई अचल सम्पत्ति नहीं खरीदी जाएगी।

(छ) स्वयंसेवी संगठन को दी गई अनुदान में से 1000/- रुपये से अधिक मूल्य की कोई चल सम्पत्ति नहीं खरीदी जाएगी।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि :

प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न होने चाहिएं :—

(क) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि या उस संस्था के मामले में जो किसी पंजीकृत कल्याण-संगठन की नियमित रूप से गठित ब्रांच हो, उस मामले में मूल

कार्यालय के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि और उस निकाय से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि यह संस्था उसकी नियमित रूप से गठित ब्रांचों में से और यह अनुदान के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ख) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय के विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रतिलिपि।

(ग) प्रत्येक सदस्य के विवरण सहित, प्रबन्धक समिति के गठन की प्रतिलिपि।

(घ) पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति।

(ङ) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय का पिछले तीन वर्षों की प्राप्तियां और अदायगियों का पूरा विवरण जो चार्टड एकाउन्टेंट या सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित हो जिस संस्था के खातों की लेखा-परीक्षा न की गई हो उनके मामले में खातों के विवरण लेखा-परीक्षा किए बिना ही भेजे जाने चाहिए।

7. **अनुदान मंजूर करने की विधि :**

(क) अनुदान के लिए भेजे जाने वाले प्रत्येक अनुरोध में उस कार्य/उन कार्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनके लिए अनुदान मांगा जा रहा है। उस कार्य या उन कार्यों पर होने वाले अनुमानित व्यय का भी उल्लेख होना चाहिए और सम्बद्ध संगठन के सम्भावित अंशदान का भी उल्लेख होना चाहिए।

(ख) अनुदान मंजूरी की यह अनिवार्य शर्त होगी कि मंजूरी-पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर अनुदान प्राप्त करने वाला संगठन अनुदान में से किए गए व्यय के लेखे का लेखा-परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ग) किसी संगठन को मन्जूर किया गया अनुदान उस संगठन द्वारा केवल उसी कार्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा। जिसके लिए वह मन्जूर किया गया है। इस अनुदान का प्रमाण-पत्र अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा धारा (ख) में उल्लिखित अनुसार लेखा परीक्षित लेखों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। मन्जूरी देने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुदान किसी अन्य संगठन या किसी अन्य कार्य के लिए स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(घ) इस योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान में से खर्च न की गई राशि को मन्जूरी-पत्र में इस सम्बन्ध में दिए निर्देशों के अनुसार सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

(ङ) किसी संगठन को किसी एक वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत दो बार अनुदान नहीं दिया जाएगा। अतिरिक्त अनुदान के लिए कोई अनुरोध इस आधार पर स्वीकार नहीं

होगा कि मूल अनुमान, जिसके आधार पर अनुदान मांगा गया था और मन्जूर किया गया था, बढ़ गया है।

विवरण-दो

जिन संगठनों को 1984-85 के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया उनकी सूची।

1. फकरूद्दीन अली अहमद स्मारक समिति, नई दिल्ली।
2. प्रान्तीय समाज कल्याण आश्रम, उत्तर लखीमपुर।
3. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, नई दिल्ली।
4. सूर स्मारक मण्डल, आगरा (उ०प्र०)।
5. आनन्द निकेतन, जिला हावड़ा (पश्चिमी बंगाल)।
6. गांधी स्मारक समिति, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।
7. अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशन, नई दिल्ली।
8. बाजाली प्रगति संघ, पाठशाला (असम)।
9. पंजाब संघ, मद्रास।
10. कलकत्ता विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एकता परिषद, कलकत्ता।
11. बाजाली महिला समिति, असम।
12. केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद, लखनऊ।
13. ग्रामीण विकास संघ, मणिपुर।
14. जनजाति समाज कल्याण आश्रम, असम।
15. अखिल भारतीय एकता परिषद, लखनऊ।
16. दुलाल स्मृति सम्सद, हुगली।
17. कौमी एकता न्यास, नई दिल्ली।
18. धमोरा माबल हिल्स, एण्ड प्लेनस कलचरल संस्था, असम।
19. भारतीय राष्ट्रीय एकता बोर्ड, हैदराबाद।

अंडमान और निकोबार प्रदेश परिषद के लिए पदों का सृजन

4471. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रदेश परिषद गठित किये जाने के बाद, उसके काम करने के लिए अपेक्षित पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) जून, 1981 से अब तक प्रदेश परिषद के कर्मचारियों के कितने पदों का सृजन किया गया है और क्या अन्दमान और निकोबार प्रशासन से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रदेश परिषद सचिवालय के लिए 1981 में निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया था :—

क्रम सं०	पदों के नाम	पदों की संख्या
1.	उप सचिव	1 (एक)
2.	पार्षदों के निजी सचिव एवं स्टेनों	5 (पांच)
3.	उप सचिव का निजी सचिव एवं स्टेनों	1 (एक)
4.	अधीक्षक	1 (एक)
5.	उच्च ग्रेड लिपिक	2 (दो)
6.	निम्न ग्रेड लिपिक	2 (दो)
7.	दफ्तरी	1 (एक)
8.	चपरासी	7 (सात)

प्रदेश परिषद सचिवालय में कुछ अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(घ) प्रदेश परिषद सचिवालय का कार्य का अध्ययन किया जाना है । कार्य अध्ययन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा ।

समुद्री खरपतवार का इस्तेमाल

4472. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य वस्तुओं, उर्वरकों, कतिपय रसायनों और औषधियों के निर्माण में समुद्री खरपतवार के इस्तेमाल हेतु साधनों का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बड़े पैमाने पर समुद्री खरपतवार पैदा करने की प्रौद्योगिकी का मानकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) द्वारा समुद्री खरपतवार के क्षेत्रों पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) के वैज्ञानिकों की एक समिति गठित की गई।

(ख) समिति द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन में समुद्री खरपतवार की खेती रासायनिकी और उपयोगिता पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है।

(ग) अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप अगर उत्पादन के लिए लाल-शैवाल की खेती तथा खाद्य, वस्त्र व सौन्दर्य प्रसाधक उद्योगों में उपयोग के लिए ऐल्जीनिक एसिड तैयार करने के लिए सैरगैसम वैरायटी की खेती की अनुसंधान जानकारी विकसित की है।

राजधानी में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में घाटा

4473. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय अथवा भारत पर्यटन विकास निगम के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार राजधानी में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न होटलों को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) इस भारी घाटे के क्या कारण हैं जबकि राजधानी में गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल फल फूल रहे हैं;

(ग) क्या 5 सितारा होटलों सहित कुछ होटलों ने कार्यालयों की स्थापना के लिए हाल ही में अपने कुछ कमरे निजी कम्पनियों को किराये पर दिए थे;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक होटल द्वारा कितने कमरे किराये पर दिए गए थे, और किस दर पर दिए गए थे, कमरे के लिए छूट दी गई थी, ये कमरे कितनी अवधि के लिए दिए गए थे और क्या कोई अग्रिम किराया लिया था और सम्बन्धित कम्पनी का नाम क्या है; और

(ङ) क्या इन पांच सितारा होटलों के इस प्रकार के कमरों के प्रयोग के बारे में उच्च श्रेणी के ग्राहकों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राजधानी में चलाए जा रहे नौ होटलों ने वित्तीय वर्ष 1984-85 तक समग्र रूप से 18.44 करोड़ रु० का निवल लाभ अर्जित किया है।

(ग) और (घ) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) होटलों के कमरे कार्यालयों के प्रयोजनार्थ किराए पर देने से अतिथियों को हुई किसी असुविधा के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों के नोटिस में नहीं आई है।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली स्थित होटलों में विभिन्न कम्पनियों को किराए पर दिए गए आवास कमरे के लिए दी गई छूट, लाइसेंस फीस की शर्तें

कम्पनी का नाम	किराए पर दिए गए कमरों की संख्या	किराए की अवधि (महीनों में)	लाइसेंस फीस (रुपए)	दी गई छूट (प्रतिशत)	एडवांस लाइसेंस फीस की शर्तें (यदि कोई हो)	अ०म० युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
अकबर होटल, नई दिल्ली						
			(प्रतिमाह)			
मैसर्स आई० ए० ए० आई०	21	24	1,68,886.80	53.8	मासिक	
मैसर्स सी० डी० ओ० टी०	68	36	4,12,221.00	65.5	तिमाही	
वाणिज्य मंत्रालय (नोयडा)	2	12	13,793.36	60.1	मासिक	
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन)	1	12	8,643.64	49.9	मासिक	
मैसर्स बंकवे पारिबास	2	12	25,255.20	52.6	तिमाही	
मैसर्स सुपर टन्नेरी कानपुर	1	12	7,146.68	58.6	तिमाही	
मैसर्स लोहिया मशीनस	26	12	2,24,477.85	50.1	मासिक	

1	2	3	4	5	6	7
कुतब होटल, नई दिल्ली						
मैसर्स महालिंग-शेट्टी एण्ड कं०	9	24	55,000.00	45	मासिक	
मैसर्स साहनी, नटराजन एण्ड बहल एण्ड एस्सेन्डेंट कम्प्यूटरस सिस्टमस	5	24	30,000.00	45	मासिक	
मैसर्स भारतीय यात्रा और पर्यटन प्रबन्ध संस्थान (सार्वजनिक उपक्रम)	4	11	23,400.00	50	मासिक	
मैसर्स राबा कोन्टेल (प्रा०) लि०	9	11	63,000.00	38	मासिक	
मैसर्स एम० पी० प्लाइबुड	1	11	7,350.00	35	मासिक	
मैसर्स गोरहारड इण्डियाट	2	11	17,500.00	30	मासिक	
मैसर्स इन्टरनेशनल निकेल सर्विस	2	11	14,700.00	35	मासिक	
मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स	4	11	29,400.00	35	मासिक	
लोधी होटल नई दिल्ली						
			(प्रतिदिन)			
मैसर्स वेस्टिम हाउस	1	6	385.00	20	मासिक	
मैसर्स हबीब (ब्यूटी पारलर)	1	36	385.00	20	मासिक	

1	2	3	4	5	6	7
मैसर्स त्रिवेन	1	21	310.00	20	मासिक	
जनपथ होटल, नई दिल्ली						
मैसर्स गल्फ एयरवेज	3	दैनिक आधार पर	1,250.00	20	मासिक	
मैसर्स इथोपियन एयरवेज	1	दैनिक आधार पर	350.00	20	मासिक	
मैसर्स रेनबो ट्रैवल्स	1	36	350.00	20	मासिक	
मैसर्स फिलीपीन्स एयरवेज	1	दैनिक आधार पर	350.00	20	मासिक	
मैसर्स कैथे पैसिफिक एयरवेज	2	दैनिक आधार पर	700.00	20	मासिक	
मैसर्स कुवैत एयरवेज	2	दैनिक आधार पर	800.00	20	मासिक	
मैसर्स सिक्किम सरकार पर्यटन सूचना केन्द्र	1	दैनिक आधार पर	350.00	20	मासिक	
मैसर्स कैनेडियन पैसिफिक एयरवेज	1	24	350.00	20	मासिक	
मैसर्स क्वार्टस एयरवेज	2	24	800.00	20	मासिक	
मैसर्स सनबीन ट्रैवल्स	1	दैनिक आधार पर	450.00	—	मासिक	
मैसर्स मधुर ट्रैवल्स	1	दैनिक आधार पर	350.00	20	मासिक	
मै० अजन्ता ट्रैवल एण्ड टूअर्स	1	दैनिक आधार पर	350.00	20	मासिक	

1	2	3	4	5	6	7
मै० स्टेन इण्डिया	1	दैनिक आधार पर	350.00	—	मासिक	
मै० कोठारी मद्रास	1	दैनिक आधार पर	450.00	20	मासिक	
मै० रिक्का फलोरिस्ट	1	—	1500.00	—	मामला न्यायालया-धीन है।	
मै० माइस्टिक टूअर्स	1	—	350.00	20	इन्होंने 31.7.85 को खाली कर दिया	
मै० वासुदेव ब्रदर्स	1	दैनिक आधार पर	1500.00	—	—	
कनिष्ठ होटल, नई दिल्ली						
मै० सिटी बैंक	2	4-5	400.00	28	मासिक	
मै० इरफाम	1	2	400.00	28	साप्ताहिक	
मै० नेटवर्क	1	4-5	428.00	24	मासिक	
मै० हायूनदाई	1	36-48	800.00	30	मासिक	
अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली						
			(प्रतिमास)			
मै० आई०सी०सी०ए०	2	24	4800.00	—	मासिक	
मै० बाबू खान (हैयर ड्रैसर)	2	24	4000.00	12·5	मासिक	

1	2	3	4	5	6	7
होटल सम्राट, नई दिल्ली						
मै० गोल्फ कन्सोलिडियेटिड	1	21	22,500.00	—	तिमाही	
मै० अरब गोल्फ इंवेस्टमैंट	1	24	22,500.00	—	तिमाही	
मै० चारटर्ड बैंक	1	36	22,500.00	—	तिमाही	
मैसर्स डी०सी०एम० टोयटा	4	36	22,500.00	—	तिमाही	
मै० आई०पी०सी०एल० (पब्लिक सेक्टर)	14	36	1,25,374.00	52.2	तिमाही	
मै० फूड स्पेसलिस्टीस	7	7	63,466.00	51.68	तिमाही	
मैसर्स कान्टीनेनटल ओटोमोबाइल	1	36	22,500.00	—	तिमाही	
मैसर्स गैल (पब्लिक सेक्टर)	64	36	5,26,728.00	56.1	तिमाही	
रणजीत होटल, नई दिल्ली						
मै० रेंनबो फोटो कलर (प्रा०) लिमिटेड	1	36	6,960.00	20	मासिक	
मै० पैसिफिक ट्रैवल्स	1	36	5,040 00	20	मासिक	
मै० तिरुपति बालाजी मोटर्स प्रा० लिमिटेड	4	36	13,200.00	35	मासिक	

1	2	3	4	5	6	7
मैं० मगना लीजिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	2	36	14,790 00	15	मासिक	
मैसर्स कारपोरेशन बैंक	4	36	36,600.00	13	मासिक	
मैसर्स माइस्टिक टूर्स प्रा० लि०	1	36	3,500.00	35	मासिक	
मैसर्स कुमार इन्टरनेशनल	1	36	3,500.00	35	मासिक	
मैसर्स ससनगीर ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	3	36	9,900.00	35	मासिक	
मैसर्स इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज	2	6	6,600.00	35	मासिक	
अशोक होटल, नई दिल्ली						
मैसर्स वैम्स स्नो इनकारपोरेटिड	3	24	26,694.72	70.83	तिमाही	
मैसर्स हिन्द प्रीटैक्स ओयल सर्विस प्रा० लिमिटेड	1	36	7,916.67	68.95	मासिक	
मैसर्स डिजीटर्न कम्प्यूटर्स प्रा० लि०	2	36	16,000.00	70.37	तिमाही	
मै० निप्पन डिनरे इस्पात लि०	1	36	7,125.00	72.06	तिमाही	
मै० परवीन स्टावाला	1	36	18,340.00	32.07	वार्षिक	

1	2	3	4	5	6	7
मै० एशिया ट्रेड डिवलपमैंट	4	36	37,926.00	62.82	मासिक	
मै० मैक डवैल एण्ड कं०लि०	3	12	18,000.00	76.47	मासिक	
मै० मैक डवैल एण्ड कं०लि०	4	10	24,000.00	74.19	मासिक	
		3	42,000.00	61.11	मासिक	
मै० ओत्सना होल्डिग प्रा० लि०	1	6	8,580.00	66.35	मासिक	
मै० ओरके सिल्क मिल्स	2	36	16,525.00	60.65	मासिक	
मै० इण्डियन एक्सप्लोसिव लि०	13	36	98,706.00	67.34	तिमाही	
	1	35	7,800.00	66.45	तिमाही	
	1	26	7,150.00	69.24	तिमाही	
मै० यू०एस०आई०डी०	20	36	1,48,800.00	68.00	तिमाही	
मै० यू०एस०ए०आई०डी०	2	24	14,400.00	71.76	तिमाही	
मै० यू०एस०आई०डी०	11	20	83,300.00	70.30	तिमाही	
मै० पहलाद बजाज एण्ड कं०	1	17	3,000.00	87.10	मासिक	

एयर इण्डिया द्वारा नई दिल्ली में नैमित्तिक मजदूरों की सेवायें नियमित करना

4474. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया हवाई अड्डों पर नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति करता है;

(ख) क्या एयर इंडिया इन अस्थाई मजदूरों को स्थायी बनने के अधिकार से वंचित करने के लिए उन्हें वर्ष में दो या तीन बार में 220 दिन तक कार्य करने के बाद निकाल देता है;

(ग) क्या अब यह अवधि वर्ष में 90 दिन की हो गई है जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों में जिन्होंने 4-5 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है, अधिक आयु के हो जाते हैं, यदि हां, तो नीति में किए गए इस परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(घ) एयर इण्डिया की इस नई नीति का अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कार्य पर उपस्थित न हुए कर्मचारियों और मौसमी आवश्यकताओं इत्यादि की पूर्ति करने के लिए, केवल विशेष अवधि के लिए नैमित्तिक मजदूरों की भर्ती की जाती है। जब कभी स्थाई रिक्तियां उपलब्ध होती हैं तब विमान क्षेत्रों पर कार्य कर रहे काफी संख्या में नैमित्तिक मजदूरों को समय-समय पर स्थाई आधार पर सेवा में लिया गया है। उनके द्वारा निगम में किए गए कार्य की अवधि को ध्यान में रखकर, आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाती है।

(घ) क्योंकि नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अतः नैमित्तिक आधार पर कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के मजदूरों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इन उम्मीदवारों द्वारा किए गए कार्य के दिनों और उनके द्वारा प्राप्त अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए, इन्हें स्थाई रूप से सेवा में खपाने के उचित अवसर दिए जाते हैं।

(ङ.) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में आतंकवाद की घटना

4475. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आतंकवाद की घटनाएं भारत के लिए नई हैं; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न हुए खतरे का सामना करने के लिए सरकार द्वारा पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को चुस्त बनाने अथवा प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : भारत में हालांकि आतंकवाद की घटनायें नई नहीं हैं, लेकिन हाल के वर्षों से इनमें वृद्धि हुई है। सरकार इस समस्या से अवगत है और इससे निपटने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। बहुत से आतंकवादी वर्गों और उनके क्रियावादियों का पता लगा लिया गया है। देश में चोरी छिपे आतंकवादियों की घुसपैठ का पता लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी तेज कर दी गई है। आप्रवासन तथा सीमा शुल्क जांच और अपहरण विरोधी उपायों को कड़ा कर दिया गया हैं। आतंकवादी तथा विध्वंसक गतिविधियों से निपटने के लिए हाल में विधान भी बनाया गया है।

भारत-बंगला देश सीमा पर गोलीबारी

4476. **श्री बी० तुलसी राम**
श्री बी०बी० देसाई } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश सीमा पर भारत के सीमा सुरक्षा बल और बंगला देश राइफल्स के बीच निरन्तर गोली-बारी होती है;

(ख) यदि हां, तो सीमा पर गत 6 महीनों के दौरान 30 जून, 1985 तक ऐसी कितनी घटनाएं हुई;

(ग) इससे भारत और बंगला देश के कितने जवान हताहत हुए; और

(घ) सीमा पर स्थायी युद्ध विराम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख): यह सही नहीं है कि भारत-बंगलादेश सीमा पर, सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राईफल के मध्य लगातार गोलीबारी होती है। पिछले 6 माह में गोलीबारी की केवल पांच घटनायें हुई।

(ग) भारत की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन बताया गया है कि दो बंगलादेश राष्ट्रिक जख्मी हुए।

(घ) सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राईफल दोनों के सीमा बाह्य चौकी कमाण्डर और कम्पनी कमाण्डर आपस में मिलते हैं और आपसी सहयोग की भावना से छोटी समस्याएं

घटनास्थल पर ही निपटा दी जाती हैं। जो समस्यायें निम्न स्तर पर नहीं सुलझायी जा सकती हैं उन्हें निपटाने के लिए बटालियन स्तर के कमाण्डर अपने दूसरे पक्ष कि कमाण्डरों के साथ, जितनी जल्दी हो सके, फ्लेग मिटिंगों में अक्सर मिलते हैं।

दिल्ली पुलिस की कार्यस्थितियों में सुधार करने के लिए प्रस्ताव

4477. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस बल की कार्य स्थितियों और आवास सुविधाओं में लाये जाने वाले प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा दिल्ली पुलिस को प्रभावी और सुसज्जित बल बनाने के सुझाव और प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जहां तक दिल्ली पुलिस में रिहायशी आवास का संबंध है, वर्तमान स्तर 32.54 प्रतिशत है। दिल्ली पुलिस कार्मिकों और पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों के लिए मकानों के निर्माण के लिए चालू वित्त वर्ष में 550 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

(ख) और (ग) : दिसम्बर 1984 में सरकार ने दिल्ली पुलिस को आधुनिक बल बनाने, इसकी प्रभावकारिता, कुशलता बढ़ाने के विचार से दिल्ली पुलिस प्रशासन का अध्ययन करने के लिए श्री एस० डी० श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। दल ने कुल 99 कार्रवाई योग्य सिफारिशें की थी। 53 सिफारिशों के संबंध में अन्तिम कार्रवाई पहले ही कर दी गयी है। अन्य सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

विधायकों से कार्य-व्यवहार के सम्बन्ध में प्रशासन का मार्गदर्शन

4478. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का एक कार्य संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के साथ कार्य व्यवहार की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों तथा निकायों का मार्ग दर्शन कराना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस दौरान इस संबंध में क्या त्रुटियां पाई गई हैं और इस संबंध में क्या अग्रेता कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) इन अनुदेशों में संसद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के साथ कार्य-व्यवहार के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों और शिष्टाचार का विस्तृत उल्लेख है। इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक अधिकारी का यह प्रयास होना चाहिए कि वे उन्हें उस सीमा तक सहायता पहुंचाए जहां तक कि वे संविधान के अधीन अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें और जब भी वे कार्यालय में किसी अधिकारी के सम्पर्क में आयें तो उनके साथ उचित आदर तथा शिष्टता का व्यवहार किया जाए। इन अनुदेशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक समारोहों में संसद सदस्यों और राज्य विधान-मण्डलों के सदस्यों के बैठाने की व्यवस्था वरिष्ठताक्रम के अनुसार की जानी चाहिए और उनसे प्राप्त पत्रों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

(ग) इन अनुदेशों के सम्बन्ध में कोई कमियां जानकारी में नहीं आई हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की नई भूमिका

4479. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति के 49वें प्रतिवेदन (1982-83) में की गई सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए नई भूमिका की योजना बनाई जा रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो का ढांचा बदलने से पहले, सरकार का विचार फैडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन, स्काटलैंड यार्ड आदि जैसी विदेशी जांच एजेन्सियों के कार्यकरण का भी अध्ययन न करने का है; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने में सरकार को कितना समय लगने की सम्भावना है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : सरकार ने 7वीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति की 49वीं और 65वीं रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भूमिका, कार्यों और कार्यकरण की पुनरीक्षा से सम्बन्धित सिफारिश सहित, समिति की सिफारिशों की विस्तृत जांच करने तथा ब्यूरो के कार्यकरण को गतिशील बनाने के प्रयोजन से उपाय सुझाने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है। समिति को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र सरकार को भेजने के लिए कहा गया है।

उड़ीसा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

4480. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता से उड़ीसा में हाल हा में पांच वर्षीय सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन): (क) जी, हां।

(ख) 23.00 करोड़ रुपए की लागत से एक सामाजिक वानिकी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसे 1983-84 से 1987-88 तक की अवधि में चरण-बद्ध रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना में 35,300 हैक्टेयर क्षेत्र में अवक्रमित वनों के सुधार, 22,300 हैक्टेयर क्षेत्र में ग्रामीण वन खंड लगाने तथा लोगों में 510 लाख पौद वितरित किए जाने पर जोर दिया गया है।

(ग) जिन जिलों में परियोजना आरम्भ की गई है वे हैं—बालासोर, बोलांगीर, कटक, ढेंकानाल, गंजम, क्योंझर, मयूरभंज, पुरी तथा सम्बलपुर।

हिमालय दार्जिलिंग में प्राकृतिक इतिहास केन्द्र

4481. **श्री रेणु पद दास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार हिमाचल के प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए दार्जिलिंग में टाइगर हिल में हिमालय प्राकृतिक इतिहास केन्द्र की स्थापना करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी प्रस्ताव पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ग) : दार्जिलिंग में हिमालय प्राकृतिक इतिहास केन्द्र की स्थापना करने के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रारम्भिक प्रस्ताव में एक राष्ट्रीय उद्यान सूचना केन्द्र की स्थापना के अलावा एक पादपालय, वनस्पति-वाटिका तथा हिमालय प्राणिजात भू-विज्ञान तथा मानवजातीय भूगोल पर शाखाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है। निधियों की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

1984-85 में एकत्र किया गया साल का बीज

4482. श्री विजय एन० पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी मात्रा में साल का बीज (वन उत्पाद) एकत्र किया गया;

(ख) साल के बीज एकत्र करने वाले आदिवासियों को प्रति किलो क्या मूल्य अदा किया गया; और

(ग) इस प्रकार की खरीद में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत और बंगलादेश के बीच "चार" भूमि के बारे में तनाव

4483. श्री जी० जी० स्वेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती बेलोनिया नगर को नजरअंदाज करते हुए दक्षिणी त्रिपुरा में "चार" भूमि के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है;

(ख) क्या बंगलादेश ने अधिक सैनिक टुकड़ियां तैनात की हैं; और "चार" भूमि पर बलपूर्वक खेती कर भारतीय ग्रामीणों को धमकी दी है; और

(ग) क्या अपना अधिकार जताने और अपने ग्रामीणों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) बंगलादेश की ओर से अतिरिक्त सैनिक टुकड़ियों की तैनातगी ध्यान में नहीं आई है। "चार" भूमि पर बलपूर्वक खेती नहीं की गई और न भारतीय ग्रामीणों को धमकी दी गई ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

हरियाणा के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोपों की जांच

4484. प्रो० मधु दंडवते
श्री जी० भूपति } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1985 के "स्टेट्समैन" (दिल्ली) में "प्रीलिमिनरी

इनक्वारी टू वी हेल्ड इन टू चार्जेज अगेंस्ट भजन लाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या, जैसा कि समाचार में उल्लेख किया गया है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जसवंत सिंह से विपक्षी दलों द्वारा प्रधान मन्त्री को दिए गए ज्ञापन में भजन लाल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में अपनी जांच यथाशीघ्र पूरी करने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रारम्भिक जांच को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर ली गयी है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : न्यायाधीश श्री जसवंत सिंह से प्रारम्भिक जांच यथाशीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों के लिए चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना

4485. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खिलाड़ियों के लिए चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की गई है, जहां वे अपनी शारीरिक समर्थता की जांच करा सकते हैं और अपना स्वास्थ्य सुधारने के संबंध में सलाह ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खिलाड़ियों के लिए चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) : नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में एक खेल विज्ञान संकाय की स्थापना की गई है जिसमें खेल व्यक्तियों की शारीरिक उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें अपने खेल कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सलाह दी जाती है। उपर्युक्त प्रयोजनार्थ संकाय से चिकित्सा

टीमें तभी राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में जाती हैं जब कभी ये पाटियाला से बाहर आयोजित किए जाते हैं। खेल चिकित्सा केन्द्र जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में भी स्थापित किया गया है, जिसमें खेल चिकित्सा के नैदानिक पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता है। विभाग को राज्य सरकारों द्वारा और निजी क्षेत्र में ऐसे केन्द्रों की स्थापना, यदि कोई हो, की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) : पटियाला में खेल विज्ञान संकाय के लाभ एन०आई०एस० क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर और कलकत्ता और एन०आई०एस० के अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों जो संभवत: 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाएंगे, तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। ऐसे केन्द्रों की संख्या संसाधनों पर आधारित होगी, जो संभवतः इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध होंगे।

[अनुवाद]

विरासत सप्ताह मनाया जाना

4486. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में एक विरासत सप्ताह मनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को विरासत की दृष्टि से महत्व के स्थानों की सूची तैयार करने हेतु कोई सुझाव मिले हैं; और

(ग) क्या इन सुझावों की जांच करने और उनके कार्यान्वयन पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : संस्कृति विभाग ने विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए उत्कृष्ट स्मारकों और प्राकृतिक दृश्यों की एक सूची तैयार की है।

बंगला देश की मद्यनिर्माणशाला से रसायन की अपशिष्ट के निस्सार से पश्चिम बंगाल में जल प्रदूषण

4487. **श्री रेणु पद दास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश की दर्शानि, शुगर एण्ड डिस्टलरी मिल से रसायन अपशिष्ट के निरन्तर निस्सार से दोनों देशों के बीच वर्षों से बह रही

अनेक नदियों अर्थात पश्चिम बंगाल की चुरुणी. भट्ठ भंगा और भैरव नदियों में भारी जल प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला बंगलादेश के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की स्थानीय स्तर समिति ने स्थान के निरीक्षण व समस्याओं पर बातचीत करने का निर्णय किया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रंगीन टी०वी० सेटों का मूल्य

4488. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की इस घोषणा के बावजूद कि श्याम-श्वेत और रंगीन टेलीविजन सेटों का मूल्य कम किया जाएगा, मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई है;

(ख) विभिन्न कम्पनियों के उक्त सेटों का 1-1-1983, 1-1-1984 और 1-1-1985 को क्या मूल्य था;

(ग) वर्ष 1983, 1984 और 1985 (30-6-1985 तक) के दौरान भारत में कितने श्याम-श्वेत और रंगीन टेलीविजन सेटों का उत्पादन किया गया और इनका कितनी संख्या में आयात किया गया; और

(घ) मूल्यों में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : जी, नहीं । रंगीन दूरदर्शन सेटों के मूल्यों के बारे में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने अक्टूबर, 1984 तथा मार्च, 1985 में दिल्ली में नमूने के तौर पर कुछ सर्वेक्षण किए थे । उस अध्ययन के अनुसार, रंगीन दूरदर्शन सेटों के मूल्य प्रति सेट 500 रु० से लेकर 1000 रु० तक कम हो गए हैं । दूरदर्शन सेटों के मूल्यों में अन्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उसके विनिर्माता कौन हैं, मॉडल और बिक्री का स्थान, आदि क्या

है । भारत में उत्पादित रंगीन दूरदर्शन सेटों का कारखाना-बाह्य मूल्य लगभग 4500/-रु० से लेकर 7000 रु० के बीच है, जो सेटों की विशिष्टियों पर निर्भर करता है । 20 इंची श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों का कारखाना बाह्य मूल्य लगभग 2[illegible]00/-रु० है । ई०टी०एण्ड०टी० के 14 इंची एम०बी०ट० से टीका कारखाना बाह्य मूल्य 1250-रु० है ।

(ग) वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 में विनिर्मित्त दूरदर्शन सेटों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

	1983	1984	1985	
			(30-6-1985 तक)	
श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	6.6 लाख	10 लाख	7.0 लाख	अनुमानित
रंगीन दूरदर्शन	50,000	2.8 लाख	2.2 लाख	

जहां तक दूरदर्शन सेटों के आयात का संबंध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) इस दिशा में किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(i) उत्पादन क्षमताओं पर ऊपरी सीमा लगाए बिना औद्योगिक अनुमोदन उदारता से जारी करना ताकि उत्पादन के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य स्तर के लक्ष्य को हासिल किया जा सके और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले ।

(ii) आयातित कच्ची सामग्रियों/संघटक-पुर्जों पर से सीमा-शुल्क, उत्पादन शुल्क में कमी आदि करके सरकारी कराधान में कटौती ।

(iii) दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण की समीक्षा करने तथा प्रगति पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त दूरदर्शन समन्वय समिति कार्य कर रही है जिसमें भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं । उक्त समिति की विभिन्न बैठकों में रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए ली जाने वाली अधिकतम कीमत के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया है । 16 अगस्त, 1984 को आयोजित इस समिति की बैठक में भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ने यह वचन दिया था कि दिनांक 15 अक्टूबर, 1984 से ग्राहकों को प्राप्त होने वाले रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर सहित 7000/-रु० से अधिक नहीं होगी जिसमें दिल्ली में लगने वाले सभी कर तथा एक साल की गारन्टी शामिल होगी ।

(iv) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई०टी०एण्ड०टी०) नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम "सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम०टी०बी०)" नामक अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत उचित लागत पर बढ़िया क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से उद्योग को थोक मात्रा में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति करके और साथ-साथ आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेगा। आशा की जाती है कि इस योजना के अन्तर्गत विनिर्मित रंगीन दूरदर्शन सेट बाजार में इस समय बेचे जा रहे रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमतों से कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।

(v) ई०टी०एण्ड०टी० रंगीन दूरदर्शन के विभिन्न विनिर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में रंगीन पिक्चर ट्यूबों की आपूर्ति करेगा।

(vi) भारतीय दूरदर्शन विनिर्माताओं संघ से हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, उन्होंने अपने संघ के ऐसे 6 सदस्यों की सूची हमें दी है जो सहकारी संस्थाओं, सुपर बाजारों आदि जैसे सरकारी वितरण नेटवर्क के माध्यम से अपने किफायती माडल के रंगीन दूरदर्शन सेट बेचने के लिए राजी हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

उपर्युक्त कदम उठाए जाने के फलस्वरूप तथा बाजार में पड़ने वाले दबाव के फलस्वरूप, रंगीन दूरदर्शन सेटों के कुछ मॉडलों की कीमतें कम हो गई हैं।

थिम्पू वार्ता के दूसरे दौर का परिणाम

4489. श्री समन कुमार मण्डल
श्री बी० वी० देसाई
श्री पी० कुलन्दईवेलू
: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका को जातीय समस्या का राजनैतिक हल ढूंढने के लिए अगस्त, 1985 के दूसरे सप्ताह के दौरान हुई थिम्पू वार्ता के दूसरे दौर का परिणाम क्या निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : श्रीलंका की जाती० समस्या पर थिम्पू वार्ता का दूसरा दौर 12 अगस्त को शुरू हुआ। वार्ता जारी है और अभी समाप्त नहीं हुई है।

दिल्ली में हाथ से बनी माचिसों पर बिक्री कर

4490. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाथ से बनी माचिसों पर कोई बिक्री कर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि करोड़ों रुपये मूल्य की माचिस प्रति-दिन चालाकी से दिल्ली ले बाहर से जायी जाती है जिससे निकटवर्ती राज्यों को बिक्री कर जैसे अपने वैध राजस्व से वंचित होना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली में भी हाथ से बनी माचिसों पर बिक्री कर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली में हाथ से बनी माचिसों पर कोई बिक्री कर नहीं है।

(ख) बिक्री कर प्राधिकारियों को दिल्ली से पड़ौसी राज्यों को हाथ से बनी माचिसों के बड़े पैमाने पर निर्यात की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि प्रशासन को इस संबंध में हाल में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; जो उनके विचाराधीन हैं।

पेड़ों की सभी वन्य जातियों का रोपण

4491. **डा० के०जी० अदियोड़ी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेड़ों की सभी वन्य जातियों को क्षेत्र-वार लगाने की कोई योजना है जिसमें देश में वानिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास की सुविधाएं प्रदान की जा सकें; और

(ख) गुलाब की लकड़ी और चन्दन की लकड़ी को समाप्त होने से बचाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) एक विशिष्ट क्षेत्र में सभी प्रजातियों के वन वृक्ष लगाए जाने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। वृक्षों की प्रजातियों का चयन प्रत्येक क्षेत्र में मृदा और जलवायु की स्थिति के आधार पर किया जाता है। वृक्षों की प्रजातियों के रोपण का कार्य वन रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है जो कि प्रत्येक क्षेत्र में वहां की मृदा और जलवायु की उपयुक्तता के अनुसार होता है तथा इससे वन-रोपण के क्षेत्र मे वन संबंधी अनुसंधान और विकास किए जाने का आधार बनता है।

(ख) सीशम और चन्दन के वृक्ष उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां मृदा और जलवायु की स्थिति इनके लिए अनुकूल होती है। इनमें पेड़ लगाए जाने के आरम्भिक चरण में खायीं व टीले बनाकर अथवा निगरानी और अभिरक्षा व्यवस्था के जरिए, जो कि प्रत्येक क्षेत्र में वहां की स्थिति पर निर्भर करता है, इनकी मवेशियों से रक्षा की जाती है। जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो वन सुरक्षा बल की सहायता से तथा वन संबंधी कानूनों के जरिए इनकी रक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर-प्रदेश के वन अधिनियम के अन्तर्गत इमारत आदि के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव

4492. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से इमारतों, पुलों, नहरों और बिजली लाइनों के निर्माण के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए कुल कितने पूर्ण और अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) मद-वार प्राप्त प्रस्तावों की संख्या के संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनों की स्वीकृति दी गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण और अधूरे प्रस्तावों और इनमें से स्वीकृत प्रस्तावों के श्रेणीवार ब्यौरे :—

श्रेणी	1982			1983			1984		
	प्राप्त कुल प्रस्ताव	अधूरे प्रस्ताव	स्वीकृत प्रस्ताव	प्राप्त कुल प्रस्ताव	अधूरे प्रस्ताव	स्वीकृत प्रस्ताव	प्राप्त कुल प्रस्ताव	अधूरे प्रस्ताव	स्वीकृत प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. भवन	41	12	27	12	2	6	20	11	7
2. पुल	—	—	—	—	—	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. नहरें	22	2	17	27	3	24	16	4	12
4. संचारण (विद्युत लाईन)		1	12	11	1	10	18	6	9
कुल	76	18	56	50	6	40	55	22	28

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कटरा मल और बिलयानौला में पर्यावरण संस्थान स्थापित करने के लिए भूमि

4493. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कटरामल और बिलियानौला में पर्यावरण संस्थान स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर ली गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) : उत्तर-प्रदेश के अल्मोडा जिले में कटरामल एवं चिलियानौला में स्थलों का क्षेत्रीय दौरा हो गया है। दोनों स्थलों पर जल एवं मिट्टी की उपलब्धता की रूपरेखा के संबंध में सूचना राज्य सरकार द्वारा एकत्रित की जा रही है । इन्हीं ब्यौरों के आधार पर स्थलों के चयन को अन्तिम रूप दिया जायेगा एवं आगामी कुछ महीनों में पूर्ण होने की संभावना है ।

[**अनुवाद**]

पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों के लिए विकास परिषद

4494. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्यों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना था;

(ख) यदि हां, तो छठी योजनावधि में इन उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा किया गया;

(ग) क्या ये राज्य संविधान की छठी सूची के अन्तर्गत आते हैं और यह अधिकांशतः आदिवासी क्षेत्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी सूची वाले क्षेत्रों के लिए भी इसी प्रकार की परिषद न बनाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान। पूर्वोत्तर परिषद को आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन, अन्तर्राज्यीय परिवहन, संचार, जल तथा शक्ति विकास तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक हित के मामलों के बारे में सिफारिशें करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। पूर्वोत्तर परिषद कार्यक्रमों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 340.12 करोड़ रुपये का परिव्यय था। फिर भी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय स्वीकृत परिव्यय से अधिक हो गया, जिसमें मुख्य व्यय परिवहन, संचार तथा शक्ति क्षेत्रों में हुआ।

(ग) असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा संघ शासित क्षेत्र मिजोरम के जनजाति क्षेत्र संविधान की छठी सूची के अन्तर्गत आते हैं।

(घ) संविधान की पांचवी सूची के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना नीति के तहत जनजाति क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

आरक्षित वन क्षेत्र

4495. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार आरक्षित वन क्षेत्र कितना है;

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने विशेषकर उड़ीसा राज्य के संदर्भ में कुछ आरक्षित वन क्षेत्र में कुछ हैक्टेयर भूमि को अनारक्षित करने का अनुरोध किया है;

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस प्रकार अनारक्षित करने के क्या कारण दिए गए हैं;

(घ) आरक्षित वन क्षेत्र को अनारक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या आरक्षित वनों में वन लगाने के अपने प्रयासों में राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र पीछे रह गए हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) : राज्य सरकारें जिनमें उड़ीसा सरकार भी शामिल है, तथा संघ राज्य क्षेत्र वन भूमि को, जिसमें आरक्षित वन भी शामिल है, गैर-वानिकी प्रयोगों के लिए परिवर्तित किए जाने के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति

लेने के लिए अपने प्रस्ताव भेजते हैं। आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है। ऐसे सभी प्रस्तावों की केन्द्र सरकार द्वारा जांच की जाती है तथा संबंधित सरकारों को केन्द्र सरकार का निर्णय भेजा जाता है।

(ङ) वनरोपण को रफ्तार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विवरण

भारत में आरक्षित वन के रूप में घोषित क्षेत्र (1980-81)

(हजार हैक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरक्षित वन
1	2
I. राज्य :	
आन्ध्र प्रदेश	4941.5
असम	1707.4
बिहार	505.1
गुजरात	1276.9
हरियाणा	22.4
हिमाचल प्रदेश	182.5
जम्मू व कश्मीर	2103.7
कर्नाटक	2800.0
केरल	933.6
मध्य प्रदेश	8099.5
महाराष्ट्र	4283.6
मणिपुर	137.7
मेघालय	70.6
नागालैंड	28.6

1	2
उड़ीसा	2506.4
पंजाब	4.3
राजस्थान	1262.0
सिक्किम	244.0
तमिलनाडु	1783.2
त्रिपुरा	386 5
उत्तर प्रदेश	3465.1
पश्चिम बंगाल	700.0
कुल	37424.6
II. संघ राज्य क्षेत्र :	
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	291.2
अरुणाचल प्रदेश	1183.0
दादर व नगर हवेली	19.9
दिल्ली	—
गोवा, दमण और दीव	3.6
मिजोरम	561.8
कुल	2059.5
अखिल भारत :	39484.1

[हिन्दी]

कार्मिक मन्त्रालय द्वारा नियुक्त जांच आयोग

4496. श्री मूल चन्द डागा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री एस० के० राय की अध्यक्षता में 1981 से एक जांच आयोग बैठा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा और उसके पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्थान आदेश को ध्यान में रखते हुए आयोग अपने कार्य की प्रगति नहीं कर सका है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अभी तक लागू है।

[अनुवाद]

टेकनपुर में सीमा सुरक्षा बल की "टियर स्मोक यूनिट"

4497. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेकनपुर में सीमा सुरक्षा बल के अन्तर्गत "टियर स्मोक यूनिट" का उत्पादन लक्ष्य पिछले दस वर्षों से वही है जबकि इस अवधि के दौरान इस यूनिट का खर्च बढ़कर कहीं अधिक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में गत्यावरोध के क्या कारण हैं और इस यूनिट में अधिक व्यय होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस यूनिट की परिसंपत्तियाँ प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस यूनिट के लेखा-परीक्षण की क्या प्रणाली है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान। "टीयर स्मोक यूनिट" को 1976 में स्थापित किया गया। उस वर्ष में टी०एस० युद्ध सामग्री के 5000 राउन्ड का उत्पादन हुआ। तब से इसके उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है तथा उत्पादन वर्ष 1984-85 में इसने 63,000 टी०एस० युद्ध सामग्री से अधिक का स्तर प्राप्त कर लिया है। व्यय में वृद्धि भी असाधारण नहीं है तथा यह कर्मचारियों को तैनात करने मशीनरी, वाहन, सामान खरीदने तथा वेतन भत्तों के बढ़ने, तैनात कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किश्तों तथा अन्तरिम राहत का भुगतान करने के कारण हुई है।

(ग) यूनिट की परिसम्पत्तियों में कोई बेमेल वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) यूनिट का लेखा-परीक्षण आन्तरिक तथा बाहरी दोनों लेखा-परीक्षण पार्टियों द्वारा किया जाता है। बाहरी लेखा-परीक्षण महालेखाकार, राजस्थान की लेखा-परीक्षण पार्टी द्वारा किया जाता है।

आतंकवादी और विध्वन्सकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना

4498. **श्री चित्त महाता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आतंकवादी और विध्वन्सकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत देश में अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए बम और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

4499. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंतकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम को लागू किए जाने के बाद कितने बम पकड़े गए हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

काले मृग

4500. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले मृगों की नस्ल लुप्तप्राय हो रही है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि लगभग 600 काले मृग उड़ीसा के गन्जम जिले में बुगुडा केम में खुले में घूम रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में एक उद्यान अथवा अभयारण्य स्थापित करके इन नस्लों की रक्षा करने के लिए कदम उठायेगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : उड़ीसा राज्य सरकार के अनुसार गंजम जिले में काले मृगों की पूरी तरह रक्षा की जा रही है तथा उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। इस जिले में काले मृगों के संरक्षण के लिए आश्रय-स्थल की स्थापना करने के लिए भेटनोई के नजदीक एक स्थान का पता लगाया गया है :

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में सेवा का स्तर

4501. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में सेवा स्तर बहुत गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों का होटल-वार तथा रेस्टोरेंट-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) : जी, नहीं। आई०टी०डी०सी० होटलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की क्वालिटी अपेक्षित स्तर की है। तथापि, वातानुकूलन का रुक जाना, सेवा में विलम्ब, टेलीफोन सुविधाओं और कर्मचारियों के व्यवहार आदि के बारे में आई०टी०डी०सी० को यदा-कदा शिकायतें मिलती रहती हैं। इन सभी शिकायतों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाता है और भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों तथा सरकार द्वारा उन पर मुस्तैदी के साथ उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

पश्चिम बंगाल में पक्षी अभ्यारण्य विकसित करने के लिए कदम

4502. श्रीमती फूल रेणु गुहा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल पक्षी अभयारण्य विकसित करने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल में कोई पक्षी आश्रय-स्थल नहीं है। अब तक कि ऐसे क्षेत्र को जहां पक्षी आश्रय-स्थल की स्थापना की जानी है केन्द्र सरकार को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता अथवा उसे पट्टे पर नहीं दे दिया जाता है तब तक केन्द्र सरकार के पास आश्रय-स्थलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों को स्वयं स्थापित

करने की शक्तियां प्राप्त नहीं होती, और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत आश्रय-स्थलों की स्थापना की जाती है।

राजधानी में हिंसा तथा अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण

4503. **श्री एस०एम०भट्टम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बढ़ती हुई हिंसा तथा अपराधिक और समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नियन्त्रण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए उनका विचार दिल्ली में कानून की रक्षा करने वाले तथा व्यवस्था बनाये रखने वाले अधिकारियों की एक बैठक बुलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अपराधों को रोकने और नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

1. पुलिस सतर्कता में वृद्धि।

2. वाकी-टाकी सैटों और वायरलैस युक्त मोटर-साईकलों सहित सशस्त्र गश्त समेत गहन पैदल तथा चलती फिरती गश्त।

3. समाज विरोधी तत्वों और अपराधियों का पता लगाने के यिए होटलों तथा गेस्ट हाऊसों की नियमित रूप से गहन जांच-पड़ताल।

4. सिनेमा हालों और मनोरंजन के अन्य स्थानों में थैले तथा वस्ती थैले आदि न ले जाने के लिए जारी किए गए आदेश।

5. समाज विरोधी तत्वों और अपराधियों को पकड़ने के लिए पड़ौसी राज्यों से आने वाली बसों और कारों की जांच करने के लिए कुछ सामरिक महत्व के स्थानों और सीमाओं पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करना।

6. बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के आधीन कार्रवाई।

7. आसूचना में वृद्धि करके डाकुओं, लुटेरों और अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्तों द्वारा लगातार अभियान।

8. अपराध करने में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वाहनों की आकस्मिक जांच।

9. ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी करना।

10. ठीकरी पहरे का आयोजन और स्थानीय निवासियों तथा निजी चौकीदारों द्वारा पुलिस गश्त और टुकड़ियों के सहयोग से गश्त लगाना।

11. निष्कासन कार्रवाईयों को तेज करना और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

12. पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तर-जिला बैठकें।

13. पुलिस की शीघ्र कार्रवाई और भागते हुए अपराधियों तथा वाहनों को रोकने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई है।

(ख) तथा (ग) : जब की आवश्यक होता है ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[हिन्दी]

वन क्षेत्रों के नए मानचित्र तैयार करना

4504. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने मानचित्रों में देश के एक बड़े भाग में विरान और पेड़रहित क्षेत्रों को वन क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, जिसके कारण रेलवे लाइन पाव ट्रांसमीशन लाइन बिछाने अथवा उस क्षेत्र के कोई विकास कार्य करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने में असाधारण विलम्ब होता है और इन कारणों से इस भूमि के कृषि योग्य होने के बावजूद इसे मूल आदिवासी लोगों को नहीं दिया जा सकता; और

(ख) क्या सरकार का विचार वन क्षेत्रों के नये मानचित्र तैयार करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीर सेन) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना वन क्षेत्र को गैर-वानिकी कार्यों के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वन संबंधी मानचित्रों में अधिसूचित वन क्षेत्रों को चित्रित किया गया है। केवल इसी तथ्य के आधार पर कि किसी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष नहीं लगे हैं, उक्त क्षेत्र को वन (संरक्षण) अधिनियम से अलग नहीं रखा जा सकता।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]·

दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंग भेद नीति को समाप्त करने के लिए नए सिरे से उठाए गए कदम

4505. **श्री चिन्तामणि पणिग्रही** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के चेयरमैन के रूप में दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंग भेद नीति को समाप्त करने के लिए कोई नए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) : मामला पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के विचाराधीन है और भारत पृथग्वासन को समाप्त करने के प्रयासों में इसे निरन्तर उठाता रहेगा ।

विश्व बैंक की सहायता से केरल में सामाजिक वानिकी योजना

4506. **श्री थम्पन थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से सामाजिक वानिकी की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस योजना के अन्तर्गत किसी भूमि को लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो केरल राज्य में उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि को लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : केरल में 59 91 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक सामाजिक वानिकी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है जिसे 1984-85 से 1989-90 तक की अवधि में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना में 13,000 हैक्टार क्षेत्र में फैले अवक्रमित वनों का सुधार करने, 1,100 हैक्टार क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में वन खण्ड लगाने, 2,000 हैक्टार क्षेत्र में वन पट्टियां तैयार करने तथा 69,200 हैक्टार क्षेत्र में फार्म वानिकी लगाने पर जोर दिया गया है। 1984-85 तक परियोजना के अन्तर्गत 7,882 हैक्टार क्षेत्र लाया जा चुका है।

केरल में वातित जल बनाने वाले कारखाने के निर्माण के लिए भूमि

4507. **श्री थम्पन थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वातित जल बनाने वाले कारखाने के निर्माण के लिए केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में (पूर्णतः वन भूमि) पोन्नुन्डिडा में लगभग 50 मीटर भूमि दी है;

(ख) क्या इसके लिये वनों को काट कर बिजली का विशेष कनेक्शन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह वन भूमि किन नियमों और शर्तों के अन्तर्गत साफ की गई और कारखाने के निर्माण के लिये दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (घ) : केन्द्र सरकार को उक्त उद्देश्य के लिए वन भूमि को परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन सम्मेलन पर हुआ व्यय

4508. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सम्मेलन आयोजित करने के लिये कितनी धनराशि व्यय की;

(ख) क्या गुटनिरपेक्ष आन्दोलन देशों के दिल्ली सम्मेलन पर हुए व्यय में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अन्य देशों ने भी अंशदान किया था;

(ग) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धन राशि का अंशदान किया गया; और

(घ) क्या गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का मुख्यालय दिल्ली में स्थापपित करने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गुट-निरपेक्ष देशों के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन पर 27.44 करोड़ रुपये (सताईस करोड़ चवालीस लाख रुपये) का खर्च आया जिसमें 5 65 करोड़ रुपये (पाँच करोड़ पैंसठ लाख रुपये) की विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का कोई स्थायी सचिवालय अथवा नियमित बजट नहीं है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में भारत के जिम्मे जो नैमी समारोह हैं, वे सामान्यत: विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं और इन पर आने वाले खर्च का उल्लेख उनके बजट में कर दिया जाता है।

(घ) आन्दोलन के समक्ष ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

एयर इण्डिया जम्बो जेट दुर्घटना में मरने वाले दावा न किये गए शवों का अन्तिम संस्कार

4509. श्री कमल नाथ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया जम्बो जैट "कनिष्क" दुर्घटना में मरने वाले अनेक व्यक्तियों के शवों का जिन्हें पहचाना नहीं जा सका था का एक साथ अंतिम संस्कार 6 अगस्त, 1985 को कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था और भारत के आलावा अन्य किन देशों ने अन्तिम संस्कार में प्रतिनिधित्व किया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एयर इण्डियां जम्बो जैट "कनिष्क" दुर्घटना में मृत व्यक्तियों का 6-8-85 को कार्क में सामूहिक रूप से अन्तिम संस्कार नहीं किया गया था क्योंकि अन्तिम संस्कार से पूर्व सभी शवों की पहचान हो गई थी। तथापि, कार्क के चैपल में सामूहिक प्रार्थना की गई थी।

(ख) सामूहिक प्रार्थना में भारत का प्रतिनिधित्व पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री ने किया। इस प्रार्थना में कनाडा और आयरलैंड के मंत्रियों ने अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों पर हुए समझौते

4510. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथे वेतन आयोग की नियुक्ति के बाद संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठकों में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित जिन मामलों पर समझौते हुये हैं उनका ब्यौरा क्या हैं;

(ख) एसे समझौतों की संख्या और ब्यौरे क्या हैं जो सरकार को निर्देशित किये गये और उनका ब्यौरा क्या है और अब तक कितने मामलों के समझौतों को लागू किया गया; और

(ग) संयुक्त सलाहकार तंत्र द्वारा चौथे वेतन आयोग को कितने मामले निर्देशित किये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) : चतुर्थ वेतन आयोग की स्थापना के बाद संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के जिन लंबित मामलों/मदों पर कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों और सरकारी पक्ष के बीच समझौता हुआ उन्हें संलग्न विवरण-एक में दर्शाया गया है। जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है उपयुक्त आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं। विभागीय परिषदों और कार्यालय परिषदों के बीच हुए सैकड़ों समझौतों की संख्या से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखी जाती है।

(ग) विवरण-दो संलग्न हैं।

विवरण—एक

1. डाक व तार की समस्याएं।
2. 5 दिन का सप्ताह।

3. अनुच्छेद 311 का संशोधन—दूसरे कारण बताओ नोटिस का वापिस लिया जाना।
4. स्वैच्छया सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पूरी पेंशन के लिए अनुरोध।
5. सेवा में व्यवधान—मूल नियमों के नियम 17 "क" का संशोधन।
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (सी०सी०ए०) नियमावली का संशोधन।
7. गोपनीय रिपोर्ट।
8. सीधी भर्ती और पदोन्नत अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता।
9. प्रोत्साहन वेतन-वृद्धि योजना को बहाल करना।
10. भविष्य निधि से अग्रिम मंजूर करने को उदार बनाना।
11. पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में 1-1-1973 के बाद की किसी तारीख से संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए विकल्प।
12. (i) समूह "ग" और "घ" संवर्गों में चयन ग्रेड लागू करना; और
(ii) समूह "घ" कर्मचारियों के लिए चयन ग्रेड।
13. औद्योगिक शहरों में आवास तथा सुविधाएं।
14. शिलांग में तैनात कर्मचारियों के लिए शीतकालीन भत्ते में बढ़ोत्तरी।
15. आशुलिपि टंकक के संशोधित वेतनमान में वेतन का विसंगतिपूर्ण निर्धारण।
16. गैर-सचिवालयी कार्यालयों में उच्चश्रेणी लिपिकों के लिए विशेष वेतन का गिना जाना।
17. गोपनीय रिपोर्टों में इस आशय की प्रविष्टि कि जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी गई है, वह पदोन्नति के लिए अभी उपयुक्त नहीं है।
18. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हिन्दी सीखने पर प्रोत्साहन देना।
19. परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन।
20. राज्य सरकारों में खपाए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आनुपातिक सेवा-निवृत्ति प्रसुविधायें देना।
21. विवाचन बोर्ड के निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार के सभी कार्यालयों में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-III, II और I के वेतनमान का संशोधन।
22. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और असम प्रतिपूर्ति भत्ता प्रदान किया जाना।
23. मणिपुर के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान।
24. तवांक में मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते में बढ़ोतरी।
25. बाल शैक्षिक अग्रिम।

26. भारतीय पेंशन अधिनियम, 1971 के खण्ड 12 में यह व्यवस्था करते हुए संशोधन करना कि केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगियों में से किसी की मृत्यु हो जाने के कारण जीवन-भर की पेंशन की अवितरित बकाया के संबन्ध में नामांकन किया जाए।

27. ऐसोसिएशनों के कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करना।

28. कल्याणकारी उपाय।

29. आकस्मिक श्रमिकों के बारे में डाक व तार विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष के निर्देश का अनुपालन न किया जाना।

30. अपनी तैनाती के स्थान पर अपना मकान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों से वसूल की गई किराए की अधिक राशि की वापसी।

विवरण-दो

1. वेतन समानता।
2. उपदान का भुगतान।
3. मकान किराए भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में संशोधन।
4. सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन तथा सेवा की शर्तें।
5. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो का वेतनमान।
6. सवारी भत्ता।
7. पहाड़ी इलाकों में स्वीकार्य मकान किराए भत्ते में बढ़ोतरी।
8. कुटुम्ब पेंशन योजना, 1964 में वृद्धि।

ग्रुप "ख" से ग्रुप "क" में पदोन्नति के समय अधिकारियों को अधिमान देना

4511. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग ने ग्रुप "ख" से ग्रुप "क" में पदोन्नति के समय अधिकारियों को अधिमान देने की सिफारिश की थी जिसे सरकार मई, 1974 में पहले ही स्वीकार कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिमान देने के उसी मामले को 1984 में चौथे वेतन आयोग को फिर से भेजा गया है ; और

(ग) पिछली सरकार और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए बिना 1984 में इस मामले को फिर से उठाने का क्या औचित्य है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : यद्यपि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई थी फिर भी तरजीह दिए जाने के लिए वास्तविक पद्धति का निर्णय अलग-अलग विभागों द्वारा किया जाता था। तथापि, इस उद्देश्य से कि इन मुद्दों को लेकर सभी सेवाओं का रवैया एक-सा रहे, इस मामले पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था। तरजीह दिए जाने के पीछे जो उद्देश्य निहित है उसे प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न विकल्पों की जांच की गई थी, चूंकि कुछ विकल्प नये वेतन आयोग अर्थात् चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा जांच किए जा रहे मामलों के अन्तर्गत आते हैं इसलिए स्थिति की विस्तृत जानकारी देने वाला एक पेपर अक्तूबर, 1984 में आयोग को भेज दिया गया है।

दूरसंचार पारेक्षण प्रणाली विकास हेतु केन्द्र की स्थापना

4512. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से दूरसंचार पारेषण प्रणाली के विकास हेतु कोई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर रही है।

(ख) और (ग) : प्रस्ताव तैयार हो जाने और सरकार द्वारा उसे अनुमोदित करने के बाद ही इसका कार्यान्वयन करने और इस दिशा में कार्यवाई करने का प्रश्न उठेगा।

पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं को महंगाई भत्ता दिया जाना

4513. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय केन्द्रीय सरकार के कार्यरत कर्मचारियों तथा पेंशन पाने वालों को महंगाई भत्ता देने के बारे में आदेश जारी करने में समय का काफी अंतर रहता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सेवारत कर्मचारियों और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की जनवरी, 1985 की किस्त के भुगतान के आदेश किस-किस तारीख को जारी किये गये; और

(घ) क्या वे पेंशन प्राप्तकर्त्ता को जनवरी, 1985 वाली किस्त देने के संबंध में जारी किये गये आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) : कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिए जाने से संबंधित आदेशों के जारी करने में सामान्यतः समयान्तर रहा करता है। ऐसा मुख्यतः इस कारण होता है कि कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित आदेशों को मानक परिचालन सूची में दर्ज सभी मंत्रालयों और विभागों इत्यादि को परिचालित किया जाता है। फिर भी पेंशनभोगियों से सबंधित आदेशों को मानक परिचालन सूची में दर्ज मंत्रालयों/विभागों को भेजने के अतिरिक्त, ये आदेश सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी भेजने होते हैं। पेंशनभोगियों से संबंधित आदेशों की प्रतियां जिन्हें बैंकों को भेजना होता है लगभग 50,000 होती है। इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए, इन आदेशों को विवश होकर मुद्रित कराना पड़ता है जिसमें कुछ समय लग जाता है।

2. कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-1-1985 से अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर करने से सबंधित आदेश 30 अप्रैल, 1985 को जारी किए गए थे। इसी प्रकार, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त महगाई भत्ते के एक भाग को वेतन के रूप में माने जाने से संबंधित निर्णय 30 अप्रैल, 1985 को भेजा गया था। फिर भी, 30 अप्रैल, 1985 को इन आदेशों को जारी करने के तत्काल बाद, उन आदेशों में एक संशोधन कर दिया गया था और संशोधित आदेश 21 जून, 1985 को जारी कर दिए गए थे। संशोधित अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 34 के अन्तर्गत औसत परिलब्धियों के प्रयोजन से 568 के औसत सूचकांक तक के महंगाई भत्ते अतिरिक्त महंगाई भत्ते तदर्थ महंगाई भत्ते को जिन तारीखों से इन्हें मंजूर किया गया था उन तारीखों से महंगाई वेतन के रूप में माना जाएगा"। इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया था कि महंगाई वेतन की जिस प्रसुविधा का उल्लेख ऊपर किया गया है वह प्रसुविधा 31-3-1985 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को पेंशन/सेवा उपदान और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए स्वतः ही प्रदान कर दी जाएगी। चूंकि संशोधित आदेशों का 31-3-1985 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की राहत पर प्रभाव पड़ता है अतः पेंशनभोगियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने से संबंधित आदेशों को जारी करने के लिए 21 जून, 1985 के बाद ही कार्रवाई की जा सकी और उन्हें 18 जुलाई, 1985 को जारी कर दिया गया।

3. उपर्युक्त आदेशों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी गई है।

सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग

4514. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपदाओं की भविष्यवाणी करने और कृषि उत्पादन के प्रबन्ध और उसकी निगरानी के लिए उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीकी का प्रयोग करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीकी उपयोग में लाए गये हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार के भावी कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : जी, हां। चक्रवातों के जीवन-चक्र को समझने, सूखे की सम्भाव्य भविष्यवाणी करने की दृष्टि से सूखे की अवस्थाओं का मानीटरन करने, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों तथा बाढ़ों द्वारा प्रभावित हो सकने वाले सम्भाव्य क्षेत्रों के साथ-साथ चक्रवातों, बाढ़ों, लवणता इत्यादि के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के मान-चित्रण के लिए सुदूर संवेदन तकनीकों के उपयोगों के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, इन तकनीकों का प्रयोग प्रायोगिक और अनुसंधान के आधार पर चावल, गेहूं, कपास इत्यादि जैसी फसलों के उत्पादन का मूल्यांकन करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाता है। इसके अलावा, वन और वनस्पति के निम्नीकरण तथा इनके अन्तर्गत आवृत्त क्षेत्रों में कमी का पता लगाने के लिए उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए आवधिक रूप में इनके मानीटरन के प्रचालनीकरण का भी प्रयास किया जा रहा है। आपदा की भविष्यवाणी के लिए तथा कृषि उत्पादन के प्रबन्ध एवं मानीटरन के लिए इन तकनीकों का उपयोग करते हुए विधितन्त्रों के स्थिरीकरण के लिए तथा मॉडलों के विकास के लिए इन जटिल बहुविज्ञानीय अध्ययनों में से कई को कुछ क्षेत्रों में तथा कुछ समय तक दोहराना होगा। भूविज्ञान, जल संसाधन, पर्यावरण, महासागर, मृदा इत्यादि से संबंधित ऐसे अन्य कई क्षेत्र हैं, जिनमें सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किया गया है तथा कई परीक्षणों की भी योजना बनाई जा रही है।

(ग) उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा अदा की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार ने पहले ही आई०आर०एस० परियोजना स्वीकृत कर दी है। प्रथम आई०आर०एस० उपग्रह (आई०आर०एस० 1-ए०) अब विकासाधीन है तथा इसके 1986 में छोड़े जाने की सम्भावना है। आई०आर०एस० उपयोग के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। सरकार के अन्य भावी कार्यक्रमों में सम्पूर्ण देश में चरणबद्ध रूप में आंकड़ा संकलन प्लेटफार्मों की स्थापना और उपग्रहों के माध्यम से वास्तविक काल में आंकड़े प्राप्त करना, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना, फिलहाल पांच भिन्न-भिन्न स्थानों में क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है। विविध संसाधनों के उपयोगों के लिए विविध विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों और मौसमविज्ञानीय उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग की भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही, उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए सूखा मानीटरन के लिए अन्वेषण करना, फसल की पैदावार के लिए अन्वेषण, फसल की भविष्यवाणी

और फसल प्रतिबल संरक्षण और उपग्रह सुदूर संवेदन का उपयोग करते हुए बाढ़ मानचित्रण की योजना बनाई गई है। जहां कहीं भी संभव होगा उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर प्राकृतिक आपदोत्तर अध्ययनों का प्रयास किया जायेगा। बेहतर आपदा भविष्यवाणी और प्रबन्ध तथा अन्य कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए उपग्रह और सुदूर संवेदन के उपयोग की जांच के लिए भारत सरकार ने एक ग्रुप की भी स्थापना की है।

बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची बिहार द्वारा चलाये जा रहे "सिरडो", "सिरटडो" के लिए स्वीकृत ऋण

4514-क. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क शीर्ष के अन्तर्गत बिहार सरकार के इंजीनियरी कालेज के दावों की उपेक्षा करके बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची (बिहार) द्वारा चलाए जा रहे "सिरडो"/"सिरटडो" को कितनी धनराशि के ऋण स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सभी अनुदानों को रोकने और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : साइंस एण्ड टैक्नालोजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क (एस०टी०ई०पी०) स्कीम के अन्तर्गत बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नालोजी (बी०आई०टी०) मेसरा, रांची के लिए 1984-85 की अवधि के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुदान स्वीकार किया गया। यह अनुदान स्टाफ, उपभोज्य-वस्तुओं आदि पर होने वाले आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए है।

इस संदर्भ में बिहार सरकार के किसी भी इंजीनियरी महाविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए उनके दावे की अवहेलना करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) वैज्ञानिकों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर आधारित बी०आई०टी०, रांची में एस०टी०ई०पी० को स्थापित करने का निर्णय हुआ और राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड (नेशनल साइंस एंड टैक्नोलोजी एन्टरप्रेन्योरशिप डिवेल्प-मेंट बोर्ड) द्वारा विधिवत इस निर्णय को अनुसमर्थित किया गया। इसका अनुमोदन बिहार सरकार द्वारा भी किया गया। अतः अनुदान पर रोक लगाने तथा जांच प्रारम्भ करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

चुनिंदा कच्चे माल संबंधी भाड़ा समीकरण योजना

4514-ख. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों के क्षेत्र में विकसित देशों के बराबर आने के लिए पांडे समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनिंदा कच्चे माल सम्बन्धी भाड़ा समीकरण योजना के बारे में गंभीर है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से शुरू की जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायण) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि सीमेंट और इस्पात जैसी वस्तुओं पर भाड़ा समीकरण की मौजूदा स्कीम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। समिति ने किसी अन्य वस्तु पर भाड़ा समीकरण लागू करने के विरुद्ध भी मत व्यक्त किया। भाड़ा समीकरण स्कीमों को समाप्त करने के संबंध में समिति की सिफारिशों को सरकार पहले ही सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर चुकी है। भाड़ा समीकरण समाप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं संबंधित मंत्रालयों द्वारा पूरी की जा रही हैं।

विदेश नियंत्रित फर्मों के प्रभुत्वाधीन उद्योगों द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर व्यय

4514-ग. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश नियंत्रित फर्मों के प्रभुत्वाधीन उद्योगों द्वारा अन्य फर्मों की तुलना में अनुसंधान तथा विकास पर आय के प्रति एकक कम व्यय किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अन्य कम्पनियों की तुलना में विदेशी कम्पनियों द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर अपेक्षाकृत पूंजी निवेशों पर कोई विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ख) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस, टैक्नोलोजी एण्ड डिवेल्पमेंट स्टडीज (एन०आई० एस०टी०ए०डी०एस०) में सीमित अध्ययन किए गए हैं।

(ग) इस अध्ययन में, संसाधित खाद्य, वस्त्रोद्योग, मशीनी औजार, सीमेन्ट, कांच उत्पादों और वाहन उत्पादों जैसे लगभग 40 क्षेत्रों में 1300 कम्पनियों को शामिल करते हुए उद्योगों के समूहों की बिक्री की प्रतिशतता के रूप में अनुसंधान तथा विकास व्यय की सूचना दी गई और इससे यह संकेत मिलता है कि विदेशी नियंत्रित फर्में अनुसंधान तथा विकास पर कम खर्च करती हैं।

(घ) इस क्षेत्र में उपयोगी निष्कर्ष निकालने के लिए और अधिक विशद अध्ययन आवश्यक है।

रेलवे में धन की कमी और निवेश से कम लाभ

4515. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे को धन की कमी के कारण इस वर्ष माल डिब्बे खरीदने का लक्ष्य कम करना पड़ा है तथा रेल लाइनों की नवीकरण जैसी कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थगित करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रेलों को चालू रखने के लिए भाड़े और यात्री दरों में वृद्धि करनी पड़ी है और यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में भी यही स्थिति रहेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में कहा गया है कि कतिपय कार्यों में 245 करोड़ रुपए के निवेश से और आशायित लाभ नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारणों का ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) संसाधनों की कमी के कारण इस वर्ष माल डिब्बों की संप्राप्ति घटानी पड़ी लेकिन रेल पथ नवीकरण का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

(ख) निवेश की बढ़ी हुई लागत की पूर्ति के लिए इस वर्ष भाड़े और किराये बढ़ाये गये थे।

(ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सनद में प्रस्तुत वर्ष 1983-84 की अपनी अग्रिम रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 197 करोड़ रुपये से अधिक राशि के पूंजीनिवेश से उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जितना कि उससे आशा की गई थी।

(घ) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार इसके विभिन्न कारण थे, जैसे निर्माणों के निष्पादन में विलम्ब, समय और लागत में वृद्धि, अतिरिक्त खर्च/दायिता का भार, आदि। सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप, रेलों का सदैव यह प्रयास रहा है कि स्वीकृत निर्माण कार्यों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाये और अतिरिक्त खर्च से भी बचा जाए।

दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एककों की स्थापना

4516. **श्री जी० भूपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एककों की स्थापना करना चाह रही है ताकि स्वास्थ्य योजना का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में गरीब-से-गरीब व्यक्ति को मिल सके;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना में इस योजना की सफलता के लिए क्या उपबन्ध किए गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एकक स्थापित करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। वैसे, स्वास्थ्य आसूचना मूल्यांकन तथा सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों की जनसंख्या की भी स्वास्थ्य मूल्यांकन की जरूरतों का निर्धारण करने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण एककों का उपयोग किया जाता है। 1985-86 की योजना में इस स्कीम के लिए 10.55 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्ययों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

शार्ट रेल लाइन बनाने के लिये मानदण्ड

4517. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शार्ट रेल लाइन बनाने के लिए आर्थिक सहायता ही एक मात्र मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो उन शार्ट रेल लाइनों के नाम क्या हैं जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं; और

(ग) सरकार ने यह निर्णय कब से किया है और इस निर्णय का औचित्य क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ग) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

उच्चतर शिक्षा को नियंत्रित करने करने वाली मौजूदा संस्थाएं

4518. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतर शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली मौजूदा संस्थाओं का

स्वरूप क्या है तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में नीति आयोजना और कार्यान्वयन के मामले में उन्हें कितनी स्वायत्ता प्राप्त है; और

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान नियंत्रण व्यवस्था की यह जानने के लिए समीक्षा की है कि बहुप्राधिकार व्यवस्था देश में शिक्षा के प्रसार में कहां तक सहायक रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त): (क) और (ख) : देश में विश्वविद्यालयों में समन्वय और स्तरों के निर्धारण के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसद अधिनियम के अतर्गत 1956 में की गई थी। वि०अनु०आ० के अधिनियम के अन्तर्गत आयोग ऐसे कदम उठा सकता है जिन्हें वह विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन तथा समन्वय के लिए तथा विश्वाविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों को निर्धारित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए उपयुक्त समझे। इसके उद्देश्यों को पूरा करने में, आयोग कई विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को या तो उनके सामान्य विकास के लिए अथवा उनके कार्यक्रमों की कोटि में सुधार के लिए अनुदानों का आवंटन और संवितरण करता है। अखिल भारतीय तकनीकी-शिक्षा परिषद जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया एक सलाहकार निकाय है, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को, तकनीकी शिक्षा के विकास पर सलाह देता है।

कृषि शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में ऐसे ही कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसायटी है द्वारा किए जाते हैं। औषध और विधि में, भारतीय चिकित्सा पषिषद तथा भारतीय बार परिषद क्रमश: औषध और विधिक व्यवसायों को नियमित करने के लिए संविधानिक निकायों के रूप में स्थापित की गई हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते समय ये निकाय, व्यावसाय में पंजीकरण/नामांकन के प्रयोजन हेतु औषध और विधि शिक्षा के स्तरों को निर्धारित करते हैं इन सभी निकायों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में अनिवार्य स्वायत्तता प्राप्त हैं और कुल मिलाकर वे एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। सरकार का इस समय सभी क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा के विकास से सम्बन्धित सभी मामलों पर कारंवाई करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य विश्वविद्यालय में महिलाओं के विकास हेतु केन्द्र

4519. डा० सुधीर राय
श्रीमती ऊषा चौधरी } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रों में महिलाओं के विकास हेतु केन्द्र आरम्भ करने के लिए धन की मंजूरी प्रदान करने का है जैसा कि उसने दिल्ली कालेजों में 20 केन्द्रों के आरम्भ करने के मामले में किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय ने शैक्षिक वर्ष 1985-86 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 20 कालेजों में महिला विकास केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। इस योजना में सामाजिक जागृति पैदा करने तथा समाज में मनोवृति सम्बन्धी परिवर्तनों को लाने के लिए छात्रों तथा शिक्षकों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करने की परिकल्पना की गई है। ये संस्थाएं समुदाय में बिभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करके शैक्षिक संस्थानों तथा समुदाय के बीच अन्तर को दूर करेंगे। इस योजना का अन्य क्षेत्रों तथा संस्थानों में विस्तार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान परि-योजनाएं शुरू करने तथा महिलाओं के विशेष हित के क्षेत्रों में पाठ्यचर्या तथा विस्तार कार्यकलापों के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है। आयोग ने विचार करने के लिए विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मांगे हैं।

[हिन्दी]

मंगोलपुरी, नई दिल्ली में संजय गांधी अस्पताल का खोला जाना

4520. **श्री लाला राम केन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी, नई दिल्ली में संजय गांधी अस्पताल के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है और सरकार द्वारा इस अस्पताल को शीघ्र खोलने के क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अस्पताल के लिए आयुध डिपो, शकूर बस्ती के सामने एक बहुत बड़ा भूमि-खंड सुरक्षित किया है और यदि हां, तो क्या इस भूमि पर शीघ्र एक अस्पताल का निर्माण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पश्चिम दिल्ली के लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके; और

(ग) क्या सरकार स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इस अस्पताल का नाम रखने के सुझाव पर विचार करेगी और यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जैसे ही लोक निर्माण विभाग द्वारा ओ०पी०डी० ब्लाक सौंप दिया जाएगा तथा सर्जित किये गये पदों को भर लिया जाएगा वैसे ही संजय गांधी अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग द्वारा कार्य आरंभ कर दिये जाने की संभावना है।

बाह्य रोगी विभाग को शीघ्र चालू करने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किये जा रहे हैं :—

(i) भारत सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देकर 104 पद मंजूर कर दिये हैं और पदों को भरने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

(ii) लोक निर्माण विभाग ओ०पी०डी० ब्लाक को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है।

(iii) उपकरणों, औषधियों आदि की खरीद का काम पहले ही आरंभ कर दिया गया है।

(ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिम बिहार में एक जनरल अस्पताल के लिए 6.07 हैक्टेयर का एक प्लाट आरक्षित रखा गया है। अस्पताल का निर्माण दिल्ली प्रशासन को करना है। वैसे प्रथम चरण में पश्चिमी दिल्ली के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरिनगर, नई दिल्ली में 500 पलंगों वाला अस्पताल खोलने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) यह निर्णय दिल्ली प्रशासन को करना है।

[अनुवाद]

आनन्दपुर साहिब पन बिजली परियोजना के कर्मचारियों का खपाया जाना

4521. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्दपुर साहिब पन बिजली परियोजना, नंगल के हजारों कार्य प्रभारित श्रमिकों की, उस परियोजना के पूरा होने पर छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिकों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें पंजाब की थीन बांध, रोपड़ ताप बिजली परियोजना, सतलुज यमुना संपर्क नहर, आदि जैसी परियोजनाओं में खपाया जाएगा; और

(घ) क्या उक्त आश्वासनों को पूरा किया जाएगा अथवा संबंधित श्रमिक बेरोजगार रह जायेंगे ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) : पंजाब सरकार ने आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना के फालतू कामगारों को रोजगार देने की विभिन्न संभाव्यताओं की जांच की है। 6,500 वर्कचार्ज कामगारों में से 750 कामगारों को परियोजना पर ही प्रचालन और अनुरक्षण कार्यों के लिए बनाए रखा जाएगा तथा लगभग 500 फालतू कर्मचारी दिसम्बर, 1985 तक चैनल और बिजली घर से बाहर विभिन्न कार्यों पर बने रहेंगे।

250 कामगारों की सेवाएं मुकेरियां जल विद्युत परियोजना को उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा 600 अन्य कामगारों की सेवाएं थीन बांध प्रशासन को दी जा रही हैं। पंजाब राज्य सरकार को यह यह भी आशा है कि 1985-86 के दौरान आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना के 1,000 और कामगारों को खपा लिया जाएगा तथा 1986-87 के दौरान थीन बांध में अधिक संख्या में कामगारों को खपा लिए जाने की आशा है। आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना के फालतू वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा समाप्ति सम्बन्धी लाभ आदि देकर छंटनी की जानी आवश्यक थी, उसके बाद ही उन्हें नियोजित किया जा सकता था। लगभग सभी 5000 कामगारों ने, जिनकी सेवाएं जुलाई, 85 में समाप्त की गई थी, परियोजना प्राधिकारियों से सेवा समाप्ति सम्बन्धी लाभ ले लिए हैं। इस प्रकार मामला हल हो गया है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन होम्योपैथिक औषधालय

4522. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कितने होम्योपैथिक औषधालय चल रहे हैं तथा भेषजज्ञ (वितरक/फार्मासिट/डिस्ट्रिब्यूटर) की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड हैं और निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कितने होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन तीन होम्योपैथिक औषधालय और 9 एकक कार्य कर रहे हैं।

होम्योपैथिक भेषजज्ञ के पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। भेषजज्ञ के पद पर नियुक्ति के लिए मानदण्ड हैं;—मैट्रिक्युलेशन अथवा इसके समतुल्य तथ्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी होम्योपैथिक अस्पताल/औषधालय में होम्योपैथिक भेजजज्ञ के पद पर कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव अथवा पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक के अधीन तीन वर्षों का अनुभव। फिलहाल किसी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किसी नये होम्योपैथिक औषधालय के खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

कालेजों में महिला विकास केन्द्रों की स्थापना

4523. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्रीमती फूल रेणु गुहा
: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में स्थापित किए गए केन्द्रों की तरह देश में महिला विकास केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय ने शैक्षिक वर्ष 1985-86 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 20 कालेजों में महिला विकास केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। इस योजना में सामाजिक जागृति पैदा करने तथा समाज में मनोवृति सम्बन्धी परिवर्तनों को लाने के लिए छात्रों तथा शिक्षकों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करने की परिकल्पना की गई है। ये संस्थाएं समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करके शैक्षिक संस्थानों तथा समुदाय के बीच अन्तर को दूर करेंगे। इस योजना का अन्य क्षेत्रों तथा संस्थानों में विस्तार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान परि-योजनाएं शुरू करने तथा महिलाओं के विशेष हित के क्षेत्रों में पाठ्यचर्या तथा विस्तार कार्यकलापों के विचार के लिए भी वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है। आयोग ने विचार करने के लिए विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मांगे हैं।

उड़ीसा के अधीन इंजीनियरी कालेज

4524. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय अथवा उड़ीसा सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इंजीनियरी कालेजों की स्थापना करने के लिए पीछे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

136 डाउन मुगलसराय-पटना रेलगाड़ी का विलम्ब से चलना

4525. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगलसराय और पटना के बीच चलने वाली 136 डाउन रेलगाड़ी पटना प्रतिदिन 6 से 7 घंटे विलम्ब से पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार विलम्ब से चलने की स्थिति में गार्डों सहित ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों के लिए आराम तथा अन्य सुविधाओं की क्या व्यवस्था है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) शरारती तत्वों द्वारा होज पाइप काट दिये जाने के कारण यह बहुधा विलम्ब से चलती है। जब यह अपने समयानुसार नहीं चल रही होती है तब अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों को अग्रता प्रदान की जाने तथा 15.00 बजे से 20.00 बजे के बीच पटना स्टेशन पर प्लेटफार्मों की अत्यधिक व्यस्तता के कारण पटना स्टेशन पर इस गाड़ी का आदान भी विलंब से होता है।

(ग) ड्यूटी के घंटे निर्धारित घंटों से अधिक हो जाने पर दानापुर में विश्राम देने की व्यवस्था की जाती है।

[अनुवाद]

मूरी और रांची सेक्शन में गाड़ियों में डीजल इंजिन शुरू किया जाना

4526. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूरी और रांची सैक्शन में गाड़ियों में डीजल इंजिन शुरू करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) : इस समय मूरी-रांची खंड पर पांच जोड़ी यात्री गाड़ियां तथा सभी माल गाड़ियां पहले से ही डीजल इंजनों से चलायी जा रही हैं।

भारतीय तम्बाकू कम्पनी द्वारा प्रायोजित "मेड फार ईच अदर" (एक दूजे के लिए) उत्सवों को रोकने के लिए कदम

4527. **श्री हन्नाह मोल्लाह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगरेटों के उपयोग के विरुद्ध हर वर्ष काफी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय तम्बाकू कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष "मेड फार ईच अदर" (एक दूजे के लिए) उत्सवों को रोकने के लिए स्वास्थ्य मन्त्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : सिगरेट (उत्पादन का विनियमन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम 1975 के उपबन्धों के अनुसार निर्माताओं को प्रत्येक सिगरेट पैकेट/विज्ञापन/होर्डिंग पर सांविधिक चेतावनी "सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" लिखना आवश्यक है। चूंकि सिगरेट के उत्पादन और व्यापार पर प्रतिबन्ध नहीं है इसलिए बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापनों के प्रदर्शन अथवा समारोहों के आयोजन आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगने की कोई सांविधिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उपस्करों का आयात

4528. **श्री सोमजी भाई डामर :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन या चार वर्ष के दौरान किसी भारतीय कम्पनी के माध्यम से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए उपस्करों का आयात किया गया या किन्हीं भारतीय कम्पनियों को इसके लिए कमीशन एजेन्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया; और

(ख) भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके कितने मूल्य के उपस्कर खरीदे गए या एजेन्टों का कमीशन अदा की गई ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने न तो किसी भारतीय कम्पनी के जरिए किसी उपस्कर का आयात किया है और न ही इस प्रयोजन के लिए किसी कमीशन एजेन्ट का इस्तेमाल किया है । यह हो सकता है कि कुछ विदेशी फर्मों ने, जिन्हें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सीधे ही आर्डर दिया है, भारतीय कंपनियों को अपने एजेन्टों के रूप में नियुक्त किया हो तथा ठेका मूल्यों में उन्हें देय कमीशन/सेवा प्रभार शामिल हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लोकटक परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन

4529. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लोकटक परियोजना द्वारा प्रतिदिन बिजली का अधिकतम कितना उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या उत्पादन का अधिकतम लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह उत्पादन बिना किसी घट-बढ़ के होता रहेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) इस समय लोकटक परियोजना द्वारा अधिकतम दैनिक विद्युत उत्पादन 60 मेगावाट से 70 मेगावाट के बीच है ।

(ख) से (घ) : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित उत्पादन का अधिकतम लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं :—

(एक) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से विद्युत की पर्याप्त मांग का अभाव होना।

(दो) क्षेत्र के अन्दर अथवा उसके बाहर विद्युत के उपयोग के लिए पर्याप्त पारेषण प्रणाली उपलब्ध न होना।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिशों पर केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला

4530. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में अति विशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिश पर बच्चों को दाखिल करने के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन अति विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियां क्या हैं और इन अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिश पर दाखिले के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पम्प सेटों का विद्युतीकरण

4531. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पम्प सेटों के विद्युतीकरण के मानदण्ड के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन की तुलना में पश्चिम बंगाल का कार्य-निष्पादन कैसा रहा;

(ख) इस मामले में पश्चिमी बंगाल का तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का स्थान क्या रहा; और

(ग) यदि पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा रहा है तो क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग म राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख): छठी योजना के दौरान पम्पसेटों के ऊर्जन के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां दिखाने वाला विवरण संलग्न है। राज्यों में पश्चिम बंगाल का नम्बर 15 वें स्थान पर आता है।

(ग) लक्ष्यों को पूरा करने की प्रगति को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) निर्माण सामग्री, विशेष रूप से वितरण ट्रांसफार्मरों, जी०आई० तारों, पिन डिस्क इन्सूलेटरों आदि की प्राप्ति में विलम्ब;

(2) उत्थापित लाइनों से कन्डक्टरों, ट्रांसफार्मरों आदि जैसी सामग्रियों की चोरी;

(3) वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब; तथा

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण प्रणालियों के विस्तार के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना।

विवरण

छठी योजना (1980-85) के दौरान पम्पसेटों/ट्यूबवेलों के बारे में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां दिखाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि (अनन्तिम)	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	2,73,300	3,36,400	123
2.	कर्नाटक	1,17,040	1,50,450	120
3.	पंजाब	1,33,400	1,44,009	108
4.	केरल	51,900	53,935	103.9
5.	जम्मू और कश्मीर	370	365	98.7
6.	मध्य-प्रदेश	1,95,570	1,88,388	96.3
7.	आन्ध्र प्रदेश	2,65,000	2,41,085	91.0
8.	राजस्थान	1,05,825	91,715	86.7
9.	तमिलनाडु	1,70,500	1,45,920	85.6
10.	गुजरात	1,17,350	89,614	76.4
11.	त्रिपुरा	960	699	72.8
12.	हरियाणा	92,000	69,921	75.1
13.	उत्तर-प्रदेश	2,32,510	1,46,248	62.9
14.	हिमाचल प्रदेश	1,131	691	61.1
15.	पश्चिम बंगाल	36,590	17,390	47.5
16.	उड़ीसा	39,680	17,242	43.4

1	2	3	4	5
17.	बिहार	1,66,230	39,774	23.9
18.	मणिपुर	170	29	17
19.	असम	8,155	1,026	12.6
20.	मेघालय	367	9	2.5
21.	नागालैण्ड	7	—	—
	जोड़ (राज्य)	20,08,055	17,34,910	86.4
	जोड़ (सं० शा० क्षेत्र)	4,008	6,806	119.9
	जोड़ (अखिल भारत)	20,12,063	17,41,716	86.7

भारतीय प्रबन्ध संस्थान के दलों की विदेश यात्राएं

4532. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती करने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान के कितने दल गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में गए;

(ख) इन यात्राओं पर विदेशी मुद्रा में कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या आगामी एक वर्ष के दौरान ऐसी यात्राओं के कोई प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारतीय प्रबन्ध संस्थान से पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोई टीम विदेश नहीं गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : संस्थान के संकाय के चयन/नियुक्ति के प्रयोजनार्थ तथा संकाय के आदान-प्रदान के लिए, विभिन्न व्यावसायिक स्कूलों के साथ संबंध स्थापित करने और उन संस्थानों में पी० एच०डी० कार्यक्रमों तथा प्रणाली-विज्ञान, शिक्षा विज्ञान आदि के शिक्षण के विकास सहित अनुसंधान प्रशिक्षण और परामर्श के अन्य क्षेत्रों के लिए होनहार छात्रों को दाखिल करने के लिए एक चार-सदस्यीय दल का यू०एस०ए० और यू०के० का दौरा करने के वास्ते भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता का एक प्रस्ताव है।

पेट्रोल की बचत हेतु गैर सरकारी वाहनों को निरुत्साहित करने के लिए जन परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहन देना

4533. श्री भारत सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मोटर कार और दुपहिया वाहनों की प्रति किलोमीटर परिचालन लागत क्या है और उनकी कितनी वार्षिक पेट्रोल खपत होगी;

(ख) निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए जन परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय अपनाएं जा रहे हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन के अनुसार मोटर गाड़ी और दो पहिया स्कूटर पर प्रति किलोमीटर प्रचालन पर अनुमानतः क्रमशः 1.68 रुपए और 0.40 रुपए खर्च बैठता है। वर्ष 1985-86 में मोटर गाड़ियों (टेक्सियों को छोड़कर) के लिए 9,80,000 टन मोटर गैसोलीन की खपत का अनुमान हैं। दो पहिया स्कूटर के लिए 6,48,000 टन ईंधन खपत का अनुमान है।

(ख) से (घ) : बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उपनगरीय रेल सिस्टम, कलकत्ता में मेट्रो-परियोजना, दिल्ली में इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ई०एम०यू०) सेवाओं की इस स्कीम को मास रेपिड ट्रेंजिट सिस्टम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सड़क परिवहन की कार्य पालक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उन्हें कुशल और पर्याप्त परिवहन सिस्टम प्रदान करने की जरूरत के बारे में बता दिया गया है।

मैसूर से मदुराई के बीच नया रेलमार्ग

4534. श्री सी०के० कुप्पुस्वामी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर से मदुराई के बीच, समाजनगर, धिम्बुम, सेथियामंगलम, तिरुपुर, तारापुरम तथा पालानी से होकर नया रेल मार्ग बिछाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

सरकारी अस्पतालों और तपेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शय्याओं की कमी

4535. **श्री आर०ए० भोये** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तपेदिक के रोगियों के लिए तपेदिक केन्द्रों में शय्याओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तपेदिक के रोगियों के लिए तपेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति वर्ष राज्य-वार कितनी शय्याएं उपलब्ध की गईं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में तपेदिक के कितने शहरी रोगियों का उपचार किया गया; और

(घ) प्रत्येक राज्य में अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों के लिए शय्याओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : जी, नहीं। क्षयरोग की कारगर दवाइयां उपलब्ध हो जाने से क्षयरोगियों का घर पर उपचार उतने ही प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है जितना कि क्षयरोग अस्पताल/आरोग्यशालाओं में किया जा सकता है। केवल कुछ खास किस्म के रोगी जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं और जटिलताओं से पीड़ित होते है अथवा जिन्हें शल्य-चिकित्सा की जरूरत होती है, क्षयरोग अस्पतालों/आरोग्यशालाओं में भरती किए जाते हैं। राज्यों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित अस्पतालों/आरोग्यशालाओं में क्षयरोगियों के लिए उपलब्ध पलंगों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन जितने रोगियों का निदान किया गया और इलाज शुरू किया गया उनकी संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को क्षयरोग की दवाइयां और उपकरण बराबर-बराबर खर्च के आधार पर सप्लाई किए जाते हैं। राज्य सरकार को अपनी जरूरतों के अनुसार पलंगों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने हैं।

विवरण-1

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार और स्वयं सेवी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों आरोग्यशालाओं में क्षयरोगियों के उपचार के लिए उपलब्ध पलंगों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31-3-83	31-3-84	31-3-1985
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2699	2699	2699
2.	असम	799	799	854
3.	बिहार	1912	1902	1929
4.	गुजरात	3488	3488	3488*
5.	हरियाणा	295	295	258
6.	हिमाचल प्रदेश	643	643	643*
7.	जम्मू और कश्मीर	655	655	655*
8.	कर्नाटक	3418	3418	3418
9.	केरल	2537	2545	2545
10.	मध्य प्रदेश	1911	2005	2005
11.	महाराष्ट्र	7234	7346	7346*
12.	मणिपुर	110	120	120
13.	मेघालय	304	304	304
14.	नागालैण्ड	100	100	100
15.	उड़ीसा	801	911	911
16.	पंजाब	921	921	921
17.	राजस्थान	2018	2018	2018
18.	सिक्किम	100	100	100*
19.	तमिलनाडु	3569	3569	3569*
20.	त्रिपुरा	50	50	50
21.	उत्तर प्रदेश	3437	3437	3437
22.	पश्चिमबंगाल	5648	5948	5948*

1	2	3	4	5
23.	अरुणाचल प्रदेश	182	192	182
24.	गोवा, दमन और द्वीप	276	276	279
25.	मिजोरम	92	92	192
26.	पाण्डिचेरी	178	178	178
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	67	67	67
28.	चण्डीगढ़	10	10	10
29.	दादर और नागर हवेली	0	0	0
30.	दिल्ली	1539	1511	1511
31.	लक्ष्यद्वीप	0	0	—*
	योग	45293	45579	45724

आंकड़े 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार हैं। नवीनतम सूचना की प्रतीक्षा है।

विवरण-2

1982-83 और 1984-85 के दौरान निदान किए गए और उपचाराधीन रखे गये क्षय रोगियों की संख्या

*क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	50407	61594	62419
2.	असम	11002	15517	14375
3.	बिहार	84862	91260	122449
4.	गुजरात	85437	102019	99065
5.	हरियाणा	18323	19518	19304
6.	हिमाचल प्रदेश	11311	14024	15040
7.	जम्मू एवं कश्मीर	8550	8214	7081
8.	कर्नाटक	45763	48009	45650

1	2	3	4	5
9.	केरल	30395	29572	29027
10.	मध्य प्रदेश	74879	93617	98128
11.	महाराष्ट्र	177139	205792	205951
12.	मणिपुर	1341	1585	1832
13.	मेघालय	912	1279	1327
14.	नागालैण्ड	174	705	205
15.	उड़ीसा	20581	28590	24640
16	पंजाब	25126	34596	34952
17.	राजस्थान	34668	38129	46256
18.	सिक्किम	1248	621	अप्राप्त
19.	तमिलनाडु	88140	93437	92627
20.	त्रिपुरा	1528	1648	1538
21.	उत्तर प्रदेश	178880	199949	211643
22.	पश्चिम बंगाल	78245	74458	69373
23.	अरुणाचल प्रदेश	761	1187	1866
24.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	612	576	330
25.	गोवा, दमन और द्वीप	2181	2819	2798
26.	मिजोरम	533	1027	526
27.	पांडिचेरी	4868	4110	4435
28.	चण्डीगढ़	1610	1982	2079
29.	दादर और नागर हवेली	117	301	178
30.	दिल्ली	33821	37505	388[illegible]6
31.	लक्षद्वीप	79	150	133
	योग	1081493	1208880	1254639

[हिन्दी]

स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश की लम्बित विद्युत परियोजनायें

4536. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन ताप विद्युत परियोजनाओं के क्या नाम हैं जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) क्या वहां पर विद्युत सप्लाई की स्थिति वर्ष 1969-74 जैसी हो जाएगी जब कोई भी विद्युत परियोजना नहीं चल रही थी और स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के कारण विद्युत की स्थिति बहुत ही अधिक खराब हो गई थी; और

(ग) राज्य की उन आकस्मिक परियोजनाओं के क्या नाम हैं, जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई जाने वाली कुछ पन-बिजली परियोजनाओं में विलम्ब होने की स्थिति में प्रारम्भ किया जाएगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) बांधव और माण्ड (गुजरात के साथ सांझा परियोजनाएं), कोरबा पश्चिम विस्तार तथा संजय गांधी विस्तार नामक मध्य प्रदेश की चार विद्युत परियोजनाओं की अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) : सातवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कुल लगभग 1440 मेगावाट क्षमता चालू किए जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त पश्चिम क्षेत्र में निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को विद्युत प्राप्त होगी। 12वें भारतीय विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार सातवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में ऊर्जा फालतू हो जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी भत्ते की स्वीकृति

4537. **श्री लाल डहोमा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के कर्मचारियों को 25 प्रतिशत पूर्वोत्तर विशेष ड्यूटी भत्ता स्वीकृत करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अध्यापकों को "स्थानीय" और "गैर-स्थानीय" श्रेणियों में वर्गीकृत करके स्थानीय क्षेत्र के अध्यापकों को उक्त भत्ते से वंचित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्थानीय और गैर-स्थानीय श्रेणियों में अध्यापकों का इस प्रकार का वर्गीकरण विश्वविद्यालय के विकास में बाधक होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1983 में उन सभी को अधिक-से-अधिक 400 रु० प्रति माह के आधार पर मूल वेतन का 25 प्रतिशत

विशेष (ड्यूटी) भत्ता संस्वीकृत करने का निर्णय लिया है जो उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में तैनात है तथा जिनकी भर्ती तथा पदोन्नति अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। तथापि यह भत्ता उन कर्मचारियों को देय नहीं है जिन्हें आयकर का भुगतान करने में छूट है। इसी आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के अलवा अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान विशेष (ड्यूटी) भत्ता मंजूर करने का निर्णय लिया है।

चन्द्रनाथपुर और लंका के बीच वैकल्पिक रेल संपर्क

4538. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1983 से जून, 1985 तक पिछले दो वर्षों के दौरान नार्थ फ्रन्टियर रेलवे के अधीन लमडिंग-बदरपुर सैन्टर के बीच मालगाड़ियों की कितनी दुर्घटनायें हुई;

(ख) उक्त दो वर्षों (जून 1983-जून 1985) के दौरान कितनी-कितनी अवधि तक रेल यातायात अवरुद्ध रहा;

(ग) क्या रेल यातायात के बार-बार अवरुद्ध होने के कारण जनता ने चन्द्रनाथपुर और लंका के बीच कोई वैकल्पिक रेल सेवा चालू करने के लिए मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) 76.

(ख) इस अवधि के दौरान कुल 707 घंटे 17 मिनट की अवधि के लिए रेल यातायात भंग रहा।

(ग) लमडिंग-बदरपुर मी० ला० खंड तक एक वैकल्पिक ब० ला० के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) लंका से सिल्चर तक एक वैकल्पिक बड़ी लाइन के लिए 1984 में एक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 210 कि० मी० लम्बी लाइन के निर्माण पर 650 करोड़ से अधिक की लागत आने का अनुमान है। परियोजना अलाभप्रद थी। संसाधनों की बेहद तंगी तथा पहले से की गई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए इस अत्यधिक लागत वाली परियोजना को निकट भविष्य में शुरू करना सम्भव नहीं होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल की बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति

4539. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप बिजली केन्द्र स्थापित करने के निम्नलिखित प्रस्ताव

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी केन्द्र सरकार की मजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं;

(एक) घूमधांगी, पश्चिमी दीनाजपुर से (240 मेगावाट) का ताप बिजली केन्द्र लगाने का प्रस्ताव (1980-81 से लम्बित पड़ा है);

(दो) सागर दिघी, मुर्शिदाबाद में (4 × 500 मेगावाट) ताप बिजली केन्द्र का प्रस्ताव (1982 से लम्बित पड़ा है);

(तीन) वाकेस्वर, बीरभूम में ताप बिजली केन्द्र का प्रस्ताव (1983 से लम्बित पड़ा है);

(चार) तीस्ता नहर प्रताप के पन बिजली केन्द्र (66.5 मेगावाट) का प्रस्ताव 1978 से लम्बित पड़ा है;

(पांच) मेजिया, बांकुरा में दामोदर घाटी परियोजना का (3 × 210 मेगावाट) का पनबिजली केन्द्र का प्रस्ताव;

(ख) मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी और इन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और ये कब तक चालू हो जाएंगे?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	उत्तर बंगाल ता० वि० केन्द्र (घूमधांगी) पश्चिम दिनाजपुर	113.52	राज्य द्वारा के०वि०प्रा० को भेजी गई परियोजना रिपोर्ट में स्थल संबंधी अन्वेषण कार्य, कोयले की सप्लाई की संभाव्यता और इसकी ढुलाई तथा जल की उपलब्धता आदि के संबंध में अनिवार्य ब्यौरे की कमी थी। इसलिए के०वि०प्रा० ने स्कीम मार्च, 1981 में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दी थी।

1	2	3	4
2.	मुर्शिदाबाद ता०वि० केन्द्र (सागरडीह)	1385	4×500 मेगा० की यूनिटों की बजाय अब 5×200 मेगा०+2×500 मेगा० की यूनिटें प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है। के०वि०प्रा० को प०बं०रा०वि०बो० से संशोधित परियोजना प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
3.	वक्रेश्वर ता०वि० केन्द्र (बीरभूम)	682.58	के०वि०प्रा० ने इन स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है और विद्युत विभाग ने इनकी सिफारिश योजना आयोग के लिए कर दी है। ये स्कीमें भी राज्य क्षेत्र में हैं तथा आवश्यक साधनों का पता लगाने और निवेश संबंधी निर्णय प्राप्त करना राज्य सरकार का दायित्व है।
4.	तीस्ता नहर प्रपात	80.70	
5.	मेजिया ता०वि० केन्द्र (बांकुरा)	566.40	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया है तथा इसे सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने अभी अनुमोदित कर दिया है। पहली यूनिट को 1990-91 के दौरान तथा शेष यूनिटें 9-9 महीने के अन्तराल से चालू किए जाने की परिकल्पना है।

गोदी श्रमिकों पर आवश्यक सेवायें अधिनियम लागू करना

4540. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोदी श्रमिकों पर आवश्यक सेवाएं अधिनियम लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1981 में "आवश्यक सेवा" की परिभाषा में अन्य सेवाओं के अलावा प्रत्येक महापत्तन की प्रत्येक सेवा शामिल है जो चाहे इन पत्तनों की हो या इन पत्तनों के कार्यकरण से संबद्ध हो। इसमें इन महापत्तनों में माल को चढ़ाने-उतारने या लाने-ले-जाने से सम्बन्धित सेवाएं भी आती हैं। इस प्रकार यह अधिनियम महापत्तनों में काम करने वाले डॉक श्रमिकों पर भी लागू होता है।

समय-सारणियों का मुद्रण

4541. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे की सामान्य समय-सारणी में स्थानीय रेल गाड़ियों के विशाल नेट-वर्क के समय को मुद्रित न करने के क्या कारण हैं जैसा कि दक्षिण-पूर्व रेलवे ने किया है अथवा जैसा पूर्वी रेलवे ने किया था ;

(ख) क्या हावड़ा, सियालदह और अन्य जंक्शन स्टेशनों पर, जहां पूर्वी रेलवे की स्थानीय रेलगाड़ियां चलती हैं पूर्वी रेलवे की स्थानीय रेलगाड़ियों की समय-सारणियां नियमित रूप से साल भर मिलती है;

(ग) जनरल जोनल ईस्टर्न रेलवे की कुल कितनी समय-सारणियां हैं और वर्तमान अर्ध-वार्षिक अवधि में स्थानीय पूर्वी रेलवे की रेलगाड़ियों की कुल कितनी रेलगाड़ियां मुद्रित की गई हैं;

(घ) कितने जंक्शन स्टेशनों से पूर्वी रेलवे की स्थानीय रेलगाड़ियां चलती हैं और पिछले 12 महीनों के दौरान जंक्शन स्टेशनों में इन स्थानीय रेलगाड़ियों के लिए और साधारण स्टेशनों में बिक्री के लिए भी समय सारणियों की औसतन कितनी प्रतिलिपियां सप्लाई की गई हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय सामान्य समय-सारिणी में स्थानीय रेलगाडियों के समय को मुद्रित करने की पुरानी प्रथा को पुनः शुरू करने हेतु पूर्वी रेलवे को सलाह देगा ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) चूंकि उपनगरीय समय-सारणी सामान्य समय-सारणी की, जिसके अंतर्गत समग्र रेलवे आती है, तुलना में स्थानीय हित की है। इसलिए मितव्ययिता की दृष्टि से दोनों समय-सारणियां अलग-अलग मुद्रित कराई जाती हैं। उपनगरीय समय-सारणी का मूल्य, अधिक मूल्य वाली सामान्य समय-सारणी की तुलना में, काफी कम रखा गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) पूर्व रेलवे की सामान्य समय-सारणी के मई 1985 अंक की 73,000 प्रतियां मुद्रित की गई थीं। पूर्व रेलवे की उपनगरीय गाड़ियों की समय-सारणी के इसी अंक की 70,000 प्रतियां मुद्रित की गई थीं।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर में बताये गये कारणों को देखते हुए संयुक्त समय-सारणी मुद्रित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पराद्वीप पत्तन और खान क्षेत्रों के बीच सीधा रेल सम्पर्क

4542. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान क्षेत्रों के आस-पास जोडा बांबीलेंड कोएरा से परादीप पत्तन तक कोई सीधा रेल सम्पर्क नहीं है जिससे निर्यात के लिए लौह अयस्क की चक्करदार मार्ग से ढुलाई करने पर काफी अधिक ढुलाई लागत आती है;

(ख) यदि हां, तो क्या लौह अयस्क के निर्माण पर खर्च होने वाले ढुलाई खर्च को कम करने के लिए इस समय मार्ग को सीधी रेल से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) लौह अयस्क खदान के इन क्षेत्रों की सेवा, राजखरसांवा-खड़गपुर-कटक होकर पारादीप जाने वाले वर्तमान रेलवे मार्ग द्वारा की जाती है।

(ख) से (घ) : जखापुरा से बांसपानी (176 कि० मी०) तक एक नई बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को 1974-75 में स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना का पहला चरण अर्थात् जखापुरा से दैतारी (33 कि० मी०) तक का काम पूरा हो गया था जिसे मार्च, 1981 में चालू कर दिया गया था। शेष खंड पर निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है, क्योंकि जखापुरा-दैतारी लाइन पर यातायात को मूर्त रूप नहीं मिला और संसाधनों की भी भारी तंगी है। दैतारी में इस्पात संयंत्र की स्थापना को अंतिम रूप दे दिये जाने तथा संसाधनों की स्थिति में सुधार होने पर इस निर्माण कार्य पर विचार किया जा सकता है।

शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को यात्रा में छूट प्रदान करने के लिए फोटो वाले पहचान पत्र जारी करना

4543. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय शारीरिक रूप से अपंग जिन व्यक्तियों को यात्रा में छूट देता है उन्हें फोटो वाले पहचान पत्र जारी किए जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊपरि पुलों का निर्माण

4544. **श्री गुरदास कामत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्या विहार, विखरोली, तिलक ब्रिज (घाटकोपर), देवनार, चेंबूर,

मनकूर, कंजोर मार्ग और भण्डार में यात्रियों तथा अन्य वाहनों के लिए ऊपरि पुलों का निर्माण कार्य शुरू करने हेतु शीघ्र कदम उठाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) : वर्तमान नियमों के अनुसार, रेलवे स्टेशनों पर रेलयात्रियों के उपयोग के लिए प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था करती हैं और व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए अपने हिस्से की लागत वहन करती हैं। जनता के उपयोग के लिए ऊपरी पैदल पुलों अथवा नई सुविधा के रूप में ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय नगरपालिका द्वारा निक्षेप शर्तों के आधार पर प्रायोजित किये जाने अपेक्षित हैं।

रेलों ने दैनिक यात्रियों के लिए चेम्बूर, मानखुर्द, कांजूर मार्ग और भांडुप में ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था/विस्तार करने संबंधी निर्माण-कार्यों को स्वीकृति दे दी है। चेम्बूर में कार्य पूरा हो चुका है। मानखुर्द और भांडुप में ऊपरी पैदल पुलों के इस्पाती कार्य निर्माणाधीन हैं तथा कांजूर मार्ग के पुल के लिए विस्तृत नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बम्बई नगर निगम के अनुरोध पर, निक्षेप शर्तों के आधार पर, जनता के उपयोग के लिए कांजूर मार्ग में समपार सं० 16 एम०एल० के निकट, चेम्बूर में तिलक नगर के निकट तथा चेम्बूर और मानखुर्द के बीच ऊपरी पैदल पुलों के निर्माण-कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

विखरोली-कांजूर मार्ग खंड पर समपार सं० 16 के बदले ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण-कार्य स्वीकृत किया गया है और यह प्रगति पर है। निक्षेप शर्तों के आधार पर विद्या बिहार में ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने तथा चेम्बूर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर तथा मानखुर्द में ऊपरी सड़क पुलों को चौड़ा करने के लिए बम्बई नगर निगम से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनके लिए ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। घाटकोपर, देवनार और भांडुप में ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय नगरपालिका से अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

ब्यावर स्टेशन पर पत्थर की ढुलाई

4545. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में ब्यावर रेलवे स्टेशन (राजस्थान) पर पत्थर का लदान ही मुख्य वस्तु है;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्थर लदान को अब एच०पी०वाई० श्रेणी के अन्तर्गत रखने के कारण माल डिब्बे उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो पत्थर का एच०पी०वाई० श्रेणी से हटाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

4546. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री दिनांक 25 जुलाई, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन-किन विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालय के रूप में मंजूरी देने का निवेदन किया है;

(ख) इस बीच विद्यालयों को किन तारीखों से मंजूरी दे दी गई है;

(ग) ये विद्यालय कब से खोले जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने मण्डी और शिमला में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मानकों के अनुसार भूमि, कक्षाओं के लिए अस्थाई स्थान या भवन आदि जैसी अपेक्षित वास्तविक सुविधाओं के उपलब्ध कराए जाने पर ही इन स्थानों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विचार किया जाएगा।

बाली मेला विद्युत परियोजना

4547. **श्री के० प्रधानी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बाली मेला विद्युत परियोजना की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त विद्युत परियोजना में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए काई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो बाली मेला विद्युत परियोजना के विस्तार के लिए तैयार की गई याजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विस्तार योजना की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) बाली मेला परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता 360 मेगावाट (60-60 मेगावाट के 6 यूनिट) है।

(ख) से (घ) : बाली मेला विस्तार परियोजना के अन्तर्गत 60-60 मेगावाट की दो यूनिटें प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में दिसम्बर, 1978 में प्राप्त हुआ था। तथापि, अक्तूबर, 1981 में उड़ीसा के प्राधिकारियों ने इस प्रस्ताव को छोड़ देने का निर्णय लिया क्यांकि इस स्कीम से कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं होगा। परिणामस्वरूप बाली मेला विस्तार परियोजना की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उड़ीसा राज्य के प्राधिकारियों को वापस कर दी है।

बाराबांकी रेल स्टेशन पर कुछ रेलगाड़ियों में बर्थों का आरक्षण कोटा समाप्त किया जाना

4548. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराबांकी रेल स्टेशन (उत्तर प्रदेश) का कुछ रेल गाड़ियों में स्थानों का आरक्षण कोटा समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सविस्तार क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई-त्रिवेन्द्रम जयन्ती जनता ऐक्सप्रेस में भोजन-यान की व्यवस्था करना

4549. **श्री टी० बशीर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली जयन्ती जनता ऐक्सप्रेस में भोजन-यान का व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त गाड़ी में भोजन-यान की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोगला-बनदोई नदी पर बेसिन क्षेत्र में जलमग्न भूमि से पानी निकालना

4550. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोगला बनदोई नदी बेसिन क्षेत्र में जलमग्न भूमि से पानी निकालने की योजना की कार्यान्विति में प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई और इस योजया का कार्यान्वयन कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) इस योजना के पूरा होने के पश्चात् कितनी भूमि कृषि योग्य बन जाएगी और इस योजना से लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह योजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) पगला और बंसलोई नदियों पर दो नियामकों (रेगुलेटरों) पर सिविल कार्य लगभग पूरे हो गए हैं । नियंत्रण-द्वारों के शेष को दिसम्बर, 1986 तक पूरा करने का कार्यक्रम है ।

(ग) इस स्कीम के पूरा हो जाने पर लगभग 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कृषि योग्य बनाए जाने की संभावना है । अनुमान है कि इससे लगभग 69,000 लोग लाभान्वित होंगे ।

(घ) इसे पूरा करने की मूल तारीख 31 दिसम्बर, 1981 थी ।

(ङ) इन निर्माण कार्यों के पूरा होने में विलम्ब का मुख्य कारण उस ठेकेदार की विफलता थी जिसे यह कार्य पहले दिया गया था, कार्य की अपर्याप्त प्रगति को देखते हुए अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गई और यह ठेका 29-9-82 को निरस्त कर दिया गया

था। यह कार्य पुन: जुलाई, 1983 में दो नए ठेकेदारों को दिया गया, जिन्होंने सिविल कार्यों को लगभग पूरा कर दिया है।

सरकारी वाहनों के लिए माल-भाड़ा दर निर्धारित करने के लिए राज्यों को दिए गए दिशा-निर्देश

4551. **श्री आशुतोष लाहा** : *क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 43 के अन्तर्गत सरकारी वाहनों के लिए अधिकतम अथवा न्यूनतम माल-भाड़ा दर को कानूनी तौर से निर्धारित करने के बारे में विभिन्न राज्यों सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राज्य सरकारों को मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 43 के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारियों को पब्लिक कैरियरों के लिए अधिकतम और न्यूनतम भाड़ा दरें निर्धारित करने की शक्ति पहले से ही प्राप्त है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा में विकास तथा अनुसंधान करने के लिए केन्द्र

4552. **श्री आई० रामा राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा में विकास तथा अनुसंधान करने के लिए कितने केन्द्र हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रों का कार्य-निष्पादन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में विलम्ब करने के कारण रुक गया है;

(ग) क्या नीलेश्वर में विद्यमान केन्द्र जिसे आजकल एक समिति चला रही है, के विकास हेतु अनुदान देने अथवा नियन्त्रण में लेकर उसे केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के रूप में चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) योग के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार विश्वायतन योगाश्रम को वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अलावा सरकार ने केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की स्थापना की है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य के लिए केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता देती है। केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा इस समय 13 प्राकृतिक संस्थाओं और 10 योग संस्थाओं को सहायता दी जा रही है।

(ख) जहां तक वरिष्ठ पदों का सम्बन्ध है केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में सहायक निदेशक (प्राकृतिक चिकित्सा) का एक पद और सहायक निदेशक (लिट्रेरी मोबाइल यूनिट) का एक पद खाली है। सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में नियुक्तियां उनकी प्रबंध समितियों द्वारा की जाती हैं न कि सरकार द्वारा।

(ग) और (घ) : निलेश्वर स्थित एक केन्द्र के अनुदान के लिए केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को आवेदन पत्र भेजा है। इस परिषद् ने संस्थान से कुछ स्पष्टीकरण मांगें हैं। यदि प्रारम्भिक छान-बीन के बाद इस प्रस्ताव को व्यवहार्य समझा गया तो परिषद् का शासी निकाय इस पर विचार करेगा।

दतिया नहर पर अन्तर्राज्यीय विवाद

4553. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कुछ अन्तर्राज्यीय विवाद काफी लम्बे अरसे से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विवादों का ब्यौरा क्या है और उनमें से एक विवाद दतिया नहर कर भी है; और

(ग) इन विवादों को तेजी से निबटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच दतिया केरियर नहर सहित निम्नलिखित सात सांझी परियोजनाओं के जल के उपयोग, नहरों के संरेखण आदि से सम्बन्धित कुछ मतभेद हैं :—

1. रंगवान बांध परियोजना;
2. सिंहपुर बराज;
3. ओरछा परियोजना;

4. दतिया केरियर नहर सहित राजघाट परियोजना नहरें;

5. केन बहु-उद्देश्यीय परियोजना पुनरुपेण;

6. केन नहर तथा मुख्य नियामक का पुनरूपेण; और

7. पंचनद बांध परियोजना।

मतभेदों को हल करने के लिए दोनों राज्य इन मामलों पर पहले ही विचार-विमर्श कर रहे हैं। राज्यों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय जोनल परिषद् की सेवाओं का भी लाभ उठाया गया है। दतिया-केरियर नहर के मामले में, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जून, 1985 में बुलाई गई बैठक में नहर के संरेखण पर कुछ सहमति हुई है।

जनकपुरी "सी" ब्लाक नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय का काम न करना

4554. **श्रीमती उषा वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी नई दिल्ली में "सी" ब्लाक को छोड़कर जो सभी ब्लाकों में से बड़ा है एक-एक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय काम कर रहा है;

(ख) क्या "सी" ब्लाक जनकपुरी में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए भूमि ली गई है यदि हां, तो कब से;

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है और औषधालय कब से काम करना आरम्भ कर देगा; और

(घ) क्या जनकपुरी "सी" ब्लाक में सरकारी भवन निर्माण से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों को किराए पर लेकर औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस ब्लाक में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जनकपुरी, नयी दिल्ली के ब्लाक "सी" में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी जनकपुरी के ब्लाक "ए" और "बी" के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये दोनों औषधालय "सी" ब्लाक से 3 किलोमीटर की निर्धारित सीमा दूरी के अन्दर-अन्दर स्थित हैं।

(ख) और (ग) : जनकपुरी के "सी" ब्लाक में 1983 में एक औषधालय के भवन का निर्माण करने के लिए एक प्लाट लिया गया था। सैन्ट्रल डिजाइन ब्यूरो ने भवन का नक्शा तैयार

कर दिया है, जिसकी जांच की जा रही है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्योंकि ब्लाक "सी" में रखने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पहले ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर कर लिया गया है।

जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों में परिवर्तनों की चेष्टा

4555. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों में कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है तथा उन परिवर्तनों के विकल्प भी सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन परिवर्तनों की चेष्टा की गई है उनकी विशेषताएं तथा उनके प्रस्तावित विकल्प क्या हैं; और

(ग) उक्त परिवर्तनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कक्षा 6 और 8 के लिए विज्ञान और गणित की पाठ्य-पुस्तकों में जम्मू और कश्मीर राज्य स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) **विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकें** :

कक्षा 6 के लिए "विज्ञान सीखिए" नामक पाठ्य-पुस्तक भाग—I (1977 में प्रकाशित) के पृष्ठ 123 और 124 पर पुरुषों और महिलाओं की बाहरी आकृतियों और कक्षा 8 के लिए "विज्ञान सीखिए" भाग—III (1979 में प्रकाशित) के पृष्ठ 233 और 234 पर सुअर पालन के उल्लेख का हटाया जाना।

(2) **गणित की पाठ्य-पुस्तकें** :

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मूल रूप से प्रकाशित गणित की पाठ्य-पुस्तकों में राज्य प्राधिकारियों ने राज्य में गणित के शिक्षकों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कुछ विषयों के क्रम को पुन: निर्धारित करने और पाठ को कुछ विस्तार से स्पष्ट करते हुए सरल करने के लिए सामान्य अनुमति मांगी थी।

(ग) राज्यों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों को स्थानीय

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से अनुकूलित करने की स्वतंत्रता होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इन प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए सहमत हो गई है और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को अनुकूलित पाठ प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

गढ़ी हरसरु और दिल्ली सदर बाजार के बीच चलने वाली 4 डी०एफ० रेलगाड़ी को समयानुसार चलाना

4556. **श्री मतिला हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपरफास्ट रेलगड़ियों के कारण गढ़ी हरसरु और दिल्ली सदर बाजार के बीच चलने वाली 4 डी० एफ० रेलगाड़ियों के समय पर चलने पर प्रभाव पड़ा है जिसके कारण दिल्ली आने वाले अधिकारियों को असुविधा हो रही है;

(ख) क्या गुड़गांव से इसका प्रस्थान समय 8.53 म० पू० है पर वह कभी भी समय पर नहीं पहुंचती है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त रेलगाड़ी के गुड़गांव देर से पहुंचने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह आमतौर पर 9.00 म० पू० अथवा 9.20 म० पू० को गुड़गांव पहुंचती है;

(ङ) यदि हां, तो इसे गुड़गांव अथवा बिजवासन में 20/30 मिनट तक रोकने के क्या कारण हैं, जबकि वह 20 मिनट में 15 किलो मीटर की दूरी तय करके पालम स्टेशन पहुंच सकती है;

(च) इस रेलगाड़ी का समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) अग्रता देने की वजह से कभी-कभी 4 डी० एफ का पालन प्रभावित होता है।

(ख) चूंकि गुड़गांव से इसके छूटने का निर्धारित समय 8.53 बजे है, इसलिए यह कहना युक्तिसंगत नहीं होगा कि यह कभी समय से नहीं पहुंचती।

(ग) इसके विलम्ब से चलने का मुख्य कारण गाड़ियों को प्राथमिकता देना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जब कभी महत्वपूर्ण गाड़ियां लेट हो जाती हैं तो उन्हें प्राथमिकता देने हेतु इस गाड़ी को रोक लिया जाता है।

(घ) इस गाड़ी के चालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

दिल्ली परिवहन निगम की चिकित्सा पैनल योजना

4557. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के लिए पिछले वर्ष चिकित्सा पैनल योजना शुरू की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष इस योजना पर कितना व्यय हुआ तथा प्रत्येक कर्मचारी पर कितनी औसत राशि व्यय हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां । चिकित्सा स्कीम 1-5-1984 से शुरू की गई थी ।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

इस चिकित्सा पैनल स्कीम के तहत 1-3-84 से 31-205 तक खर्च की गई राशि	9,10,15,086.00 रुपये
प्रति कर्मचारी प्रतिमाह खर्च की गई औसत धनराशि	237.82 रुपये

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन आयोग द्वारा वर्ष 2000 ई० तक कुष्ठ रोग के उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन

4558. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 ई० तक देश से कुष्ठ के रोग उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री की अध्यक्षता में दो वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 1983 में एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन आयोग गठित किया गया था;

(ख) क्या आयोग ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : जी, हां। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन आयोग का कार्य इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन और सर्वेक्षण करने का है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने के लिए विधान

4559. **श्री मुकुल वासनिक**
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री रामकृष्ण मोरे
श्री वी० वी० रामैया
श्री भरत सिंह
: क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार काफी बड़ी मात्रा में वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले जहरीले पदार्थों से वायु प्रदूषण निर्धारित सुरक्षित सीमा को पार कर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्धारित किये गये धुआं छोड़ने के अपेक्षित सीमा स्तरों को उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु एक विधान बनाने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन के कहने पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक विशेषज्ञ दल ने अप्रैल, 1985 में भारी यातायात वाले आठ स्थानों पर अध्ययन किया था। आस-पास के क्षेत्र तथा वाहन से निकले धुएं का नमूना लेकर उनकी जांच की गई। अध्ययन के अनुसार साठ स्थानों पर हवा में छोड़े गए कण और परिवेश में जमा हुआ पदार्थ निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया। इनमें से तीन स्थानों पर कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन पाए गए। सल्फर डायआक्साइड का जमाव निर्धारित सुरक्षित सीमा में था।

(ग) दिल्ली प्रशासन से मोटरयान अधिनियम, 1939 के तहत नियमों को संशोधित कर धुआं छोड़ने के बारे में मानक निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

4560. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार की सलाह पर

मई-जून, 1984 में उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र को आगे सप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वरास्ता बिहार बिजली सप्लाई की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश ने इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 20 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई की थी, जिसका मूल्य लगभग 104 करोड़ रुपये है और उत्तर प्रदेश ने अभी तक मध्य प्रदेश को इस राशि का भुगतान नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को इस राशि का भुगतान करता है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश को 19.92 मिलियन यूनिट विद्युत सप्लाई की थी और इसकी लागत के रूप में 137.59 लाख रुपये का दावा किया था। उत्तर प्रदेश ने 87 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है तथा सप्लाई की दर पर मतभेद होने के कारण शेष राशि के संबंध में विवाद चल रहा है। विवाद को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं :

[अनुवाद]

किडल-भागलपुर रेल मार्ग को दोहरा करना

4561. **श्री भगवत झा आजाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किडल-भागलपुर रेल मार्ग को दोहरा करने की घोषणा की है;

(ख) तब से वर्ष-वार खर्च की गई राशि कितनी है;

(ग) किडल-भागलपुर के बीच दोहरा किये जाने वाली कुल मील संख्या क्या है;

(घ) वर्तमान बजट में क्या प्रावधान है; और

(ङ) धीमी गति से कार्य किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) : किडल-भागलपुर खंड पर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने का कार्य 1980-81 में अनुमोदित किया गया था। इस पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :—

1980-81	12.52 लाख रुपये
1981-82	10.92 लाख रुपये
1982-83	35.12 लाख रुपये
1983-84	54.26 लाख रुपये
1984-85	124.21 लाख रुपये

(ग) क्यूल और भागलपुर के बीच 77 किलो मीटर में दोहरी लाइन बिछाने का कार्य अनुमोदित किया गया है ।

(घ) 1985-86 के लिए 210 लाख रुपये ।

(ङ) धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति हो रही है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

4562. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1985 में चार शिक्षा अधिकारियों की भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो 40-सूत्री आरक्षण रोस्टर में आरक्षित मुद्दे कौन से हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में पांच और शिक्षा अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या चार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति लेते समय आरक्षित पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भरने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सूचित किया है कि वह शिक्षा अधिकारियों सहित समूह 6 "क" पदों पर सीधी भर्ती के लिए सम्मिलित 40-प्वाइंट आरक्षण रोस्टर रखता है । आयोग के अनुसार शिक्षा अधिकारियों के पदों पर की गई चार नियुक्तियां, 40-प्वाइंट सम्मिलित आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित प्वाइंट 26, 27, 37 और 38 के लिए की गई थी । शिक्षा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए चार व्यक्तियों के चयन के लिए चयन समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने रखी गई थीं और आयोग ने चयन समिति की इन सिफारिशों को अनुमोदित किया था ।

कुछ और शिक्षा अधिकारियों की भर्ती करने का प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

पनकी, कानपुर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

4563. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पनकी, कानपुर रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित पुल निर्माण का कार्य कब शुरू हो रहा है; और

(ख) इस पुल के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी।

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) : पनकी में ऊपरी पैदल पुल के लिए 13.30 लाख रुपये की प्रत्याशित लागत से एक प्रस्ताव 1985-86 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है, और उसके लिए केवल 1.0 लाख रुपये के परिव्यय की व्ययस्था की गई है। इस समय, विस्तृत नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। स्थल पर कार्य का वास्तविक निष्पादन पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मध्य प्रदेश में टोमस बांध (बराज) की ऊंचाई कम करना

4564. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में टोमस बांध की विद्युत उत्पादन परियोजना की ऊंचाई कम करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से या उस राज्य के विधान सभा सदस्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्राप्त हुआ था तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या स्थानीय किसानों के हित में इस बांध की ऊंचाई दोबारा कम करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो क्या किसानों को विनाश से बचाने के लिए सरकार इस प्रस्ताव पर शीघ्र विचार करेगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, नहीं। जून, 1984 में योजना आयोग द्वारा परियोजना अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की सिफारिशें

4565. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की वर्ष 1983 में मुख्य सिपारिशें क्या थीं;

(ख) क्या सरकार ने भारत में निरक्षरता उन्मूलन सम्बन्धी बोर्ड की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को क्रियान्वयन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 1983 में की गई प्रमुख सिफारिशों में ये शामिल हैं—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाकर के और शिक्षा अवधि में कमी करके साक्षरता के प्रयत्नों को तेज करना; पठन सामग्री के निर्माण को पढ़ने वालों विशेष रूप से महिलाओं की आवश्यकताओं से सुसंगत बनाना, इस कार्यक्रम को अन्य विभागों के विकास कार्यकलापों से संबद्ध करना; लोक, परम्परागत और आधुनिक—इन तीनों प्रकार के जन संपर्क के साधनों/माध्यमों का उपयोग करना; महिला स्वैच्छिक संगठनों को संबद्ध करके महिला साक्षरता कार्यक्रमों को तेज करना; विद्यार्थियों को संबद्ध करना; नियोजकों के लिए अपने कर्मचारियों को साक्षरता के अवसर देना, अनिवार्य करना; और राज्य संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करना।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : हरेक नियोजक के लिए साक्षरता की व्यवस्था करने की अनिवार्यता को छोड़कर और सभी सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वित कर दी गई हैं। बोर्ड ने अपनी दिनांक 25 मई, 1985 की बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ फिर से यह सिफारिश की है कि नियोजकों के लिए यह आवश्यक हो कि वे अपने निरक्षर कामगारों को सारक्षरता प्राप्त करने के लिए अवसर दें और यदि आवश्यक हो तो यह कानून बना करके भी यह करें। बोर्ड की यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

बिजली परियोजनाओं के लिए पारेषण लाइन की व्यवस्था

4566. **श्री के० एस० राव**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए बनाई गई योजनाओं में बिजली प्राप्त करने वाले राज्यों को बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक पारेषण लाइनों का निर्माण करने की व्यवस्था है;

(ख) रामगुण्डम सुपर ताप बिजली केन्द्र और कलापक्कम परमाणु केन्द्र के मामले में कौन-कौन सी पारेषण लाइनों की व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि बिजली प्राप्त करने वाले राज्य अपना हिस्सा ले सकें; राष्ट्रीय हित में 400 के० वी० की पारेषण लाइनों और उपकेन्द्रों का निर्माण और परिचालन राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को सौंप दिया था;

(घ) यदि हां, तो 400 के० वी० की इन लाइनों और उप-केन्द्रों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या रामगुण्डम से कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए 400 के० वी० लाइनें पूरी न किए जाने के कारण आन्ध्र प्रदेश रामगुण्डम से कर्नाटक और तमिलनाडु को राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की बिजली अपनी परेषण लाइनों पर भेज रहा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां। जहां-जहां आवश्यक होता है लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत के हिस्से के अंतरण के लिए राज्य पारेषण प्रणालियों तथा अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों का उपयोग भी किया जा रहा है।

(ख) रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र और कलापक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र के संबंध में अपेक्षित पारेषण लाइनों की सूची विवरण-एक में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र से सम्बद्ध 400 के० वी० पारेषण लाइनों और उप-केन्द्रों के निर्माण की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) कर्नाटक और तमिलनाडु को विद्युत का पारेषण आंशिक रूप से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की लाइनों के जरिए और आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की लाइनों/अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के जरिए किया जा रहा है।

विवरण

1. **रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र से सम्बद्ध पारेषण लाइनें और उप केन्द्र**

1.1. 400 के० वी० लाइनें	लक्ष्य की तारीख तथा पूरा किया जाना
400 के० वी० रामगुण्डम—हैदराबाद (सिंगल सर्किट)	पूरी हो गई
400 के० वी० हैदराबाद—नागार्जुन सागर (सिंगल सर्किट)	पूरी हो गई
400 के० वी० रामगुण्डम—नागार्जुन सागर (डबल सर्किट)	10/87
400 के० वी० नागार्जुन सागर—कुड्डापाह (प्रथम सर्किट)	पूरी हो गई
(द्वितीय सर्किट)	3/88
400 के० वी० कुड्डापाह—मद्रास (सिंगल सर्किट)	3/86

400 के० वी० कुड्डापाह—बंगलोर (सिंगल सर्किट)	1/86
400 के० वी० बंगलोर—सलेम (सिंगल सर्किट)	3/88
400 के० वी० नागार्जुन सागर—मुनीराबाद (सिंगल सर्किट)	10/88

1.2. 400 के० वी० उप केन्द्र

रामगुण्डम	पूरा हो गया
हैदराबाद	पूरा हो गया
नागार्जुनसागर	पूरा हो गया
कुड्डापाह	1/86
बंगलोर	3/86
मुनीराबाद	11/88

2. कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र की पारेषण प्रणाली

220 के० वी० कलपक्कम—चिंगलपेट (डबल सर्किट)	पूरी हो गई
220 के० वी० कलपक्कम—अरनी (सिंगल सर्किल)	पूरी हो गई
220 के० वी० चिंगलपेट—कटपाडी (सिंगल सर्किट)	पूरी हो गई
220 के० वी० चिंगलपेट—कोरातुर (सिंगल सर्किट)	पूरी हो गई

"एक्सटोरशन रैकेट इन सफदरजंग" शीर्षक समाचार

4567. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान 21 मई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित एक्सटोरशन रैकेट इन सफदरजंग" समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें एक रोगी से डरा/धमका कर पैसे ऐंठने की एक घटना पर प्रकाश डाला गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच कर ली गई है तथा अपराधियों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में ऐसी घटना को पुनः न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस संबंध में अस्पताल के सतर्कता अधिकारी से मिली रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। अस्पताल के अधिकारियों को यह हिदायतें दी गई हैं कि वे सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्कता बरतें।

निकर्षण पोत का गुम होना

4568. **श्री जी० विजय रामा राव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का 1 करोड़ रुपए मूल्य का निकर्षण पोत समुद्र में गुम हो गया जिससे भावनापाडु में मत्स्य बंदरगाह के कार्य में बाधा पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के कि मत्स्य बंदरगाह के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से विलम्ब न हो, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकर्षण पोत के गुम होने के कारणों की जांच कराने का है ?

नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का एक पोर्टेबुल ड्रेजर भावनापाडु फिशिंग हारबर में 26 जून, 1985 को अचानक डूब गया। 12 जुलाई, 1985 को विभागीय तौर पर ड्रेजर को निकाल लिया गया और उस पर मरम्मत कार्य चल रहा है। मरम्मत के पूरी होने के बाद 30 सितम्बर, 1985 तक ड्रेजर के पुनः चालू किये जाने की संभावना है। तत्पश्चात् इसे भावनापाडु में पुनः लगाया जाएगा।

भावनापाडु में फिशिंग हारबर का निर्माण कार्य ड्रेजर के डूबने से प्रभावित नहीं हुआ।

(ग) इस घटना के लिए निगम द्वारा विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध गैर-सरकारी स्कूलों को पर्यवेक्षण

4569. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिणी राज्यों से कुल अवांछनीय प्रक्रियाओं को रोकने के लिए प्रवेश, ट्यूशन फीस और अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे मामलों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध गैर-सरकारी स्कूलों के समग्र पर्यवेक्षण में राज्य सरकारों को सम्बद्ध करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध कुछ

गैर-सरकारी स्कूलों द्वारा बहुत अधिक ट्यूशन फीस लिए जाने और शिक्षकों को निर्धारित वेतन न दिए जाने के समाचार हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु भारत सरकार को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के शिक्षा मंत्रियों की हैदराबाद में दिनांक 6 जुलाई, 1985 को हुई बैठक की कार्यवाही की जानकारी है जिसमें ऐसा प्रस्ताव किया गया है।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों में सम्बद्ध स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप फीस लेने तथा कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था है जो संबंधित राज्य के सरकारी स्कूलों में दिये जाने वाले वेतन से कम न हों। यदि कोई शिकायतें होती हैं तो उनकी जांच की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

नागपुर में "फाइलेरिया" रोग का फैलना

4570. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में "फाइलेरिया" का रोग फैल रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र सरकार को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नागपुर जिला (महाराष्ट्र) फाइलेरिया का स्थानिकमारी वाला क्षेत्र है और यह पहले से ही राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल है। नागपुर में फाइलेरिया को रोकने के लिए नागपुर नगर निगम, श्रद्धानन्द-पीठ तथा उमरेड़ स्थित तीन फाइलेरिया नियन्त्रण यूनिटें तथा एक फाइलेरिया सर्वे यूनिट फाइलेरिया रोधी उपाय कर रही है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम वर्ग-II की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है जिसके अधीन संचालन खर्च राज्य सरकारें वहन करती हैं और लार्वानाशी दवाइयों, वाहनों, पम्पों आदि जैसी वस्तुओं और उपकरणों का खर्च केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें आधा-आधा वहन करती हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को सामग्री उपकरण और लार्वानाशी दवाओं की खरीद के लिए 18.23 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता तथा लगभग 6 लाख रुपये के मूल्य की दवाइयां दी गई हैं।

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल के रिकार्ड से कागजात की चोरी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

4571. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10-1-85 को थाना डिफेन्स कालोनी की एफ० आई० आर० संख्या 345153 के मामले में अपना निर्णय देते हुए मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सफदरजंग अस्पताल के रिकार्ड से हुई कागजात की चोरी की भर्त्सना की है तथा उस निर्णय की एक प्रति दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अस्पताल के अधिकारियों को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) चिकित्सा अधीक्षक, सदफरजंग अस्पताल ने सूचित किया है कि इस मामले की जांच कर ली गयी है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही कर दी गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वंयसेवी संगठनों को अनुदान

4572. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कितने स्वंयसेवी संगठनों को वर्ष 1984-85 में एक वर्ष के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया तथा प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि का अनुदान स्वीकृत किया गया और उनमें से कितने संगठन देश के पर्वतीय, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) किस आधार पर अथवा किस उद्देश्य के लिए अनुदान राशि दी गई;

(ग) क्या सरकार ने इन स्वंयसेवी संगठनों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कभी कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। जिस प्रयोजन के लिए सहायता दी गई है उसका उल्लेख विवरण में किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया	1984-85 के दौरान अनुदान स्वीकृत किए गए स्वयंसेवी संगठनों की संख्या	1984-85 के दौरान स्वीकृत की गई धन-राशि	पर्वतीय आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	वार्षिक अनुदान-5000/- रु० तक	महिला, बाल और विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	4564	79.43	उपलब्ध नहीं
2.	वार्षिक अनुदान-5000/- रु० से अधिक		239	19·98	22
3.	अवकाश शिविर	बाल कल्याण के लिए	847	45.90	उपलब्ध नहीं
4.	महिला मण्डल	बाल और महिला कल्याण के लिए	360	77.20	—तदैव—
5.	श्रमजीवी महिला होस्टल	श्रमजीवी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाएं	75	3.68	11

1	2	3	4	5	6
6.	कल्याण विस्तार योजनाएं (शहरी)	गन्दे क्षेत्रों में कल्याण सेवाएं प्रदान करना	26	1.71	—
7.	समेकित स्कूल पूर्व परियोजनाएं	बच्चों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना	24	4.09	11
8	पूरक पोषाहर	बच्चों को पूरक खाद्यान्न प्रदान करना	3377	164.51	उपलब्ध नहीं
9.	संक्षिप्त पाठ्यक्रम (एक वर्ष और व्यावसायिक प्रशिक्षण)	विभिन्न व्यवसायों में फेल/मैट्रिक/एम० एस० सी० उम्मीदवारों के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलाने के लिए	725	112.93	66
10.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	उत्पादन एकक कृषि आधार एकक और स्वत: रोजगार एकक	671	321.67	180

1	2	3	4	5	6
11.	जन सहयोग में ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण	ग्रामीण महिलाओं के लिए 10 दिन का अनुस्थापन कैम्पों का आयोजन करने के लिए	192	12·74	86
12.	श्रमजीवी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृह	श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना और देखभाल करना	1752	491 00	उपलब्ध नहीं

गवर्नर-इन-कौंसिल द्वारा स्कूल पाठ्यक्रमों का संशोधन

4573. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अगस्त में गवर्नर-इन-कौंसिल ने स्कूल पाठ्यक्रमों को पूरी तरह परिवर्तन करने का व्यापक निर्णय लिया था;

(ख) क्या सरकार जानती है कि इसके परिणामस्वरूप पंजाब शिक्षा बोर्ड ने 15 लाख रुपए मूल्य की पुस्तकें खरीदी तथा 11 लाख रुपए मूल्य की पुरानी पाठ्यपुस्तकों, जो बिकी नहीं है का ढेर लग गया; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के अनुसार भारत सरकार 10+2 शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रशासनों से आग्रह करती रही है गवर्नर-इन-कौंसिल (पंजाब) की दिसम्बर, 1984 में हुई बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया था कि शैक्षणिक वर्ष 1986-87 से पंजाब को शिक्षा की10+2 प्रणाली अपनानी चाहिए।

भारत सरकार को यह जानकारी है कि पंजाब सरकार ने कक्षा 1 से X के लिए रा० शै० अनु० प्र० परिषद की पाठ्य-पुस्तकों का उपयोग करने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पंजाब सरकार को रा० शै० अनु० प्र० परि० की पाठ्य-पुस्तकों को मुद्रित और प्रकाशित करने की अपनी अनुमति दी है।

(ख) और (ग) : यह स्वाभाविक ही है कि जब कभी राज्य में पुस्तकों का कोई सेट बदल जाता है, तो पुस्तकों का कुछ भंडार अनुपयोगी हो जाता है। इस मामले में भारत सरकार को यह मालूम नहीं है कि पंजाब में कितनी मात्रा में पुस्तकें अनुपयोगी हो गयी हैं।

चलते-फिरते स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों के साथ ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधाएं देने की योजना

4574. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी देशों द्वारा विकसित पद्धति पर चलते-फिरते स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों के साथ ग्रामीण लोगों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं देने की किसी योजना की सरकार जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) ऐसे स्थानों पर ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं जिन स्थानों पर अभी तक कोई अस्पताल अथवा प्राथमिक सहायता केन्द्र नहीं हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण गरीब लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधायें उपलब्ध की जा रही हैं :—

(i) प्रति 1000 आबादी/गांव के लिए एक स्वास्थ्य गाइड तथा प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई उपलब्ध करना।

(ii) साधारणतया प्रत्येक 5000 आबादी तथा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 आबादी के लिए एक उप-केन्द्र उपलब्ध करना जिसमें एक पुरुष बहु-उद्देश्यी कार्यकर्ता तथा एक महिला बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ता की व्यवस्था होगी।

(iii) मौजूदा ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना तथा नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ताकि अन्ततः साधारणतया प्रत्येक 30,000 आबादी तथा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक 20,000 आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सहायक स्वास्थ्य-केन्द्र उपलब्ध हो जाए।

(iv) दर्जा बढ़ाए गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी विशेषज्ञताओं में उपचार की सुविधायें उपलब्ध करना। ये केन्द्र चरणबद्ध ढंग से खोले जाएंगे ताकि अन्ततोगत्वा प्रत्येक एक लाख ग्रामीण आबादी के लिए दर्जा बढ़ाया गया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध हो जाए।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति

4575. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 की धारा 4 की शर्तों के अनुसार विभिन्न प्रभागों में सम्पूर्ण भारत से अध्यापकों को लेने में असफल रहा है।

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न अध्यापन स्तरों के लिए चयन के मामले में, विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों से लगभग सभी प्रत्याशियों का चयन किया जाता है जब कि बाहर के

बहुत ही प्रतिभावान और सक्षम प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो 1982-85 के बीच विश्वविद्यालय के अन्दर से और बाहर के चुने गये अध्यापकों के सम्बन्ध में आंकड़े क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने संकाय सदस्य 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों से लिए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। जनवरी, 1982 से 31 जुलाई, 1985 तक की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में से ही 10 प्रोफेसरों और 11 सहायक प्रोफेसरों के मुकाबले बाहर से 7 प्रोफेसरों, 11 सह प्रोफेसरों और 23 सहायक प्रोफेसरों का चयन किया।

जमालपुर कर्मशाला में कर्मचारी

4576. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमालपुर कर्मशाला (बिहार) में श्रेणीवार कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मशाला में श्रेणीवार कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

राज्य रेल मंत्री द्वारा इटावा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

4577. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जून, 1985 को राज्य रेल मंत्री द्वारा इटावा रेलवे स्टेशन (उत्तरी रेलवे) का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो वहां क्या कमियां तथा अनियमितताएं पाई गईं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निरीक्षण के दौरान देखी गयी कमियों तथा अनियमितताओं तथा उन पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) इटावा रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार गन्दा पाया गया।
रेलवे ने अब स्थान साफ कर दिया है।

(2) प्लेटफार्मों पर मूत्रालयों के सामने एक छोटी दीवार का निर्माण करने की आवश्यकता थी ताकि उपयोगकर्ताओं को एकांत रहे ।

इसकी व्यवस्था कर दी गयी है ।

(3) कुछ समय पहले रसोईघर के निकट गुसलखानों में से पानी की टोंटियां हटा दी गयी थीं और पानी की सप्लाई पुन: चालू करने की आवश्यकता थी ।

गुसलखानों तक पानी की सप्लाई पुन: चालू कर दी गयी है ।

(4) रेल सुरक्षा बल के कम्पनी कमांडर ड्यूटी पर नहीं थे और उनके कमरे में ताला लगा था ।

जांच करने से पता चला कि रेल सुरक्षा बल के अधिकारी खेलकूद में भाग लेने के लिए इलाहाबाद गए थे । तथापि सामान्य कार्य-समय के दौरान ऐसे कार्यालय कमरों को बन्द नहीं किया जाना चाहिए ।

कार्य समय के दौरान ऐसे अधिकारियों के कार्यालय कक्षों को बन्द न करने के अनुदेश तथा इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक जांच करने के अनुदेश उत्तर रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं ।

(5) स्टेशन अधीक्षक के कमरे में ताला लगा था ।

निरीक्षण का दिन इतवार का दिन था और स्टेशन अधीक्षक अपने क्वार्टर में साप्ताहिक विश्राम पर थे । तथापि सहायक स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर मौजूद थे ।

[अनुवाद]

खाद्य पैकेट रखने के लिए अल्यूमिनियम के डिब्बे

4578. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को खाद्य के पैकेट रखने के लिए अल्यूमिनियम के डिब्बे बेचे जाते हैं और प्रत्येक खाली डिब्बे का मूल्य एक रुपया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन ऐसे कितने पैकेट बेचे जाते हैं;

(ग) इनमें से कितने डिब्बे खान-पान विभाग को लौटाये जाते हैं और कितने फेंक दिए जाते हैं;

(घ) पुन: उपयोग में लाए जाने योग्य अल्यूमिनियम को फेंक देने से प्रतिदिन राष्ट्र को अनुमानत: कितना नुकसान होता है; और

(ङ) सरकार का राष्ट्र को होने वाले इस प्रकार के भारी नुकसान से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) यात्रियों को साफ-सुथरी हालत में गर्म/स्वादिष्ट भोजन सप्लाई करने के लिए कुछ चुनींदा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अल्यूमिनियम की हंडियों में, जिन्हें उपयोग के बाद फैंका जा सकता है, एक संशोधित भोजन की व्यवस्था शुरू की गयी है। खाली छोटी हंडिया की वर्तमान कीमत 65 पैसे तथा बड़ी की 99 पैसे है।

(ख) जुलाई, 1985 में प्रतिदिन लगभग 3000 से 3500 तक पैकेटों की बिक्री हुई थी।

(ग) से (ङ) : इस समय यात्रियों द्वारा खाली पैकेट फैंक दिए जाते हैं और खान-पान यूनिटों को लौटाये नहीं जाते हैं। सेवा के लिए रेलवे पर उन्हें पुनः इस्तेमाल किया जाना व्यावहारिक नहीं है। तथापि इन प्रश्नों की जांच की जा रही है कि क्या खाली कंटेनरों से कुछ अल्यूमिनियम प्राप्त की जा सकती है अथवा नहीं और यदि हां, तो क्या इस्तेमाल किये गये खाली कंटेनरों को इकट्ठा करना सम्भव है।

महिला उद्यमियों और महिला व्यावसायिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यवाही

4579. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि महिला उद्यमियों और महिला व्यावसायिकों को प्रोत्साहित किया जाए; और

(ख) क्या सरकार इस मामले को यह सुनिश्चित करने हेतु सरकारी क्षेत्र और सरकारी विभागों के साथ उठाने पर विचार कर रही है कि महिलाओं को रोजगार में, विशेषकर व्यावसायिक क्षेत्र में, उचित हिस्सा दिया जाए ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) लघु उद्योग विकास संगठन अपने लघु उद्योग सेवा संस्थानों शाखा संस्थानों और विस्तार केन्द्रों के माध्यम से महिला उद्यमियों को लघु उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उत्पादों और कार्यकलापों के अनुसार ही उन्हें तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन दिया जा रहा है जो महिला उद्यमियों की आवश्यकताओं के अनुकूल है।

(ख) विभिन्न प्रकार के वर्तमान आर्थिक कार्यकलापों का विस्तार करते हुए महिलाओं के रोजगार की सम्भावना के क्षेत्रों का पता लगाते हुए और परिचालन, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध स्तर पर रोजगार के लिए महिलाओं के कौशल को बढ़ाते हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संगठन के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

4579. श्री शान्ति धारीवाल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अन्य सरकारी कर्मचारियों के ही समान है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त विश्वविद्यालय और इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात् भी सेवाकाल में वृद्धि की अनुमति दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवाकाल में वृद्धि के मामले में अभी तक कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी, नहीं। सरकारी कालेजों को छोड़कर, दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कालेजों के सभी कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है। सरकारी कालेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है।

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय की संविधियों और आध्यादेशों में किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा में वृद्धि के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट प्रतिष्ठित शिक्षक को 60 वर्ष की आयु के होने के बाद, कुलपति की सिफारिश पर, यदि कार्यकारी परिषद/कालेज का शासी निकाय इस बात से आश्वस्त हो कि ऐसा पुर्नं-नियोजन संस्था के हित में है तो उसे ऐसी अवधि के लिए पुर्ननियुक्त किया जा सकता है जो कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हो, परन्तु जो उसके 65 वर्ष की आयु पूरी करने से अधिक न हो।

(घ) और (ङ) : विश्वविद्यालय और उसके कालेजों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, इसलिए उन्हें 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा में कोई वृद्धि देने का प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक

4581. श्री बी० वी० देसाई
श्रीमती माधुरी सिंह } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए 17 तथा 18 जुलाई, 1985 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्रियों की एक क्षेत्रीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्री की इस प्रकार की बैठकें अन्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी हुई थी;

(ग) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा उसमें क्या फैसला किया गया;

(घ) क्या बैठक में भाग लेने वाले राज्यों द्वारा किए गए परिवार नियोजन कार्य की पूर्ण तरह जांच की गई थी;

(ङ) क्या इन राज्यों में 1984-85 के दौरान किए गए नसबन्दी आपरेशनों की संख्या पिछले वर्ष से काफी कम थी; और

(च) देश में परिवार नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कौन से अन्य कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) फिलहाल क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों की और बैठकें आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् का 11वां संयुक्त सम्मेलन 2 से 5 सितम्बर, 1985 तक आयोजित किया जाना निश्चित हुआ है। तथा इस बैठक में सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा भाग लिया जाना है।

(ग) से (ङ) : इन बैठकों का प्रमुख अभिप्राय राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति की गहराई से समीक्षा करना तथा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अर्थोपायों का पता लगाना है।

(च) इसके अलावा चल रहे कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को छोटे परिवार के सिद्धांत को स्वेच्छा से अपनाने के लिए राजी करना है। नई कार्य-नीतियां हैं—विभिन्न प्रचार माध्यमों का तेजी से इस्तेमाल करना; एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सम्पर्क स्थापित करके परिवार कल्याण सेवाओं की मांग में वृद्धि करना, आधार-भूत ढांचे की सुविधाओं का विस्तार करना; सप्लाई पद्धति को युक्ति संगत बनाना; कार्यक्रम के प्रबन्ध में सुधार करना, कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि करना तथा इस कार्यक्रम में लोगों की अधिक से अधिक सहभागीदारी प्राप्त करना।

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति

4582. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू): (क) और (ख) : भारत सरकार की ऊर्जा नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम लागत पर पर्याप्त ऊर्जा सप्लाई करना, ऊर्जा सप्लाई में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा ऊर्जा स्रोतों के अनियंत्रित समुपयोजन के कुप्रभाव से पर्यावरण को बचाना।

ग्रामीण समुदायों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास और उपयोग करने हेतु प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में घरेलू परम्परागत और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का त्वरित रूप से समुपयोजना करना, तेल तथा गैस के उपयोग में तत्परता बरतना, ऊर्जा मांग प्रबन्ध, ऊर्जा संरक्षण और प्रबन्ध आदि शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में अन्धेपन के लिए आबंटन/व्यय

4583. **श्रीमती फूल रेणु गुहा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को वर्ष 1984-85 के दौरान अन्धेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई आबंटन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई थी और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : वर्ष 1984-85 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 32.19 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी और राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता में से 32.19 लाख रुपये खर्च किए बताए हैं ।

वर्षा का पानी सुरक्षित रखने की योजना

4584. **श्री डी० एन० रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के अनेक भागों में जल स्रोतों के रिक्तीकरण की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा का पानी सुरक्षित करने की किसी योजना पर विचार किया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश के कुछ भागों में जल स्रोतों की कमी हुई है ।

(ख) वर्षा के जल का संचयन करने की दृष्टि से भूतल भण्डारण तथा भूमिगत जल स्कीमें सुनियोजित तथा क्रियान्वित की जा रही हैं । इस संबंध में, जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण शुरू किए गए हैं ।

बुक स्टालों को आगे किराए पर देना/आबंटन करना

4585. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के साथ हुए समझौते में बुक-स्टालों को आगे किराये पर देने/आबंटन करने के बारे में कोई उपबन्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो बुक स्टालों को आगे किराये पर दिए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सावधानियां बरती गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) शिकमी पर देने की किसी अनियमितता का पता लगने पर ठेका रद्द किया जा सकता है ।

गोदी श्रमिक बोर्ड योजना लागू करने के पश्चात् पत्तनों का लागत ढांचा

4586. **श्री अनूप चन्द शाह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पत्तनों में गोदी श्रमिक बोर्ड योजना लागू करने के बाद इन सभी पत्तनों पर पत्तन लागत ढांचा बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख): गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) स्कीम बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, काण्डला मुरगाँव और विशाखापत्तनम में कुछ खास श्रेणियों के श्रमिकों के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम में आने वाले श्रमिकों के लिए एक माह में न्यूनतम गारंटीशुदा वेतन, उपस्थिति भत्ता, साप्ताहिक अवकाश में वेतन, अवकाश के दिनों में वेतन, भविष्य निधि/पेंशन, ग्रेच्यूटी कल्याण सुविधाओं आदि की परिकल्पना की गई है। डाक लेबर बोर्डों द्वारा ऐसे लाभ देने से इन पत्तनों पर कार्गो हैंडल करने की लागत में बढ़ोतरी हुई है।

उड़ीसा में ऋषिकुल्या कमान क्षेत्र विकास योजना

4587. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गंजम जिले में ऋषिकुल्या कमान क्षेत्र विकास को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नई परियोजनाओं को शामिल करने सम्बन्धी अन्त: मंत्रालयीय संस्वीकृति समिति ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अपनी 30 जुलाई, 1985 को हुई बैठक में विचार किया था। राज्य सरकार को कहा गया है कि इस परियोजना को सातवीं योजना के दौरान हाथ में लेने के लिए धनराशि की उपलब्धता तथा इससे सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग की स्थिति को स्पष्ट करे।

पश्चिम रेलवे में राजकोट-अहमदाबाद अंतनगरीय रेल सेवा शुरू करना और रेल सेवाओं से सम्बन्धित अन्य समस्यायें

4588. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट में 8 जून, 1985 को आयोजित एक बैठक में सरकार के ध्यान में पश्चिम रेलवे की अनेक समस्यायें और राजकोट-अहमदाबाद अन्तर्नगरीय रेल गाड़ियां चलाना, रेलगाड़ियों के समय का निर्धारण, मीटर गेज लाइनों पर वातानुकूलित डिब्बे, आरक्षण और विभिन्न स्टेशनों पर अन्य सुविधाएं, रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना आदि जैसे अनेक मामले रखे गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी और इन समस्याओं को हल करने के लिए की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) बैठक में अनेक मांगें रखी गयी थीं, जिनमें से मुख्य ये हैं—(1) लम्बी दूरी की गाड़ियों को सौराष्ट्र तक बढ़ाया जाए; (2) जामनगर/राजकोट और अहमदाबाद के बीच एक अन्तर्नगरीय नयी गाड़ी चलायी जाए और (3) समय में परिवर्तन, रफ्तार तेज करना तथा डिब्बों की संख्या में वृद्धि आदि से सम्बन्धित अन्य मांगें ।

जो मांगें व्यावहारिक समझी गयीं, उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी मांगें जिनके लिए अतिरिक्त संसाधन अपेक्षित थे या ऐसे परिवर्तन जिनसे उपयोगकर्ताओं के किसी वर्ग पर प्रभाव पड़ता था, स्वीकार नहीं किए गए थे।

राज्यों द्वारा गैर-योजनागत व्यय के अन्तर्गत लागू की गई सिंचाई परियोजनायें

4589. **श्री के० राममूर्ति** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को गैर-योजनागत व्यय के अन्तर्गत मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं जैसी योजनागत योजनाएं कार्यान्वित करने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों तथा उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की गयी हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : जी, नहीं । तथापि, गैर-योजनागत व्यय के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही सिंचाई स्कीमों के कुछ मामलों की सरकार को जानकारी है किन्तु इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

[हिन्दी]

इंदौर—माक्सी—कोटा—दिल्ली मार्ग पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

4590. **श्री बापूलाल मालवीय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माक्सी—गुना—कोटा रेल लाइन पर इस समय एक भी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंदौर—माक्सी—कोटा—दिल्ली मार्ग पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) यह सच है कि रुठियाई और कोटा के बीच कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चल रही है, जबकि माकसी—गुना खण्ड पर एक एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सवारी डिब्बों और रेल इंजनों जैसे संसाधनों की कमी तथा थ्रू यातायात की कम प्राप्ति की वजह से एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलायी जा सकती है।

[अनुवाद]

बालाहार लेक्टोजेन के टिनों में धूल

4591. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बाल आहार लेक्टोजेन के कुछ टिनों में धूल के कण पाये गए हैं जो शिशुओं के लिए अनुपयुक्त हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस दूध को पीने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए और उन्हें संक्रमण भी हो गया; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का बालाहार की अच्छी किस्म सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है और निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर दी जाएगी।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में स्वयंसेवी निकायों को आमंत्रित करने के लिए कार्यवाही योजना

4592. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में बड़े पैमाने पर स्वयंसेवी निकायों को आमंत्रित करने के लिए कार्यवाही योजना तैयार करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 4 सितम्बर, 1985 को नई दिल्ली में देश के प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

कोचीन-मदुरै राजमार्ग में सुधार के लिए उपयोग की गई और प्रस्तावित राशि

4593. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष मंजूर की गई राशि में से कोचीन—मदुरै राजमार्ग के सुधार के लिए कितनी राशि उपयोग की गई;

(ख) पूरी राशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या असाधारण वर्षा, बाढ़ और भू-स्खलन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस वर्ष इस अन्तर्राज्ययीय राजमार्ग के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक महत्व अथवा अन्तर्राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत ऋण सहायता के लिए कोचीन—मदुरै के भाग के सुधार के लिए केरल सरकार को 1.00 करोड़ रुपये की ऋण सहायता को अनुमोदित किया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस कार्य के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। अनुमान को संस्वीकृति किए जाने के साथ-साथ ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

(ग) जी, नहीं। राज्य सड़क होने के कारण, सड़क, के अनुरक्षण और सुधार की जवाबदेही राज्य सरकार की है।

दिल्ली और गुड़गांव के बीच दिल्ली परिवहन निगम की सेवायें

4594. **श्री प्रताप सिंह बघेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम आसपास के शहरों अर्थात् फरीदाबाद, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ और नोएडा के लिये बड़ी संख्या में अपनी बसें चला रहा है;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने कर्मपुरा टर्मिनल (दिल्ली) और बहादुरगढ़ (हरियाणा) के बीच पूरक सेवा आरम्भ की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय से सोहना बरास्ता गुड़गांव चलने वाली कतिपय सेवाओं को

छोड़कर दिल्ली और गुडगांव के बीच ऐसी कोई सेवायें नहीं चलाई जा रही हैं ?

(घ) क्या गुड़गांव के तेजी से औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली और गुड़गांव के बीच उसी तरह दिल्ली परिवहन निगम की सेवायें चलाने का कोई प्रस्ताव है जिस तरह दिल्ली के आसपास के अन्य उपनगरों के लिए चलाई जा रही हैं;

(ङ.) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ, गुड़गांव ने 29 मई, 1985 को दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन को इस संबंध में एक अभ्यावेदन दिया था;

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) कोई पूरक बस सेवा नहीं है किन्तु समय-समय पर ट्रिपों के समय में फेर-बदल किया जाता है।

(ग) और (घ) : आसपास के अन्य नगरों की तरह गुड़गांव तक बस सेवाएं अंतर्राज्यीय व्यवस्था के आधार पर चलाई जाती हैं। मौजूदा बस सेवा पर्याप्त है।

(ङ.) से (छ) : दिल्ली परिवहन निगम की एसोसिएशन के सदस्यों और आम जनता के सूचनार्थ समय-सारणी, किराया तालिका सप्लाई करने के बारे में अभिवेदन प्राप्त हुए थे। ये बुल्लेट कीमत चुकाने पर मिलते हैं जो सभी प्रमुख बस टर्मिनलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली परिवहन निगम ने एसोसिएशन को वस्तुस्थिति की सूचना दे दी है।

बारडोली रेलवे स्टेशन के निकट सूरत—भुसावल यात्री रेलगाड़ी दुर्घटना

4595. **श्री माणिकराव होडल्य गावत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारडोली रेलवे स्टेशन के निकट सूरत—भुसावल यात्री रेलगाड़ी जुलाई, 1985 के प्रथम सप्ताह में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ख) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए तथा कितने घायल हुए;

(ग) क्या अब तक कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं;

(ङ.) क्या इस दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस दुर्घटना में लापरवाही के लिए यदि कोई रेलवे कर्मचारी दोषी पाया गया है, तो इस बीच उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तथा पांच व्यक्ति घायल हुए थे।

(ग) और (घ) : विभागीय जांच की गयी थी और उसका निष्कर्ष यह निकला था कि रेलपथ के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छेड़-छाड़ की गयी थी।

(ङ) जी, नहीं। अभी तक केवल अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

(च) इस दुर्घटना के लिए किसी रेल कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

दक्षिण रेल द्वारा खोए गए सामान के दावों का किया गया भुगतान

4596. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे द्वारा 1984-85 के दौरान खोए गए सामान के लिए कितनी राशि का भुगतान किया;

(ख) उस अवधि के दौरान सामान भाड़े के रूप में कितनी आय हुई;

(ग) किन-किन मदों के लिए खोए गए सामान के दावों का भुगतान किया गया;

(घ) क्या यह सच नहीं है कि इस्पात, लोहा, चावल आदि की चोरी योजनाबद्ध तरीके से हो रही है; और

(ङ.) यदि हां, तो खोए गए सामान के दावों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 1984-85 में, दक्षिण रेलवे ने परेषणों की नासुपुर्दगी अथवा आंशिक सुपुर्दगी के कारण हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 48.4 लाख रुपये का भुगतान किया था।

(ख) 1984-85 के दौरान दक्षिण रेलवे को माल भाड़े के रूप में कुल 217.17 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी।

(ग) इनमें से अधिकांश दावे खाद्यान्न, लोहा और इस्पात तथा रासायनिक खादों से सम्बन्धित थे।

(घ) कुछ चोरियां हुई हैं ।

(ङ.) निम्नलिखित निरोधक कदम उठाए गए हैं :—

(1) परमावश्यक वस्तुओं को ढोने वाली माल गाड़ियों के साथ यथा संभव रे० सु० ब० के मार्ग रक्षियों की व्यवस्था ।

(2) रे० सु० ब० के कर्मचारियों द्वारा यार्डों और स्टेशनों पर पहरा ।

(3) यार्डों में और सील जांच स्थलों पर माल डिब्बों की सील और रिवटों की गहन जांच ।

रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व

4597. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने जोनवार कितना राजस्व अर्जित किया है; और

(ख) इस प्रकार की आय में वृद्धि की दर कितनी है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलों की जोनवार राजस्व आमदनी तथा पिछले वर्षों की तुलना में उसमें वृद्धि की दर अग्रलिखित तालिका में देखी जा सकती है—

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

रेलवे	1982-83		1983-84		1984-85 अनंतिम	
	राजस्व आमदनी	1981-82 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	राजस्व आमदनी	1982-83 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	राजस्व आमदनी	1983-84 की तुलना प्रतिशत वृद्धि
मध्य	783.95	26.96 प्रतिशत	895.60	14.24 प्रति.	942.71	5.26 प्रतिशत
पूर्व	501.58	25.57 ,,	578.62	15.36 ,,	610.78	5.56 ,,
उत्तर	740.66	26.54 ,,	813.46	9.83 ,,	874.03	7.45 ,,
पूर्वोत्तर	141.67	33.55 ,,	148.10	4.55 ,,	155.00	4.65 ,,
पूर्वोत्तर सीमा	116.77	29.09 ,,	122.99	5.34 ,,	121.32	—1.36 ,,
दक्षिण	310.36	17.85 ,,	354.95	14.37 ,,	394.13	11.04 ,,
दक्षिण-मध्य	415.97	23.10 ,,	476.27	14.50 ,,	540.99	13.59 ,,
दक्षिण-पूर्व	721.56	21.41 ,,	824.57	14.28 ,,	907.88	10.10 ,,
पश्चिम	669.44	16.94 ,,	777.92	16.20 ,,	814.78	4.74 ,,
*मेट्रो/कलकत्ता	—	—	—	—	0.15*	—
भारतीय रेलें	4401.96	23 39 ,,	4992.48	13.41 ,,	5361.77	7.40 ,,

* 1984-85 के दौरान यातायात के लिए खोली गयी।

मैसर्स अलिमको, कानपुर द्वारा कर्नाटक सरकार को पुर्जों की सप्लाई

4598. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एच० एन० नंजे गौड़ा } : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अलिमको, कानपुर को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि बंगलौर में कृत्रिम अंग लगाने के केन्द्र की स्थापना के लिए मैसर्स अलिमको, कानपुर द्वारा कर्नाटक सरकार को सप्लाई किए गए पुर्जों संबंधी धनराशि छोड़ दी जाए;

(ख) क्या यह सच है कि यह मामला समाज कल्याण मंत्रालय के पास काफी अर्से से लंबित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्र शेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । अलिमको ने दिनांक 12 अगस्त, 1985 के पत्र द्वारा कर्नाटक सरकार को धनराशि छोड़ने की सूचना दे दी थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीनगर और पहलगांव में "रेलवे होलीडे होम"

4599. **प्रो० सैफूद्दीन सोज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने वर्ष 1970 में श्रीनगर और पहलगांव में "होलीडे होम" बनाए थे;

(ख) क्या ये "होलीडे होम" 20,000 व्यक्तियों को आवास प्रदान करने के लिए बनाए गए थे; और

(ग) इनमें वर्ष 1982-83 से प्रतिवर्ष कितने लोग रहे ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं । श्रीनगर और पहलगांव में अवकाश गृहों का निर्माण क्रमश: 1959 और 1964 के दौरान किया गया था न कि 1970 के दौरान ।

(ख) जी, नहीं । प्रत्येक अवकाश गृह में, एक समय पर केवल 300 कर्मचारियों को ही स्थान सुलभ कराया जा सकता है ।

(ग)	श्रीनगर	पहलगांव
1982-83	3123	2582
1983-84	2963	2580
1984-85	2786	2562

अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में पुलों का निर्माण

4600. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **नौवहन मंत्री और परिवहन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन प्रमुख पुलों, दो दिशोरगढ़ घाट और मोनिका-घाट में दामोदर नदी पर और दूसरा पंडारवश्वर में अजय नदी पर के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या ये तीन प्रमुख पुल पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र के उपयोग के साथ-साथ अन्तर्राज्यीय संचार के विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार की अन्त-र्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण योजना के अंतर्गत इन पुलों को शामिल करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख): छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्थिक महत्व अथवा अन्तर्राज्यीय सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ प्रस्ताव प्रेषित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दो पुलों अर्थात (1) मजियाघाट पर दामोदर नदी पर पुल (2) पंडावेश्वरघाट पर अजय नदी पर पुल का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य अन्तर्राज्यीय/उत्तरराज्यीय यातायात के बे रोक-टोक प्रवाह को सुनिश्चित करना और आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर आदि औद्योगिक क्षेत्रों के अन्य उत्पादों और कोयला की ढुलाई में सुविधा प्रदान करना भी है। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन पर कारंवाई नहीं की जा सकी।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। योजना में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, आर्थिक महत्व अथवा अन्तर्राज्यीय सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत सहायता देने के लिए पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से नये सिरे से प्रस्ताव आमंत्रित किए जायेंगे।

[हिन्दी]

'सफदरजंग अस्पताल सुधारो आंदोलन' शीर्षक समाचार

4601. **श्री सरफराज अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 जून, 1985 को जनसत्ता में 'सफदरजंग अस्पताल सुधारो आन्दोलन' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सफदरजंग अस्पताल की कार्यदशा सुधारने और इसके कर्मचारी संघ की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : जी, हां। तथापि इस अस्पताल के विभिन्न स्तरों जैसे, एम्बुलेंस, सेवाओं, विकिरण चिकित्सा विज्ञान संबंधी सेवाओं, प्रयोगशाला तथा लौंड्री सेवाओं में सुधार किया गया है। कर्मचारी संघ के साथ की गई बातचीत से भी उनकी अधिकतर विचाराधीन समस्याओं को सुलझाने में मदद मिली है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पन-बिजली उत्पादन

4602. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप बिजली उत्पादन की तुलना में पन-बिजली उत्पादन काफी सस्ता पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी पन-बिजली उत्पादन एकक उनमें निवेशित पूंजी के बराबर लाभ दे चुके हैं;

(ग) उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में पन-बिजली संसाधनों का (मेगावाट) लाभ उठाया जाना और सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) वृहत्/मध्यम जल विद्युत परियोजनाओं की ऊर्जा उत्पादन की लागत सामान्यत: प्रति यूनिट 25-35 पैसे के बीच है। इसकी तुलना में ताप विद्युत परियोजनाओं की ऊर्जा उत्पादन की लागत प्रति यूनिट 45-55 पैसे के बीच है।

(ख) इस विभाग ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यत: मितव्ययी होती हैं और इनकी पे-बैक अवधि कम होती है।

(ग) 60% भार अनुपात पर 9226 मेगावाट की कुल अनुमानित जल विद्युत क्षमता में से अब तक 11% क्षमता उपयोग में लाई जा चुकी है। शेष जल विद्युत क्षमता का उपयोग तेजी से करने की दृष्टि से कुल 2396 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की 6 वृहत/मिनी जल विद्युत स्कीमों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और 342.5 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की 2 अन्य स्कीमें सातवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु निर्धारित की गई हैं।

जलपोतों का विभिन्न बंदरगाहों पर रोकने के कारण नौवहन उद्योग को हानि

4603. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल**
प्रो० रामकृष्ण मोरे } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन उद्योग को इसके पोतों का विभिन्न बन्दरगाहों पर लम्बी अवधि तक रोके जाने के कारण 1984-85 में 40 करोड़ रुपए की हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके रोके जाने के कारणों का विश्लेषण किया है जिसके कारण नौवहन उद्योग की भारी हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) से (ग) : सम्भवत: यह प्रश्न पत्तनों में जहाजों को बर्थ पर लगने से पहले होने वाले बिलम्ब से सम्बन्धित है। एक साथ कई जहाजों के आने, पत्तनों में पर्याप्त बर्थ सुविधाएं, जहाजों के कागजात तैयार नहीं रहने, पत्तन और गोदी श्रमिकों आदि की हड़ताल आदि जैसे अनेक कारणों से जहाजों को इस प्रकार की देरी हो जाती है। वर्ष 1984-85 में ऐसी देरी का एक मुख्य कारण था—16.3.1984 से 11.4.1984 तक अखिल भारतीय पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल। नौवहन उद्योग को सिर्फ इस प्रकार देरी से कितनी हानि हुई इसका कोई ज्ञात अनुमान उपलब्ध नहीं है। जहाजों के बर्थ पर लगने से पहले होने वाली देरी के कारणों से निपटने के लिए सरकार ने छठी योजना में पत्तन क्षमता बढ़ा दी है, बाहर से आने वाले सरकारी कार्गो को विभिन्न पत्तनों में यक्तिसंगत रूप से बांट दिया गया है और आमतौर पर पत्तनों में औद्योगिक सम्बन्ध में सुधार लाने के उपाय भी किए हैं।

[हिन्दी]

इलाहाबाद और फैजाबाद के बीच एक यात्री रेलगाड़ी चलाना

4604. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 ए० एफ० और 5 ए० एफ० इलाहाबाद—फैजाबाद यात्री रेलगाड़ियों को एक्सप्रेस रेलगाड़ियां बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पहले से चल रहीं इन पैसेंजर रेलगाड़ियों को एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में परिवर्तित करके प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के सभी दैनिक यात्रियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक अन्य पैसेंजर रेलगाड़ी चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जनता की निरन्तर मांग को देखते हुए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विसेज स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रतिबन्धित, कालातीत और खराब औषधियों के प्रयोग

4605. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1985 के "नव भारत टाइम्स" में 'दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विसेज स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रतिबन्धित कालातीत और खराब औषधियों का प्रयोग' सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित वास्तविक सूचना भेजी है :—

(i) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हैल्थ सेंटर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसने मैसर्स

स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, दरियागंज नई दिल्ली से बैच. संख्या 1342, स्टेम्पन की 48 गोलियां वाले 100 डिब्बे प्राप्त किए थे।

(ii) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हैल्थ सेंटर में शिकायत मिलने के समय तक इनमें से 78 डिब्बों का उपयोग किया गया था और बाकी 22 डिब्बों को सेंटर ने मैसर्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, दरियागंज नई दिल्ली द्वारा की गई नई सप्लाई के साथ बदल लिया था।

(iii) 26 मई, 1984 को बेनामी शिकायत प्राप्त होने के बाद औषध नियंत्रण संगठन, दिल्ली प्रशासन ने 29 मई, 1984 को डब्ल्यू० यू० एस० हैल्थ सेंटर का निरीक्षण निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान, हैल्थ सेंटर के पास स्टैम्पन गोलियां, बैच संख्या 1342 का कोई स्टाक नहीं था। इसलिए औषधि निरीक्षकों द्वारा जांच व विश्लेषण के लिए कोई नमूनान हीं लिया जा सका।

(iv) पश्चिम बंगाल स्थित मैसर्स स्टेंडर्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित इन औषधियों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए औषध निरीक्षकों ने पूर्ण सावधानी बरतने के तौर पर 29.5.1984 को उत्पादक के दिल्ली शाखा कार्यालय में उपलब्ध स्टैम्पन गोलियां बैच संख्या 1460 और 1465 के दो नमूने लिए। सरकारी विश्लेषण द्वारा ये दोनों नमूने मानक स्तर के पाए गए।

(v) निदेशक, औषध नियंत्रण प्रशासन, पश्चिमी बंगाल सरकार कलकत्ता जहां यह निर्माता स्थित हैं, को औषध नियंत्रण संगठन द्वारा सूचित कर दिया गया था। निदेशक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, पश्चिमी बंगाल सरकार को यह भी सूचित कर दिया गया था कि प्रसंगाधीन औषधि के 22 डिब्बे, निर्माता की दिल्ली स्थित शाखा द्वारा हैल्थ सेंटर को 4 अप्रैल, 1984 को बदल कर दे दिए थे।

(vi) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हैल्थ सेंटर ने 21 जुलाई, 1983 को इनवाइस संख्या 10070 के तहत स्टेम्पन औषधि बैच संख्या 1342 खरीदी थी और उस पर एक्सपायरी तारीख नवम्बर, 1984 अंकित थी। 10 नवम्बर, 1983 को औषधि नियंत्रक ने जब केन्द्र का निरीक्षण किया तो उसे दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हैल्थ सेंटर के मेडिकल स्टोर में ऐसी दवाइयां नहीं मिली जिनकी तारीख समाप्त हो चुकी हो।

(vii) जहां तक उक्त केन्द्र द्वारा फेनासिटिन (प्रतिबंधित औषधि) वाली बैजानिन गोलियों के कथित वितरण का प्रश्न है, इसके बारे में 14-8-1984 को निरीक्षण किया गया था और इन गोलियों का कोई स्टाक नहीं मिला था। उक्त केन्द्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी बताया है कि 18-4-1984 के बाद उस औषधालय

को बैंजानिन की कोई गोलियां जारी नहीं की गई थीं। उन्हें यह भी सलाह दी थी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की दिनांक 23-7-1983 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 578 (ई) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित औषधियों के किसी भी निर्धारित मात्रा सम्मिश्रण का उपयोग न करें।

(viii) उक्त केन्द्र द्वारा प्रयोग-अवधि समाप्त हुई औषधियों जारी किए जाने संबंधी आरोपों को भी दिनांक 20- -1983 के समाचार के आधार पर जांच की गयी और 18-11-1983 को निरीक्षण किया गया था। उक्त केन्द्र के चिकित्सा सामग्री भंडार में ऐसी औषधियां नहीं पाई गई जिनके प्रयोग की अवधि समाप्त हो गयी हो।

रेलों में रिक्त पद

4606. **श्री गदाधर साहा**
श्री सैफुद्दीन चौधरी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री हन्नान मोल्लाह

(क) रेलों में 1 मार्च, 1985 को विभिन्न रेलों में रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) रिक्त पदों को भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क)

श्रेणी I	—87
श्रेणी II	—59
श्रेणी III	—34800*
श्रेणी IV	—21200*

*लगभग.

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा छठी योजना के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

4607. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कितने स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिया गया है;

(ख) उनमें से उन स्वयंसेवी संगठनों की संख्या क्या है जिनको अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा चलाया जा रहा था; और

(ग) यदि इनकी संख्या अपेक्षित से कम है तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अनुदान उन पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को दिए जाते हैं जिनका प्रबन्ध जाति या धर्म के भेदभाव के बिना नियमित रूप से गठित प्रबन्ध निकायों द्वारा किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	स्वयंसेवी संगठनों की संख्या जिन्हें छठी योजना के दौरान 1980-85 तक अनुदान दिए गए थे
1.	वार्षिक अनुदान	6492
2.	अवकाश शिविर	उपलब्ध नहीं है
3.	महिला मंडल	394
4.	कल्याण विस्तार परियोजनाएं	35
5.	समेकित स्कूल पूर्व परियोजनाएं	25
6.	श्रमजीवी महिला होस्टल	75
7.	पूरक पोषाहार	5548
8.	श्रमजीवी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु गृह	1768
9.	संक्षिप्त पाठ्यक्रम (एक वर्ष, दो वर्ष और व्यावसायिक पाठ्यक्रम)	उपलब्ध नहीं है
10.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	3589
11.	जनसहयोग में ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण	593
12.	परिवार परामर्श योजना	12

महाराजगंज-डारोदा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4608. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराजगंज-डारोदा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की काफी समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इस पर कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : संसाधनों की बेहद तंगी और पहले से की गई भारी वचनबद्धताओं के कारण, दरौंदा-महाराजगंज मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के प्रश्न को संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

इन्दिरा सरोवर पनबिजली परियोजना

4609. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की इन्दिरा सरोवर पन बिजली परियोजना के बारे में एक प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है;

(ख) क्या पर्यावरण विभाग द्वारा गठित कार्यकारी दल के सदस्यों ने परियोजना स्थल का निरीक्षण करके इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका कब अनुमोदन किए जाने की सम्भावना है।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

विश्व-भारतीय शान्तिनिकेतन में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

4610. **श्री रेणुपद दास** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के शान्ति निकेतन में एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना, जिससे आठ पूर्वी राज्यों की संस्कृति के विकास को बढ़ावा मिलेगा, के लिए विश्व भारती का सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब की जाएगी; और

(ग) केन्द्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के लक्ष्य तथा उद्देश्यों पर चर्चा करने के लिए शान्तिनिकेतन में एक अन्तर्राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा जिसके लिए प्रबन्ध विश्व-भारती के सहयोग से किए गए थे। शान्तिनिकेतन में विश्व-भारती के एक स्वतन्त्र स्वायत्त संगठन के रूप में पूर्वी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र गठित किया जा रहा है जिसमें असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्य शामिल होंगे। इसके कार्यकलापों के अनुसरण में केन्द्र का विश्व-भारती सहित कला तथा संस्कृति के क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों को सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है।

(ख) केन्द्र की इस वर्ष के अन्त तक स्थापना करने की सम्भावना है।

(ग) केन्द्र न केवल भाग लेने वाले राज्यों की संस्कृति के स्वरूप तथा तरीकों की अद्वितीयता को दर्शाएगा बल्कि सीमान्त बन्धनों से बाहर उनके सांस्कृतिक सम्पर्क को भी दर्शाएगा। यह सांस्कृतिक कार्यकलापों में लोगों को शामिल करने पर विशेष बल देगा। केन्द्र जनजाति तथा लोक कलाकारों के साथ बुनियादी स्तर पर अन्तर-कार्रवाई के लिए विशेष प्रयास करेगा। केन्द्र में प्रदर्शन कलाओं तथा लोक तथा जनजातीय कलाओं के विभिन्न कला स्वरूपों के सृजनात्मक मूल्यांकन के सभी पहलुओं के सृजनात्मक विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए योजनायें

4611. **श्री हरीश रावत** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ के नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : गंगा बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण के वास्ते एक व्यापक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, पहाड़ी क्षेत्रों में समस्या मुख्यतया भू-कटाव है और बाढ़ नहीं।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण

4612. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में विदेशी विद्यार्थियों के लिए संकाय-वार कितनी सीटें आरक्षित की गई;

(ख) कथित अवधि में मंत्रालय द्वारा कितने आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए; और

(ग) उस अवधि में कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया तथा नम्बरों की किस न्यूनतम प्रतिशत तक ऐसे दाखिलों की संख्या अधिक थी तथा वे किस देश के थे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने, विदेशी छात्रों के दाखिले के लिए कोई विशिष्ट संख्या में स्थान आरक्षित नहीं किये हैं। फिर भी दिसम्बर, 1983 में विश्वविद्यालय ने यह संकल्प पारित किया था कि कालेजों द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए विदेशी छात्रों के दाखिले के लिए, कुल सीटों के 5 प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किये जा सकते। विदेशी-छात्र सलाहकार की सिफारिश पर कालेजों को अधिक छात्रों को दाखिल करने की अनुमति भी दी गई है।

(ख) और (ग) : वर्ष 1983-84 के दौरान 550 विदेशी छात्रों ने विश्वविद्यालय में दाखिला मांगा था, जिसमें से 381 को दाखिला किया गया था। वर्ष 1984-85 के दौरान आवेदकों की संख्या 650 थी तथा उनमें से 438 को दाखिला दिया गया था। विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले विदेशी छात्र अधिक से अधिक 70 देशों के थे, उनमें ज्यादातर छात्र सोमालिया, थाइलैंड, ईरान, नेपाल, भूटान आदि के थे। क्योंकि इन छात्रों के शैक्षिक रिकार्ड एक देश के छात्र से दूसरे देश के छात्र से भिन्न हैं, अतः अंकों की वह न्यूनतम प्रतिशतता बता पाना सम्भव नहीं है, जिसके आधार पर इन छात्रों को दाखिल किया गया था। तथापि, केवल उन्हीं छात्रों को दाखिला दिया गया था जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई दाखिला अपेक्षाओं को पूरा किया।

मुर्शिदाबाद जिले में अर्जुनपुर के पास रेल लाइन

4613. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अर्जुनपुर के पास रेल लाइन गंगा नदी द्वारा भूमि के कटाव के कारण बहुत खराब हालत में है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रेल लाइन की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) : रेलवे को इस बात की जानकारी है कि गंगा नदी से इस क्षेत्र की भूमि का कटाव हो रहा है। सांकोपाड़ा रेलवे स्टेशन के निकट अर्जुनपुर नामक स्थान पर, रेलपथ से नदी का किनारा 325 मीटर दूर है और इस समय नाजुक हालत नहीं है तथा इस पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

(ग) इस समय आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

नई खान-पान प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई किए गए भोजन की कम मात्रा और अधिक मूल्य के सम्बन्ध में शिकायतें

4614. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि नई खान-पान प्रणाली के अन्तर्गत यात्रियों को सप्लाई किए जाने वाले भोजन की कम मात्रा और अधिक मूल्य के बारे में रेल यात्रियों द्वारा असंख्य शिकायतें की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) : भारतीय पर्यटन विकास निगम के परामर्श से कुछ चुनींदा जोड़ी गाड़ियों में, संशोधित व्यंजन सूची के अनुसार पुड़ों में भोजन देने की व्यवस्था शुरू की गई है, जिन्हें उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है। संशोधित प्रणाली के सम्बन्ध में प्राय. अनुकूल प्रतिक्रिया रही है और शिकायतें बहुत कम हैं। भोजन का मूल्य उसकी मात्रा के अनुसार कच्ची सामग्री की वर्तमान लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम की सलाहकार परिषद में अन्तर्राज्यीय हितों का प्रतिनिधित्व

4615. **श्री केशव राव पारधी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की जनवरी, 1975 में गठित की गई सलाहकार परिषद में अन्तर्राज्यीय दैनिक यात्रियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम की वर्ष 1985 में पुनर्गठित सलाहकार परिषद में "अंतर्राज्यीय हितों" को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) क्या अनेक संसद सदस्यों ने गत कुछ महीनों के दौरान इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : दिल्ली परिवहन निगम की सलाहकार परिषद् के संविधान से सम्बन्धित नियमों में अन्तर-राज्यीय यात्री प्रतिनिधियों को ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम मुख्यतः संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए है। अन्तर्राज्यीय प्रचालन के लिए अतिरिक्त बस सेवायें सिर्फ दिल्ली प्रशासन और पड़ोसी राज्य सरकारों के बीच विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर चलाई जाती हैं।

(ग) जी, हां।

[हिन्दी]

रेलवे में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कदम

4616. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उनके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग में कितनी प्रगति हुई ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 को राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 के रूप में संशोधित हुआ है और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड कार्यालय और रेलों पर कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(i) गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है।

(ii) बोर्ड कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति और रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। हिन्दी के प्रयोग के लिये किए गये प्रयासों की समीक्षा करने और राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और इन बैठकों में लिये गये निर्णयों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जाती है।

(iii) तिमाही प्रगति रपटें समेकित की जाती हैं और उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(iv) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले कागजातों को हिन्दी-

अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड कार्यालय में जांच-स्थल स्थापित किये गये हैं।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिये कि राजभाषा सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन हो रहा है, बोर्ड के हिन्दी से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा रेल कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जाता है।

(vi) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है और पहले चरण में, राजभाषा नियम 8(4) के अन्तर्गत नौ निदेशालयों में विषय विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

(vii) बोर्ड कार्यालय में पर्याप्त संख्या में देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था की गई है।

(viii) इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें, जैसे व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, सामूहिक पुरस्कार योजना, राजभाषा शील्ड, राजभाषा पदक, और प्रशस्ति पत्र आदि, आरम्भ की गई हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों के बीच हिन्दी में रूचि पैदा करने के लिये विभिन्न प्रतियोगतायें जैसे हिन्दी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण प्रतियोगिता रेल मंत्री हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता आदि आरम्भ की गई हैं। हिन्दी के प्रयोग-प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए पुरस्कारों की संख्या और उनकी राशि में अभी हाल ही में वृद्धि की गई है।

(ख) मार्च, 1985 को समाप्त तिमाही के दौरान, बोर्ड कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के लगभग 99.2 प्रतिशत उत्तर हिन्दी में दिए गए थे। मूल पत्राचार के क्षेत्र में, मार्च 1985 को समाप्त तिमाही के दौरान "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों और "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों को लगभग 45.5 प्रतिशत पत्र मूल रूप से हिन्दी में जारी किये गये थे। इसी प्रकार, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत हिन्दी के प्रयोग के अनुपालन का प्रतिशत 98 4 है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सभी 982 रबड़ की मोहरें और 675 नाम बोर्ड/सूचना पट्ट द्विभाषी रूप में तैयार कर लिए गए हैं।

दिसम्बर, 84 के अन्त तक बोर्ड कार्यालय की 71 नियम पुस्तकों में से 36 द्विभाषी रूप में मुद्रित की जा चुकी थीं। 1985 के दौरान, 4 और नियम पुस्तकें द्विभाषी रूप में मुद्रित की गई हैं, इससे इनकी संख्या 40 हो गई है। अन्य नियम पुस्तकें, अनुवाद, निरीक्षा और मुद्रण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड कार्यालय के सभी स्थानीय फार्म द्विभाषी रूप में अनुवित/साइक्लोस्टाइल किये गये हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत कार्य के लिए मानक

4617. **श्री थम्पन थामस** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए कोई मानक निर्धारित है;

(ख) क्या दीर्घकालिक मरम्मत और आपातकालिक मरम्मत के लिये ये मानक हर राज्य में अलग-अलग हैं;

(ग) क्या दीर्घकालीन मरम्मत के लिए रोड़ी आदि बिछाने (स्प्रैड ग्राउंटिंग) का कार्य किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) और (घ) : बिटुमनी सतह की मरम्मत और नेमी अनुरक्षण के रूप में जहां उचित होता है, पेनेट्रेशन पैकिंग की जाती है।

[हिन्दी]

भारी धनराशि खर्च करने पर भी रेलवे को कोई मुनाफा न होना

4618. **श्री सुभाष यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 मई, 1985 के दैनिक समाचार पत्र "जनसत्ता" में "दो अरब रुपये लगाकर भी रेलवे को मुनाफा नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे को निर्माण कार्यों पर 192 करोड़ रुपये खर्च करने पर भी अपेक्षित मुनाफा नहीं हुआ है और इसके अतिरिक्त आयात, खरीद और भंडारण के सम्बन्ध में गम्भीर अनियमिततायें पाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का भविष्य में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और ऐसे निवेश के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) दैनिक "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार, संसद में प्रस्तुत की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अग्रिम रिपोर्ट, 1983-84 में दी गई

सामग्री पर आधारित है। रेल मंत्रालय अग्रिम रिपोर्ट की जांच कर रहा है और विस्तृत टिप्पणी लेखा-परीक्षा विभाग के जरिए लोक लेखा समिति को भेजी जा रही है।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग रेलों में विभिन्न परियोजनाओं पर किए गए 197 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से प्रत्याशित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई है। आयात, खरीद और भंडारण के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उठाए जाने वाले मुद्दों से सम्बन्धित सामान्य कार्यविधि के अनुसार, लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर सदैव आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सिक्किम में पन-बिजली योजना

4619. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने पन-बिजली पैदा करने की कोई योजना केन्द्र को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) सिक्किम की चार जल विद्युत परियोजनायें, जो इस समय केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं, निम्नानुसार हैं :—

(1) रणजीत चरण-3 (3 × 20 मेगावाट);

(2) मियागचू (4 × 1 मेगावाट);

(3) रोंगनीचू चरण-2 (5 × 0.5 मेगावाट); और

(4) अपर रोंगनीचू (4 × 2 मेगावाट)।

[हिन्दी]

सातवीं योजना में बिहार की सिंचाई परियोजनायें

4620. **श्री कुंवर राम**
श्री सी०पी० ठाकुर } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार की कौन-सी सिंचाई परियोजनायें शामिल की जायेंगी;

(ख) क्या इस योजना में अपर साकरी जलाशय योजना और अधवाड़ा नदी योजना को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में हाल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए विशेष सहायता

4621. प्रो० पी० जे० कुरियन }
श्री के० मोहन दास } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की बाढ़ से केरल के राष्ट्रीय राजमार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है;

(ख) क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि कितना नुकसान हुआ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल को क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए कोई विशेष धनराशि उपलब्ध की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) : राष्ट्रीय राजमार्गों को जो नुकसान हुआ है इसकी मरम्मत आदि पर खर्च के लिए राज्य का लोक निर्माण विभाग ब्यौरेवार अनुमान तैयार कर रहा है। इस संबंध में जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक मरम्मत आदि पर खर्च के लिए 25 लाख रुपये राज्य सरकार को तदर्थ रूप में आबंटित कर दिये गये हैं।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

4622. श्रीमती जयन्ती पटनायक
श्री अजय विश्वास
श्री सोमनाथ रथ
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री हुसैन दलवई
: क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां सातवीं योजया में समेकित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना है;

(ग) क्या छठी योजनावधि के दौरान कुछ राज्यों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो छठी योजनावधि के दौरान उन राज्यों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ; और

(ङ) सातवीं योजनावधि में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ङ) : छठी योजना के दौरान आठ राज्यों में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 3.93 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इन आठ राज्यों में छठी योजना अवधि के दौरान ब्लाक स्तर की 20 समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया गया था।

यह परिकल्पना की गई है कि जैसी कि सातवीं योजना के प्रस्तावित दस्तावेज में सिफारिश की गई हैं सातवीं योजना के दौरान सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के चयन किए गए ब्लाकों में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा।

सातवीं योजना के समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लक्ष्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और ये लक्ष्य सातवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिए जाने तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा इसे अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

बंबई—गोवा मार्ग पर विदेश पोतों के साथ यात्री सेवा चलाने हेतु अनुमति

4623. श्री एस० जी० घोलप : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंबई—गोवा मार्ग पर मुगल लाइन यात्री सेवा को अनेक वर्षों से हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसको कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि एक गैर-सरकारी कम्पनी अर्थात्, सत्यगिरि शिपिंग ने जिसको राज्य से "अनापत्ति" प्रमाण-पत्र भी प्राप्त है, बंबई और गोवा के बीच कतामारन टाइप जलपोत और हावरक्राफट जैसे विशेष पोतों द्वारा उक्त सेवा तथा बंबई नौका सेवा संचालित करने के लिए अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : मुगल लाइन लिमिटेड ने नवम्बर, 1973 से कोंकण यात्री सेवा अपने अधीन चलानी शुरू की और इसे तभी से घाटा हो रहा है। इसे वर्ष 1973-74 से 1984-85 तक कुल लगभग 909.63 रुपये लाख का घाटा हुआ।

(ग) नौवहन और परिहन मंत्रालय को इस कम्पनी से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टालों का आबंटन

4624. **श्री सोडे रामैय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 से 1984 तक यात्री-ट्रैफिक हेतु स्टेशनों पर कुछ ही नये प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है; और

(ख) वर्ष 1982 से 1984 तक निर्मित किये गये ऐसे नये प्लेटफार्मों पर कितने बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टाल आबंटित किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सारे शरीर के "सी० टी० स्कैन" मशीन की सप्लाई के लिए केरल सरकार का लम्बित पड़ा अनुरोध

4625. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रीजनल कैंसर सेन्टर, त्रिवेन्द्रम के लिए सारे शरीर के "सी० टी० स्कैन" मशीन की सप्लाई के लिए केरल राज्य सरकार का कोई अनुरोध केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार जापान सरकार से प्राप्त होने वाले 9 स्कैनरों में से एक का उपर्युक्त केन्द्र को सप्लाई करने का है ?

स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख): जी, हां। भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक-कार्य विभाग से किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी से दान स्वरूप 9 होल बॉडी सी०टी० स्कैनर प्राप्त करने का प्रस्ताव किया था। जापान सरकार अब अपने वर्ष 1984-85 के अनुदान-सहायता कार्यक्रम के अधीन केवल तीन होल बॉडी "सी०टी० स्कैनर" दानस्वरूप देने के लिए सहमत हो गई है और इसलिए भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जापानी निर्माताओं से 3 होल बॉडी "सी०टी० स्कैनर" खरीदने के लिये आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय को क्रय आदेश दे दिया है। इन तीनों "होल बॉडी सी०टी० स्कैनर्स" में से एक-एक स्कैनर के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ तथा कैंसर संस्थान, मद्रास को सप्लाई करना तय है।

दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता और मद्रास से हैदराबाद के लिए नई रेलगाड़ियां चलाना

4626. **श्री बी० बी० रामैय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से हैदराबाद जाने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत कम है;

(ख) क्या सरकार यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए इन मांगों पर नई रेल-गाड़ियां चलाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) वर्तमान संख्या पर्याप्त समझी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संसाधनों की तंगी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्यों में स्थापित क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालयों का कार्य निष्पादन

4627. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्यों में स्थापित किये गए क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय उन राज्यों में वांछनीय प्रभाव लाने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको बन्द करने अथवा उनमें सुधार लाने की ओर कोई ध्यान दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में इन कार्यालयों की, विशेश रूप से अन्य प्रदेश में स्थित कार्यालय की, महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : जी, नहीं, । क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखकर शिक्षा में सुधार लाने, एक राज्य की सूचना, विचारों तथा अनुभव का दूसरे राज्य/केन्द्र/रा०शै०अनु०प्र०परि० में प्रसार करने तथा इसी क्रम में एक-दूसरे राज्य/केन्द्र/रा०शै०अ०प्र०परि० में प्रसार करने के संबन्ध में लाभप्रद सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में जहां ये क्षेत्रीय कार्यालय विद्यमान नहीं हैं, वहां नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांगें प्राप्त होती रही हैं ।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, रा०शै०अनु०प्र० परिषद् द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य-कलापों को पूरा करते रहे हैं। हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश स्थित क्षेत्रीय कार्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सम्पर्क कार्य करने के अतिरिक्त उनके द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य इस प्रकार हैं :—

(i) रा०शै०अनु०प्र०परि० के विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों की, राज्यों में अपने कार्यक्रम आयोजित करने में मदद करना ;

(ii) राज्य में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को आयोजित करने में सहायता करना ;

(iii) स्कूल-शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं आदि के शिक्षकों के लिए, रा०शै०अनु० प्र०परि० द्वारा आयोजित खिलौना बनाने की प्रतियोगिया, सेमिनार पठन कार्यक्रम, जो सतत प्रकार के हैं, और प्रत्येक वर्ष संचालित किये जाते हैं, जैसे अनेक पुरस्कार प्रतियोगिताओं को संचालित करना अथवा उनका प्रचार करना ;

(iv) राज्य में महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यकलापों के सम्बन्ध में रा०शै०अनु०प्र०परि० का पुनर्निदेशन करना ;

(v) अपनी नीतियों तथा परियोजनाओं के निर्माण में राज्य शैक्षिक विभागों के साथ सहयोग। राज्य, क्षेत्रीय सलाहकारों जो परिषद् के वरिष्ठ शिक्षाविद् है, की सुविज्ञता पर भी निर्भर कर सकते हैं।

(vi) उपयुक्त कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए क्षेत्रीय सलाहकारों को 12,000 रु० की योजनेतर राशि तथा 10,000 रु० की योजनागत राशि (अनु०जा०/अनु०ज०जा० परियोजनाएं) भी दी जाती हैं। ये कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यक्रम सलाहकार समितियों द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

कानपुर से देश के प्रमुख नगरों के लिए सीधी तीव्रगामी रेलगाड़ियां चलाना

4628. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सब बड़े औद्योगिक नगर, कानपुर से दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और हैदराबाद के बीच कोई सीधी तीव्रगामी रेलगाड़ी नहीं चल रही है जिसके कारण जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कानपुर से देश के प्रमुख नगरों के लिए सीधी यात्री गाड़ियां चलाने का है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में अध्यापकों की नियुक्ति

4629. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में चल रहे विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है और विद्यार्थियों के हितों को हानि हो रही है और यदि हां, तो सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने एक प्रस्ताव भेजकर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी मांगी है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) विभिन्न श्रेणियों के कितने अध्यापकों के लिये मंजूरी मांगी गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ) : स्कूलों में विभिन्न पदों के सृजन के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त हुए प्रस्ताव पर प्रतिबन्ध आदेशों को ढील देते हुए अण्डमान और निकोबार प्रशासन के परामर्श से इस समय कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

नाडियाड—हिम्मतनगर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4630. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाडियाड—हिम्मतनगर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में धनराशि के अपर्याप्त आबंटन के कारण विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल): (क) नाडियाड—हिम्मतनगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के कार्य

4631. **श्री ए०जी०बी०बी० महेश्वर राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के कार्य क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति का एक कार्य भारत में छात्रों/साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्तियों के लाभ के लिए इतिहास की कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के अनुवाद की व्यवस्था करना है ;

(ग) यदि हां, तो परिषद् ने किन भाषाओं से अंग्रेजी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध कराया है ; और

(घ) छठीं योजना के दौरान इसे कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई, और सातवीं योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना मुख्य रूप से इतिहास में वैज्ञानिक लेखन के लक्ष्यों को प्रोन्नत करने, ऐतिहासिक अनुसंधान कार्मक्रम प्रायोजित करने और देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत के सुविज्ञ मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त करने के उद्देश्य से की गई है । परिषद् में निम्नलिखित सदस्य हैं :

—परिषद् के अध्यक्ष के रूप में भारत सरकार द्वारा मनोनीत एक विख्यात इतिहासकार;

—भारत सरकार द्वारा मनोनीत 18 इतिहासकार;

—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि;

—पुरातत्व के महानिदेशक;

—निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार;

—सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा मनोनीत चार व्यक्ति जिनमें शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति विभाग और वित्त मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि होगा; और

—सदस्य सचिव

(ख) और (ग) : कोर पुस्तकों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत, इतिहास की 59 पुस्तकें विभिन्न भारतीय भाषाओं अर्थात् बंगला, हिन्दी, गुजराती, कन्नड, मराठी, मलयालम, तमिल और उर्दू में प्रकाशित की गई हैं।

(घ) छठी योजना अवधि के दौरान योजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परिषद् को 97.88 लाख रुपये जारी किए गए थे। सातवीं योजना के लिए 210 लाख रुपये का स्थायी आबंटन किया गया है।

रेल गाड़ियों में अनधिकृत तौर पर जंजीर खींचना

4632. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न रेलगाड़ियों में अनधिकृत तौर पर जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) क्या सरकार आपातकालीन परिस्थितियों में जंजीर खींचने की प्रणाली को समाप्त करने और उसके स्थान पर आपातकालीन तथा तत्कालीन परिस्थितियों में रेलगाड़ी को रोकने के लिए कोई और प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावित प्रणाली का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान खतरे की जंजीर खींचे जाने की घटनाओं में निरन्तर कमी आ रही है।

(ख) जी नहीं, तथापि, कुछ चुनिन्दा गाड़ियों में, जहां खतरे की जंजीर खींचना आम बात है, महिलाओं और डाक डिब्बों को छोड़कर, इसके यंत्र को अस्थायी तौर पर निष्क्रिय कर दिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विस्थापित व्यक्तियों को रेलवे की भूमि पर बसाना

4633. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के कटाव के कारण बिहार में नकता दियारा के बहुत से निवासियों ने उस क्षेत्र को छोड़ दिया है और पटना में भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकार में है, बस गए हैं;

(ख) क्या बिहार सरकार और प्रभावित लोग रेल मंत्रालय से उनके विस्थापितों के इस भूमि सम्बन्धी मामले को निपटाने का अनुरोध करते आ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) हां, यह सच है कि गंगा नदी के कटाव के कारण लगभग 150 व्यक्तियों को, जो मूलत: नकटा दिआरा गांव के निवासी हैं, स्थानान्तरित किया गया है और वे पटना के निकट दीघाघाट में पूर्वोत्तर रेलवे की भूमि पर रह रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली जंक्शन पर प्लेट फार्म

4634. **श्री साईमन तिग्गा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि दिल्ली जंकशन के कश्मीरी गेट क्षेत्र की ओर काफी बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा है जहां आसानी से अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाए जा सकते हैं;

(ख) दिल्ली जंकशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म उपलब्ध कराने से पहले और वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ही प्लेटफार्म नं० 20 को यात्रियों के लिए बन्द कर दिया गया है, जबकि सरकार 20 लाख रुपये पहले ही खर्च कर चुकी है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को कठिनाई हो रही है और यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है; और

(ग) दिल्ली जंकशन पर यात्रियों की कठिनाईयों को दूर करने और भीड़ को कम करने के लिए वर्ष 1983 से 1985 (आज तक) के बीच नये प्लेटफार्मों पर क्या व्यवस्था की गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) अतिरिक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था के लिए दिल्ली जंकशन की कश्मीरी गेट वाली साइड पर कोई खाली जगह उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : प्लेटफार्म नं० 20 मुख्य यात्री प्लेटफार्म परिसर से दूर होने के कारण जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त अभ्यावेदनों तथा पार्सल यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए, प्लेटफार्म नं० 20 को पार्सल प्लेटफार्म के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और यात्रियों के लिए कोई तकलीफ या भीड़-भाड़ पैदा किए बिना यात्री गाड़ियां अन्य मौजूदा प्लेटफार्मों पर सम्भाली जा रही हैं। यात्री यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धीरे-धीरे चरणबद्ध रूप में कुछ मौजूदा प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाने का विचार है ताकि लम्बी गाड़ियां चलाई जा सकें।

रेल दुर्घटनाओं की जांच को तेजी से पूरा करने के लिए प्रस्ताव

4635. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल दुर्घटनाओं की जांच का तेजी से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं। जांच-पड़ताल को अन्तिम रूप देने के लिए मौजूदा नियम और प्रक्रियाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था परियोजना के लिए अतिरिक्त आबंटन

4636. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के संसद सदस्यों ने हाल ही में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मद्रास द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था परियोजना के लिए चालू वर्ष के लिए आबंटन में तत्काल वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने भी 15 जुलाई, 1985 को प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें यही अनुरोध किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन ज्ञापनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेल मंत्रालय को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मद्रास द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए चालू वर्ष में धन के आबंटन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन दिया गया है ।

(ख) जी, हां।

(ग) मद्रास द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए वर्ष 1985-86 में आबंटन पहले ही 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

विद्युत विकास के लिए त्रिपुरा को वित्तीय आबंटन में कटौती

4637. **श्री अजय बिस्वास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा के लिए विद्युत विकास हेतु वित्तीय आबंटन में अत्याधिक कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) त्रिपुरा के लिए विद्युत विकास कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : छठी योजना में त्रिपुरा के विद्युत कार्यक्रम के लिए 22.11 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में सातवीं योजना के लिए अनन्तिम रूप से 46 करोड रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। सातवीं योजना के लिए अनन्तिम रूप से अनुमोदित परिव्यय राज्य योजना के लिए साधनों की उपलब्धता और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए परस्पर प्राथमिकता पर आधारित है। सातवीं योजना अवधि के दौरान निर्माणाधीन स्कीमों से 11 मेगावट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी तथा नई स्कीमों से 10 मेगावट क्षमता जोड़ी जाएगी। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें गुमटी जल विद्युत परियोजना की निर्धारित क्षमता को बढाना शामिल है।

माल डिब्बे बनाने के लिए आर्डर

4638. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान बनाये जाने वाले माल डिब्बों का ब्यौरा क्या है और माल-डिब्बा निर्माताओं को दिए गए आर्डरों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बिड़ला बन्धुओं के माल-डिब्बा यूनिटों को सबसे अधिक आर्डर दिए गए हैं और सरकारी यूनिटों को सबसे कम आर्डर दिए गए हैं और यदि नहीं तो दिए गए आर्डरों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1985-86 के दौरान रेलों द्वारा उद्योग से चौपहियों के हिसाब से 5,000 माल डिब्बों की खरीद की जाती है। इन माल-डिब्बों के निर्माण के लिए दिए गए आदेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े चौपहियों में)

क्र०सं०	माल डिब्बा निर्माता का नाम	1985-86 के लिए लक्ष्य
1	2	3
1.	बी०डब्ल्यू०ई०एल०/मुजफ्फरपुर	185
2.	बी०डब्ल्यू०ई०एल०/मोकामा	235
3.	ब्रेथवेट	527
4.	बर्न/बर्नपुर	678
5.	बर्न/हावड़ा	795
6.	जैसप्प	330
7.	सिमको	625

1	2	3
8.	एच०जी०आई०	240
9.	मार्डन इन्डस्ट्रीज	425
10.	टेक्समेको	1140

(ख) विभिन्न माल डिब्बा निर्माण यूनिटों से माल डिब्बों की खरीद उनकी स्थापित क्षमता तथा विगत निष्पादन पर निर्भर करती है। खरीद का वितरण सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में 55 प्र० और 45 प्र० के अनुपात में किया जाता है। तत्पश्चात निजी क्षेत्र के कार्यभार को चार निजी क्षेत्र की यूनिटों में पुनः विभाजित कर दिया जाता है जिनमें बिड़ला की दो यूनिटें टेक्समेको तथा सिमको भी शामिल है। इन दोनों यूनिटों की स्थापित क्षमता तथा मात्रा निजी यूनिटों की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 70 प्रतिशत है तथा उनसे खरीद का अनुपात भी प्रायः उतना ही है।

रायपुर और भुवनेश्वर/पुरी के बीच महानदी एक्सप्रेस शुरू करना

4639. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर और भुवनेश्वर/पुरी के बीच महानदी एक्सप्रेस शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी में बिस्तरों की उपलब्धता वाले गैर-सरकारी अस्पताल

4640. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के उन गैर-सरकारी अस्पतालों के नाम तथा ब्यौरा क्या है जहां जनता के लिए निःशुल्क बिस्तर उपलब्ध हैं; और

(ख) इन गैर-सरकारी अस्पतालों को कितना अनुदान दिया जा रहा है अथवा यदि दिए जाने का विचार है, तो कितना ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजधानी के जिन प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क पलंग उपलब्ध हैं उनके नाम और ब्यौरा इस प्रकार हैं :

क्र०सं०	अस्पताल का नाम	कुल पलंग	निःशुल्क पलंग
1.	होली फैमिली अस्पताल ओखला रोड, नई दिल्ली	281	124
2.	सर गंगाराम अस्पताल राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	380	95
3.	तीर्थराम शाह अस्पताल, बैटरी लेन राजपुर रोड, दिल्ली	173	18
4.	मूलचन्द्र खैराती राम आयुर्वेदिक अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली	248	56
5.	माता चानन देवी आर्य धर्मार्थ नेत्र अस्पताल, सी-1, जनकपुरी, नई दिल्ली-I	30	10
6.	डा० सर्राफ चेरिटी नेत्र अस्पताल, दरियागंज, नई दिल्ली	89	9
7.	मोहन नेत्र अस्पताल 11/8, सर गंगा राम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली।	11	5
8.	सुन्दरलाल जैन धर्मार्थ, 2, डिप्टी गंज, दिल्ली	6	65
9.	डा० खेड़ा अस्पताल, पांडव नगर, शादी पुर डिपो, नई दिल्ली	25	5
10.	संत परमानन्द अस्पताल, अलीपुर, दिल्ली	86	एन०ए०

(ख) प्राइवेट अस्पतालों को आवश्यक अस्पताली उपकरणों, एम्बुलैंस वाहन की खरीद अतिरिक्त वार्डों के निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नये अस्पताल खोलने के लिए सहायता-अनुदान किया जाता है तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मामले में 50 प्रतिशत घाटे की योजनाओं तथा

स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत सहायता-अनुदान दिया जाता है :

(क) चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने की योजना ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना ;

(ग) गैर-प्रशासनिक किस्म के आवर्ती खर्च को वहन करने के लिए 50 प्रतिशत घाटे की सहायता अनुदान योजना (संघ शासित प्रशासनों के मामले में लागू होती है); और

(घ) स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजधानी में प्राइवेट अस्पतालों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध की गई है :

(रुपये लाखों में)

वर्ष	स्वीकृत तथा जारी की गई राशि
1982-83	0.88
1983-84	2.41
1984-85	4.18

सहायता-अनुदान के लिए आगे प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर उक्त योजनाओं के अन्तर्गत विचार किया जाएगा ।

महिला कल्याण योजनाओं के लिए महाराष्ट्र को दी गई सहायता

4641. **श्री बालासाहब विखे पाटिल** : क्या समाज एवं महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिला कल्याण योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कितनी सहायता दी गई है तथा इस योजना का स्वरूप क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को प्रति वर्ष कितनी सहायता दी गई ;

(ग) क्या इन योजनाओं को प्रत्येक योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(घ) इससे क्या लाभ हुए अर्थात् कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार दिया गया ; और

(ङ) सातवीं योजना के दौरान इससे संबंधित प्रस्तावों का विवरण क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : महिला कल्याण योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता स्वयंसेवी संगठनों/स्थानीय निकायों को दी जाती है, न कि राज्य सरकारों को ।

(ग) और (घ) : योजनाओं का मूल्यांकन देश भर के लिए किया गया है न कि प्रत्येक राज्य का ।

(ङ) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

कलकत्ता बन्दरगाह से कोयले और नमक की ढुलाई बन्द करना

4642. **पी० एम० आर० हाल्दर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह से कोयले और नमक की ढुलाई बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध बर्थों का उपयोग करने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसे कन्टेनर बर्थ में परिवर्तित करने का है ताकि समीप के हल्दिया और पराद्वीप बन्दरगाहों द्वारा कोयले की ढुलाई का आसानी से प्रबन्ध किया जा सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग) : कलकत्ता गोदी के कोयला घाटों को मुख्यतः ले-अप बर्थ्स के रूप में उन जहाजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं होता है । अभी इन घाटों को कंटेनर घाटों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । पराद्वीप और हल्दिया पत्तनों से कोल मूवमेंट किया जाता है ।

"इण्डियन हिस्टोरिकल रिव्यू" पत्रिका को बन्द करना

4643. **श्री० के० कुंजम्बु** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आदि प्राध्यापकों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि 'इण्डियन हिस्टोरिकल रिव्यू" पत्रिका को बन्द करने की अनुमति न दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) "इण्डियन हिस्टोरिकल रिव्यू" पत्रिका के प्रकाशन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 में ब्राह्मणी नदी पर पुल

4644. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-23 में ब्राह्मणी नदी पर पुल के पहुंच मार्गों के (बाईं और दाहिनी, दोनों तरफ से) निर्माण की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) उन पहुंच मार्गों का निर्माण करने के लिए अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ग) इन पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राजमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : ब्राह्मनी पुल के पहुंच मार्गों पर अनुमानतः 83.20 लाख रुपए खर्च होंगे। भूमि अधिग्रहण के बाद अनुमान को संस्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए 16.02 लाख रुपए के अनुमान की स्वीकृति दी गई है और भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा सोवियत रूस के मेडिकल डिप्लोमा को मान्यता न देना

4645। **श्री एन० वी० रत्नम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस से मेडिकल डिप्लोमा लेकर आने वाले मेडीकल छात्र भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अनुसार भारत में व्यावहारिक प्रशिक्षण लिए बिना भारत के किसी राज्य में मेडीकल रजिस्टरों में अपना आनीम पंजीयन कराने के हकदार नहीं हैं ;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् 1981 से आनीम पंजीयन से इन्कार करती रही है और भारत में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर देती रही है ;

(ग) क्या सोवियत रूस के स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा और उपाधियों को भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता दी जाती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने अमेरिका के डिप्लोमा/डिग्री को मान्यता दी है और यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या करण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : भारतीय आयुर्विज्ञान परिशद् का यह विचार है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की तीसरी अनुसूची में सम्मिलित विदेशी चिकित्सा अर्हता रखने वाले सभी भारतीय राष्ट्रिकों को भारत में किसी अनुमोदित अस्पताल में लाजमी तौर पर परिषद् द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा ताकि वे भारतीय परिस्थितियों से वैवाहिक हो जाएं।

(ग) और (घ) : विदेशी चिकित्सा अर्हताओं को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 (4) के अन्तर्गत मैरिट के आधार पर संस्था-वार मान्यता दी जाती है। इसलिए अमेरिका की कुछ चिकित्सा अर्हताओं को, जिसमें रूस की भी एक ऐसी अर्हता शामिल है,

को मान्यता दी गई है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग-2 में शामिल किया गया है।

तीर्थ यात्रियों को सवारी डिब्बों का आबंटन

4646. **श्री सी० सम्बु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीर्थयात्रियों को पर्यटक परिचालकों के रूप में सवारी डिब्बों के आबंटन के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ख) वर्ष 1985 में दक्षिण मध्य रेलवे को तीर्थयात्रियों अथवा पर्यटक परिचालकों से सवारी डिब्बों के आबंटन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) तीर्थ यात्रियों/पर्यटक पार्टियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सवारी डिब्बों का आबंटन किया जाता है।

(ख) और (ग) : दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा वर्ष 1985 में (18-8-85 तक) प्राप्त आवेदनों का महीनेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

महीना	प्राप्त आवेदनों की संख्या	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
जनवरी	7	2
फरवरी	5	6
मार्च	—	2
अप्रैल	17	3
मई	40	4
जून	10	—
जुलाई	1	—
अगस्त (18-8-85 तक)	6	—
जोड़ :	86	17

दिल्ली में बलात्कार की शिकार महिलाओं के बारे में अध्ययन

4647. श्री सनत कुमार मंडल
श्री लक्ष्मण मलिक : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बलात्कार की शिकार महिलाओं के बारे में उनके मन्त्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन से पता चलता है कि निम्न और माध्यम आय वर्ग की किशोरियां ही बलात्कार की मुख्य शिकार बनती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के विभिन्न निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस अपराध को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अध्ययन रिपोर्ट इस मन्त्रालय में अब प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है।

विवरण

अध्ययन रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को तीन शीर्षकों के अन्दर रखा जा सकता है, अर्थात् (1) बलात्कार की शिकार महिलाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही, (2) बलात्कार करने वालों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही और (3) समाज के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही। यह इस प्रकार है :—

(1) **बलात्कार के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही :**

(क) एक कार्यक्रम तैयार किया जाए जिससे कि विशेष ग्रुप के व्यक्तियों को यौवन शिक्षा दी जाए (इसमें बलात्कार सम्बन्धी जानकारी देना भी शामिल है) यह कार्यक्रम विशेष कर उन लोगों के लिए हो जो निम्न और मध्यवर्गीय क्षेत्रों में और अत्यधिक भीड़ वाली कालोनियों में रहते हों।

(ख) समाज के वयस्क लोगों और युवा लड़कियों को बलात्कार के पहलुओं के बारे में संचेत कर दिया जाना चाहिए कि यह कार्य अधिकतर पड़ोसियों, जानकार व्यक्तियों और दोस्तों/मित्रों द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए उन्हें घर के अन्दर और बाहर ऐसी घटनाओं की सम्भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक कर दिया जाए।

(ग) माता-पिता इस बात का ध्यान रखें कि वे अपनी युवा लड़कियों को अकेले बाहर न भेजें "यदि उन्हें घर पर छोड़ कर स्वयं बाहर जाना हो तो वे लड़की के साथ परिवार के किसी वयस्क सदस्य को या लड़की की किसी सहेली को उसके साथ छोड़कर जाएं"।]

(2) **बलात्कार करने वालों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही :**

(क) युवाओं के लिए (जिनके बलात्कारियों के क्षेत्र में आने की सम्भावना हो) ऐसे कार्यक्रम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए जो उनकी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने, आत्म-सन्तुष्टि, आत्म-सम्मान और उनमें मर्यादा की भावना पैदा करने में सहायक हों।

(ख) बलात्कार करने वाले को मामूली सी सजा देने से उनका सुधार नहीं हो सकता बल्कि वे पहले से भी ज्यादा व्यभिचारी बन जाते हैं। अत: उनको दी जाने वाली सजा सख्त होनी चाहिए—उन पर मुकदमें की कारंवाई सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए और उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए।

(ग) न्यायालय में बलात्कार के मामलों को प्राथमिकता दी जाए और कार्यवाही को एक महीने से अधिक न बढ़ाया जाए।

(घ) बलात्कार अपराधों के विरुद्ध न्यायालय में मामले दर्ज कराने की फीस कम से कम होनी चाहिए ताकि प्रत्येक बलात्कार का मामला दर्ज कराया जा सके और अपराधी को दण्ड दिया जा सके।

(ङ) अभियोग पक्ष को यह निदेश दिए जाए कि वे बलात्कार की शिकार महिलाओं को सम्पूर्ण कहानी बताने पर जोर न दें बल्कि बलात्कारी के विरुद्ध अनिवार्य सबूत पेश करने तक की सीमित रखें।

(च) बलात्कार सम्बन्धी मामले पर कारंवाई सार्वजनिक रूप से न की जाए बल्कि केवल उनके निकट सम्बन्धियों आदि की उपस्थिति में ही की जाए ताकि बलात्कार की शिकार महिलाओं को अत्यधिक अपमान सहन न करना पड़े।

(छ) बलात्कार करने वालों को सख्त सजा दी जानी चाहिए— इसमें भारी जुर्माना और 2 से 3 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया जाए—ताकि कोई युवक इस तरह का कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें :

(3) **समाज के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही :**

(क) बलात्कार की शिकार महिलाओं को रहने के लिए आवास उपलब्ध करवा कर पुन:

स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाये, यदि वह युवा हो तो उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाये जिससे कि वे सम्मानपूर्वक अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें।

(ख) मानसिक रूप से बलात्कार की शिकार महिलाओं को पुन: आत्म-सम्मान और आदर प्राप्त करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। उसे अपने भविष्य के बारे में निर्णय करने के लिए मनोवैज्ञानिक सलाह-मशवरे की आवश्यकता होती है।

(ग) सामाजिक रूप से, बलात्कार की शिकार महिलाओं को अपने लोगों में, अपने सम्मान में, अपने परिवार में वापस स्वीकार किये जाने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है।

(घ) बलात्कार की शिकार महिलाओं को न केवल संरक्षण प्राप्त करने की ही आवश्यकता होती है जैसा कि नारी-निकेतन द्वारा किया जाता है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो उसे धक्का पहुंचता है उससे ऊपर उठने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है।

(ङ) महिलाओं की समस्याओं से संबंधित मौजूदा कल्याणकारी एजेंसियों को तेज किया जाए कि वे उपरोक्त (क) से (घ) तक के पुनर्वास संबंधी सभी उपाय शामिल करें।

(च) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय एक ऐसी एजेंसी की स्थापना करने पर विचार करें जो पूर्ण रूप से बलात्कार की समस्याओं पर विचार करें और उपरिलिखित अनुसार वित्तीय, कानूनी और समाज मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करें।

उन औषधियों के नाम जो औषधियों की सूची में नहीं हैं और जिन्हें के० स० स्वा० सेवा के लाभार्थियों को दिया जाता है

4648. **मानवेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधियों के नाम क्या हैं जो औषधियों की सूची में नहीं हैं और जिन्हें दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा लाभार्थियों को दिया जाना अपेक्षित है; और

(ख) इन औषधियों की सूची में शामिल न करने के कारण क्या है और किस प्रकार कोई व्यक्ति, जिसे इन औषधियों की आवश्यकता है, इन औषधियों को प्राप्त करता है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : उन सभी दवाइयों को जिनका आम इस्तेमाल होता है / आवश्यकता होती है केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की

फार्मूलरी में शामिल किया गया है। तथापि यदि विशेषज्ञ इस फार्मूलरी में शामिल न की गई कोई आवश्यक दवाई लिखता है तो वह रोगी को स्थानीय खरीद करके उपलब्ध करायी जाती है।

बिहार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से जोड़ने के लिए तीन अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण

4649. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बिहार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर तीन अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, और क्या पूर्वी जोनल परिषद् की स्थायी समिति की बैठक में इसका समर्थन किया गया था;

(ख) क्या संबद्ध राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय निम्नलिखित सड़कों से है जिसका उल्लेख पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की स्थायी समिति की हाल की बैठक में किया गया था अर्थात् :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 34 के साथ जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 के लावा—हरिश्चन्द्रपुरा—गजीदे खंड का विकास।

(2) भुवनेश्वर से पटना बरास्ता धनकमाल—कामाख्यानगर—कालीहाटा—कोंझर—चाईवासा—रांची अन्तर्राज्यीय सड़क का निर्माण।

(3) भुवनेश्वर से टाटा बरास्ता आनन्दपुर—ठाकुरमुंडा—करंजिया—रायरंगापुर सड़क का सुधार।

संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर बिहार में कटिहार-हरिश्चन्द्रपुर सड़क के भाग के प्राणपुर—लावा—दिवानगंज के सुधार सहित महानन्दा नदी पर बड़े पुल का निर्माण कार्य और पश्चिम बंगाल में गजोले — शासशी—"चंचल"—हरिश्चन्द्रपुर सड़क के दोनों दिशा में पहुंच मार्ग सहित अलाघाट पर महानन्दा नदी पर पुल के निर्माण को अनुमोदित किया गया था। यह अनुमोदन छठी पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में आर्थिक और अन्तर्राज्यीय कार्यक्रम के तहत ऋण सहायता से किया गया था। इसी प्रकार उपरोक्त क्रम संख्या (2) पर उल्लिखित धनकनाल—कामख्यानगर सड़क को भी उपरोक्त कार्यक्रम के तहत छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में ही अनुमोदित किया गया था जबकि अन्य प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

वैगन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव

4650. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वैगन खरीदने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अनिश्चितता से देश में वैगन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप 1984-85 के दौरान कम क्षमता का उपयोग हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो व्हील सैटों और बेयरिंगों जैसे पुर्जों की पर्याप्त मात्रा में खरीद हेतु योजनाओं का क्या ब्यौरा है जिनकी अभी भी पर्याप्त मात्रा में आयात किये जाने की आवश्यकता होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं। यद्यपि देश में माल डिब्बा निर्माण यूनिटों की वार्षिक स्थापित क्षमता चौपहियों के हिसाब से 26,610 माल डिब्बे है, लेकिन 1974-75 से 1983-84 की अवधि के दौरान वार्षिक औसत खरीद चौपहियों के हिसाब से 11,750 माल डिब्बे रही है। 1984-85 में उद्योग से खरीद का लक्ष्य 11,812 चौपहिया माल डिब्बे था।

(ख) माल डिब्बा उत्पादन के लिए की सप्लाई मदों की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

केरल एक्सप्रेस तथा जयन्ती जनता एक्सप्रेस का विलम्ब से चलाया जाना

4651. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल एक्सप्रेस जुलाई, 1985 माह के दौरान त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच आने-जाने में कितने दिन विलम्ब से चलायी गयी;

(ख) ट्रेन के विलम्ब का सर्वाधिक समय क्या है;

(ग) जयन्ती जनता एक्सप्रेस जुलाई माह के दौरान एर्नाकुलम और ह. निजामुद्दीन के बीच आने-जाने में कितने दिन विलम्ब से चलायी गई है; और

(घ) ट्रेन के विलम्ब का सर्वाधिक समय क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जुलाई, 1985 में 125 डाउन केरल एक्सप्रेस नयी दिल्ली 9 दिन देर से पहुंची, जबकि 126 अप केरल एक्सप्रेस तिरुवनन्तपुरम 3 दिन देर से पहुंची।

(ख) 125 एक्सप्रेस के लेट होने का अधिकतम समय 3 घंटा 27 मिनट और 126 एक्सप्रेस का 3 घंटा 20 मिनट था।

(ग) 131 जयन्ती जनता एक्सप्रेस हज़रत निजामुद्दीन 15 दिन से दिल्ली पहुंची और 132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस एर्णाकुलम 14 दिन देर से पहुंची।

(घ) 131 एक्सप्रेस के लेट होने का अधिकतम समय 4 घंटा 10 मिनट और 132 एक्सप्रेस का 5 घंटा 40 मिनट था।

[हिन्दी]

इन्दिरा सरोवर पनबिजली परियोजना

4652. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी जिले की इन्दिरा सरोवर पनबिजली परियोजना को, जिसके संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 1984 में एक रिपोर्ट दी गयी थी, कब तक तकनीकी अनुमति और वित्तीय स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : संभवत: मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में इन्दिरा सरोवर जल-विद्युत परियोजना (4.125 मेगावाट) के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। योजना आयोग ने इस परियोजना को फरवरी, 1979 में पहले ही अनुमोदित कर दिया है तथा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जनवरी से जून, 1985 के दौरान रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजा

4653. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1985 के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने से संबंधित कितने मामले रेलवे अधिकारियों के पास विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण है तया इन मामलों का निपटान कब तक हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) संबंधित पदेन दावा आयुक्तों/तदर्थ दावा आयुक्तों के न्यायालयों में 174 मामले लम्बित पड़े है।

(ख) रेलों द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावों का भुगतान, दावा आयुक्तों द्वारा दावों पर निर्णय दे दिये जाने के पश्चात् किया जाता है। इसलिए उनको अंतिम रूप से निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तथापि इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए रेलें दावा आयुक्तों को सभी संभव सहायता प्रदान कर रही हैं।

कुष्ठ एवं क्षय रोगियों के लिये उपचार पश्चात देख-रेख एवं पुनर्वास केन्द्रों हेतु दी गई धनराशि

4654. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने देश में वर्ष 1983-84 के दौरान कुष्ठ एवं क्षय रोगियों हेतु चिकित्सा पश्चात देख-रेख एवं पुनर्वास केन्द्रों से प्रत्येक को कितनी धनराशि दी; और

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां ये केन्द्र स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने केन्द्र हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन 1983-84 में निम्नलिखिति राज्यों के लिए 15 कुष्ठ पुनर्वास उन्नयन यूनिटें मंजूर की जा चुकी हैं :—

राज्यों का नाम	यूनिटों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1
असम (उत्तर पूर्वी परिषद्)	1
बिहार	1
गुजरात	1
कर्नाटक	1
केरल	1
मध्य-प्रदेश	2
महाराष्ट्र	1
उड़ीसा	1
पंजाब	1
तमिलनाडु	1
उत्तर-प्रदेश	1
पश्चिम-बंगाल	1
नई दिल्ली	1

प्रत्येक यूनिट के लिए ग्राह्य खर्च की सीमा इस प्रकार है :

अनावर्ती	34.20 लाख रुपये
आवर्ती	4.18 लाख रुपये

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन ऐसा अनुदान नहीं दिया जाता है ।

हाथी दाह जंक्शन पर सुविधाएं

4655. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे में दानापुर सेक्शन का हाथी दाह जंक्शन, बरौनी तेल शोध कारखाना, बरौनी फर्टिलाइजर कम्पनी, ताप विद्युत केन्द्र आदि के लिए निकटतम स्टेशन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि महत्वपूर्ण जंक्शन होने के बावजूद भी इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधायें न के बराबर हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हाथी दाह स्टेशन पर सिगनल केबिन और सिगनल प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सिगनल के लिए पश्चिम केबिन के निर्माण तथा हाथीदाह स्टेशन पर यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह मात्र एक फलेग स्टेशन है और मौजूदा सुविधाएं यातायात के वर्तमान स्तर के अनुरूप हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

दक्षिण मध्य और दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती

4656. श्री जी० भूपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 से 1985 की प्रथम तिमाही तक दक्षिण मध्य और दक्षिण रेलवे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों की भर्ती की गयी;

(ख) क्या सभी आरक्षित पद भर लिए गए; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1982 से मार्च, 1985 के दौरान दक्षिण रेलों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गयी है :—

श्रेणी III		श्रेणी IV	
अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
645	282	1354	495

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ग "ग" की कोटियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए कुछ तकनीकी पद आरक्षित हैं जिन्हें अहता प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सका। वर्ग 'घ" (श्रेणी-IV) में अनुसूचित्त जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ रिक्तियों को भी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सका।

सड़क उपरिपुल का निर्माण

4657. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर सीमान्त रेलवे में (एक) कामख्या गुडी (जहां से बड़ी और छोटी दोनों लाइनें गुजरती हैं); (दो) अलीपुर द्वार कोर्ट; और (तीन) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे हासीमारा में सड़क उपरिपुलों का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कामाख्यागुडी में कामरूप एक्सप्रेस के स्टाप को बहाल करना

4658. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कामरूप एक्सप्रेस के कामाख्यागुडी स्टाप को बहाल करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) टिकटों की कम बिक्री के कारण।

गोहाटी और बरौनी के बीच असम मेल और गोरखपुर एक्सप्रेस के रूप में पुनः चलाया जाना

4659. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 अप/4 डाउन असम मेल और 1 डाउन/2 अप गोरखपुर एक्सप्रेस (ए०टी० मेल)

गाड़ियों को 1 जुलाई, 1985 से गोहाटी से बरौनी तक के बीच चलाये जाने को बंद करने के क्या कारण हैं जिसके कारण मीटर गेज लाइन पर व्यापारी समुदाय सहित जनता को भारी असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या व्यापक असंतोष को देखते हुए मंत्रालय का विचार इन गाड़ियां को पुनः चलाने का है और यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सब-डिवीजनल मुख्यालय अलीपुर-द्वार जंक्शन को बड़ी लाइन से जोड़ने का है जिसमें केवल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) बड़ी लाइन की गाड़ी 85/86 को गुवाहाटी तक बढ़ा दिये जाने के कारण मीटर लाइन के 3/4 असम मेल को बरौनी और गुवाहाटी के बीच रद्द कर दिया गया है तथा कटिहार तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन हो जाने के कारण 1/2 गोरखपुर-गुवाहाटी एक्सप्रेस को भी छपरा तथा गुवाहाटी के बीच रद्द कर दिया गया है।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसा करना वाणिज्यिक दृष्टि से अलाभप्रद होगा।

उत्तर सीमान्त रेलवे में जनता एक्सप्रेस का डीजलीकरण

4660. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमान्त रेलवे पर लम्बी दूरी की रेलगाड़ी जनता एक्सप्रेस सबसे धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी है और सदा बिलम्ब से चलती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेलगाड़ी की गति बढ़ाने और इसे जहां तक सम्भव हो समयानुसार चलाने के लिए सरकार का विचार इसका डीजलीकरण करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस गाड़ी का समय-पालन अच्छा नहीं रहा है।

(ख) जी, नहीं।

केरल में तेलीचेरी और जगन्नाथ मन्दिर द्वार के बीच उपरिपुल का रख-रखाव

4661. **श्री एम० रामचन्द्रन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तेलीचेरी और जगन्नाथ मन्दिर द्वार के बीच स्थित उपरिपुल की स्थिति बहुत खराब है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उपरिपुल का उपयुक्त ढंग से रखाव करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्ण नशाबन्दी करने वाले राज्यों को वित्तीय सहायता अनुदान

4662. **श्री एम० रामचन्द्रन :** क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्ण नशाबंदी लागू करने वाले राज्यों को वित्तीय सहायता/अनुदान देने पर विचार करेगी ताकि ऐसे राज्य उत्पादन शुल्क की कमी के कारण हुए घाटे को पूरा कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : जी, हां । वर्तमान नीति के अनुसार भारत सरकार 1977-78 को आधार वर्ष मानकर मद्यनिषेध को लागू करने हेतु राज्य सरकारों को आबकारी राजस्व में हुई हानि का 50% क्षतिपूर्ति करती हैं ।

केरल में आंगनवाड़ियों की संख्या

4663. **श्री एम० रामचन्द्रन :** क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत केरल राज्य में कितनी आंगनवाड़ियां कार्य कर रही हैं ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : 30-6-1985 को समाप्त हुई अवधि को समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार केरल में 5989 आंगनवाड़ियां काम कर रही थीं ।

स्कूल अध्यापकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करना

4664. **श्री एन० डेनिस** : : क्या शिक्षा मंत्री 23 मई, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाले स्कूल अध्यापकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन को पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया गया; और

(ख) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है। यह बताना सम्भव नहीं है कि स्वीकृत की गई सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा।

उड़ीसा में उप-नगरीय "परिवहन"

4665. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में उपनगरीय रेल परिवहन की व्यवस्था कर रही है और उड़ीसा के मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) क्या सरकार उपनगरीय परिवहन के लिए नई रेल लाइनें बिछाकर जाजपुर शहर और बाड़ी (उड़ीसा के जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में) को उपनगरीय परिवहन के रूप में लाये जाने पर विचार करेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) बिजली गाड़ी की उपनगरीय रेल सेवाएं, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में उपलब्ध हैं।

इस समय उड़ीसा के किसी नगर में ऐसी सेवाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाटा एन्ट्री/की पंचिंग विषयों को आरम्भ करना

4666. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगणक कार्मिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार डाटा एन्ट्री/की टू डिस्क/की पंचिंग विषयों को +2 स्तर पर अथवा डिग्री स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पाठ्यक्रम की उपलब्धता से बेरोजगारी की समस्या घटने की सम्भावना है तथा जब तक ये पाठ्यक्रम ग्रामीण कालेजों/स्कूलों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों में उपलब्ध नहीं कराए जायेंगे, संगणकों द्वारा जनित उनके लिए आरक्षित पद खाली पड़े रहेंगे और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संगणक पर आधारित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे पाठ्यक्रमों को लागू करने के सम्बन्ध में सलाह देने और +2 स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के वास्ते सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) स्कूलों में संगणक पर आधारित पाठ्यक्रमों को लागू करते समय स्कूलों के स्थान और जिस समुदाय के लिए वे कार्य करेंगे उनको उपयुक्त महत्व दिया जाएगा।

उड़ीसा में रेल डिब्बों की मरम्मत के लिए वर्कशाप

4667. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में सरकार रेल डिब्बों की मरम्मत के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण उपकरणों के लिए एक अत्याधुनिक कोच रिपेयर वर्कशाप के निर्माण के संबंध में कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में कुछ विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं, और यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उड़ीसा राज्य में मानेश्वर में आधुनिक अभिविन्यास तथा अन्य अवसरचनात्मक सुविधाओं वाला एक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इस कारखाने में संगणीकृत संख्या नियंत्रित धुरा खराद की व्यवस्था है। इसमें माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित उत्पादन नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था करने की भी योजना है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

यह कारखाना प्रतिदिन दो चौपहिए डिब्बों की आवधिक ओवरहाल करने के लिए चालू किया जा चुका है वर्ष 1985-86 में इसका उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ाकर चार चौपहिए डिब्बे प्रतिदिन और सातवीं योजना अवधि में 8 डिब्बे प्रतिदिन कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त का भुगतान

4668. **श्री विष्णु मोदी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त दे दी गई है;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम भी केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों का अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त का भुगतान किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का विचार उन्हें यह किस्त कब तक दे देने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) : अंतरिम सहायता मंजूर करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट बनाने के लिए उनकी गति बढ़ाना

4669. **प्रो० नारायणचन्द्र पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा कुछ रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट बनाने के लिए उनकी गति बढ़ाने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन्हें कब तक सुपरफास्ट बना दिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में क्षेत्रीय रेल का मुख्यालय

4670. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रेलों के क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय रेल मुख्यालय की स्थापना करने की मांग की जाती रही है;

(ख) क्या चैम्बर ऑफ कामर्स ऑफ बिहार ने भी बिहार में इस मुख्यालय की स्थापना की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार में क्षेत्रीय रेल मुख्यालय स्थापित करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बिहार में नया जोन बनाने की मांग, रेल सुधार समिति को उनके विचारार्थ भेजी गई थी। सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद समिति ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है।

[अनुवाद]

रेलवे में डाक्टरों के रिक्त पद

4671. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलों में लम्बे समय से भारी संख्या में डाक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं :

(ख) यदि हां, तो जोन-वार ऐसे पदों की संख्या कितनी है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को भरने के लिए रेलवे ने अब तक क्या कदम उठाए हैं तथा ये पद कब तक भर लिये जायेंगे।

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) : सूचना रेलों से इकट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाना

4672. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के अनेक कर्मचारियों को हाल ही में आवश्यक सेवायें बनाये रखने के अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी कठोर कार्यवाही करने के क्या कारण हैं;

(ग) आवश्यक सेवायें बनाए रखने का अधिनियम उपयोग में लाये जाने वाले कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवश्यक सेवायें बनाये के अधिनियम को उपयोग में लाने से पूर्व किये गये अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जिन व्यक्तियों ने अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम सहित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया था उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उल्लंघन कार्यों में हड़ताल सम्बन्धी कार्य, कामगारों को हड़ताल करने के लिए प्रेरित करना, उन्हें भयभीत करना आदि शामिल हैं।

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बदरपुर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ कई बार विचार-विमर्श किया था। अधिकांश मांगें जो उचित/न्यायपूर्ण पाई गई थीं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने स्वीकृत कर ली थी। इसके बावजूद मोर्चे के नेताओं ने 16-7-1985 को शून्य बजे से "सत्याग्रह" के रूप में हड़ताल का आह्वान किया था।

लोअर एण्ड मिडिल कोलब परियोजना

4673. **श्री के० प्रधानी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन-बिजली उत्पादन के लिए उड़ीसा में लोअर एण्ड मिडिल कोलब परियोजनाएं और लोअर मछकुंड परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन किन चरणों पर है ; और

(ग) उड़ीसा की उपर्युक्त परियोजनाओं से बिजली पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : इन जल विद्युत परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हैं। स्कीमों पर क्रियान्वयन के लिए विचार उनकी परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो जाने, तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने और योजना आयोग से निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद विचार किया जा सकता है।

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के लिए आबंटित धनराशि में से उड़ीसा के लिए आबंटन

4674. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और इस दिशा में तैयार किए गए किसी कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ख) उक्त धनराशि में उड़ीसा का हिस्सा कितना है; और

(ग) इस कार्यक्रम को, विशेषकर राज्यों में आदिवासी क्षेत्र और अन्य स्थानों पर बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष उपाए करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटनों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सातवीं योजना के दौरान मौजूदा आधारभूत ढांचे का निम्न प्रकार से विस्तार करने का प्रस्ताव है :—

(i) लगभग 12377 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना, ताकि प्रत्येक 30000 ग्रामीण आबादी (आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 20000 आबादी) के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध करने का मानदंड प्राप्त किया जा सके।

(ii) लगभग 50,000 अतिरिक्त उप-केन्द्र खोलना ताकि प्रत्येक 5000 ग्रामीण आबादी (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 आबादी) के लिए एक-एक उप-केन्द्र उपलब्ध करने का मानदंड प्राप्त किया जा सके।

(iii) लगभग 1553 अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ताकि प्रत्येक एक लाख की आबादी के लिए एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/दर्जा बढ़ाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध करने का मानदण्ड प्राप्त किया जा सके।

(iv) लगभग एक लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित करना ताकि प्रत्येक 1000 ग्रामीण आबादी/गांव के लिए एक स्वास्थ्य गाइड उपलब्ध करने का मानदण्ड प्राप्त किया जा सके।

(v) शेष सभी दाइयों को प्रशिक्षित करना।

सभी ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में पांच दिन का सप्ताह

4675. श्री आर० एम० भोये
श्री बाला साहब विखे पाटिल } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पांच दिन का सप्ताह लागू करने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ छात्र इसके विरुद्ध हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में छात्रों की क्या कठिनाइयां हैं और उन पर कुलपति का क्या विचार है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय में पांच दिन का सप्ताह शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय ने जून, 1985 में एक समिति गठित की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी समिति से सम्बद्ध थे। विश्वविद्यालय ने कोई निर्णय लेने से पहले इन समिति की सिफारिशों पर कालेजों तथा विभिन्न विभागों के विचार आमंत्रित किए हैं।

(ग) क्योंकि प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय में व्यापक चर्चा की जा रही है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है अतः सरकार का इस मामले में कोई निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रवीन्द्र रचनावली का हिन्दी में प्रकाशन

4676. डा० सुधीर राय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात के बारे में यह पता है कि दिल्ली के कुछ बेईमान प्रकाशकों ने रवीन्द्र रचनावली को हिन्दी में प्रकाशित किया है तथा ये पुस्तकें दुकानों पर उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इन प्रकाशकों ने जो किताबें बाजार में बिक्री के लिए जारी की हैं ये बिलकुल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं ही नहीं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन प्रकाशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। विश्वभारती से सरकार के ध्यान में यह बात 5 अगस्त, 1985 को आई है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं के कुछ अप्राधिकृत हिन्दी अनुवाद दिल्ली में कुछ प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

(ख) से (ङ) : भारतीय स्वत्वाधिकार अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वत्वाधिकार (कापी राइट), स्वामित्व का अधिकार होता है और यह स्वत्वाधिकार के स्वामियों का कार्य होता है कि वे अपने अधिकारों को लागू करने के लिए उपयुक्त न्यायालय में आवश्यक दीवानी या फौजदारी कार्यवाही करें। विश्वभारती विश्वविद्यालय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं का

स्वत्वाधिकारी स्वामी है और वह सम्बन्धित प्रकाशक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। सरकार अपने आप इस मामले में कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद और बम्बई रेल सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाएं

4677. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद और बम्बई रेल सेवा आयोगों ने अपने तृतीय श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए वर्ष 1975-76 से 1981-82 के बीच की अवधि में अनेक बार विज्ञापन दिए हैं परन्तु ये पूरे पद कभी भी नहीं भरे गए;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल सेवा आयोग ने इन खाली पदों को बिना औपचारिक चयन के अपने कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर के भर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती का उद्देश्य विफल नहीं हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा को बन्द करने के लिए आदेश जारी कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) : रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद और बम्बई (जो अब रेल भर्ती बोर्ड कहलाते हैं) ने 1975-76 और 1981-82 के बीच रेलों पर वर्ग 'ग' के पदों के लिए एक बड़ी संख्या में विज्ञापन जारी किए थे और उन्होंने रेलों को अनेक पेनल भी सप्लाई किए थे। रेलों में उन पेनलों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को नियुक्तियां प्रदान की थीं। तथापि, इस अवधि से संबंधित दो मामलों में, जिनमें से एक इलाहाबाद रेल भर्ती बोर्ड और दूसरा बम्बई रेल भर्ती बोर्ड से संबंधित हैं, कथित कदाचारों की रिपोर्टों की रेलवे सतर्कता संगठन/केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल किए जाने के कारण रेलों को अभी तक पेनल उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं। इस विलम्ब से प्रभावित रेलों को सेवा की अनिवार्यता की दृष्टि से कुछ रिक्तियों को भरने के लिए अपने वर्तमान कर्मचारियों में से कतिपय मामलों में तदर्थ पदोन्नतियां करनी पड़ी थीं।

(ग) से (ङ) : उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बम्बई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और दिल्ली-अहमदाबाद सर्वोदय एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

4678. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और दिल्ली-अहमदाबाद सर्वोदय एक्सप्रेस विलम्ब से चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत छ: महीनों के दौरान इन रेल गाड़ियों के विलम्ब से चलने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) : 151/152 बम्बई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस तथा 181/182 अहमदाबाद-नई दिल्ली सर्वोदय एक्सप्रेस गाड़ियों को फरवरी से जुलाई, 1985 तक पिछले छ: महीनों की अवधि के दौरान समय पालन निष्पादन इस प्रकार रहा :

माह	समय पालन प्रतिशत			
	151 राजधानी एक्सप्रेस	152 राजधानी एक्सप्रेस	181 सर्वोदय एक्सप्रेस	182 सर्वोदय एक्सप्रेस
जनवरी, 85	45.0	65.0	62.5	100.0
मार्च, 85	54.5	86.3	77.0	100 0
अप्रैल, 85	59.1	100.0	75.0	89.0
मई, 85	55.0	9).9	72.0	66.7
जून, 85	35.0	80.9	88.0	100.0
जुलाई, 85	52.2	77.3	75.0	88.9

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं

4679. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान और 1985-86 के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की जनता से शिकायतें मिली हैं कि उक्त प्रयोजन के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग उचित ढंग से नहीं किया गया है अथवा उसे किन्हीं अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन राज्यों से प्राप्त हुई है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) सरकार

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें से दो कार्यक्रम अर्थात् 'विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता' और "सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/फिट करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता" स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों सहित प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर स्वयंसेवी संगठनों को धनराशि दी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत किए गए सहायक अनुदान और 1985-86 का बजट प्रावधान दर्शाने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) : स्टाफ को वेतन न देने के बारे में चेतना, लखनऊ और नन्हीं दुनियां बधिर विद्यालय, देहरादून के विरुद्ध दो शिकायतें की गई हैं। ये शिकायतें जांच और रिपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई हैं। राज्य सरकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण—1

वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित स्वयंसेवी संगठनों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन का नाम	स्वीकृत की गई धनराशि		
		1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.10	4.34	1.94
2.	असम	2.38	1.50	1.45
3.	बिहार	3.38	3.91	0.61
4.	गुजरात	20.18	17.30	21.29
5.	हरियाणा	3.02	0.61	2.06
6.	हिमाचल प्रदेश	3.24	3.39	6.05
7.	जम्मू और कश्मीर	2.57	2.10	2.26
8.	कर्नाटक	10.25	11.89	15.26
9.	केरल	14.36	15.07	21.26

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	2.76	5.50	3.01
11.	महाराष्ट्र	35.70	35.77	34.01
12.	मणिपुर	1.99	0.37	2.80
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	9.90	2.76	3.00
16.	पंजाब	1.87	1.82	2.24
17.	राजस्थान	2.89	2.87	5.52
18.	तमिलनाडु	8.80	7.82	16.09
19.	त्रिपुरा	—	0.29	0.50
20.	उत्तर प्रदेश	13.29	21.10	20.53
21.	पश्चिमी बंगाल	21.92	19.80	28.09
22.	सिक्किम	—	—	—
23.	अण्डमान और निकोबार	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25.	चंडीगढ़	—	0.06	0.14
26.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	13.14	16.47	30.62
28.	गोआ, दमन और दीप	—	—	0.94
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—
31.	पांडिचेरी	0.24	0.26	0.33
	जोड़	174.98	175.00	220.00

1985-86 के लिए बजट प्रावधान—295 लाख रुपये।

विवरण—2

सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को धनराशि का आबंटन-वर्ष 1982-83 से 1984-85 ।

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	स्वीकृत की गई धनराशि 1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.00	2.00	0.60
2.	असम	0.60	—	0.50
3.	बिहार	5.00	5.00	10.25
4.	गुजरात	2.70	2.55	2.00
5.	हरियाणा	2.00	2.00	2.50
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	0.50	—	—
8.	कर्नाटक	10.50	7.25	4.00
9.	केरल	1.65	0.50	1.50
10.	मध्य प्रदेश	1.00	1.25	3.59
11.	महाराष्ट्र	4.25	4.55	4.55
12.	मेघालय	—	—	—
13.	मणिपुर	1.50	3.37	1.50
14.	नागालैंड	0.30	—	—
15.	उड़ीसा	—	4.86	4.50
16.	पंजाब	4.00	5.00	7.00
17.	राजस्थान	13.00	11.00	15.00
18.	तमिलनाडू	6.70	7.13	3.49
19.	त्रिपुरा	—	—	—

1	2	3	4	5
20	उत्तर प्रदेश	27.52	38.55	11.00
		(एलिम्कों के लिए)		51.00
21.	पश्चिम बंगाल	2.69	5.15	4.25
22.	सिक्किम	—	—	—
	केन्द्र शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान निकोबार दीप समूह	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	चण्डीगढ़	0.10	—	—
4.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
5.	दिल्ली	15.00	17.11	9.50
6.	गोवा, दमन व दीव	—	—	—
7.	लक्षद्वीप	—	—	—
8.	मिजोरम	—	—	—
9.	पांडिचेरी	—	—	—
	केन्द्र शासित प्रदेश—जोड़	15.10	17.11	9.50
	राज्यों का जोड़ :	84.91	100.16	131.23
	सारे भारत का जोड़	100.01	117.27	140.73
			0.18	
			117.45	

* कार्यान्वयन एजेन्सियों की बैठकों से सम्बन्धित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के खर्च को पूरा करने के लिए 16000 रुपए स्वीकृत किए गए थे।

1985-86 के लिए बजट प्रावधान——175 लाख रुपए

हीराकुंड बांध में पाई गई दरारें

4680. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध (उड़ीसा) को उसमें पाई गई दरारों के कारण कोई खतरा प्रतीत होता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : उड़ीसा सरकार ने हीराकुड बांध उमड़मार्ग में दरारों पर उपचारी उपायों पर एक परियोजना रिपोर्ट जून, 1985 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजी है जो परीक्षणाधीन है। दरारों के कारण की जांच करने तथा उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए 1981 में राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए 8.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, बांध के प्रतिप्रवाह पर दरारों को बन्द करना, नींव से जल-निकास में सुधार, निगरानी के लिए अतिरिक्त उपकरण, स्थानीय क्षतियों की मरम्मत तथा बांध के मुख्य भाग की पिलाई आदि की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

आर०डी०एस०ओ० कर्मचारी संघ, लखनऊ का मांग-पत्र

4681. **डा० ए०के० पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको 27 जून, 1985 को आर०डी०एच०ओ० के कर्मचारी संघ, लखनऊ का मांग पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनकी समस्याओं की ओर रेल अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मांग के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, दिनांक 27 जून, 1985 का मांग-पत्र 1 जुलाई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) : अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा उठायी गई मांगों और उन पर की गई कार्रवाई का विस्तुत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन कर्मचारी एसोसिएशन को प्रशासन की मान्यता प्राप्त

नही हैं। गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों से विचार-विमर्श करने की सरकार की नीति नहीं है। तथापि, सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों की शिकायतों पर यथोचित किया जाता है और गुण-दोष के आधार पर यथावश्यक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

मांग	**1. अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन की स्थिति**
की गयी कार्रवाई	अ०अ० एवं मानक संगठन को रेल मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय बनाए रखने का विनिश्चय किया गया है। तथापि, अ० अ०मा०सं० के महानिदेशक को वही शक्तियां प्रप्यायोजित की गई हैं जो क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों को प्राप्त हैं।
मांग	**2. श्रेणी-III के कर्मचारियों को, विशेष रूप से तकनीकी कोटियों के कर्मचारियों को संवर्ग पुनसंरचना का लाभ**
की गई कार्रवाई	अ०अ०मा० संगठन में जो कोटियां क्षेत्रीय रेलों के समान हैं, वे रेलों के लिए स्वीकृत पुनसंरचना आदेशों के अन्तर्गत आ गई हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के मामले में, जो एक असामान्य कोटि है अलग पुनसंरचना की गयी है और इसके लिए हाल में स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मांग	**3. ड्राफ्ट्समैनों के लिए पंचाट बोर्ड के निर्णय का वित्त मंत्रालय के 13 मार्च, 1984 के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 5 (59)-1-111/82 के अनुसार अ०अ०मा०सं० कार्यान्वन**
की गयी कार्रवाई	ड्राफ्टमैनों/ट्रेसरों के वेतनमान में संशोधन के लिए मार्च, 1985 में परिपत्रित संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में लाया गया निर्णय अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगटन पर लागू नहीं होता क्योंकि इसकी भर्ती शर्तों/अर्हताओं तथा संरचना की तुलना केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं की जा सकती।
मांग	**4. अनुसंधान तथा फील्ड कर्मचारियों को विशेष भत्ता**
की गयी कार्रवाई	ऐसे मुद्दे चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा विचारणीय हैं बशर्ते कि वे मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों द्वारा आयोग को भेजे जायें।
मांग	**5. श्रेणी-III के कर्मचारियों को राजपत्रित संवर्ग के बराबर अभिकल्प भत्ता**
की गयी	अ०अ०मा०सं० में राजपत्रिका अधिकारियों को कोई "अभिकल्प

कार्रवाई	भत्ता" नहीं दिया जाता है। अत: श्रेणी-III के कर्मचारियों को इसके भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।
मांग	6. श्रेणी-III के कर्मचारियों के लिए कतिपय वर्ग "ख" के अराजपत्रित कर्मचारियों के बराबर बीमा सुरक्षा
की गयी कार्रवाई	अ०अ०मा०सं० में 550-750/- रुपए तथा उससे ऊपर के वेतनमान वाले कर्मचारियों का सामान्य ग्रुप बीमा योजना में 20 रुपए का अशंदान बढ़ाकर 40 रु० करने से संबद्ध मामले पर विचार किया गया है। लेकिन इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।
मांग	7. अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, श्रमिक कानून, ट्रेड यूनियन अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम आदि का लागू न किया जाना
की गयी कार्रवाई	चूंकि अ०अ०मा०सं० रेल मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है, इसलिए विभिन्न श्रमिक कानून जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम आदि अ०अ०मा०सं पर लागू नहीं होते। तथापि, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन पूर्ति अनु०अ०मा०सं० के ऐसे कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जो उक्त अधिनियम के अभिप्राय के भीतर "कर्मकार" शब्द के अन्तर्गत आते हैं।
मांग	8. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित शिल्पी कोटि के दूर संचार, बिजली तथा सिविल अनुरक्षण कर्मचारियों को पुनर्संरचना तथा अन्य लाभ
की गयी कार्रवाई	अ०अ०मा०सं० में जो कोटियां क्षेत्रीय रेलों के समान हैं वे रेलों के लिए मंजूर किए गए पुनर्संरचना के आदेश के अन्तर्गत आ जाती हैं। टेलीफोन एक्सचेंज कर्मचारियों विशेषकर टेलीफोन आपरेटरों के काम के घंटे/संवर्ग पुनर्संरचना वही हैं, जो बोर्ड कार्यालय में प्रचलित हैं। पदोन्नति वरिष्ठता के मामले नियमों के अनुसार निपटाए जाते हैं।

मांग **9. आशुलिपिकों का मानदण्ड, तकनीकी कोटियों में विभागी प्रवरणों के बिना काल वेतनमान में पदोन्नति**

की गयी कार्रवाई — अ०अ०मा०सं० स्तर-II के सभी विभागाध्यक्षों को एक अलग से एक वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक दिया गया है तथा संगठन के स्थापना, वित्त तथा प्रकाशन स्कंधों में संयुक्त निदेशकों के लिए कार्य-भार के आधार पर अलग से एक-एक ग्रेड "सी" आशुलिपिक दे दिए गए हैं।

मांग **10. चतुर्थ श्रेणी, फील्ड तथा कारखाना कर्मचारियों को वर्दियां सप्लाई न किया जाना**

की गयी कार्रवाई — ऐसे सभी कर्मचारियों को जोरेलवे वर्दी विनियम अथवा गृह मंत्रालय वर्दी विनियम, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत आते हैं, उक्त विनियमों में निर्धारित वर्दी स्तर के अनुसार वर्दियां सप्लाई की जाती हैं।

मांग **11. अ०अ०मा०सं० के में निम्न श्रेणी लिपिकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों के लिए 60.40 का अनुपात लागू न किया जाना**

की गयी कार्रवाई — यह मामला वित्त मंत्रालय को भेजा गया था जो केन्दीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के सदृश 40 : 60 (उ०श्रे०लि० : नि०श्रे०लि०) के अनुपात में लिपिकीय संवर्ग की पुर्नसंरचना योजना अनु०अ०प०सं० में जो रेल मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, लागू करने के लिए सहमत नहीं हुआ है क्योंकि अ०अ०मा०सं० में स्थिति केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा की अपेक्षा बहुत अच्छी है।

मांग **12. मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार पर न लगाना**

की गयी कार्रवाई — एक ऐसा रजिस्टर रखने की पद्धति मौजूद है जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सभी मामले दर्ज किए जाते हैं और उपयुक्त रिक्तियां होने पर उन व्यक्तियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जाते है।

मांग **13. मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उच्च वेतनमान आबंटित करना**

की गयी कार्रवाई — वर्तमान आदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर आश्रितों की नियुक्ति केवल भर्ती ग्रेडों में ही की जाती है।

मांग	**14. अपर्याप्त रिहायशी आवास**
की गयी कार्रवाई	अ०अ०मा०सं० के श्रेणी-III के कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास का प्रतिशत 65 प्रतिशत तथा श्रेणी-IV के लिए 32 प्रतिशत बनता है जो रेलों पर सुलभ प्रतिशत से बहुत अच्छा है।
मांग	**15. अ०अ०मा०सं० कालोनी के निवासियों की सुरक्षा**
की गयी कार्रवाई	कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का है और समय-समय पर स्थिति की मांग के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की जाती हैं। कालोनी के भीतर एक पुलिस चौकी भी है। इसके अलावा, सरकारी सम्पत्ति की देख-भाल करने तथा आवश्यकता पड़ने पर अ०अ०मा० संगठन कालोनों के निवासियों की सहायता करने के लिए अ०अ०मा०सं० में रेल सुरक्षा बल की एक टुकड़ी भी तैनात की गयी है।
मांग	**16. लखनऊ के निवासियों की तुलना में अ०अ०मा० संगठन कालोनी के निवासियों के लिए घरेलू बिजली की ऊंची दर**
की गयी कार्रवाई	अ०अ०मा० संगठन, उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल की दर का अनुसरण कर रहा है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हुए व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की गई राशि

4682. **श्री के० प्रधानी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हुए व्यक्तियों को मुआवजे का वितरण करने के लिए 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी राश आबंटित की गई ?

(ख) 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए दावा मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हुए ऐसे व्यक्तियों के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी राशि दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : तोषण निधि स्कीम प्रारम्भ किए जाने पर, "हिट" और "रन" वाली सड़क दुर्घटनाओं में

ग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए राज्य प्राधिकरणों को शुरू-शुरू में तदर्थ आधार पर कुछ धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद जिन राज्यों को प्राधिकरण धन की मांग करते हैं उन्हें समय-समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार धन उपलब्ध कराया जाता है। अब तक भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को कुल 60.63 लाख रुपये की धन-राशि दी गई है। इसमें से, वर्ष 1984-85 में 18.30 लाख रुपये की धनरशि दी गई। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1984-85 में कुल 695 क्लेम किये गए।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड बिशाखापत्तनम द्वारा किया गया गैर-परिचालन व्यय

4583. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड कार्यालय भवन आदि का फेर-बदल निर्माण कर रहा है और छोटी-छोटी पहाड़ी या टीलों को काट कर सड़कें बना रहा है जिससे गैर-परिचालन लागत में भारी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1982-83 से 1984-85 तक के दौराम वर्षवार इस प्रकार का गैर-परिचालन व्यय कितना हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के गैर-परिचालन व्यय जो सिर्फ शिपयार्ड की आवासीय सम्पदा पर हुआ है, कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बिशाखापत्तनम सरकार द्वारा संस्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यों को क्रियान्वित कर रहा है जिसमें प्रशासनिक और तकनीकी भवन में भारी परिवर्तन भी शामिल है। वर्ष 1940 के प्रारम्भ में ही इन भवनों का निर्माण हुआ था। ऐसा नए कम्प्यूटर उत्पादन नियंत्रण और परियोजना प्रबंध विभाग के लिए भवन आदि जैसे विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है। इसमें यार्ड के मुख्य द्वार से प्रशासनिक और तकनीकी ब्लाकों तक सीधी सड़क डालना भी शामिल है क्योंकि मौजूदा आवागमन उत्पादन क्षेत्र से होकर हैं और इसे वाहनों और मनुष्यों के चलने के लिए सुरक्षित नहीं समझा जाता है।

(ख) इनमें से किसी भी खर्च को गैर-प्रचालनात्मक नहीं समझा जा सकता क्योंकि चरण-II विकास के तहत सृजित की जा रही सुविधाएं शिपयार्ड में आधारभूत सुविधाओं की प्रचालन कुशलता में सुधार लाने के लिए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाहन चलाना, सड़क दुर्घटनाएं तथा वाहनों के निर्माण में किस्म नियंत्रण

4684 **श्री मूल चन्द डागा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 तक भारत में सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या वर्तमान 60 लाख वाहनों से बढ़कर तिगुनी हो जायगी;

(ख) क्या आंकड़ों से पता चलता है कि 66 प्रतिशत दुर्घटनाएं ब्रेक फेल होने, स्टीयरिंग लाइट, टायर आदि जैसे यांत्रिक कारणों से होती हैं जबकि अमरीका में इन कारणों से केवल 2 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा उक्त समस्याओं का सामना करने के लिए उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या मानव सुरक्षा के हित में तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा वाहनों के निर्माण में उचित किस्म नियंत्रण के लिए पहले ही कोई अंतर मंत्रालय कार्यदल कार्य कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका कार्य क्षेत्र क्या है और किन-किन बातों में परस्पर सहयोग कर रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित सुरक्षा और प्रदूषण मानक समिति की रिपोर्ट में ये विचार व्यक्त किए गए हैं। आने वाले वर्षों में वाहनों की संख्या के बारे में विभिन्न दलों द्वारा लगाए गए अनुमानों में अन्तर है, किन्तु यह स्पष्ट है कि वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। जहां तक वाहनों में यांत्रिक खराबी के कारण दुर्घटनाओं की प्रतिशतता का सम्बन्ध है, हालांकि दुर्घटना के कारण के आधार पर ही दुर्घटना सांख्यिकी एकत्र की जाती है, फिर भी वाहनों की खराबी से होने वाली दुर्घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) : उद्योग मंत्रालय के निकट समन्वय से जिस उपाय की परिकल्पना की गई है, वह वाहन निर्माताओं द्वारा वाहन के महत्वपूर्ण और नाजुक पूर्जों के बारे में मानक और मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना है।

सुरेन्द्र नगर (गुजरात) का केन्द्रीय विद्यालय

4685. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरेन्द्र नगर (गुजरात) के पुराने रेलवे जंक्शन के भवन कब से बेकार पड़े हैं।

क्या इन भवनों में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ग) यह प्रस्ताव कब से निर्णय हेतु विचाराधीन है ; और

(घ) ऐसा कोई स्कूल कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जून, 1980 से ।

(ख) रेल मंत्रालय को अभी तक रेल प्रशासन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ से ज्ञापन

4686. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ ने मंत्रालय को अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : 6 तथा 7 जून, 1985 को बंगलौर में आयोजित सम्मेलन में अपनाए गए ज्ञापन में निहित मांगों तथा सरकार की टिप्पणियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

6 तथा 7 जून, 1985 को बंगलौर में हुए अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा अपनाए गए ज्ञापन में निहित मांगों का सारांश	टिप्पणियां
1	2
1. एक समान वेतनमान तथा सेवा शर्तें	शिक्षकों के वेतनमान आदि राज्य में वेतन ढांचे तथा राज्य सरकार की वित्तीय हैसियत के संदर्भ में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । यह सम्भव नहीं है कि पूरे देश में शिक्षकों को लागू वेतनमानों की एकरूपता की परिकल्पना की जाए ।

1	2
2. स्कूल अनुदान आयोग का निर्माण	स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा देखी जाती है तथा उसका प्रबन्ध किया जाता है। स्कूलों के अनुदानों का मुख्य स्रोत भी राज्य सरकारें ही हैं। स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त स्कूलों की सहायता अनुदान पद्धति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक स्कूल अनुदान आयोग के लिए यह बहुत ही कठिन होगा कि वह 31 विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में काफी संख्या में ऐसे स्कूलों के लिए कार्य करें। इसके अलावा, ऐसे आयोग के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय क्षमता बहुत ही सीमित है।
3. केन्द्रीय बजट में कम-से-कम 10% का आबंटन	शिक्षा के लिए बजट कई वर्षों से बढ़ रहा है। सभी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय वित्तीय आबंटन करते हैं। यह सम्भव नहीं है कि शिक्षा के लिए केन्द्रीय बजट की एक विशिष्ट प्रतिशतता निर्धारित की जाए।
4. रेल यात्रा किराए में 50% की रियायत	रेल यात्रा रियायतें, रेलों के संचालन की बढ़ी हुई लागत, स्थापना तथा रख-रखाव आदि की उच्च दरों को ध्यान में रखते हुए रेल किराया जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर युक्ति-युक्त बनाई गई है। प्रथम श्रेणी में रियायत सुविधाएं पूरी तरह से वापस ले ली गई हैं तथा द्वितीय श्रेणी में रियायत 1-12-1981 से 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम कर दी गई है तथा इस समय वित्तीय अभाव के कारण इन रियायतों के क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता। शैक्षणिक दौरे करते समय शिक्षकों को अब 35 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है।
5. सभी दमनकारी कार्रवाईयों को वापस लेना	शिक्षा मंत्रालय के विचार से कोई दमनकारी कार्रवाई लागू नहीं है। तथापि, यदि कोई ऐसी दमनकारी व्यवस्था अथवा कार्रवाई मंत्रालय के नोटिस में आती है तो उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मैट्रो रेलवे कलकत्ता द्वारा बकाया धनराशि की अदायगी

4687. इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मैंट्रो रेलवे प्राधिकारियों द्वारा किन कारणों से नगर निगम को 1.4 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि की अदायगी नहीं की जा रही है;

(ख) क्या यह बकाया धनराशि विस्थापित बस्तियों में रहने वालों, स्टालों के मालिकों को मुआवजे की अदायगी और सड़कों, ट्राम मार्गों और अन्य उपयोगी सेवाओं को हुए नुकसान की है; और

(ग) यदि हां, तो बकाया धनराशि की अदायगी कब तक कर दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मैट्रो रेलवे के प्राधिकारी नगर के भुगतान को टाल नहीं रहे हैं। मैट्रो रेलवे के पास कलकत्ता नगर निगम के 1.4 करोड़ रुपए के कोई बिल बकाया नहीं हैं।

(ख) बस्ती निवासियों और स्टाल मालिकों के हटाये जाने के लिए क्षतिपूर्ति का दावा मैट्रो रेलवे पर नहीं किया जा सकता है। सड़क या ट्रामवे पथों तथा अन्य उपयोगी सेवाओं को हुए नुकसान के लिए कोई दावा नहीं है। ट्रामवे, कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी के अंतर्गत हैं, न कि नगर निगम के अंतर्गत।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केडबरी चाकलेट का परीक्षण

4688. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केडबरी चाकलेट और केडबरी नट के निर्माण तत्वों का बच्चों के लिए उनकी उपयोगिता की दृष्टि से चिकित्सीय परीक्षण किया गया है क्योंकि इसमें अधिकांश नट्स सड़े हुए होते हैं;

(ख) क्या चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की वस्तुएं बच्चों के दांतों और आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं;

(ग) भारत में इस समय उपलब्ध किसी भी प्रकार की चाकलेट वस्तुएं उन बच्चों के लिए घातक हैं जिनके माता पिता मधुमेह के शिकार रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले में विशेषज्ञों से राय लेने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार चाकलेट बनाने के लिए चीनी, केक आदि की मात्रा का एक समान फार्मूला निश्चित करेगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) भारतीय मानक संस्थान ने चॉकलेट के विनिर्देशन तैयार किये हैं।

मक्खन और घी के उत्पादन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग

4689. **डा० जी० विजय रामा राव**
श्री सोडे रमैय्या
श्री चिन्ता मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोजन पेराक्साइड के प्रयोग से गलगंड रोग हो जाता है और दुग्ध प्रोटीन के जैविक गुण नष्ट हो जाते हैं; और

(ख) क्या यह मामला ग्रा समिति के समक्ष उठाया गया था और किसके द्वारा उठाया गया था तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हाइड्रोजन पेराक्साइड का इस्तेमाल करने से गलगण्ड नहीं होता है। जहां तक हाइड्रोजन पेराक्साइड के प्रयोग से दुग्ध प्रोटीनों की जैविक क्षति हो जाने का प्रश्न है, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने इस सम्बन्ध में अनुसंधान अध्ययन करने का काम ले लिया है।

(ख) इस मामले को ग्रा समिति के सम्मुख उठाया गया था लेकिन जिस व्यक्ति ने इस मामले को उठाया था, उसके नाम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने इस समिति को यह स्पष्ट किया है कि उनकी जानकारी की किसी भी सहकारी समिति द्वारा हाइड्रोजन पेराक्साइड का परिरक्षी के रूप में उपयोग नहीं किया गया है।

माकुण्ड पन-बिजली परियोजना संबंधी समझौता

4690. श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री के० एस० राव
: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माकुण्ड पन-बिजली परियोजना के मूल समझौते के अनुसार आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के लिए ऊर्जा का कितना-कितना हिस्सा निर्धारित है;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा द्वारा की गई अपील के आधार पर आन्ध्र प्रदेश ने अपने राज्य को भारी हानि की लागत पर उड़ीसा के हिस्से को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हुआ था और इसमें अपने उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत इस अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई 8 पैसे प्रति यूनिट की नाम मात्र लागत पर की; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) दिनांक 14-1-1945 के मूल समझौते के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा को यह अधिकार है कि वे 'माकुण्ड जल विद्युत केन्द्र में उत्पादित' विद्युत का क्रमश: 70 : 30 के अनुपात में उपयोग कर सकते हैं।

(ख) और (ग) : जी, हां। 1 दिसम्बर, 1978 में आन्ध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन की लागत (8 पैसे प्रति यूनिट) पर 20% अतिरिक्त ऊर्जा (बशर्ते वह 20 मेगावाट से अधिक न हो) मुहैया कराने के लिए सहमत हो गया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि इस समझौते के अनुसार उन्होंने अप्रैल, 1979 से जुलाई, 1985 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य को 870 मिलियन यूनिट ऊर्जा मुहैया कराई है।

रावी ब्यास के जल का भाग

4691. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को रावी ब्यास जल की सप्लाई के बारे में आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये जायेंगे कि जो जल अब पाकिस्तान को जा रहा है परन्तु जिसे सिन्धु जल सन्धि के अन्तर्गत भारत को आवंटित किया गया था, भारत में ही इस्तेमाल किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : सिंधु जल संधि 1960 के अन्तर्गत, सतलुज, व्यास तथा रावी नदियों का जल भारत को बिना किसी प्रतिबंध के प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गया था। उस समय, सतलुज नदी के जल को भाखड़ा नांगल करार 1959 के माध्यम से तत्कालीन पंजाब (अब पंजाब तथा हरियाणा), तथा राजस्थान राज्यों के बीच पहले ही आबंटित कर दिया गया था और रावी तथा व्यास (बंटवारा-पूर्व उपयोग छोड़कर) नदियों के अधिशेष जल को 1955 के अन्तर्राज्यिक करार के माध्यम से राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा तत्कालीन पंजाब राज्यों के बीच आबंटित किया गया था।

(ग) इन नदियों के अधिकांश जल का उपयोग पहले से ही भारत में ही किया जा रहा है। भण्डारण बांध न होने के कारण रावी नदी का कुछ जल मानसून मौसम के दौरान पाकिस्तान की ओर बह जाता है। थीन बांध के पूरा हो जाने से, किसी सामान्य वर्ष में पाकिस्तान की ओर जल नहीं बहेगा।

[हिन्दी]

पिछड़े राज्यों के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र

4692. श्रीमती कृष्णा साही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सन् 2000 के अन्त तक देश में सभी लोगों के लिए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत हर 3000 ग्रामीण लोगों के लिए एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने की कोई योजना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस घोषित नीति के और विभिन्न राज्यों में इन केन्द्रों की भारी कमी के बावजूद सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा बिहार सहित 13 राज्यों के लिए एक भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछड़े राज्यों के साथ किये जा रहे इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : प्रत्येक 5,000 ग्रामीण आबादी (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 आबादी) के लिए एक उप-केन्द्र खोलने का मानदंड रखा गया है। सातवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1985-86 के दौरान बिहार सहित 13 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए कोई भी उप-केन्द्र मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि इन राज्यों में नये उप-केन्द्रों को चलाने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आगजिलियरी नर्स मिडवाइफ) उपलब्ध नहीं थे जो उप-केन्द्र स्तर पर प्रमुख कार्मिक

होते हैं। वैसे, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों में मौजूदा रिक्त पदों को भर लेने के बाद यदि उनके पास अतिरिक्त सहायक नर्स मिडवाइफ हों तो वे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उप-केन्द्रों के अलावा और उप-केन्द्र खोल सकते हैं तथा एक विस्तृत प्रस्ताव भेजें जिसमें यह बताया जाए कि अतिरिक्त महिला बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता (ए० एन० एम०) कहां से उपलब्ध होंगे ताकि अतिरिक्त उप-केन्द्र खोलने की मंजूरी जारी की जा सके।

[अनुवाद]

पत्रकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधायें

4693. **श्री एम० रघुमा रेड्डी**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पत्रकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी निधि आबंटित की गई; और

(घ) यह सुविधायें कब से मिलनी आरम्भ हो जाएंगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बलि मेला अंत:राज्य परियोजना

4694. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलि मेला बांध संयुक्त परियोजना के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच हुए मूल अन्त:राज्य समझौते में कितना-कितना पानी हिस्से में आयेगा और कितनी-कितनी अनुमानित लागत हिस्से में आयेगी;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार इस समझौते के अनुसार इस परियोजना के लिए उसके हिस्से में आए खर्चे से कहीं अधिक व्यय करने को सहमत हो गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बलि मेला जलाशय से आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा द्वारा वास्तव में कितना-कितना पानी लिया गया;

(घ) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा ने आन्ध्र प्रदेश के विरोध के बावजूद और केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के सदस्य की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति के निदेशों के बावजूद प्रत्येक वर्ष में फालतू पानी लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि वे राज्य जहां ऐसी संयुक्त परियोजनायें अवस्थित हैं, किसी भी सहभोगी के राज्य के हितों को हानि न पहुंचा सके ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) मूल समझौते के अनुसार बलि मेला जलाशय आने वाले जल और बलि मेला बांध के सांझा निर्माण कार्यों का बंटवारा उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर किया जाना है, तथापि शर्त यह है कि आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा 12.00 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वास्तविक निकासी (टी० एम० सी० फुट)

वर्ष	उड़ीसा	आन्ध्र प्रदेश
1982-83	58.433	57.888
1983-84	81.645	65.137
1984-85	60.626	56.772

(घ) और (ङ) : जी, हां । 1983-84 के दौरान उड़ीसा ने मामूली-सी अधिक मात्रा निकाली है । 1983-84 के दौरान अधिक निकासी का कारण उड़ीसा में ताप विद्युत संयंत्रों का फेल होना था ।

बलि मेला बांध जैसी सांझा परियोजनाओं का प्रचालन इस संबंध में भागीदार राज्यों के बीच समझौते का विनिर्दिष्ट होता है । सामान्यतः राज्य द्वारा कोई भी अधिक निकासी अन्य राज्य की सहमति से की जाती है और अधिक निकासी से संबंधित मामले पर दोनों राज्यों के बीच सीधा विचार-विमर्श होता है ।

पुरी स्थित रेलवे होटल

4695. **श्री श्रीहरि राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पुरी स्थित रेलवे होटल लगातार घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे होटल को एक सक्षम एकक बनाने के बारे में कुछ उपाय करने का विचार कर रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) पुरी का रेलवे होटल निरन्तर लाभ अर्जित कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं का लाना ले जाना

4696. **श्री श्रीहरि राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1985 के टाइम्स आफ इण्डिया में "रेलवे प्रायरटी फार कोल मूवमेंट" शीर्षक के अधीन छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या समाचार में छपी रिपोर्टों के अनुसार कोयले के लदान से उर्वरक, खाद्यान्न और नमक जैसे अन्य आवश्यक वस्तुओं के लदान पर कुप्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो वैगनों की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, नमक आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के लदान के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं; और

(घ) अप्रैल से जून, 1985 के दौरान कोयले लदान के लिए तथा उपर्युक्त आवश्यक वस्तुओं के लदान के लिए नियत किए गए वैगनों/रेकों की संख्या कितनी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। भिन्न-भिन्न पण्यों का संचलन, जिसमें कोयला, उर्वरक और नमक का संचलन के लक्ष्य और किए गए वास्तविक संचलन के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मिलियन टन में)

पण्य	यथानुपात लक्ष्य अप्रैल-जून, 1985	वास्तविक संचलन अप्रैल-जून, 1985 (अनन्तिम)
1	2	3
कोयला	25.4	23.3
खाद्यान्न	5.9	5.1
नमक	0.8	0.8

1	2	3
सीमेंट	4.2	4.1
उर्वरक	2.4	2.9

रेलें कोयला और अन्य पण्य के संचलन का ब्यौरा रेकों की संख्या के हिसाब से नहीं रखती हैं।

रेल सेवाएं बढ़ाने के लिए धनराशि का निर्यात

4697. श्री श्रीहरि राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलपथ के नवीनीकरण के लिए 50 प्रतिशत धनराशि नियत किए जाने संबंधी सरकारी निर्णय से रेल सेवाओं में वृद्धि करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है;

(ख) क्या रेल के सवारी डिब्बों की हालत बहुत ही घटिया है; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिमी रेलवे पर रेलपथ के नवीनीकरण के लिए कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और गर्मी के मौसम में बढ़ी हुई भीड़-भाड़ को देखते हुए रेल सेवाओं में वृद्धि करने और नई सेवाएं शुरू करने आदि के लिए नए सवारी डिब्बों के निर्माण जैसी अन्य सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं, रेलपथ नवीकरणों के लिए 50% धनराशि आबंटित नहीं की गई है। 1985-86 के लिए 1650 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय में से लगभग 415 करोड़ रुपए की राशि रेल पथ नवीकरणों के लिए आबंटित की गयी है।

रेल मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी महाप्रबन्धक ने यह कहा था कि रेलपथ नवीकरण के लिए 50% धनराशि आबंटित करने के सरकार के निर्णय से रेल सेवाएं बढ़ाने अथवा नयी सेवाएं चलाये जाने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

(ख) रेल मन्त्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी महाप्रबन्धक ने रेल डिब्बों की खराब हालत के बारे में टिप्पणी की है।

(ग) 1985-86 में रेलपथ नवीकरण के लिए पश्चिम रेलवे को 59.50 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

सभी रेलों के लिए चल स्टाक की खरीद अनिवार्यतः केन्द्रीकृत रूप में की जाती है और

चालू वर्ष में सवारी डिब्बों की खरीद करने के लिए लगभग 166 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गयी है।

गर्मी के मौसम में रेल सेवाएं बढ़ाने तथा नयी सेवाएं चलाने के वास्ते धनराशि आबंटित करने के लिए कोई अलग योजना शीर्ष नहीं है। उपलब्ध क्षमता तथा आवश्यकता के आधार पर गर्मी के मौसम में सेवाएं बढ़ायी या नयीं सेवाएं शुरू की जाती हैं।

कोटेपल्ली-काकीनाड़ा रेल लाइन को पुन: चालू करना

4698. **श्री श्रीहरि राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि कोटेपल्ली और काकीनाडा के बीच 20 किलोमीटर लम्बे रेल मार्ग को पुन: चालू न किए जा सकने से वहां के 15 लाख से भी अधिक लोगों को भारी परेशानी हो रही है;

(ख) क्या इस रेल मार्ग को जो ब्रिटिश शासन काल में चालू था, को पुन: चालू करने के संबंध में रेलवे के पास बड़ी संख्या में अभ्यावेदन लम्बित पड़े हुए हैं और इसके सभी भवन पुल आदि ठीक हालत में हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) : विभिन्न अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में, काकीनाडा से कोटापल्ली तक रेल लाइन के पुन: स्थापन की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण अनुमोदित किया गया है और यह प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद इस परियोजना के वित्तीय लाभों तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

भोपाल रेलवे स्टेशन का विकास तथा विस्तार

4699. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल रेलवे स्टेशन पर बढ़ती हुई भारी भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए उसके विकास और विस्तार के सम्बन्ध में कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनमें अन्तर्ग्रस्त खर्च क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस समय निम्नलिखित दो योजनाएं प्रगति पर हैं :—

		लागत	वास्तविक प्रगति
(i)	प्लेट फार्म नं० 4 और 5 की छत का विस्तार	7.24 लाख	60 प्रतिशत
(ii)	अलग से आरक्षण एवं बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था	7.94 लाख	10 प्रतिशत

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की माध्यमिक एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

4700. श्री विजय एन० पाटिल
श्री हुसैन दलवाई
श्री विलास मुत्तेमवार
: क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1984 में पूरी हुई माध्यमिक एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) सातवीं, योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में पूरी होने वाली माध्यमिक एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा होने में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1984-85 के दौरान पूरा किए जाने के लिए संभावित परियोजनाओं की सूची विवरण-एक में है।

(ख) और (ग) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण—एक

1984-85 के दौरान महाराष्ट्र की पूर्ण किए जाने वाली संभावित सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	स्कीम का नाम	क्रम सं०	स्कीम का नाम
1	2	1	2
(क) वृहद स्कीमें			
1.	मला		
2.	तुलसी		

1	2	1	2
(ख) मध्यम स्कीमें			
1.	सुकी	22.	पलडाग
2.	बसप्पावाटी	23.	केलजर
3.	सिद्धवाडी	24.	अनेर
4.	शहजादी औरद	25.	पनगांव (हिंगानी)
5.	पथवाड़ज	26.	व्हाती
6.	महालिंगी	27.	अजंथा अंधारी
7.	मसोली	28.	बोरना
8.	तवारजा	29.	मकरडकरा
9.	गिरातसल	30.	बोरी (जलगांव)
10.	सरस्वती	31.	अथला
11.	नागजारी	32.	कनहोली (बी०)
12.	तुरोरी	33.	केसरनाला
13.	रींगापार	34.	दीनानदी
14.	बेतकर बोथाली	35.	तकलीभान
15.	चंदयाईनाला	36.	मनघोल
16.	सोनल	37.	शिखादरी
17.	उमा	38.	मोरघमनाला
18.	चरगांव	39.	अम्बाड़ी
19.	देवगांव टैंक	40.	लहुकी
20.	मांडवा	41.	वतपल
21.	सखालीनाला	42.	घटशील

विवरण—दो

लोक सभा में 22-8-85 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4700
के भाग (ख) ौर (ग) के उत्तर में उल्लिखित

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	छठी योजना के अन्त तक सम्भावित व्यय	सातवीं योजना में ले जाने की संभावना
1	2	3	4	5
(क)— बृहद स्कीमें				
1.	जायकवाड़ी चरण-एक	251.05	234.05	17.00
2.	कृष्णा	155.00	91.80	63.20
3.	अपर गोदावरी चरण-एक, दो	75.50	43.15	32.35
4.	मंजरा	32.15	30.37	1.78
5.	पेंज	143.20	88.97	54.23
6.	सूर्या	77.04	38.29	38.75
7.	कालीसरार	7.00	5.66	1.34
8.	लोअर वुन्ना	52.09	8.33	43.76
9.	लोअर थिरना	40.46	8.26	32.20
10.	अरुणावती	33.05	5.05	28.00
11.	खोदाशी द्वार बन्द वीयर	3.34	0.24	3.00
(ख)— मध्यम स्कीमें				
1.	सीना (निमगांव)	20.66	9.86	10.80
2.	खाईरी	7.22	1.76	5.46
3.	संख	11.08	0·91	10.17
4.	मुन	21.42	2·62	18.80
5.	नगया साक्या	7.97	0.76	7.21
6.	हेरनबारी	7.19	4.69	2.50
7.	अमलनाला	7.04	4.65	2.39

1	2	3	4	5
8.	अम्बावेली	9.93	8.76	1.17
9.	वांडरी	7.89	6.89	1.00
10.	नतूवाड़ी	19.37	12.72	6.65
11.	अलंदी	6.75	5.00	1.75
12.	गिरना पनजान	8.71	6.21	2.50
13.	बुरई	5.06	4.36	0.70
14.	रंगवाली	5.36	4.41	0.95
15.	अगनावती	1.47	0.80	0.67
16.	येयोतीमसोली	4.66	1.66	3.00
17.	मोरना (डब्लू० एम०)	3.89	2.19	1.70
18.	डोडानाला	1·71	0.71	1.00
19.	जवाल गांव	7.97	2.56	5.41
20.	केसरी	11.87	3.04	8.83
21.	कोराड़ी	7.05	5.13	1.90
22.	अरान (पिम्परी)	20.75	8.42	12.33
23.	वघाड़ी	6.70	5.02	1.68
24.	गोकी	12.53	6.96	5.57
25.	लोअर पुस	13.72	9.21	4.51
26.	कोलर	7.13	6.33	0.80
27.	खेकरनाला	4.90	3.15	1.75
28.	धाम	15.52	10.72	4.80
29.	पोथरा	8.72	4.78	3.94
30.	डंगरागांव (नादेड)	2.87	2.42	0.45
31.	लबनसरद नाला	3.95	3.45	0.50
32.	गिरीजा	6.08	1.98	4.10

1	2	3	4	5
33.	कल्याण	5.17	3.22	1.95
34.	कुंडालिका	4.90	2.88	2.02
35.	बेलपारा	2.75	1.03	1.72
36.	लोनी	4.63	2.55	2.08
37.	टोंडापुर	2.05	1.26	1.69
38.	वाड़ीवाला	5.66	3.32	2.34
39.	अंतरगांव	2.35	0.67	1.68
40.	वाघे-बाबुल गांव	1.49	0.44	1.05
41.	बोरगांव टैंक	1.84	0.30	1.54
42.	रायगावन	3.51	0.56	2.95
43.	सकोल	3.04	0.63	2.41
44.	पकाडीगुडम	7.00	0.92	6.08
45.	रुई	2.53	0.78	1.75

(स्रोत : महाराष्ट्र की सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज)

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के विदेशों में प्रशिक्षित कर्मचारी

4701. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के कितने कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया था; और

(ख) क्या सरकार का वर्तमान टैक्नोलोजी और तकनीकी सहयोग का स्थानान्तरण करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के जितने कर्मचारियों ने पिछले तीन वर्षों में विदेशों में प्रशिक्षण

प्राप्त किया, उसकी संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	विदेशों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
1982-83	4
1983-84	17
1984-85	86
कुल	107

(ख) हालांकि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से मौजूदा टेकनोलोजी और तकनीकी सहयोग हस्तान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने निम्नलिखित फार्मों के साथ टेकनोलाजी के हस्तान्तरण के लिए करार किया है :—

(i) मैसर्स होवर्ड डोरिम, यू० के०—वेल-हैड प्लेटफार्म के निर्माण के लिए।

(ii) मैसर्स हिताची जोसन कार्पो०, जापान—ड्रिलशिप के निर्माण के लिए।

(iii) मैसर्स अल्सटिन ट्रेडिंग कं०, नार्वे—अपफशोर प्लेटफार्म-सपोर्ट-कम-स्टैंडबाई वेसल्स के निर्माण के लिए।

(iv) मैसर्स एस० आर० एस० नार्वे—4?,750 डी० डब्ल्यू० टी० के बल्क कैरियरों के डिजाइन के लिए।

जहाज के निरीक्षण आरम्भ और उनकी सुपुर्दगी में लगने वाला समय

4702. श्री एस० एम० भट्टम : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज के निर्माण आरम्भ करने की तारीख से जहाज के जलावतरण में कितना समय लगता है;

(ख) जलावतरण की तारीख से जहाज की सुपुदर्गी तक कितना समय लगता है; और

(ग) क्या आर्डर देने की तारीख से जहाज के निर्माण के लिए अपेक्षित "लीड" समय आवश्यक है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) किसी जहाज के लिए पठाण डालने से उनके जलावतरण तक कितना समय लगता है, यह जहाज के आकार और शृंखला तथा डिजायन रेखा चित्र, कार्य रेखा चित्र, इस्पात तथा जलावतरण से पहले के अन्य उपकरण की उपलब्धता पर निर्भर है। पहले इसमें 8 से 28 महीने का समय लगता था।

(ख) किसी जहाज के जलावतरण की तारीख से डिलिवरी में कितना समय लगता है, यह निर्धारित समय सारणी के अनुसार सामग्रियों की उपलब्धता और जहाज के आकार और किस्म पर निर्भर है। पहले इसमें 6 से 42 महीने का समय लगता था।

(ग) शिपयार्ड को कारगो जहाजों/बल्क कैरियरों के लिए करार पर हस्ताक्षर की तारीख से डिलीवरी की तारीख तक कम-से-कम 24 से 30 महीने का समय चाहिए जिससे यार्ड निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य चलाता रहे। उपरोक्त समय डिजायन और कार्य रेखाचित्र तैयार करने तथा इस्पात, मशीनरी और उपकरण के आदेश देने के लिए जरूरी है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का लाभ/हानि

4703. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 198:-83, 1984-85 के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का (एक) श्रम उत्पादकता; (दो) निवेश पर लाभांश; (तीन) लाभ/हानि का प्रतिशत तथा शुद्ध आय (चार) श्रम, उपरिव्यय सामग्री अनुपात; और (पांच) ऋण एक्विटी और अनुपात की स्थिति क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	श्रमिक उत्पादकता (जनदिवस/डी० डब्ल्यू० टी०)	पूंजी निवेश पर लाभ	निवल पंजी पर हानि की प्रतिशतता	श्रमिक, ऊपरी खर्च, सामग्री अनुपात	ऋण-साम्यपूंजी अनुपात
1982-83	25.24	शून्य	37.40	12 : 42 : 46	0.08 : 1
1983-84	18.78	शून्य	26.05	12 : 40 : 48	0.48 : 1
1984-85	16.84	शून्य	113·66	12 : 32 : 56	1.42 : 1

कोयले के लदान के लिए वैगनों का नियतन

4704. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कितने राज्य को कोयले के लदान के वास्ते कितने वैगन नियत किये गए हैं;

(ख) इस कोटे के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य को उसके आरक्षित कोटे के रूप में कितने अधिक वैगन दिए गए हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार के नियतन के विरुद्ध जबरदस्त शिकायतें मिल रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित करने की महीनेवार अधिकतम सीमा संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) अधिकतम सीमा के अलावा किसी भी राज्य को अलग से कोई आरक्षित कोटा प्रदान नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

महीने वार अधिकतम सीमा (1 मालडिब्बों के हिसाब से)

राज्य	1983	1984	1985
1	2	3	4
आन्ध्र	570	515	515
असम	40	2	38
बिहार	3340	2495	2645
दिल्ली	3320	1985	1985
गोवा-दमन दीव	35	26	26
गुजरात	5025	4185	4335

1	2	3	4
हरियाणा	4600	3175	3175
हिमाचल प्रदेश	446	393	408
जम्मू और कश्मीर	748	623	697
केरल	167	146	146
कर्नाटक	465	403	403
मध्यप्रदेश	2238	2595	2595
महाराष्ट्र	3075	2815	2765
उड़ीसा	910	945	945
पंजाब	8669	6194	6195
राजस्थान	3238	2448	2448
त्रिपुरा	15	12	12
तमिलनाडु	870	755	755
उत्तर प्रदेश	18168	14230	14230
चंडीगढ़	359	233	233
पश्चिम बंगाल	5475	4400	4575
सिक्किम	20	10	10
नागालैंड	20	—	—
पांडिचेरी	20	15	15
नागर हवेली	100	100	100
मिजोरम	20	—	—
छोटे सिमेंट संयंत्र	—	—	370
जोड़	62551	48718	49621

रेलवे सुरक्षा कर्मचारियों (प्रोटेक्शन स्टाफ) को प्रोत्साहन

4705. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सुरक्षा कर्मचारियों को रेलवे में बुक कराए गए सामान के कम राशि के बीजक बनाने का पता लगाने, बीच में सामान की चोरी का पता लगाने एवं बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इन तीनों कार्यों के लिए कितनी राशि बांटी गई; और

(ग) क्या इस प्रकार किए गए अपराध के बारे में स्टाफ द्वारा लगाई गई राशि का कुछ प्रतिशत उन्हें दिया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को अपराध की रोकथाम/पता लगाने के अच्छे काम के लिए पात्र मामलों में नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि में वितरित की गई राशि लगभग 2 लाख रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

वेसेक्टामी तथा ट्यूबेक्टामी आप्रेशन के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि

4706. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेसेक्टामी तथा ट्यूबेक्टामी के प्रत्येक आप्रेशन के लिए दिए जा रहे वर्तमान भत्ते में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) कितनी वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्तावित अतिरिक्त खर्च के लिए उचित व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी के प्रत्येक स्वीकारकर्ता को दी जा रही मुआवजे की राशि 100/- रुपये से बढ़ाकर 9.8.85 से 120/- रुपये कर दी गई है। 20/- रुपये की अतिरिक्त राशि नसबंदी करवाने वाले उन स्वीकारकर्ताओं को दी जायेगी जिनके तीन या उससे कम बच्चे हैं। इस अतिरिक्त व्यय का समायोजन सातवीं योजना के आबंटन से किया जाएगा।

स्वीकृति हेतु आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

4707. **श्री चिंता मोहन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की तेलगू गंगा परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य सिंचाई परियोजना को संघ सरकार द्वारा स्वीकृति दी जानी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : तेलगु गंगा परियोजना के अलावा, आन्ध्र प्रदेश द्वारा भेजी गई 9 वृहद् तथा 4 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर उन्हें तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए केन्द्रीय जल आयोग में विचार किया जा रहा है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र०सं०		परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख
1		2	3	4
			(लाख रु० में)	
(क)		वृहद् परियोजनायें		
1.		श्रीराम सागर संशोधित चरण-I परियोजना	87,002	5.2.1985
2.		श्री शैलम बायांतट नहर	48,000	16.2.1985
3.	(क)	पोलावरम (बांध तथा बायां नहर)	88,417	12.4.1983
	(ख)	पोलावरम दायीं नहर	39,600	11.3.1985
4.		कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	29,171	29.4.1983
5.		गोदावरी डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	3,950	11.2.1683
6.		येलेरू जलाशय	14,702	9.5.1980
7.		जुराला	7,640	10.9.1980
8.		वम्म धारा चरण-11	15,435	16.5.1983
9.		सिंगुर	4,234	25·10.1977

1	2	3	4
(ख) मध्यम परियोजनायें			
1.	पेद्दावागु	4,574	15.5.1985
2.	चलमेलवागु	416	29.5.1985
3.	कौलसनाला	710	3.6.1983
4.	वुगावंका	783	28.12.1983

श्री राम सागर परियोजना चरण-दो

4708. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीराम सागर चरण-दो परियोजना आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गई है लेकिन संतोषजनक आंकड़े उपलब्ध कराने के बावजूद यह विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य के बावजूद भी आन्ध्र प्रदेश में काफी भूमि शुष्क है और कृषि उत्पादन में सुधार करना जरूरी है, इसे मंजूर न करने के क्या कारण हैं ;

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने श्रीराम सागर चरण-दो परियोजना वापिस ले ली है और फरवरी, 1985 में एक संशोधित चरण-एक परियोजना प्रस्तुत की है । राज्य सरकार से कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में सूचना मंगवाई गई है ।

[हिन्दी]

लेखा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति की आरक्षित रिक्तियों को भरना

4709. **श्री लाला राम केन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा विभाग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी (लेखा), आई०ए०एस० (लेखा) और टी०आई०ए० (लेखा) पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा पिछले वर्षों में भरा गया है, और यदि नहीं, तो क्या इन पदों को भरने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ख) रेलवे के लेखा विभाग में उपरोक्त संवर्गों में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित अनुभाग अधिकारी (लेखा) आई०एस०ए०

(एकाउन्ट्स) और टी०आई०ए० (एकाउन्ट्स) के पद उस हद तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा ही भरे गए हैं जहां तक अर्हत कर्मचारी उपलब्ध हैं। किन्तु अर्हत कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण कुछ आरक्षित पद रिक्त रह गए हैं। इन कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाये जाने के लिए एपेन्डिक्स 3 (आई०आर०ई०एम०) परीक्षा अब प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, अन्य समुदायों के उम्मीदवारों के साथ, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें।

(ख) रेलों के लेखा विभाग के उपर्युक्त ग्रेडों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 4603 है जिनमें से 430 व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

[अनुवाद]

सहकारी समितियों द्वारा आदमियों की सप्लाई

4710. श्री लाला राम केन : क्या रेल मंत्री 15 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3805 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित के संदर्भ में उक्त प्रश्न के उत्तर में इलाहबाद, टुण्डला और मिर्जापुर के सम्बन्ध में दिए गए प्रतिशत का सांख्यिकीय आधार क्या है;

(एक) (i) यातायात में कमी और वृद्धि;

(ii) बढ़े हुए अकालित कार्य के कारण श्रमिकों की संख्या में कमी; और

(दो) पहले के ठेके में यथा-आकलित श्रमिकों की आवश्यकता में कमी के कारण उनकी संख्या में हुई कमी;

(ख) क्या उपर्युक्त आंकड़ों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है ओर उनकी जांच की जाती है; और

(ग) पहले ठेके में इलाहबाद, टुण्डला और मिर्जापुर में कार्यरत सहकारी समितियों से वास्तव में कुल कितने आदमी/श्रमिक सप्लाई करने की अपेक्षा की गई थी तथा 1 अगस्त, 1983 से इलाहबाद और मिर्जापुर स्टेशनों पर तथा 1 दिसम्बर, 1982 से टुण्डला रेलवे स्टेशन पर क्रमशः 34,900/- रुपये, 10,000/- रुपये और 29,400/- रुपये प्रति माह एक मुश्त रकम की दर के एवज में वहां पर इन ठेकों को दुबारा से दिए जाने के पश्चात् उनसे कुल कितने श्रमिक सप्लाई किए जाने की अपेक्षा की जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) करार की शर्तों के अनुसार सहकारी समितियां इस बात के लिए बाध्य हैं कि जब कभी आवश्यकता पड़े तो पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की व्यवस्था करें। समितियों को जारी किए गए आवंटन पत्रों में श्रमिकों की निर्दिष्ट संख्या का कोई उल्लेख नहीं है।

विवरण

इलाहबाद में पार्सल सम्हलायी ठेका

(i) **यातायात में वृद्धि/कमी**

अवधि	प्राप्त पैकेटों की संख्या
अप्रैल, 78 से मार्च, 79	1,07,965
अप्रैल, 79 से मार्च, 80	1,14,210
जनवरी, 81 से दिसम्बर, 81	1,11,759
जनवरी, 82 ने दिसम्बर, 82	1,06,582

निविदा समिति ने यह मूल्यांकन किया था कि भविष्य में यातायात में 15 प्रतिशत की गिरावट होगी।

(ii) **श्रमिक आवश्यकता में वृद्धि/कमी**

इलाहबाद में श्रमिकों के काम की तुलना कानपुर में हुए काम से की गई थी। इलाहबाद में काम प्रतिदिन प्रति श्रमिक 30 पैकेट हुआ था जबकि कानपुर में 75 पैकेट। इस आधार पर समिति ने इलाहबाद में श्रमिक आवश्यकता में 30 प्रतिशत की कमी से अधिक कार्य-निष्पादन आंका था।

(ख) **टूंडला ग्रुप के स्टेशनों पर पार्सल सम्हलाई ठेका (टूंडला जंकशन, शिकोहाबाद जंकशन, इटावा, खुर्जा जंकशन)**

(i) **यातायात में वृद्धि/कमी**

अवधि	सम्हलायी पैकेटों की कुल संख्या
जून, 79 से मई, 80	87,625
जून, 80 से मई, 81	84,940
जून, 81 से मई, 82	93,188
1979-80 से 1981-82 में प्रतिशत वृद्धि	6.28 प्रतिशत

(ii) श्रमिक आवश्यकता में वृद्धि/कमी

पूर्व ठेके में खाते में लिए गए श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या	=	120
ठेकावधि के दौरान वस्तुतः सप्लाई किए गए श्रमिक	=	93
इस प्रकार प्रतिशत कमी बेशी	=	22.50
कानपुर की तुलना में टूंडला में श्रमिकों के कम निष्पादन के कारण निविदा समिति द्वारा आंकी गई प्रतिशत कमी	=	33.33
अतः श्रमिकों में कुल कमी (22.50+33.33)	=	55.83 प्रति०

(ग) मिर्जापुर में पार्सल सम्हलाई ठेका

(i) यातायात में वृद्धि/कमी

अवधि	सम्हलाई पैकेटों की कुल संख्या
अप्रैल, 78 से मार्च, 79	18,474
अप्रैल, 79 से मार्च, 80	17,988
जनवरी, 81 से दिसम्बर, 81	22,357
जनवरी, 82 से दिसम्बर, 82	22,515
1979-80 की तुलना में 1981-82 में प्रतिशत वृद्धि	25 प्रतिशत

निविदा समिति द्वारा यह मूल्यांकन किया गया था कि भविष्य में यातायात में 10 प्रतिशत की गिरावट होगी।

(ii) मिर्जापुर के श्रमिक निष्पादन की तुलना कानपुर से की गई थी। मिर्जापुर में यह 24 पैकेट प्रति श्रमिक प्रतिदिन था, जबकि कानपुर में 75 था। इस आधार पर, निविदा समिति ने मिर्जापुर में श्रमिक आवश्यकता में 30 प्रतिशत की कमी के साथ उच्चतर निष्पादन को आंका है।

निर्माण भवन में खुले में पड़ी औषधियां

4711. श्री जितेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण भवन के सामने गर्मी और बरसात में कई हजार रुपये

की औषधियां खुले में पड़ी हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी क्षमता नष्ट होने और उपयोग के लिए हानिकर हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इन औषधियों को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं; और

(ग) इस हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) परिवार कल्याण का एक डिपो निर्माण भवन में स्थित है जहां सप्लाई करने वाली फर्मों से गर्भ निरोधकों और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त की जाती है। यह सामग्री राज्य सरकारों तथा निरोध का विक्रय करने वाली फर्मों को उपलब्ध की जाती है। साधारणतया भण्डार को बन्द गोदामों में रखा जाता है परन्तु जब एक ही लॉट में इतना अधिक माल प्राप्त हो जाता है जिसे गोदामों में नहीं रखा जा सकता है तब इस माल को बाहर तरपाल से इस तरह ढक कर रखा जाता है ताकि इसकी गुणकारिता नष्ट न हो जाए।

(ख) इन भण्डारों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि जब माल को बाहर रखा जाता है उस समय इसके लिए सभी जरूरी सावधानियाँ बरती जाती हैं। इसीलिए किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराजगंज के लिए रेल लाइन

4712. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में महाराजगंज संसदीय चुनाव क्षेत्र, जो कि नेपाल की सीमा पर है किसी भी तरह किसी भी रेल मार्ग से 30 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के निकट किसी नए रेल मार्ग का निर्माण कराने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी, और इस प्रयोजनार्थ इस क्षेत्र में सर्वेक्षण कराएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में महाराजगंज टाउन सड़क द्वारा कई रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन लगभग 25 किलोमीटर पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा पहले से की गई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए, इस क्षेत्र में सर्वेक्षण/नई रेल लाइन के निर्माण पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता।

छपरा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण

4713. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे में छपरा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग टूटी-फूटी हालत में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के निर्माण की व्यवहार्यता की ओर ध्यान देने का विचार है; और

(ग) क्या इस निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

सहतवार गांव के निकट लेबल क्रासिंग का निर्माण

4714. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी रेलवे के सहतवार रेलवे स्टेशन के निकट निकटवर्ती सहतवार गांव के पास लेबल क्रासिंग के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा क्या उक्त निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) : जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के अनुरोध पर इस समपार की व्यवस्था के लिए आवश्यक नक्शे और अनुमान तैयार कर लिए गए थे और उनकी स्वीकृति तथा नियमों के अनुसार लागत जमा कराने के लिए अप्रैल, 1981 में उनके पास भेज दिया गया था। राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा अभी तक लागत जमा नहीं कराई गई है। लागत के जमा हो जाने के तत्काल बाद रेलवे निर्माण कार्य शुरू करेगी।

[अनुवाद]

सेलम में केन्द्रीय फाटक पर पुल

4715. **श्री पी०आर० कुमार मंगलम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम में केन्द्रीय फाटक पर उपरिपुल बनाने के बारे में सेलम नगरपालिका अथवा तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) सेलम में ऊपरी सडक पुल के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे तथा राज्य सरकार के विचाराधीन है । योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की लागत की स्वीकृति दिए जाने, इसकी प्राथमिकता तथा धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

बरहन से एटा के बीच शाखा रेल लाइन

4716. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रेल मंत्री बरहन से एटा के बीच शाखा रेल लाइन के बारे में 2 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4925 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में बरहन से एटा के बीच शाखा रेल लाइन का उद्घाटन कब किया गया था;

(ख) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी हानि/लाभ हुआ, और

(ग) यदि यह लाइन लगातार घाटे में चल रही है तो सरकार द्वारा इस लाइन को लाभ प्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) बरहन से एटा तक की शाखा लाइन 10.1.1959 को खोली गई थी ।

(ख) इस लाइन पर हुआ वर्ष-वार घाटा नीचे दिया गया है :—

1981-82	65.63 लाख रुपये
1982-83	60.60 लाख रुपये
1983-84	60.58 लाख रुपये

(ग) यद्यपि पिछले दो वर्षों के दौरान इस लाइन को चालू रखने में होने वाले घाटे में गिरावट आई है, तथापि इसे वित्त-क्षम बनाने के लिए बहुत ही कम गुंजाइश है । तथापि, स्थिति में और सुधार लाने के उद्देश्य से, मई, 1984 में इस लाइन के चार फ्लैग स्टेशनों को ठेका-परिचालित हाल्ट स्टेशनों में बदल दिया गया है और टिकट जांच को तेज कर दिया गया है ।

पं० बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मायारक्षी तथा कूची नदियों पर दो पुल बनाने के लिए ऋण सहायता

4717. **श्री जायन अबेदिन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पं० बंगाल सरकार द्वारा मुशिदाबाद जिले में हल्दिया से फरक्का तक प्रस्तावित मुख्य मार्ग पर मायारक्षी तथा कूची नदियों पर दो पुल बनाने से संबंधित योजनाओं तथा आकलन सरकार की मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चूंकि यह योजना अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक महत्व की थी इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने पं० बंगाल सरकार को ऋण देना मंजूर कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं, आकलनों तथा व्यय की मंजूरी देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को मेरिग्राम से तामलुक तक सहायक सड़क पर अजय, कुये और मयुराक्षी नदियों पर तीन पुलों के निर्माण के लिए 297.00 लाख रुपए की ऋण सहायता को अनुमोदित किया है। यह ऋण सहायता आर्थिक महत्व अथवा अन्तर्राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत है। तथापि वर्ष 1984 में राज्य सरकार ने संशोधित प्रस्ताव भेजा जिसमें पहुंच मार्गों सहित कुये और मयुराक्षी-नदियों पर केवल दो पुलों के निर्माण पर इस धन का इस्तेमाल करने की माग थी। उसमें यह शर्त थी कि अजय नदी पर तीसरे पुल का निर्माण राज्य सरकार अपने ही साधनों से करेगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। राज्य सरकार से मांगी गई और सूचना/स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद कुये और मयुराक्षी नदियों पर दो पुलों के निर्माण के लिए अनुमान को संस्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में बरहामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर एक सड़क उपरिपुल का प्रस्ताव

4718. **श्री जैनल अबेदिन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बरहामपुर (मुशिदाबाद) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर एक सड़क उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव आवश्यक अनुमानों सहित प्रस्तुत किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : मंत्रालय को रोड-ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव के साथ-साथ प्राक्कलन भी प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की जा रही है।

महत्वपूर्ण मार्ग कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनाखाली जालंगी मार्ग को चौड़ा और मजबूत करने की योजना

4719. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले में अनेक अति महत्वपूर्ण सीमा चौकियों को जोड़ने वाले चुनाखाली-जालंगी मार्ग को चौड़ा और मजबूत करने की योजना महत्वपूर्ण-मार्ग कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार से मुर्शिदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 में 0 कि० मी० से 48 कि० मी० तक चुनाखाली-जालंगी सड़क को चौड़ा करने तथा पुष्ट करने की स्कीम को 1985-86 में सामरिक सड़क कार्यक्रम के तहत शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) जांच करने के बाद इस स्कीम को सामरिक सड़क कार्यक्रम के तहत शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया है।

बाढ़-पूर्व सूचना

4720. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है केन्द्रीय जल आयोग जल-विज्ञान संबंधी निरीक्षण आंकड़े और बाढ़-पूर्व सूचना एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने में लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जहां तक बाढ़-पूर्व सूचना का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके कार्य-निष्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान इसके पूर्वी प्रभाग का कार्य-निष्पादन क्या रहा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय जल आयोग अन्तर्राज्यीक बाढ़-प्रवण नदियों पर जल-वैज्ञानिक प्रेक्षण आंकड़े तथा बाढ़ पूर्वानुमान के संचयन, विश्लेषण तथा प्रचार में कार्यरत है।

(ख) और (ग) : सम्पूर्ण देश तथा पूर्वी डिवीजन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए बाढ़ पूर्वानुमानों की संख्या निम्नवत् है—

वर्ष	पूर्वानुमानों की संख्या (सम्पूर्ण देश के लिए)	पूर्वी डिवीजन
1982	4356	14
1983	5090	13
1984	5339	4

अमरोली में नया रेलवे स्टेशन

4721. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पालघाट तथा बोइसर (पश्चिमी रेलवे) के बीच अमरोली (पश्चिम रेलवे) में नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पालघाट और बोइसर स्टेशनों के बीच अमरोली में हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की पश्चिम रेलवे द्वारा जांच की गई थी लेकिन वित्तीय दृष्टि से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

बम्बई के उपनगरीय अनुभाग में "मोबाइल बुकिंग" प्रणाली

4722. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई के उपनगरीय अनुभाग में दैनिक यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिए वहां "मोबाइल बुकिंग" प्रणाली पुनः चालू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब तक आरम्भ हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं पायी गयी है। बुकिंग खिड़कियों पर भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त काउन्टर खोलने और/या यथा व्यावहारिक स्वतः मुद्रण टिकट मशीनें लगाकर-वैकल्पिक तरीके अपनाये जा रहे हैं।

शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक वानिकी पाठ्यक्रम

4723. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक वानिकी पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) क्या ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को मार्ग निदेश भेजने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को स्कूलों में लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों को केन्द्र सरकार को क्या सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ) : स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और मुख्य रूप से इसकी देखभाल उन्हीं के द्वारा की जाती है राज्य सरकार और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या, पाठ्यविवरण और पाठ्य-पुस्तकों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार इस बात से सहमत है कि सामाजिक वन विज्ञान एक प्रमुख विषय है जिससे छात्र को पूरी जानकारी होनी चाहिए और स्कूलों में इसकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उपाय किए जा रहे हैं लेकिन पहले से ही भारी पाठ्यचर्या को मद्दे नजर रखते हुए सामाजिक वन विज्ञान से सम्बन्धित एक नया विषय स्कूलों में लागू करना शैक्षिणिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या में दैनिक जीवन में वनों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। वन-विज्ञान के विभिन्न पहलू पर्यावरण शिक्षा का एक अंग हैं, जो आजकल स्कूलों में पढ़ाई जा रही है और सामाजिक विज्ञान, भूगोल, प्राणि विज्ञान आदि जैसे विद्यमान विषयों में शामिल की गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यचर्या अपनाने /अनुकूल बनाने

के लिए राज्य स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को शैक्षणिक सहायता जहां कहीं यह अपेक्षित होगी, प्रदान की जाएगी।

मध्य प्रदेश में हैल्थ गाइड

4724. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अधिक हैल्थ गाइड नियुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत कितने हैल्थ गाइड नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में कितने हैल्थ गाइड नियुक्त करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना शतप्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। स्वास्थ्य गाइड स्वैच्छिक कार्यकर्ता होता है जो लोगों द्वारा चुना जाता है। प्रति हजार ग्रामीण आबादी/प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम स्वास्थ्य गाइड चुना जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक लाख अतिरिक्त ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किए जाने का विचार है। इन स्वास्थ्य गाइडों का चयन करने के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं वैसे, उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.4.1985 तक 36057 स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किया गया और वे मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु सातवीं योजना में परिव्यय

4725. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सातवीं योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा पर अपेक्षाकृत अधिक धनराशि खर्च करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के लिए मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सातवीं योजना में

की गई धनराशि की व्यवस्था इस समय बताना संभव नहीं है। तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में सातवीं योजना में आधुनिकीकरण, अप्रचलन को दूर करने, सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए पोलिटेकनिकों का और अधिक उपयोग करने तथा शिल्प विज्ञानों के नवीन क्षेत्रों के लिए जनशक्ति के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।

कर्नाटक में मंडलीय मुख्यालय पर नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइंसिज की स्थापना की योजना

4626. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे कर्नाटक राज्य के लिए एक ही संस्थान नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरोसाइन्स बंगलौर शहर में स्थित है;

(ख) क्या 19 जिलों से इलाज के लिए बंगलौर आने वाले मरीजों के लिए यह अत्यधिक परेशानी का कारण है; और

(ग) क्या सरकार का मंडल मुख्यालयों में इसी प्रकार के मेंटल हैल्थ इंस्टीट्यूट स्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (ग) : नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइन्सिज बंगलौर एक राष्ट्रीय संस्थान है जो मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सेवा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान करने संबंधी कार्य करता है। यह संस्थान केवल कर्नाटक राज्य के लिए ही नहीं है। यह देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। मंडलीय मुख्यालयों पर ऐसे मानसिक संस्थान स्थापित करने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यों में मुख्यालय और परिसरीय स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार का काम है। नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरोसाइन्सिज आवश्यक तकनीकी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा सलाह प्रदान करेगा।

कर्नाटक में भारत जनसंख्या परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता

4727. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में भारत जनसंख्या परियोजना के लिए अब तक विश्व बैंक ने कितनी सहायता दी है;

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत कितने जिले आते हैं; और

(घ) इस परियोजना की क्या उपलब्धियां है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 31 मार्च, 1985 तक कर्नाटक में भारतीय जनसंख्या परियोजना के लिए 237.27 लाख रुपए का व्यय किया गया।

(ख) और (ग) : छः जिले नामतः बेलगांव, बीजापुर, गुलबर्गा, बिदर, रायचूर और धारवाड़।

(घ) कर्नाटक में भारतीय जनसंख्या परियोजना अप्रैल, 1984 से कार्यान्वित की जा रही है तथा अब तक उप-स्वास्थ्य केन्द्र, सहायक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्टाफ क्वाटरों के भवनों के निर्माण का काम 345 यूनिटों में शुरू किया गया है। बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (महिला) और लेडी हैल्थ विजिटरों के प्रशिक्षण का काम भी शुरू हो गया है।

केसरी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध

4728. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों में केसरी दाल पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में इस दाल पर प्रतिबन्ध न लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केसरी दाल खाने से लकवा हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में भी केसरी दाल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने मौजूदा कृषि परम्पराओं के कारण केसरी दाल की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है।

(ग) लम्बी अवधि तक केसरी दाल के निरन्तर उपयोग से लकवा हो जाता है।

(घ) सम्बन्धित राज्य सरकारों से रोक आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया जा चुका है।

कोरापुट-रायगुडा रेल लाइन का निर्माण

4729. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात खान और कोयला मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से कोरापुट-रायगुडा नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपेक्षित निधि का नियतन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेल मंत्रालय ने इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अपनी क्या प्रतिक्रिया भेजी है; और

(ग) उनके मंत्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने से पहले इस लाइन का निर्माण पूरा कराने के लिए क्या उपाय किए हैं क्योंकि इस लाइन से केवल एल्युमिना की ढुलाई होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) : इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) ने नैल्को के लिए निर्वाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए कोरापुट-रायगुडा लाइन यथाशीघ्र पूरी करने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है।

खान विभाग को सूचित कर दिया है कि इस परियोजना का कोरापुट से मच्छिलीगुडा तक प्रस्तावित लाइन (चरण-I) अक्टूबर, 1985 तक पूरी हो जाने की आशा है। जहां तक रायगुड़ा तक समूची परियोजना का संबंध है, इसकी वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 250 करोड़ रुपए है। अतः इस परियोजना के चरण-II को 4-5 साल में पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 50 से 60 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी। पूरे देश में नयी लाइन परियोजनाओं के लिए कुल वार्षिक आबंटन में से यह परिव्यय किया जाना कठिन है, जब तक कि खान विभाग इस परियोजना के लिए धन का विशिष्ट आबंटन करने के लिए योजना आयोग से अनुरोध न करे।

(ग) रेल मंत्रालय ने सातवीं योजना के दौरान अन्य वरीयता प्राप्त परियोजनाओं के साथ-साथ इस परियोजना को पूरा करने के लिए योजना आयोग से सातवीं योजना में नयी लाइनों के लिए पर्याप्त धन राशि के आबंटन का अनुरोध किया है।

अहमदाबाद डिवीजन बनाया जाना

4730. **श्रीमती रमाबेन पटेल**
रामजी भाई मावणि } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अहमदाबाद डिवीजन का गठन करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) : अहमदाबाद

मंडल का सृजन करना रेल मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु योजना निधियों की कमी के कारण इसका वास्तविक गठन आस्थगित कर दिया गया है :

कुछ समुदायों द्वारा नियोजन का नहीं अपनाया जाना

4731. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1984 से जुलाई, 85 तक किए गए नसबंदी और नसबन्दी आपरेशनों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि एक समुदाय विशेष पर "परिवार नियोजन" अभियान का बहुत कम प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य समुदायों की तुलना में उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) : परिवार नियोजन का अपनाना अनेक बातों पर निर्भर करता है जिनमें समार्जथिक विकास, लोगों की मांग को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास और सेवाओं को कारगर ढंग से प्रदान करना शामिल है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक प्रकार के गर्भ निरोधक तरीके सुलभ कराये जाते हैं और लोग अपनी सुविधानुसार विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। इसलिए यह आशा करना स्वाभाविक है कि जनसंख्या वृद्धि दर एक राज्य से दूसरे राज्य में, राज्य के अन्दर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा विभिन्न समुदाओं के बीच अलग-अलग होगी।

विवरण

जनवरी, 1984 से जून, 1985 की अवधि में राज्यों और केन्द्रशासी प्रदेशों में किए गए पुरुष और महिला नसबंदी आपरेशनों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/एजेंसी	पुरुष नसबन्दी	महिला नसबंदी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	46,536	536,133
2.	असम	99,443	133,342
3.	बिहार	54,874	529,883

1	2	3	4
4.	गुजरात	69,284	334,342
5.	हरियाणा	9,540	126,823
6.	हिमाचल प्रदेश	9,738	35,972
7.	जम्मू और कश्मीर	5,243	42,378
8.	कर्नाटक	9,810	379,464
9.	केरल	18,247	289,098
10.	मध्य प्रदेश	68,134	386,390
11.	महाराष्ट्र	302,434	638,981
12.	मणिपुर	1,870	7,774
13.	मेघालय	44	662
14.	नागालैंड	48	443
15.	उड़ीसा	16,515	199,734
16.	पंजाब	54,626	183,583
17.	राजस्थान	10,979	255,869
18.	सिक्किम	235	751
19.	तमिलनाडु	71,279	698,909
20.	त्रिपुरा	2,629	8,396
21.	उत्तर प्रदेश	16,609	520,452
22.	पश्चिम बंगाल	68,148	395,660
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	303	1,845
24.	अरुणाचल प्रदेश	68	733
25.	चंडीगढ़	1,355	4,658
26.	दादर और नगर हवेली	597	1,636
27.	दिल्ली	5,417	35,951

1	2	3	4
28.	गोआ दमन और द्वीप	39	6,871
29.	लक्षद्वीप	42	11
30.	मिजोरम	47	3,694
31.	पाडिचेरी	115	8,654
32.	रक्षा मंत्रालय	10,862	19,341
33.	रेल मंत्रालय	4,159	28,217
	अखिल भारत	959,269	5,796,650

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

चिकित्सा स्नातकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य बनाने हेतु विनियम

4732. **श्री चिन्ता मणि जेना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा स्नाताकों को मेडिकल डिग्री देने से पहले उनका कुछ निश्चित अवधि के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य करने के लिए विनियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय प्रतिवर्ष कितने छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने हेतु भेजा जा रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि यह योजना पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) इसे पूरे देश में प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभागों में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) : अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 33 के अधीन विनियम के रूप में अनुमोदित स्नातकपूर्व चिकित्सा शिक्षा संबंधी सिफारिशों में आवश्यक प्रावधान मौजूद है । भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिशों के अनुसार एम०बी०बी०एस०

की अन्तिम परीक्षा पास करने वाले प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप के एक अंग के रूप में देहाती क्षेत्रों में छः महीने की अवधि का प्रशिक्षण लेना होता है और उस इन्टर्नशिप प्रशिक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद ही वह उसे एम०बी०बी०एस० की डिग्री प्राप्त करने का पात्र घोषित किया जाता है। अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप को देश के सभी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं में पूरी तरह लागू किया जा रहा है।

सफदरजंग अस्पताल से एक्स-रे फिल्मों की चोरी

4733. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1985 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के एक्स-रे विभाग से भारी संख्या में एक्स-रे फिल्मों की चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चोरियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा शरारतियों पर एक्सरे फिल्मों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या एक्स-रे के बारे में पंजीकरण तथा पूछताछ के लिए एक शेड खड़ा किया गया है परन्तु बैठने तथा पंखे अथवा पीने के पानी का अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ.) क्या सफदरजंग अस्पताल के कुछ बहिरंग रोगी विभागों में जहां रोगियों को पंजीकरण करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है कोई शेड नहीं है; और

(च) यदि हां, तो शेडों की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : जी, हां। एक नया कमरा बनाया गया है जिसमें डबल लांकिग सिस्टम तथा एक एक्सटरा कोलेप्सेबल गेट लगाया गया है ताकि ऐसी चोरियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

(ग) और (घ) : रजिस्ट्रेशन काउन्टर के लिए एक शेड का निर्माण किया गया है। रोगियों को केवल कुछ मिनट ही इन्तजार करना पड़ता है तथा उसके बाद उन्हें एक्स-रे विभाग में ले जाया जाता है जहां बैठने के स्थान तथा पीने के पानी की व्यवस्था है।

(ङ.) और (च) : जिन बाह्य रोगी विभागों में शेड़ नहीं हैं वहां शेड बनाये जा रहे हैं।

डिग्री पाठ्यक्रमों में हिन्दी का पाठ्यक्रम

4734. **श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शरतचन्द्र चटर्जी, मुन्शी प्रेमचन्द तथा अन्य ख्याति लब्ध लेखकों, जिन्होंने सामाजिक ग्रामीण की बुराइयों तथा अस्पृष्टता की बुराइयां दूर करने के लिए अत्यधिक योगदान दिया तथा स्वतन्त्रता संग्राम के लिए हमारे देश के लोगों को प्रेरित किया, की रचनाओं के हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में सस्ते संस्करण प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की रचनाओं का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उनमें से कुछ को मानविकी विषयों में अध्ययन के उच्चतर स्तर पर अनिवार्य बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, साहित्य अकादमी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग प्रसिद्ध लेखकों की महत्वपूर्ण कृतियों को प्रकाशित करता है । ये पुस्तकें सामान्य जनता के उपयोग के लिए सामान्य मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं । मुन्शी प्रेम चन्द की हिन्दी में दो पुस्तकें अब तक प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई हैं । साहित्य अकादमी का मुन्शी प्रेमचन्द के "गोदान" तथा शरत चन्द्र चटर्जी के "श्रीकांत', का अनुवाद करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । विश्वविद्यालयों/कालेजों में पाठ्य पुस्तकें निर्धारित नहीं की जाती हैं ।

स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिक इतिहास का पाठ्यक्रम

4735. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव स्नातकोत्तर अथवा इससे ऊपर मानविकी के विषयों के लिए महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू की "एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रूथ" 'डिस्कवरी आफ इन्डिया" जैसी कुछ चुनी रचनाओं पर एक अनिवार्य प्रश्न-प्रत्र शामिल करने पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जागए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु, जिनमें ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य तथा अध्ययन सामग्री शामिल है । विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती है । तदनुसार

विद्यालय ही उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने के लिए महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के चुनिन्दा लेखों को निर्धारित करते हैं।

गांधी तथा नेहरू अध्ययन को बढ़ावा देने के विचार से, वि० अ० आयोग ने पाठ्यक्रमों तथा अनुसन्धान कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता देने का निर्णय लिया है। आयोग इस समय गांधी विचारधारा तथा मूल्यों, गांधी भवन तथा शान्ति अनुसंधान कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए 9 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दे रहा है। नेहरू अध्ययन के बारे में, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि नेहरू अध्ययन प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के लिए बुनियादी पाठ्यक्रमों का सही भाग हो सकता है अथवा नेहरू अध्ययन पर एक वैकल्पिक प्रश्न-पत्र सम्बन्धित समाज-विज्ञान विषयों में शामिल किया जा सकता है। यह निर्णय विश्वविद्यालयों को विचार के लिए सूचित कर दिया गया है। आयोग ने अनुसंधान के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने के लिए गांधीवाद तथा नेहरू अध्ययन प्रत्येक में 5 अनुसंधान असोसिएटशिप स्थापित किए हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा सिख गुरुओं की वाणी संबंधी पुस्तकें उपलब्ध किया जाना

4736. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नवयुवकों को गुरु नानक और सिख धर्म के अन्य गुरुओं के महान संदेश के सम्बन्ध में ज्ञान प्रदान करने के लिए, सरकार का विचार उन्हें सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कार्यक्रम कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का उद्देश्य अच्छी पठन-सामग्री प्रकाशित करना और उसे उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना है। न्यास ने अभी तक गुरुनानक और सिख धर्म के अन्य गुरुओं के महान संदेशों की निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की हैं—

(1) अमरज्योति (कुछ भारतीय संत)

गुरु नानक के जीवन सहित भारतीय संतों की जीवनी-असमिया, बंगला, अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में।

(2) डा० गोपाल सिंह द्वारा लिखित गुरुनानक की संक्षिप्त जीवनी—असमिया, गुजराती अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, सिंधी, बंगला, मलयालम, उड़िया और तेलुगु में।

(3) डा० गोपाल सिंह द्वारा लिखित गुरु गोबिन्द सिंह की जीवनी—अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी और उर्दू में।

(4) भाई जोध सिंह द्वारा लिखित गुरुनानक वाणी—असमिया, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू और सिंधी में। मलयालम तेलुगु और बंगला अनुवाद मुद्रित/तैयार हो रहे हैं।

(5) श्री के०एस० दुग्गल द्वारा लिखित सिख धर्म में धर्म-निरपेक्ष अवधारणाएं—पंजाबी और अंग्रेजी में। उर्दू और मराठी अनुवाद मुद्रणाधीन है।

(6) गुरु अर्जुन देव की जीवनी तैयार हो रही है।

तटवर्ती नौवहन का विकास

4737. **श्री डी० एन० रेड्डी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटवर्ती नौवहन का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ख) क्या तटवर्ती नौवहन का विकास करने के लिए सातवीं योजना में कोई प्रावधान किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) प्रस्तावित उपायों में से कुछ मुख्य हैं—तटीय परिचालनों का समन्वय, तटीय बेड़े का आधुनिकीकरण, पत्तन सुविधाओं में सुधार, भाड़ा दरों के संशोधन/निर्धारण की कार्य विधि को युक्तिसंगत और सरल बनाना, रियायती पत्तन शुल्क आदि।

(ख) सातवीं योजना के लिए नौवहन विषयक कार्यदल ने परिचालनात्मक टनेज में 0.31 मिलियन जी०आर०टी० (से 0.50 मिलियम जी० आर० टी०) तक वृद्धि का प्रस्ताव किया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पर्यावरणीय विज्ञानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

4848. **श्री के० राममूर्ति :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1982 में गठित विशेषज्ञ समिति की गई इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है कि पर्यावरणीय विज्ञानों के लिए प्रशिक्षित जन बल प्राप्त करने की दृष्टि से पर्यावरणीय विज्ञानों में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जैसे विशेष कार्यक्रम-शुरू किए जाने चाहिएं तथा विश्वविद्यालयों में वर्तमान पाठ्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरणीय विज्ञानों को शुरू किया जाना चाहिए;

(ख) क्या इन सुझावों पर विचार करने तथा अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले पर्यावरणी विज्ञानों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु प्रस्तावित वर्कशाप का आयोजन किया गया है जैसा कि मन्त्रालय की 1984-85 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वनविद्या तथा परिस्थिति-विज्ञान शिक्षा सहित पर्यावरण विज्ञान में कोर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्यदल नियुक्त किया था। इस कार्यदल ने पाठ्यक्रमों के 8 पैकेट तैयार किए जिनकी सितम्बर, 1984 में रूड़की विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यशाला में चर्चा की गई। पर्यावरण विज्ञान की विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल, 1985 में कार्यशाला तथा पाठ्यक्रमों के पैकेटों की सिफारिशों पर विचार किया तथा यह महसूस किया कि प्रशिक्षण संघटक सहित पर्यावरण विज्ञान के कोर पाठ्यक्रम के कार्यदल की रिपोर्ट को मूल दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। समिति ने क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू करने, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए ग्रीष्म/शरद् स्कूल आयोजित करने, पाठ्यचर्या तथा लेकचर और सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण तैयार करने के वास्ते, विशेषज्ञों का पता लगाने के वास्ते कुछ केन्द्रों की पहचान करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर आगे कारंवाई की जा रही है।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा कैंसर के बारे में "इस्काडोर थैरेपी" में अनुसंधान

4739. **श्री सरफराज अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद कैंसर के बारे में "इस्काडोर थैरेपी" में अनुसंधान कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का अनुसंधान कार्य इस समय कहां चल रहा है;

(ग) क्या उन अनुसंधान संस्थानों में यहां पर इस प्रकार का अनुसंधान किया जा रहा है, कैंसर लक्षणों का पता लगाने और इसकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो अनुसंधान कार्य किस प्रकार किया जा रहा है और इसके परिणाम किस प्रकार निकाले जाते हैं; और

(ङ) अब तक कैंसर के कितने रोगी रजिस्टर किए गए हैं और उनके बारे में अध्ययन

किया गया है और "इस्काडोर" खरीदने के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और इसको कहां से खरीदा गया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) क्लीनिकल अनुसंधान यूनिट (होम्यो०), बम्बई और क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्यो०), नई दिल्ली में इस्काडोर थैरापी में अनुसंधान किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : ये अनुसंधान यूनिटें प्रगति को मानिटर कर सकते हैं, लेकिन निदान के लिए अन्य संस्थाओं पर निर्भर करते हैं।

(ङ) अब तक कैंसर के 28 रोगियों को रजिस्टर कर उन पर अध्ययन किया गया है तथा मैसर्स कैंट होम्यो फार्मेसी, नई दिल्ली से इस्काडोर खरीदने के लिए 14,365.70 रुपये खर्च किए गए।

कैंसर के लिए होम्योपैथिक इलाज "इस्काडोर थैरेपी"

4740. **श्री सरफराज अहमद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्काडोर कैंसर होम्योपैथिक इलाज की दवा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके अवयव, इसको तैयार करने की विधि और इसके होम्योपैथिक सम्बन्ध क्या हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख): इस्काडोर एक स्वामित्व वाला योग है जिसका विकास और उत्पादन कैंसर अनुसंधान सोसाइटी, अर्लेशीम, स्विटजरलैंड द्वारा किया गया है। इस सोसायटी द्वारा प्रकाशित किए गए साहित्य के अनुसार इस्काडोर विसकम एलबम (मिसलटो) नामक पूरे पौधे से निकाला गया एक सत्व है। विसकम एलबम से बने इस होम्योपैथिक योग का इस्तेमाल होम्योपैथिक औषध शास्त्र में वर्णित रोग-लक्षण विज्ञान के अनुसार विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है।

केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद द्वारा असाध्य रोगों के लिए "इस्काडोर थैरेपी" के संबंध में अनुसंधान

4741. **श्री सरफराज अहमद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रिय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद् असाध्य रोगों के लिए "इस्काडोर थैरेपी" पर अनुसंधान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य है और "इस्काडोर थैरेपी" के बारे में इस समय परिषद् के अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान किया जा रहा है तथा किस तारीख से ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) कैंसर के इलाज में "इस्काडोर" संबंधी दावे का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। क्लीनिकल अनुसंधान एकक, बम्बई में मार्च, 1985 से तथा क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्यो०) नई दिल्ली में नवम्बर, 1984 से अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

कैंसर के लिए पूर्व अनुमोदन के बिना "इस्काडोर थैरेपी" का पुन: आरम्भ किया जाना

4742. **श्री सरफराज अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् ने कैंसर के लिए "इस्काडोर थैरेपी" में अनुसंधान किया है जिसे वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर वर्ष 1982-83 में बन्द कर दिया गया था; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कैंसर के लिए "इस्काडोर थैरेपी" में अनुसंधान वैज्ञानिक सलाहकार समिति की पूर्व अनुमति लिए बिना जो परिषद् के अनुसंधान केन्द्रों को विषय का आबंटन मंजूर करने का सक्षम निकाय है; 1984 में पुन: आरम्भ कर दिया गया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) वैज्ञानिक सलाहकार समिति की पूर्वअनुमति लेकर ही परिषद् में इस्काडोर थैरेपी पर फिर से अनुसंधान शुरू किया गया था।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा माल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एजेंटों की नियुक्ति

4743. **श्री यशवन्त गजाजन पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम ने माल की उपलब्धता बढ़ाने आदि के लिए एजेंट नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारतीय नौवहन निगम, बम्बई, कलकत्ता और मोम्बासा को छोड़कर सभी पत्तनों पर अपनी

जहाजी सेवाओं के लिए हमेशा एजेंटों के माध्यम से कार्गो प्राप्त करता रहा है। निगम बम्बई-कलकत्ता और मोम्बासा में यह काम अपने विभाग के माध्यम से ही करता है।

(ख) भारतीय नौवहन निगम की अपनी जहाजी सेवाओं के लिए भारत में 12 पत्तनों तथा विदेश में 67 पत्तनों पर कार्गो बुकिंग एजेंट हैं।

स्माल यूनिट डीजल इंजन्स एसोसियेशन द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

4744. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट स्माल यूनिट डीजल इंजन्स एसोसियेशन ने सिंचाई मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है कि लघु एककों के हितों की रक्षा के लिए मौजूदा "क्यू" मार्क प्रणाली जारी रहनी चाहिए;

(ख) आई०एस०आई० और "क्यू" मार्क में क्या अन्तर है;

(ग) क्या यह सच है कि "क्यू" मार्क और आई०एस०आई० इन्जनों में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है;

(घ) क्या यह सच है "क्यू" मार्क इन्जन आई०एस०आई० इंजनों की तुलना में सस्ते हैं; और

(ङ) सरकार "क्यू" मार्क को कुछ समय तक जारी रखने में क्यों संकोच कर रही है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : सूचना एक की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) फिलहाल, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

फरीदाबाद तथा नोएडा के लिए डी० टी० सी० बस सेवा की बारम्बारता को बढ़ाना

4745. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि फरीदाबाद, नौएडा आदि जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम बसों की सेवा अभी भी बहुत अपर्याप्त है तथा यात्रियों को समय पर कार्यालय पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि सुबह 8 और 9.30 बजे के बीच बसों की 5 से 10 मिनट की बारम्बारता की बहुत आवश्यकता है ताकि लोग अपने कार्यालयों में समय से पहुंच सकें; और

(ग) उपरोक्त क्षेत्रों में लोगों की कठिनाई दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : फरीदाबाद और नौएडा के यात्री दिल्ली परिवहन निगम की क्रमशः अन्तर्राज्यीय और नगर सेवाओं का लाभ उठाते हैं। जहां तक फरीदाबाद का सम्बन्ध है, हरियाणा रोडवेज भी दिल्ली तक अपनी बस सेवाएं चलाता है। दिल्ली परिवहन निगम इन स्थानों से नियमित बस सेवायें चलाने के अलावा कार्यालय जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए नौएडा से केन्द्रीय सचिवालय तक प्रात: 8.20 और प्रात: 9.15 पर दो विशेष ट्रिपें चलाता है। दोनों स्थानों से दोनों रूटों पर मौजूदा बस सेवायें यातायात संबंधी मौजूदा जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

ब्यावर स्टेशन पर माल के परिवहन के लिए बुकिंग बन्द होना

4746. **श्री विष्णु मोदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में ब्यावर रेलवे स्टेशन पर बरास्ता आगरा, खंडवा, साबरमती आदि स्टेशनों में माल परिवहन के लिए बुकिंग बन्द है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ब्यावर रेलवे स्टेशन पर खाली माल डिब्बों की उपलब्धता के बावजूद और बुकिंग खुली होने पर भी व्यापारियों को समय पर माल डिब्बे उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्यावर रेलवे स्टेशन पर उपयुक्त रेलवे स्टेशनों पर माल परिवहन के लिए कितने माल डिब्बे बुक किए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं। फिलहाल इन स्टेशनों के मार्ग से कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि माल डिब्बों की निश्चलता से बचने के लिए जब कभी आवश्यक होता है, प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। मुफस्सल गंतव्यों के लिए मांगों की पूर्ति नियमित रूप से की जा रही है और 14.8.85 को ब्यावर में किसी भी प्राथमिकता के अन्तर्गत कोई मांग बकाया नहीं थी।

(ग) इन स्टेशनों के मार्ग से ब्यावर से हुए माल डिब्बों के लदान की वर्षवार स्थिति नीचे दी गयी है—

1983	903 माल डिब्बे
1984	984 माल डिब्बे
1985 (14.8.85 तक)	1501 माल डिब्बे

[अनुवाद]

औषधियों के पैकेज पर औषधि के बारे में जानकारी दिया जाना

4747. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
श्री अजित कुमार साहा
श्री रेणपद दास
डा० बी० विजय रामा राव
श्रीमती जयन्ती पटनायक
श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक औषध कम्पनियों ने अपने द्वारा विपणन की गयी औषधियों के बारे में औषधि के पैकेज पर जानकारी देने की परम्परा समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता को औषधि के बारे में आवश्यक जानकारी देने की परम्परा छोड़ देने के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में ऐसी विशिष्ट व्यवस्था नहीं है कि निर्माता उनके द्वारा बेची जाने वाली दवाइयों के पैकटों में पर्चियां रखें। ऐसी व्यवस्था करने से पूर्व दवा की कीमत निर्धारित करने जैसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है।

दहेज प्रथा समाप्त करने हेतु उपाय करना

4747-क. **श्री राजेश पाइलट** : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हमारे समाज से दहेज प्रथा, जो 1984 में यथा संशोधित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के बावजूद अभी भी अस्तित्व में है, को समाप्त करने हेतु कोई नए उपाय करने पर विचार कर रही है ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : दहेज निषेध अधिनियम, 1961 का 1984 में संशोधन किया गया था जिसमें अपराध को दण्डनीय बनाने, दोनों, जुर्माना और जेल के रूप में दण्ड को बढ़ाने और अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाना शामिल है। संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत नियम विधि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे हैं।

दिल्ली में तोषण निधि से मुआवजा देने के बारे में दिनांक 9-5-85 के अतारांकित प्रश्न सं० 5880 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर दिया गया था। तथापि बाद में दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया कि उनके उत्तर में उल्लिखित दावों की संख्या की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर की गई थी जबकि यह संख्या कलेंडर वर्ष के सम्बन्ध में की जानी थी। इसलिए भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित आंकड़े को संशोधित करने की जरूरत है।

इसलिए भाग (ख) के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित रहेंगे :—

"पिछले दो वर्षों में मुआवजा लेने के लिए दर्ज किए गए दावों की संख्या 126 थी। निन्यानवे मामलों पर निर्णय लिया गया है और इकसठ दावों को मुआवजा दिए जाने योग्य पाया गया जिन्हें मुआवजा दे दिया गया है। शेष 27 दावों के आवेदन पत्रों पर कारंवाई की जा रही है। कुल मिलाकर इन मामलों को जल्द निपटाया जाता है।"

संशोधन करने में विलम्ब के लिए खेद है।

[अनुवाद]

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : असम समझौते की जटिलताओं पर सभा में चर्चा में लिये मैंने एक ध्यानाकर्षण सूचना, एक स्थगन प्रस्ताव और नियम 193 के अधीन सूचना दी थी। 1966 और 1971 के बीच असम में आने वाले अधिकांश व्यक्ति मतदान करने से वंचित रह जायेंगे और उन्हें असम से बाहर निकाल दिया जायेगा। उनका क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसके दोनों पहलू देखने होंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : बंगला देश उन्हें वापिस नहीं लेगा। शरणार्थी के रूप में पश्चिम बंगाल में उनका आगमन होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा तथा निर्णय लूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पिछली बार आपने कहा था कि आप इस विषय पर चर्चा की अनुमति देंगे । हम सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं । **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, हमने ध्यानाकर्षण सूचना दी है । यहां पर लोग देश के पूर्वी भाग की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते । हमारे राज्य में शरणार्थियों की भरमार हो जायेगी । दस लाख से अधिक व्यक्तियों को असम से हटाया जायेगा और वे सभी पश्चिमी बंगाल में आ जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा । मुझे तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेने दीजिए ।

श्री अमल दत्त : यह बहुत ही गंभीर मामला है । **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : लगभग 10 लाख व्यक्ति मताधिकार से वंचित हो जायेंगे । वे कहां जायेंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : लगभग 80 लाख व्यक्ति राज्य विहीन हो जायेंगे और वे सब पश्चिम बंगाल में आयेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी तथ्यों का पता लगाना होगा ।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : अब हमारे पास दोनों तरफ से शरणार्थी आयेंगे बंगला देश से और असम से ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करना होगा ।

श्री अमल दत्त : महोदय, अनेक व्यक्तियों को इस बात की चिंता है कि उनका क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उनकी स्थिति क्या होगी ? हमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए । **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय हमें सूचना मिली है कि सन्त लोंगोवाल की घृणित हत्या की योजना पश्चिमी और पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सियों द्वारा तैयार की गई और

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सैकड़ों प्रशिक्षित कमान्डों को पंजाब और दिल्ली में हत्या तथा तोड़-फोड़ करने के लिये छोड़ दिया है। हमें पता नहीं कि अगला लक्ष्य कौन है ? यह अत्याधिक गम्भीर विषय है। गृह मंत्री इस पर अवश्य वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

कर रहा हूं।

(व्यवधान)

आप दूसरों को क्यों नहीं सुनने देते ......

मैं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : वे लोग असम समझौते का प्रश्न उठा रहे हैं। वे लोग देश में अराजकता चाहते हैं। क्या इसे सभा में उठाया जाना चाहिये ? जब पंजाब में कोई समझौता हो गया है तो वहां शांति होने की भी आशा है। महोदय, असंगत मामले उठा कर वे लोग इसमें व्यवधान डालने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि आप गृह मंत्री को पंजाब में व्याप्त गंभीर स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देने का निदेश दें। हम लोग नहीं जानते की और भी कौन है... (व्यवधान) महोदय, यह व्यवधान डालना है।

श्री वसुदेव आचार्य खड़े हुए (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : अब बाद में पंजाब में जो कुछ हुआ है... (व्यवधान) कृपया गृह मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए निदेश दें। उन्हें सभा को इन सब बातों से अवगत कराना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त खड़े हुए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी बात है कि जिस पर इसके परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा। मुझे कुछ तथ्यों का पता लगाना होगा तथा यदि इस पर चर्चा की जाये अथवा न की जाये तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे और क्या जटिलतायें होंगी। मुझे भारी उत्तरदायित्व उठाना होगा; मैं आप से और मंत्रालय से भी सलाह लूंगा। इसके बाद मैं कोई निर्णय दूंगा। तथ्य क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस अवसर पर इस सभा में उस पर चर्चा करने के क्या परिणाम निकलेंगे—मैं इन सभी बातों पर विचार करूंगा और इसके बाद में अन्तिम निर्णय लूंगा कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिये।

अब प्रो० मधु दंडवते बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं चुप बैठा रहूंगा।

श्री अमल दत्त खड़े हुए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे जो कुछ कहना था, कह चुका हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। यदि आप इस सभा का समय लेना चाहते हैं तो यह आपका सदन है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। यही ठीक है। मैं आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा। मुझे इतना ही कहना है। मैं कह चुका हूं कि मैं देश के हित का ध्यान रखूंगा, मैं यह देखूंगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और इस सभा का हित क्या है और मैं तदनुसार कार्य करूंगा और जो उचित होगा वही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले को आप कितना गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता; इस समय में कुछ नहीं कह सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम लोग आपकी राय जानना चाहते हैं।

श्री अमल दत्त : हम लोग इसके बारे में इसी सत्र में चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह चर्चा करना चाहते हैं लेकिन हो सकता है दूसरे न चाहते हों। इसलिए मुझे यह निर्णय लेना होगा कि मुझे क्या करना होगा।

प्रो० मधु दंडवते खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : विरोधी दलों में बहुत सारे प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन दिया है...

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : किस बात की ?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत एक सूचना दी है...

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने सूचना दी है कि नयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंजाब में चुनाव स्थगित कर दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : **...

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है; वह चर्चा का मुद्दा नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा। यह आपकी राय है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे उठाया जाता है; तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : आपकी क्या राय है, उसे कहने से मैं आपको रोक नही रहा हूं। और भी अन्य राय हो सकती है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरी बात तो सुनिये। मेरा आप से अनुरोध है कि अधिसूचना जारी करने से पूर्व आज का यह दिन अन्तिम दिन है...(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : केवल आतंकवादी चुनाव नहीं चाहते हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : जो लोग चुनाव स्थगित करने की मांग करते हैं; वे सभी आतंकवादी हैं? अनेक लोगों ने तत्काल चुनाव कराने की बुद्धिमानी पर वक्तव्य दिया है। क्या वे सभी आतंकवादी है? (**व्यवधान**)। आप उन्हें आतंकवादी कैसे मान सकते हैं? (**व्यवधान**) महोदय, क्या आप इस बात की अनुमति देंगे कि उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए? (**व्यवधान**)

** कार्यवाही-वृतान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर चुनाव आयोग को वर्तमान स्थिति के अनुरूप निर्णय लेना है। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप कार्यवाही-वृत्तांत देखिए उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति चुनावों को स्थगित कराना चाहता है वह आतंकवादी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं-नहीं, यदि कुछ ऐसा उल्लेख है भी तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किये जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि आतंकवादी ऐसा चाहते हैं इसलिए ऐसा नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने यही कहा था।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप कार्यवाही वृत्तांत देखिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपकी अपनी राय है

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने ऐसा कहने का दुस्साहस किया है यह तो आप मानेंगे ही। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे। आप अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि यदि कुछ ऐसा वक्तव्य दिया जा चुका है तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई समस्या नहीं है। आप मेरी बात सुनिए आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी अपनी राय हो सकती है यह क्या है ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आप चाहते हैं कि चुनाव कराए जाएं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। आप क्या कर रहे हैं ? आप बैठ क्यों नहीं जाते ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अब यह नया आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि चुनावों को स्थगित कराकर आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप बैठते क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : दोहरी नीति ! (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप आपस में बातचीत कर रहे हैं तो करते रहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)**

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मैंने नियम 197 के अन्तर्गत सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय ने वचन दिया था कि मन्त्री महोदय श्रीलंका के मामले के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं समस्या यह है कि कुछ बात-चीत चल रही है।... मैं उनसे अभी बात-चीत कर रहा हूं। यह तमिलों के हित में है और सरकार भी इस सम्बन्ध में क्रियाशील है मैं उनसे निरन्तर संपर्क बनाए हुए हूं इस विषय पर मैं सरकार से भी सम्पर्क रखे हुए हूं मैं आपको सूचित करूंगा और इस सम्बन्ध में जानकारी दूंगा फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली आई०आई०टी० द्वारा इस देश के मेधावी छात्र के कैरियर को समाप्त करने की ओर दिलाना चाहता हूं। इस छात्र श्री पाठक ने आल इण्डिया एग्जामिनेशन में 99.89 प्रतिशत नम्बर प्राप्त किए हैं। आज आई०आई०टी० दिल्ली उसको डिग्री नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी बायोगैस की रिपोर्ट को हिन्दी में दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : यह बड़ा जुल्म है, आप शिक्षा मंत्री जी से कहिये कि इस बात पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : शिक्षा मंत्री यहां बैठे हैं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

हम इस पर विचार करेंगे। मैं इसकी जांच करूंगा। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? किसी भी हालत में किसी विद्यार्थी के साथ ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी को भी ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। मंत्री महोदय, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे?

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : एक तरफ शिक्षा मंत्री रिपोर्ट मांगते हैं, एक तरफ डायरेक्टर लिखकर देता है कि नहीं करेंगे। यह क्या धांधली है, कैसे यह सब चलेगा?

अध्यक्ष महोदय : कोई फिक्र मत करिए।

श्री भागवत झा आजाद : अगर नहीं होगा तो वहां धरना डालेंगे। यह बर्दाश्त के बाहर बात है।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : यह राष्ट्रीय नीति का मामला है। इस संसद ने एक अधिनियम पारित किया है।

अध्यक्ष महोदय : सारे सदन की इसमें रूचि है। हम इसे देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के बच्चे रह गए हैं हिन्दुस्तान में।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसी धांधली नहीं चलेगी।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री ने उन परिस्थितियों के संबंध में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिनमें सन्त लोंगोवाल की हत्या की गई। समाचार पत्रों में इस संबंध में भिन्न-भिन्न समाचार प्रकाशित हुए हैं जिसके कारण सदस्य असंमजस में हैं। गृह मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में सही वक्तव्य का दिया जाना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : बैंकों में डकैतियों के सम्बन्ध में आपने एक रिपोर्ट पढ़ी है। मैंने इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। एक बैंक शामियाने में चलाया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी । यह गलत बात है । मेरा अभिप्राय पंजाब समझौते संबंधी विवरण देने से था । मैं उनसे बात करूंगा ।

श्री अमल दत्त : महोदय कुछ बैंक शामियानों में ही चलाए जा रहे हैं । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपसे एक सामान्य अनुरोध है । जो भी व्यक्ति सरकार से मतभेद रखता है उसे इस सभा में आतंकवादियों का समर्थन न समझा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं, श्री बंसी लाल ।

श्री अमल दत्त : महोदय एक बैंक तो शामियाने में ही कार्य कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे ।

[हिन्दी]

वह तो चलता ही रहता है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री जी सभा में यह बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं । मेरे पास लिखित रूप में यह है । वह पहले ही इसे स्पष्ट कर चुके हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर कोई बात होगी तो देख लेंगे ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसमें परस्पर विरोध है ।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे ।

श्री अमल दत्त : एक बैंक शामियाने में चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ? कौन सा शामियाना ?

श्री अमल दत्त : यहां से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर, राजाजी मार्ग पर एक बैंक शामियाने में चल रहा है, जिसका 6-7 लाख रुपए का कार-बार है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री अमल दत्त : आप ध्यानाकर्षण की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। समय सीमा भी है। अन्यथा हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री बंसी लाल।

12.17 म०प०

[अनुवाद]

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 84 के अंतर्गत अधिसूचना

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 84 के अन्तर्गत जारी किए गए रेल (दुर्घटनाओं की पूर्व-सूचनाएं और जांच) (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 25 मई, 1985 को अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 507 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—1351/85]।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी एक विवरण, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

   (दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

4. उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—1352/85]

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एवं केन्द्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के वार्षिक लेखे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**—1353/85]

(2) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—1354/85]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 के अन्तर्गत सूचना

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1985, जो भारत के राजपत्र में 10 अगस्त, 1985 को अधिसूचना सा०का०नि० 761 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1985, जो भारत के राजपत्र में 1 जून, 1985 को अधिसूचना संख्या का० आ० 2485 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1356/85]

(2) दिल्ली में कपास के कूड़े से होने वाली बीमारी के शिकार हुए कपड़ा मिल श्रमिकों के बारे में श्री सैफुद्दीन चौधरी के अतारांकित प्रश्न सं०3854 के 19 अगस्त, 1985 को दिये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1356/85]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री जियाउर्रमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 629 (अ), जो भारत के राजपत्र में 1 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मरमुगांव पत्तन (घाट संख्या 9 पर यंत्रीकृत अयस्क उठाव-धराव संयंत्र से अयस्क तथा पैलटों का नौवहन और तत्सम्बन्धी मामले) संशोधन विनियम, 1979 में किए गए संशोधनों का अनुमोदन किया गया है :—

(दो) सा०का०नि० 636 (अ), जो भारत के राजपत्र में 6 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (ऋण निधि) (संशोधन) विनिमय, 1985 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1357/85]

(2) (एक) बम्बई गोदी श्रम बोर्ड, बम्बई, के वर्ष 1983-34 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बम्बई गोदी श्रम बोर्ड, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—138/85]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 कक के अंतर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग और कम्पनी कार्य तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (एक) मैं उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) का०आ० 596 (अ), जो भारत के राजपत्र में अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स डा० पाल लोहमान (इण्डिया) लिमिटेड कलकत्ता के प्रबन्धग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का०आ० 597(अ), जो भारत के राजपत्र में 8 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी, तथा जो मैसर्स इन्दौर टैक्सटाइल्स लिमिटेड, उज्जैन के प्रबन्धग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1359/85]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत मैसर्स साइमन्स इण्डिया लिमिटेड, बम्बई, के मामले में (एक प्रोसेज) कान्ट्रोलस एण्ड एक्सेसरीज (दो) एलैक्ट्रिकल्स वाल्वस एण्ड डैम्पर ड्राइवस (इलैक्ट्रिकल्स एक्चुएटस) (तीन) इलैक्ट्रानिक मेज एण्ड कन्वर्टरस (ट्रांसड्यूसर्स) (चार) इन्डिकेटर्स इन्टीग्रेटस एण्ड रिकार्डर्स (पांच) इलैक्ट्रो न्यूमटिक कन्वर्टर्स, पोजीशनर्स तथा उस पर ऐक्सेसरीज संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उक्त अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के 28 मई, 1985 के आदेश तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1360/85]

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला, के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला, के वर्ष 1982-83 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए, विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1361/85]

एयर इण्डिया कर्मचारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1984

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री अशोक गहलोत की ओर से, मैं वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एयर इण्डिया कर्मचारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 10 नवम्बर, 1984 को अधिसूचना संख्या एच० क्यू०/63-2(क) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्सम्बन्धी एक शुद्धि-पत्र, जो भारत के राजपत्र में 9 मार्च, 1985 को प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—1362/85]

लोक सभा में मन्त्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओ पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 22—आठवां सत्र, 1982 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1363/85] (दो) विवरण संख्या II—तेरहवां सत्र, 1983 [ग्रन्थालय म रखा। देखिए संख्या एल० टी०—1364/85] (तीन) विवरण संख्या 10—चौदहवां सत्र, 1984 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1365/85] (चार) विवरण संख्या 6—पन्द्रहवां सत्र, 1984 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी०—1366/85]	सातवीं लोक सभा
(पांच) विवरण संख्या 5—पहला सत्र, 1985 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—13671/85] (छह) विवरण संख्या 3—दूसरा सत्र, 1985 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1368/85]	आठवीं लोक सभा

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा-शर्तें), नियम, 1985; संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत अधिसूचना; अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना और नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन आदि

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री के० पी० सिंह देव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा-शर्तें), नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र में 10 अगस्त, 1985 को अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 644(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1368/85]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1985, जो भारत के राजपत्र में 18 मई, 1985 को अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 479 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1985 जो भारत के राजपत्र में 1 जून, 1985 को अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 512 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1370/85]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 646 (अ) जो भारत के राजपत्र में 12 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी, जिसमें 29 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 327(अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम 1985, जो भारत के राजपत्र में 3 अगस्त, 1985 को अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 708 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1985 जो भारत के राजपत्र में 3 अगस्त, 1985 को अधिसूचना संख्या 709 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (काडर) संशोधन नियम, 1985 जो भारत के राजपत्र में 10 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 747 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1371/85]

(4) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1372/85]

नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो-साइन्सेज, बंगलौर के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन; और पाश्चर इन्स्टीच्यूट आफ इण्डिया, कुन्नूर के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो-साइन्सेज, बंगलौर के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो-साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1373/85]

(3) (एक) पाश्चर इंस्टीच्यूट आफ इण्डिया, कुन्नूर के वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पाश्चर इंस्टीच्यूट आफ इण्डिया, कुन्नूर के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(तीन) पाश्चर इंस्टीच्यूट आफ इण्डिया, कुन्नूर के वर्ष 1978-79 और 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1374/85]

———

12.20 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) 'मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज, 19 अगस्त, 1985 को हुई अपनी बैठक में मानसिक स्वास्थ्य विधेयक 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि राज्य सभा ने 19 अगस्त, 1985 को अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि मानसिक स्वास्थ्य विधेयक 1931 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि को राज्य सभा के एक सौ छत्तीसवें सत्र के अन्तिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया जाये"।'

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है।

"कि राज्य सभा 20 अगस्त, 1985 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 14 अगस्त, 1985 को पारित भारतीय (रेल) संशोधन विधेयक, 1985 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक-सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 20 अगस्त, 1985 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 अगस्त को पारित आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

12.21 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बिदुराई (धर्मपुरी) : मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) रक्षा मन्त्रालय—तटरक्षक संगठन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 71वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 11वां प्रतिवेदन।

(2) रेल मन्त्रालय—रेलों द्वारा कोयला की ढुलाई के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 78वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 12वां प्रतिवेदन।

रेल अभिसमय समिति

प्रथम प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुभाष यादव (खारगोन) : मैं "रेलों के प्रचालन की लागत (कर्मचारी तथा ईंधन लागत)" के संबंध में रेल अभिसमय समिति (1980) के 9वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों

पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी रेल अभिसमय समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरों संबंधी निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) जुलाई, 1985 के दौरान समिति के बम्बई, औरंगाबाद और हैदराबाद के दौरे के संबंध में समिति के अध्ययन दल-1 के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(दो) जुलाई, 1985 के दौरान समिति के बंगलौर, कोचीन और मद्रास के दौरे के संबंध में समिति के अध्ययन दल-2 के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

पंजाब की समस्याओं के सम्बन्ध में एक आयोग गठित करने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : महोदय, पंजाब के मसलों के सम्बन्ध में 24 जुलाई, 1985 के समझौते के ज्ञापन के पैरा 7.2 जिस पर भारत के प्रधान मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, के अनुसार पंजाब के हिन्दी भाषी विशिष्ट क्षेत्र, जो चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जाने चाहिएं, तय करने के लिए एक आयोग गठित करना अपेक्षित है इस उपबन्ध के अनुसरण में भारत सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया है जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के०के० मैथ्यू हैं । आयोग ऐसे निर्धारण के लिए यूनिट के रूप में गांव के साथ सामीप्य और भाषाई सजातीयता के सिद्धांतों को अपनायेगा और ऐसे अन्य तथ्यों पर भी विचार कर सकता है जिन्हें वह संगत अथवा उचित समझे । आयोग को अपनी सिफारिशें भारत सरकार को अधिक से अधिक 31 अक्तूबर, 1985 तक देनी होंगी । आयोग के गठन के संबंध में संकल्प 20 अगस्त, 1985 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है ।

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल की हत्या और जालन्धर में गोली मारे जाने की घटना के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं, शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल की मृत्यु की अत्यन्त दुखद एवं गम्भीर घटना और जालन्धर में हुई गोलीबारी की घटना जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस (आई) के एक नेता श्री डी० डी० खुल्लर की मृत्यु हुई के संबंध में एक वक्तव्य दे रहा हूं।

20 अगस्त, 1985 को जिला संगरूर के शेरपुर गांव में गुरुद्वारा अकाल प्रकाश में स्त्री अकाली दल का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें लगभग 5000 व्यक्ति एकत्र हुए थे। संत जी ने अभी अपना भाषण समाप्त किया था और सरोपा प्राप्त कर रहे थे कि शाम लगभग 5.40 बजे संत जी पर गोली चलायी गयी। संत जी के अंग रक्षक ने हमलावरों पर गोली चलायी, जिसके परिणामस्वरूप एक हमलावर जख्मी हो गया। जख्मी व्यक्ति और दूसरे हमलावर को पकड़ लिया गया। तीसरा व्यक्ति भागने में सफल हो गया।

हत्यारों से पांच खाली कारतूसों और एक भरी हुआ कारतूस सहित दो .455 रिवाल्वर बरामद किए गए।

घटना के तुरन्त बाद, एक पुलिस उप-अधीक्षक जो संत लोंगोवाल की सुरक्षा के प्रभारी थे, संत जी को तुरन्त संगरूर सिविल अस्पताल में ले गए लेकिन तत्काल चिकित्सा उपचार किए जाने के बावजूद संत जी का घायल होने के कारण देहान्त हो गया। गुरुद्वारे के अहाते में गोलीबारी के कारण एक अन्य व्यक्ति मारा गया और कुछ अन्य जख्मी हो गए।

राज्य सरकार ने, संत लोंगोवाल के निवास स्थान पर, उनकी सड़क यात्रा के दौरान और सभा इत्यादि के ज्ञात स्थानों पर उनकी सुरक्षा के लिए प्रबन्ध किए थे। गुरुद्वारे के अन्दर संत जी के साथ सादे वस्त्रों में एक सुरक्षा दल मौजूद था। इसके अतिरिक्त, कमान्डो के एक दल के साथ एक पुलिस अधीक्षक, संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल के पहुंचने से पहले गुरुद्वारे में तैनात किया गया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी प्रबन्धों के बावजूद यह कायरतापूर्ण घटना हो गयी।

मुझे दुख के साथ 20 अगस्त, 1985 को जालन्धर में गोली चलने की घटना के बारे में सूचित करना पड़ रहा है। तीन अज्ञात व्यक्ति श्री गुरदयाल सैनी, भूतपूर्व विधायक के निवास स्थान पर एक कार में आए। उन्होंने घर के बाहर कार खड़ी की। उनमें से दो घर में गये तथा श्री गुरदयाल सैनी, कांग्रेस (आई) के नेता श्री डी० डी० खुल्लर और अन्य व्यक्तियों पर गोलियां दागी। अपराध करने के बाद आक्रमणकारी भागने में सफल हो गए। श्री सैनी तथा श्री

खुल्लर जो बुरी तरह जख्मी हुए थे, को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया। श्री खुल्लर की बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गयी, श्री सैनी खतरे से बाहर बताये जाते हैं। अन्य व्यक्ति जो इस घटना में घायल हो गया था, वह भी खतरे से बाहर है। अपराध में प्रयोग की गयी कार शहर में छोड़ी हुई पायी गयी। इस घटना के सम्बन्ध में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। श्री सैनी तथा श्री खुल्लर दोनों को पुलिस के गन-मैन दिए गए थे परन्तु घटना के समय गन-मैन उपस्थित नहीं थे। उनकी लापरवाही के कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। इस अपराध में प्रयोग की गयी कार की तलाशी लेने पर, ·455 बोर रिवाल्वर के 4 सक्रिय कारतूस बरामद किए गए हैं।

राज्य सरकार ने राज्य के सम्बन्धित प्राधिकारियों को सतर्क रहने तथा इन दो घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त अपराधियों को पकड़ने तथा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रति सचेत कर दिया है।

संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने पंजाब समस्या का समाधान खोजने में राजनीतिज्ञता और अत्यधिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने शांति और साम्प्रदायिक सौहार्दता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। मुझे उम्मीद है कि उनको मारने वाली बन्दूक की गोलियां उस उद्देश्य को, जिसे उन्होंने निर्भीकता से अपनाया, खत्म नहीं कर सकेंगी। मुझे विश्वास है, कि इस राष्ट्रीय दुखद घटना पर करोड़ों देशवासियों के साथ इस सदन के सदस्य भी गहन शोक प्रकट करेंगे।

असम-नागालैण्ड सीमा पर हुई मुठभेड़ों की घटनाओं की जांच के लिए आयोग गठित करने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : सदन को जून, 1985 में असम नागालैण्ड सीमा पर मेरापानी में असम तथा नागालैंड पुलिस के बीच हुई सशस्त्र मुठभेड़ों के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिनांक 23 जुलाई, 1985 को दिए गए गृहमंत्री के वक्तव्य की याद होगी कि यह फैसला किया गया था कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक जांच आयोग नियुक्त किया जायेगा जो इन मुठभेड़ों से सम्बन्धित तथ्यों की गहराई से जांच करेगा तथा दोनों राज्यों के अधिकारियों के आचार की तहकीकात करेगा तथा जिम्मेवारी निर्धारित करेगा। इस संदर्भ में, मैं सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सरकार ने निर्णय किया है कि जांच आयोग की अध्यक्षता भारत सरकार के सेवा-निवृत्त सचिव श्री बी० सी० माथुर करेंगे।

जांच आयोग निम्नलिखित मामलों के बारे में जांच करेगा :

(i) असम-नागालैण्ड सीमा पर मेरा पानी क्षेत्र में घटित घटनाएं तथा उक्त संघर्ष के बारे में सभी तथ्य;

(ii) क्या संघर्ष तथा उसके परिणामस्वरूप जनहानि तथा सम्पत्ति के नुकसान को रोका जा सकता था;

(iii) सशस्त्र पुलिस बलों तथा नागालैंड के विलेज गार्डों की [illegible] तथा तैनातगी में दोनों राज्यों के प्राधिकारियों की भूमिका;

(iv) क्या दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा समान बलों की ओर से कोई चूक अथवा कर्त्तव्य अवहेलना हुई; और

(v) दोनों राज्यों की पुलिस व्यवस्था में खामियां तथा उन्हें दूर करने के लिए सुझाव।

आयोग ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि के उपायों की सिफारिश भी कर सकता है तथा इस सन्दर्भ में ऐसी अन्य सिफारिशें कर सकता है तथा अन्तरिम रिपोर्ट जैसा यह उचित समझे दे सकता है।

जांच आयोग को छः मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस बारे में, अधिसूचना सरकारी राजपत्र में कल प्रकाशित कर दी गई है।

12.25 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विधेयक

*(1) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी० अन्जैया : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 22.8.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

*(2) न्यायाधीश (संरक्षण) विधेयक

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायाधीशों और न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि न्यायाधीशों और न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए और उसे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं इस विधेयक अर्थात् न्यायाधीश (संरक्षण) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं। इस बात में मैं किसी से • पीछे नहीं हूं कि न्यायाधीशों को समुचित संरक्षण प्रदान किया जाए और न्यायिक कार्य करने के दौरान उन्हें आवश्यक उन्मुक्तियां भी प्रदान की जायें। बहरहाल यहां हमारा सम्बन्ध केवल विधेयक के उपबन्धों से है और मुझे केवल तीन बातें कहनी हैं।

सर्वप्रथम विधेयक हमारे संविधान के अनुच्छेद 235 का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार न्यायिक सेवा के व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति एकमात्र रूप में न्यायालयों से निहित है। लेकिन इस विधेयक के खण्ड 3, उप खण्ड (2) के अनुसार सरकार ने किसी न्यायाधीश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की शक्ति स्वयं अपने पास रखी है। आप स्थिति की गम्भीरता को समझ सकते हैं। मेरा निवेदन है कि पश्चिम बंगाल बनाम वी० नृपेन्द्र, 1966, आई०एस०सी०आर० 771, में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारत सरकार को किसी न्यायाधीश के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी तरह जी० एस० नागमती बनाम मैसूर, 1970 ए० मैसूर, 309 में यह निर्णय दिया गया था कि उच्च न्यायालय न्यायिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच करने में सक्षम है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब 1974, ए०एस०सी० 2192 मुकदमे में उच्च न्यायालय ने सरकार को जांच के लिए आसूचना निदेशक की नियुक्ति करने के लिए कहा था। उक्त मुकदमे में मुख्य न्यायाधीश ने जो विचार व्यक्त किया था उसमें से उद्धृत कर रहा हूं।

"यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि उच्च न्यायालय ने, जो कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, सरकार से सर्तकता विभाग के माध्यम से जांच कराने के लिए कहा...उच्च न्यायालय अपना नियंत्रण बनाए रखने के कार्य के निर्वहन में असफल रहा है।"

*दिनांक 22.9.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

अतः मेरा यह निवेदन है। जहां तक न्यायाधीशों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की शक्ति सरकार के पास रखने से सम्बन्धित खण्ड 3, उप खण्ड (2) का सम्बन्ध है, यह खण्ड संविधान के अनुच्छेद 235, 236 और 237 का उल्लंघन करता है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के सरकार के अधिकार से सम्बन्धित विधेयक का खण्ड 3(2) हमारी न्यायिक प्रणाली की स्वतन्त्रता को समाप्त करता है। मेरे विचार में वह अधीनस्थ न्यायालयों की बात करती हो, मजिस्ट्रेट, आदि की बात करती हो। लेकिन मैं यह बात जरूर कहूंगा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी—चाहे उसका दर्जा कितना भी ऊंचा या नीचा क्यों न हो—के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या जांच करने की शक्ति अपने पास रखने का सरकार का यह रवैया हमारे संविधान की भावना के प्रतिकूल है। अतः यह खण्ड 3 उपखण्ड (2) अनुच्छेद 237 की भावना के विरुद्ध है। अनुच्छेद 237 के अनुसार किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी जो संविधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं; के सम्बन्ध में भी राज्यपाल अधिसूचना जारी करके संविधान के इस उपबन्ध को लागू कर सकता है। महोदय, हमारे संविधान की भावना यह है कि अगर किसी न्यायिक अधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत संरक्षण नहीं मिलता है तो सरकार अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत उसे संरक्षण दिलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 237 के अधीन अधिसूचना जारी करेगी अर्थात् उन्हें न्यायालय के अनुशासनात्मक नियंत्रण में लाया जा रहा है। तो महोदय, हमारे समक्ष यह विधेयक है जो संविधान की विचारणा और भावना से बिल्कुल अलग है। और यह वास्तव में न्यायपालिका या निचले दर्जे के न्यायिक अधिकारी की स्वतन्त्रता को कम करता है। मैं जरूर कहूंगा कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को कम करने का कोई भी प्रयास संविधान के साथ विश्वासघात और धोखा है।

मेरा तीसरा निवेदन यह है। अपने देश के न्यायालयों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए मेरा निवेदन है कि अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले न्यायाधीशों को संरक्षण प्रदान करते समय यह बात याद रखनी चाहिए कि न्यायाधीशों को जहां कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं वहां उनके कुछ प्रतिबन्ध भी हों। अतः संरक्षण और प्रतिबन्ध के बीच एक विवेक सम्मत संतुलन भी बनाना होगा ताकि ये सुविधाएं कहीं अधिकार न बन जायें। महोदय, अनियंत्रित उन्मुक्ति न्यायपालिका के लिए निरंकुशता मार्ग प्रशस्त करती है।

यहां मैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में मोहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानो बेगम ए० आई० आर० 1985, एस० सी० 945 मुकदमें में दिए गए निर्णय का उल्लेख करूंगा। यह निर्णय धर्म पर विशेषकर इस्लाम धर्म पर प्रहार है।

उपाध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इन सब बातों की चर्चा यहां न करें......

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, न्यायपालिका पर लगे हर नियंत्रण को हटा दिया गया था। इसीलिए यह जरूरी है कि सुविधायें देने के साथ-साथ आवश्यक प्रतिबंधों को भी बनाए

[श्री जी०एम० बनातवाला]

रखा जाए। अत: विभिन्न अधिनियमों तथा उपबन्धों के रूप में वर्तमान कानून स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है। अत: इस तरह के विधेयक की कतई जरूरत नहीं है।

इसीलिए मैंने तीन निवेदन किए : पहला यह है कि यह विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है, दूसरे, यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और तीसरे, संतुलन की दृष्टि से सुविधाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापिस ले लें या सदन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम होने से बचाने के लिए आगे आएं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, माननीय सदस्य ने जो तर्क दिए हैं वे स्वत: परस्पर विरोधी हैं संभवत: वह भारत की न्यायिक व्यवस्था की सराहना नहीं करते। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासन-व्यवस्था पूर्णत: स्वायत्तशासी है और सरकार सर्वोच्च न्यायालय के मामले में और उच्च न्यायालय के मामले में जरा भी हस्तक्षेप नहीं करती। मुन्सिफ/मजिस्ट्रेट के रैंक तक की न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से सरकार के नियंत्रणाधीन है। सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। अब आप यदि इस प्रस्तावित विधेयक में दी गई न्यायाधीश की परिभाषा पढ़ें तो इसे पढ़कर कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले कुछ लोगों को उलझन होगी क्योंकि इसमें दी गई न्यायाधीश की परिभाषा में कुछ ऐसे कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें किन्हीं विशेष मामलों के बारे में एक निश्चित मत देना होता है और ऐसे व्यक्तियों के लिए इस उपबन्ध को बनाए रखा गया है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए कोई भी इतना चिंतित नहीं होगा जितनी कि सरकार चिंतित है। इसीलिए कभी-कभी जब हम श्री बनातवाला से न्यायपालिका की आलोचना करते सुनते हैं तो हमारे लिए इस मामले में उनका बचाव करना तक मुश्किल हो जाता है।

जहां तक न्यायाधीशों के संरक्षण का सम्बन्ध है, इस विधेयक द्वारा न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम में पहले दिए उपबन्धों में एक साधारण संशोधन किया जा रहा है अर्थात् पहले उन्हें फौजदारी मामलों में ही संरक्षण प्रदान किया जाता था किन्तु अब दीवानी मामलों में भी हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। आप एक न्यायाधीश से उसके ही किसी सहयोगी की गोपनीय रिपोर्ट लिखने की आशा कैसे कर सकते हैं अगर आप उसे अदालत में घसीट ले जाते हैं और मुकदमेबाजी में फंसा देते है? आप किसी एक न्यायाधीश को न्यायाधीशों के मामले में राय देने के लिए कैसे कह सकते हैं अगर आप उसे मुकदमेबाजी, आदि में फंसा देते हैं? केवल न्याय प्रदान करने की सुविधा के लिए ही सरकार इस प्रस्तावित संशोधन को ला रही है।

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, सदन की यह परम्परा रही है कि जब किसी विधेयक को पुर:स्थापित किया जाता है तो उसका विरोध नहीं किया जाता। लेकिन मेरे विचार में परम्परा को बनाए रखने की बजाय उसका विरोध करनें की उन्हें अधिक चिन्ता है। (व्यवधान)

अगर वह शाह बानो के मामले पर चर्चा करना चाहते हैं तो अन्य रूप में एक प्रस्ताव के रूप में इस पर चर्चा की जा सकती है। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना विरोध वापिस ले लें और मुझे विधेयक पुरःस्थापित करने का अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यायाधीशों और न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.37 म० प०

*(3) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

(4) रेल संरक्षण बल संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 22.8.85 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने के समय ही इसका विरोध करता हूं। मैं नहीं जानता कि मंत्री जी ने इस विधेयक के सभी पहलुओं तथा इसके प्रभावों पर भलीभांति पूर्वक विचार किया है। मैं मंत्री जी को अच्छी तरह जानता हूं। सामान्यत: उनका स्वभाव दफ्तर शाही जैसा नहीं है परन्तु कभी-कभी मंत्री जी दफ्तरशाही औपचारिकताओं में फंस जाते हैं। वह जीवन और विभिन्न संगठनों की बदलती हुई धारणाओं के अनुरूप चलने से इन्कार करते हैं। मेरे विचार में यह विधेयक इसी प्रकार का है।

महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि जहां तक रेलवे सुरक्षा बल का संबंध है, रेलवे सुरक्षाबल को अधिक अधिकार दिये जाने की आवश्यता है। उदाहरण के लिए रेलवे सुरक्षा बल प्रस्थापनाओं की सुरक्षा में लगा हुआ है। कभी-कभी जब उन्हें गोली चलाने की आवश्यता होती है और अपराधी शरारत करने का प्रयास कर रहा होता है तो उन्हें ये अधिकार नहीं दिए जाते क्योंकि जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति का सम्बन्ध है, यह गृह विभागों के अधीन है। इसके अतिरिक्त उनके पास वे अधिकार नहीं हैं जो सशस्त्र सेनाओं के पास हैं। इसके परिणामस्वरूप वे रेल कर्मचारियों और अन्य श्रेणियों के बीच कहीं आते हैं और इस कारण उन्हें कभी-कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है।

परन्तु रेलवे सुरक्षा बल की विशिष्टता रेलवे के एक संगठन के रूप में बनाए रखने के लिए—मैं इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट हूं। रेलवे सुरक्षा बल की विशिष्टता रेल कर्मचारियों के रूप रेलवे के एक संगठन के रूप में अवश्य बनी रहनी चाहिए और रेलवे संगठन की परिधि में उन्हें अधिक अधिकार कानून और व्यवस्था की अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, ताकि वे अपना कर्तव्य भली-भांति निभा सकें। महोदय, जिस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जा रही है, उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में उन्होंने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से एक रेलवे सुरक्षा बल को संघ का सशस्त्र बल घोषित करना है और परिणामस्वरूप परिवर्तन करने हैं। महोदय, क्या-क्या परिवर्तन किए जायेंगे ?

हममें से कुछ लोग सत्ता में और सत्ता से बाहर रहकर रेलवे सुरक्षा बल को केन्द्र के एक नियमित सशस्त्र बल के रूप में परिवर्तित करने का विरोध करते रहे हैं और उसका कारण यही था कि बल के कर्मचारी रेल कर्मचारी नहीं रहेंगे। वे एक संगठन के नाते अपने कुछ अधिकार खो बैठेंगे। वे सशस्त्र सेनाओं के कुछ नियमों और विनियमों के अधीन आ जायेंगे यद्यपि वे सौ प्रतिशत सशस्त्र सेना का काम नहीं करेंगे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें जो सुविधा प्राप्त है वह खतम हो जाएगी।

वर्तमान रूप में भी रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को बोनस और अन्य लाभों के मामले

में रेल कर्मचारी के समान नहीं समझा जाता। मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्रालय ने इस समस्या पर रेलवे सुरक्षा बल के साथ चर्चा की और वे कोई रास्ता निकालने में सफल हो गए हैं जिससे रेलवे सुरक्षा बल को कुछ अनुग्रह-राशि और कुछ अन्य लाभ मिलेंगे। इससे बोनस न मिलने से उन्हें जो नुकसान होगा उसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी।

महोदय, ऐसे बहुत से अन्य पहलू हैं, बहुत से अधिकार हैं, बहुत से कानून हैं जिनके अन्तर्गत उन्हें अपने विवादों के संबंध में कार्यवाही करनी पड़ती है। अब उन्हें वह सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को जो सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हैं, वे इसके परिणामस्वरूप खोने पड़ेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं।.

उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 3 के भाग (ग) में यह उल्लिखित है :

"संगम बनाने के अधिकार पर उन्हीं समान आधारों पर निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव है जो संघ के अन्य सशस्त्र बलों में अधिरोपित किए जाते हैं।"

महोदय, मैं उनमें से नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि जहां तक थल-सेना, नौ-सेना और वायु-सेना का सम्बन्ध है, उन्हें मजदूर संघों के समान न समझा जाए, उन्हें औद्योगिक श्रमिकों के समान न समझा जाए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनसे अधिक सुरक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, उन पर अधिक प्रतिबन्ध आवश्यक हैं क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा उनके हाथों में है। परन्तु जहां तक रेलवे सुरक्षा बल का सम्बन्ध है, आप जैसे ही उन्हें सौ प्रतिशत सशस्त्र सेना के समकक्ष करेंगे वैसे ही संगठनात्मक अधिकारों के रूप में प्राप्त उनकी बहुत-सी स्वतंत्रताएं और बहुत से अधिकार समाप्त हो जायेंगे। महोदय, रेलवे सुरक्षण बल के लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वे अपने कल्याण के बारे में तथा अपनी समस्याओं पर यहां तक कि लाभों और सुविधाओं सम्बन्धी समस्याओं पर भी विचार कर सकें, कोई न कोई रास्ता निकाला गया है। शुरूआत जोनल स्तर पर की गई है। उन्हें एक प्रकार के कल्याण संगम बनाने की अनुमति दी गई है जिससे वे रेल प्राधिकारी उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। वह स्थिति नहीं आई है जिसमें किसी संगठन को बोर्ड स्तर पर अर्थात केन्द्रीय स्तर पर कुछ लाभ दिए जा सकें। परन्तु प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बजाए नए रेल मन्त्री पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनमें से हूं जो यह सोचते हैं कि चूंकि जोनल स्तर पर प्रयोग सफल रहा है, इसलिए बोर्ड स्तर पर अर्थात् केन्द्रीय स्तर पर भी आरम्भ किया जा सकता है और उन्हें कतिपय प्रतिबन्धों के साथ कुछ स्वतन्त्रता यह सुनिश्चित करने के लिए दी जानी चाहिए कि उन्होंने जो संगम बनाए हैं वे मजदूर संघों का रूप न ले लें। परन्तु उनकी कठिनाइयों और समस्याओं से जुड़े विभिन्न मसलों को हल करने के लिए इन्हें केन्द्रीय स्तर पर भी स्थापित किया जा सकता है।

इसलिए एक कदम आगे जाने की बजाए वे एक कदम पीछे गए हैं जिसके परिणामस्वरूप ये परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब प्रत्यक्ष परिणाम क्या होंगे ? मैं आपका ध्यान धारा 19 की ओर आकर्षित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए। यह अभी पुरःस्थापना का चरण है।

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ सेकेण्ड, महोदय। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि वह पुरःस्थापना के समय ही सोच-विचार कर चलेंगे तो उन्हें विचार करने के चरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

महोदय, धारा 19 को देखिए। मैं चाहता हूं कि जन आन्दोलनों और विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों के श्रमिक वर्ग के आन्दोलनों से संबंधित इस सभा के सदस्य इस बात को महसूस करें। मूल धारा 19 गलत थी इसीलिए इसमें थोड़ा-सा संशोधन करना पड़ा था। परन्तु इसे सही दिशा में संशोधित करने की बजाए हमारे रेल मन्त्री ने इसे पीछे ले जाने वाली दिशा में संशोधन किया है उन्हें विपरीत दिशा में जाना अच्छा लगता है। इस सभा के सभी सदस्य मुझे सुनें। नयी संशोधित धारा इस प्रकार है :

> "मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, या कारखाना अधिनियम, 1948 की कोई बात बल के सदस्यों को लागू नहीं होगी।"

मूल यह था।

> "अथवा औद्योगिक विवाद की जांच और समझौते से संबंधित किसी राज्य में लागू अन्य कोई ऐसी ही विधि बल के सदस्यों पर भी लागू होगी।"

पहले जो रेल सुरक्षा बल था वह अब एक सशस्त्र बल बन गया है। अब उनका अपनी मजदूरी और अन्य लाभों के लिए बातचीत करने का अधिकार खतम हो जाएगा और यदि राज्य स्तर पर समझौते सम्बन्धी कुछ कानून हैं तो वे कानून भी लागू नहीं होंगे। इस प्रकार पुरानी धारा 19 को खतम करने की बजाए उन्होंने धारा 19 को और कड़ा बना दिया है। मुझे विश्वास है कि जो लोग प्रशासन में हैं और रेल कर्मचारियों से सख्ती से निपटना चाहते हैं और इसे कड़ा अनुशासन कहते हैं उन्होंने ही संभवतः यह सिफारिश की है कि ये संशोधन किए जाएं। इसके परिणामस्वरूप इस विधेयक के प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण अर्थात रेल सुरक्षा बल को संघ की सशस्त्र सेना के स्तर तक लाने का कदम प्रगतिवादी कदम नहीं है। और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन दफ्तरशाहों की उन बातों में न आएं, जो बदलते हुए आधुनिक समय के अनुरूप नहीं हैं। उन्हें इस पर विचार करने दीजिए और पुरःस्थापना के चरण पर ही उन्हें विधेयक वापस लेने दीजिए। इस सबके बावजूद यदि वह विधेयक पुरःस्थापित करते हैं और सभा अनजाने में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे देती है तो मुझे इस पर विचार करने के समय पूरे जोर से लड़ना होगा। परन्तु मैं मंत्री महोदय को कठिनाई में नहीं डालना चाहता और वह अपनी तथा मेरी शक्ति और समय दोनों बचा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के चरण में ही वापस ले लिया जाए।

श्री बंसी लाल : रेलवे सुरक्षा बल 1957 में अस्तित्व में आया था और इससे पहले यह रेलवे का सुरक्षा और पहरा विभाग था। प्रो० दण्डवते स्वयं 1979 में रेल मन्त्री थे। उस समय

रेलवे सुरक्षा बल में एक आन्दोलन चला था। अत: आप जब इसे संघ का एक सशस्त्र बल बना रहे हैं तो आप इसे एक सशस्त्र बल ही बना रहे हैं और इसके साथ ही यदि आप उन्हें संगम अथवा यूनियन बनाने का अधिकार देते हैं तो यह उचित नहीं है। जून, 1979 में जब उन्होंने आन्दोलन चलाया था तब स्वयं प्रोफेसर साहब को उनसे निपटना पड़ा था। अत: मैं नहीं चाहता कि वह स्थिति पुनः उत्पन्न हो।

जहां तक उनके रेल कर्मचारी बने रहने का संबंध है तो मैं प्रोफेसर साहिब से अनुरोध करता हूं कि वह अधिनियम की धारा 10 को देखें जिसमें लिखा है :

"महानिरीक्षक और प्रत्येक अन्य वरिष्ठ अधिकारी और प्रत्येक बल सदस्य भारतीय रेल अधिनियम 1890, उसके अध्याय 6क को छोड़कर, के अर्थान्तर्गत रेल सेवक समझा जाएगा और उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रेल सेवकों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा।"

अत: मेरे विचार में प्रोफेसर साहब को जो आशंका है वह निर्मूल है और संघ के एक सशस्त्र बल को संगम या यूनियन बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

प्रो मधु दण्डवते : मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं मंत्रालय का काम देख रहा था उस समय भी यह मांग की गई थी परन्तु मैं उस दबाव में नहीं आया। ईश्वर को धन्यवाद, मैं इस दबाव में नहीं आया परन्तु आप कृपया इस दबाव में न आयें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंसी लाल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.48 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन में निर्णयाधीन पड़े मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : देश के न्यायालयों में इस समय लगभग एक करोड़ मामले निर्णयाधीन पड़े हैं एक मामले में यदि 5 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं तो 5 करोड़ नागरिकों को न्यायालयों

[श्री कमल नाथ]

से न्याय प्राप्त करना है। विधि मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े नौ लाख मामलों में से साठ प्रतिशत मामले दो वर्ष से अधिक पुराने हैं। केवल उच्चतम न्यायालय में 45,000 मामले सुनवाई के लिए निर्णयाधीन पड़े हैं।

बहुत से मामले राजस्व सम्बन्धी हैं और विलम्ब का लाभ उन समृद्ध वादियों को मिलता है जिन्होंने उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और बकाया राशि व्यवसाय में लगा रखी है और राज्य को उसके लाभ से वंचित कर रहे हैं।

एक अनुमान के अनुसार केन्द्र सरकार के राजस्व का लगभग 5000 करोड़ रुपया न्यायालयों में विलम्ब के कारण रूका पड़ा है। न्यायापालिका गणराज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होती है और कोई भी लोकतन्त्र न्याय प्रक्रिया धीमी होने के कारण नहीं चल सकता। जब तक सरकार बकाया पड़े मामलों को निपटाने के लिए कदम नहीं उठाती, मामले इसी प्रकार इकट्ठे होते जायेंगे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और राजस्व सम्बन्धी मामले निर्णयाधीन पड़े रहेंगे।

(दो) कर्मचारियों के लाभार्थ वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए बोनस अधिनियम में अविलम्ब संशोधन करने की आवश्यकता

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन): महोदय बोनस की पात्रता के लिए वेतन की अधिकतम सीमा अब भी वही 1600 रुपए प्रतिमास है। यद्यपि संसद के पिछले सत्र में बोनस अधिनियम में संगत संशोधन करके एक मास के वेतन की सीमा 750 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दी गई थी परन्तु अधिकतम सीमा वही है जो 1965 में निर्धारित की गई थी।

केन्द्रीय श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बोनस के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाई जा रही है या समाप्त की जा रही है।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, बोनस अदायगी ओनम पर्व के दौरान की जाती है। इस वर्ष ओनम 27 अगस्त, 1985 को पड़ता है।

अत: यदि संसद के वर्तमान सत्र में बोनस की पात्रता के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाने हेतु बोनस अधिनियम में संगत संशोधन नहीं किया जाएगा तो केरल के कर्मचारी इस लाभ से बंचित हो जायेंगे।,

अत: यह अनुरोध है कि सरकार कृपया संसद के वर्तमान सत्र में ही बोनस अधिनियम में तत्काल संगत संशोधन करे।

(तीन) कटिहार-दानापुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के परिचालन समय में तुरन्त कमी करने और इस गाड़ी के सुधार तथा उचित रख-रखाव की आवश्यकता

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : महोदय, 45 अप और 46 डाउन कटिहार-दानापुर एक्सप्रेस गाड़ी एक महत्वपूर्ण गाड़ी है। यह गाड़ी हमारी स्वर्गीय प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा

गांधी द्वारा 17 अक्तूबर, 1984 को रेलवे के अपने अन्तिम समारोह में आरम्भ की गई थी। वह गाड़ी कोसी प्रभाग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बड़ी लाईन द्वारा बिहार की राजधानी पटना से जोड़ती है परन्तु इस गाड़ी की दशा अत्यन्त दयनीय है। तीन सौ किलोमीटर से कम दूरी तय करने में इसे 14 घंटे से अधिक समय लगता है। यह कई अनिर्धारित जगहों पर ठहरती है। इसके अतिरिक्त बोगियां बहुत पुरानी और भद्दी हैं और डिब्बों में पानी और बिजली नहीं होती है। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे भी इतने गन्दे होते हैं और उनका रख-रखाव भी अच्छा नहीं होता है कि मैं बता नहीं सकता।

मैंने रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री को इस गाड़ी के अच्छे रख-रखाव और परिचालन समय को कम करने के बारे में लगभग एक दर्जन पत्र लिखे हैं। मैं उन्हें इस सम्बन्ध में मिल भी चुका हूं। मैंने उनसे इस गाड़ी को डीजल इंजन लगाने तथा परिचालन समय को कम करके 8 घंटे करने का निदेश दिया है जो कि 300 किलोमीटर के लिए काफी है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा अनुरोध व्यर्थ गया है और गाड़ी उसी पुरानी शक्ल में है जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के लिए निराशा की बात है।

अत: मैं रेल मंत्री से इस गाड़ी के परिचालन समय को कम करने तथा इस महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण गाड़ी में सुधार करने और इसका उचित रख-रखाव करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(चार) पटना में पेय जल सुविधाओं और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, यद्यपि पटना बिहार की राजधानी है फिर भी इसमें पेय जल का अभाव, जल निकासी और पानी इकट्ठा होने, खराब सड़कें और अपर्याप्त परिवहन जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। कई इलाकों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था नहीं है। पुराने पाइप रिसते रहते हैं और परिणामस्वरूप जल दूषित हो जाता है। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण पानी महीनों इकट्ठा रहता है जिससे मच्छर का प्रकोप, पीलिया, अतिसार सहित कई स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

सड़कों की दशा दयनीय है। यदि इसके सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों हेतु केन्द्र सरकार पर्याप्त सहायता नहीं देती तो यह नगर रहने लायक नहीं रहेगा।

[हिन्दी]

(पांच) आगरा को और अधिक आकर्षक पर्यटक केन्द्र बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।

श्री निहाल सिंह जैन (आगरा) : यद्यपि ताज नगरी आगरा भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है, जिसके माध्यम से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है, फिर भी उसका

[श्री निहाल सिंह]

पर्यटन उद्योग सर्वथा उपेक्षित है। वर्धाराजन कमेटी द्वारा ताज को प्रदूषण से बचाने के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर इस क्षेत्र के औद्योगिकीकरण पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिनके कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में गत्यावरोध पैदा हो गया है। दूसरी ओर पर्यटन को एक वैकल्पिक गतिविधि के रूप में विकसित करने का काम हाथ में नहीं लिया गया। यह समस्या को देखने का नकारात्मक दृष्टिकोण है।

दस वर्ष पूर्व केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना में शामिल अधिकांश परियोजनाओं पर कोई काम नहीं किया गया है। मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि आगरा के पर्यटन के विकास के लिए एक समग्र कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा उसे समयबद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जाए।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बराज का निर्माण, नेशनल पार्क तथा रिंग रोड़ का निर्माण, कीठम झील का विकास, रात्रिकालीन मनोरंजन कार्यक्रम, ध्वनि, छाया तथा प्रकाश कार्यक्रम की व्यवस्था, जयपुर तथा बम्बई से सीधी हवाई उड़ानें, हस्तकला उद्योग को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय पर्यटन शिक्षण संस्थान के लिए आगरा का चयन आदि परियोजनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं।]

[अनुवाद]

(छः) कृष्णा नदी थाला जल वितरण संबंधी न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय का पालन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार पर जोर देने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 262(1) के अधीन संसद को प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में अन्तर्राज्यीय नदी जल के उपयोग, वितरण या जल नियंत्रण के सम्बन्ध में किसी विवाद या शिकायत के बारे में निर्णय देने का उपबन्ध करने वाला एक कानून पारित किया गया था और कृष्णा नदी बेसिन के जल वितरण के बारे में आन्ध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद को 10 अप्रैल, 1969 को एक न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। उसका निर्णय 27 मई, 1976 को घोषित किया गया था। उस पर 2000 ई०पू० अथवा उसके पश्चात् पुनर्विचार किया जाना है। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलगु गंगा परियोजना के उद्घाटन पर प्रकाशित सरकारी पुस्तिका और परियोजना प्रतिवेदन से भी इस बात का पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार बहुत अधिक जल का उपयोग करना चाहती है। इससे महाराष्ट्र के लोगों को चिन्ता और परेशानी हो गई है। अतः केन्द्रीय सरकार को शीघ्र हस्तक्षेप करके आन्ध्र प्रदेश सरकार से यह कहना चाहिए कि वह न्यायाधिकरण के निर्णय का पालन करे।

[हिन्दी]

(सात) गोवध रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत देश गौतम बुद्ध, महावीर, गांधी और नेहरू की भूमि है। ये सभी अहिंसा के पुजारी थे। उसी धरती पर आज अनेक पशुओं को

हजारों-लाखों की संख्या में उनकी आंखों में आंसू होते हुए कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्हें बड़ी बेरहमी से काट देते हैं। आज यह काम दिनो-दिन बढ़ रहा है। सन् 1973 में जहां दो हजार टन मांस निर्यात किया जाता था वहां 1984 में एक लाख टन मांस निर्यात किया जा रहा है।

गांधी जी और विनोबा जी ने गौ-हत्या बन्द करने के लिए सत्याग्रह किया। सरकार से आश्वासन मिला कि वह थोड़े समय में राज्यों को विश्वास में लेकर गौ-हत्या सदा के लिए बन्द कर देगी। परन्तु सरकार अपने आश्वासन को अमली रूप देने में असमर्थ रही। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने मुख्य मंत्रियों को गौ-हत्या रोकने के लिए कानून में सख्ती लाने का आदेश दिया था। तत्कालीन कृषि मंत्री श्री राव बीरेन्द्र सिंह जी ने भी बार-बार मुख्यमंत्रियों को इस सम्बन्ध में लिखा था। परन्तु बिना किसी भय के मांस के बड़े व्यापारियों ने अच्छा धन कमाने की गर्ज से कई क्रूर और असहनीय तरीके अख्तियार करके कम उम्र के जानवर जिनका मांस कोमल और अच्छा होता है और खास तौर से गाय, गायों के बछड़े और कम उम्र के बैलों को उनके मालिकों को लोभ देकर खरीद कर उनकी आंखों में मिर्चें डालकर उनको अंधा करके कइयों को कई दिन तक भूखा और प्यासा रखकर, तड़फाकर, उनकी तंदुरूस्ती को घातक नुकसान पहुंचाकर और डाक्टरों से मिलकर झूठे सर्टिफिकेट लेकर दूरदराज के गावों में बड़े-बड़े ट्रकों में गाय के बछड़ों और गायों को कसाईखानों में डाल देते हैं। यदि ऐसा होता रहा तो 10-15 सालों में भारत देश में दूध और मक्खन बाहर से आयात करना होगा। आज भी कृषि प्रधान देश में जहां पशु काश्तकारों के लिए धन है, उसका वध जिन तरीकों से कानून के खिलाफ किया जाता है, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जहां पर इनके मांस को बड़े शौक से खाया जाता है, केवल चंद लोग ज्यादा कमाने की गर्ज से यह काम जारी रखे हुए हैं।

यह विषय चिन्तन का विषय है। यदि गायें, गायों के बछड़े तथा कम उम्र के बैलों का वध नहीं रोका गया तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश को आने वाले समय में बड़ा भारी धक्का लगेगा।

1.00 म०प०

[अनुवाद]

(आठ) पर्याप्त धनराशि के आवंटन और शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक शाखा हैदराबाद में स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दक्षिण के विश्वविद्यालयों को समय-समय पर मंजूर किए गए विकास अनुदान उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। आन्ध्र प्रदेश तथा दक्षिण के अन्य राज्यों के कालेजों को दिए जाने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली सहायता भी पर्याप्त नहीं है। शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्यों, जो कि इस आयोग से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, को दिल्ली आने, यहां आकर उस

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर]

समय तक रुकने, जब तक कि उनका काम नहीं हो जाता, मैं काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया था कि इस क्षेत्र के संबद्ध कालेजों को धनराशि देने और धनराशि के उपयोग की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक क्षेत्रीय शाखा दक्षिण में स्थापित करे। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की हाल ही में पांडिचेरी में हुई 18वीं बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी और परिषद् ने शिक्षा मंत्रालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक क्षेत्रीय कार्यालय को समुचित शक्तियां प्रदान करके हैदराबाद में खोले जाने की जोरदार सिफारिश करने का संकल्प किया है। आन्ध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने अपने 3 जून, 1985 के पत्र में इस बारे में शीघ्र आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

हैदराबाद में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के 30 मई, 1985 को हुए सम्मेलन में दक्षिणी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को अनुदानों के शीघ्र वितरण के लिए हैदराबाद में इस आयोग की एक शाखा स्थापित करने का संकल्प किया गया। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री से इस बारे में शीघ्र आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। दक्षिणी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के 6 जुलाई, 1985 को हैदराबाद में हुए सम्मेलन में भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि इसकी दक्षिण भारत में शाखा स्थापित की जाए जिसे पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए और पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जायें।

अत: मैं शिक्षा मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि हैदराबाद में आयोग की एक शाखा अविलम्ब स्थापित करने के आदेश जारी किए जायें।

(नौ) तमिलनाडु के तिरुची जिले में पेट्टावेथालाई स्थित कावेरी शुगर्स के प्रबन्ध पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण जारी रखने की आवश्यकता

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : पेट्टावेथालाई, तिरुची जिला तमिलनाडु में कावेरी शुगर्स का प्रबन्ध 1978-79 से आज तक केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है। पिछले सात वर्षों से मिल लाभ में चल रही है तथा गन्ना उत्पादक प्रशासन से संतुष्ट हैं। गन्ना उत्पादक समझते हैं कि पुराने प्रबन्धक, जो कि मिल को रुग्ण बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। कावेरी शुगर्स का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे किसानों तथा मिल के कर्मकारों को भारी धक्का लगेगा। केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध को निरंतर जारी रखना होगा तभी किसानों और कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

(दस) बीड़ी कर्मकारों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी विधान को लाने वाले तम्बाकू का निर्माण करने वाले कर्मकारों पर लागू करने के लिए कानून बनाने तथा महिला बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के प्रति अधिक ध्यान देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : महोदय, हमारे देश में बीड़ी उत्पादन में 31 लाख से अधिक कामगार पुरुष और महिलाएं लगे हुए हैं। नई दिल्ली में सितम्बर, 1981 में

हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए समझौते के परिणामस्वरूप थी, सभी राज्यों में बीड़ी कार्मिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करना सम्भव हो सका है जो कि प्रतिदिन 7 रुपये और 8 रुपये है। परन्तु यह कानून खाने वाले तम्बाकू बनाने में लगे श्रमिकों पर लागू नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप काफी बड़ी संख्या में कार्मिकों पर इस कानून के लाभ लागू नहीं होते तथा उनका शोषण किया जा रहा है। अत: यह अनिवार्य है कि वर्तमान कानून, जोकि अब बीड़ी कार्मिकों पर लागू होता है। खाने वाले तम्बाकू का निर्माण करने वाले श्रमिकों पर भी लागू किया जाए। खाने वाले तम्बाकू बनाने वाले श्रमिकों की दयनीय दशा इस बात से भली प्रकार अनुभव की जा सकती है कि लगभग 60% श्रमिक तपेदिक से पीड़ित हैं तथा उनकी चिकित्सा के लिए कोई सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं है। महिला श्रमिकों के साथ और भी भेदभाव बरता जा रहा है। पहले तो उन्हें उद्योग में लिए जाने में ही पक्षपात किया जाता है और दूसरे उनके लिए अस्पतालों में प्रसूति सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसकी तुलना में सिगरेट और सिगार उत्पादन में लगे कार्मिकों को पूर्णतया औद्योगिक कार्मिक माना जाता है तथा जहां तक उनकी मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, उन्हें पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। यह एक बड़ी कानूनी कमी है और जब तक इसे शीघ्र दूर नहीं किया जाता तब तक खाने के तम्बाकू का उत्पादन करने वाले श्रमिक कष्ट उठाते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि श्रम मंत्री इस पर ध्यान देंगे और वर्तमान अधिनियम में समुचित संशोधन करेंगे ताकि खाने की तम्बाकू बनाने वालों को भी वह लाभ मिल सके जोकि इस समय बीड़ी उत्पादकों को मिलते हैं।

(ग्यारह) उच्च पदों पर रिक्त स्थानों को पदोन्नति द्वारा भरने के प्रयोजनार्थ भर्ती पर लगे हुए प्रतिबन्ध में ढील देने और नैमित्तिक अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की आवश्यकता

श्री एन०वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : मुद्रा स्फीति रोकने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा भर्ती पर रोक लगा दी गई है और एहतियाती तौर पर उसे सितम्बर, 1984 तक प्रभावी रखा गया था। बाद में उसे बिना कोई तारीख तय किए बढ़ा दिया गया तथा उसे भी आज लगभग एक वर्ष होने वाला है।

भर्ती पर प्रतिबंध की अवधि को सितम्बर, 1984 से आज तक बढ़ाकर भी, यह पता चला है कि एक वर्ष के बाद भी मुद्रा-स्फीति पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है। परन्तु इस प्रतिबन्ध के कारण काफी समय से सेवारत वरिष्ठ कर्मचारी, पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं—उन्हें पदोन्नति का लाभ अर्थात् अधिक वेतन और अधिक पेंशन नहीं मिल पाई है। उन्हें निम्न ग्रेड में सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है जिससे उनमें सेवा में वैराग्य और निरूत्साह की भावना आती है तथा कम पेंशन मिलती है। कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वालों को भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है। वे निराश है और वरिष्ठ पद का कार्य बिना किसी प्रोत्साहन के करने को विवश किया जाता है। अस्थायी और नैमित्तिक सेवा के मामले में प्रतिबन्ध के बहाने क्रमश: 45 तथा 25 दिन के लिए नियुक्ति सेवा-भंग के साथ की जाती है। इससे उन्हें सेवाभंग की अवधि के वेतन, छुट्टी की पात्रता, निरन्तर सेवा के लिए आयु सीमा का नुकसान होता है तथा रोजगार की गारण्टी नहीं रहती है।

[श्री एन०वी०एन० सोमू]

अत: निवेदन है कि भर्ती पर प्रतिबन्ध में कम से कम इस सीमा तक छूट दी जाए कि वरिष्ठ पदों में पदोन्नति की जा सके तथा अस्थायी तथा नैमित्तिक कार्मिकों के रिक्त पद नियमित किए जा सकें ताकि इस प्रतिबन्ध के बाद कोई पद खाली न रखा जाए।

1.07 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर पांच मिनट म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

———

2.11 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर ग्यारह मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

———

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री पी०ए० संगमा द्वारा 20 अगस्त, 1985 को पेश किए गए निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे अर्थात् :—

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव अब अपना भाषण जारी रखें। वह कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, यह महत्वपूर्ण विधेयक है, कुछ ही सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं हमारा राज्य आन्ध्र प्रदेश वर्जिनिया तम्बाकू का 90% उत्पादन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : समय का आबंटन दलीय स्थिति के आधार पर किया जाता है किसी अन्य आधार पर नहीं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं कुछ ही बातों को लूंगा। मैं अपना भाषण प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए शुरू करूंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है :

"समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने सिद्धान्त रूप से, तम्बाकू बोर्ड में उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या चार से छ: करना स्वीकार कर लिया है..."

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है :

> "समिति इस बात को भी समान महत्व देती है कि वास्तविक उत्पादक ही बोर्ड में उनके प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएं और सरकार से आग्रह करती है कि वह उनके चयन/चुनाव के लिए मानदण्ड और प्रक्रिया निर्धारित करे जिससे कि न केवल यह सुनिश्चित किया जाये कि बोर्ड में उत्पादकों का प्रतिनिधित्व बाहरी व्यक्तियों द्वारा न किया जाए अपितु छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।"

मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह तम्बाकू उत्पादकों के वास्तविक प्रतिनिधियों को और उन लोगों को नामजद करे जो उनकी समस्याओं से परिचित हैं और अन्य व्यक्तियों को केवल इसलिए नहीं कि सरकार में कुछ व्यक्ति उनमें रुचि रखते हों।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि वह मेरे द्वारा पेश किए गए उस संशोधन अर्थात् खण्ड (ब) के बाद धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के बाद खण्ड (घघ) का अन्त:स्थापन जो बोर्ड के कार्यों के बारे में है तथा जिसके द्वारा बोर्ड से उम्मीद की जाती है कि वह निर्यातकों को न्यूनतम निर्यात मूल्य की सिफारिश करे। इसके अनुसार बोर्ड का यह कार्य होना कि वह केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करे कि तम्बाकू बोर्ड द्वारा उस स्थिति में नीलामी द्वारा खरीदे जाने के लिए विभिन्न प्रकार की वर्जीनिया तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए जबकि उत्पादकों से न्युनतम समर्थन मूल्य पर तम्बाकू न खरीदी जा सके।

यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। अन्यथा तम्बाकू बोर्ड के गठित किए जाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तम्बाकू बोर्ड के बनने के 9 वर्षों के बाद तो सरकार इस बात से सहमत होगी कि तम्बाकू बोर्ड स्वयं उत्पादकों को दिए जाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करे, जैसा कि रबड़ बोर्ड तथा अन्य बोर्ड कर रहे हैं।

दूसरे, 'नाटू' तम्बाकू, धूप से पकाई गई तम्बाकू तथा 'बर्ली' तम्बाकू भारी मात्रा में उगाई जाती है। दुर्भाग्य से तम्बाकू की इन सभी मदों के लिए जब सरकार द्वारा निर्यात मूल्य निर्धारित किया जाता है,

उत्पादकों के लिए कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन मदों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करे। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में, जिसे कुछ समय पूर्व दिया गया था, यह सिफारिश स्पष्ट रूप से की गई है कि इन किस्मों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। न्यूनतम निर्यात मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच लगभग 600/- रुपये का अन्तर है। जहां इसमें वह सारा खर्च सम्मिलित है जिसे, निर्यातक वहन करता है, उसके अलावा आप बहुत अधिक लाभ भी दे रहे हैं। वास्तव में, 250/- रुपये से लेकर 300/- रुपये तक का अन्तर काफी अधिक है, जबकि आप तो 600/-रुपये दे रहे हैं। अत: मैं निवेदन करता हूं कि इस अतिरिक्त, लाभ को जिसे निर्यातक या

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

व्यापारी प्राप्त करता है, वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर उत्पादकों को दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार द्वारा धारा 10, 11, 13 और 33 में प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करता हूं। मैं उन उद्देश्यों और कारणों के कथन से भी पूर्णतया सहमत हूं जिनका इस विधेयक में उल्लेख किया गया है। जब तक आप मूल तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में दो और संशोधन नहीं लाते हैं, इन उपबन्धों को प्रभावी ढंग से, कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है और उसके लिए मैंने दो संशोधनों का प्रस्ताव किया था, परन्तु उन्हें इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि सरकार ने इन धाराओं में किसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है। धारा 28 में यह उल्लेख है :

> "केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के लिए बिना, इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी भी अपराध का अभियोजन नहीं किया जायेगा।"

इसके बदले में, मेरा प्रस्ताव है "केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड की अनुमति के बिना इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी भी अपराध का अभियोजन नहीं किया जा सकेगा।" अब तक की आम परिपाटी यह रही है कि जब कभी भी तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों को यह पता चलता है कि कोई कम्पनी, या व्यापारी अथवा निर्यातक कोई गलत काम कर रहा है, तो वे अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध कार्य करते हैं—उनके पास उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति नहीं है—तो उन्हें वाणिज्य मन्त्रालय को लिखना पड़ता है और वाणिज्य मन्त्रालय को आगे विधि मन्त्रालय को लिखना पड़ता है जो और आगे मामले को विधि विशेषज्ञों के पास भेजता है। उनकी राय प्राप्त करने के बाद, फिर उस राय को वाणिज्य मन्त्रालय को बताया जाता है जो कि फिर तम्बाकू बोर्ड को भेजी जाएगी। तभी तम्बाकू बोर्ड कार्यवाही कर सकता है। इस बीच अपराधी साफ बच जाएगा। किसान के साथ किया गया अन्याय दूर नहीं हो पाता है। अतः मेरा सुझाव है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और कम से कम अगले सत्र में एक और अन्य संशोधन लाकर इस संशोधन को करेंगे।

जहां तक धारा 31क की बात है, इस अधिनियम का उपबन्ध अतिरिक्त होगा और कुछ समय तक लागू किसी भी अन्य कानून के उपबन्ध की अवहेलना नहीं करेगा। इन व्यापारियों और कम्पनी के लोगों ने पहले तम्बाकू उत्पादकों के साथ बहुत अन्याय किया है और उन्होंने जिस धनराशि का अपवंचन किया वह करोड़ों रुपये की बैठती है। परन्तु अब जबकि तम्बाकू बोर्ड यह वाउचर प्रणाली चालू कर रहा है तो इससे उपयुक्त संरक्षण मिलेगा। परन्तु, दुर्भाग्य से जब कुछ समय पहले इस प्रणाली को प्रथम बार प्रस्तावित किया तो व्यापारियों ने न्यायालय में जाकर स्थगत आदेश प्राप्त कर लिया, परन्तु उसके बाद उत्पादकों और व्यापारियों के बीच समझौता होने के कारण न्यायालय को उस याचिका को अस्वीकार करना पड़ा। परन्तु इस बात की पूरी संभावना है कि ये व्यापारी उत्पादकों को तुरन्त भुगतान करना नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर भी विचार करे और एक अन्य संशोधन द्वारा इस पर ध्यान दे।

जहां तक तम्बाकू के निर्यात का सम्बन्ध है, इसे किसी विशेष व्यापारी या निर्यातक की स्थित पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। यह तो सारे देश और सरकार से सम्बन्धित प्रश्न है। वैसे तम्बाकू का निर्यात करना जो उनके द्वारा भेजे गये नमूने जैसी नहीं है, गलत बात है क्योंकि वह कम गुणवत्ता वाला है और यदि वैसी तम्बाकू का निर्यात किया जाता है तो उससे हमारे देश की बदनामी होगी। कुछ देश उस तम्बाकू को लौटा रहे हैं जो उन देशों को भेजी गयी है और हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने अवसरों को खोते जा रहे हैं तथा देश में तम्बाकू उत्पादकों को समुचित स्थान नहीं दिया जाता है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह गुणवत्ता नियन्त्रण को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरते।

प्राक्कलन समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में पृष्ठ 90 पर स्पष्ट रूप से कुछ सुझाव दिए हैं :—

"ऐसी घृणित गतिविधियों में नई कम्पनियों का पंजीयन समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे ठगे गये किसान को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। यदि बोर्ड के पास अभी ऐसी शक्ति नहीं है तो समिति यह चाहेगी कि ऐसी शक्ति, संगत अधिनियम में संशोधन करके बोर्ड को उपलब्ध कराई जाए।"

प्राक्कलन समिति ने पृष्ठ 104 यह पर भी स्पष्ट सिफारिश की है :—

"उसकी सिफारिश है कि वर्जीनियां तम्बाकू निर्यात के सम्बन्ध में गुणवत्ता निरीक्षण के कार्यों को समुचित जिससे तम्बाकू बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। जिससे कि इस सम्बन्ध में प्रभावी जांच की जा सके और विदेशी आयातकों की ओर से इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई शिकायत न आने पाये।

समिति यह भी सुझाव देती है कि उन बेईमान, व्यापारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए कोई उपबन्ध होना चाहिए जो जान-बूझ कर घटिया किस्म का माल निर्यात करते हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है; और हमारे निर्यात प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव जी, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव : मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि धारा 18 में मेरे प्रस्तावित संशोधन को मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने यह संशोधन लाना उचित समझा है। मैं यहां विस्तार से नहीं बता रहा हूं।

परन्तु इतने वर्षों के बाद भी गुन्टूर में तम्बाकू बोर्ड का प्रशासनिक कार्यालय नहीं बनाया गया है। कारण तो मुझे पता नहीं है। तम्बाकू से 30 से 40 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

सहित सरकार को 906 करोड़ रुपये आय होती है, परन्तु अभी तक कोई स्थायी भवन निर्मित नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कम से कम अब तो उसका निर्माण आरम्भ करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगा जी बोलने जा रहे हैं। वह कुछ और मुद्दे उठायेंगे। श्री बी० एन० रेड्डी आप आरम्भ कर सकते हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि वह राशि को सुरक्षित बनाये रखे। हम बायो-गैस संयंत्र पर कई करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, सौर-खत्तियों के लिए भी बहुत सारा अतिरिक्त धन व्यय किया गया है। मैं सरकार से किसान के लाभार्थ सरकारी सहायता सुरक्षित रखने का निवेदन करता हूं जो कि राष्ट्रीय हित की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी० एन०. रेड्डी जी, अब आप अपना भाषण आरंभ कर सकते हैं। श्री राव जी, आप कृपया बैठ जाइये।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : कुछ भाषण आधा घन्टे या उससे भी अधिक समय तक चलते रहे हैं। मैं केवल एक मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 25 मिनट ले चुके हैं। आज आप और जो कुछ कहना चाहते हैं, वह आप मंत्री महोदय को लिखकर दीजिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जहां तक तम्बाकू के पत्तों की खरीद वाउचर योजना का संबंध है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज सहायता में वृद्धि करे क्योंकि यह किसानों के हित में है, न केवल तम्बाकू उत्पादक किसानों अपितु सामान्य किसानों के भी हित में है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह तम्बाकू उत्पादकों और किसानों के ऋणों को माफ कर दे, विशेषकर ऋण की उस राशि को जो खत्तियों की मरम्मत के लिए 1977 के तूफान के बाद उनको दी गई थी। दुर्भाग्य से, केवल तीन करोड़ रुपये दिये गये थे और उन पर ब्याज भी केवल 80 लाख रुपये है। परन्तु उद्योगपतियों के तो उनकी बीमार इकाइयों के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपये बट्टे-खाते में डाल दिये जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उन्हें वे ऋण बट्टे-खाते में डाल देने चाहिएं जो 1977 के तूफान के बाद दिये गये थे।

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : दुर्भाग्य से मैं संकट में पड़ गया हूं क्योंकि हमारा तेलगु का दुभाषिया बीमार पड़ गया है। इसलिए, मैं फिर भी अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त करने का प्रयास करूंगा।

पहली बात यह है कि तम्बाकू बोर्ड में उत्पादकों की प्रधानता है। परन्तु यहां पर आठ माननीय सदस्यों ने बताया है कि यह सर्वोत्तम उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकों की विशिष्ट आवश्यकताओं

के लिए पर्याप्त या सहायक नहीं हैं। उससे उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादकों की आवश्यकता पूरी होगी। अतः, मैं यह बता देना चाहता हूं कि बोर्ड में उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए ओर बोर्ड में तम्बाकू उत्पादकों की प्रधानता होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तेलगु का दुभाषिया आ गया है और यदि आप तेलगु में बोलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते है।

श्री बी० एन० रेड्डी : महोदय, आपको धन्यवाद। अब मैं तेलगु में बोलना चाहूंगा।

*उपाध्यक्ष महोदय, तम्बाकू बोर्ड में तम्बाकू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यद्यपि प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 8 से 10 हो गई है, इससे देश में तम्बाकू उत्पादकों या तम्बाकू के उत्पादन को लाभ नहीं पहुंचता है। तम्बाकू उत्पादकों के साथ न्याय करने के लिये, बोर्ड में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। बोर्ड में उत्पादकों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसमें उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। केवल बोर्ड तभी किसानों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और उनके उत्पाद पर ध्यान दे सकता है। अतः जब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त नहीं है।

महोदय, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की संख्या एक विचित्र मिश्रण-सी लगती है। किसानों, व्यापारियों और बिचौलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि भी उसमें होंगे। इस विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि तम्बाकू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करेंगे। यह नोट करने वाली महत्वपूर्ण बात है। वाद-विवाद का उत्तर देते समय, मुझे आशा है, मन्त्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि बोर्ड में तम्बाकू उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या क्या होगी। इस बारे में यह इस संशोधन विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। इसमें उनकी संख्या और बहुमत का उल्लेख होना चाहिए। परन्तु इस बात का इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। महोदय, व्यापारियों और बिचौलियों जैसे विभिन्न वर्गों को जिस ढंग से प्रतिनिधित्व दिया गया है उससे हमें पता चलता है कि सरकार व्यापारी समुदाय के प्रभाव से मुक्त नही हो पाई है। किसानों को और अधिक प्रतिनिधित्व देने की बजाय, व्यापारियों और अन्य बिचौलियो का उस विधेयक में प्रधानता दी गयी है इससे पता चलता है कि व्यापारी समुदाय का सरकार पर कितना गहरा प्रभाव रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार ने इससे निकलने का कोई प्रयास नहीं किया है, इस विधेयक में आमूल परिवर्तन किए जाने चाहिएं और इसको प्रतिनिधित्व के स्वरूप के बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रकार बोर्ड को उत्पादकों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने जैसे कुछ उत्तरदायित्व भी सौंपे जाने चाहिएं। देश में लाखों टन तम्बाकू पैदा किया जा रहा है परन्तु इसके लिए कोई बाजार नहीं है। किसान को ऐसी कोई गारन्टी नहीं है कि सारे तम्बाकू के लिए बाजार तैयार मिलेगा। उत्पादकों के सामने अनिश्चितता की स्थिति रहती है। तम्बाकू एक कीमती नकदी फसल है, परन्तु फिर भी किसानों से तम्बाकू खरीदने को कोई तैयार नहीं है, जिससे किसानों के पास बिना बिके तम्बाकू के अम्बार लग गए हैं और किसान इसको

*तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बी०एन० रेड्डी]

बहुत कम कीमत पर बेच रहे हैं। यह केवल किसानों और आंध्र प्रदेश की ही हानि नहीं हो रही है, अपितु सारे देश को ही घाटा है। केन्द्र सरकार को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। तम्बाकू का कोई बाजार नहीं है। उत्पादकों को अपने उत्पाद को बेचने की कोई सुविधा नहीं है और इस मुद्दे पर विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। किसानों को उनके उत्पाद की बिक्री की गारन्टी देने के लिए बोर्ड को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। किसानों द्वारा पैदा किये गये सारे तम्बाकू को बेचने के लिए बोर्ड को उत्तरदायी बनाने हेतु इस विधेयक में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः इस विधेयक द्वारा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

इस सम्बन्ध में मैं आन्ध्र प्रदेश के अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं। देश का लगभग 95 प्रतिशत वर्जीनिया तम्बाकू आंध्र प्रदेश में पैदा होता है हमें इस पर गर्व है। परन्तु केन्द्र द्वारा उसकी बिक्री के लिए बाजार सुनिश्चित करने का दायित्व न लेने के कारण हमारे गर्व को ठेस पहुंची है। अतः हमारे तेलगु भाइयों के गर्व को भी ठेस पहुंची है। उन उत्पादकों को जो मूल्य प्राप्त होता है, वह बहुत ही कम है। इसलिये, महोदय, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस संबंध में किसानों का उपेक्षा की गई है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश ने उस समय उत्पादन के उच्च शिखर को छुआ था कुछ समय पहले जब राज्य में 1 करोड़ 40 हजार टन तम्बाकू का उत्पादन हुआ था। परन्तु 1984 में उत्पादन गिरकर मात्र 93 हजार टन रह गया है। विपणन सुविधाओं की कमी तथा उचित मूल्य पर उनके उत्पादन की बिक्री की गारंटी न होना उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण हैं। इन बातों की वजह से उत्पादन में कमी हुई है। तम्बाकू एक मूल्यवान वाणिज्यिक फसल है। चूंकि बोर्ड ने किसानों द्वारा उत्पादित तम्बाकू की बिक्री का कोई दायित्व नहीं लिया है, इसलिए तम्बाकू की अधिक पैदावार करने में किसानों की रुचि नहीं है। उत्पादकों को निराश किया गया है। उनकी निराशा के परिणामस्वरूप उत्पादन कम हुआ है।

तम्बाकू के लिए कोई समर्थन मूल्य निश्चित नहीं हैं। किसानों के लिये यह बहुत आवश्यक है। बोर्ड को न केवल समर्थन मूल्य निश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये बल्कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले। यद्यपि समय-समय पर समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है किन्तु कहीं भी किसी उत्पादक को वह मूल्य नहीं मिलता। घोषित समर्थन मूल्य पर कोई भी खरीददार तम्बाकू को नहीं खरीदता है। किसानों को मध्यस्थ लोगों की दया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कुछ समय पूर्व ऐसा हुआ था कि तम्बाकू बोर्ड ने 1425/- रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निश्चित किया। परन्तु किसानों को मुश्किल से 800 से 1000 रुपये के बीच मूल्य मिला। अतः व्यापारियों तथा अन्य बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण हो रहा है। बोर्ड के अस्तित्व का मूल उद्देश्य ही असफल हो जाता है क्योंकि बोर्ड को किसानों के लिए बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गयी है। अतः यह संशोधन काफी नहीं है क्योंकि यह संशोधन उत्पादकों के हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं करता। समर्थन मूल्य दिलाने अथवा उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इस संशोधन विधेयक में इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। महोदय, यह संशोधन ऐसा होना

चाहिये जिससे बोर्ड को किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार बनाया जाये तथा वह लाभकारी मूल्य की गारण्टी दे सके और इस प्रकार से किसानों के हितों की रक्षा कर पाये। अत: बोर्ड को मुख्य रूप से किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला बनाया जाना चाहिये। संशोधन को इस रूप में होना चाहिये। बोर्ड को किसानों की आशाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिये।

महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि सरकार प्राक्कलन समिति की सिफारिशों, तथा तम्बाकू बोर्ड द्वारा उत्पादकों के हित में न्यूनतम मूल्य तथा लाभकारी मूल्य निर्धारित के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों को अमल में लाने के लिए अपना विचार बनाती और आवश्यक कार्यवाही करती ताकि इनको क्रियान्वित किया जा सकता। परन्तु इसके विपरीत सरकार ने नीलामी द्वारा बिक्री करने का लघु प्रस्ताव रखा है और नीलामी द्वारा बिक्री के काम में भी बहुत देर कर दी गयी है। गत वर्ष कर्नाटक राज्य के मैसूर में एक प्रयोग किया गया था और इसे किसानों के लिए लाभदायक पाया गया था। पिछले मौसम के समाप्त होने के समय इसे आन्ध्र प्रदेश में भी शुरू किया गया। इसकी कार्यप्रणाली यद्यपि बहुत सन्तोषजनक पायी गयी है परन्तु फिर भी किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा तभी हो सकेगी जब इसके अतिरिक्त तम्बाकू उत्पादकों को हर परिस्थिति में न्यूनतम मूल्य मिलना सुनिश्चित किया जाये। अगर कभी बिक्री कम हो जाये तथा उत्पादन मांग से बहुत अधिक हो जाये तो किसानों को अपना तम्बाकू बहुत कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। ऐसी मजबूरन बिक्री से उन्हें बचाया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, उत्पादकों का और अधिक तथा बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार ने उन्हीं शब्दों को, जो पहले भी थे और जहां तक किसानों का संबंध हैं, वे बहुत ही दूषित शब्द हैं उन्हें फिर से क्यों लागू करने की सोची है शब्द है 'इस बोर्ड में किसानों के लिए इससे अधिक स्थान नहीं'। ऐसा भूतकाल में क्यों हुआ तथा अब भी यह क्यों हो रहा है मुझे यह समझ में नहीं आता। सिर्फ सरकार को ही यह पता हो, अथवा शायद सरकार ने इस पर पर्याप्त विचार नहीं किया है। किसानों के मुकाबले में व्यापार, आयात और निर्यात व्यापार तथा सिगरेट निर्माताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इसके विपरीत अन्य किसानों को ऐसे सभी लोगों के मुकाबले में सुरक्षा मिलनी चाहिये। अत: जहां तक किसानों की बात है ये शब्द इससे अधिक नहीं' गलत रखे गये हैं और इस समय 10 में से 6 स्थान किसानों के लिए निश्चित किए गये हैं। यह संतोषजनक है। परन्तु अगली बार जब सरकार को इस अधिनियम में संशोधन करने का मौका मिले तो मैं चाहता हूं कि वे बोर्ड में किसानों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने के उनके हकों के प्रति अधिक सतर्क रहें। बोर्ड के खर्च के लिए जितनी धनराशि स्वीकृत की गई है उसका आधा भाग भी खर्च करने के लिए सरकार उसे प्रोत्साहित नहीं कर पायी है। प्रबन्धकों तथा अन्य अधिकारियों के पदों को वर्षों तक रिक्त रखा जाता है। क्यों? वे ही केवल इसका कारण जानते हैं। प्राक्कलन समिति ने इस पर बहुत कड़ा एतराज किया है। एक शिकायत यह है कि जो नये कार्यालय स्थापित किये जाते हैं अथवा कार्य शुरू किये जाते हैं उनके संबंध में

[प्रो० एन० जी० रंगा]

उचित सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके प्रति सावधान रहे और यह निश्चित करे कि आवेदकों अथवा संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई स्वार्थ सिद्धि न की जाय नाम के लिए अनुसंधान संगठन बनाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाया जाये। प्राक्कलन समिति का इस बात पर ध्यान गया है। उन्हें न्यूनतम मूल्य नहीं दिलाया जा रहा है। यद्यपि लाभकारी मूल्य का वचन दिया गया था पर वह नहीं दिया जा रहा। यह खुली नीलामी की प्रणाली पहले वाली प्रणालियों से अधिक सन्तोषजनक रूप में कार्य कर रही है। बहुत सारे स्थानों पर, जहां भी वर्जिनिया तम्बाकू का उत्पादन तथा विपणन होता है गोदाम बनाने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपये के शीघ्र आवंटन की बहुत अधिक आवश्यकता है। इन गोदामों तथा गोदाम प्रणाली की अनुपस्थिति में और गोदाम प्रणाली से उत्पादकों को अपने बिल बैंकों में प्रस्तुत करके धन लेने में जो सुरक्षा है उसके बिना किसानों के लिए, विशेषकर छोटे किसानों के लिए, यह संभव नहीं होगा कि वे अपने तम्बाकू की बिक्री को तब तक रोक सकें जब तक कि उन्हें सरकार या व्यापारियों द्वारा अच्छा मूल्य नहीं मिलता है और आज हमारे पास ऐसी गोदाम प्रणाली नहीं है। इस सुविधा को अविलम्ब उपलब्ध कराना होगा।

रूस तथा आर्थिक रूप से उसके सहयोगी देश अपनी खरीददारी कर रहे हैं। हम खरीददारों के तौर पर उनका स्वागत करते हैं। परन्तु ये गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से हमारा तम्बाकू खरीदते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारी सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने उनके साथ इस प्रकार से बातचीत नहीं की ताकि खरीदने और बेचने की उनकी एकाधिकारवादी प्रणाली उसी प्रकार से यहां पर भी रूस तथा आर्थिक रूप से उसके सहयोगी देशों को भी हमारा तम्बाकू, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए। अभी तक कोई भी प्रयास नही किया गया है। मुझे इस राज्य व्यापार निगम तथा तम्बाकू बोर्ड का स्थापक समझा जाता है। जब राज्य व्यापार निगम की स्थापना की गई थी, तो मैंने ही इसके लिए कहा था। जब इसको बनाने की बात चल रही थी तो मैंने उन सभी देशों को, जहां एक दलीय तंत्र है तथा आयात और निर्यात व्यापार का पूर्ण राष्ट्रीयकरण है, हमारा कच्चा उत्पाद उपलब्ध कराने के विशेष प्रयोजन से इसको बनाने के लिए कहा था। हमारे माल की बिक्री उन देशों को हमारे राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होनी चाहिए। दुर्भाग्य से अभी तक उस नीति को स्वीकार नहीं किया गया है। मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह गैर-सरकारी व्यापारियों के साथ-साथ राज्य व्यापार निगम को भी क्रय-विक्रय करने के लिए कहेगी ताकि राज्य व्यापार निगम तथा गैर-सरकारी व्यापारी दोनों एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हों और जिससे निर्यातकों को हमारा उत्पाद अधिकतम मूल्य पर उपलब्ध हो। कुछ वर्ष पूर्व मेरे जैसे लोगों द्वारा जनता सरकार तथा हमारी सरकार पर दबाव डालने के कारण राज्य व्यापार निगम को कुछ हद तक बाजार में प्रवेश कराया गया था और उन मौकों पर हमारे किसानों को लाभ हुआ था। अब सरकार राज्य व्यापार निगम को बाजार से अलग करना चाहती है। वह तम्बाकू बोर्ड को भी इससे अलग रखना चाहेगी तथा हर बात को खुली नीलामी प्रणाली पर छोड़ देना चाहती है। यह संतोषजनक नहीं होगा। यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा कि सर्वहारावर्गीय राष्ट्र, रूस अथवा समाजवादी राष्ट्र खुली नीलामी की

प्रणाली द्वारा हमारे अपने ही भारतीय व्यापारियों के सहयोग या मिलीभगत से अथवा किसी और तरह से उनके साथ मिलकर हमारे तम्बाकू को यथासंभव न्यूनतम मूल्य पर ले जायें। उन राष्ट्रों के लिए यह सोचना स्वाभाविक है कि वे न्यूनतम मूल्य पर खरीदें परन्तु इसी प्रकार से यह सुनिश्चित करना हमारे लिए भी स्वाभाविक होना चाहिए कि हमारे किसानों को यथासंभव अधिकतम मूल्य मिले और उनको यह मूल्य नहीं मिल सकता अगर आप इसको हमारे यहां के व्यापारियों की कृपा पर छोड़ देंगे, चाहे वे निर्दयी हों, चाहे वे कठोर हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना कि रूस या उसके मित्र देश अथवा उन सबका एक अकेला खरीददार होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम तथा तम्बाकू बोर्ड को भी अवश्य ही बाजार में रहना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, महोदय, निर्यात उपकर है। क्या इसको समाप्त किया जा रहा है? अगर इसे समाप्त नहीं किया जा रहा है तो इसे समाप्त करना चाहिए। इसे बहुत समय पहले समाप्त कर देना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि क्यों इसे जारी रखा हुआ है?

इसके बाद कृषि श्रमिक आते हैं। कृषि में लगे लोगों की संख्या एक लाख से कम नहीं है। उन्हें सुरक्षा देनी होगी। उन्हें न्यूनतम वेतन अवश्य मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं किया जा रहा है और इसमें स्वास्थ्य का भी खतरा बना रहता है। तम्बाकू का काम स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जब इसे खोलते हैं, जब इसे सुखाते हैं और जब उसकी किस्म निर्धारित करते हैं तथा उसके बाद इसके पैकेट बनाये जाते हैं तो इसमें स्वास्थ्य को बहुत खतरा है—स्वास्थ्य की दृष्टि से, मुझे तकनीकी नामावली ज्ञात नहीं है, यह उन लोगों की श्वास क्रिया को प्रभावित करता है, पुरुषों तथा स्त्रियों को और उनमें से भी स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुरक्षा की जरूरत है। इन सब कामों के लिए एक कल्याण कोष बनाने की आवश्यकता है। आप कहां से वित्त जुटायें? किसानों पर उपकर लगाकर नहीं बल्कि सिगरेटों, सिगारों और नसवार तथा निर्यातों पर उपकर लगाकर इसे जुटाया जाए। इस सबसे प्राप्त धन द्वारा इस कल्याण कार्य के लिए आवश्यक प्रशासन व्यवस्था का, जो अब आपको करनी चाहिए, वित्त-पोषण किया जाए। इसे बहुत पहले स्थापित कर देना चाहिए था; अब इसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

अन्तिम बात वह है जिसे मेरे माननीय मित्र, श्री शोभनाद्रीश्वर राव ने उठाया है। हमारे किसानों को कर्ज की आवश्यकता होती है, यह कर्ज 15 से 24 प्रतिशत ब्याज की बहुत ऊंची दर पर लिया जाता है और उन्होंने बताया है कि इसी कारण हमारे किसान बहुत कर्जे से दबे हुए हैं और वे अपने कर्जों को देने में असमर्थ हैं। अतः कुछ हद तक उन्हें किसी ऋण स्थगन द्वारा अथवा इन कर्जों को कम करके एक प्रकार की राहत दी जानी चाहिए। यह सब पिछली बातों के लिए है। भविष्य के लिए भी, मैं चाहता हूं कि तम्बाकू बोर्ड को या तो स्वयं अथवा बैंकों के माध्यम से ऋण देना चाहिये और जब यह रियायती दरों पर अग्रिम धनराशि दे और अग्रिम धनराशि देने के बाद जब किसान अपना तम्बाकू बेच दें, उसके बाद उसे यह ऋण व राशि वापस करनी होगी। इस बारे में बहुत सावधानी बरतनी होगी।

[प्रो० एन०जी० रंगा]

अनुसंधान की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अग्रिम धनराशि देने की भी जरूरत है तथा बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं के लिए भी आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। जहां तक तम्बाकू का संबंध है इन चीजों पर खर्च बहुत अधिक होता है। अत: तम्बाकू बोर्ड को उन्हें आर्थिक सहायता देनी होगी। "कितनी" ? एक दूसरा विषय है। इसके लिए विस्तार में जाना होगा। परन्तु यह तम्बाकू बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होना चाहिए।

अब, मत्रोदय, मेरे माननीय मित्र ने एक बहुत ही नाजुक विषय को छेड़ा है। ऐसा क्यों है कि गुंटूर में अभी तक मुख्यालय के भवन को नहीं बनाया गया है ? क्या दिल्ली तथा हैदराबाद के अधिकारियों का इसे वहां से हैदराबाद स्थानान्तरण करने का कोई गुप्त ख्याल है ताकि वे आराम से दिल्ली से चलकर हैदराबाद में तम्बाकू बोर्ड के मुख्यालय जा सकें तथा वहां से वापस आ सकें ? कुछ वर्ष पहले यह खेल खेलने का उनका इरादा था। मैं उस समय राज्य सभा का सदस्य था। राज्य सभा में एकमत के बहुमत से हम उन्हें इस खेल में हराने में कामयाब हो गये थे और हमने यह सुनिश्चित किया था कि तम्बाकू बोर्ड गुंटूर में ही रखा जाये। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस बात पर गंभीरता से सोचें और यह निश्चित करें कि गुंटूर में मुख्यालय के भवन का निर्माण यथासम्भव कम से कम समय में किया जाए ताकि इन अधिकारियों के लिए इस प्रकार का खेल और अधिक खेलना संभव न हो सके।

अन्त में, महोदय, जब मंत्रालय ने स्वयं मंत्रालय के प्राधिकार के तहत या केन्द्र के प्राधिकार के तहत लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि बोर्ड से परामर्श नहीं किया जाएगा। बोर्ड से परामर्श के बाद ही मुकदमा चलाने का आदेश दिया जायेगा। इसलिए इस विषय में हमें कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहिये, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इस विषय के लिए केवल दो घण्टे का समय ही निर्धारित है और अब केवल आधा घण्टा ही बचा है, इसलिए सदस्यों को चाहिए कि वे केवल दो से तीन मिनट तक ही बोलें।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आर्कोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक को अपना समर्थन प्रदान करने के साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

इस संशोधी विधेयक का उद्देश्य बोर्ड में तम्बाकू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 6 करना है अर्थात् बोर्ड के दस सदस्यों में से 6 तम्बाकू उत्पादकों के प्रतिनिधि होंगे, मैं सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मेरा यह सुझाव है कि ये सभी 6 प्रतिनिधि वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादकों में से होने चाहिएं। भारत में उत्पादित वर्जीनिया तम्बाकू की सारे विश्व में मांग है।

---

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चीन और अमेरिका के बाद आन्ध्र प्रदेश में ही तम्बाकू इतनी बड़ी मात्रा में पैदा किया जा रहा है। वर्ष 1984-85 में हमने वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात से 220 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की। सरकार ने स्वीकार किया है कि तम्बाकू के निर्यात व्यापार में कुछ धांधलियों के कारण वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात कम हो गया है, इसी कारण मैंने मांग की है कि बोर्ड के सभी 6 सदस्य वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादकों के प्रतिनिधि होने चाहिएं जिससे उसके निर्यात में ऐसी धांधलियां दूर की जा सकें और हम वर्जीनियां तम्बाकू के निर्यात बाजार को, जो हमने खो दिया है। फिर से प्राप्त कर सकें।

तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सितम्बर, 84 से सरकार ने नीलामी करने का तरीका अपना लिया है। कर्नाटक में 5 ऐसे नीलामी केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं और इस तरीके को अपनाने के बाद, तम्बाकू उत्पादकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन में बोर्ड द्वारा उठाए गए उन कदमों का उल्लेख है जिससे कि वर्जीनिया तम्बाकू को उगाने का क्षेत्र कम हो। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐसा प्रतिगामी कदम बोर्ड द्वारा क्यों उठाया गया है। दर-असल, बोर्ड द्वारा ऐसी अनिच्छा नहीं दिखाई जानी चाहिए। वर्जीनिया तम्बाकू की खेती के क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हम अधिक तम्बाकू का उत्पादन कर सकें और साथ ही अधिक तम्बाकू का निर्यात कर सकें।

इससे पता चलता है कि तम्बाकू विपणन निगम की स्थापना कितनी आवश्यक है। हमारे देश में, करोड़ों लोग अपनी आजीविका के लिए तम्बाकू पर निर्भर कर रहे हैं। बीड़ी उद्योग में लाखों-लाख परिवारों को रोजगार का अवसर मिला है। इसी प्रकार नसवार, खाने का तम्बाकू इत्यादि के उत्पादन में हजारों लोग लगे हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि बीड़ी बनाने के काम में लगे लोगों को वर्ष भर अच्छी किस्म का तम्बाकू पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। बिचौलिए तम्बाकू उत्पादकों और बीड़ी उद्योग दोनों का शोषण कर रहे हैं। वे बीड़ी के तम्बाकू को उत्पादकों से कम कीमत पर खरीदते हैं और बीड़ी बनाने वालों को उसे ऊंची कीमत पर बेचते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और बोर्ड द्वारा उचित कदम उठाया जाना चाहिएं।

भारतीय बीड़ी की विदेशों में बड़ी मांग है। लेकिन बोर्ड ने बीड़ी निर्यात में कोई रुचि नहीं ली है। तम्बाकू विपणन निगम की स्थापना की जानी चाहिए और भारतीय बीड़ी के निर्यात के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

महोदय, मेरा सुझाव है कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को पर्याप्त मात्रा में बीड़ी का तम्बाकू खरीदना चाहिए और बीड़ी बनाने वालों के लिए उसके उचित वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। बीड़ी उद्योग खत्म न हो जाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि तम्बाकू बोर्ड बीड़ी के तम्बाकू की पर्याप्त आपूर्ति बीड़ी उद्योग को करे जिसमें 31 लाख से भी अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। बीड़ी मजदूरों के हित में तुरन्त ऐसा किया जाना आवश्यक है।

अब तक तम्बाकू के लिए आधुनिक भण्डारगृह बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए

[श्री आर० जीवरत्नम]

गए हैं। तम्बाकू बोर्ड को तम्बाकू के उत्पादन क्षेत्रों के निकट आधुनिक वैज्ञानिक भण्डारगृहों के निर्माण के लिए कदम उठाने चाहिएं ताकि तम्बाकू उत्पादकों को सस्ते मूल्य पर तम्बाकू बेचने को विवश न होना पड़े। वे इन गोदामों में तम्बाकू के भण्डार रख सकते हैं और उचित समय पर बेच सकते हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है तम्बाकू के व्यापार में बहुत धांधलियां हैं। तम्बाकू के स्तरीकरण में कमियां हैं। घटिया किस्म के तम्बाकू को बढ़िया किस्म के तम्बाकू के साथ मिला दिया जाता है। स्तरीकरण तकनीक के क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण सुविधाएं दी जानी चाहिएं, बोर्ड को तम्बाकू के स्तरीकरण के प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट निधि की व्यवस्था करनी चाहिए, वर्जीनिया तम्बाकू के परिष्कार को भी निदेश दिए जाने चाहिएं कि वे बोर्ड में अपना नाम दर्ज करायें।

तमिलनाडु के सलेम जिले, धर्मपुरी जिले, उत्तरी आरकट जिले, मद्रास शहर और तिरुनेलवेल्ली जिले में बीड़ी उद्योग में लाखों लगे हुए हैं। बोर्ड को श्रमिकों के सहयोग से एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि अच्छे स्तर की बीड़ियां बनाई जा सकें और इन बीड़ियों को विदेशों में भेजा जा सके। तभी माननीय वाणिज्य मंत्री और तम्बाकू बोर्ड बीड़ी श्रमिकों के रहन-सहन के बेहतर स्तर को सुनिश्चित कर पायेंगे। बीड़ियों के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में से कुछ हिस्सा बीड़ी श्रमिकों की कल्याण योजनाओं के लिए रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री सोडे रामैय्या** (भद्राचलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भद्राचलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि तम्बाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वहां वर्ष भर में एक ही फसल उगाई जाती है। वर्षा ऋतु के दौरान गोदावरी और शबरी नदियों में आने वाली बाढ़ से पूरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है तथा अत्यधिक हानि होती है। धान और मक्का की खेती बहुत कम होती है और यदि कृषक ये फसलें उगाने का प्रयत्न करते भी हैं तो बाढ़ के पानी से वे बह जाती हैं। खम्माम, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में वर्जीनिया तम्बाकू की बहुत अधिक खेती की जाती है। इस क्षेत्र में केवल चार तम्बाकू कंपनियां कार्यरत हैं। यही चार कंपनियां इस क्षेत्र के उत्पादकों से तम्बाकू खरीदती हैं। मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कुणावरम और गोपालपुरम में नीलामी केन्द्र खोले। यह पूरा क्षेत्र एजेन्सी क्षेत्र है। अतः कुणावरम और गोपालपुरम में नीलामी केन्द्र खोलने से उस क्षेत्र के किसानों की काफी सहायता होगी। चूंकि उर्वरकों की कीमतें बढ़ गयी हैं, किसानों को अब प्रति एकड़ 3 हजार से 4 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं किन्तु इतनी कठिनाइयों के बावजूद जब वे नीलामी केन्द्र में तम्बाकू ले जाते हैं तो कंपनियों के मालिक व्यापारियों से मिल जाते हैं तथा ये सुनिश्चित करते हैं कि कीमतें कम से कम दी जायें। इस प्रकार व्यापारी और कम्पनियों के लोग मिलकर गरीब

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। चूंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए किसानों को अपनी उपज उन्हीं दरों पर बेचनी पड़ती है, जिससे उनकी उत्पादन लागत भी पूरा नहीं होती है। इसके फलस्वरूप किसानों को अपना सारा सामान बेचना पड़ता है ताकि वे ऋण चुका सकें। अंतत: ये किसान कृषि मजदूर बन जाते हैं। इस क्षेत्र के किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति है। महोदय, ग्लोब कम्पनी ने 3 साल पहले इस क्षेत्र के किसानों से करोड़ों रुपये का तम्बाकू खरीदा था किन्तु आज तक किसानों का पैसा नहीं चुकाया गया है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करे। कम्पनी को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह किसानों का सारा बकाया पैसा अदा करे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह इस दोषी कम्पनी, जिसके कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, के विरुद्ध कार्यवाही करे। किसानों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। किसानों को अपने ही स्थान पर तम्बाकू बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए। महोदय, पिछले वर्ष भद्राचलम के नीलामी केन्द्रों में कम्पनी के खरीदारों ने किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने का घिनौना काम किया। उन्होंने कीमतों को कम से कम निर्धारित कराने का प्रयत्न किया। जब किसानों ने इस पर आपत्ति की तो उनमें आपस में काफी गर्मागर्मी हुई। कम्पनी के खरीदारों ने किसानों को बताया कि कीमतें उनकी इच्छानुसार ही निर्धारित होंगी। यह है किसानों की दयनीय स्थिति। वे हर कठिनाई का, हर चुनौती का, हर खतरे का सामना करते हैं लेकिन उन्हें जो कीमतें मिलती हैं वे कम्पनी के खरीदारों की दया पर निर्भर करती हैं। महोदय, सरकार को इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि कम्पनियां किसानों का शोषण करें। यह शोषण समाप्त किया जाना चाहिए। जनता के प्रतिनिधियों को चयन समितियों का सदस्य बनाया जाना चाहिए। श्री महापात्र, जो आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू बोर्ड के चैयरमेन हैं, को एक और वर्ष के लिए इस पद पर बनाये रखा जाना चाहिए। राज्य व्यापार निगम को सभी स्थानों पर केन्द्र खोलने चाहिएं जो कि तम्बाकू उत्पादकों के लिए सुविधाजनक हैं। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम्पनियां उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दें। किसान देश की रीढ़ हैं। उनके बिना देश नहीं रह सकता। अत: किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देकर उन्हें बचाना चाहिए। कृषि श्रमिकों के हितों की भी रक्षा की जानी है। उन्हें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। इस आशा के साथ कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाकर अपने उत्तरदायित्व को निभायेगी, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री जी० एस० बसवराजू** (तुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा लाये गए तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 का स्वागत करता हूं। मैं सरकार का ध्यान तम्बाकू की खेती और उनकी बिक्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आकर्षित करता हूं। भारत में तम्बाकू एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात राज्यों में इस फसल की बहुत ज्यादा खेती की जाती है। हालांकि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी इस फसल को काफी महत्व दिया गया है क्योंकि इससे भारी विदेशी मुद्रा कमाई जाती

*कन्नड़ में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री जी०एस० बसवराजू]

है। वर्ष 1984-85 के दौरान 220 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई गई है। अतः सरकार और बोर्ड को तम्बाकू की खेती के विकास में काफी अधिक रुचि लेनी चाहिए।

सर्वप्रथम सभी तम्बाकू उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न बोर्ड बनाए गए हैं जैसे काफी बोर्ड, चाय बोर्ड, नारियल बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड आदि। किन्तु इन बोर्डों के होते हुए भी किसानों के हितों की भलीभांति रक्षा नहीं की जाती है। तम्बाकू उत्पादकों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। जब तक इस बारे में कुछ नहीं किया जाता हमारे किसान प्रगति के बारे में सोच नहीं सकते हैं।

इस विधेयक में धारा 3, 10 और 33 में वर्णित उद्देश्य काफी प्रशंसनीय हैं और इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। उद्देश्य काफी अच्छे हैं और सरकार की भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं किन्तु समस्या क्रियान्वयन के समय पेश आती है। आई० ए० एस० अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों के कल्याण के बारे में काफी रुचि लेने के लिए कहा जाना चाहिए अन्यथा किसानों के साथ अन्याय होता रहेगा।

तम्बाकू बोर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पर तो ध्यान दे रहा है परन्तु तम्बाकू की अन्य किस्मों जैसे कि खाने वाले तम्बाकू, नसवार तम्बाकू, बीड़ी तम्बाकू पर ध्यान नहीं देता जो कि कर्नाटक में बहुतायत से पैदा होता है तथा लाखों लोग बीड़ी उद्योग में लगे हुए हैं। अफ्रीकी देशों में मंगलौर गणेश बीड़ी की बहुत ज्यादा मांग है। इसलिए यह आवश्यक है कि स्थानीय तम्बाकू उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाये। मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्रालय इस बात को ध्यान में रखेगा तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा। विभिन्न दिक्कतों के कारण कुछ तम्बाकू उत्पादकों ने तम्बाकू की खेती करना बन्द कर दिया है। मैसूर में सबसे उम्दा किस्म का तम्बाकू पैदा होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार गुंटूर मुख्य कार्यालय की भांति तम्बाकू का शाखा कार्यालय भी खोले।

एक बार फिर मैं तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सभी सुझावों पर विचार करेंगे तथा गरीब सीमान्त तम्बाकू उत्पादकों के उत्थान के लिए आगे आयेंगे। मुझे बोलने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री अमर राय प्रधान** (कूच बिहार) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अत्यन्त दुःख और खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि…

उपाध्यक्ष महोदय : तम्बाकू के संबंध में अधिकांश सदस्यगण अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं।

* बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, जैसा कि मैं बहुत ही दुःख और खेद के साथ कह रहा था कि हम शुरू से ही इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाने की बात कह रहे थे जो कि नहीं किया गया तथा उसके स्थान पर एक और संशोधन विधेयक हमारे सामने लाया गया है। इस विधेयक के जरिए यह कहा गया है कि तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय मंत्री का कहना है कि उत्पादन में वृद्धि करनी होगी परन्तु यह उनके मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन आता है। हम जानते हैं कि 'धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'। हमारे देश में तम्बाकू के कुल उत्पादन का 37 प्रतिशत वर्जीनिया तम्बाकू सिगरेट बनाने के काम आती है। अतः आपको स्पष्ट रूप में बताना होगा कि क्या आप तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि केवल 'स्वास्थ्य को हानि' में वृद्धि करने के लिए कर रहे हैं अथवा इसका कोई और कारण हो सकता है। जब सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो आपको तम्बाकू के उत्पादन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तम्बाकू की पैदावार में वृद्धि करने का औचित्य क्या है? महोदय मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इसके द्वारा हम लोगों का पतन करेंगे एवं सिर्फ उन्हें हानि पहुंचायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम आपके बच्चे हैं या नहीं। जब आप सिगरेट जलायेंगे तो आपका लड़का देखेगा। उसे बताया गया है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप सिगरेट पियेंगे और आपका लड़का देखेगा। इसका आपके लड़के पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उपाध्यक्ष महोदय: आप कहना चाहते हैं कि तम्बाकू का उगाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है?

श्री अमर राय प्रधान : जी नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधेयक में इसकी पैदावार को बढ़ाने की बात कही गई है। अब हम तम्बाकू उत्पादन को ही लेते हैं। यह सच है कि अगर हम उस भूमि को लें जिस पर तम्बाकू की खेती की जा रही है और तम्बाकू की किस्म की बात करें तो भारत का स्थान विश्व में चीन और अमरीका के बाद तीसरे नम्बर पर है। दुनिया में कुल कितनी भूमि पर तम्बाकू की खेती की जा रही है उसका 10 प्रतिशत भारत में है। विश्व में तम्बाकू निर्यात में हमारा योगदान छह प्रतिशत है। 1983-84 में, आपके आंकड़ों के अनुसार तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क के रूप में हमें लगभग 1000 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। विदेशी मुद्रा के रूप में हमें लगभग 220 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। 1984-85 में 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर 4200 लाख किलोग्राम तम्बाकू की पैदावार हुई। भारत लगभग सभी तरह की तम्बाकू का उत्पादन करता है। देश में उत्पादित 4200 लाख किलोग्राम तम्बाकू में से 34 प्रतिशत बीड़ी तम्बाकू, 37 प्रतिशत वर्जीनिया सिगरेट तम्बाकू, 25 प्रतिशत में हुक्का तम्बाकू, खैनी तम्बाकू/खाने वाली तम्बाकू आदि आती है तथा 14 प्रतिशत में नट्टू चुरुट तथा सूंघने वाली तम्बाकू शामिल है। परन्तु मैं अत्यधिक दुःख, पीड़ा-वेदना से यह कहना चाहता हूं कि क्या तम्बाकू सिर्फ आन्ध्र अथवा सिर्फ कर्नाटक या फिर सिर्फ गुजरात में ही उगाई जाती है। महोदय, तम्बाकू पश्चिम बंगाल में भी उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल के सिर्फ एक जिले कूच बिहार में, जोकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, 3.07 प्रतिशत तम्बाकू पैदा होती है। देश में पैदा होने वाली कुल तम्बाकू का 3.07 प्रतिशत कूच बिहार में पैदा होता है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक बात पूछना

[श्री अमर राय प्रधान]

चाहता हूं और वह तम्बाकू बोर्ड के कार्यकरण के बारे में है तथा बोर्ड के अधीन आने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं। महोदय, हमारे यहां काफी बोर्ड, चाय बोर्ड, जूट बोर्ड आदि हैं। देश में सबसे ज्यादा जूट पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। देश में उत्पन्न होने वाली कुल 70 लाख जूट की गांठों में से 40 लाख गांठें पश्चिम बंगाल से मिलती हैं। क्या इसका अर्थ है कि जूट बोर्ड पश्चिम बंगाल में ही पूरा ध्यान दे। अगर मैं कहता हूं कि जूट बोर्ड सिर्फ पश्चिम बंगाल पर ही ध्यान दे तथा यह किसी और क्षेत्र पर ध्यान न दे तो इससे आपके दिमाग में क्या भावना आएगी ? मेरे आन्ध्र के मित्र भी यहां उपस्थित हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कूच बिहार में वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन होता है जो कि इसके ग्रेड के हिसाब से 'जय श्री' कहलाती है। यह 'जय श्री' तम्बाकू किसानों द्वारा कूच बिहार में पैदा की जाती है, परन्तु इसको सीधे व्यापारियों को बेचने के लिए उन्हें सुविधायें एवं अवसर प्राप्त नहीं हैं। उन्हें इस तम्बाकू को बहुत दूर गुंटूर ले जाना पड़ता है। वहां किसानों को धोखा दिया जाता है और उनके तम्बाकू को 'हुक्का' तम्बाकू कहकर खरीदा जाता है। इसके बाद यही तम्बाकू काले बाजार में बेची जाती है तथा इसके फलस्वरूप बिचौलियों को किसानों की कीमत पर भारी मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पहलू पर ध्यान दें। बोर्ड के सदस्य अन्य क्षेत्रों की अवहेलना करते हुए सिर्फ इसी क्षेत्र के पीछे न पड़े रहें। इससे काम नहीं चलेगा। उन्हें कूच बिहार तथा तम्बाकू उगाने वाले अन्य छोटे क्षेत्रों पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, तम्बाकू की सभी किस्मों एवं ग्रेडों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने आप को सिर्फ वर्जीनिया सिगरेट तम्बाकू तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें 'हुक्का' तम्बाकू, खाने वाली तम्बाकू, आदि को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। मैं चाहता हूं कि तम्बाकू की कोई भी किस्म उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा की जाए। महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इस विधेयक में यह कहा गया है कि 'आठ सदस्य, शब्दों के स्थान पर 'दस सदस्य' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे। यह उचित नहीं है। जितनी भी संख्या आप करना चाहते हैं वह ठीक है। परन्तु आपने यह प्रावधान किया है कि यह अधिकतम संख्या होगी। ऐसा क्यों ? आपको कहना चाहिए कि यह न्यूनतम संख्या है जिसे लिया जाना चाहिए। अगर रिक्त स्थान है तो ज्यादा लोगों को लिया जा सकता है। आप प्रावधान करते हैं कि उत्पादकों में से कम से कम 6 व्यक्ति बोर्ड में लिए जायेंगे। मैं एक बार फिर मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह कूच बिहार के तम्बाकू उत्पादकों पर उचित ध्यान दें तथा इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं उस प्रान्त से आता हूं, जहां तम्बाकू नाममात्र को पैदा होता है, लेकिन खपत सबसे ज्यादा होती है, इसलिये मेरा इंटरेस्ट उसके साथ बना हुआ है।

टोबैको बोर्ड ने अतीत में बहुत सेवा की है। हम सेंटर एक्साइज के रूप में बड़ी धनराशि

तम्बाकू के उत्पादन से कमाते हैं और विदेशी मुद्रा भी उससे अर्जित होती है। टोबैको बोर्ड ने फंक्शनिंग के विषय में अनेक बार इस सदन में सदस्यों ने बात उठायी है। मुझको यह खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्यों के सुझाव को मानकर बोर्ड में ग्रोअर्स का रिप्रजेंटेशन बढ़ाया है। पहले जितना ग्रोअर्स का रिप्रजेंटेशन होता था, उसी के बराबर जो लोग सिगरेट आदि का उत्पादन करते थे, उनका भी होता था, लेकिन इस संशोधन के बाद ग्रोअर्स का रिप्रजेंटेशन बढ़ेगा। यह रिप्रजेंटेशन बना रहे, इसको भी देखने की जरूरत है। बहुधा अखबारों में इस आशय के समाचार छपते रहते हैं कि तम्बाकू बोर्ड में और दूसरे इस प्रकार के बोर्डों में कुछ निहित स्वार्थ घुस जाते है जो कि अपने निजी व्यापार के हित का ही ख्याल करते हैं। उससे देश को और उस विशेष वस्तु जिस को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा नहीं मिलता है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस उद्देश्य से उन्होंने ग्रोअर्स के रिप्रजेंटेशन को बढ़ाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, इसको देखने का काम करें। नहीं तो आज टोबैको बोर्ड में जो बड़े-बड़े उत्पादक हैं, उनके प्रतिनिधि आ जायेंगे। उसमें मार्जिनल और स्माल फार्मर के इंटरेस्ट को रिप्रजेंटेशन मिलना चाहिए। जब तक उनके इंटरेस्ट को रिप्रजेंटेशन नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझता कि हम बहुसंख्यक लोगों को उसका लाभ ठीक तरीके से पहुंचा पायेंगे।

आज एक लाख या उससे भी ज्यादा संख्या में ग्रोअर्स अलग-अलग एरिया में फैले हुए हैं, उन ग्रोअर्स के इंटरेस्ट को ठीक से वाच करने और इतने बड़े व्यापार को ठीक से देखने के लिये अकेला बोर्ड काफी नहीं है, यदि बोर्ड के फंक्शनों को और ज्यादा रिप्रजेंटेटिव बनाया जाये और नीचे के लैवल तक ले जाने के लिये एक रिजनल कमेटी बनायी जाये जिसके कि बीच में को-आर्डिनेशन हो तो ज्यादा उत्तम रहेगा।

में माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि टोबैको बोर्ड से कहा जाना चाहिए कि वह न केवल उत्पादन के क्षेत्र में नये क्षेत्रों की खोज करे बल्कि व्यापार के क्षेत्र में नये कंट्रीज को इस क्षेत्र में खोजने की कोशिश करें जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े।

हम अपने उत्पादन को बढ़ाने की बात करते हैं और उसके लिये नाना प्रकार के इंसेंटिव देने की बात करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि व्यापार के नये क्षेत्रों को हम नहीं खोजेंगे और उस दिशा में माननीय मन्त्री जी और टुबैको बोर्ड पर मेरा बड़ा चार्ज तो नहीं है लेकिन छोटा चार्ज है कि इस दिशा में मिनिस्ट्री ने बहुत कार्य नहीं नहीं किया है और इसकी संभावनाओं का पता लगाने की दिशा में कोई सक्रिय कोशिश नहीं की है। उस दिशा में भी सक्रिय कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनम कोंडा) : सभापति महोदय, हमारे सामने जो बिल आया है उसमें किसान को नियंत्रित किया गया है। किसान को तम्बाकू पैदा करने से पहले बोर्ड से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसमें कहीं-कहीं ऐसी बातें हैं कि किसान को एक कमरे में बांध कर जो वह तम्बाकू पैदा करेंगे, उसके ऊपर लगान लगा रहे हैं। हम इस सदन में तम्बाकू, काटन, जूट और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात करते समय किसान को जो रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रही है, उसके

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

लिए क्या करने वाले हैं, वह नहीं बतलाते हैं । इस कानून में जितने नियन्त्रण किसान के ऊपर लगाये हैं, उनकी ऊपज जो होगी, उससे बेरूल बनाने के लिए सरकार से या बोर्ड से उसको लाइसैंस लेना पड़ेगा। बेरूल बनाने वाले लोग अलग होते हैं । किसान जो तम्बाकू पैदा करता है, वह अपना रंग, जैसा कम्पनी चाहती है, उसके माफिक बेरूल में तैयार करके मार्किट में बेच सकें, यह आज नहीं करने देते हैं, इस पर अब नियन्त्रण लग जाएगा। जो तम्बाकू पैदा करते हैं, वह अपने आप बेरूल में जाकर या अपने खेत में बेरूल बांध कर जो उसको वर्जीनिया तम्बाकू, जैसा कम्पनी वाले चाहते हैं, उसके माफिक नहीं बना सकते हैं, इससे उनको वंचित किया गया । उसके लिए हर आदमी को बोर्ड के पास जाकर लाइसैन्स लेना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक ऐसी वैरायटी मार्किट में आ जाए, जो एक किस्म की हो, मगर उसमें मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो एक्सपोर्ट प्राइस है, वह आप फिक्स करते हैं, लेकिन किसान को रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले, इसके बारे में आपका ख्याल क्या है ?

बोर्ड में किसान को खुश करने के लिए आपने डायरैक्टर्स बढ़ा दिए, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, बोर्ड के मैम्बर रहने पर भी, जो किसान का उत्पादन होगा उसकी क्या न्यूनतम प्राइस और अधिकतम प्राइस होगी, वह तय करने का क्या उन्हें अख्तियार होगा ? इसके लिए तो आप को जब वह बीज बोएगा उसके पहले ही उसको न्यूनतम और अधिकतम प्राइस फिक्स करनी होगी। लेकिन यहां तो डीलरों को सपोर्ट करने के लिए और उनको ज्यादा लाभ उठाने का मौका देने के लिए तो आपने एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दी, लेकिन उसके आधार पर रिम्यूनरेटिव मिनिमम प्राइस किसान के लिए फिक्स करनी चाहिए, तम्बाकू आने से पहले । यहां पर आपने यह नियंत्रण लगाया कि जो चाहे वह अपना सीड लाकर नर्सरी नहीं कर सकता, केवल जो किसान बोर्ड के पास लाइसैंस लेता है, वही सीड ले सकेगा और अच्छी वैरायटी की नर्सरी वही लगा सकेगा। इसके जरिए से आप यह करना चाहते हैं कि वर्जिनिया वैरायटी या और किस्म की वैरायटी की तम्बाकू जो होगी, एक्सपोर्ट मार्किट में बायर्स को आप उस से कन्ट्रोल कर सकें। मैं तो खुश हूं। लेकिन यह पूछना चाहता हूं कि किसान के लिए आप क्या भाव देना चाहते हैं ? तम्बाकू पैदा होता है, उसकी कीमत उसको उस वक्त नहीं मिलती, वहां असेम्बली और यहां पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं, लेकिन किसान रोता रहता है। तम्बाकू लेने वाले उस समय नहीं आते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन के ऊपर आपने कई करोड़ रुपया रखा है और कई बोर्डस उसके लिए रखे हैं, लेकिन इसके लिए एक बोर्ड भी सामने आकर किसान का तम्बाकू नहीं खरीदता है। आपने सुना होगा, मद्रास में या और जो हमारे आजू-बाजू के राज्य हैं, उनमें कई जगह गोलियां चली । हर साल दो-तीन बार गोलियां चलने के बाद जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं वह आकर तम्बाकू लेते हैं और तम्बाकू लेने के दो-तीन बाद एसेम्बली और पार्लियामैंट में गड़बड़ करने के बाद ही पैसा देते हैं। इसके लिए आप किसान को क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं ? आप क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किसान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

इसके बारे में एक बात मुझे और कहनी है कि श्री चरण सिंह, हमारे भूतपूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तम्बाकू पर से एक्साइज ड्यूटी को हटाकर तम्बाकू पैदा करने वाले किसानों को बड़ी

राहत पहुंचाई थी, उसी तरह से टोबैको डीलर्स से भी किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए आपको भी कोई अच्छा-सा कदम उठाना चाहिए। हमेशा के लिए उनको राहत पहुंचाने के लिए आपको कोई प्रबन्ध करना चाहिए। मिनिमम प्राइस तो फिक्स करनी ही चाहिए। साथ ही साथ कोआपरेटिव बेसिस पर एक्सपोर्ट करने के लिये लाइसेन्स भी दिए जाने चाहिएं। इस काम में केवल कुछ लोगों की मोनोपोली ही क्यों रहे ? उनकी मोनोपोली को समाप्त किया जाना चाहिए। आपने बोर्ड बना रखा है। हमारे आन्ध्र प्रदेश में भी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन बना हुआ है। अतः इन बोर्डों के माध्यम से ही तम्बाकू खरीदकर विदेशों को भेजी जानी चाहिए। एग्रीकल्चरिस्ट्स को डीलर्स के हाथ में क्यों रखा जाए—यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। सरकार की ओर से मिनिमम और मैक्सिमम प्राइज फिक्स करके, तम्बाकू खरीद करके, विदेशों को भेजी जानी चाहिए। जो डीलर्स हैं वे ए ग्रेड की तम्बाकू का पैसा लेकर बी ग्रेड की तम्बाकू बाहर भेज देते हैं जिससे देश की बदनामी होती है। कुछ शक्तियों के द्वारा किसी न किसी रूप में इस देश को दूसरे देशों के कन्ट्रोल में ले जाने की कोशिश की जाती है। (व्यवधान) सी०आई०ए० और के०जी०बी० अपने पैसे का इस्तेमाल करके इस देश के दो टुकड़े बनाना चाहते हैं। (व्यवधान) इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस दी जानी चाहिए और विदेशी तत्वों से देश को बचाने के लिए आवश्यक है कि डीलर्स पर न छोड़कर स्टेट लेवल और सेन्ट्रल लेवल पर जो कारपोरेशन्स बने हुए हैं, उनके माध्यम से एक्सपोर्ट का काम होना चाहिए—यही उचित रहेगा।

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने तथा तम्बाकू की फसल में, विशेष रूप से किसानों के कल्याण में, जिसके लिए तम्बाकू बोर्ड बनाया गया है, दिलचस्पी व्यक्त करने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य का कहना है कि सरकार को और अधिक व्यापक संशोधन विधेयक लाना चाहिए। प्रो० रंगा, श्री वी०एस० राव तथा बहुत से अन्य माननीय सदस्यों ने प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों और टिप्पणियों का उल्लेख किया। प्राक्कलन समिति की सिफारिशों और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने 1981 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था जिसका काम तम्बाकू उद्योग तथा तम्बाकू उत्पादकों के सभी पहलुओं की जांच करना है।

3.19 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

यह विधेयक इस प्रयास का परिणाम है। मेरे विचार से वर्तमान संशोधन विधेयक बहुत ही व्यापक है तथा मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो इससे हमारे देश के किसानों को काफी मदद मिलेगी।

[श्री पी०ए० संगमा]

तम्बाकू बोर्ड को मुख्य रूप से तीन कार्य सौंपे गए हैं।

पहला कार्य है उत्पादन को नियमित करना, दूसरा उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना तथा तीसरा कार्य है अपने देश से तम्बाकू को अधिकतम निर्यात करना। बहुत से सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि हमारे देश में तम्बाकू के उत्पादन को नियमित क्यों किया जाना चाहिए।

यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में हम उत्पादन को नियमित करने में लगे हुए हैं। सन् 1981 में तम्बाकू की खेती 1.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जा रही थी, 1982 में हमने इसे कम करके 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की तथा आजकल हम इसे घटाकर 90,000 हेक्टे-यर करने की बात सोच रहे हैं। हमारे देश में तम्बाकू के उत्पादन को नियमित करना बहुत ही आसान है। हम अपने किसानों को दुखी नहीं करना चाहते। यदि सरकार उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दे सकती, यदि हम उनका माल देश या विदेश में बेचने की व्यवस्था नहीं कर सकते तो ज्यादा तम्बाकू उगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम देश और विश्व की स्थिति देखें तो हम पायेंगे कि अधिकांशत: सभी देशों में तम्बाकू के उत्पादन में कमी आ रही है तथा विश्व में तम्बाकू का उत्पादन तेजी से कम होता जा रहा है। मैं नहीं समझता कि मुझे इन बातों को विस्तार से बताना चाहिए कि इसका उत्पादन कम क्यों हुआ, आदि, आदि। परन्तु मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं क्योंकि श्री अमर राय प्रधान ने बड़े प्रबल शब्दों में एक मुद्दा उठाया है कि तम्बाकू पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। विश्व में धूम्रपान के विरुद्ध अभियान वास्तव में जोर पकड़ रहा है। अब, अमरीका में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

एक माननीय सदस्य : परन्तु धूम्रपान करने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

श्री पी०ए० संगमा : ऐसा नहीं है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि ब्रिटेन सरकार ने परीक्षण के तौर पर 12 महीनों की अवधि के लिए लन्दन में भूमिगत रेलों में सिगरेट पीने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : हमें भी यहां लॉबी में ऐसा ही करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : क्या आप धूम्रपान करते हैं ?

श्री पी०ए० संगमा : मैं करता हूं। इसीलिए मैं उत्पादकों की मदद करता हूं। मैं नहीं जानता कि जिन सदस्यों ने तम्बाकू उत्पादकों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है इनमें से कितने धूम्रपान करते हैं। परन्तु मैं एक दिन में कम से कम 30 सिगरेट पीता हूं।

ब्रिटेन में हाल ही में बीमा कम्पनियों ने धूम्रपान करने वालों को बीमा योजना में सम्मिलित करने से इंकार कर दिया है या वे उनका कुछ ही रकम का बीमा करते हैं उन्हें कम से कम रकम दी जाती है।

इस अध्ययन से पता चलता है कि 137 बिलियन सिगरेट की वार्षिक खपत है जो 1984 में कम होकर 100 बिलियन सिगरेट रह गई। तथा इस अभियान की वजह से इसकी खपत और कम हो सकती है। मैं नहीं जानता कि क्या धूम्रपान करने वालों की संख्या कम हो रही है अथवा नहीं, परन्तु सिगरेटों की खपत में अवश्य ही कमी आई है। अतः सरकार को बहुत ही समझ-बूझ कर काम लेना होगा तथा निर्णय लेना होगा कि क्या हम अपने किसानों को ज्यादा तम्बाकू पैदा करने के लिये प्रोत्साहित करें या हम उन्हें साफ-साफ कह दें कि वे ज्यादा तम्बाकू न उगायें तथा अपनी जीविका चलाने के लिये किसी और साधन की तलाश करें।

हमारे विचार में हम समझते हैं कि आज की विशेष स्थिति में तम्बाकू की पैदावार बढ़ाना सहायक नहीं है। हम समझते हैं कि किसानों से यह कहना सरकार का कर्त्तव्य है कि आज की स्थिति को देखते हुये देश में तम्बाकू का ज्यादा उत्पादन करना सहायक नहीं है। अतः हम अपने कृषकों से यह कहते आये हैं कि वे अपनी आजीविका चलाने के लिये कोई अन्य साधनों का सहारा लें। अतः उत्पादन में कमी करने के लिये हमें नियमों का सहारा लेना पड़ेगा।

वास्तम में दो या तीन अवसरों पर जैसा कि प्रो० रंगा ने ठीक ही कहा है कि हमारे किसानों की सचमुच ही समस्याएं थीं क्योंकि तम्बाकू खरीदने वाला कोई नहीं था। वर्ष 1978, 1979 तथा 1983 में सरकार को राज्य व्यापार निगम को निदेश पड़े कि वह किसानों की मदद करने के लिये बाजार में तम्बाकू की खरीद करने के लिये आयें। 1978 में राज्य निगम ने 141310 लाख खरीदा, 1979 में 5660) लाख किलोग्राम तथा 1983 में 180000 लाख किलोग्राम तम्बाकू की खरीद की। इसमें सरकार ने 1979-80 में 13 करोड रुपये तथा 1983 में 21.40 करोड़ रुपये खर्च किए। तथा तम्बाकू की खरीद का पर्यवेक्षण करने के लिये मुझे ही गुंटूर जाना पड़ा था।

हमारी चिन्ता तो किसानों की मदद करने की है। तथ्य यह है कि किसान बहुत ही दुखी थे। उन्हें अपने उत्पाद को बेचने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। प्रो० रंगा तथा अन्य अनेक नेताओं के अनुरोध पर सरकार ने किसानों का बचाव करने के लिए हस्तक्षेप किया था तथा इस प्रक्रिया में सरकार को 21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। परन्तु हमें इस बात पर गर्व है।

कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि किसानों को अपने उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं। भारत सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि तम्बाकू उत्पादकों को अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।

श्री राव ने कहा है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य भी होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य विद्यमान है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : परन्तु अन्तर बहुत अधिक है।

श्री पी० ए० संगमा : कृषि मूल्य आयोग उत्पादन लागत और अन्य सभी बातों का ध्यान रखता है। यह मेरा मूल्यांकन नहीं है। यह कृषि मूल्य आयोग का मूल्यांकन है। मूल्य वह निर्धारित करता है। परन्तु मैं अपने अनुभव से इतना कह सकता हूं कि पिछले कई वर्षों से चली आ रही तम्बाकू की कीमतें हमेशा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रही हैं। ऐसा विशेष रूप से पिछले वर्ष हुआ जब सरकार ने नीलामी प्रणाली आरम्भ की। नीलामी प्रणाली आरम्भ करने के बाद मूल्यों में वृद्धि हुई। वास्तव में नीलामी आरम्भ होने से पहले हमने यह अनिवार्य नियम बना दिया था कि पहली बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से 15 पैसे अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार नीलामी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं हो सकता। वास्तव में कर्नाटक में 1984 में नीलामी से हमें अधिकतम मूल्य 25 रुपये प्रतिकिलो प्राप्त हुआ और आन्ध्र में यह 21 रुपए प्रति किलो था और औसत समर्थन मूल्य 12 रुपये प्रति किलो था। सब मामलों में ऐसा नहीं था, कुछ ही मामलों में था। परन्तु औसत नीलामी मूल्य 13 रुपए प्रति किलो से कम नहीं था जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 9 रुपए था।

मैं एक अन्य बात पर जोर देना चाहता हूं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि किसानों का व्यापार में शोषण होता रहा है अर्थात् किसानों को निरन्तर दो वर्षों से मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है। यदि वे अपना तम्बाकू इस वर्ष बेचते हैं तो उन्हें दो वर्षों या तीन वर्षों बाद पैसा मिलेगा। किसानों की यह दशा थी। कर्नाटक में हमने नीलामी प्रणाली आरम्भ की है जिससे किसान अपनी रकम का पूरा भुगतान दस दिनों के अन्दर वहीं पर चेक द्वारा प्राप्त कर सकें। पहले उन्हें भुगतान लेने हेतु दो से तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। आन्ध्र में हमने यह कर दिया था कि किसानों को अपने भुगतान का पचास प्रतिशत पहले दस दिनों के अन्दर मिल जाए और शेष पचास प्रतिशत अगले 45 दिनों में मिल जाए। इस प्रकार मेरे विचार में सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति पूर्णतया सजग है और भारत सरकार के इस प्रयास से उन्हें काफी सहायता मिलेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नीलामी प्रणाली आरम्भ होने से पहले की राशि बकाया पड़ी है। मैं सही स्थिति नहीं बता सकता परन्तु मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा और देखूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। इस प्रकार हमने किसानों की सहायता करने का पूरा प्रयास किया है और नीलामी प्रणाली आरम्भ करने में भारत सरकार ने आठ करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : गोदामों के निर्माण की स्थिति क्या है ?

श्री पी० ए० संगमा : गोदामों, आदि का निर्माण किया जा रहा है। प्रोफेसर रंगा और अन्य सदस्यों ने एक अन्य मुद्दा मुख्यालय को गुंटूर से हैदराबाद स्थानांतरित करने के बारे में उठाया है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर से स्थानांतरित

नहीं किया जाएगा। यह गुंटूर में ही रहेगा और प्रशासनिक इमारत के निर्माण के लिए हम 85 लाख रुपए दे चुके हैं और निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है।

दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह निर्यात बढ़ाने के बारे में है। परन्तु जैसा कि आरम्भ में मैंने कहा था, हमें निर्यात में कठिनाई हो रही है और वास्तव में पिछले दो या तीन वर्षों में हमारे निर्यात में कमी आई है। इसका कारण स्पष्ट रूप से धूम्रपान के विरुद्ध चलाया जा रहा आन्दोलन है। 1982-83 में हमारा निर्यात 192 करोड़ रुपए था। 1983-84 में यह घटकर 161.8 करोड़ रुपए रह गया और 1984-85 में यह और कम होकर 139.6 करोड़ रुपए रह गया। हमें इस सम्बन्ध में सजग रहना होगा।

श्री रावत ने कहा है कि हमें न केवल मौजूदा पारम्परिक बाजार पर निर्भर होना चाहिए बल्कि हमें गैर-पारम्परिक बाजार तथा अन्य बाजारों का पता लगाना चाहिए। हमारा प्रयास यही रहा है और वास्तव में पिछले कुछ महीनों में हमें कुछ अन्य नए बाजार मिले हैं। मैं स्वयं मोरक्को गया था। पहली बार मोरक्को हमसे तम्बाकू खरीदने के लिए सहमत हुआ है और परीक्षण के तौर पर माल समुद्री जहाज से भेज दिया गया है। वास्तव में हमने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हम अधिकाधिक निर्यात करें।

कुछ व्यक्तिगत मामले हैं। ऋण आवश्यकता एक अन्य मामला है जिस पर माननीय सदस्यों ने प्रभावशाली ढंग से विचार व्यक्त किए हैं। हमें इसकी जानकारी है। वास्तव में हमने जब नीलामी प्रणाली आरम्भ की थी तो एक मुद्दा यह उठाया गया था कि यद्यपि किसानों को व्यापारियों से अथवा निर्यातकों से भुगतान अपना माल बेचने के दो या तीन वर्षों बाद मिलता है परन्तु वे किसानों को अग्रिम राशि देकर उनकी सहायता भी करते रहे हैं। वे उन्हें ऋण देते रहे हैं। मुझे यही बताया गया है। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि किसानों को अब कठिनाई होगी। नीलामी प्रणाली आरम्भ होने के बाद उन्हें वह ऋण नहीं मिलेगा जो व्यापारियों से मिला करता था। मैंने कहा कि किसानों को ऋण देने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं परन्तु नीलामी प्रणाली अवश्य ही आरम्भ की जाएगी और इस प्रकार कई कठिनाइयों के बाद हमने यह प्रणाली आरम्भ की है।

प्रो० एन० जी० रंगा : सहकारी ऋण प्रणाली होनी चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : जी हां, हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त मांग की गई है कि बीड़ी और 'भृक्कु' तम्बाकू जैसी अन्य प्रकार की तम्बाकू को तम्बाकू बोर्ड के अन्तर्गत लाया जाए। हमारा सम्बन्ध निर्यात योग्य वस्तुओं से है। क्योंकि हमारा वाणिज्य मंत्रालय है। हमारा संबंध ऐसी वस्तुओं से है जो निर्यात योग्य हैं और इस वस्तु के निर्यात का नब्बे प्रतिशत वर्जीनिया तम्बाकू है। इस प्रकार वाणिज्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में केवल वर्जीनिया तम्बाकू आती है। तम्बाकू की अन्य किस्में कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में आती हैं। (**व्यवधान**)

मेरे विचार में आपने अत्यन्त जोरदार शब्दों में यह कहा है कि हम निर्यातकों और

[श्री पी०ए० संगमा]

व्यापारियों की सहायता करने का प्रयास करते रहे हैं और आप जानना चाहते थे कि क्या तम्बाकू बोर्ड उत्पादकों को संरक्षण प्रदान कराने के लिए है। मैं बता चुका हूं कि उत्पादकों के लिए हमने क्या किया है परन्तु साथ ही मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि उत्पादकों को केवल प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें स्थिति निर्यातकों के अनुकूल भी बनानी होगी, क्योंकि अगर आप तम्बाकू का निर्यात नहीं करेंगे तो उत्पादक कहीं के नहीं रहेंगे। अतः सरकार का कर्त्तव्य केवल उत्पादकों के हितों को ही देखना नहीं है बल्कि यह भी है कि उत्पादकों के हित में हम निर्यातकों की सहायता करें और निर्यातकों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करें, ताकि वे अपने उत्पादन का निर्यात कर सकें। अतः हम निर्यातकों को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते।

अन्तिम मुद्दा उत्पादकों के प्रतिनिधित्व के बारे में उठाया गया है कि वह इससे अधिक न होने की बजाय इससे कम नहीं होना चाहिए। इस समय बोर्ड के 20 सदस्य हैं जिसमें से आठ गैर-सरकारी हैं और बारह सहकारी हैं। सरकारी सदस्यों का अर्थ है राज्य सरकारों, विभिन्न विभागों—कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आदि के प्रतिनिधि। इस समय आठ गैर-सहकारी सदस्यों में से 50 : 50 के अनुपात में चार उत्पादक हैं और निर्माता और निर्यातक हैं। हम अब इनकी संख्या बढ़ाकर छः करने जा रहे हैं। इस प्रकार इनकी संख्या चार से बढ़कर छः हो जाएगी। अतः कुल दस गैर-सरकारी सदस्यों में से छः प्रतिनिधि उत्पादक होंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप इससे अधिक क्यों नहीं करते।

श्री पी० ए० संगमा : यह बिल्कुल ठीक है यदि आप इससे कम नहीं करते हैं तो सब दस के दस उत्पादक हो सकते हैं और हम निर्यातकों और निर्माताओं को भी नहीं छोड़ सकते। उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाना है। परन्तु मैं सोचता हूं कि यह उचित प्रतिनिधित्व है और यदि आप उत्पादकों का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन और सदस्य उसमें है। सरकार श्रेणी में तीन संसद सदस्य भी तम्बाकू बोर्ड में प्रतिनिधि होते हैं—दो लोक सभा के और एक राज्य सभा का। मेरे विचार में हम उन्हें भी उत्पादकों का प्रतिनिधि समझ सकते हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : आपने सौर कोठार (सोलर बार्न) को आर्थिक सहायता देने के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने आपके संशोधन का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मैंने आपका संशोधन स्वीकार कर लिया है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : नहीं, मैं सौर कोठार (सोलर बार्न) के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कर रहा था।

श्री पी० ए० संगमा : जैसा कि प्रोफेसर रंगा ने कहा है कि इस विधेयक का समूचा

उद्देश्य सभी अवस्थाओं—संसाधन, श्रेणीकरण और सिझाना को तम्बाकू बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाना है। इसलिए इसके बाद अन्य सभी पहलू आने स्वाभाविक ही हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2—धारा 4 का संशोधन

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि छः से कम नहीं होंगे, अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाए।

सभापति महोदय : आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं या नहीं ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : "छः से अधिक नहीं होंगे" के स्थान पर मैंने यह कहा है कि "छः से कम नहीं होंगे"। मेरा संशोधन यह है।

सभापति महोदय : शर्त कोई नहीं है। क्या अपना संशोधन पेश कर रहे हैं या नहीं ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 और 5,—

"छह से अधिक नहीं होंगी" के स्थान पर

"छह से कम नहीं होंगी" प्रतिस्थापित किया जाए (1)

सभापति महोदय : चूंकि श्री अय्यापू रेड्डी उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनके संशोधन संख्या 4 और 5 पेश नहीं किए जाते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन तम्बाकू उत्पादकों में से नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या, किसी भी दशा में, इस खण्ड के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगी।" (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 18,—

"अधिकारी को" के पश्चात्,

"जो उप सचिव या उससे ऊपर किसी पद पर आसीन हो" अन्तःस्थापित किया जाये।

(8)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं पहले बोल चुका हूं, अतः मैं अधिक समय नहीं लूंगा। चूंकि सरकार सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई तो इसे स्वीकार क्यों न किया जाए ? नियुक्ति आप के हाथ में है। मंत्रिमंडल भी छः के लिए सहमत हो गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल पहले ही निर्णय दे चुका है। अतः यह 'छः से कम नहीं होगी'। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : स्थिति बहुत सरल है। तम्बाकू बोर्ड की वर्तमान रचना के अनुसार सम्पूर्ण इस बोर्ड पर पुनः अधिकारियों का वर्चस्व रहेगा न कि उत्पादकों का। मंत्री महोदय ने बड़ी चतुराई से कहा है कि विधेयक में यह व्यवस्था है कि उत्पादकों में से 6 व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त गैर-अधिकारी होंगे दस में से 6 होंगे। दस के अतिरिक्त 12 अफसर होंगे। इस प्रकार कुल 22 बनते हैं। इनमें से केवल छः उत्पादकों में से होंगे। मेरा संशोधन अत्यन्त साधारण है। तम्बाकू बोर्ड में उत्पादकों का प्रतिनिधित्व उसकी कुल सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। अन्यथा यह होगा। राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं, निर्माताओं के प्रतिनिधि हैं; बड़े अधिकारियों और अधिकारी वर्ग का हमेशा वर्चस्व रहेगा। ये छः लोग वहां केवल चाय पीने या एक सिगरेट पीने जाएंगे। इससे अधिक कुछ नहीं। नीति संबंधी मामलों में उनका कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरे, ये शब्द अत्यन्त अस्पष्ट हैं। आप कहते हैं, कार्यकारी निदेशक या कोई अधिकारी। इन शब्दों को स्पष्ट कीजिए। यह किसी भी पद का कोई भी अधिकारी नहीं है। यह उप-सचिव या उससे बड़ा अधिकारी होना चाहिए। उस बोर्ड में किसका आदेश चलेगा ? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। मेरा संशोधन स्पष्ट रूप से यही है मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस सारे मामले में मेरी तसल्ली कर दें तब मैं समझ जाऊंगा।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, इस मुद्दे को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। अगर हम कहते है कि 6 से कम नहीं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि सभी सदस्य उत्पादक हो सकते हैं। हम संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। मैंने सदन में वचन दिया था कि 10 में में 6 उत्पादक होंगे और 4 सदस्य निर्यातक-निर्माता आदि होगें। मैंने यह भी कहा था कि 3 संसद सदस्य भी होगें। कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वाणिज्य मंत्रालय, कर्नाटक सरकार आन्ध्र सरकार तथा गुजरात सरकार आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य भी होंगे। यह अपेक्षा की जाती है कि ये सब उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन सं० 1 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन सं० 7 और 8 वापस ले रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जी, हां।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन सं० 7 और 8 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन सं० 7 और 8, सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 2 को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3—धारा 8 में संशोधन

सभापति महोदय : अब खंड 3। अब संशोधन पेश किए जायेंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 32 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाये :—

(ii) और खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :—

"(घ) केन्द्रीय सरकार को विभिन्न वर्गों के वर्जीनिया तम्बाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करना, जो तम्बाकू बोर्ड द्वारा नीलामी-प्लेटफार्मों पर खरीद के प्रयोजनार्थ निर्धारित किए जायें, यदि उस वर्ग के तम्बाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वहां कोई खरीदार न हो।" (2)

सभापति महोदय : श्री ई० अय्यापु रेड्डी—अनुपस्थित। खंड 3 से संबंधित उनके संशोधन नहीं रखे जा रहे।

राव जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : सरकार से यही अनुरोध है कि क्योंकि अन्य बोर्ड यही काम कर रहे हैं अर्थात् जिन-जिन मदों से उनका संबंध है उनके लाभकारी मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, इसी तरह सरकार को (घ) के बाद इस उपखंड (घघ) को शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : मैं यह स्पष्ट कर ही चुका हूं कि तम्बाकू बोर्ड का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में हम सफल रहे हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : तम्बाकू उत्पादकों को अन्य देशों के तम्बाकू उत्पादकों के मुकाबले में 30% राशि भी नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री शोभनाद्रीश्वर राव द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 3 का मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि **खंड** 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 4 से 6

सभापति महोदय : खंड 4 से 6 के संबंध में कोई संशोधन नहीं हैं। इसलिए मैं उन्हें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि **खंड** 4 से 6 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड 7—धारा 14 में संशोधन

सभापति महोदय : श्री शोभनाद्रीश्वर राव के नाम से एक संशोधन है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं इस संशोधन को वापस लेना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

सभापति महोदय : वापस लेने का सवाल नहीं है। ठीक है आप इसे पेश नहीं कर रहे।

किया गया संशोधन

पृष्ठ 4—

पंक्ति 9 से 16 तक के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

7 मूल अधिनियम की धारा में,—

(i) "धारा 11 के प्रयोजनों के लिए संसाधकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए" शब्दों

और अंकों के स्थान पर "धारा 10क के प्रयोजनों के लिए नर्सरी उगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 11 के प्रयोजनों के लिए संसाधकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, धारा 11क के प्रयोजनों के लिए प्रसंस्कर्ताओं और विनिर्माताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए, धारा 11ख के अधीन श्रेणीकरण कार्य या कोठारों का सन्निर्माण और प्रवर्तन हाथ में लेने के लिए और अनुज्ञाप्तियां प्राप्त करने के लिए" शब्द अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) 'संसाधकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए" शब्दों से आरम्भ होने वाले और 'जिन्हें विहित किया जाए" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"वर्जीनिया तंबाकू के नर्सरी उगाने वालों, संसाधकों, प्रंसस्कर्ताओं, निर्यातकों, पैकरों या नीलामकर्ताओं या व्यौहारियों के रूप में या वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादों के विनिर्माताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए या धारा 11 (ख) के अधीन अनुज्ञप्तियां मंजूर करने में वर्जीनिया तंबाकू के रजिस्ट्रीकृत उगाने वालों, नर्सरी उगाने वालों, संसाधकों, प्रसंस्कर्ताओं' निर्यातकों, पैकरों या नीलामकर्ताओं या व्यौहारियों, या वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादों के रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं या धारा 11 (ख) के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली विवरणियां और उनके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा बोर्ड द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर ऐसे होंगे जो विहित किए जाए।" (9)

(श्री पी० ए० संगमा)

सभापति महोदय : अब मैं खंड 7 को, संशोधित रूप में, सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 13

सभापति महोदय : खंड 8 से 13 के संबंध में संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 से 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.48 म०प०

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक

[**अनुवाद**]

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री ए०के० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

ऐसा कुछ कारणों से जरूरी है जिनका मैं सदन में उल्लेख करना चाहता हूं।

पिछली बार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई थी । उस समय उनकी संख्या 14 थी और 1977 से उसे बढ़ाकर 18 कर दिया गया। उस समय मामलों की संख्या केवल 14,501 थी जबकि आज 1984 में यह बढ़कर 49,074 हो गई है जो 3 गुणा से भी अधिक या करीबन 4 गुणा वृद्धि है । असल में 1985 में इनमें और वृद्धि हुई है क्योंकि 1977 में केवल 14,109 मामले ही विचाराधीन थे । अनिर्णीत मामलों की संख्या बढ़कर 86,733 हो गई है मेरे विचार से तो अब इनकी संख्या एक लाख के करीब हो गई होगी और वह भी तब जब हर साल निपटाये जाने वाले मामलों की संख्या 10,000 से बढ़कर 35,547 हो गई है इसलिए उच्चतम न्यायायल ने स्वयं न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की थी उसनेसिफारिश की थी कि इसे बढ़ाकर 26 कर दिया जाए। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। इसे लाना इसलिए भी जरूरी था ताकि उच्चतम न्यायालय के काम में रुकावट नहीं आए और बकाया मामलों कीसंख्या नहीं बढ़े जैसा कि आजकल वहां हो रहा है उच्चतम न्यायालय हमारी न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष है। वहां से ही शुरू करने पर यह आशा की जा सकती है कि हम उच्चतम न्यायालयों और स्तर तक अधीनस्थ न्यायपालिकों में समस्या को सुलझा सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : महोदय, मुझे खुशी है कि सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत तो किया भले ही इसमें देरी हो गई है। अच्छा होता अगर सरकार इस विधेयक के बजाय एक ऐसा व्यापक कानून बनाती जिसमें उच्च न्यायालय और निचले न्यायालय भी शमिल किये जाते ताकि विचाराधीन मामलों की सख्या को कम किया जा सकता। बहरहाल, ऐसा नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि वे इस सुझाव पर विचार करके इस मामले में कुछ करें।

जहां तक विचाराधीन मामलों के निपटान का संबंध है, न्याय मे देरी करना न्याय देने से इंकार करना है। न्याय दिलाने में असाधारण देरी करना न्याय करने से ही इंकार करने के बराबर है।

1950 में उच्चतम न्यायालय में 17 न्यायाधीश थे। अब उनकी संख्या 25 की जा रही है। जहां तक दायर किए गए मामलों का संबंध है, 1977 में विचाराधीन न्यायिक मामलों की संख्या केवल 14,000 थी जो कि अब बढ़कर 49,000 हो गई है। इसका मतलब है कि विचाराधीन मामलों में 300% या उससे भी अधिक की वृद्धि हुई है। 1977 में विचाराधीन मामलों की संख्या 14,000 थी। अब यह बढ़कर लगभग 74,000 हो गई है अर्थात् उनमें 600 प्रतिशत से भी अधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जब वहां काम इतना अधिक है तो न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या से विचाराधीन मामलों को कम नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है इसलिए मैं न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि न्याय में यह देरी किन कारणों से होती है। सरकार ने इसके मूल कारण का पता लगाने और उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया है। डाक्टर मरीज का रोग पता लगाने के बाद सभी बातों पर विचार करके उसे दवाई देता है। अगर जरूरत पड़े तो वह आपरेशन भी करता है। प्राचीन काल में कहा जाता था :

"दुष्टांगम्बु खंडिनिचि, शेषांगम्बुकु रक्षसेयु क्रिया।"

"अगर एक अंग खराब हो जाए तो वह शेष अंगों को बचाने के लिए उसे काटकर अलग कर देगा।"

इसी तरह सरकार को भी पहल करके कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। वे सोचते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देने से ही सब कुछ हो जाएगा, विचाराधीन मामलों की संख्या कम हो जाएगी तथा सभी मामले निपटा दिये जायेंगे। मेरे विचार से यह सही तरीका नही है, विचाराधीन मामलों को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या ही काफी नहीं बल्कि गुणवत्ता पर भी विचार किया जाना चाहिए।

विचाराधीन मामलों को कम करने के लिए बार का सहयोग भी जरूरी है।

तीसरी जरूरत मुकदमों से संबद्ध जनता और चौथी जरूरत कर्मचारियों से संबंधित है।

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

जब इन चारों पर विचार करके गुणवत्ता और संख्या दोनों में सुधार होगा। तभी अधिक मामले का निपटान होगा और विचाराधीन मामलों की संख्या कम होगी। अन्यथा मेरे विचार से केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होगा।

जहां तक न्यायाधीशों की संख्या का संबंध है सरकार उनकी संख्या में तो वृद्धि कर रही है पर उनकी गुणवत्ता में वृद्धि के संबंध में विचार नहीं कर रही। जब तक आप योग्य और सक्षम न्यायाधीशों की नियुक्ति नही करते तब तक विचाराधीन मामलों की संख्या कम नहीं हो सकती क्योंकि संसद और विधानसभाओं द्वारा बड़ी संख्या में कानून बनाये जा रहे हैं। हम बहुत से अधिनियम पारित कर रहे हैं, नए कानून बन रहे हैं और जिनके अन्तर्गत नए-नए अपराध आते जा रहे हैं। न्यायाधीशों में मानवीयता होनी चाहिए और वे देश की मौजूदा स्थिति के कारण जो हालत हैं, उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण मानवीय होना चाहिए तथा उनमें कानूनों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे कर्त्तव्यनिष्ठ तथा मेहनती होना चाहिए। उसमें ये सब गुण होने बहुत जरूरी हैं। अगर उसमें ये सब गुण हैं तो वह बहुत से मामलों को निपटा सकता है। अतः मैं माननीय विधि मंत्री, जो कि स्वयं वरिष्ठतम वकील हैं, से अनुरोध करूंगा कि वह स्वयं हस्तक्षेप करें।

दूसरी बात 'बार' से न्यायाधीशों को मिलने वाले सहयोग की है। मामलों का निपटान 'बार' पर भी निर्भर करता है। यह 'बार' पर बहुत अधिक निर्भर करता हैं। 'बार' अगर न्यायाधीशों के साथ सहयोग नहीं करती तो वह किसी न किसी बहाने से मामले के स्थगत की मांग करती जाएगी और न्याय मिलने में देरी होगी। इसलिए बार तथा मुकदमों से संबद्ध जनता का सहयोग प्राप्त करते के लिए न्यायाधीशों को विनम्र बनाना चाहिए। उन्हें बहुत विनम्रता से उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए और उन्हें भी सहयोग देना चाहिए जिससे काम ठीक से हो। इसलिए योग्य और कर्त्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश दाने के लिए आपको एक विधेयक पुरः स्थापित करना चाहिए।

मुझे बताया गया है कि 'बार' में काम करने वाले लोग उच्च न्यायालय वा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में आने के इच्छुक नहीं होते क्योंकि वे बार में अधिक कमा रहे हैं और बेहतर जिन्दगी जी रहे हैं। योग्य और कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति न्यायधीश बनने के इच्छुक नहीं हैं। उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये ताकि वे इन पदों पर नियुक्त होना चाहें। उन्हें अधिक वेतन, निःशुल्क आवास तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं दी जानी चाहिएं। सेवा शर्तों में सुधार किए बिना आपको ऐसे योग्य न्यायाधीश नहीं मिल सकते जो बार के साथ सहयोग करें।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए केवल एक घंटा दिया गया है। अतः कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : अगली बात यह कि प्रभावी बनने के लिए उन्हें मुकद्दमों से संबद्ध जनता के दिलो-दिमाग में विश्वास पैदा करना होगा। उन्हें लिंग, धर्म, क्षेत्र, जाति या विश्वास के आधार पर किसी के साथ मतभेद नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर वे ऐसे तरीके अपनायेंगे

जिनसे फैसले में देरी हो और मामलों को शीघ्रता से नहीं निपटा सकेंगे। इसके लिए ऐसे न्यायधीशों की जरूरत है जो निष्पक्ष हों और जिन पर लोग अंगुली नहीं उठा सकें।

कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करना भी बहुत जरूरी है। सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। कर्मचारियों को सम्मान और आदेश पहुंचाने होते हैं। उन्हें अभिलेखों को छपाना, उनका रख-रखाव करना तथा न्यायाधीशों को उन्हें उपलब्ध कराना होता है। अगर सम्मन देने में उपेक्षा बरती गई, नोटिस नहीं भेजे गए या अभिलेखों की छपाई की उपेक्षा की गई तो इन सबसे शीघ्र न्याय दिलाने में बाधा पड़ेगी। इसीलिए सरकार को कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करना चाहिए। उनकी सेवा-शर्तों में सुधार करके ही सरकार उनमें कर्त्तव्यनिष्ठा, मेहनत और ईमानदारी की भावना ला सकती है। सरकार को कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा शर्तों की जांच करके उनमें सुधार करना चाहिए।

ये चार बातें अगर अगर पूरी की जाती हैं तभी हम मामलों के शीघ्र निपटान की आशा कर सकते हैं। मेरे विचार से सरकार को न्यायधीशों तथा उनके कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए ताकि उन्हें बार और मुकद्दमों से सम्बद्ध जनता का सहयोग मिल सके। उन्हें इन सभी शर्तों पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुकदमों से संबद्ध लोगों, जिसकी संख्या लाखों हो रही है को न्याय मिले। वे योग्य न्यायधीशों की नियुक्ति करके तथा कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करके ऐसा कर सकते हैं। अतः विधि मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इन सभी पहलुओं पर विचार करके एक व्यापक कानुन बनाए और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की संख्या पर भी विचार करें और यह भी देखे कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ायी जाये।

4.00 म०प०

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का बहुत जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं। यह अत्यन्त आवश्यक और उचित है, जो लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा कर 25 करने का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि उन्होंने खुद ही कुछ दिन पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 18 से बढ़ाकर, कुल मिलाकर चीफ-जस्टिस को लेकर, 30 करेंगे, लेकिन चीफ-जस्टिस ने 25 की मांग की थी और उन्होंने उसको मंजूर किया था। यह एक अच्छा अवसर है, क्योंकि बराबर जब जैसी जरूरत हुई तो जजों की संख्या बढ़ाई गई। जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट बनी तो सात जजेज थे, अब सात से बढ़कर 25 हो रहे हैं, यह बहुत ही उचित है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जजेज में जो संभावित रिक्तियां होने वाली हैं, उनके लिए पहले से ही प्रयास होना चाहिए ताकि रिक्तियां होने के साथ-साथ या कम-से-कम अवधि के अन्दर ही उसकी पूर्ति हो जाए। आज होता यह है कि रिक्तियां होती हैं, लेकिन अर्से तक उनकी जगह पर कोई रखा नहीं जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ही तीन जजेज तो रिटायर कर चुके हैं, चीफ जस्टिस को मिलाकर और एक जज का अभी दुर्भाग्यवश देहान्त हो गया है। अगली जनवरी, फरवरी तक दो जजेज और रिटायर हो जायेंगे, तो छः तो ये तात्कालिक

[श्री श्याम लाल यादव]

रूप से रिक्तियां हो रही हैं। चार तो हो चुकी हैं और दो और हो रही हैं। इसके अलावा दो सिटिंग जजेज इन्क्वायरी कमीशनों के जज हो रहे हैं। इस तरह से आठ जज तो लगभग अभी इस काम से अलग ही हैं।

अब एक प्रश्न यहां यह उठता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेज़ को इन्क्वायरी दी जाय या न दी जाय। इस पर इस देश में बहुत विवाद हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि सिटिंग जजेज़ को रखा जाय, रिटायर्ड जजेज़ को न रखा जाय। लेकिन मैं देखता हूं कि जिस प्रकार से रिक्तियां होती हैं उनको देखते हुए सिटिंग जजेज़ को रखने की जरूरत नहीं है बल्कि रिटायर्ड जजेज़ को ही यह इन्क्वायरी का काम दिया जाय। हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र में रिटायर होता है और वही सुप्रीम कोर्ट में आ जावे तो 65 तक चल सकता है। तो वह काम भी कर सकता है और ईमानदारी से काम कर सकता है, किसी तरह का सन्देह उसके काम पर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस मामले पर सरकार को सोचना चाहिए और उन्हीं को इस काम के लिए रखना चाहिए क्योंकि इस तरह से सिटिंग जजेज़ को इस काम में फंसाने से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के काम में बाधा उत्पन्न होती है। इसका एक नमूना मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इसके सम्बन्ध में दोनों तरह की राय है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो अहम मसले हों उनमें सिटिंग जजेज को रखा जाय, रिटायर्ड जजेज़ को न रखा जाय। लेकिन मैं देखता हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज की कमी है और अक्सर स्थान रिक्त रहते हैं उसको देखते हुए सिटिंग जजेज़ को इन्क्वायरी कमीशन में रखने की परम्परा को चलाने की जरूरत नहीं है। बल्कि रिटायर्ड जजेज़ को ही इस जिम्मेदारी या पद को दिया जाय क्योंकि वह जज रहे हैं, योग्य हैं और जब जज रह सकते थे तो इस काम को भी वह अच्छी तरह से कर सकते हैं।

अब जहां तक जजेज़ की नियुक्ति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भी दोनों तरह के मत हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस मैथ्यू जिनको आज ही एक कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने ही इसके खिलाफ राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ को बढ़ाने से न्याय मिलने में सुविधा नहीं होगी और उनकी क्वालिटी गिर जायगी। जो रूलिंग्स होंगी उनमें एक-दूसरे से बहुत मतभेद उत्पन्न हो जायगा। इसलिए जजेज़ को बढ़ाना नहीं चाहिए। इससे लिटिगेंट्स का विश्वास जूडिशियरी से उठ जायगा। लेकिन उनकी यह राय समीचीन नहीं प्रतीत होती और इन जजेज़ को तो रखना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से मुकदमे बढ़े हैं उसको देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है। इस बिल को प्रस्तुत करते हुए जो एम्स एण्ड आबजेक्ट्स का स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है। और हम लोग सब जानते हैं कि 17 लाख से ऊपर मुकदमे अभी पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जो विचाराधीन हैं। न्याय मंत्री श्री अशोक सेन ने कुछ दिन पहले कहा कि मैं चाहता हूं कि क्रिमिनल केसेज़ का सुप्रीम कोर्ट में एक साल में फैसला हो जाय और सिविल केसेज़ का दो साल में फैसला हो जाय। लेकिन वह स्थिति नहीं है। दस साल में भी फैसला हो जाय तो लिटिगेंट्स का बड़ा सौभाग्य होता है। आज उद्योग बढ़ रहे हैं और आर्थिक तरक्की हो रही है तो कान्स्टीच्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट्स जो दिए हैं उनकी तहत अनेक

मुकदमे होते हैं और अनेक कानून जो बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं उनको वैधानिकता को बराबर चुनौतियां दी जाती हैं। इस प्रकार से बहुत से पेचीदे सवाल कानून के नुक्ते से अदालतों के सामने आते रहते हैं। इसलिए मुकदमों का बढ़ना तो अवश्यम्भावी है। डेमोक्रेसी में ये मुकदमे तो बढ़ेंगे। जितना ही विकास होगा, उतने ही बढ़ेंगे। उनके बढ़ने से तो मैं समझता हूं कि हमारे देश का जनतंत्र ठीक तरह से चल रहा है और हमारी न्यायिक व्यवस्था पर आम लोगों का विश्वास है। इसलिए उसमें कमी तो नहीं हो सकती। लेकिन यह जरूर है कि खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी जजेज़ की नियुक्ति में शीघ्रता होनी चाहिए।

एक चीज़ और है। एडीशनल, एड-हाक जजेज़ नियुक्त किए जा सकते हैं क्योंकि काम अधिक होता है। लेकिन एक चीज और भी है कि जब इतनी अधिक जजेज़ की वकैन्सीज़ हो जायेंगी तब क्या एकदम परमानेन्ट जजेज़ की नियुक्ति होगी। एडीशनल जजेज़ पहले नियुक्त किए जायेंगे और परमानेन्ट वकैन्सीज रहते हुए भी, परमानेन्ट जजेज़ की नियुक्ति बाद में की जायेगी। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में एतराज़ भी होगा और मैं समझता हूं अगर परमानेन्ट जजेज़ की वकैन्सीज़ हैं तो उनको भरने के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू होनी चाहिए बल्कि समय से पहले—6 महीने पहले से ही कार्यवाही शुरू हो जानी चाहिए ताकि जो रिक्तियां हों उन पर तुरन्त परमानेन्ट जजेज़ की नियुक्ति की जा सके। एड-हाक और एडीशनल जजेज की जैसी जहां पर जरूरत हो उसी हिसाब से उनकी नियुक्ति की जा सकती है!

हमारे चीफ जस्टिस श्री चन्द्रचूड़ ने यह सुझाव दिया था कि कई प्रकार के ट्राइब्यूनल्स, जैसे नेशनल टैक्सेशन ट्राइब्यूनल, सर्विस ट्राइब्यूनल्स, लेबर ट्राइब्यूनल्स नियुक्त किए जा सकते हैं जिससे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जो अपील के मुकदमे आते हैं उनको इन ट्राइब्यूनल्स में ही सुन लिया जाया करे। साथ-ही-साथ इन ट्राइब्यूनल्स का जो अध्यक्ष जज हो वह सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज हुआ करे ताकि सुप्रीम कोर्ट में लिटीगेशन न बढ़ने पाए। तो इस प्रकार का जो उनका विचार था, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत-सी लेबर कोर्ट्स और सर्विस मैटर्स की कोर्ट्स तो इस्टैबलिश भी हो चुकी हैं, बहुत से ऐसे ट्राइब्यूनल्स बने भी हैं लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट की लेबल पर नहीं हैं।

एक सुझाव उन्होंने और भी दिया था कि एक जज का फैसला हो उसके खिलाफ लीव ऑफ अपील की दरख्वास्त दी जाए या बेल एप्लीकेशन दी जाए या ट्राइब्यूनल की अपील की जाए तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक जज ही करे। अब तक की परम्परा यह रही है कि दो जजेज़ अपील सुनते हैं और वही निर्णय देते हैं। तो इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

एक सुझाव और भी दिया था कि अदालतों में जल्दी-से-जल्दी सुनवाई करने के लिए वकीलों की बहस को कम किया जाए, वकील लिखित बहस भी दाखिल कर सकते हैं लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ। लेकिन यह प्रश्न ऐसे हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ को रखा जाए तो जहां और बातों को देखा जाए वहां इस बात को भी देखा जाए—मेरी समझ से—कि वे

[श्री श्याम लाल यादव]

किस क्लास को वे बिलांग करते हैं, रेप्रेजेन्ट करते हैं और क्या उनकी बैकग्राउन्ड है। समाज के बड़े वर्ग के लोगों का ही उनमें प्रतिनिधित्व हो—ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एलीट सोसायटी है, अपर-स्ट्रेटा की सोसायटी है या जो पुराने लैण्डलार्ड, जमींदार रहे हैं वही नहीं, समाज के हर वर्ग, आम जनता के लोग भी उसमें रखे जायें। हम समाजवाद की चर्चा करते हैं इसलिए आम वर्ग के लोगों को, उस विचारधारा के लोगों को भी उनमें रखा जाए तभी हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन से पता चलता है कि हर वर्ष 49,000 मामले दायर किए जाते हैं और उच्चतम न्यायालय में 70,000 से भी अधिक मुकदमें विचाराधीन हैं। इसलिए न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 अर्थात् उसे लगभग 50 प्रतिशत अधिक, करने की जरूरत है।

लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि संख्या से योग्यता अधिक मायने रखती है। अतः न्यायाधीशों की योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए। अगर हम अधिक गुणवत्ता तथा कार्य-कुशलता चाहते हैं तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा अन्य पारिश्रमिकों में वृद्धि की जानी चाहिए। पारिश्रमिक अधिक होंगे तो बार के कुशल एडवोकेट न्यायपीठ में शामिल होना चाहेंगे। इसलिए इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह कि विधि पत्रिकाओं में प्रकाशित निर्णयों को देखने से पता चलता है कि न्यायाधीश निर्णय बड़े विस्तार से लिखते हैं। न्यायाधीशों को दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे लोग उनके मुवक्किल नहीं होते। एडवोकेट को अपने मुवक्किलों तथा न्यायधीश को तर्कों द्वारा संतुष्ट करना होता है अतः वह तो अधिक समय ले सकते हैं। लेकिन न्यायाधीशों को अपने निर्णय संक्षेप में देने चाहियें। वे कारण बना सकते हैं और ऐसा करके समय की बचत कर सकते हैं। जहां तक सम्भव हो सुनवाई के तुरंत बाद निर्णय दे दिया जाना चाहिए। इसमें बहुत अधिक देरी नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर रोकादेश दिए जाते हैं तो वे सालों-साल चलते रहते हैं और चालाकी चल जाती है तथा जिसके पक्ष में ये आदेश जारी किए जाते हैं उसे अपनी आशा से कहीं अधिक समय मिल जाता है। अतः स्थगन रोकादेश के मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को जिनमें न्यायाधिकरण निर्णय ले सकते हैं, न्यायाधिकरणों को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उच्चतम न्यायालय को इस काम से मुक्ति दिलाकर उसका बोझ हल्का किया जा सके। मामलों को ग्राह्य करते समय उनकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

कहा जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है जिससे न्यायालयों में मामलों के निपटान में देरी होती है। लेकिन बहुत बार तर्क देकर या जोर देकर कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों

की नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है ताकि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उससे उच्चतम या उच्च न्यायालय के काम में बाधा न पड़े।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, जैसा कि प्रायः होता है, सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए बहुत देर बाद यह विधेयक लाई है। 12 से भी अधिक सालों से, उच्चतम न्यायालय मुकदमें दायर किए जाने के बाद निर्णय लेने में जब से 4-5 साल लगा रही है, तब से इस बारे में मांग की जा रही है। विलम्ब से लाये गये इस विधेयक से वर्तमान जरूरतें पूर्णरूपेण पूरी नहीं होंगी। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार 31 मार्च, 1984 तक विचाराधीन मामलों की संख्या 73,206 है। एक साल और बीत चुका है अतः हजारों मुकदमें और दायर हो जाने से इस संख्या में और वृद्धि हो गई होगी। इन निर्णयाधीन मामलों को तथा प्रतिवर्ष दायर होने वाले करीबन 50,000 मुकदमों को निपटाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में अधिक वृद्धि करनी चाहिए। इस समय हम न्यायधीशों की संख्या सात और बढ़ा रहे रहे हैं। अगर 10, 12, या 14 भी बढ़ाने का प्रस्ताव होता तो मैंने इसका स्वागत किया होता। इसके लिए प्रत्येक न्यायाधीश पर 1,60,000 के हिसाब से अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। मेरे विचार से देश की इतनी सामर्थ्य है कि वह 7 या 8 और न्यायाधीशों पर धनराशि व्यय कर सके। अगर ऐसा किया होता तो वह बहुत स्वागत योग्य कदम होता। यह समझा जाता है कि सरकार प्रगतिशील है, लेकिन हाल में ही उत्पन्न समस्याओं का सामना करने का वह प्रयास नहीं कर रही है। अगर संख्या में 10, 12 या 14 तक की वृद्धि की जाती तो यह प्रमाणित हो गया होता कि सरकार 21वीं शताब्दी की ओर देख रही है न कि बीते दशक की ओर। परन्तु इस विधेयक को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है।

महोदय ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने पर न्यायाधीशों की योग्यता में कमी आएगी। यह आशंका इस तथ्य पर आधारित है कि लोग उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी गुणवत्ता में काफी कमी आई है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से ही किया जाता है। ज्यादातर लोग यही कारण बताते हैं कि वेतन तथा परिलब्धियां ज्यादा होनी चाहिएं। मैं इससे असहमत नहीं हूं। मैं निश्चित रूप से सहमत हूं कि मुद्रास्फीति तथा न्यायाधीशों की सामाजिक स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा परिलब्धियां अधिक होनी चाहिएं। लेकिन यह सारी बात इस पर निर्भर करती है कि हमारी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था में एक न्यायधीश को क्या इज्जत तथा गरिमा दी जाती है।

4.13 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

न्यायाधीशों का स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन स्थानांतरण करता कौन है? नाम के

[श्री अमल दत्त]

लिए तो राष्ट्रपति लेकिन असल में संबंधित विभाग का संयुक्त सचिव। न्यायाधीशों का दर्जा जब इस तरह कम किया जाता है तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि ईमानदार और सक्षम व्यक्ति न्यायपालिका में उच्च पद पर अर्थात् उच्च न्यायालयों में नियुक्त होना चाहेंगे जहां से उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

न्यायाधीशों को कार्यपालिका के नियंत्रण में रखने का विचार छोड़ दिया जाना चाहिए और उनकी स्वतन्त्रता को बरकार रखा जाना चाहिए। तभी न्यायाधीशों की स्थिति, सम्मान और गरिमा ऐसी होगी कि हमें न्यायपालिका में वास्तव में सक्षम न्यायाधीश मिलेंगे। इससे न्याय-पालिका, की, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, गुणवत्ता में कमी आने की आशंका भी नहीं रहेगी।

चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय लक्ष्य यही होना चाहिए कि निर्णयों में देरी न हो—विलम्ब का दोहरा प्रभाव होता है। निर्णय में देरी से न केवल मुकदमें से संबंधित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता बल्कि इससे और मुकदमें पैदा होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति को अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में आने से निषेधाज्ञा मिल जाती है तो वह जान जाता है कि 4-5 वर्ष के लिए तो छुट्टी हुई क्योंकि न्यायालय मामले में निर्णय देने में अगले 4-5 साल लगा देगा। इस बीच वह, वह सब फायदे उठा लेता है जो वह उठाना चाहता है। उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अनेकों मुकदमें तो सुनवाई के बिना ही खत्म कर दिए जाते हैं क्योंकि उनमें प्रार्थी ही उपस्थित नहीं होते। प्रार्थी द्वारा अदालत में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी न करने की चूक के कारण मुकदमे खारिज हो जाते हैं। आवेदक इसी 4 या 5 वर्ष के समय को प्राप्त करना चाहता था और कुछ नहीं। वह जानता है कि अन्ततः उसकी हार ही होगी। इसे कोई रोक नहीं सकता।

दुर्भाग्य से, इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि सरकार तुच्छ मामलों की संख्या घटाने और उन लोगों को, जो ऐसे छोटे-छोटे मामले दायर करते हैं, दण्डित करने के लिये विधान पेश करना चाहती है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैंने ऐसे किसी प्रस्ताव को न तो देखा है और न उसके बारे में सुना है। मैं समझता हूं कि सरकार को इन बातों की ओर अर्थात् मामलों के लम्बित रहने से मामले और पैदा होते है और कितने वर्षों तक मामले लम्बित रहते हैं सोचना चाहिए। अतः मामले 6 माह या एक वर्ष या ऐसी ही कुछ अवधि तक ही लम्बित रहने चाहियें। ऐसा ही कोई उद्देश्य होना चाहिये और जो भी परिवर्तन प्रक्रिया में या कानूनों में करने की जरूरत पड़ किये जाने चाहियें, ताकि मामलों के निपटान में कोई देरी न हो। इससे दायर किये गए मामलों की संख्या वर्तमान संख्या की तुलना में स्वतः आधी या आधी से भी कम रह जायेगी, क्योंकि छोटे-छोटे मामले पैदा ही नहीं होंगे।

मैं समझता हू कि सरकार को अब समग्र रूप से, व्यापक दृष्टि से यह सोचना चाहिए, कि ऐसे क्या कदम उठाये जायें जिससे दायर किए गए मामलों की संख्या कम हो जाये; और सरकार को यह भी देखना चाहिए कि ऐसे झूठे मामले दायर करने वालों को दण्डित करने के लिए समुचित

कदम ठीक उसी तरह से उठाए जायें जैसा कि उन सभी देशों में होता है जहां 'आंग्ल-सैक्सन' विधि-शास्त्र है। वे लोग, जो ऐसे मामले लेकर न्यायालय में जाते हैं और तुच्छ आधार पर या झूठे या गलत हलफनामे देकर आदेश जारी करवा लेते हैं, इस देश में दण्डित भी नहीं किए जाते। उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई विधान हो तो हमें तुरन्त ही कम से कम 50 प्रतिशत मामलों से छुटकारा मिल जायेगा और इससे दायर किए गए तुच्छ मामलों की संख्या कम हो जायेगी और मामलों के लम्बित रहने की अवधि एक अभीष्ट सीमा—6 माह से एक वर्ष तक रह जायेगी।

अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह व्यापक दृष्टि से सोचे और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विधान लाए।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। मामलों के लंबित रहने की इस लम्बी अवधि को कम करने का एक तरीका यह है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाए।

हाल ही के वर्षों में निपटाए गए मामलों की संख्या बढ़ी है परन्तु दायर किए गए मामलों की संख्या भी बढ़ी है। इसलिए मामलों के निपटान की गति मामलों के दायर किए जाने की गति के अनुरूप नहीं है। लंबित मामलों की संख्या कम करने का एक तरीका यह है कि दायर किए जाने वाले मामलों की संख्या कम हो।

मैं नहीं जानता कि क्या विधि मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में आने वाले मामलों का इस दृष्टि से कोई अध्ययन किया है कि वे किस श्रेणी के हैं। यदि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार पर नजर डालें तो आप पायेंगे कि कोई 80% मामले नागरिक और राज्य के बीच हैं। एक कल्याणकारी राज्य में, एक नागरिक को अपने मूल अधिकार या कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जाने को विवश होना पड़ता है। यद्यपि वे वैध हैं और यद्यपि सरकार यह महसूस करती है कि एक अच्छा मामला है, फिर भी सरकार मामले पर लड़ने की बात सोचती है और न्यायालय को इसका फैसला करने को कहती है। सरकार स्वयं फैसला नहीं देगी। मेरा अपना अनुभव कुछ वर्ष यही रहा है। कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। वह कहती है कि न्यायालय को फैसला करने दो। अब न्यायालय उस मामले में क्यों फैसला दे जबकि यह बात स्पष्ट है कि नागरिक को एक विशिष्ट बात का अधिकार है। उसे यह मान लेना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में हर किसी नागरिक को न्यायालय की शरण लेने को विवश नहीं किया जाना चाहिये।

दूसरे कर के मामलों, श्रम विवादों और सेवा से संबंधित मामलों के निपटाने के लिए न्यायधिकरण बनाने की बात एक बार सरकार सोच रही थी ताकि ऐसे मामलों को उच्चतम न्यायायय में ले जाने की आवश्यकता न पड़े। यह पहलू विचारणीय है लम्बित कर संबंधी मामलों, जो कि कई वर्षों से लम्बित पड़े हैं कि संख्या कम की जा सके।

न्यायाधीशों के प्रति उचित सम्मान के साथ (मैं यह कहूंगा) कि प्रत्येक न्यायाधीश कर के मामलों में दक्ष नहीं होता। आयकर अधिनियम में कर दाताओं का अपने मामले लड़ने के लिए तंत्र

[श्री जगन्नाथ राव]

की व्यवस्था की गयी है। एक निर्धारिती पहले अपीलीय सहायक आयुक्त के पास जाता है, फिर वहां से वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास जाता है, फिर वहां से वह किसी कानून मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय जाता है। ऐसी स्थिति में, जबकि सरकार को यह निर्णय लेना हो कि क्या कोई मामला उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए अथवा नहीं, जबकि निर्धारितों के पक्ष में मामला जाता हो; तो सरकार को यह कह देना चहिए कि इसे उच्चतम न्यायालय में भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत अधिक संख्या में लम्बित मामलों को कम करने का यही सबसे अच्छा तरीका है।

मेरे मित्र जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीशों के नियुक्त किए जाने के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अब, 18 न्यायाधीशों में से, मेरे विचार में, न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या केवल दस है। आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि मामलों का निपटान शीघ्र हो ? केवल एक प्रमुख निर्णाय के 'प्रिवी' तरीके को क्यों नहीं अपनाया जाये। अधिकांश का विचार लिया जाता है। उनका कहना है कि हम विनम्रतापूर्वक तदनुसार महामहिम को परामर्श देते हैं। अब तीन या चार न्यानाधीशों की एक बेंच बना दी जाती है। अधिकांश जो मत हो उसे स्वीकार कीजिए। किन्तु यदि एक न्यायाधीश किसी निर्णय पर पहुंचता है और दूसरा न्यायाधीश भी उसी निर्णय पर पहुंचता है किन्तु विभिन्न कारणवश—वह पहले न्यायाधीश के कारणों से सहमत नहीं है तो—हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि उस निर्णय का विधिक आधार क्या है। इसलिए, यदि एक निर्णय दिया जायेगा तो उससे न्यायालय का समय और शक्ति बचेगी।

यदि आप 'आल इंडिया रिपोर्टर' को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पांच न्यायाधीशों की एक बेंच ने 500 पृष्ठों में एक निर्णय दिया है। इसका कोई लाभ नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून देश का कानून होता है। प्रत्येक व्यक्ति इससे बंधा होता है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि उसके पीछे कानूनी तर्काधार क्या है और लिए गए निर्णय के पीछे क्या कारण हैं। वह स्पष्ट नहीं है। विद्वान् न्यायाधीशों के प्रति समुचित आदर व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि न्यायाधीश विधि संबंधी तथा अंग्रेजी भाषा संबंधी अपनी योग्यता प्रदर्शित करना चाहते हैं। कुछ निर्णय तो 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी के गद्य की तरह होते हैं। इसलिए इस पहलू की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी विशेष निर्णय के बारे में अधिकांश की राय एक-सी हो तो केवल एक ही निर्णय दिया जाय। निर्णय के बारे में मतभेद हो सकता है। इसलिए, न्यायाधिकरण का गठन करके ही अधिक संख्या में दायर किए जाने वाले और लम्बित मामलों की संख्या कम करने का एक तरीका है। इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण लेने के लिए विवश करके परेशान न किया जाये।

यह मांग की जाती रही है कि उच्चतम न्यायालय की एक बेंच को तीन महीने अथवा चार महीने में कम से कम एक बार दक्षिण में जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए। एक सर्किट बेंच तीन महीने या चार महीने या छः महीने में एक महीने के लिए एक बार हैदराबाद भेजी जाय जिससे कि यह दक्षिण से संबंधित मामलों का निपटारा भी कर सके।

अतः इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। इस बातों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री के० आर० नटराजन (डिन्डिगुल) : सभापति महोदय, अखिल भारतीय अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कषघम की ओर से उच्चतम न्यायालय में आठ और न्यायाधीशों को बढ़ाने के विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

इस विधेयक के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 124 (1) में कहा गया है कि :

> "124(1) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा जब तक संसद विधि द्वारा और अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक, अन्य सात से अनाधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।"

किन्तु विधेयक में बताया गया है कि 17 न्यायाधीश पहले से ही उपलब्ध हैं।

एक माननीय सदस्य : एक संशोधन किया गया है।

श्री के० आर० नटराजन : किन्तु अनुच्छेद 124 (1) में कोई संशोधन नहीं किया गया है। न्यायाधीशों की संख्या के बारे में संशोधन होना चाहिए था। यहां, केवल सात न्यायाधीशों का उल्लेख है। संविधान के प्रभावी होते समय यही निर्धारित किया गया था।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए क्योंकि इस विधेयक के लिए केवल एक घंटे का समय नियत किया गया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आप उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या एक ही बार में पांच मिनट में बढ़ा लेना चाहते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उन्होंने केवल पांच वाक्य कहे हैं।

एक माननीय सदस्य : केवल पांच लाइनें।

श्री के० आर० नटराजन : संख्या बढ़ाकर दस की गई थी और इसके बाद सत्रह कर दी गई थी। 1977 में बढ़ाकर 17 की गई थी। किन्तु यह पता चला है कि अनुच्छेद 124 में ऐसा नहीं है। वहां ऐसा होना चाहिए था।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में एक संशोधन विधेयक पेश किया जाए।

उच्चतम न्यायालय में अत्यधिक संख्या में मामले लम्बित हैं। इसलिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी ही होगी। उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन मामलों की संख्या कम करने के लिए क्षेत्रवार तथा राज्यवार अनेक न्यायाधीश नियुक्त करने होंगे। अनेक मामले तो 15 वर्ष से अधिक समय से निर्णयाधीन पड़े है। ये मामले धीरे-धीरे बढ़ते रहे हैं और अधिक न्यायाधीश नियुक्त करके ही लंबित मामलों की संख्या कम की जा सकती है।

[श्री के० आर० नटराजन]

छोटे-छोटे और महत्वहीन मामलों को भी उच्चतम न्यायालय में स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए अनुच्छेद 136(1) में, जो याचिकाओं के संबंध में विशेष अनुमति दिए जाने के बारे में है, समुचित संशोधन किया जाए जिससे कि यह महत्वहीन मामलों की याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में स्वीकार ही न की जाएं।

इसके अलावा उच्च न्यायालयों में भी अनेक मामले निर्णयाधीन हैं। न्यायमूर्ति श्री जसवंत सिंह ने कहा था कि लगभग 5,85,000 मामले उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। इसलिए उच्च न्यायालयों में भी न्यायाधीशों के संख्या बढ़ाई जाने चाहिये।

मेरा एक सुझाव यह है कि उच्चतम न्यायालय की एक पृथक् बेंच—अथवा सर्किट बेंच— मद्रास में स्थपित की जाए जिससे कि दक्षिण से उच्चतम न्यायालय में आने वाले निर्णयाधीन मामले कम किए जा सकें। मद्रास में स्थापित बेंच इन मामलों को निपटा सकती है। इसी प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन मामलों की संख्या कम करने के लिए मदुराई में उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच स्थापित की जाये। मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सात पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा वहां की सरकार ने तीन नामों की सिफारिश की है। उनका अनुमोदन बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। कम से कम तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति तो की ही जा सकती थी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन सभी मामलों पर ध्यान दिया जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही की जाए।

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उतर) : संशोधन का स्वागत करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

वास्तव में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से मामलों को निपटाया जा सकेगा। मेरे विचार से व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। न्यायाधीशों की संख्या 7 से 10, 10 से 14, 14 से 17 और अब 17 से बढ़कर 25 कर दी गई है। एक प्रतिवेदन के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 1981 में 48,653 मामले निर्णयाधीन थे जबकि उनकी संख्या बढ़कर 31.12.1984 को 86,730 हो गई। अत: बकाया पड़े मामलों की संख्या प्रति-वर्ष बढ़ती जा रही है। यद्यपि समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती रही है किन्तु बढ़ते हुए मामलों की तुलना में निपटाए गए मामलों का अनुपात कम रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस संबंध में कोई और कठोर विधान लाया जाए।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था है। निर्धन-वादियों के लिए संवैधानिक वाद बहुत ही मंहगे हो गए हैं। वह दिल्ली में उच्चतम न्यायालय तक नहीं आ सकता है। विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के अनुसार मामलों का निपटान शीघ्र होना चाहिए तथा उसमें कम खर्च होना चाहिए। इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 39क में यह उपबंध है कि समान अवसर के आधार पर विधिक

प्रणाली द्वारा न्याय दिलाया जाय। वह अभी तक नहीं हो पाया है। और दूसरे भाग में कहा गया है कि यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आर्थिक कारण अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाये। वह भी नहीं हो पाया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक वाद 1949 में दायर किया गया था और उच्चतम न्यायालय में वह 1982 में निपटाया गया। जब मामला दायर किया गया था तब वह व्यक्ति अविवाहित था जब उसे निर्णय मिला उस समय तक उसका विवाह हो चुका था और उसके छः बच्चे थे। वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सका। अपनी जनता को हम यह न्याय दे रहे हैं।

यद्यपि राज्य विधान मण्डलों तथा संसद द्वारा अनेक विधेयक पारित किए जा चुके हैं तथापि निर्धन जन-साधारणवादी का हित सुरक्षित नहीं है। संविधान को अपनाये जाने के समय दिल्ली में उच्चतम न्यायालय स्थापित करना उपयुक्त रहा होगा। किन्तु जनसंख्या की वृद्धि के साथ वादी लोगों की संख्या भी उसी अनुपात बढ़ गयी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उच्चतम न्यायालय की एक बेंच दक्षिण में स्थापित की जाये। चूंकि इसकी मांग विशेष रूप से बंगलौर से की जा रही है इसलिए उसे वहीं स्थापित किया जाये जहां आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालयों से लिए जाते हैं जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। उनके मामले में यह प्रणाली स्वयं ही दोषपूर्ण है। इसका एक कारण यह है कि मुख्य न्यायमूर्ति की इच्छा और अनिच्छा की संभावना से इंनकार नहीं किया जा सकता और इसके अलावा स्थानीय दबावों की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। संविधान में योग्यता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे मैं कई तरह से स्पष्ट कर सकता हूं किन्तु समस्याभाव के कारण मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि मामलों को निपटाने के लिए केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है अपितु अपेक्षित स्थानों में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की बेंच स्थापित करनी होगी। उच्च न्यायालयों में 11 लाख मुकदमें लंबित हैं। ये आंकड़े विधि मंत्रालय ने दिये है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : सभापति महोदय, श्रीमान्, मैं मंत्री महोदय को तंग नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय के उत्तर का होने वाले भाषणों से कोई संबंध नहीं है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय सुन रहे हैं। आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, क्या आपको इस बारे में पक्का विश्वास है।

श्री ए० के० सेन : मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्यों के बोल चुकने के बाद मेरी बात अच्छी तरह से सुनी जायेगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सभापति महोदय, हमारे विधि मंत्री अनुभवी वकील तथा प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं। हमें उम्मीद थी कि वह कच्चा काम न करके पक्का काम करेंगे। परन्तु

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

हमारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं क्योंकि वह एक के बाद एक छोटे-छोटे कानून ला रहे हैं। अभी पिछले दिन वह उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने वाला एक विधेयक लाए थे, कल ही वह न्यायाधीशों का संरक्षण देने वाला विधेयक ला रहे हैं और आज वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का विधेयक लाये हैं।

मंत्री महोदय ने लम्बित मामलों में हो रही वृद्धि का उल्लेख किया है। मंत्री को दिए गये टिप्पण के अनुसार 1977 और 1985 के बीच लम्बित मामलों की संख्या 14,000 से बढ़कर 73,000 हो गई। परन्तु मैं इन आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं मानता। वास्तविक आंकड़े बताए गए आंकड़े से बहुत अधिक होने चाहिएं।

श्री ए० के० सेन : हमने आपको सही स्थिति बताई है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या इनकी गणना कंप्यूटर द्वारा की गई है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : विधि मंत्री द्वारा 27 जनवरी, 1985 को दिये गए उत्तर के अनुसार उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या 1,48,000 थी। अत: मैं जानना चाहता हूं कि कौन से आंकड़े सही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही 30 जून, 1984 को लम्बित मामलों की संख्या 2,12,000 थी। विधि मंत्री को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पता होनी चाहिए। उनकी संख्या 60 है। अत: मैं विधि मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बकाया मामले न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है ? मैं नहीं समझता कि मात्र न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा कर बकाया मामलों का निपटान शीघ्र होगा। हमने निस्सन्देह न्यायिक सुधार के समूचे मामले पर उस समय विस्तार से चर्चा की है जब वाद-विवाद दण्डवते जी ने शुरू किया था। तारकुंडे जैसे प्रसिद्ध न्यायविद ने विभिन्न न्यायाधिकरणों के गठन का सुझाव दिया था। मैं उन सभी न्यायाधिकरणों का उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं न्यायीधशों के गुणों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम मामलों के निपटाने में हुए विलम्ब की चर्चा करते रहे हैं परन्तु मैं विधि मंत्री का ध्यान मामलों में सुनवाई होने के बाद निर्णय देने में असाधारण विलंब का उल्लेख करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश के अराजपत्रित तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद निर्णय देने में एक वर्ष और कुछ मास लिए। मैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थक रहा हूं परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे भी किन्हीं मानदण्डों पर चलें। मैं उच्चमत न्यायालय के एक विशेष न्यायाधीश को जानता हूं जिन्हें आज भी साठ मामलों का निर्णय लिखना है। अत: मैं विधि मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा तरीका अपनायेंगे जिससे संसद को इस बात का पता चल सके कि विभिन्न न्यायाधीशों को निर्णय देने में कितना समय लगा।

मुझे न्यायाधीशों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता के बारे में नहीं कहना है। इस बारे में आम सहमति है। विधि मंत्री स्वयं इस बारे में हमसे सहमत होंगे, परन्तु इस दिशा में वह कुछ नहीं कर रहे हैं।

न्यायाधीश अपने निर्णय शीघ्र दे सकें इसके लिए हमें भी उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान किये जाने के लिए कदम उठाने होंगे। कई उच्च न्यायालयों में फोटो, कापी की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। वास्तव में मैं कंप्यूटरों का अधिक समर्थक नहीं हूं परन्तु मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय में एक कंप्यूटर आवश्यक है, क्योंकि अन्यथा कई चीजें न्यायाधीशों को वस्तुतः सारणी रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं।

अब सरकार संख्या इस गति से बढ़ा रही है कि मुझे इसके पीछे सरकार के इरादों पर सन्देह हो रहा है। यह पार्टी सदैव प्रतिबद्ध न्यायाधीशों के सिद्धान्त के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए विख्यात रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह न्यायाधीशों के स्थान पर कंप्यूटर लगा सकती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं नहीं जानता कि क्या यह सरकार उच्चतम न्यायालय में प्रतिबद्ध न्यायाधीशों को भरने के लिए इस अवसर का उपयोग नहीं करेगी। ऐसे अनेक कानून हैं जिनमें परिवर्तन करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मूल संरचना का एक सिद्धान्त है। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में आठ की वृद्धि होती है तो कोई नहीं जानता कि उच्चतम न्यायालय की संरचना में क्या परिवर्तन आयेगा तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या रवैया होगा। मैं चाहूंगा कि विधि मंत्री इन सभी आशंकाओं का निवारण करें।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है इससे यह मालूम नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से न्याय जल्दी मिल जायेगा।

एक बात यह है कि आजकल जजेज़ होम वर्क नहीं करते हैं। पहले जजेज़ अपने सारे मुकदमें और मामले देखकर आते थे और आने के बाद वकीलों को इजाजत नहीं देते थे कि लम्बी बहस करें। वह खुद केस के प्वाइन्ट निकाल लेते थे और उनका जवाब मांगते थे।

आजकल जजेज़ एक साल में बहुत कम दिन काम करते हैं। 183 दिन जजेज़ काम नहीं करते और 182 दिन वह कोर्ट में आते हैं। 182 दिन में भी जजेज़ अपने मुकदमे और मामले पढ़कर आयें और डे-टू-डे हीयरिंग करके केस समाप्त कर दें तो जजमेंट जल्दी हो सकते हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जजेज के काम को कौन जांचता है कि ये जजेज काम निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं ?

आजकल तो जजेज रोटेरी क्लब और लायन्स क्लब में भाषण देते हैं, कभी धर्म की आड़ में साधुओं के पास जाते हैं और काम करते हैं। आजकल तो जजेज़ नेता भी बनने लगे हैं। आजकल जजेज़ अपना काम नहीं करते, वह भी कभी-कभी सरकार की मेहरबानी के भूखे रहते हैं।

जजेज़ के एपाइन्टमेंट के मामले में आपने कहा है कि 10 साल का वकालत का जिसे एक्सपीरिएंस होगा, वह एप्वाइन्ट कर दिया जाएगा। कई वकील ऐसे होते हैं कि 10 साल की प्रैक्टिस के बाद भी कुछ नहीं होते। एक बात आपने कही कि जजेज़ के मामले में रिटायर्ड वकीलों ने कहा है कि सीनियर एडवोकेट्स अपने फाइनल केसेज़ में बहुत कम एपीयर होते हैं। वह

[श्री मूलचन्द डागा]

सीनियर मैन जो बार का मेम्बर है, वह मेम्बर जानबूझ कर केस लम्बा करता है। इसका तरीका यही है कि जज कम्पीटेंट और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिएं और उनके काम की जांच करने वाला कोई अधिकारी होना चाहिए जिससे कि वह निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। केस ज्यादा लम्बा न हो, इसको भी आपको देखना होगा।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, यह जो बिल लाया गया है, इसके पीछे जो मंशा है कि मुकदमों की संख्या को कम करना, लेकिन इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि न्याय जगत में फैसले के स्तर में जो गिरावट आ रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज न्याय पर से आम लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। न्याय जगत के अन्दर करप्शन है और न्याय काफी महंगा हो गया है। हालांकि हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सभी लोगों को निष्पक्ष न्याय मिलेगा, लेकिन व्यवहार में यह देखा जा रहा है कि न्याय कुछ लोगों के हाथ की चीज रह गई है, साधारण लोगों को न्याय नही मिल पाता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को खास कर जो गरीब लोग हैं, उनको फ्री न्याय मिल सके और उन लोगों को सरकार की ओर इस तरह की व्यवस्था की जाये जिसमें कोर्ट्स में उनको खर्चे की जरूरत न पड़े। न केवल वकील या एडवोकेट का सवाल है, इसके अलावा जो खर्च होते हैं, वह भी फ्री हों। आज एक केस में इतना अधिक खर्चा हो जाता है कि वह एक आम आदमी के पहुंच के बाहर हो गया है।

आजकल केस डिले आम तौर पर कौन करते हैं ? जो बड़े-बड़े लोग हैं जो कि अच्छे-अच्छे वकील रख सकते हैं, उनके केस तो जल्दी निपट जाते हैं, लेकिन गरीब लोग जानते नहीं हैं, इस कारण उनके केस लम्बे होते चले जाते हैं। आपके यहां से कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि किसी को डिले करने का मौका न मिले।

आज अपील करते समय कई स्टेजिस में से होकर गुजरना पड़ता है। इसकी तरफ आपको देखना होगा और इसमें कटौती करनी होगी। साथ-साथ जजों और अधिवक्ताओं की क्वालिटी को भी सुधारने की जरूरत है। पूरे देश के अन्दर जो जूनियर एडवोकेट हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और जो वह वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत सुविधा की डिमांड कर रहे हैं, उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक माननीय लॉ मिनिस्टर द्वारा लाया गया है, मैं निर्दलीय सदस्य होने के नाते, निष्पक्ष ढंग से इसका स्वागत करता हूं।

जहां तक कि आप देखते हैं कि विधेयक आते हैं, चर्चायें इस सदन में होती हैं, हम उम्मीद लेकर जाते हैं कि इससे लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन वह कौन-सी ऐसी परिस्थिति है, कौन से ऐसे कारण हैं कि प्रति वर्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हर जगह जजों की नियुक्ति होती है, लेकिन

फिर भी प्रति वर्ष मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप ऐसा नियंत्रण रखें जिसमें कि जजों के काम का सर्वेक्षण हो और ऐसी नीति निर्धारित करें कि अच्छे लाग सुप्रीम कोर्ट में आयें। मैं खासकर किसी एक जज या किसी एक स्टेट की बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन बिहार के सम्बन्ध में जो मेरा स्वयं का अनुभव है उसके सन्दर्भ में पूछना चाहता हूं कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, देश में वह कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनके चलते हम न्याय की भीख मांगने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि जब एक जज के यहां केस जाता है तो वह उस पर लिख देता है "ट्रांसफर्ड" और जब दूसरे जज के यहाँ केस जाता है तो वह भी उस पर लिख देता है "ट्रांसफर्ड"। बिहार प्रदेश में मैं स्वयं इसका साक्षी हूं, 307 में एक जज ने नहीं, 12 जजेज ने मेरे केस को ट्रांसफर किया। ऐसी स्थिति में मैं किससे न्याय की आशा कर सकता हूं। तो मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए तथा इस प्रकार से एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मुकदमों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ऐसे प्रावधान करने चाहिएं जिससे कि मुकदमों का जल्दी-से-जल्दी फैसला हो सके।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को चाहिए कि कम-से-कम महीने में एक बार स्टेट्स में जाएं जिससे कि गरीब तबके के लोगों को भी न्याय मिल सके।

जिस तरह से हम लोग यहां पार्लियामेन्ट में बैठते हैं, दो-चार घंटे का समय कभी-कभी बढ़ा लेते हैं उसी तरह से वेतन-भत्तों में वृद्धि करने के साथ-साथ, यदि जजेज ओवर-टाइम वर्क करके मुकदमों को निपटा सकें तो वह भी अच्छा रहेगा।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं चूंकि समय नहीं है वरना मैं बहुत-सी बातें सदन के सामने रखना चाहता था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मेरा नाम भी उसमें है। मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक के लिए समय बढ़ाया जाये। उच्चतम न्यायालय में बकाया पड़े मामलों के महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार कर रहे हैं। इसमें न्याय देने का मामला अंतर्ग्रस्त है तथा जिस ढंग से हम यह विधेयक पास कर रहे हैं वह अत्यन्त असंतोषजनक है। कम-से-कम इसे रिकार्ड में आना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया उत्तर दें।

श्री ए० के० सेन : विधेयक को शीघ्र पारित करने की कोई बात ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : इसके लिए नियत किए गए समय को आपको बढ़ाना चाहिए। (व्यवधान)

"कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन···

श्री ए० के० सेन : खैर, महोदय, इसे राज्य सभा में भी जाना है···

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, इस विधेयक के लिए आबंटित समय एक घंटा है। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनात वाला : यदि आप ऐसा रुख अपनायेंगे तो आप अपने को बड़ी कठिनाई में पायेंगे। **(व्यवधान)**

श्री ए० के० सेन : मैं······के लिए सभा का बड़ा आभारी हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, आपने समय बढ़ाने के मेरे प्रस्ताव पर कोई विनिर्णय नहीं दिया है। इसे रिकार्ड किया जाये। कोई बात नहीं है, हम बोलेंगे नहीं, परन्तु यह रिकार्ड की जानी चाहिए कि महत्वपूर्ण मामलों में बिना समुचित चर्चा किये विधेयक कैसे पारित किये जाते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आबंटित समय समाप्त हो रहा है। मंत्री महोदय विधेयक को पारित करना चाहते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह सभा की सहमति से हो सकता है। **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। यह कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तय हुआ था तथा इसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वीकार किया था **(व्यवधान)**

श्री ए० के० सेन : महोदय, क्या मैं आगे बढ़ूं।

जैसी कि मुझे उम्मीद थी विधेयक को सभा के सभा वर्गों से समर्थन मिला है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। इससे प्रकट होता है कि इस संसद ने न्याय से संबंधित मामले सदैव गैर-विवादास्पद माने हैं और दलीय आधार पर कतई नहीं। हमें 'माई लार्ड' कहने की आदत पड़ गई है। **(व्यवधान)** आदतें कम ही छूटती हैं, मैं नहीं समझता कि कैसे हम यह विधेयक पास कर रहे हैं। यह कुछ धाराओं का ही मामला है, यह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का मामला है। मैं आपको बता सकता हूं कि इस सभा ने कई बार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का समर्थन किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : तर्क का यह क्या तरीका है कि जिस पर पहले चर्चा हो चुकी है उस पर भविष्य में चर्चा की जरूरत नहीं है। यह स्वीकार करना होगा कि यह विधेयक पर्याप्त समय दिए बिना पारित किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : कार्य मंत्रणा समिति ने इसे स्वीकार किया है। आप इस तरह कैसे कह सकते हैं। हम इस टिप्पणी को स्वीकार नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : विधि मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री जी० एम० बनातवाला : विधेयक को शीघ्रता से पास किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री ए० के० सेन : मैं देखता हूं कि हर एक मामले को विवादास्पद बनाने में मैं श्री बनातवाला का मुकाबला नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपस में बात मत करें। विधि मंत्री अब उत्तर देंगे।

श्री ए० के० सेन : मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इस मामले पर भी इतनी गर्मी हो सकेगी। परन्तु श्री बनात वाला में हर जगह गर्मी पैदा करने की क्षमता है।

स्थिति यह है कि हमारे सामने वास्तविक तथ्य हैं। परामर्शदात्री समिति तथा देश की अन्य विभिन्न पार्टियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में फौजदारी का कोई मामला एक वर्ष से अधिक तथा दीवानी मामला दो वर्ष से अधिक समय तक लम्बित नहीं रहना चाहिए। यदि यह मानदण्ड हो तो हमें तदनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। हमें पर्याप्त न्यायाधीशों की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि यह बात मेरे ऊपर छोड़ी जाती तो मैं 30 न्यायाधीशों की व्यवस्था करता। जैसा कि मैंने सभा को पहले बताया है कि न्यायाधीश स्वयं उच्चतम न्यायालय में केवल 26 न्यायाधीश इस समय चाहते हैं। हमने इसे स्वीकार किया है। परन्तु मैं उन सदस्यों से पूर्णतया सहमत हूं जिन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि मात्र न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से हम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। परन्तु यह तथ्य है कि मामलों की निपटान की गति भी यह तीन गुना बढ़ गई है।

1977 में यह संख्या 10,395 थी जो कि अब 35,000 हो गई है।

किन्तु दुर्भाग्यवश मामलों को निपटाये जाने की दर को मामले दायर करने की बढ़ती दर के बराबर होना चाहिए और मामले दायर करने की गति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अत्यधिक तेजी से बढ़ी है। इस बारे में मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं।

जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें केवल सात न्यायाधीश थे। वर्ष 1960 में सात न्यायाधीशों के पास 1960 के आरम्भ में मात्र 2598 अनिर्णीत मामले थे और 3241 मामले दायर किए गए थे। फिर भी ये कम थे। हमने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ायी लेकिन हुआ क्या ?

1983 में अनिर्णीत मामलों की संख्या 63,000 पहुंच गई और मामले दायर करने की संख्या 3241 से 55,989 हो गई। बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इस अत्यधिक वृद्धि को हमें स्वीकार करना ही है। क्योंकि हमने बहुत अधिनियम बना लिए हैं, बहुत कानून बना लिए हैं जिन्होंने न केवल नागरिकों के बीच बल्कि नागरिकों और राज्यों के बीच अनेक प्रकार के अधिकारों और कर्त्तव्यों को जन्म दिया है। कोई भी प्रजातंत्रिक देश न्याय देने से इंकार नहीं कर सकता है। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 39क के अन्तर्गत सभी को सस्ता, जल्दी और निपक्ष न्याय दिलाना हमारा कर्त्तव्य है। अतः हम उन लोगों के लिए न्यायालयों के दरवाजे बन्द नहीं कर सकते जो न्याय पाने के लिए मुकदमे करने आते हैं।

किसी ने, शायद श्री अमल दत्त ने कहा है कि हमें तुच्छ मुकदमें दायर करने के लिए दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। यह सही है और यह न्यायालयों को करना है। कानून कहता है कि यदि कोई तुच्छ मामला दर्ज कराया जाता है तो न्यायालय को उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने तुच्छ और दाण्डिक मामला दायर किया है। न्यायालयों को ऐसी

[श्री ए० के० सेन]

व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां कोई तुच्छ मामला आए ही नहीं। लेकिन मुकदमे के आरम्भ में ही यह पता नहीं चल सकता कि वह तुच्छ है या नहीं। मुकदमा दायर करने के बाद ही सुनवाई होती है और निर्णय दिया जाता है और न्यायाधीश ही यह पता लगा सकता है कि जो मामला दायर किया गया है वह तुच्छ है या नहीं।

मैं माननीय सदस्य श्री के० रामचन्द्र रेड्डी से पूरी तरह सहमत हूं कि न्यायाधीशों द्वारा मामलों को निपटाने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब की समस्या का समाधान करने के लिए यह कोई उपाय नहीं है। यह तो अपनाए जाने वाले तरीकों में से एक हो सकता है। अन्य अनेक तरीके अपनाने होंगे और मैंने विगत में सदन को बताया था कि इस उद्देश्य के लिए हम न्यायाधीशों, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के सम्मेलन में विभिन्न प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। इनमें से कुछ तो आमूल-मूल परिवर्तन करने के लिए होंगे।

5.00 म०प०

हमारा प्रजातंत्र या तो न्याय की इस समस्या को प्रभावी और उचित ढंग से निपटाएगा अन्यथा नहीं निपटा पाएगा। मुझे इसमें संदेह नहीं कि हम इस कार्य में सफल होंगे जैसे कि हम विगत में अनेक कठिन समस्याओं को सुलझाने में सफल रहे हैं। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं उन्हें मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी आमंत्रित करूंगा क्योंकि अधिकांश प्रस्ताव ऐसे है जिनमें केन्द्र को व्यय करना पड़ेगा। मेरा विचार है कि उनके मंत्रालय को मामलों के जल्दी निपटाने से सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि करों कि अदायगी न करके और करों संबंधी विवाद के मामले निपटाने के लिए न्यायालयों में हमारा काफी समय लग जाता है। अतः महोदय, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की सिफारिश करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : विधि मंत्री मामले की सुनवाई के बाद निर्णय देने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के बारे में क्या करने का विचार रखते हैं ?

श्री ए० के० सेन : हम सभा के समक्ष सभी प्रस्ताव लेकर आयेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएगा"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

खंड 2

सभापति महोदय : श्री आर० पी० दास ने एक संशोधन की सूचना दी है। वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। अतः अब मैं खण्ड-2 को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड-2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री ए० के० सेन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.03 म०प०

"भारत में काले धन की अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं" पर राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे। श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान की भारत में काले धन के पहलुओं से संबंधित रिपोर्ट, जिसे वित्त मन्त्री महोदय ने उस दिन प्रस्तुत किया था बंगला भाषा में कहा जा सकता है।

पर्बतेर मुमीक प्रसब

अर्थात् खोदा पहाड़ निकली चुहिया। किन्तु यहां एक और कठिनाई भी है। उपरोक्त संस्थान की सिफारिशों के रूप में जो चुहिया हमारे सामने आई है वह प्लेगग्रस्त भी है और यदि इसे अपना लिया गया तो इसके बहुत से कीटाणु हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्लेगग्रस्त कर डालेंगे। अत: हमें सावधान रहना चाहिए।

महोदय मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट से बड़े व्यापारियों और आमतौर पर धनवानों-शहरी और ग्रामीण दोनों को अत्यधिक खुशी हुई होगी।

5.04 म०प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

5.04 बजे

जहां तक रिपोर्ट में दिए गए काले धन के अनुमान का संबंध है, इसमें बताया गया है कि 1975-76 में 9950 करोड़ रुपये से 11,870 करोड़ रुपये के बीच का कर अपवंचन किया गया। यह राशि जी०डी०पी० का 15 से 18 प्रतिशत बैठती है। 1983-84 में यह राशि 31,584 करोड़ रुपये से 36,876 करोड़ रुपए के बीच है जो जी०डी०पी० का 18 से 21 प्रतिशत है। यह काले धन की आय का एक हिस्सा मात्र है अर्थात् वैध आय पर कर अपवंचन की राशि है और इस गणना में काले धन को शामिल नहीं किया गया है।

जहां तक काले धन के इस अनुभान का संबंध है, प्रतिवेदन में ही कहा गया है कि :

> "चूंकि काले धन की राशि का अनुमान लगाने का प्रयत्न अभी आरम्भिक स्थिति में है, अत: लेखक यह मानते हैं कि उन्होंने जो परिणाम निकाले हैं वे अनुमानों पर आधारित हैं और वास्तविक स्थिति के निकट पहुंचने का प्रयास है और उनमें से प्रत्येक को चुनौती दी जा सकती है।"

यदि यह स्थिति है तो मुझे समय में नहीं आता कि इन तीन वर्षों में यह सब मेहनत क्यों की जाती रही। इसके बावजूद अनेक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया गया है कि हालांकि मामले के इस एक पहलू पर विचार किया गया है, फिर भी उसका बहुत अल्प-अनुमान लगाया गया है। कि हालांकि निगमित क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है और यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि इससे वे घरेलू आय को शामिल कर लेंगे। मेरा यह दृढ़ मत है कि इसके सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए था।

मैं यह बताना चाहता हूं कि न केवल इसे बहुत कम आंका गया है बल्कि इस बात पर विचार भी नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दलालों आदि जैसी अन्य अवैध गतिविधियों के कारण पैदा होने वाले काले धन का तो मोटे तौर पर भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अर्थशास्त्री न होते हुए भी सामान्य ज्ञान से यह आसानी से समझा जा सकता है कि अवैध आय की राशि जो आरम्भ से ही काले धन के रूप में होती है वैध आय से जो बाद में कर अपवचन से काला धन बन जाती है, अधिक होती है। अत: मेरे विचार से उन अर्थशास्त्रियों का यह अनुमान सही है जिन्होंने कहा है कि इसे बहुत कम आंका गया है।

रिपोर्ट में काले धन के कारण बताए गए हैं जो बुराई की जड़ है, उसके अनुसार

ये कारण हैं : (1) वर्तमान कर बहुत अधिक हैं, (2) आर्थिक नियंत्रण बड़ी बुराइयों में से एक बुराई है, (3) अत्यधिक सरकारी खर्च उससे भी बड़ी बुराई है। निस्संदेह, उन्होंने नैतिक मानदण्डों, मुद्रास्फीति, कम दण्ड आदि के बारे में भी कहा है जिनके बारे में समय की कमी के कारण मैं अभी बात नहीं कर रही हूं।

मैं यह बताना चाहती हू कि जो क्षेत्र काले धन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं, वे हैं—भू-सम्पदा लेन-देन, बड़े पैमाने पर निर्माण, फिल्म उद्योग, निर्माण, तस्करी आदि जैसाकि रिपोर्ट में भी यह बताया गया है। ये काले धन के मुख्य स्रोत हैं और हम अपने दैनदिन जीवन में प्राय: इन चीजों के संपर्क में आते हैं। हमें अपने अनुभवों से पता है कि ये ही स्रोत हैं। इसमें कुछ नया नहीं हैं।

इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग सिफारिशों से संबंधित है और मैं सीधे ही इन सिफारिशों पर आती हूं क्योंकि मैंने आरम्भ में कहा था कि इनमें से अनेक प्लेग के रोगाणुओं से ग्रस्त हैं। महोदया सरकार ने अनेक सिफारिशें की थीं वे सिफारिशें क्या हैं ? वे हैं—कम्पनी के लाभ पर व्यक्तिगत आय पर और धन पर करों में कमी आदि। वैसे तो मंत्री महोदय ने पहले ही धन कर आंशिक रूप से समाप्त कर दिया है। स्टाम्प शुल्क में कमी की गई है और सम्पदा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार आयकर सहित अनेक सीधे करों में कमी की गई है। यह कहा गया है कि ऊंचे करों के कारण करों का अपवंचन किया जाता है। अत: तर्क सरल है। यदि करों की ऊंची दर के कारण अपवंचन होता है तो करों की दरों में कमी लाओ। जैसा कि मैंने कहा है इन सिफारिशों से बड़े व्यापरियों को अत्यधिक खुशी हुई है और मैंने देखा है कि माननीय मंत्री महोदय भी इन सिफारिशों से काफी खुश हैं लेकिन वास्तव में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिशों को स्वीकार किया है, जैसा कि हमारी सरकार कुछ मामलों में पहले ही उनका अनुसरण कर रही है। आइये हम इस तर्क की जांच करें कि क्या करों की ऊंची दरें कर अपवंचन के लिए सीधे उत्तरदायी हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इसी रिपोर्ट के अनुसार 1975-76 से 1983-84 तक क्या जी०डी०पी० की तुलना में काले धन की प्रतिशतता 15-18 से बढ़कर 18-21 प्रतिशत हो गई थी। क्या यह तथ्य नहीं है कि इसी अवधि में करों में अनेक कमियां की गई और नियन्त्रणों में अनेक ढील दी गई ? नियंत्रण के प्रश्न पर मैं बाद में आऊंगी।

उससे काले धन की उत्पत्ति की गति में कमी क्यों नहीं आयी ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर): इसलिए आपके आर्थिक क्रिया-कलाप अधिक हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या धनवानों या बड़े व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कुछ किया गया ? कर की ऊंची दरों से अपवंचन की भावना बढ़ती है। किन्तु हो सकता है करों की दरों में कमी लाने से इसका उल्टा प्रभाव न हो विशेषकर तब जब कि वैध व्यापार से होने वाले लाभ के मुकाबले में कर अपवंचन से अधिक लाभ होता है। बड़े व्यापारी अपने अधिक धन के

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

बूते पर निश्चय ही स्थिति को अपने पक्ष में कर लेंगे। यदि आप करों की दरें कम करते हैं तो उन्हें कम अदायगी करनी पड़ेगी और यदि आप बिल्कुल ही समाप्त कर दें, तब तो उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार राजकोष को हानि और उन्हें लाभ होगा। अत: मैं समझती हूं कि यह सिफारिश पश्चगामी है।

एक सिफारिश यह की गई है कि भू-सम्पदा के लेन-देन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में कमी की जाए। इससे कपटपूर्ण लेन-देन के लिए अधिक धन मिल सकेगा। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है। तस्करी की तथाकथित रोक के लिए जो सिफारिशें की गई हैं, वे हैं; उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क में भारी कटौती, आयात शुल्क में कमी, रुपए की विनिमय दर में समुचित सामंजस्य, जिसे दूसरे शब्दों में अवमूल्यन कह सकते हैं आदि।

हमें इसके प्रभावों को भी देखना चाहिये। क्या आपको ऐसा ही कोई अनुभव पहले भी है कि उत्पाद शुल्क को कम करने से काला धन कम हुआ हो? कम्पनियां अपने उत्पादन अथवा बिक्री का सही ब्यौरा नहीं देती हैं। बहुत-सी एकाधिकार कम्पनियों और अन्य कम्पनियों की लाइसेन्सशुदा क्षमता के मुकाबले में सरकार ने कितनी बार उनके उत्पादन को नियमित किया है? कम उत्पाद शुल्क होने पर क्या वे अपने उत्पादन और बिक्री के सही ब्यौरे देंगी? अनुभव से पता चलता है कि 'नहीं'।

अधिक मांग वाली वस्तुओं के, जिन्हें प्राय: समृद्ध वर्ग उपयोग में लाता है, आयात में छूट से केवल उनको ही लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मानव निर्मित कपड़े, आधुनिकतम घड़ियों, आदि को और कौन उपयोग में लायेगा। यह केवल समृद्ध वर्ग ही है जो इनको उपयोग में लायेगा, गरीब वर्ग का आदमी नहीं। यदि आप इन वस्तुओं के आयात की शर्तों में वास्तव में ही छूट दे रहे हैं तो परिणाम क्या होगा? कुछ ऐसे आयात प्रतिस्थापन उद्योगों पर इससे भारी धक्का लगेगा। जिन्हें पहले राष्ट्रीय उद्देश्य से चलाया गया था और इससे स्वदेशी वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिकी सामान उद्योग, आदि को काफी धक्का लगेगा। इसके अतिरिक्त, इन वस्तुओं की खपत में निश्चय ही उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जो कि स्वयंमेव काले धन को खर्च करने का एक तरीका होगा। इसका देश की शोधन सन्तुलन स्थिति पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा।

अन्य सिफारिश तस्करी को रोकने के लिए रुपये के अवमूल्यन के बारे में है, जैसे कि एक अवमूल्यन के विनाशकारी अनुभव ने हमें कोई पाठ नहीं पढ़ाया है। मैं नहीं समझती कि रुपये का अवमूल्यन इसका हल है। किसी भी स्थिति में इस समय, रुपये की विनिमय दर प्रणाली है, वास्तव में रुपये का पर्याप्त अवमूल्यन किया गया है। क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस अवधि में हमारा अनुभव क्या रहा है? क्या इससे तस्करी घटी है या बढ़ी है? इससे तस्करी बढ़ी है। इससे स्थिति में कैसे सुधार होगा? वास्तव में, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका उद्देश्य तस्करी को वैध करार देना

और विलासिता की वस्तुओं के खुले उपभोग की लगाम ढीली करना है तथा राष्ट्रीय हित को संकट में डालना है।

फिर भी नियन्त्रणों, मूल्य नियन्त्रण और यहां तक कि किराया नियन्त्रण को हटाने के लिए कुछ और भी सिफारिशें की गई हैं। यह दिलचस्प बात है कि इस 'उपचारात्मक उपाय' का सुझाव देते समय एन०आई०पी०एफ०पी० के प्रतिवेदन में स्वयं इसके ही अध्ययन का खंडन किया गया है। चीनी उद्योग का अध्ययन करते समय स्वयं प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है :

"......चीनी-उत्पादन आवंचन को समय अनुसूची और चीनी के मूल्य और विपणन के नियंत्रण की विभिन्न सीमाओं के बीच किसी प्रकार के स्पष्ट सम्बन्ध का अभाव।"

यदि ऐसा कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया तो ऐसा कैसे हो गया कि उसी उद्योग का अध्ययन करने पर उन्होंने नियंत्रणों को हटाने की सिफारिश की ? यह सर्वविदित है कि वास्तव में, चीनी उद्योग में उत्पादन को यथार्थरूप में विनियन्त्रण के वर्षों के दौरान सबसे अधिक छिपाया गया।

यदि कोई बात होती है तो इससे वस्तुतः चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने के मामले को बल मिलता है और नियन्त्रण हटाने के मामले को नहीं। परन्तु इस सिफारिश के लेखकों ने निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के अपने उत्साह में नियन्त्रण में छूट देने की सिफारिश की है। सचमुच वास्तविकता क्या है ? आर्थिक नियन्त्रण क्यों आवश्यक है ? ये दुर्लभ संसाधनों के सामाजिक दृष्टि से वांछित आबंटन के हित में और निम्न आय वर्ग की जनता के हित में आवश्यक हैं। बड़े पैमाने पर विनियन्त्रण बाजार में विभिन्न मात्रा में एकाधिकार के द्वार खोल देगा तथा मुनाफाखोरों को खुली छूट दे देगा और गरीबी से पीड़ित लोगों को उनकी दया पर छोड़ देगा। इसका यह परिणाम होगा। निस्सन्देह, नियन्त्रण प्रशासन को कारगर बनाना आवश्यक है, परन्तु क्या बीमारी के साथ-साथ बीमार को भी समाप्त करने का कोई उपचार है ?

अब जहां तक किराया नियन्त्रण का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वह नगर में मध्यम-वर्ग और गरीब लोगों से जाकर मिलें और उनसे इस सिफारिश के बारे में पूछें। ऐसी बात नहीं है कि मैं यह चाहती हूं, परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि उनका स्वागत वे अपने हाथों में झाड़ू का डण्डा लेकर करेंगे।

एक अन्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश है "फिजूल सरकारी खर्च' को कम करना क्योंकि यह बुराई की जड़ है जो भ्रष्टाचार फैलाता है इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि सरकारी खर्च के विभिन्न क्षेत्रों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। निस्सन्देह, उससे सरकार की बड़ाई नहीं होती है, परन्तु मैं इस समय यह बात नहीं कह रही हूं। परन्तु क्या मैं यह जान सकती हूं कि सरकारी खर्चे को निजी खर्चे में बदल देने से क्या स्थिति सुधर जायेगी ? क्या निजी क्षेत्र सरकारी खर्चे में भ्रष्टचार फैलाने वाला सबसे बड़ा अधिकरण नहीं है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : वह निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां ठीक है, मैं उसकी भी बात करूंगी। इसीलिए उन्होंने इस प्रतिवेदन को पसन्द किया है।

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : यह प्रतिवेदन एक संस्थान का प्रतिवेदन है, सरकार का प्रतिवेदन नहीं है। हमने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और यह आरोप लगाना सही नहीं है कि यह सरकार की सिफारिश है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने उदारतापूर्वक उनकी सभी सिफारिशों को लागू किया है। महोदय, आप इसे दोनों तरीकों से नहीं कर सकते। उनका कहना है कि यह सरकार का प्रतिवेदन नहीं है और वह पहले ही सभी सिफारिशों को लागू कर चुके हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : और इसका लेखक सरकार का आर्थिक सलाहकार है।

जैसा कि मैं कह रही क्या सरकारी व्यय में भ्रष्टाचार लाने में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा हाथ नहीं है ? महोदय, सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट करने में व्यवसायी वर्ग की घृणित भूमिका के अनुभव को एक बार फिर याद करने के लिये हमको विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन, मूंदड़ा मामला जांच प्रतिवेदन और एकाधिकार जांच आयोग प्रतिवेदनों को याद करना चाहिए। काले धन या काली आमदनी सम्बन्धी किसी भी प्रतिवेदन में वास्तव में इस पहलू पर विचार करना चाहिये, जबकि सरकारी व्यय की इतनी निन्दा की गई है। परन्तु इस प्रतिवेदन यह आवश्यक नहीं समझा गया है सरकारी व्यय को कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा ? अन्ततः, इससे नियोजित व्यय में और अधिक कटौती करनी पड़ेगी, सरकारी क्षेत्र के विस्तार व्यय में कटौती, गरीबी मिटाओ कार्यक्रमों में कटौती, पीने के पानी की सप्लाई में कटौती और अन्य बहुत-सी बातों में कटौती करनी पड़ेगी। इससे किसको लाभ होगा ? यदि काले धन को सरकारी व्यय का कुछ अनुपात मान लिया जाता है तो गैर-सरकारी क्षेत्र को उत्पादन आय के अनुपात के रूप में काले धन का अनुमान लगाना और भी आवश्यक हो जाता है। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि ऐसा नहीं किया गया है। अब एक संगत प्रश्न उठ खड़ा होता है कि लेखकों ने काले धन के कम या अधिक बीजकों सहित व्यापार का, विशेषकर विदेश व्यापार का अध्ययन क्यों नहीं किया ? इसके अलावा सर्वाधिक रोचक बात यह है कि उन्होंने अपनी सिफारिशों में आयात में छूट का सुझाव दिया है। यहां एक बार फिर जैसा कि आप सभी मानेंगे, आयात में यह छूट हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उचित विकास के लिए खतरनाक होगी।

अतः ये प्रमुख सिफारिशें हैं जिनसे मैं पूर्णतया असहमत हूं। मैं मन्त्री महोदय से उन्हें रद्द करने और अपने देश के आर्थिक विकास पर सिफारिशों के भार को न थोपने का अनुरोध करती हूं।

जहां तक इस मुख्य भार का संबंध है, हमारी एक स्वतन्त्र मण्डी है, एक स्वतन्त्र और अहस्तक्षेप अर्थ-व्यवस्था है। अहस्तक्षेप अर्थ-व्यवस्था के बारे में अमरीका ने स्वयं अपने प्रतिवेदनों में कहा है कि वहां निर्धारण योग्य आय की तुलना में 22 प्रतिशत काला धन है मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के प्रतिवेदन में हमारी अर्थ-व्यवस्था में काले धन की राशि को कम आंका गया है। अत: इन प्रतिवेदनों में काले धन को कम बताया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है। एन०आई०पी०ई०पी० या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इन सिफारिशों को वहां लागू होने के बावजूद, काला धन की मात्रा बढ़ती जा रही है। काला धन पूंजीवाद में ही पनपता है। यदि हम शोषण की सामाजिक प्रणाली को बनाये रखेंगे तो काले धन पर वास्तव में ही प्रहार नहीं किया जा सकता है। यही मूलभूत मत लिया जाना चाहिये और हम सोचते हैं कि हमें यह दोहराना चाहिए। जहां तक इसको कुल कर वसूली के कार्य को सशक्त बनाने के कुछ उपायों का सम्बन्ध है, कुछ ऐसी सिफारिशें भी हैं जिन पर निश्चय ही विचार किया जा सकता है। मैं नहीं जानती कि कैसे ? इन पर निश्चय ही अमल किया जा सकता है। कम-से-कम उस कानून को बदलने के लिए तो मंत्री महोदय ने हाल ही में अभियान चलाया था। उन्होंने कहा है—कर कानून अपराधियों को अपने कार्य के उद्देश्य के बारे मे अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए कहा जायेगा। जिसे तकनीकी शब्दावली में "मेन्जरिया एक्टसरियम" कहेंगे, परन्तु मुसीबत यह है कि अभी तक कितने अभियोजन हुए हैं और क्या ये सभी बातें वर्तमान प्रणाली में कारगार होंगी। अत:, जब तक अनियोजन प्रणाली में पूर्णतया परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मेरे विचार से कानून में यह परिवर्तन मुश्किल से ही सहायक होगा, यद्यपि मैं यह नहीं कहती कि यह नहीं किया जाना चाहिये। अत।, मैं प्रतिवेदन पर समग्र रूप से विचार करते हुए, यह कहती हूं मेरे विचार से यह पक्षपातपूर्ण है, धनी वर्गों के हक में है और यह उद्देश्यपूरक भी नहीं है और इसकी बहुत-सी सिफारिशें प्रगतिशील नहीं हैं। अत:, मैं एक बार फिर सुझाव देती हूं कि यह प्रतिवेदन रद्द कर दिया जाये।

अब मैं कुछ सुझाव जल्दी देना चाहूंगी। मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूं नहीं, परन्तु सामान्य समझ-बूझ से मैं आपके विचारार्थ कुछ सुझाव देती हूं, जिनमें कुछ मौलिक हैं और कुछ सरल। आज के समाचार-पत्रों के अनुसार आप हमें एक 22-सूत्री प्रश्नावली भेज रहे हैं। वह मुझे नहीं मिली है। जैसे ही यह हमें मिलती है तो हम इसको देखेंगे और इस पर विचार करेंगे और अपनी समझ के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर 'हां' या 'न' में देना होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि इसमें 'हां' और 'न' की ही बात है तो में नहीं समझती कि हम कुछ कर सकेंगे। हमें तो यह देखना है कि उन कुछेक सुझावों का क्या होता है जो मैं देना चाहती हूं : (1) काले धन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण कीजिये। निस्सन्देह, मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होगी, यदि आप घरेलू व्यापार का,—सभी का नहीं केवल आवश्यक वस्तुओं के व्यापार का ही राष्ट्रीयकरण कर दें। मेरे विचार से आप दोनों ही क्षेत्रों में साहस

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

दिखायेंगे। आप के दर्शन से बाहर की बात होने के कारण उसे रद्द मत कीजिए। परन्तु फिर भी चील के घोंसले में मांस ढूंढ रहे हैं।

दूसरा है : शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी कीजिए, यद्यपि मैं समझती हूं कि यह राज्य का विषय है। इसको गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया गया है (3) आयकर छापों द्वारा प्राप्त सभी धन को जब्त कर लीजिये।

प्रसंगवश, मैंने सुना है कि जब कुछ छापे पड़ने आरम्भ हुए तो, बड़े पैमाने पर फाइलें भी गायब होनी आरंभ हो गईं। आपको तो यह पता ही होगा। हमें तो यही रिपोर्ट मिल रही है। आप कम-से-कम छापे मारने से पूर्व, फाइलों की तो सुरक्षा कीजिए, जिससे कि आपको कुछ उपलब्धि हो सके।

उसके बाद (4) सौ रुपए के नोटों का प्रचलन बंद कर दीजिये। सरकारी क्षेत्र में कम लागत वाली जन-उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन का भारी अभियान चलाइए। घबराइए मत, यह सब सरकारी क्षेत्र में करके देखिए और इस प्रकार इन वस्तुओं के अभाव से छुटकारा पाइये। आवश्यक वस्तुओं का सरकारी व्यापार कीजिए।

(6) भारी आवास कार्यक्रम आरंभ कीजिए और भूमि और भू-सम्पत्ति के लेन-देन के मामले भी सरकारी क्षेत्र के निगम से ही कराइए। घबड़ाइए नहीं।

काल्पनिक स्टाम्प शुल्क से कमी, किराया नियन्त्रण को हटाया जाना, आदि की बजाय मैं समझती हूं यह सही मार्ग है। कार्य ऐसे निपटाए जाने चाहियें।

एक अन्य दृष्टि कोण से (7) मेरा सुझाव है कि आप विलासिता की वस्तुओं के उपभोग और खरीद पर कठोर नियन्त्रण लागू कीजिए तथा इन संसाधनों को सरकारी खर्च में जुटाइए। कर लागू करने वाली मशीनरी को कारगर बनाया जाए और मामलों को निपटाने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित फाइलों को छोड़कर, बाकी सारी फाइलों को—वित्तीय लेन-देन से सम्बन्धित फाइलों को—सार्वजनिक परीक्षण के लिए खोला जाये।

जहां कहीं सम्भव हो, नियन्त्रण नियमों को सरल बनाया जाये और एक ही खिड़की से निपटान की व्यवस्था की जाये।

यह कुछ सुझाव हैं जो मैं बिना तैयार किए दे रही हूं लेकिन पुनः इसी आशंका के साथ कि काले धन से जोर मूलभूत चीजें जुड़ी हैं, वे वर्तमान सरकार को इतनी प्रिय हैं कि हमें डर है कि इस सम्बन्ध में शायद ही कुछ किया जाए। फिर भी, यदि दृढ़ राजनैतिक इच्छा है तो कुछ तो किया जा सकता है। मैं आपसे इस बारे में गम्भीरतापूर्वक कुछ विचार करने का अनुरोध करती हूं।

सभापति महोदया : श्री महाजन को बुलाने से पूर्व मैं बताना चाहती हूं कि 25 वक्ता हैं और निर्धारित समय केवल 2 घण्टे है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे संक्षिप्त रूप में बोलें।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदया, "राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान" द्वारा काले धन के संबंध में किए गए अध्ययन की रिपोर्ट एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है परन्तु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसको जानकार लोग पहले से ही न जानते हों। परन्तु इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ करवाया गया और इसने कुछ ऐसे उपाय सुझाए हैं जिनको, समाज में काले धन की बुराई को कम करने के लिए, उठाने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा जाय तो काले धन की समस्या को दूर करने के लिए उपाय सुझाना इस समिति के विचारणीय विषयों में सम्मिलित नहीं था। परन्तु पूर्णता के लिए समिति ने ऐसा करना आवश्यक समझा। इसका मुख्य कार्य देश में पैदा होने वाले काले धन की मात्रा का एक मोटा अनुमान लगाना था। इसने काले धन की मात्रा को आंकने और उसके पैदा होने के तरीकों का जो अध्ययन किया है वह प्रकाशित शोधों, अनौपचारिक साक्षात्कारों और व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिज्ञों, चार्टर्ड एकाउन्टेंटों, वकीलों, पत्रकारों, अर्थशास्त्रियों और राजस्व कर्मचारियों के साथ की गई चर्चा पर आधारित है।

वर्ष 1983-84 में कालाधन अनुमानतः कुछ राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 21% था या स्पष्ट शब्दों में कहें तो 36,000 करोड़ रुपये था। इस अनुमान को स्वीकार किया जा सकता है लेकिन हमें यह अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए जैसाकि समिति ने स्वयं स्वीकार किया है, कि यह अनुमान ऐसी विभिन्न मान्यताओं और मोटे अनुमानों पर आधारित है जिनको चुनौती दी जा सकती है।

एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि काले धन के इस अनुमान में बड़े पैमाने पर तस्करी गतिविधियों से उत्पन्न काले धन को शामिल नहीं किया गया है जो विगत कुछ वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था में व्याप्त हैं। समिति द्वारा दिए गए इन आंकड़ों में सम्पूर्ण स्थिति का इस सीमा तक कम मूल्यांकन किया गया है।

फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रतिवेदन इन कमियों के बावजूद हमारे विचारों को स्पष्टता प्रदान करता है और ऐसे विभिन्न उपाय सुझाता है जिन पर काले धन की, जो कि हमारे सामाजिक-आर्थिक जीवन का कैंसर है, समस्या से निपटने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सकता है।

इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न कदमों पर विचार करते हुए, समिति की पहली सिफारिश यह है कि काले धन के पैदा होने को केवल तभी जोरदार ढंग से या काफी हद तक रोका जा सकता है जब सभी बड़े करों की दरों को उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाय। उचित स्तर

[श्री वाई०एस० महाजन]

क्या है, इस संबंध में मतभेद हो सकते हैं। समिति का सुझाव सभी प्रत्यक्ष करों और उत्पाद शुल्क और बिक्री करों के संबंध में है।

इसका यह अर्थ नहीं कि हम करों को काफी हद तक नीचे लाकर करों की चोरी को पूरी तरह रोक सकते हैं। ऐसी शानदार स्थिति की आशा नहीं की जा सकती है। करों का स्तर कितना ही नीचे क्यों न हो कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जो करों की चोरी करना चाहते हैं और इसमें सफल भी हो जाते हैं।

इस सिफारिश का तात्पर्य यह है कि करों का स्तर या उनका सह-संबंध या समायोजन, ऐसा होना चाहिए जिससे काले धन का पैदा होना बहुत हद तक कम हो जाय या दूसरे शब्दों में अधिकतम राजस्व प्राप्त हो। यह अनुभविक तरीके से अर्थात् एक विशेष समयावधि में परीक्षण प्रणाली अपनाकर संमाप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली के साथ-साथ, कर कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाना आवश्यक होगा क्योंकि कर नियमों की जटिलता और उनकी विभिन्न व्याख्याओं की संभावनाओं के कारण ही भ्रष्टाचार और कर-चोरी संभव हो पाती है।

माननीय वित्त मंत्री संपदा शुल्क को समाप्त करके, आयकर की दरों में कमी करके तथा आयकर खण्डों की संख्या को कम करके इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुके हैं। उन्होंने कर कानूनों के सरलीकरण तथा उनको तर्कसंगत बनाने के लिए एक विस्तृत कानून बनाने का निश्चय किया है। हमें बताया गया है कि प्रत्यक्ष कर कानूनों में संशोधन के प्रस्तावों से अपराध-वृत्ति में बहुत कमी आएगी या बिल्कुल खतम ही हो जाएगी।

इस प्रकार कानून में सुधार कर वंचकों पर निश्चय ही एक निरोधक प्रभाव डालेगा क्योंकि निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी स्वयं अभियुक्त पर ही होगी।

समिति द्वारा दिये गये अन्य सुझाव हैं :—

(1) तस्करी रोकने के लिए मानव-निर्मित धागों, इलक्ट्रोनिक सामान और घड़ियों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्कों की दरों में कमी।

(2) गुणात्मक आयात नियन्त्रण तथा लायसेंस प्रणाली की बजाय शुल्क द्वारा नियन्त्रण।

(3) जहां कहीं सम्भव हो, मूल्य नियन्त्रण हटाना और दूसरे क्षेत्रों में दोहरी मूल्य-प्रणाली शुरू करना।

(4) रुपये की विनिमय दर में उचित फेर-बदल करना और विनिमय नियन्त्रण में ढील देना।

तस्करी को अलाभप्रद बनाने हेतु कुछ वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क में कमी करना एक परीक्षण योग्य प्रयोग है।

लोग, आखिर कीमतों में अंतर के कारण ही तस्करी की ओर आकर्षित होते हैं। जिसके फलस्वरूप हमारा देश बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा गंवाता है और साथ ही देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपराध को बढ़ावा मिलता है।

गुणात्मक आयात नियन्त्रणों की अपेक्षा शुल्क निश्चय ही अधिक अच्छे हैं क्योंकि पहली प्रणाली से लाइसेन्सों की बिक्री में भ्रष्टाचार पनपता है। इसके अतिरिक्त इस बात में भी संदेह है कि क्या हमारे उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध उस पूर्ण संरक्षण की आवश्यकता है, जो गुणात्मक आयात नियंत्रण प्रदान करते हैं। प्रतिस्पर्धा की सर्द हवाओं का सामना होने पर हमारे औद्योगिक ढांचे में नयी जान आ जायेगी।

इसी प्रकार, अनावश्यक और पुराने पड़ चुके नियंत्रणों को हटाने के पक्ष में तर्क दिये जा सकते हैं। परन्तु ध्यान रखना होगा कि नियंत्रण की मशीनरी ही न टूट जाय। आखिरउनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता रहा है कि कम स्रोतों को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादन में लगाया जाय।

कानून के इतिहास से पता चलता है कि प्रशासन उन लोगों के विरुद्ध लड़ता रहा है जो जमाखोरी, मुनाफाखोरी और नियन्त्रणों को तोड़ने का काम करते हैं। माननीय वित्त मन्त्री ने इसे पूंजीवादी लोभ कहा है, इसे देखते हुए ये नियन्त्रण आवश्यक हैं। इसी प्रकार विनिमय नियन्त्रण भी एक ऐसी चीज है जिसको हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। वर्तमान में हमारे विदेशी मुद्रा स्रोत संतोषजनक हैं परन्तु हम इस स्थिति के निरन्तर जारी रहने का भरोसा भी नहीं कर सकते।

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पिछले 30 वर्षों में विकासशील देशों की प्रगति के मार्ग में विदेशी मुद्रा एक गंभीर बाधा रही है और इस सामान्य स्थिति के हम कोई अपवाद नहीं रहे हैं। इसके अतिरिक्त, रुपए के अवमूल्यन से, यदि प्रतिवेदन का इशारा इस ओर है, ऋण और उसके ब्याज की अदायगी का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि उसे अदा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर होगा।

इस अध्ययन में चुनावों के वित्तपोषण के संबंध में लोक सभा तथा विधान सभाओं के उम्मीदवारों को राज्य द्वारा खर्चा दिया जाने की एक निम्नतम सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। इससे उन उम्मीदवारों को सहायता मिलेगी जिनके पास वित्तीय स्रोतों की कमी है। कम से कम इससे देश में काले धन की मात्रा में कमी तो आएगी।

इसके बाद समिति किरायेदारों के हक की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए बिना किराया नियन्त्रण कानून में ढील देने का प्रस्ताव करती है। किराया नियन्त्रण संबंधी वर्तमान कानून उन परिस्थितियों का परिणाम है जो हमने स्वयं ही पैदा की हैं। मालिक मकान की मरम्मत नहीं

[श्री वाई०एस० महाजन]

करता और न ही किराएदार करता है परिणामस्वरूप इमारत ढह जाती है। हर मानसून में बम्बई में यह अनुभव होता है। हमें यह निश्चित करना चाहिए कि किराया इतना तो बढ़ना ही चाहिए जिससे मालिक मकान की मरम्मत करा सके और या हमें मकान की मरम्मत का उत्तरदायित्व किराएदार पर डाल देना चाहिए।

सरकार को गंदी बस्तियों की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपए की आरम्भिक पूंजी से एक राष्ट्रीय कोष प्रारम्भ करना चाहिए और उसके बाद 8% ब्याज की दर पर ऐसे ऋण-पत्र जारी करने चाहिएं जिनको चुकाने की अवधि नौ से दस साल तक हो। इन ऋण-पत्रों में लगाए जाने वाले धन के स्रोत के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। यह केवल एक प्रस्ताव है, ऋण-पत्रों के मूल्य और उन पर मिलने वाले ब्याज पर संपत्ति-कर और आयकर लगाया जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में, मुझे संदेह है कि इस समस्या से निपटने का इससे भी अधिक कोई साहसपूर्ण तरीका निकाला जा सकता है जो हमारे लाखों लोगों के लिए आवास की अत्यन्त जरूरी आवश्यकता को भी पूरा कर सके। इस प्रस्ताव की यह कह कर आलोचना की जाएगी कि यह काले धन को सफेद धन में बदलने की अनुमति देता है, और यह वास्तव में कर वंचकों को क्षमादान देने के बराबर ही है। लेकिन हमें उन बड़े फायदों को नहीं भूलना चाहिए जो इस प्रस्ताव से हमारे उस लोगों—लाखों लोगों को—मिलेगा, जो इस समय ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं जिन्हें नारकीय कहा जा सकता है।

यदि आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो यह एक तरीका है। और जब तक इससे अधिक अच्छे तरीके का सुझाव नहीं प्राप्त होता, मैं समझता हूं इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

अब मैं आखिरी मुद्दे पर आता हूं जिसका मेरी दृष्टि में एक विशेष महत्व है—वह है प्रशासन संबंधी, नीतियां कर्मचारियों में ईमानदारी बढ़ाने संबंधी नीतियां तथा कानूनों को अधिक अच्छा तरह लागू करने संबंधी नीतियां, प्रतिवेदन में वरीयता क्रम में, इनको अंतिम स्थान मिला है, परन्तु मेरी दृष्टि में, काले-धन की समस्या से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में इनको उच्चतम वरीयता दी जानी चाहिए थी।

हमारे समाज में व्यापार और उद्योग के अतिरिक्त, भ्रष्टाचार भी काला-धन पैदा करने का प्रचलित स्रोत है। सरकार का ऐसा कोई विभाग न होगा जहां भ्रष्टाचार न हो। यहां तक कि न्याय प्रशासन तथा शिक्षा के क्षेत्रों में, जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, भ्रष्टाचार प्रवेश कर चुका है।

ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां संबंधन अध्यापकों को मान्यता देना, छात्रों को प्रोन्नति देना आदि काम तभी हो पाते हैं जब किसी को रिश्वत दी जाती है। भ्रष्टाचार हमारे समाज का जटिल रोग हो चुका है।

बहुत पहले 1964 में ही सन्थानम समिति ने नौकरशाही को अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध अभूतपूर्ण अवसरों के बारे में चेतावनी दी थी।

नियोजन को अपनाने तथा सरकारी काम में अत्यधिक वृद्धि के साथ ही यह अवसर भी बहुत अधिक बढ़ गए हैं, माननीय मंत्री महोदय ने कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध पहले ही एक गंभीर अभियान चला दिया है। सर्वप्रथम, आर्थिक अपराध करने वालों के विरुद्ध सुनियोजित कार्यवाही करने के लिए उन्होंने अपने मंत्रालय में एक आर्थिक गुप्तचर ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय लिया है। कर की चोरी करने वालों तथा तस्करों के विरुद्ध "आपरेशन केतु" के कूटनाम से एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया है। इस कदम से इस वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा नियमन के उल्लंघन के मामले जो कि लगभग 20 करोड़ रुपए के बराबर थे, तथा 28 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की तस्करी के मामले प्रकाश में आए।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कर चोरी के मामलों में कमी नहीं हुई या कर कानूनों का अधिक अच्छा पालन नहीं किया गया तो उन्हें अधिक सख्त तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। आश्चर्य की बात है कि इस बात की एक अत्यन्त अप्रत्याशित पक्ष ने—"टाइम्स आफ इंडिया"—ने विरोध किया है। पत्र ने उनको एक पुलिस वाले के रूप में देखा है। मेरा यह विश्वास है कि टाइम्स आफ इंडिया द्वारा की गई आलोचना का कारण उस बड़े नुकसान को न समझ पाना है जो काले धन ने हमारे समाज को पहुंचाया है।

आखिर में, मैं कुछ विशिष्ट सुझाव रखना चाहूंगा, भ्रष्टाचार काले-धन का सबसे बड़ा स्रोत है, इलाज से परहेज अच्छा होता है। कर्मचारियों पर मुकद्दमा चलाने के बजाय यदि हम उनको भ्रष्ट होने से ही रोक सकें तो यह अधिक अच्छा होगा।

इसके लिए हम एक उड़न-दस्ता बना सकते हैं जिसका काम होगा बिना पूर्वसूचना के कार्यालयों में जाना और यह देखना कि रिश्वत के बिना ही काम हो। पंजीकरण विभाग का ही उदारण लें जहां केवल बिक्री के दस्तावेजों का पंजीकरण किया जाता है। लेकिन वहां भी तब तक पंजीकरण नहीं होता जब तक कि बेची गयी सम्पत्ति के मूल्य का कुछ प्रतिशत वहां के कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। यदि हमारा दस्ता वहां जाए और यह सुनिश्चित करे कि बिना किसी को रिश्वत दिए ही पंजीकरण होता है तो इससे भविष्य में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा।

इन उपायों को (आवश्यक) सुधारों तथा परिवर्तनों के साथ अपनाया जा सकता है, मेरा यह विश्वास है कि इनको अपनाने से काले-धन की बुराई को दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी आन आसपैक्ट्स आफ ब्लैक-मनी इन इण्डिया को काले धन की उत्पत्ति के बारे

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

में कार्य सौंपा गया था, परन्तु उस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। काला धन समाप्त करने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। लोकसभा का कोई भी अधिवेशन ऐसा नहीं गया है, जिसमें इस बारे में डिसकशन नहीं होता है। आठवीं लोकसभा चल रही है और इस सत्र में भी इस पर विचार किया जा रहा है। जब बजट प्रस्तुत होता है, उस वक्त भी इस विषय पर विचार होता है, लेकिन स्थिति ऐसी पैदा हो रही है कि देश में ज्यों-ज्यों कालाधन समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, त्यों-त्यों काला धन बढ़ता जाता है। जैसी कि वित्त मंत्री महोदय ने फीगर्स दी हैं, उनसे स्पष्ट है कि देश में कालाधन बढ़ता जाता है तथा किसी भी वर्ष में वह घटा नहीं है, बढ़ता ही गया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इस पूंजीवादी व्यवस्था में इस काले धन को समाप्त कर सकेंगे या हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसके बगैर हमारे देश की प्रगति और हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारी योजनायें प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर और अभी छठी पंचवर्षीय योजना चल रही है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौर में पहुंच रहे हैं, इस काले धन के कारण हम जो विकास करना चाहते हैं, जो प्रगति करना चाहते हैं, जितनी रफ्तार से हम प्रगति करना चाहते हैं, उस रफ्तार से हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। यह तो स्पष्ट हो गया है कि पहले जब इनकम टैक्स की दर बहुत ज्यादा थी, तब उस वक्त ऐसी प्रवृत्ति बन गई थी कि इनकम का लाभ मुझे अच्छी तरह से मिले और मैं इनकम टैक्स न दूं, लेकिन वांछू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की सीमा अब 50 प्रतिशत कर दी गई है, यह एक उचित कदम उठाया गया है।

दूसरा कदम टैक्सेशन को कम करने के लिए विशेष तौर से उठाया गया है, वह है रिडक्शन इन दि रेट आफ इनकम टैक्स एण्ड रिडक्शन इन दि नम्बर आफ इनकमटैक्स रेट्स— इसका भी हम स्वागत करते हैं। हम बराबर कहते हैं कि इनकम टैक्स के लेजिसलेशन को सरल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसको सरल न करने के कारण ही इनकम टैक्स के वकील इसका बहुत ही नाजायज फायदा उठाते हैं। जो भी इनकमटैक्स पेयी हैं, उनको इनकम-टैक्स वकीलों के कन्ट्रोल में चलना पड़ता है और वे लोग उनके ऊपर हावी है। वे इस प्रकार से दबे हुए हैं, दबाव से निकलने के लिए दो फोर्सेज इस प्रकार से काम करती हैं और वे करप्ट प्रैक्टिसेज करते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अधिकारी है, इनकम टैक्स आफिसर। वहीं से इनकम टैक्स की चोरी होती है। उसको रोकने के लिए उपाय यह है कि जिस प्रकार से आपने टैक्स कमीशनर्स के लिए कदम उठाए हैं, उसी प्रकार से इनकम टैक्स आफिसर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। अभी जो आप रेड्स कर रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। रेड्स के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जल्दी से जल्दी प्रोसीक्यूशन नहीं होता है। इस काम में अविलम्ब होता है और अविलम्ब होने के कारण टैक्स चोरी करने वाले को लाभ मिल जाता है। और वह अक्सर फंसते नहीं हैं। इसलिए "मेन्जू-रिया" के बारे में जो रिकमेण्डेशन है वह स्वागत योग्य है, क्योंकि इन्टेन्शन को साबित करना बहुत मुश्किल होता है और वह छूट जाता है। इसलिए इस

संबंध में जो रिकमेण्डेशन है उसको जरूर मान्यता दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

करों की चोरी के मामलों में आपराधिक मन:स्थिति के सिद्धांत को समाप्त करने अथवा मूल रूप से महत्व न देने की एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है। इस बात को छोड़कर कि अपराधी यह सिद्ध करे कि उसने आपराधिक कार्य अनजाने में किया है, अभियोग पक्ष किसी विशेष अपराध के आपराधिक कार्य स्वयं सिद्ध करे। दूसरी यह कि कर अपराधियों के विशेष न्यायालय स्थापित किए जायें। यह अवश्य ही होना चाहिए।

[हिन्दी]

टैक्स आफेण्डर्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स जरूर इस्टेब्लिश होनी चाहिए। जिस प्रकार से दूसरे कानूनों में हम प्रोवीजन करते हैं कि कम से कम 6 महीने की सजा दी जाएगी, उसी तरह से इसमें भी 6 महीने की सजा का प्रोवीजन होना चाहिए। जब तक इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स और पूंजीपतियों को जेल की सजा नहीं होगी तब तक उन पर कोई असर नहीं होगा। फाइल में आप लाखों रुपयों का फाइन कर दें, उससे उनको कोई परेशानी नहीं होती है, वह फाइन दे देते हैं उसके बाद फिर गड़बड़ करके, इन्कमटैक्स इवेजन करके, स्मगलिंग करके, होर्डिंग करके, दूसरी तरह की*··· करके फिर से धन को एकत्रित कर लेते हैं। इस संबंध में विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है।

स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंज प्रतिबन्धित हैं, लेकिन फिर भी बराबर होती हैं और खुले-आम होती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। उनके खिलाफ हमारी मशीनरी बिलकुल फंक्शन नहीं करती है। इन ट्रांजेक्शन्ज के खिलाफ सख्ती से ठोस कदम उठाए जाने चाहिएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं मुझे उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना होगा।

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : डिसप्रर्पोशनेट-एसैट्स—जो लोग आज इनकम टैक्स की चोरियां करते हैं. उनके जो एसेट्स हैं, परिसंपत्तियां हैं, वे कहीं-कहीं लाखों और करोड़ों रुपयों में हैं। अपने नाम से या बेनामी ट्रान्जेक्शन्ज करते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इस तरह के डिसप्रर्पोशनेट एसैट्स विशेष रूप से एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, डाक्टर्स, फिल्म-स्टार्स के पास हैं। उनके एसैट्स के बारे में पूरी तरह से जांच करके, उनके खिलाफ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं, चुनावों में जो खर्चा होता है, उसका अधिकांश भाग

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री वृद्धिचन्द्र जैन]

ब्लैक मनी का पैसा होता है। आज प्रश्न यह है कि हम राजनीतिक लोग यदि चुनावों में ब्लैक मनी का उपयोग करते हैं, तो हमको क्या अधिकार है कि हम ब्लैक मनी को समाप्त करने की बात करें। किस तरह से हमारी बातों का प्रभाव पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर पड़ेगा। हम उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इलैक्शन एक्सपैंसेज सरकार बीअर करे। लोक सभा इलेक्शन्स का खर्च सेन्ट्रल गवर्नमेंट बियर करे और एसेम्बली इलेक्शन्स का स्टेट गवर्नमेंट बियर करे। इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने चाहियें।

अब समय विशेष नहीं है, इसलिए मैं इतने ही सुझाव प्रस्तुत करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि काले धन के बारे में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, श्री एम० सुब्बा रेड्डी बोलेंगे।

6.00 म०प०

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : सभापति महोदया, शाम के 6 बज चुके हैं। क्या यह चर्चा कल भी चलेगी ?

सभापति महोदया : मैं सभा से अनुरोध करती हूं कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये। मैं सभा से अनुरोध करती हूं कि एक घण्टे का समय और बढ़ाने की अनुमति दी जाये। यदि आवश्यक हुआ तो हम लोग 7 बजे म०प० तक या उसके बाद भी बैठेंगे...

कुछ माननीय सदस्य : समय दो घण्टे बढ़ाया जाये।

सभापति महोदया : हम सभा की सहमति से समय 2 घंटे बढ़ायेंगे। क्या सभी सहमत हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदया : 2 घंटे का समय बढ़ाया जाता है। हम लोग इसे आज ही समाप्त करने की चेष्टा करेंगे।

***श्री एम०सुब्बा रेड्डी** (नन्दयाल) : सभापति महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार काले धन का प्रचलन रोकने का प्रयत्न कर रही है। मुख्य प्रश्न यह है कि छिपे हुये काले धन को कैसे बाहर निकाला जाये। आज हमारे समक्ष यही समस्या है। निस्संदेह काले धन का प्रचलन श्वेत धन से अधिक है। शायद वे दोनों एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं। (**व्यवधान**)

---

*तेलगु भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदया : नहीं, नहीं सभा से मेरा अनुरोध है कि समय बढ़ा दिया जाये। सभा से मेरा अनुरोध है कि समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये। हम लोग सात बजे तक बैठेंगे (व्यवधान) यह मुद्दा मुझे आज ही समाप्त करना है। सभा से मेरा अनुरोध है कि समय 2 घंटे और बढ़ा दिया जाये। श्री रेड्डी, कृपया···आप तेलगु में ही बोलिए क्योंकि आपने तेलगु में ही आरम्भ किया है।

श्री एम० सुब्बा रेड्डी : महोदय, अधिकतर यह अफवाह सुनने में आती है कि बहुत अधिक मात्रा में काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। स्वीटजरलैंड के बैंकों में अनेक गुप्त खाते हैं। बताया जाता है कि उनमें बहुत सारा काला धन जमा है। यह एक खुला रहस्य है। वित्त मंत्री को इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार ने भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी है किन्तु शहरी संपत्ति की उच्चतम सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। देश में काले धन का यह भी एक प्रमुख कारण है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार को दोहरी समस्या अर्थात् काले धन के साथ-साथ भ्रष्टाचार की समस्या से भी निपटना होगा। माननीय मंत्री महोदय, को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का सफाया कर दिया जाए तो काले धन की वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित किया जा सकता है। यदि काले धन का प्रचलन पूर्णतः समाप्त हो जाए तो देश की आर्थिक स्थिति स्वतः ही सुधर जाएगी।

करों की चोरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे काले धन का प्रचलन बढ़ता है। आय कर की बकाया राशि की वसूली की गति बहुत धीमी है। आयकर की बकाया राशि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। बड़े-बड़े लोगों से आयकर की बकाया राशि वसूल करने में सरकार उदासीनता बरत रही है। उदाहरण के तौर पर आंकड़ों से पता चलता है कि केवल आंध्र प्रदेश में 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। आयकर की चोरी कौन कर रहा है? बड़े-बड़े लखपति कर रहे हैं। सरकार इन बड़े-बड़े लोगों से कर वसूलने की स्थिति में नहीं है। यदि आंध्र प्रदेश में यह स्थिति है तो पता नहीं पूरे देश में कितने हजारों करोड़ों की बकाया राशि होगी ? आयकर के जाल से कितना धन मुक्त है ? यदि सारी बकाया राशि वसूल कर ली जाए तो हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था आसानी से खतम कर सकते हैं। इस देश में घाटे की अर्थ-व्यवस्था रहेगी ही नहीं। माननीय मंत्री महोदय को बकाया करों को वसूल करने में अधिक रुचि लेनी चाहिए। चूक-कर्त्ताओं के साथ निपटते समय उन्हें उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। बहुत समय से यही रवैया चल रहा है। इसका अन्त होना ही चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को इस मामले को दृढ़तापूर्वक निपटाना चाहिए।

राजनीति हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण पहलू है। किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर इसे हावी नहीं होने देना चाहिए। कम से कम अगले पांच वर्षों के लिए राजनीति को अलग रखा जाय और आर्थिक मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस समय अनेक परियोजनायें चल रही

[श्री एम० सुब्बा रेड्डी]

हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए हम विदेशों से धन उधार ले रहे हैं और कभी-कभी तो विनम्र होकर उनसे याचना करनी पड़ती है। अन्य देशों से उधार लेने की बजाय अच्छा तो यह होगा कि छिपे हुए काले धन को निकलवाया जाए जो चालू परियोजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। महोदय आंध्र हाउस को जाते समय रास्ते में एक बहुत बड़ा होटल बन रहा है। इस होटल के निर्माण पर करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है। इसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति की आय कितनी है ? उसने सरकार से कितना ऋण लिया है ? निर्माण में कितना काला धन लगाया जा रहा है ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर यही है कि इस देश में अपार काले धन का प्रचलन है। हमारे देश के गरीब होने का एक प्रमुख कारण काले धन का प्रभाव है। काले धन का प्रत्यक्ष प्रभाव मुद्रा स्फीति है। जितना अधिक काला धन बाजार में आता है हर वस्तु का मूल्य उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। जिस वस्तु का मूल्य आज एक रुपया है, कल उसका मूल्य दस रुपये होगा। मूल्य में नौ रुपए की वृद्धि का कोई हिसाब नहीं है। ये बे हिसाब धन हमारी अर्थ-व्यवस्था को क्षति पहुंचा रहा है। बे हिसाब धन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। संबंधित अधिकारी तक इसके आगे झुक गए हैं। इसलिए इस बे हिसाब धन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। हमारे वित्त मंत्री युवा हैं और उन्हें इस दिशा में और अधिक प्रयास करना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि वह इस मोर्चे में सफल होंगे। हाल में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उससे उनकी ईमानदारी सिद्ध होती है।

छापे मारने से बहुत सारा काला धन बरामद हो रहा है। उन बाजारों पर जो काले बाजार में बदल गए हैं, सफलतापूर्वक छापे मारे जा रहे हैं ? काले बाजारिया अधिक नहीं हैं। वे देश के लिए किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं हैं। यदि उनका अंशदान बहुत अधिक भी हो तो भी किसी राजनैतिक दल को उनसे अधिक सहायता नहीं मिलने वाली है। यदि सारा का सारा काला धन बरामद हो जाए तो हमारा देश अन्य किसी देश की अपेक्षा अधिक खुशहाल हो जाएगा। इसलिए काले धन को बरामद करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। समय-समय पर काले धन के बारे में चर्चा होती रही है। किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला है। इस संकट का समाधान अभी निकाला जाना है काले धन के प्रचलन पर नियन्त्रण पाने के लिए सरकार को कोई न कोई तरीका निकालना ही होगा। काले धन के प्रचलन को रोकने के लिए सरकार कोई विधान बना सकती है। शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित किये बिना काले धन की उत्पत्ति को रोकना कठिन है। खून पसीने से उपार्जित भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। परन्तु चोरी-छिपे विदेशी बैंकों में जमा किए जा रहे धन की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह उचित नहीं है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना ही होगा। एक गरीब आदमी जो साधारण-सा व्यापार आरम्भ करता है एक रात में लखपति हो जाता है। 45 हजार रुपए के मूल्य की मारुति कार इस समय काले बाजार में 70 या 80 हजार में बेची जा रही है। यह अतिरिक्त धन बाजार में कहां से आ रहा है। सारा का सारा काला धन श्वेत धन में परिवर्तित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि काले धन के प्रचलन को रोकने के लिए सरकार

ईमानदारी से कोई न कोई उपाय करेगी। इसके लिए सरकारी तन्त्र को पूरी निष्ठा के साथ काम करना होगा।

महोदय, आज कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बहुत बड़ी असंगतियां विद्यमान हैं। एक ही काम के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वेतन दिया जा रहा है। सरकारी प्रतिष्ठान में किसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को यदि 400 रु० वेतन मिलता है तो उसी प्रकार के काम लिए बैंक के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 1000 रुपया वेतन मिलता है। विभिन्न स्थानों में एक ही प्रकार के काम के लिए वेतन ढांचे में इतना बड़ा अन्तर है। किसी व्यक्ति द्वारा कमाया गया। अतिरिक्त अधिक धन धीरे-धीरे काले धन में परिवर्तित हो जाता है।

यह कहना कि देश से सोना नहीं है, गलत है। लोगों ने बहुत-सा सोना जमीन में इसलिए छिपा रखा है क्योंकि उसे बाहर निकालने में उन्हें डर लगता है और पकड़े जाने का डर है। ये सब बुराइयां काले धन के कारण पैदा होती हैं और इससे साधारण व्यक्तियों का जीवन दूभर हो जाता है। इसलिए मंत्री महोदय को काले धन को बाहर निकालने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब तक ये सब प्रयत्न नहीं किये जाते काले धन को निकलवाना बहुत कठिन होगा। मूल्यवान वस्तुओं आदि के रूप में छिपी सम्पत्ति को, जो काले धन का स्रोत हैं, भी बरामद किया जाए। इस प्रकार की गतिविधियों में जो भी संलग्न हो, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाना अनिवार्य है। समाचारपत्रों में आये दिन ऐसे समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। केवल वक्तव्य देना पर्याप्त नहीं है आवश्यकता यह है कि सरकार द्वारा दृढ़तापूर्वक कार्यवाही की जाए।

चूंकि मैं तेलुगु में बोल रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि माननीय मन्त्री महोदय मेरे भाषण को समझ भी रहे हैं अथवा नहीं। उनकी छवि एक अच्छे प्रशासन की हैं, वह युवा और उत्साही हैं। उनका रिकार्ड केवल अब ही नहीं अपितु उस समय भी अच्छा था जब वे विधानसभा में थे। वह अपनी धुन और दृढ़ निश्चय के लिए प्रसिद्ध हैं। मुझे आशा है कि वह अपराधियों के साथ कठोरता से निपटेंगे और इसका पूरा प्रयत्न करेंगे कि काला धन एक ही बार में सदा के लिए खतम हो जाए।

महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदया, विरोधी दल के अपने मित्रों की टिप्पणीयां सुनकर मुझे हंसी आती है। वे न केवल प्रतिवेदन की आलोचना करना चाहते थे अपितु माननीय वित्त मन्त्री पर भी प्रहार करना चाहते थे।

मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा क्यों कहा गया था कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र और बड़े उद्योगों और एकाधिकार घरानों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बजट में और इससे पहले वाले बजट में ही तो

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

बड़े उद्योगों पर कर का भार डाला गया है। अन्यथा, उन पर कर नहीं लगाया जा रहा था। कम से कम उनकी 30 प्रतिशत आय कर योग्य है। पहले ऐसा नहीं था। इसके अलावा यह सिफारिश की गई है कि उद्योगों को कोई छूट न दी जाए और बिना छूट दिए उन पर समुचित कर लगाया जाए।

इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक गंभीर समस्या है। काला धन समानान्तर अर्थ-व्यवस्था के रूप में काम कर रहा है।

समस्या यह है कि आप को स्पष्ट होना पड़ेगा कि आप केवल काले बाजारियों को पकड़ना चाहते हैं अथवा सरकारी अर्थ-व्यवस्था के सामान्तर चल रही अर्थ-व्यवस्था को खतम करना चाहते हैं। अत: स्वाभाविक है कि माननीय वित्त मंत्री को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि काला धन समानान्तर के रूप में कार्य कर रहा है। इसे सरकारी नियन्त्रण में तथा सरकारी प्रणाली के नियंत्रण में लाया जाए। इसी समस्या का समाधान करना है।

जहां तक उच्च कराधान प्रणाली का संबंध है, जहां तक मुझे पता है, यह प्रणाली उस समय आरम्भ हुई थी जब श्री लियाकत अली खान अविभाजित भारत की अन्तरिम सरकार के प्रथम वित्त मन्त्री थे और उनके सलाहाकार उनके सचिव श्री मुहम्मद अली थे। बाद में इस प्रणाली का अनुपालन अन्य सभी सरकारों ने किया और मेरा अनुमान है कि संभवत: उच्च दरों वाली कराधान प्रणाली कुछ साम्राज्यवादी अर्थशास्त्रियों के कहने पर सभी विकासशील देशों में आरंभ की गई थी और यह अनेक अन्य देशों में अब भी चल रही है पहली बार स्व० श्री वाई०बी० चव्हाण ने ऊपरी स्लैबों पर करों में कुछ हद तक कमी की थी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिक प्राप्त हुआ और उन स्लैबों में कालाधन कम हुआ जिनके मामले में कर घटाए गए थे।

इससे प्रतीत होता है कि हम लोग अनुभव से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। हम लोग कुछ सिद्धांतों को अपनाते हैं चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो। मैं इन मार्क्सवादी मित्रों से कहता हूं कि "यदि आप पोलैण्ड जायें तो आप देखेंगे कि वहां की सरकार और साम्यवादी पार्टी श्रमिकों पर आश्रित नहीं है। श्रमिक उनके विरुद्ध हैं। वहां छोटे भूमिधर कृषक न केवल सरकार का समर्थन करते हैं अपितु सरकार को थामे हुए हैं और एक तरह से वहां की सरकार उन पर आश्रित है।"

यह केवल अनुभव के कारण ही है कि छोटे भूमिधर कृषक उनके सहयोगी हैं। हमें हालात के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। मार्शल टीटो ने स्वीकृत साम्यवादी सिद्धांतों से हटकर कार्य किया था। पूरे विश्व में उनकी भर्त्सना की गई थी। परन्तु उन्होंने उस नीति का अनुसरण किया है जिससे लोगों की भलाई होती है। अत: स्थिति के अनुसार ही हमें कार्य करना होगा। हमारे वित्त मन्त्री जी को साहस के साथ काम करना होगा। काला धन पैदा करने वालों पर हमें दबाव डालना होगा परन्तु साथ ही साथ हमें उस धन को बाहर निकालने का मार्ग खोजना होगा

ताकि यह धन प्राधिकृत अर्थ-व्यवस्था का अंग बनकर चलन में आ सके। इसकी बजाए अगर आप संदिग्ध व्यक्तियों की खोज में लगे रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि आपके नियम ज्यादा कठोर नहीं हैं। परन्तु ये कठोर हैं। इनका क्रियान्वयन भी सख्ती से किया जाता है। परन्तु वे काले धन को पैदा होने से नहीं रोक सकते। क्या आप समझते हैं कि कठोर कानून बनाने से हत्या से लेकर छोटे से छोटे अपराधों को रोका जा सकता है ? इस बात के बावजूद कि कठोर कानून मौजूद हैं, फिर भी आप हर रोज दिन-दहाड़े चोरियां, बैंकों का लूटा जाना देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अपराधियों को पकड़ने ओर उन पर मुकदमे चलाने का आपके पास तंत्र नहीं है। जब तक हम ऐसी स्थितियां पैदा नहीं करते जिसमें इस धन पर नियंत्रण रखा जा सके तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी धन चाहे जितना हो, मैं इसके ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं। मेरे मित्रों ने इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

मेरा कहने का अभिप्राय है कि यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है। समानान्तर अर्थ-व्यवस्था को नियन्त्रित करना होगा। प्रतिवेदन में काफी उपाय सुझाये गए हैं तथा मैं नहीं समझता कि उन्हें एकदम रद्द कर देना उचित है। विरोधी पक्ष चाहे जो कुछ कहे, जहां तक प्रतिवेदन की सिफारिशों का संबंध है, सरकार को इस पर गम्भीर रूप से विचार करना होगा।

प्रतिवेदन में विपक्षी दल द्वारा सरकारी क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया था। सरकार मुख्यत: सरकारी क्षेत्र पर ही निर्भर है। वे इसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है इसमें न केवल बड़े-बड़े उद्योग एवं एकाधिकारी घराने ही हैं परन्तु इसमें लघु उद्योग भी हैं। हमारा स्व:रोजगार कार्यक्रम भी निजी क्षेत्र में ही है, हमारा व्यापार एवं व्यवसाय भी निजी क्षेत्र में है। अत: आप निजी क्षेत्र की निन्दा कैसे कर सकते हैं ? यह बुराई किसी एक क्षेत्र में नहीं है। इसे इसी दृष्टिकोण से देखना होगा।

महोदया, चूंकि आप कह रही हैं कि समय नहीं है, इसलिए मैं समाप्त करता हूं। यद्यपि मुझे बहुत-सी बातें कहनी थी। अंत में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से सिफारिश करता हूं कि प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी मुद्दों पर पूर्ण रूप से चर्चा की जानी चाहिए। सभा में दो घण्टे की चर्चा पर्याप्त नहीं होगी। इस पर विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न मंचों पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ बातें खत्म करनी होंगी और कुछ इसमें जोड़नी होंगी। देश एक ऐसी समस्या का सामना कर रहा है, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था को क्षति पहुंचा रही है। अत: मेरा सुझाव है कि जहां तक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था का संबंध है, इससे निपटना होगा। अन्त में, मैं फिर सुझाव देता हूं कि आपको काला धन पैदा करने वालों पर दबाव डालना होगा तथा इस धन को बाहर निकालने का रास्ता बनाना होगा। इस नीति से ही आप समान्तर अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण कर सकेंगे। आप को काले धन को अपनी ओर लाने के लिए इसे प्रोत्साहित करना होगा और यह आप कैसे करते हैं इसके लिए आप को गहन अध्ययन करना होगा।

श्री शरद दिघे (उत्तर-मध्य बम्बई) : सभापति महोदया, यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन को चर्चा के लिए लिए सभा के समक्ष रखा गया है।

मुझे प्रसन्नता है कि इसकी सिफारिशों के संबंध में सरकार ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है। मुझे बताया गया है कि सिफारिशों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। परन्तु सरकार इस सभा में हुई चर्चा तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेगी।

काले धन की समस्या बहुत पुरानी है और विगत में भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

जहां तक स्वेच्छा से धन प्रकट करने की योजना का संबंध है, यह चार बार शुरू की गई। एक बार 1957 में, दो बार 1965 में तथा फिर एक बार 1975 में। परन्तु इसके संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। परिमाणात्मक परिणाम निराशाजनक थे। जहां तक स्वेच्छा से धन प्रकट करने का सम्बन्ध है हमें पहली बार 267 करोड़ रुपये तथा दूसरी बार 727 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद दो बार विमुद्रीकरण को अजमाया गया। दो बार—एक बार 1964 में जब देश में प्रचलित कुल 144 करोड़ रुपए के बड़े मूल्य के नोटों में से सिर्फ 8 करोड़ रुपए मूल्य के बड़े नोट प्रस्तुत किए गए थे। दूसरी बार 1978 में जब देश में प्रचलित 145 करोड़ रुपए मूल्य के बड़े नोटों में से सिर्फ 20 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही सामने आए। अतः अपेक्षाकृत बहुत ही नगण्य परिणाम विगत में प्राप्त हुए।

ऐसा ही अनुभव तब हुआ जब विशेष धारक बांड योजना शुरू की गई। 1981 में विशेष धारक बांड निकाले गए जिनकी भुगतान तिथि 1991 रखी गई। ऐसा देखा गया कि ईमानदार एवं सीधे-साधे लोगों ने भी अपना पैसा बचत खातों में से निकालकर विशेष धारक बांड खरीद लिए थे। सच पूछा जाए तो काला धन बाहर आया ही नहीं। अतः इस अध्ययन दल द्वारा विशेष दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा बहुत से सुझाव दिए गए हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि हमारी सरकार काले धन के बारे में बहुत ही गम्भीर है। यहां तक कि फरवरी, 1985 में चुनावी दौरे के दौरान प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि काले धन की बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार इस पर दो तरफा हमला करेगी। पहला कदम काले धन के स्रोतों से निपटाना होगा तथा दूसरा कदम कानून को कड़ा करना तथा काला-धन पैदा करने वालों को सजा देना होगा। यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होती है कि वित्त मन्त्री जी ने काले धन का पता लगाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं जैसे कि सम्पदा कर की समाप्ति, आयकर की दरों एवं आयकर स्लैब में कमी। काले धन का पता लगाने के लिए कई कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। काले धन के स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

इस समिति द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है।

पहला सुझाव है आर्थिक नीति में इस प्रकार का परिवर्तन करने के सम्बन्ध में है जिससे काले धन की उत्पत्ति को रोका जा सके। इस उद्देश्य के लिए कर की दरों में कमी का सुझाव दिया गया है। सरकार ने इसका अंशत: क्रियान्वयन किया है। मैं यह देखकर हैरान हूं कि प्रत्यक्ष आय कर को भी पूरी तरह समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। सरकार को इस संबंध में बहुत ही सावधान होना चाहिए। जहां तक कर-खण्डों का संबंध है अत्यधिक उदारता नहीं बरती जानी चाहिए। उन्हें नियंत्रण एवं अन्य चीजों को हटाने में भी अत्यन्त उदार नहीं होना चाहिए। हमारे यहां नियोजित अर्थ-व्यवस्था है। हम पंचवर्षीय योजना का अनुसरण कर रहे हैं। यद्यपि हमारे यहां मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है, हम नियंत्रण रखने पर जोर दे रहे हैं, ताकि जो कुछ भी हमारे यहां पैदा हो उसका समान वितरण हो। अत: आयकर को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक नहीं है। आप वेतन भोगी अथवा मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों को राहत दे सकते हैं परन्तु व्यापारियों एवं बड़े व्यवसायियों को कोई भी राहत देने की आवश्यकता नहीं है। कर-ढांचे के सरलीकरण की निश्चय ही आवश्यकता है।

अब मैं मुख्य सिफारिश पर आता हूं जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, यह चुनावों का वित्त-पोषण करने के बारे में है। राजनितिज्ञ होने के नाते हम सभी जानते हैं कि बहुत से दलों को बड़े-बड़े व्यापारियों के धन पर निर्भर रहना पड़ता है तथा इसके फलस्वरूप न सिर्फ नीतियों में ही परिवर्तन करना पड़ता है बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। अत: जहां तक चुनाव सुधारों का संबंध है चुनावी खर्चा राज्यों को करना चाहिए। इस प्रतिवेदन के अनुसार सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने के लिए केवल 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। हमें साहस से काम करना चाहिए तथा तत्काल यह सुधार करना चाहिए ताकि काले-धन की नींव पर चोट की जा सके।

इसके अतिरिक्त हमें भ्रष्ट लोगों का पता चलाना चाहिए। ऐसे लोग प्रशासन अथवा राजनीति में हो सकते हैं, परन्तु हमें सब जगह स्वच्छ प्रशासन पर जोर देना चाहिए। केन्द्र में सर्वोच्च पद पर 'मिस्टर क्लीन' का होना ही पर्याप्त नहीं है, परन्तु हमें यह भी देखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में हर जगह जो राजनीतिज्ञ चोटी पर हैं, तथा अन्य लोग जो प्रशासन को चला रहे हैं, वे भी स्वच्छ हों तथा इस बात के लिए हमें जोर देना चाहिए। यही भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है तथा काले धन का भी।

चुनावी खर्चों के लिए धन मुहैय्या कराने के साथ ही हमें राजनैतिक जीवन को भी स्वच्छ बनाना चाहिए तथा हमें इन बातों पर जोर देना चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि हमें मुख्यत: तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह करना चाहिए क्योंकि काला धन पैदा करने के लिए यही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ये धन इकट्ठा कर लेते हैं और उस धन से ये देश की राजनीति को अपने नियन्त्रण में रखते हैं, भवन-निर्माता बन जाते हैं, फिल्में बनाने लगते हैं तथा इस काले धन का कई अन्य क्षेत्रों में उपयोग करते हैं।

[श्री शरद दिघे]

अत: इस देश से तस्करी एवं भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए कड़े उपाय करने चाहिएं। ये मेरे मुख्य सुझाव हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदया, भारत में वर्तमान में ही नहीं अपितु काफी लम्बे समय से हम काले-धन की समस्या से चिन्तित रहे हैं। सच तो यह है कि 1936 से हमारे यहां काले धन का पता लगाने के लिए सरकारी तौर पर खोज-बीन की जा रही है। 1936 में एक अय्यर समिति बनी थी। 1947 में आयकर जांच समिति बनी थी जिसका कार्य यह पता लगाना था कि आयकर चोरी कैसे होती है तथा उससे काले धन को कैसे बढ़ावा मिलता है। 1953-54 में कराधान जांच समिति बनाई गई थी। 1956 में हमने विश्व विख्यात अर्थशास्त्री श्री निकोलस कालडर को इस बात का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया कि काला धन कैसे पैदा होता है तथा काले धन को रोकने के लिए कराधान ढांचे को किस प्रकार का बनाया जाए। 1958 में प्रत्यक्ष कराधान जांच समिति बनी थी, तथा 1968 में विभागीय अधिकारियों की समिति बनी थी। 1971 में वांचू समिति बनाई गई थी तथा 1983 में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए कहा गया जिस पर इस समय चर्चा हो रही है।

इससे पता चलता है कि सभा में दोनों पक्ष काले धन की उत्पत्ति से कितने चिन्तित हैं। परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार की चिन्ता सिर्फ सैद्धान्तिक एवं कदाचनिक है। जब कभी भी सत्तापक्ष देश के समक्ष अपनी यह छवि बनाना आवश्यक समझता है वह काले धन की समस्या से चिंतित हैं तो इस पर चर्चा करा दी जाती है। इस अवसर को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस तरह चर्चा का अवसर आता है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे देश की मनःस्थिति का पता चलेगा।

बिल्कुल विश्वास न होने पर भी हमें आशा है कि कुछ कार्यवाही अवश्य होगी। वर्तमान सरकार के रवैये में मैं एक बात की सराहना करता हूं। जब वांचू आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया तो तत्कालीन सरकार ने उसे दबाने का प्रयास किया और वह प्रतिवेदन चोरी-छिपे सरकार के हाथों से निकालकर जनता के सामने लाना पड़ा। लेकिन अब सरकार ने स्वयं यह प्रतिवेदन पेश किया है। यह अच्छी बात है।

मैं कहता हूं कि समयाभाव के कारण मैंने प्रतिवेदन का सरकारी तौर पर अध्ययन किया है मैं इस प्रतिवेदन को समझने में असमर्थ भी हूं। प्रतिवेदन को पढ़कर मैं यही निष्कर्ष निकाल पाया हूं कि यह प्रतिवेदन सरकार द्वारा तैयार कराया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों से ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन फिर भी इस प्रतिवेदन को तैयार करने वाले व्यक्ति उन लोगों से एकमत हैं जो अब सरकार में हैं। ये लोग पिछली सरकार में अपने पूर्व सहयोगियों के समान ही हैं। सम्भवत: इस प्रतिवेदन को तैयार करने वाले लोग एक से विचार

वाले लोग हैं। स्वभावत: उन्होंने ऐसे सुझाव दिए हैं जो वर्तमान सरकार के अनुकूल हैं। उदारीकरण, प्रत्यक्ष करों को समाप्त करना, अथवा उनकी दरें घटाना बजट में विद्यमान हैं और ये सभी बातें इस प्रतिवेदन की सिफारिशों में मौजूद हैं। यह शंका मेरे मन में रहेगी, मंत्री महोदय भले ही इसका खण्डन करें। मैं महसूस करता हूं कि यह प्रतिवेदन उन कतिपय उपबन्धों के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए है जिन्हें सरकार देश में अपने कट्टर समर्थक बनाने के लिए कार्यरूप देने पर तुली हुई है। देश के देहातों और शहरी क्षेत्रों के समृद्ध वर्ग इस सरकार के समर्थक बन जायेंगे यदि ये उपबन्ध लागू हो गए। इन उपबन्धों को इस प्रतिवेदन की सिफारिशों से प्रोत्साहन मिलेगा अत: प्रतिवेदन राजनीति से प्रेरित है।

प्रतिवेदन के तैयार करने वालों ने यह स्वयं कहा है कि इस प्रतिवेदन को तैयार करने में अपनाई गई प्रक्रिया, परिभाषाओं, मानदण्डों आदि के लोगों में त्रुटियां नजर आयेंगी। मुझे इनमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। लेकिन उन्होंने जो अन्तिम निष्कर्ष निकाला अर्थात् वर्ष 1983-84 में 37,000 करोड़ रुपए का काला धन बना मेरे विचार से कम आंका गया है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि उसी वर्ष के लिए आई०एम०एफ० विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि 86,000 करोड़ रुपए का काला धन बना। 37,000 और 86,000 में बहुत अधिक अन्तर है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप किस पर विश्वास करते हैं, आई० एम० एफ० पर अथवा इस प्रतिवेदन पर ?

श्री अमल दत्त : मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। दोनों ही समान रूप से अविश्वसनीय हैं। मैं सभी सिफारिशों पर चर्चा नहीं करूंगा। इस प्रतिवेदन में कुछ बातों को निष्कर्ष रूप में बताया गया है। कहा गया है कि स्वेच्छा से प्रकट करने की योजना से काले धन में कमी आएगी। यह धारणा गलत है, क्योंकि यह योजना प्रत्येक दशक में लाई गई है, कई बार नहीं बल्कि दो बार या तीन बार लेकिन इससे काले धन में कमी नहीं आई। दूसरी ओर वांचू आयोग के प्रतिवेदन के समय से वर्ष 1973-74 में 10,000 करोड़ रुपए का जो काला धन था वह बढ़कर अब 37,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह आपका ही अनुमान है। मैं आपके ही सरकारी अनुमान के बारे में बोल रहा हूं। इसलिए यदि ऐसी बात है, स्वेच्छा से धन प्रकट किया जाता रहा है। इसके साथ ही धारक बांड योजना रही है। धारक बांडों से एक हजार करोड़ रुपये आए हैं।

एक अन्य सुझाव यह है कि कुछ गन्दी बस्ती सुधार बांड चालू किए जाएं ताकि कोई व्यक्ति धन के स्रोत के बारे में प्रश्न न करें और फिर लोग अंशदान करने लगेंगे क्योंकि इससे वे राष्ट्र के लिए कुछ करने की अपनी लालसा पूरी कर सकेंगे। धारक बांडों के सम्बन्ध में ऐसी धारणा नहीं थी। मैं समझता हूं कि यह एक गलत धारणा है। लोग, जो काला धन पैदा करते ऐसा राष्ट्र को हानि पहुंचाकर करते हैं। फिर बाद में वे इसे राष्ट्र के लाभ के लिए नहीं छोड़ेंगे। एक बार उन्हें ऐसा करने दें तो वे यह देखना चाहते हैं कि जो भी धन वे कमाते हैं वे उसे अपने लिए ही उपयोग करें।

[श्री अमल दत्त]

अब सरकार का खर्चा काले धन के बनाने का स्रोत हो गया है और सरकार के खर्चे पर नहर रख-रखाव, लोक निर्माण कार्य, भवन, तथा गरीबी हटाने संबंधी कार्यक्रम, भूमि विकास एजेंसियां, सिविल और प्रतिरक्षा कार्यों के लिए खरीदारी, आदि कार्य होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार पर्याप्त सतर्कता नहीं बरतती है। सरकार सतर्कता क्यों नहीं बरतती है। उसका 20 से 40 प्रतिशत धन काले धन में बदल जाता है। यह किसी के साथ उदार होने का प्रश्न नहीं बल्कि सख्त और सतर्क होने का प्रश्न है। पिछले आठ महीने से सत्तारूढ़ में इस सरकार को अब तक सभी बुराइयां समाप्त कर देनी चाहिए थीं। लेकिन इस सरकार ने पहला कदम तक नहीं उठाया है।

इसके बाद वे एक और बात कहते हैं। राजनीतिज्ञों के रास्ते में अवरोध कर दिया जाता है और मैं समझता हूं कि भारत में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रकार की राजनीति से बहुत भ्रष्टाचार पैदा हुआ है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चाहे ये वास्तविक हों या काल्पनिक, राजनीतिज्ञों को व्यापारियों से बहुत अधिक धन मिल जाता है। यह सच है। लेकिन इस बुराई को ऐसी व्यवस्था द्वारा समाप्त किया जा सकता है जिसमें दलों को चुनाव खर्च के लिए प्राप्त धन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि केवल प्रारम्भिक खर्च ही वहन किया जाना चाहिए। जिसका तात्पर्य है कि आगे होने वाले खर्च को उम्मीदवार या पार्टी स्वयं वहन करेगी। इस पर रोक लगाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर इस चुनाव के लिए यदि आप जर्मनी का तरीका अपनाएं अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दोनों ही प्रकार से जहां उम्मीदवारों को राज्य द्वारा धन की पूरी सहायता दी जाती है। जब तक हम किसी ऐसी व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे तब तक हम इसे रोक नहीं सकते। हम अपनी वर्तमान संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिज्ञों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते।

एक बात का पता चला है कि व्यापारियों द्वारा सरकार में उन लोगों को जो विवेकाधीन नियंत्रणों के प्रभारी होते हैं को पैसा, कमीशन, आदि दिया जाता है। अब नियंत्रणों को गैर-विवेकी बनाना होगा। यह करना होगा। नियंत्रण उन लोगों को करना होगा जो वर्तमान पीढ़ी से नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हों। यह पहली बात है। दूसरे, इसकी निगरानी करनी चाहिए। आज यदि किसी व्यक्ति के पास विवेकपूर्ण शक्ति है और यदि उसे उत्कोच मिलती है तो वह उस धन को कहीं भी रख सकता है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, व्यापारी जो धन जमा करता है, आयकर की चोरी करता है वह ऐसा आयकर की चोरी करने के उद्देश्य से नहीं करता, लेकिन वह बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आदि की चोरी करने के लिए करता है। किसी न किसी स्थान पर यह रिकार्ड अवश्य होता है कि उसने कोई वस्तु खरीदी है। लेकिन यह रिकार्ड और कराधान विभाग के रिकार्ड बिल्कुल अलग होते हैं। कोई व्यक्ति बिक्री कर विभाग में जाकर कुछ बात कह सकता है और उत्पाद शुल्क विभाग में जाकर कुछ और बात कहता है फिर आयकर विभाग में जाकर दूसरी बात कहता है। लेकिन ऐसा क्यों? यद्यपि कर-अधिकारी अलग-

अलग हैं, समेकित व्यवस्था हो सकती। या फिर से सभी आंकड़े एक स्थान पर आने चाहिएं और उन्हें समेकित किया जा सकता है उनका मिलान और जांच की जा सकती है ताकि व्यापारियों को करों की चोरी करने के कम अवसर मिलें।

हमारी वर्तमान सरकार को कम्प्यूटरों का बहुत शौक है। इस क्षेत्र में सरकार तुरन्त कार्यवाही कर सकती है। और मैं यह देखने के लिए कम्प्यूटर लगाए जाने का समर्थन करूंगा। ताकि एक प्रकार ये व्यवसाय या एक व्यक्ति के सभी स्थानों से सभी प्रकार के आंकड़े एक ही कम्प्यूटर में आ जाएं। तभी इस बात का विश्लेषण किया जा सकता है और यह देखा जा सकता है कि वह कहां पर कर की चोरी करने की कोशिश कह रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उन्होंने अनेक शब्दों में इसका सुझाव नहीं दिया है लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए।

एक और रास्ता निकाला गया है अर्थात गैर-निवासी निवेश। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह योजना पिछले वर्ष या 1983 में शुरू हुई थी।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कम से कम यहां तो आपने कम्प्यूटर प्रणाली के विचार का समर्थन किया है।

श्री अमल दत्त : इस प्रयोजन के लिए। गैर-निवासी निवेश समाप्त किया जाना चाहिए। इससे विदेशों से धन लाने में लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिला है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि धन कहां से आता है। उदाहरण के लिए एस्कोर्टस के अधिग्रहण को ही लें। सरकार स्वयं कहती है कि वह इस बात की जांच नहीं करेगी कि शेयर खरीदने के लिए व्यापारी ग्रुप को किसने धन दिया है। यदि सरकार का यही रवैया रहा तो लोग कमीशन लेंगे, लोग विदेशी खरीद पर रिश्वत लेंगे, धन एकत्र करेंगे और इस धन को किसी अनिवासी के माध्यम से देश में वापस ले आयेंगे। यहां बड़े उद्योग घरानों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे जैसा कि शा वैलेस के मामले में पहले से ही हो रहा है जो कम्पनी ला बोर्ड के समक्ष है। यहां एक महोदय हैं। उस व्यक्ति की परिसम्पत्तियों के बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन हांग-कांग की एक कम्पनी ने, जिसकी 200 डालर की पूंजी है कहीं से करोड़ों रुपए का ऋण लिया है और शा वैलेस की नियंत्रक कम्पनी के शेयर खरीद लिए हैं। यहां ऐसी बातें हो रही हैं।

हमारे व्यापारी अधिक राशि के बीजक और कम राशि के बीजक बनाते हैं और विदेशी मुद्रा जमा कर रहे हैं। और सरकार ऐसा काला धन भारत में लाने के लिए उनके लिए मार्ग बना रही है। इसको तुरन्त रोका जाना चाहिए ताकि सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और समानान्तर अर्थव्यवस्था को समाप्त किया जा सके। अन्यथा यहां इस मामले पर यहां चर्चा करने का कोई लाभ नहीं।

***कुमारी डी० के० तारादेवी** (चिकमंगलूर) : सभापति महोदया, राष्ट्रीय लोक वित्त

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[कुमारी डी०के० तारादेवी]

संस्थान के प्रतिवेदन और भारत में काले धन के पहलू सम्बन्धी नीति के अनुसार हमारे देश में 31 से 36 हजार करोड़ रुपये का काला धन परिचालन में है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक समितियां गठित की गई हैं और उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिए हैं। इन समितियों की अनेकानेक सिफारिशों के बावजूद काला धन बढ़ता ही जा रहा है। इस पहलू ने न केवल हमारी राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को बल्कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। मंत्री महोदय से मेरा मूल प्रश्न यह है कि अनेक कानून बनाने के बावजूद काला धन क्यों बढ़ रहा है।

मैं महसूस करती हूं कि इन कानूनों और समितियों के प्रतिवेदनों से काला धन हमारे देश से समाप्त नहीं हो सकता। यहां तक कि लगातार छापे मारने से भी काले धन को समाप्त करने में सफलता नहीं मिलेगी। हमें अपनी राजनीतिक व्यवथ्था और प्रशासनिक व्यवस्था में मलभूत परिवर्तन करने होंगे। सबसे पहले हमें इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा काले धन को समाप्त करने में हमें सफलता नहीं मिलेगी।

लोग जितना अधिक धन इकट्ठा करते हैं उतनी ही अधिक कर की चोरी करते हैं। मैं नहीं समझती कि विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों और कानून में परिवर्तन करने से सरकार समाज में काले धन की बुराई से छुटकारा पा सकेगी। एक अन्य विडम्बना यह है कि काले धन वाले लोगों को समाज में सम्मान मिलता है इन्हें और चोर बाजारी करने वालों को राजनीतिक तंत्र से भी प्रोत्साहन मिलता है। समाज उन्हें महामानव समझता है।

भ्रष्टाचार एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिससे काले धन के प्रसार को बढ़ावा मिला है। इन्हें छापे मारने और कर-प्रणाली में परिवर्तन करने से नहीं रोका जा सकता। सर्वप्रथम भ्रष्टा-चार का उन्मूलन किया जाना चाहिए।

चुनावों में खर्च भी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिससे काला धन बढ़ रहा है। इससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति होती है। अतः अब समय आ गया है जबकि सरकार को चाहिए कि वह किसी दल विशेष का विचार किए बिना चुनाव-व्यय पर सीमा लगा दे। चुनावों में खर्च पर सीमा लगाये जाने पर सभी दलों को सहमत होना पड़ेगा। अन्यथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना सम्भव नहीं होगा। एक ओर हम इस सदन में भाषण देते हैं कि काले धन और मुद्रास्फीति पर कैसे रोक लगाई जाए लेकिन दूसरी ओर हम काले धन को बढ़ाने का अवसर भी देते हैं। इस बारे में मैं नहीं जानती कि हंसा जाए या शर्मिन्दा हुआ जाए।

काले धन की बुराई हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैल गई है। हमें अपना आत्म-निरीक्षण करना है। सभी राजनीतिक दलों को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना होगा।

हम चुनावों के समय अनेक आश्वासन देते हैं लेकिन उनमें से कितने पूरे करते हैं। चोर-बाजारी करने वाले और तस्कर चुनावों में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। वे किसी एक राजनीतिक दल को सत्ता में लाने का प्रयास करते हैं जो उनके अनुकूल हो इन ताकतों से निपटने के लिए केवल कानून में परिवर्तन करना पर्याप्त नहीं है। बल्कि सशक्त राजनीतिक इच्छा अनिवार्य है।

विशेष न्यायालयों की स्थापना करनी पड़ेगी ताकि काले धन और चोर बाजारी के अपराधों से निपटा जा सके। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष कर्मचारियों की भरती करनी होगी। विशेष कर्मचारियों और अन्य उच्च अधिकारियों को ऐसे मामलों में उत्तरदायी बनाना जाना चाहिए। अनेक आई०ए०एस० अधिकारी और पुलिस अधिकारी जानबूझ कर ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही नहीं करते हैं। सरकार को इन अधिकारियों से कहना चाहिए कि वे सतर्क रहें और तस्कारी तथा काले धन के मामलों में समुचित कार्यवाही करें। कुछ बहुत अच्छे, कुशल और निष्ठावान अधिकारी हैं। उनकी निष्ठापूर्ण सेवाओं की सराहना की जानी चाहिए और उन्हें सभी तरह से नैतिक समर्थन दिया जाना चाहिए। सरकार का यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिए।

आयकर के अपवंचन और स्टाम्प ड्यूटी अपवंचन पर रोक लगाने के अलावा भ्रष्टाचार की सभी स्तरों पर निन्दा की जानी चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण है जहां ग्राम स्तर के साधारण कार्यकर्ताओं ने छ: लाख रुपए मूल्य के मकान बनवाए हैं। लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्य में विलम्ब करता है जिससे निर्माण व्यय 50 करोड़ रुपये से बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो जाता है। स्थिति यह है। अनेक इन्जीनियर भ्रष्टाचार करते हैं और काला धन जमा करते हैं। सरकार ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

वास्तवी यह है कि काला धन उत्पन्न करने वाले लोगों ने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा है। वे वहां सुरक्षित तौर पर पैसा रख सकते हैं। मठों तथा अन्य धार्मिक स्थानों को काला धन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मठों के कुछ गुरु भी इन गतिविधियों में संलग्न हैं। वे करों का अपवंचन भी करते हैं। अतः मैं सरकार से ऐसे लोगों के भी विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का आग्रह करती हूं। ऐसे सभी बेईमान लोगों की अवश्य ही एक काली सूची तैयार करनी चाहिए। अगर ये कोई व्यापार चला रहे हैं तो उनके लाइसेंसों को रद्द कर देना चाहिए। उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए जैसी कि अपराध संबंधी मामलों में दी जाती है। अन्यथा कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल तभी वे कानूनों को मानेंगे तथा काले धन में संलग्न होने से बचेंगे। केवल तभी वे गलत रास्ते को छोड़कर राष्ट्र की प्रगति की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदया, काले धन का सम्मोहन परम्परागत है तथा इसका प्राचीन इतिहास है और विरोध पक्ष के हमारे मित्र, श्री अमल दत्त, ने कुछ उपायों के बारे में बोला है जिन पर आजादी से पहले भी विचार किया गया था। परन्तु उनकी इस टिप्पणी में कि वर्तमान सरकार इसका दिखावा कर रही है मैं कोई सत्यता नहीं पाता।

[प्रो० नारायण चन्द पाराशर]

महोदया, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने इस वर्ष के आरम्भ में तीन बातों का वायदा किया था। पहला वायदा था राजनैतिक अस्थिरता के मूल पर चोट करके दल-बदल पर रोक लगाना और इसके लिए दल-बदल निरोधक विधेयक पारित किया गया था।

दूसरा है, यह काला धन; और तीसरा है पद के अधिकार का दुरुपयोग और इसको रोकने के लिए लोक पाल विधेयक लाया जा रहा है। अतः इन सभी तीनों क्षेत्रों में जो उन्होंने वायदा किया था उनको वह क्रियान्वित कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह देश के सर्वोच्च हित में है क्योंकि राष्ट्र इस समय के नेतृत्व की ईमानदारी से अवगत है। और इसके अतिरिक्त हाल ही की प्रवृत्तियों से तथा हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा जो उपाय किए गए हैं वे भी ईमानदारी का एक प्रमाण है। अतः हमारी यह शुभकामना है कि हमारे नेतृत्व को इस कार्य में सफलता मिले। परन्तु अगर हम सिर्फ कुछ बातों पर अड़े रहेंगे तो काले धन की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता।

हमने पहले ही कुछ उपाय किए हैं और पहले शुरू की गई स्वैच्छिक प्रकटन योजना का भी जिक्र किया गया है। 1951 में ऐसी चार योजनायें थीं। 1957 में एक ऐसी योजना थी, 1965 में दो थीं तथा 1975 में एक ऐसी योजना थी। और इसी प्रकार से डिबेंचरों तथा बियरर बांडों की भी योजनाएं थी। परन्तु अब तक हमें सफलता न मिलने का क्या कारण है और इन योजनाओं से जो धन एकत्रित किया गया था वह केवल एक अंश मात्र था ?

जैसा कि आप जानते हैं, अनुमान में भिन्नता होती है। वर्तमान समिति का एक अनुमान इसे 37,000 करोड़ रुपये बताता है तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अविसेशय्या के अनुमान के अनुसार यह 59,000 करोड़ रुपये है तथा एक तीसरे अनुमान के अनुसार यह 31,000 करोड़ रुपये है। अतः इसमें भिन्नता है। प्रतिशत प्रणाली के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई०एम०एफ०) का विश्वास है कि भारत में जी०एन०पी० का 50 प्रतिशत काला धन है जबकि अमरीका में यह 25 प्रतिशत है, इटली और स्वीडन में 20 प्रतिशत, ब्रिटेन में 10 प्रतिशत तथा जापान में 5 प्रतिशत है। अतः काले धन की समस्या किसी भी आकार तथा मात्रा की हो इसको रोकने के लिए गंभीर उपायों की आवश्यकता है। परन्तु इससे भी अधिक एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस समय, कर से बचने वाले लोग यह महसूस करते हैं कि कर देने के बजाय इसे न देकर वे अधिक धन बचा सकते हैं। अतः वे सभी प्रकार की चालों का इस्तेमाल करते हैं। वह उच्च न्यायालय में चला जाता है। उच्च न्यायालयों में बहुत बड़ी संख्या में मामले निर्णयाधीन पड़े हैं और इसमें आयकर की बहुत अधिक बकाया धनराशि सम्बद्ध है। वे समझते हैं कि आय कर देने से अच्छा तो यह है कि वे वकील को उसकी फीस दे दें और 5 वर्षों तक मामले को लटकाये रखें। अतः वे लोग जो कर से बचना चाहते हैं ओछे तरीके अपनाते हैं। हमें इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना होगा। जब संपत्ति की बिक्री के बारे में सौदा किया जाता है तो कभी तो मूल्य बढ़ाकर दिखाया

जाता है और कभी घटाकर दिखाया जाता है। राज्यों की इसमें स्टैम्प ड्यूटी संबद्ध है तथा बेचने वाले के लिए कम दायित्व। इस प्रकार से यह खरीदने और बेचने वालों की सुविधानुसार चल रहा है। राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी की जाती है और इस प्रकार की हेरा-फेरी से राजकोष को घाटा होता है। हमें इस हेरा-फेरी को बन्द करना होगा। हमारे कर ढांचे के सरलीकरण का जो सुझाव दिया गया है वह देश के सर्वोच्च हित में होगा तथा काले धन की बुराई को समाप्त करने की दिशा में सही कदम होगा।

बहुत-सी योजनाओं का जिक्र किया गया है। एक इसी प्रकार की योजना जिसका सुझाव दिया गया है वह है स्लमों को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कोष बनाया जाये। यह की गई सिफारिशों में से एक है कि अगर लोगों को समाज के कल्याण जैसे कार्यों के लिए काला धन देने की अनुमति दी जाए तो समाज इसको स्वीकार कर लेगा। एक ऐसी ही परियोजना जिसका सुझाव दिया गया है, शहरों से स्लमों को समाप्त करना है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 100 करोड़ रुपये आरम्भिक निवेश के तौर पर दिये जा सकते हैं। उन सभी लोगों को जिनके पास काला धन है वहां पर काला धन देने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है। तब वास्तव में इस कोष में बढ़ोतरी होगी तथा सामाजिक बुराई में भी कमी आएगी। परन्तु ये जो भी हों, दूसरी योजना डिबेंचरों की है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि धन के स्रोत के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए परन्तु इन डिबेंचरों से प्राप्त ब्याज पर आय कर लगाना चाहिए तथा डिबेंचरों की राशि पर धन कर लगाना चाहिए किन्तु उन्हें दान-कर से मुक्त कर देना चाहिए। ये उपाय हैं जिनका सुझाव दिया गया है।

नेतृत्व की राजनैतिक इच्छा तथा अधिकारियों की ईमानदारी तथा निष्ठा का जिक्र किया गया था। हम इसे कर पाएंगे अथवा नहीं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। एक तरफ तो जब कभी भी सही दिशा में कोई कदम उठाया जाता है तो हम सरकार पर आक्षेप करते हैं और दूसरी तरफ जब कभी भी सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए उपाय किए जाते हैं तो विरोध पक्ष दूसरी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है।

अनुच्छेद 311(2) के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया निर्णय इसी प्रकार का एक मामला है। कोई भी नहीं चाहता कि सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार इत्यादि के तुच्छ आरोपों पर तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाये। परन्तु हमें सेवा-काल में ईमानदारी तथा निष्ठा को निश्चित करने के लिए कोई अंदरूनी तन्त्र बनाना होगा।

दूसरे, राजनैतिक नेतृत्व का प्रश्न है। इससे ज्यादा और क्या साहस होगा कि हमने तीन कदम उठायें हैं और काले धन की समस्या को हल करना उनमें से एक है? वास्तव में, चुनावों का खर्च वहन करने में सुझाव दिया गया है। परन्तु जापान तथा अमेरिका जैसे देशों में जहां यह हो रहा हैं तथा विभिन्न उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर सरकार छापती है; जहां एक पोस्टकार्ड लिखना भ्रष्ट तरीका है परन्तु टेलीफोन करना भ्रष्ट नहीं है, काला धन वहां पर भी इस्तेमाल होता है।

[प्रो० नारायण चन्द पाराशर]

7·00 म० प०

यह कौन कहेगा ? क्या चुनावों में इन चलाकी वाले तरीकों पर धन व्यय करने से काला धन समाप्त हो जायेगा ? यह नहीं होगा। वास्तव में 35,000 रुपये अथवा एक लाख के खर्च की सीमा से काम नहीं चलेगा । अतः मेरा सुझाव है कि कोई व्यय कर होना चाहिये ताकि जो भी आय होती है उसको वह कैसे खर्च करता है पता चल सके । अगर हम सारे खर्च पर निगाह रखें तो बहुत सी कमियों को दूर किया जा सकता है । वास्तव में इस पर आपत्तियां हैं । बहुत से लोग कहते हैं कि यह व्यावहारिक नहीं है । परन्तु इसकी परख करने में क्या हानि है ? हमने इतने सारे उपाय किये हैं इसलिए यह उपाय भी किया जा सकता है । जब कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में नौकरी पाता है तो उसे एक शपथ-पत्र अथवा एक ब्यौरा देना चाहिए । सी० आई० एन० (नागरिक पहचान संख्या) के नाम से जानी जाने वाली एक योजना का सुझाव दिया गया है । इसमें एक प्रकार की कोड संख्या, जन्म वर्ष इत्यादि होता है । अत: प्रत्येक व्यक्ति को सी० आई० एन० संख्या इत्यादि के साथ एक पहचान-पत्र जारी किया जा सकता है । परन्तु ऐसा जब कभी कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पाता है तो किया जा सकता है । जब वह गोपनीयता की शपथ लेता है तब उसे अपनी आय भी बतानी चाहिये. और जब वह सेवा-निवृत्त होता है तो हमें देखना चाहिये, जिस किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कि क्या उसने जो धन कमाया है वह उसके अनुरूप है जो एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में वह इस सेवा काल में कमा सकता है । ऐसी ही बात राजनीतिज्ञों पर भी लागू होनी चाहिए । यह उन सब पर लागू होना चाहिए जो कोई भी सार्वजनिक सेवा करता है, चाहे वह विधायक हो या अधिकारी या जिस किसी को भी राज्य से लाभ मिलता है, एक व्यापारी या उद्योगपति को भी राष्ट्र के प्रति जवाबदेह होना चाहिए कि उसने यह धन कहां से एकत्रित किया है । मैं आदम स्मिथ को उद्धृत करके अपना भाषण समाप्त करूंगा । काले धन का अन्ततः क्या प्रभाव पड़ता है ? इसका अन्तिम प्रभाव शोषण करना है । इसका परिणाम अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण करना है । अत: आदम स्मिथ ने कुछ समय पहले कहा था, "एक भू-स्वामी, एक किसान, एक निपुण निर्माता या व्यापारी, यद्यपि वे एक ही कामगार को रोजगार नहीं देते हैं फिर भी सामान्य तौर पर एक या दो वर्ष उस भंडार पर जीवन-यापन कर सकते हैं जो उन्होंने पहले ही से जमा किया हुआ है । बिना रोजगार के; बहुत से कामगार एक सप्ताह भी गुजारा नहीं कर सकते, बहुत कम एक माह तक निर्वाह कर सकते हैं तथा बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो नौकरी के बगैर एक वर्ष तक गुजारा कर सकते हैं ।" अत: यह श्रमिक वर्ग है, ये मजदूर हैं, ये भूमिहीन लोग हैं, ये बेरोजगार लोग हैं, जो काले धन के शिकार हैं । हमें हमेशा के लिए इस बुराई को समाप्त कर देना चाहिये तथा इस धन को देश की प्रगति के कामों में लगाना चाहिये ।

7.02 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : सभापति महोदय, इस देश के लोगों का विश्वास बहुत दृढ़ हो गया है कि श्री राजीव गांधी की सरकार ने अपने शासन काल में जहां देश की जनता को एक साफ-सुथरी शासन व्यवस्था देने का प्रयास किया है, वहीं वे इस कार्य में भी जरूर कामयाब होंगे। यह लोगों का पक्का विश्वास है । इस कामयाबी को वित्त मंत्री महोदय पूरा कर सकते हैं ।

अगर किसी एक दरख्त की शाखाएं और पत्तियां छांटने से नीचे की धरती मजबूत हो सकती है तो उसके लिए उपाय किये जा सकते हैं । लेकिन कई दरख्त ऐसे होते हैं कि उनकी पत्तियां और शाखाओं को छांटने के बाद वर्षा पड़ने पर वे और ज्यादा तेजी से फूटते हैं । जो रिपोर्ट नेशनल इंस्टीच्यूट फार पब्लिक फाइनेंस एण्ड पोलिसी की आई है वह इसी व्यवस्था के अन्दर सुधार लाने पर जोर देती है ।

वित्त मंत्री महोदय, कोई भी कानून हो, चाहे वह इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे वह सैल्स टैक्स हो, चाहे सेन्ट्रल एक्साइज एक्ट हो । उसको अगर आप उठाकर देखें तो उनके अन्दर आपको बेसिक और बुनियादी कमियां मिलेंगी । अगर आप उनको दूर नहीं करेंगे तो ब्लैक मनी पर काबू पाना संभव नहीं होगा ।

एक तरफ जो असेसी होता है उसको अपनी असेसमेंट के बारे में हक है कि वह नेक्स्ट डोर में अपील कर सकता है, या ट्रिब्यूनल में जा सकता है । लेकिन अगर सरकार का कोई बड़ा अधिकारी किसी छोटे अधिकारी के किसी फैसले को ठीक नहीं समझता है, या उस फैसले को सरकार के इन्ट्रेस्ट में नहीं समझता है तो उसको अपील करने की कोई व्यवस्था नहीं है । एक प्रथा बनी हुई है कि एक हजार में से सुओमोटो 10 केस का निरीक्षण करेंगे ऊपर के अधिकारी और उनमें कोई खामी होगी तो एक-दो केसेस पर आगे कार्यवाही की जाएगी ।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कैसे ब्लैक मनी जेनरेट होती है । आपके सेंट्रल एक्साइज एक्ट के शेड्यूल में एक से अड़सठ आर्टिकल्स हैं जिन पर सेंट्रल एक्साइज लगता है और आर्टिकल 68 में अगर अधिकारी यह समझे कि यह रा-मेटीरियल के काम में आ सकता है तो उसको भी टैक्सेबल बना सकता है । आपने जो फिगर्स सप्लाई किए हैं उनमें एक साल में 12 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा करना है और तीन महीने में 3 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुके हैं, 25 प्रतिशत इकट्ठा किया जा चुका है जो कि सेटिसफैक्ट्री है, लेकिन इन तीन हजार करोड़ रुपये में आर्टिकल 68 के बारे में क्या स्थिति है ? मान लीजिए एक फैक्ट्री में कोयला लगता है इंधन के रूप में और उसकी जो राख है वह किसी दूसरी फैक्ट्री में रा-मेटीरियल के रूप में इस्तेमाल होती है । जब उस फैक्ट्री ने राख उठाई तो उस रा-मेटीरियल पर अधिकारी चाहे तो एक्साइज लगा सकता है और चाहे तो माफ कर सकता है । ऐसा कितने करोड़ रुपया होगा जो तीन हजार करोड़ रुपये के अन्दर आता है, लेकिन उसकी फिगर आप तक नहीं पहुंची । तो यह जो बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में कानून में संशोधन लाने पर विचार करना पड़ेगा ।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

माननीय सभापति महोदय, बहुत से मोनापली हाउसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट ने यह धंधा बनाया हुआ है डायवर्शन करने का, पल्प हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से 300 रुपया टन के हिसाब से दिखाया जाता है और 500 रुपया। डिफरेंस 200 रुपया स्विटजरलैंड और अमरीका के बैंको में जमा होता है और फिर वही पैसा यहां लाकर काले धन के रूप में इस्तेमाल होता है। इंडोनेशिया में 6-7 फैक्ट्रीज यहां के लोगों की प्राइवेट सेक्टर मे हैं और एक-एक फैक्ट्री पर 50-50 करोड़ रुपया दिखाया गया है कि 50 करोड़ रुपए का सामान, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी यहां से लेकर गए जो कि 5 करोड़ की भी नहीं थी और 45 करोड़ रुपया उस उद्योगपति का जमा हैं। यह तरीका अख्तियार किया हुआ है उन लोगों ने।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपको 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपयों में से 30 हजार करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर से मिले तो आपको जो भ्रांति उद्योगपतियों ने पैदा की है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कंपीटीशन होना चाहिए, यह दूर हो सकती है। यह गलत धारणा है। जैसे 6 सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं और अगर आप चाहते हैं कि सीमेंट की फैक्ट्री पब्लिक सेक्टर में हो तो कोई दूसरी सीमेंट फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इस बात का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। जितनी भी सुगर कोआपरेटिव मिल्स हैं या प्राइवेट सेक्टर में मिलें हैं, उनमें रिकवरी का जो रेट है वह पिछले दस साल का आप सारे देश में चैक करा लीजिए। अगर 10.5 रेट कोआपरेटिव सेक्टर का रिकवरी का है तो उद्योगपति का 9.5 मिलेगा। अगर 10 लाख बोरी वह पैदा करता है तो 10 हजार बोरी एक्साइज का हड़प कर ब्लैक मार्केट में बेचता है। यह तरीका अख्तियार किया हुआ है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है।

यह जो रिपोर्ट है, इसमें बांड्स की बात कही गई है, स्लम क्लीयरेंस की बात कही गई, क्या गरीबों को खैरात देना चाहते हैं ये उद्योगपति ? क्या उनके पैसे से स्लम क्लीयरेंस होंगे ? मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं कि फारेन ट्रेड में भी आप ध्यान दीजिए कि अगर रूस को कोई बात करनी है तो वह हमसे सीधे बात करे, कुछ चीजें खरीदनी है तो सीधे सरकार से बात करनी चाहिए, वह अपने एजेंट क्यों रखे ? फ़ारेन ट्रेड को नेशनलाइज करेना पड़ेगा। जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें है यानी इण्डस्ट्रीज को आपको एक सेक्टर मे रखना पड़ेगा बेशक प्राईवेट सैक्टर में रखें। कंपीटीशिन की बात करके वे लोग सरकार से ठगी करते हैं, उसको आपको बंद करना होगा। मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर गौर करते हुए आप विचार करेंगे कि क्या बेसिक चेंजेस हम अपनी इन पालिसीज में ला सकते हैं।

[अनुवाद]

*श्री आर० अन्नानम्बी (पोल्लाची) : सभापति महोदय, मैं अपने दल, अखिल भारतीय

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तार।

अन्ना द्रमुक की ओर से भारत में काले धन की अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं ,पर राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान के प्रतिवेदन पर चल रही चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। मुझे देश में काले धन की समस्या पर अपने विचार तथा सुझाव रखने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

आरम्भ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि कालाबाजारी देश के व्यापार की गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। जब तक हम काला-बाजारी को समाप्त नही करेंगे हम कभी भी देश में काले धन की बढ़ोतरी को नहीं रोक सकेंगे। कई वर्ष पहले सन्तानम समिति ने अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। उसके बाद वांचू समिति ने भी काले धन के संकट को समाप्त करने के लिए बहुत से मार्गोपायों की सिफारिश की थी। परन्तु यह तथ्य कि काला धन देश में जंगल की आग की भांति फैल रहा है, सिद्ध करता है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इन सिफारिशों की तरफ ध्यान नहीं दिया है।

चर्चाधीन प्रतिवेदन में, उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से वर्ष प्रति वर्ष कई हजार करोड़ रुपये का काला धन उत्पन्न रहा है। 1983-84 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 21 प्रतिशत काले धन में परिवर्तित हो गया। इसकी धनराशि 36,786 करोड़ रुपये है। हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री साठे ने हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक में इस पहलू का उल्लेख किया है। देश में व्यापक रूप से प्रचलित समानान्तर काले धन की अर्थ-व्यवस्था के कारण सरकार की आर्थिक नीतियों को सफलता नहीं मिल रही है। अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि के लिए काला धन जिम्मेदार है। रुपए के वास्तविक मूल्य को 16 पैसे तक अवमूल्यन होने का मुख्य कारण भी काला धन है। 1980-81 में 77% आय कर के घेरे में नहीं आ पायी। 1950-51 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 9% सरकारी खर्चा हुआ। 1982-83 में यह जी०एन०पी० के 27% तक बढ़ गया था। संतानम समिति और वांचू समिति ने सरकारी खर्चे में भारी वृद्धि द्वारा पैदा हुए अवसरों का उल्लेख किया है। महालेखापरीक्षक द्वारा अचानक नमूने के रूप में सरकारी खर्चे की जांच से पता चलता है कि काले धन की बहुत-सी त्रुटियां हैं जिसके कारण काला धन पैदा होता है शहरों में भू-संपत्ति का लेन-देन भी काले धन को जन्म देता है यह तो सभी जगह आम बात बन गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा आयातित माल से भी काले धन के पैदा होने में मदद मिलती है। लाइसेंसों के नवीकरण के अन्तर्गत 2000 करोड़ रुपए के सामान का आयात किया जाता है जिसकी ऊंचे दामों पर बिक्री तथा पुन: बिक्री की जाती है। जब तक आप लाइसेंसों के पुन: नवीकरण की पद्धति को दूर नहीं करोगे तब तक हम काले धन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। सरकारी लेखे वैज्ञानिक तरीकों से तैयार किये जाने चाहिएं।

यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम चुनावों में काला धन बड़ी भूमिका अदा करता है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने सार्वजनिक वक्तव्य में इसका उल्लेख किया है। सरकार को चुनाव खर्चा स्वयं वहन करना चाहिए तभी काले धन की उत्पत्ति में उल्लेखनीय कमी की जा सकती है।

[श्री आर० अण्णानम्बी]

इसी प्रकार, महानगरों में सम्पत्ति की बिक्री तथा पुनः बिक्री को रोकने के लिए कोई उपाय किया जाना चाहिए जो काले धन के स्रोत को खतम करेगा।

भारत सरकार ने बिना किसी ठोस परिणाम के 1946 में और 1978 में बड़े नोटों के विमुद्रीकरण की योजना लागू की थी। 1951, 1965 और 1975 में भी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना को लागू किया गया था जिसके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। 1981 में विशेष धारक बांड (बीयरर बांड) की योजना को लागू किया गया था और इसके भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे सभी योजनाएं काले धन में लगे हुए लोगों के लिए प्रोत्साहन साबित हुईं।

मैं राष्ट्रीय गंदी बस्ती सफाई कोष, राष्ट्रीय सूखा राहत कोष, राष्ट्रीय बाढ़ नियत्रंण कोष तथा ऐसे अन्य कोषों की स्थापना करने के लिए सुझात्र देता हूं जिसमें इन लोगों को पैसा लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस राशि पर आयकर से छूट होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री डा० एम०जी०आर० के गतिशील नेतृत्व के अन्तर्गत बस्ती सफाई कार्य में बहुत प्रगति की है। तमिलनाडू गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड ने विश्व बैंक विशेषज्ञों से प्रगति प्राप्त की है यदि उन्हें गन्दी बस्ती सफाई कोष के रूप में और अधिक धन दिया जाता तो वह तमिलनाडु से गरीबी को हटा देते राज्य सरकारों को कल्याणकारी कार्यों के लिए ऐसे राष्ट्रीय कोष स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अब केन्द्रीय सरकार गंगा नदी की सफाई पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने जा रही है। यदि अन्य राष्ट्रीय नदियों की सफाई का काम हाथ में लिया जाए तो इसके लिए सरकार को कई हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए हाल ही में यह पाया गया है कि कावेरी का प्रदूषित पानी पीने के कारण तमिलनाडू में कई लाख लोगों को गंभीर बीमारियां हो गई हैं, कावेरी पानी को साफ करने का काम भी लिया जाना चाहिए। मैं नदी जल सफाई कोष को स्थापित करने का सुझाव देता हूं जिसमें इन लोगों को धन लगाने की अनुमति देनी चाहिए। ताकि कम से कम तब विकासात्मक तथा कल्याणकारी कार्यों के लिए काले धन का उपयोग किया जा सकेगा।

अन्त में मैं करअपवंचकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव देता हूं। जब तक आप करअपवंचको को निवारक सजा नहीं देंगें; केवल साधरण दण्ड ही नहीं तब तक आप काले धन की उत्पति को रोक नहीं सकते। कर चोरी करने वालों को दण्ड देना चाहिए। केवल तभी अन्य लोग करों की चोरी करने को लालायित नहीं होंगे। इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। उसके बाद मैं वित्त मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने देश से काले धन की बुराई को खत्म करने की दिशा में कई कड़े कदम उठाये। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को लालकिले से भाषण करते हुए कहा था कि हम दो प्रमुख बातें अब तक कर चुके हैं और तीसरी प्रमुख बात—काले धन को देश से नष्ट करने या एकदम कम करने के लिए हम शीघ्र कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे देश में जो लोग काले धन के व्यापार में लगे हैं, हमें उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी है।

यह ठीक है कि हमारे देश में काला धन बढ़ता ही जा रहा है उसके साथ-साथ समाज में यह प्रवृति भी बढ़ती जा रही है कि जहां पहले हम लोग काले धन को इकट्ठा करने वाले को पापी समझते थे; उसके स्थान पर आज हम काला धन इकट्ठा न करने वाले को पापी समझते हैं।

काला धन इकट्ठा करने वाला व्यक्ति पुण्यपति कहलाता है और वह उद्योगपति भी बन जाता है। इसके संबंध में मैंने एक जगह ठीक पढ़ा है कि :

[अनुवाद]

काले धन का लाभ यह है कि धन होने के कारण वह सुन्दर लगता है।

[हिन्दी]

हमारे भारतवर्ष में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति बनती जा रही है··· (व्यवधान) बट व्हैन इट इज ए मनी···क्योंकि हम लोग मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार करके काम कर रहे हैं, उसका यह परिणाम हो रहा है कि हमारे देश में करप्शन बढ़ता जाता है। जैसे एक बार हमने यहां लैंड सीलिंग का कानून बनाया, उसके बाद अर्बन सीलिंग का कानून बनाया, लेकिन कुछ राज्यों में क्या हुआ कि जैसे ही लोगों को इसका पता चला उन्होंने उससे पहले ही लैण्ड का बंटवारा कर लिया। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि किसी भी पौलिसी को एनाउन्स करने से पहले उसके होने वाले के परिणाम के बारे में विचार कर लिया जाए और सोच-समझ कर ही नई पौलिसी का एनाउन्समैंट किया जाए, यदि कहीं रेड डालनी हो तो उसको भली-भांति विचार करके डाली जाए क्योंकि उन लोगों को पता लगने पर वे जो कुछ छिपा सकते हैं, उसको छिपा देते हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं होता है।

दूसरी बात यह सही है कि जो नॉन-रेजीडेंट इंडियन्स हैं, उनका जो काला धन है, वह भी उसको हिन्दुस्तान में लाना चाहते हैं। यह बात ठीक है, लेकिन हमें उसमें यह सावधानी बरतनी पड़ेगी कि पैरेलल इकनौमी कहीं उनके हाथ में न चली जाए। क्योंकि नॉन-रेजिडेंट इण्डियन्स जितना हमारा जी०एन०पी० है उसको देखते हुए कम-से-कम कितनी गुना इन्वेस्टमेंट करेंगे, यह देखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्मेंट करने से भी काम ज्यादा खतरनाक हो जाता है।

[श्री बाला साहिब विखे पाटिल]

तीसरी बात यह है कि टेक्सेस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। डायरेक्ट और इंडायरेक्ट टेक्सेस को हम जब देखते है और आप की जो इंडायरेक्ट टैक्स की प्रपोजल है उसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पहले से ये सब टैक्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब यह काम बहुत मुश्किल लगता है। जब हम डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि 1950-51 में डायरेक्ट और इंडायरेक्ट टैक्स 231 और सब मिलाकर 396 थे लेकिन अब देखते हैं तो पाते हैं कि डायरेक्ट टैक्स 5 हजार और इंडायरेक्ट टैक्सेस 30 हजार, कुल मिलाकर 35 हजार टैक्सेस हो गए। लेकिन जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तब आजादी के समय डायरेक्ट टक्स 33 परसेंट था और अब 38 साल की आजादी के बाद डायरेक्ट टैक्स घटाकर 14.3 परसेंट कर दिया गया है, लेकिन इंडायरेक्ट टैक्स जो पहले 33 था अब वह बढ़ाकर 85 परसेंट हो गया है। इससे काले धन को बढ़ावा मिला है।

अब मैं सेल्स-टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। यह जो सेल्स-टैक्स है, यह भी कालेधन का अड्डा बना हुआ है, मालूम नहीं कि एक्साइज ड्यूटी वगैरह अब क्या और लगा दी है। हमने सेल्स-टैक्स हटाने के लिए कई वायदे किए, लेकिन अभी तक हम उसे हटा नही पाए हैं। जब तक हम इंडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाते जाएंगे तब तक काले धन को बनाने का दरवाजा खुला रहेगा क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस और इंडायरेक्ट टैक्सेस में अभी काफी फर्क है। सेल्स टैक्स को आप देखिए, किसी भी दुकान में आप चले जाइए कोई भी सामान खरीदिए वह कोई नाम नहीं लिखेगा। माननीय वित्त मंत्री जी चले जाइए, आप अपना नाम मत बताइए वह आपको वैसे ही रसीद काटकर दे देगा, उससे कुछ भी पता नहीं चलता है कि कौन आदमी है और क्या सामान खरीद रहा है। इस प्रकार से डुप्लीकेट खाते हैं। यदि माननीय वित्त मंत्री कहेंगे कि मैं वित्त मंत्री हूं, तब तो हो सकता है कि वह आपका नाम लिख दे, नहीं तो कोई भी दुकानदार नहीं लिखता है। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस पर आप चलें और इंडायरेक्ट टैक्सेस को आप घटाएं। इससे क्या होगा कि प्राइस राइज भी कम होगी और ग्राहक को भी काफी राहत मिलेगी।

मैं तो इस बारे में काफी आंकड़े लेकर आया हूं, लेकिन चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा आंकड़े कोट नहीं करना चाहता हूं। 7336 करोड़ रुपया, यानी 59 परसेंट पूरे हिन्दुस्तान के धन का जिसनें लगभग 39 परसेंट सेल्स-टैक्स जो हिन्दुस्तान में सभी जगह काले धन के रूप में चल रहा है, लेकिन जब रेड्स होती हैं और जब हम लिस्ट्स देखते हैं, तो पाते हैं कि 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख रुपया ही कुल मिला है। जब करोड़ों रुपए का काला धन देश में फैला हुआ है, तो रेड करने पर केवल 10, 15 या 20 लाख रुपया ही मिलता है, तो इससे क्या काम चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो रेड डालने वाले है, वे भी उनसे मिले हुए हैं और उनको पहले ही पता चल जाता है कि उनके यहां रेड डालने वाले हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि इसमें आफिसर्स की ही गलती है, इसमें हम राजनीतिज्ञ भी इन्वाल्व हो जाते हैं। हम राजनीतिज्ञ लोगों की भी थोड़ी-सी कमी है।

अगली बात मैं चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि खाली आफिसर्स को डांटने से काम नहीं चलेगा। हमको भी अपने आप में थोड़ा-सा संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम ठीक न हों, तब तक काम नहीं चल सकता है। आफिसर को हमसे शिकायत रहेगी और हमें आफिसर से शिकायत रहेगी तो काम कैसे चलेगा, जब कि दोनों को साथ मिलकर काम करना है। हम दोनों का मारेल ऊंचा होना चाहिए। चाहे रूलर्स हैं स्टेट्स में चाहे राजनैतिक लोग हैं, उन सभी को यह सोचना चाहिए कि इस तरह से पक्षपात करने से काम चलने वाला नहीं है और न ही आफिसर में और राजनैतिक लोगों में मतभेद रहने से काले-धन को पकड़ने में सुविधा होगी, बल्कि इससे तो उनको लाभ ही पहुंचेगा। जब तक हमारे नीचे वाले अधिकारी ठीक काम नहीं करेंगे तब तक ठीक ढंग से काम नहीं चलेगा। सभी लोगों को ठीक ढंग से काम करना होगा तभी काम ठीक से चलेगा। चाहे मंत्री हों, चाहे कोई एम०पी० हो या एम०एल०ए० हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्त्ता हो, उन सभी को इस पर विचार करना जरूरी है। जब तक चुनाव का पूरा खर्चा हम सरकारी तिजोरी से नहीं देंगे तब तक यह काले धन का काम चलता ही रहेगा।

आज भी हम यह देखते हैं कि काले धन वाले को मंत्री लोग भी जल्दी मिल जाते हैं लेकिन जो सीधे-सादे एम०पी० हम जैसे होते हैं उनको दस-पन्द्रह दिन तक भी नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, उनकी हम चुनाव में कोई मदद नहीं कर सकते हैं। जो मदद करता है, उसके लिए मंत्री के भी दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। इसलिए मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाता हूं और इसके लिए गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।

पॉलिटिकल विल है, मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। लेकिन उस पर अमल कैसे होता है, यह भी हमको देखना है। उन पर अमल करने से ही तो काम चलेगा। हमारे प्रधान मंत्री जी चाहे जितनी भी घोषणाएं करते रहें जब तक उन पर अमल नहीं होगा तब तक उन घोषणाओं का कोई फायदा नहीं होगा। अमल तो हम सब लोगों को ही करना है। इसलिए कानून में सुधार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी स्पीच खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, ऐसा पता चलता है कि हम वास्तव में "कलियुग" के दौर से गुजर रहे हैं। महोदय हम एक पीढ़ी के अन्तराल में ईमानदार, समाज के स्थान पर बेईमान समाज बन गए हैं। काला धन हमारे समाज का एक अंग बन चुका है। अधिकांश लोग जाने-अनजाने ऐसे सौदे करते हैं जिनसे करों की चोरी होती है। किसी-न-किसी समय वे कर की चोरी के लिए छोटी रकम देते हैं। समय बचाने तथा सुविधा के लिए हम सिनेमा टिकटों और रेल टिकटों को काले बाजार में खरीदते हैं।

[श्री विजय एन० पाटिल]

एक नोट दिन में किसी समय काले बाजार से सफेद धन में आता है और रात में यह चोरी-छिपे काला धन या सफेद धन बन सकता है। यदि हम एक व्यक्ति का उदाहरण लें जो एक पांच तारा होटल में अपना सुबह का नाश्ता करता है तो वह बैरे को 10 रुपए बखशीश देता है। वह काला धन बन जाता है। बैरा सब्जी वाले के पास जाता है और अपने उपयोग के लिए कुछ सब्जी खरीदता है। वहां वह पैसा सफेद धन के रूप में बदल जाता है। वह सब्जी वाला एक सिनेमा हाल में जाता है और काले बाजार में अपने परिवार के लिए दो रुपए अधिक देने पर पांच टिकटें ले लेता है। वह नोट फिर से काला धन हो जाता है। वह व्यक्ति जिसने इन टिकटों को काले बाजार में बेचा है, यदि होटल में जाता है और तंदूरी मुर्गी खरीदता है तो वह नोट सफेद धन बन जाता है। लेकिन यदि वह एक कैबरे डांसर को बखशीश देता है तो यह फिर से काला धन बन जाता है।

अत: हमारे समाज में काला धन और सफेद धन दोनों चल रहे हैं। काले धन की विद्यमानता के बारे में वांचू समिति और अन्य समितियों की प्रतिवेदनों में तुलनात्मक दृष्टि से स्थिति की वास्तविक तस्वीर नहीं है। हालांकि जहां तक हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का संबंध है, जहां तक शोषण, मुद्रास्फीति और इन सभी पहलुओं का संबंध हैं इनका चित्रण तो है।

इस काले धन की उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं ? इस औद्योगिकीकृत समाज में, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में काले धन का मुख्य कारण पूंजीवाद के प्रति आकर्षण और विलासितापूर्ण जीवन के लिए प्रबल आकांक्षा है।

सोने की तस्करी क्यों बढ़ रही है ? मैं देखता हूं कि सभी भारतीय नारियों के पास सोने के आभूषण हैं। वे किसी भी कीमत पर सोना खरीदेंगी।

महोदय, शराब की भी कमजोरी है। एक क्लर्क पैसे के रूप में रिश्वत नहीं ले सकता लेकिन परमिट जारी करने के लिए वह जॉनी वॉकर को स्वीकार कर सकता है।

(व्यवधान)

5-सतारा संस्कृति की पसंद भी इसके लिए जिम्मेदार है।

आप सभी उन प्रमुख क्षेत्रों को जानते हैं, जहां काला धन पैदा होता है। यदि हम तस्करी पर विचार करें तो हम देखते हैं कि 1969, 70, 71 में हमने निर्बाध खरीद को खत्म किया। वह अब नहीं है। परन्तु तस्कर अपराध जगत के राजा बन गए हैं और उनके पास अपना क्षेत्र है, तस्करी के लिए उनका अपना सीमांकन क्षेत्र है परन्तु अभी तक हम उन्हें रोक नहीं पाए हैं। विदेशों में नौकरी के अवसर भी काले धन को उत्पन्न करते हैं। तीन-चार वर्ष पहले मैं इटली में था जहां सरकार एक बिल के कारण संकट में थी उस विधेयक में होटल के मालिकों द्वारा हिसाब-किताब रखे जाने की व्यवस्था की गई थी। इस होटल के काम में भी बहुत मात्रा में काला धन पैदा किया जाता है क्योंकि लेखे उचित ढंग से नहीं रखे जाते हैं इसके बाद जमीन-जायदाद का

हस्तान्तरण, सरकारी गतिविधियों का विस्तार आदि भी काले धन के लिए जिम्मेवार हैं। क्योंकि सरकारी विभागों में गतिविधियों का विस्तार होने से अधिकारियों को रिश्वत और कमीशन आदि मिलता है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री विजय एन० पाटिल : अपराधियों के मामले में जिस प्रकार अपराधियों की सुरक्षा वकील करते हैं ठीक इसी प्रकार हम पाते हैं कि यहां भी चार्टर्ड एकाउंटेन्ट बड़े व्यापारियों के बेहिसाब धन को बचाने के कई रास्ते बताते हैं। बहुत-सी कम्पनियों में कई चार्टर्ड एकाउंटेन्ट साझेदारी में भी होते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कम्पनियों में चार्टर्ड एकाउंटेन्ट की साझेदारी करने पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि करों से बचने के लिए वे अवैध उपाय न सुझा सकें।

अब, मैं काले धन को रोकने के लिए तथा करों की अधिक राशि को इकट्ठा करने के लिए कुछ सुझाव देता हूं। आपने घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया है हमें पता चला है कि दिल्ली में बहुत से घरों में 7 या 8 कारें हैं जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हैं लेकिन मकान मालिक के नाम पर एक भी कार नहीं है वे ड्राइवरों के नाम पर हैं। अत: आप इसको कैसे देखोगे ? दिल्ली में एक बंगला है जिसकी लागत 50 लाख रुपये है लेकिन यह कम्पनी के एक मैनेजर को 600/- रुपए प्रति महीने किराए पर दिया हुआ है और सभी कर उसके अनुसार दिए जाते हैं। नीलामी पर हम देखते हैं कि लोग मकान के एक प्लाट के लिए 3 करोड़ रुपए तक की बोली देते हैं। वह व्यक्ति किस प्रकार इतनी बडी रकम के लिए बोली दे सकता है जब तक उसने अपनी आय को 20 करोड़ रुपए तक न बताया हो तब तक मैं नहीं समझता कि दिल्ली में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपनी आय इतनी बताई है। अत: मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें सभी बड़े सौदों पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा किए गए उपायों की मैं सराहना करता हूं परन्तु उसी समय मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रारंभिक सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा संबंधी कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। लोगों को कर सम्बन्धी योजना में शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि हम न्यायपालिका के लिए अच्छे परिलब्धियों के लिए समर्थन कर रहे हैं उसी प्रकार मैं आयकर अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करने का सुझाव देता हूं। अन्त में, महोदय, हम ऐसे दो मामलों पर आते हैं जिनमें आय कर अधिकारियों पर उस समय प्रहार किया गया था जबकि उन्होंने श्रीनगर तथा सूरत में छापे मारे थे। अत: यहां भी कुछ संशोधन होना चाहिए या कानून इस प्रकार का होना चाहिए कि आय कर अधिकारियों या कर इकट्ठा करने वाले प्राधिकारियों पर हमला करने के कार्य को अपराध माना जाना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई में लगे हुए लोगों को निवारक दण्ड देना चाहिए। इस सदन के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करनें के लिए आपने जो मुझे यह अवसर दिया है उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : सभापति महोदय, भारत में काला धन सर्वत्र विद्यमान है। यह सर्वशक्तिमान् है। यह हमारे समाज में सब जगह दिखाई दे रहा है यह वट-वृक्ष का रूप ले चुका है। अब मैं विस्तार में जाऊंगा कि हमारे देश में काले धन ने किस प्रकार से विशाल रूप धारण कर लिया है। जब मैं कहता हूं कि यह सर्वशक्तिमान् है, यह ताकतवर है तो मेरा अर्थ यह है कि यदि वे राजनैतिज्ञों को खरीद सकते हैं तो वे सरकार बना सकते हैं। अत: यह सर्वशक्तिमान् है और हर जगह सर्वत्र विद्यमान है। हाल के सर्वेक्षण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा बताया गया है। वे कहते हैं कि देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 60 प्रतिशत काला धन है। लेकिन यह प्रतिवेदन बताता है कि जी०एन०पी० का लगभग 30 प्रतिशत काला धन है। यह स्थिति है और हम सब को पता है कि काले धन की समस्या कितनी गम्भीर है। इसके लिए क्या किया जा सकता है ? सरकार द्वारा इस पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए, गए हैं। करों में छूट, रियायत-कर पर छूट आदि से आशा की जाती थी कि काले धन को बाहर निकाला जा सकेगा। मैं समझता हूं कि यह गलत धारणा है। जब तक अर्थ-व्यवस्था की सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक काला धन बाहर नहीं आएगा। करों में रियायतें तथा अन्य उपायों से कोई लाभ होने वाला नहीं है और इसके विपरीत काला धन और बढ़ जाएगा। विभिन्न जांच समितियों तथा समितियों को नियुक्त करके पहले ही काले धन के मूल कारणों का पता लगा लिया गया है। काले धन की कुल मात्रा का पता चल चुका है। वर्तमान सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस बीमारी का वह इलाज करें। मैं नहीं जानता कि क्या वित्तमंत्री जी इसका इलाज करेंगे। मैं महसूस करता हूं कि रियायतें देकर उत्पादन पर छूट, कर में छूट और निर्यातकों के मामले में व्यापार में हस्तक्षेप न करने का सिद्धान्त आदि कई अन्य प्रोत्साहन देना समस्या के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाना है।

महोदय, काले धन का पता पहले ही लगाया जा चुका है। मैंने हाल ही में समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि कई भारतीयों के स्विटज़रलैण्ड में बैंक खाते हैं। फ्रान्स और अमरीका दोनों देशों की सरकारें जेनेवा और स्विटज़रलैण्ड स्थित बैंकों के पास गईं और अपने देश के नागरिकों द्वारा उन बैंकों में किए गए निवेश का ब्यौरा प्राप्त करने में सफल हुईं। अब क्या हमारी सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि कितने भारतीयों के स्विस बैंकों में खाते हैं ? यदि यह सूचना प्राप्त की जाती है तो कुछ हद तक काले धन के स्रोत का पता लगाया जा सकता है। प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजनीतिज्ञ चुनाव मशीनरी के माध्यम से भूमिका अदा करते हैं और प्रतिवेदन में आगे यह भी कहा गया है कि नौकरशाह और सत्तासीन लोग दोनों सांठ-गांठ करते हैं और ठेके विदेशों में देकर काला धन पैदा करते हैं। मैं इस प्रतिवेदन पर स्पष्ट चर्चा कर रहा हूं। यदि सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण प्रत्येक काम का ठेका विदेशों में देने का है तो इससे काला धन पैदा होगा और सरकार की इस वर्तमान नीति के कारण ही अमरीकी और जापानी कम्पनियां अहस्तक्षेप के नाम पर हमारे देश में प्रौद्योगिकी लेकर आ रही हैं। आप उन्हें ठेके देते हैं। उन्होंने देश के उद्योग को नष्ट कर दिया है। हम बोईंग से लेकर विभिन्न प्रकार की मशीनरी आदि तक खरीद रहे हैं। आप इन वस्तुओं की सप्लाई हेतु सभी देशों और विदेशी एजेन्टों के पास जाते हैं।

मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इस प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि ऐसे विदेशी ठेकों से काला धन पैदा होता है। क्या यह सरकार यह कहने को तैयार है कि हम इस नीति को खत्म कर रहे हैं, हम देश के उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे और हम विदेशी धन के आगमन पर रोक लगाएंगे।" इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि राजनीतिज्ञ और नौकरशाह विदेशों में ठेके देते हैं और काला धन पैदा करते हैं। जो इस देश में आता है और तबाही मचाता है। आप इसे कैसे रोकने जा रहे हैं ? आप जब अनावश्यक रियायतें देंगे तो ऐसी बातें होंगी।

मैं विदेश गया था और मैंने देखा है कि आर्थिक अपराधों के लिए अत्यन्त कड़े उपाय किए गए हैं। सम्भवत: हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हम इस प्रकार के अपराधों के मामले में लापरवाही बरतते हैं और लाभ उठाने देते हैं। हम कहते हैं कि यदि वे इतनी राशि जमा कराएंगे तो हम एक सीमा विशेष तक रियायत देंगे। इसके विपरीत ऐसे देश भी हैं जहां आर्थिक अपराधियों को कानून के अन्तर्गत अधिकतम सजा दी जाती है। वे कभी यह नहीं कहते कि यदि आप स्वेच्छा से प्रकट करेंगे तो वे इस लूट को आधा-आधा बांट लेंगे। अत: जब तक हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करते, हम समस्या हल नहीं कर सकते।

काले धन की समस्या को हल करने के लिए मेरे पास ठोस सुझाव हैं। हम जानते हैं कि इस समय काला और सफेद धन 50-50 के अनुपात में है। क्या सरकार इतना साहस करेगी और कहेगी कि जब तक लोग अपने धन का हिसाब नहीं दे देते तो एक तारीख विशेष तक, 100 रुपये के नोट का चलन बन्द कर देगी और उसके स्थान पर 100 रुपये का दूसरा नोट जारी करेगी ? आप सुविधा हेतु इस काम का विकेन्द्रीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र या ऐसा ही कोई क्षेत्र इस काम के लिए केन्द्र बना दीजिए। उन्हें आकर मुद्रा का विनिमय करने दीजिए। आप देखेंगे कि काला धन तत्काल प्रकाश में आ जाएगा और राष्ट्रीय धन का अंग बन जाएगा। क्या सरकार यह कहने को तैयार है कि वह इस मुद्रा का चलन बन्द करने जा रही है और उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने जा रही है ?

मैंने देखा है कि चीन में दोहरी मुद्रा प्रणाली है। वहां जाने वाले हम विदेशियों को भिन्न मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि मैं वहां जाऊं तो मुझे दूसरी मुद्रा का प्रयोग करना पड़ेगा और स्थानीय लोग दूसरी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। उस समाज में काले धन को रोकने हेतु दोनों मुद्राओं के मिल जाने से रोकने का उपाय है। क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है ? इसका उद्देश्य काले धन को रोकना है।

जैसा कि मैंने कहा है कि यदि आप कहते हैं कि यदि पैसे का एक तारीख विशेष तक हिसाब नहीं मिलता है, तो आप मुद्रा का चलन बन्द कर दीजिए। सारा काला धन प्रकाश में आ जाएगा।

[श्री थम्पन थामस]

एक बात और भी है। इस विधेयक में कहा गया है कि अधिकांश पूंजी सोने और भूमि, आदि में लगाई गई है। इस कारण कठिनाई हो रही है और देश के विकास में बाधक बनी हुई है। इनमें से कुछ लोगों ने पैसा भूमि खरीदने में लगाया है और भूमि आखिर हमारे देश में ही तो है। यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। परन्तु उस सोने का क्या कीजिएगा जिससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ? आपको चाहिए कि आप उनसे इस पैसे को उत्पादक कार्यों हेतु जमा या निवेश करने का आग्रह करें। क्या सरकार उन्हें कोई प्रोत्साहन देने को तैयार है ?

यह सब क्यों होता है? इसका कारण यह है कि लोग सोचते हैं कि उनके बच्चों की सुरक्षा नहीं है। उनका विचार है कि अगर वे पैसा कमाकर अपने बच्चों के लिए नहीं जोड़ते तो उनके बच्चों के लिए सुरक्षा नहीं है। वास्तव में यदि सरकार आगे आकर व्यक्ति और उसके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है और कोई ऐसी प्रणाली है जिसके अन्तर्गत उसके और उसके बच्चों के लिए तथा उसके परिवार के लिए सुरक्षा है तो इतना अधिक पैसा जमा करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। जब तक हम नागरिकों के दिलों में यह भावना पैदा नहीं करते तब तक यह बुराई समाप्त नहीं हो सकती।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : काला धन, इस समय निस्सन्देह संपूर्ण राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है। परन्तु जहां तक इस सभा और राज्य सभा का संबंध है, हमने काले धन के कारणों, काले धन के दुष्कृत्यों और काले धन के अवशेषों के बारे में, जो संभवतः संपूर्ण समाज में फैल गए हैं, कई बार चिन्ता प्रकट की है और उन पर चर्चा की है। सरकार के अत्यन्त जटिल प्रक्रिया वाले कानूनों की दोषपूर्ण व्याख्या के कारण सफेद धन के काले धन में परिवर्तित होने के कई मामले हैं। मैं इस पहलू को लेना चाहता हूं।

जहां तक काले धन का संबंध है मुझसे अधिक विद्वान और माननीय सदस्यों ने इसके अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दुष्परिणामों की विस्तार से चर्चा की है। उन्हें दोहरा कर आपको उबाने की बजाए मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि आधे मन से बनाई गई अथवा गलत नीतियों, अत्यन्त जटिल कानूनों तथा भरे जाने वाले अत्यन्त तकनीकी फार्मों विशेष रूप से (i) आयकर और (ii) संपदा शुल्क के फार्मों के कारण किस प्रकार सफेद धन भी काले में परिवर्तित हो जाता है।

अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मध्यम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति वकील की सहायता के बिना किसी भी कर विवरणी को नहीं भर सकता। मुझे विश्वास है कि स्वयं वित्त मंत्री महोदय भी आयकर विवरणी नहीं भर सकते। क्यों ? यह पहला कदम है, जब सफेद धन काले धन में परिवर्तित हो रहा है। आम आदमी फार्म भरने के लिए वकील के पास जाता है। उसे वकील बताता है कि वह अपनी वास्तविक आय कैसे बचाये और उसे विवरणी में न दिखाये ताकि उसे कम कर देना पड़े। यह पहला कदम है। आम आदमी अपना फार्म नहीं भर सकता और वकील को भी गुजारा करना है। वकील स्वयं अपनी आय छिपाता है। इसके बाद वकील उससे सौदा

करता है कि वह आयकर अधिकारी के समक्ष कितनी बार पेश होगा।

(व्यवधान)

जितनी आय अधिक होगी उतने ही बड़े वकील की आवश्यकता होगी। मैं ऐसी कई मिसालें जानता हूं जिनमें थोड़ी-सी कर योग्य आय वाला आम आदमी, एक सेना अधिकारी अगर अपनी पूरी आय न छिपाता तो उसे करके रूप में वकील को दी गई राशि से कम राशि खर्च करनी पड़ती। सरकार के नाते आप भी इस यर्थाथ आय को काले धन में परिवर्तित करने के जिम्मेवार हैं क्योंकि आपकी प्रणाली और क्रिया विधि अत्यन्त जटिल है। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं केवल आम मध्यम श्रेणी के लोगों की उन कठिनाइयों को बताने का प्रयास कर रहा हूं जिन पर सरकार ने विचार नहीं किया है।

मैं विनम्रता से सुझाव देता हूं कि कृपया फार्मों को सरल बनायें जिसे स्वयं कर दाता भर सके। आपके अधिकांश कर दाता मध्यम वर्ग के लोग हैं। आयकर के रूप में प्राप्त होने वाली आय का लगभग 80 प्रतिशत वेतन भोगी वर्ग से आता है। मेरा सुझाव है कि फार्मों को इस ढंग से सरल बनाया जाए कि उनका कम्प्यूटरीकरण किया जा सके। आयकर अधिकारी द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' देने की अवधि कम करके एक सप्ताह कर दी जाए। आयकर अधिकारियों के पास 1981-82 और 1982-83 के कई मामले विचाराधीन हैं क्योंकि उन्हें भी रिश्वत चाहिए। एक बार फार्म सरल हो जाने पर उनका कम्प्यूटरीकरण किया जा सकता है और आयकर अधिकारी का वर्तमान काम कम्प्यूटर कर सकता है। इसके दो लाभ होंगे। पहला, आम आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा और दूसरे आप ईमानदार और प्रतिभाशाली आयकर अधिकारियों को काले धन का प्रसार रोकने में इस्तेमाल कर सकेंगे जिसके लिए अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता है और जो संभवतः कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता।

महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि संपदा शुल्क की समाप्ति के लिए सरकार बधाई की पात्र है। यह आपकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और आर्थिक साहस है जिसने आपको इस कर को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। यह कर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक मुसीबत बना हुआ था। बेटों को अपने पिता की मृत्यु से इतनी परशानी नहीं होती थी जितनी बाद में विवरणी भरने में होती थी।

मेरे सुझाव के बारे में, आपने यह उपबन्ध 16 मार्च, 1985 से लागू किया है। यदि इस तारीख को मरने वाले व्यक्तियों के उत्तराधिकारी इसका लाभ उठा सकते हैं तो आप इस तारीख से छः महीने पहले मरने वाले व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों पर भी इसको लागू कर सकते हैं। क्योंकि नामांकन दाखिल करने के लिए छः महीने का समय दिया जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने 16 मार्च, 1985 तक अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। इनमें वे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी आ जाएंगे जिनकी मृत्यु भोपाल गैस त्रासदी में हुई है। परन्तु मध्यम वर्ग

[श्री अजय मुशरान]

के बहुत से लोग हैं। इस सम्मानित सभा की यह धारणा दुरूस्त कर दूं कि भोपाल गैस त्रासदी में केवल निर्धन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जो आयकर देने वाले थे जिन्होंने अपनी सम्पदा छोड़ दी थी और उनके उत्तराधिकारियों को संपदा शुल्क देना होगा। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को भी छूट दे दी जाए। अतः यदि आप 16 मार्च, 1985 से छः महीने पहले इसे लागू कर देते हैं तो इसमें दूसरी श्रेणी के वे दुर्भाग्यशाली लोग भी आ जाएंगे जिनकी स्वर्गीय प्रधान मंत्री की मृत्यु के बाद दंगों में मृत्यु हुई परन्तु कोई संपत्ति नहीं छोड़ गए। इससे इन लोगों को वास्तव में आराम मिलेगा।

जहां तक सरकार का संबंध है यह राशि बिल्कुल नगण्य है। यदि आप उन लोगों को छूट दे देते हैं जिनके सम्बन्धियों की 16 मार्च, 1985 से पहले मृत्यु हुई थी तो कुल राशि बिल्कुल ही कम होगी।

अगर उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो इससे उन दो श्रेणियों के लोगों, विशेषकर दंगा-पीड़ित वर्ग के अभागे लोगों तथा भोपाल-गैस त्रासदी के कारण पीड़ित लोगों को भी वास्तविक सांत्वना मिलेगी। मुझे यकीन है कि आप इस सुझाव पर विचार करेंगे तथा मामलों को आसान बनायेंगे (व्यवधान)। केवल तभी न्यूटन का नियम काम करेगा अर्थात् जितना सरल आप नियमों को बनायेंगे। उतना ही सरल प्रयत्न काले बाजारियों को पकड़ने में आपको करने पड़ेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस मुद्दे पर सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर बोलना चाहूंगा क्योंकि हम इस सदन में सफेद धन की कीमत पर काले धन पर बहस कर रहे हैं; जितना अधिक सदन का समय आप लेंगे देश को अधिक सफेद-धन खोना पड़ेगा।

सभापति महोदय, श्रीमन मैं यह समझता हूं कि इस बात पर बहस करने और तर्क करने में कोई फायदा नहीं है कि किन प्रकार काला धन देश की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। फिर भी मैं यह दृढ़ता से महसूस करता हूं कि चाहे हम कुछ करें तब तक काले धन की समस्या से लड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा जब तक संविधान के ढांचे के अन्तर्गत और विकासशील देशों के वर्तमान रवैये को देखते हुए, समाज को पूर्णतया समाजवादी बनाने के लिए कुछ आमूलचूक और क्रान्तिकारी बातें नहीं हो जाती; यह बिल्कुल ही सम्भव नहीं हैं। मै इसका उत्तर भी नहीं प्राप्त करना चाहूंगा। हम कितनो ही बहस करते चले जाएं इसका कोई लाभ नहीं। मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि इसे कैसे नियन्त्रित किया जाए। यदि कोई बुखार हो तो आप कोई दवा दे सकते हैं। लेंकिन मैं उन लोगों के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं जिन्होंने सुझाव दिया है कि कालेधन के स्वामियों को भवन-निर्माण या ऐसी अन्य बातों के लिए अपने धन को निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह देश के जले में नमक छिड़कने वाली बात हुई; साथ ही यह उस संस्था का ही, जिसे संसद कहते हैं अपमान है और इस देश के अत्यन्त पवित्र दस्तावेज संविधान के प्रति भी अपमान होगा। काले धन को खत्म करना सम्भव ही नहीं है। लेकिन में 4-5 सुझाव देना चाहूंगा। एक तो

यह है भारत के किसी भी भाग में कोई भी अचल सम्पति आयकर प्रमाण-पत्र को दिखाए बिना या फाइल संख्या का हवाला दिये बिना खरीदी नहीं जा सकती और पंजीकृत नहीं की जा सकती। इसको कल से ही एक शर्त बना दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम्पत्तियों के लिये बेनामी करार किये जाते हैं। सभापति महोदय, आश्चर्य, की बात तो यह है कि चुनाव के दिनों में हम राजनीतिज्ञों पर चाहे हम कुछ करें या न करें प्रेस द्वारा हमेशा दोष लगाया जाता है लेकिन बड़ी आसानी से और बड़े शानदार तरीके से आयकर कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी इस बात से छूट जाते हैं। यदि आप एक ऐसे अवकाश प्राप्त आदमी से मिलें जिसके पास एक अच्छा घर है और यदि आप उससे ये प्रश्न करें कि क्या यह घर उसका है अथवा नहीं तो शायद वह आपको बतायेगा कि यह उसके ससुर की सम्पति है। यह सामान्य बात है। मैंने इन तथाकथित ससुरों को देखा है परन्तु मैं यह नहीं जानता कि वे कितने धनी रहे होंगे कि वे अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर ही खर्च नहीं करते बल्कि अपने दामाद के अवकाश प्राप्त करने पर उसको घर की भी व्यवस्था करके देते हैं।

तो, यह है एक मानक तरीका जो सारे देश में अपनाया जा रहा है, मैंने इसे देखा है। इसे बड़े शानदार ढंग से लोग कर रहे हैं।

मैं धन को केवल काले और सफेद के रूप में वर्गीकृत नहीं करता। धन के चार रंग होते हैं। काला और सफेद तो हम जानते हैं; इन दोनों के बीच दो रंग और भी हैं लाल और पीला, सरकार का धन सफेद धन है। मान लीजिए बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था है। मुख्य अभियन्ता उस परियोजना के ठेकेदार से एक करोड़ रुपये के लिये प्राक्कलन प्राप्त करेगा, चाहे वह तीस्ता परियोजना हो, फरक्का परियोजना हो या तुंगभद्रा परियोजना हो, उसमें से ठेकेदार उसे 15 प्रतिशत देगा, इस प्रकार यह होता है कि लोगों का खून चूसते हुए सफेद धन उसके पास आता है। यह लाल धन है, यह एक खतरनाक बात है अर्थात् काले धन से भी अधिक बुरा है।

उसके बाद वह धन है जो भारत से बाहर जाता है और किसी स्विस बैंक से होते हुए वापस आता है संगरोध बुखार तथा पीले बुखार की तरह, यह भारत में पीले धन के रूप में आता है। यह भी एक और खतरनाक बात है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में लोकर्स होते हैं। बैंकों के प्रबन्धक उन लोगों के नाम जो कि उनकी बैंक शाखाओं में लाकर खोलते हैं, सम्बन्धित राज्यों के आयकर आयुक्त के सामने क्यों नहीं रखते? आखिर वित्त मंत्रालय ही बैंकों का, सीधे प्रबन्ध करता है, यह सूचना दी जाय कि अमुक व्यक्ति केपास एक लाकर है, मैं जानता हूं कि इसके लिए यदि आपको सर्वदलीय करार की आवश्यकता पड़े तो आपको वह करार नहीं मिलेगा। मुझे इसका विश्वास है।

तीसरे, वकीलों के विषय में, हम संसद में कानून बनाने वाले हैं, कानून का कार्यान्वन करने वाला है प्रशासन तथा कानून की व्याख्या करने वाले हैं न्यायाधीश और कानून को व्यवहार में लाने वाले हैं बैरिस्टर और वकील। कर अपवंचक वकीलों को भारी राशि देते हैं।

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

आप एक काम क्यों नहीं करते, जैसा कि चीन कर रहा है। पिछले वर्ष मैं चीन में था। जो कोई भी वहां वकालत करता है, वह राज्य के माध्यम से करता है। भारत में भी जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक आप एक प्रावधान बनाइये कि एक छोटा काउन्टर होना चाहिये, बम्बई हवाई अड्डे के टैक्सी स्टैन्ड की तरह। टैक्सीवाले को पैसा नहीं मिलेगा। उसे पुलिस के पास जमा किया जायेगा, वह बिट लेगा, अपना काम करेगा, वापस आयेगा और उसे पैसा मिल जायेगा, हर वकील को एक हजार मामले तक भी लेने दो। उसका मुवक्किल पैसे को उच्च न्यायालय में ही एक काउन्टर में जमा कर देगा। बिल के साथ ही एक रसीद लगा दी जानी चाहिये और न्यायाधीश का दे दिया जाना चाहिए और फिर क्या होगा ? वह वापस जाएगा, रसीद लेगा और पैसा ले लेगा, मैं बताना चाहूंगा कि उस स्थिति में सभी न्यायाधीश विद्रोह कर देंगे, और वकील भी विद्रोह कर देंगे (व्यवधान) जो भी हो मैं इसके पक्ष में हूं।

मेरा अन्तिम निवेदन ऐसा है जिसका कोई भी विरोध नहीं करेगा, विदेश व्यापार के नाम पर यहां दूतावास और मिशन किसी तीसरे व्यक्ति अर्थात् एजेन्ट के माध्य से सामान खरीदते हैं और इस प्रकार वे अपने राजनैतिक प्रियजनों को कमीशन देते हैं। मेरा सुझाव यह है कि सारी खरीददारी 'एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच' के स्तर पर होनी चाहिए। कोई भी तीसरे व्यक्ति का माध्यम बीच में न हो।

आप इन सब सुझावों को मानिये, कम से कम स्थिति पर नियन्त्रण तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बिना एक सुधारवादी समाजवादी समाज के या एक सामाजिक क्रान्ति के आप काला धन खत्म करने की सोच भी नहीं सकते, ये मेरे सुझाव हैं।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, ब्लैक मनी के विषय में मैं भी प्रकाश डालना चाहता हूं और इस विषय के बारे में थोड़ा बड़ा कहकर कहना चाहता हूं।

जो हमारे बजटरी प्रोविजंस हैं, बजट में जो हम प्रावधान करते हैं वे काफी इन्फलेट करके करते हैं और जो पैसा सैंक्शन किया जाता है वह भी काफी इन्फलेट करके किया जाता है। आपको मालूम है जिस पुल को बनाने में यदि 50 हजार रुपये लगते हैं तो उस पुल का बजट एक लाख रुपये का हुआ करता है। इस तरह से सीधे-सीधे सरकारी धन जो सफेद रंग का है वह काले रंग का हो जाता है—यह इंजीनियर्स के लेवल पर होता है और ठेकेदार के लेवल पर होता है। इस तरह से रंग का परिवर्तन मात्र बजट को लेकर ही बहुत सारी जगहों पर हुआ करता है। इरीगेशन, पी०डब्ल्यू०डी० या रॉड्स के कई ऐसे बजटरी प्रोविजंस हैं जिन्हें आज अगर देखा जाए तो उनका आधे से ज्यादा पैसा काले धन के रूप में परिणत हो चुका है। इस पर भी गौर करना अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरी चीज जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वह है स्मगलिंग को रोकने की।

8.00 म० प०

इसके विषय में पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, मैं एक बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं जिस इलाके से आता हूं वह बार्डर का एरिया है और वहां का धंधा स्मगलिंग है। बार्डर के आस-पास के जो इलाके हैं वहां के आधे से ज्यादा लोग स्मगलिंग के धंधे में लगे हुए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक मिनट रुकिये, इस चर्चा के लिए निर्धारित समय पूरा हो चुका है।

श्री बासुदेव आचार्य : समय बढ़ाया जाना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : कृपया आपकी अनुमति से, मैं समय को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव रखना चाहूंगा क्योंकि अभी 5-6 सदस्य और हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि चर्चा के लिये निर्धारित समय को एक घण्टा बढ़ा दिया जाना चाहिए या तब तक के लिये बढ़ा देना चाहिए जब तक कि सभी सदस्य अपने भाषण खत्म नहीं कर लेते और तब मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : किस समय तक मंत्री महोदय इस वाद-विवाद का उत्तर दे देंगे ? गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य से पीछे मत ले जाइये।

श्री एच० के० एल० भगत : ऐसा कैसे हो सकता है ? मंत्री जी का उत्तर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद नहीं होगा। यह उस समय से पहले होगा। अतः मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस चर्चा के लिये सभा के निर्धारित समय को एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय ताकि सदस्य अपना भाषण पूरा कर सकें या उस समय तक के लिये बढ़ा दिया जाए जितने में सारे सदस्य अपना भाषण पूरा कर सकें, जो भी इनमें से पहले हो।

सभापति महोदय : अतः यहां उपस्थित सदस्यों की अनुमति से इस चर्चा के लिये सभा के निर्धारित समय को एक घण्टे के लिये अर्थात् रात के 9 बजे तक के लिये या तब तक के लिये बढ़ा दिया गया है, जब तक कि सारे सदस्य अपना भाषण पूरा नहीं कर लेते, जो भी इनमें से पहले हो, और मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री मनोज पाण्डे : स्मगलिंग के विषय में मैंने बतलाया कि स्मगलिंग खास कर के बार्डर के इलाकों में एक ऐसा धंधा बन चुका है जिसमें लोग काफी मुनाफा कमा रहे हैं बनिस्बत मेहनत करके अपने हाथों से मजदूरी करके कमाने के। निचले तबके से लेकर ऊपर के तबके के लोगों तक यह फैल चुका है, इनका मुख्य धंधा ही स्मगलिंग हो चुका है। हमारे यहां का सामाजिक ढांचा इस तरह से गिर चुका है कि बिना इसको ठीक किए हुए शायद काले धन को रोक पाना असम्भव है। इसलिए सबसे पहला काम स्मगलिंग को रोकना होना चाहिए।

[श्री मनोज पांडेय]

दूसरी चीज जो आज ब्लाक लेवल पर हमारे अधिकारी कार्यरत हैं, खासकर के एंटी पावर्टी प्रोग्राम में लगे हुए हैं और सफेद धन को काला धन बना रहे हैं, उसको रोकने का उपाय सोचना चाहिए। एन०आर०ई०पी० आर०एल०ई०जी०पी० के अंतर्गत कई प्रकार के काम हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा बंदरबांट हो रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यह सफेद धन लगातार काला धन बनता जाएगा और जो आज मात्र ऊपर ही दिखाई देता है, इसकी जड़ें नीचे तक जा रही हैं। इस जड़ पर देखने की आवश्यकता है। इसकी जड़ें जितनी गहरी होती जा रही हैं, काला धन उतना ही नीचे जा रहा है। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन किए बिना यह काम नहीं हो सकता। यह खुशी की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री जी इसमें कार्यरत हैं और हमें आशा है कि इससे काले धन में कमी आएगी।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें कहूंगा, कही गई बातों को बिल्कुल नहीं कहूंगा। सभापति महोदय, यह जानकर आश्चर्य होता है कि पब्लिक फाइनांस एण्ड पालिसी कमेटी ने पहली बार पता लगाया है कि पब्लिक एक्सपेंडीचर के कारण काला धन होता है, जबकि यह बात 38 वर्ष पहले लोगों को पता थी और इतने साल से यह चलता आ रहा था तो हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि पब्लिक एक्सपेंडीचर के बारे में इनको पहली बार ज्ञान हुआ है कि इसके कारण काला धन होता है।

महोदय, मैं कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी एक काम करें कि सारे देश के प्रमुख अखबारों में एक क्वेश्चनायर दें और लोगों से पूछें कि काला धन कैसे-कैसे पैदा होता है और इसको समाप्त करने के क्या उपाय हैं। मेरी बात को लाइटली न लिया जाए, मैं बहुत गंभीरता से, फुल सेंस आफ रेसपांसिबिलिटी से कह रहा हूं। वित्त मंत्री जी को और लोगों को पता भी नहीं होगा कि किस-किस तरीके से काला धन पैदा होता है और कैसे उसका समाधान हो सकता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक सीमेन्ट की कम्पनी को मैं जानता हूं कि उसने किस तरह से काला धन पैदा किया। वह लाइम स्टोन को रेल से भेजने की बजाय ट्रक से डिस्पैच दिखाता था और कहता था कि ट्रक से भेजने का इंतजाम नहीं है इसलिए गोडाउन में रखा हुआ है। वह ट्रक का नम्बर भी झूठा ही देता था। वास्तविकता यह है कि इसमें से कुछ भी उसके पास नहीं था और बार-बार यह दिखाता रहा कि ट्रक से ले जाते हैं। मैं सारी बात जानता हूं लेकिन कहना नहीं चाहता हूं। इस तरह से हजारों केस हैं। आप एक बार क्वेश्चनेयर दे दें। आपको सौ-दो सौ रिसर्च असिसटैंट्स को रखना पड़ेगा। इससे आपकी आंख खुल जायेगी कि कैसे-कैसे धंधा होता है। बिहार में एक प्रथा चली है "लूट डिवाइडेड बाई फोर"। इसमें इंजीनियर, कांट्रैक्टर, बी०डी०ओ० या एस०डी०ओ० और कलैक्टर तथा पालिटिशियन। ये लोग मिलकर काला धन पैदा करते हैं जिसका असर सारे समाज पर पड़ता है। एक-एक बी०डी०ओ० या इंजीनियर की लड़की की शादी में दस-दस लाख रुपया खर्च होता है। वित्त मंत्री जी को चाहिए कि लोगों को एजूकेट करे कि काला धन कैसे होता है। हमारा समाज रूढ़िवादी और भाग्यवादी है। आप देहात में जाइए तो आपको वहां का आदमी यही कहेगा कि भगवान ने पैसा दिया है इसलिए वह अमीर है। उसको यह बताने की जरूरत है कि उसने चोरी की है इसलिए वह अमीर

है। जो सौ-दो सौ रुपए की चोरी करता है उसको तो जेल भेज दिया जाता है लेकिन करोड़ों की चोरी करने वाले को कहा जाता है कि भगवान ने पैसा दिया है। मैं फुल सैन्स आफ रिस्पान्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आपने काले धन पर रोक नहीं लगाया तो इस देश में दस साल बाद डेमोक्रेसी मुसीबत में पड़ जायेगी। इलैक्शन में वही नॉन-पालिटिकल लोग खड़े होंगे जिनके पास करोड़ों रुपया होगा क्योंकि रुपए के जोर से वे हरा देंगे। पब्लिक फाइनेंस कमेटी के अलावा वांचू कमेटी की रिपोर्ट और काल्डर कमेटी की जो मेन-रिकेमन्डेशन्स है वह भी ली जाएं। कुछ लोगों ने इस बात का एतराज किया है कि स्लम क्लीयरेंस के लिए जो फार्म बने हैं उन पर अमल नहीं किया जायेगा। सैकण्ड वर्ल्ड वार के समय इटली तहस-नहस हो गया था लेकिन वहां पर बांड जारी किए गए थे। बांड जारी होने से इटली का ग्रोथ फिर से हो गया; आपने यह देखा ही नहीं है कि को-आपरेटिव सैक्टर में कितना काला धन बनता है। इसमें बड़े-बड़े लोग ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा क्योंकि देश में लोगों में कॉन्फीडेंस बढ़ाने के लिए रेड किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि उसमें तेजी लाई जाए और स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं। जिन-जिन लोगों के पास काला धन निकले उनका नाम टी०वी०, रेडियो और अखबारों में दिया जाए। साउथ दिल्ली में एक-एक आदमी के पास छह-छह गाड़ियां और कई-कई मकान हैं। कहां से वे लाते हैं इसका कुछ पता नहीं लगता। यह बड़ी गंभीर समस्या है, इसको सीरियसली लिया जाए।

[अनुवाद]

* डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, श्रीमान् मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कजगम की ओर से लोक वित्त और नीति के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत काले धन के पहलुओं सम्बन्धी प्रतिवेदन पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी एक सच्चरित्र व्यक्ति हैं जिनमें ईमानदारी की स्वाभाविक भावना है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में प्रशंसनीय उद्देश्यों को लेकर चलने के लिए नाम कमाया है, मेरी यह कामना है कि काले धन पर नियन्त्रण करने और रोक लगाने सम्बन्धी उनके सारे प्रयासों को सफलता मिले।

मुझे केवल यही खेद है कि स्वतंत्रता के 38 वर्ष बाद भी हम काले-धन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, मुझे हैरानी है कि सरकार ने, जिसके पास पूरी शक्तियां हैं, क्यों नहीं इस विषय में प्रभावशाली कदम उठाये हैं। मैं यहां यह स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारे वयोवृद्ध राजनेता राजाजी विनोद में कहा करते थे कि इस देश में काला धन पैदा करने के लिये कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं और कांग्रेसियों की जेबें इतनी बड़ी हैं कि उनमें देश के उद्योगपति और पूंजीपति समा सकते हैं। मैं पुन: दोहराना चाहूंगा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री के काला धन रोकने के लिये किये गए प्रयत्न सफल होने चाहिए और इसके लिए मेरी शुभ कामनाएं उनके साथ साथ हैं।

* तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा० ए० कलाधिधि]

वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति को उनके मंत्रालय द्वारा जारी किये गए पत्रों में कहा गया है कि आयकर अधिकारियों ने 4345 छापे मारे जिनमें 2507.59 लाख रुपए की छिपी हुई आय पकड़ी गई, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कितना धन वापस कर दिया गया है, मैंने इस सदन के पिछले सत्र में तमिलनाडु के लोकप्रिय अभिनेता तथा जाने माने निर्देशक श्री बाग्याराज द्वारा की गई एक करोड़ रुपए की कर चोरी का मामला खुले तौर पर उठाया था। अधिकारियों ने मामले से सम्बन्धित तथ्यों का पता लगाने के लिए तुरन्त कुछ कदम उठाए, मुझे नहीं मालूम कि अगले दो या तीन महीने में ही क्यों सब कुछ ठण्डा पड़ गया, हमें नहीं मालूम कि मामला कहां है, सदन को इस मामले के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

हाल ही में, राज्य-सभा में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम के एक सदस्य ने कहा था कि आयकर की कोई बकाया राशि नहीं देनी है, लेकिन राज्य मंत्री जी जनार्दन पुजारी ने बार-बार कहा है कि उन सदस्यों के नाम के आगे कर की बकाया राशि है, मैं चाहता हूं कि ऐसे अन्तविरोधी विस्तार संसद के सदनों में न व्यक्त किए जाएं।

इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1983-84 में 36,786 करोड़ रुपए का काला धन पैदा हुआ। वर्ष 1980-81 में यह लगभग 20,000 से 23,000 करोड़ रुपए के बीच था, वर्ष 1983-84 में यह 13,000 करोड़ रुपए और बढ़ गया था, मुझे यकीन है कि 1985 में यह बढ़ कर 50,000 करोड़ रुपए हो जाएगा।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, केन्द्र सरकार को लोगों के मन में करों के भुगतान जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता की भावना भरनी चाहिए, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग कर चोरी करने में दक्ष हो जायेंगे।

सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए जोरदार कदम उठाने चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इनका परिणाम होगा जमाखोरी जिसके फलस्वरूप मुनाफा खोरी होगी, एक वस्तु जिसकी कीमत 10 रुपए है काले बाजार में 40 रु० में बेची जाएगी, 30 रु० की राशि काला धन हो जाएगी। यह सरकार के कोष में नहीं आएगी, अतः आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण करने के लिए मैं सख्त कदमों के उठाए जाने का सुझाव देता हूं।

मैं चाहता हूं कि करारोपण के तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन लाए जायें। इस समय, एक लाख रुपए की आय पर 36,000 रु० कर के रूप में देने पड़ते हैं। दो लाख रुपए की आय पर कर की राशि 1,36,000 रु० है, स्वाभाविक रूप से आदमी का मन कर से बचने को करता है, अमेरिका के मेरे हाल ही के दौरे में, मुझे कई वित्त सचिवों तथा वित्त विशेषज्ञों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे बताया गया कि 70,000 डालर से ऊपर की आय पर केवल 30% कर ही लगाया जाता है, मेरा सुझाव है कि माननीय वित्त मंत्री एक निश्चित आय की राशि के ऊपर ऐसा ही समान दर से आय कर लगाने के बारे में विचार करें, यदि वह

कर लगाए जाते हैं तो इसका परिणाम होता है कर की चोरी, यदि एक समान दर होती है तो कर दाता अपने धन को उद्योग में लगाएगा और राष्ट्रीय आस्तियों का निर्माण करेगा। इस प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आर्थिक गतिविधियों पर अत्यधिक नियन्त्रण है, सरकार को इस पहलू पर भी पुनः विचार करना चाहिए। मुद्रास्फीति जनक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए।

मैं सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क को ऊंची दरों का उल्लेख करूंगा।

विदेश से लाई गई 1000 रुपए की वस्तु पर 8000 रुपए का सीमा-शुल्क लगाया जाता है। 8000 रुपए सीमा-शुल्क अदा करने की बजाय तस्करों से उस वस्तु को खरीदने का लालच आ जाता है। तस्कर उस वस्तु के लिए केवल 3000 रुपया लेते हैं और इस प्रकार खरीददार 5000 रुपए बचा लेता है। सीमा-शुल्क की दरें तस्करी को प्रोत्साहित करती हैं। सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क उचित और न्यायपूर्ण होने चाहिएं।

जैसा कि कांग्रेस पार्टी के मेरे माननीय मित्र ने बताया है, आय कर विवरणी फार्मों को सरल बनाया जाना चाहिए। इस समय वे इतने ज्यादा जटिल हैं कि वे किसी लेखा-परीक्षक की सहायता के बिना भरे नहीं जा सकते। मेरा यह भी सुझाव है कि आय कर छापों का ही आर्थिक अपराधों को कम करने का एकमात्र साधन न बनाया जाए। यदि हम बार-बार आय कर छापे मारते रहे तो वे अर्थहीन हो जायेंगे। आय कर छापे राजस्व एकत्र करने का मुख्य साधन नहीं माने जाने चाहिएं। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो अपने आपको धोखा देंगे।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सक्षम और प्रतिभाशाली वित्त मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और वे कराधान के तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन लायेंगे ताकि देश से काले धन की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : माननीय सभापति जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे काले धन के इस विषय पर कुछ बोलने के लिए अवसर दिया। मैं मंत्री महोदय को देश में काले धन के परिचालन पर रोक लगाने के लिए उठाए गए साहसपूर्ण कदमों के लिए बधाई देता हूं। राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान की रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने जो उपाय किए हैं वे हैं— सम्पदा-शुल्क को समाप्त करना, आय कर की दरों में कमी करना और आय कर श्रेणियों (स्लेबों) की संख्या में कमी करना। इसके अलावा वित्त मंत्रालय काले धन को एक चुनौती के रूप में ले रहा है। अतः पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा छापे मारे गये हैं जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारे सामने आई हैं। गाजियाबाद, दिल्ली, कलकत्ता आदि नगरों में हीरे निर्यातकों और टिन प्लेट व्यापारियों पर छापे मारे गए हैं। इसी प्रकार, जौहरियों के यहां भी छापे मारे गए हैं जहां बहुत बड़ी मात्रा में जेवरात आदि पकड़े गये हैं। हाल में ही फल विक्रेताओं के यहां भी छापे मारे गए हैं और काफी मात्रा में धन पकड़ा गया है। केवल सरकार की आलोचना करने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। काले धन की समस्या केवल हमारे देश में ही नहीं है दूसरे देशों—विकसित और विकासशील दोनों देशों में व्याप्त है। काले धन का परिचालन स्वतंत्रता से

[श्री चिन्तामणि जेना]

पहले भी था। दूसरे महायुद्ध के दौरान जब पैसे का परिचालन और मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो गई तो काले धन का परिचालन बहुत बढ़ गया। लोगों के हाथ में बहुत पैसा आया और वे सरकार को बताए बिना इसे जमा करना चाहते थे। इस प्रकार स्वतंत्रता से पहले भी काले धन का परिचालन था। स्वतंत्रता के बाद जब लोकप्रिय सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए, ताकि काले धन की बुराई को रोका जा सके, तो लोगों ने आय कर अपवंचन करना चाहा और इस प्रकार काले धन में दिन-प्रति-दिन बढ़ोत्तरी होती गई। ऐसा क्यों हुआ? मेरे मित्रों ने जो कारण बताए हैं, उनके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा नैतिक स्तर भी दिन-प्रति-दिन गिरता गया है। मेरी मातृभाषा उड़िया में एक कहावत है जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है—इस नश्वर संसार में कोई भी व्यक्ति न तो पैसा अदा करना चाहता है और न ही मरना चाहता है। अतः यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कोई भी पैसा अदा नहीं करना चाहता बल्कि वे इसे छिपाना चाहते हैं।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ कुछ सुझाव दे रहा हूं।

सरकार यह घोषणा कर सकती है कि काले धन का 50% राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 7 वर्ष के लिए जमा कराया जा सकता है और शेष 50% सरकार को आय कर के रूप में दिया जा सकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 7 साल के लिए जमा 50% धन कुल काले धन के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार सरकार के पास पूरा काला धन आ जाएगा।

दूसरे धर्मार्थ संस्थानों को दिए जाने वाले दान आदि को भी वैध खर्च माना जाना चाहिए।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार 1 लाख रुपए वार्षिक कर-योग्य आय पर 65 हजार रुपए वार्षिक आय-कर देना होता है। इसे कम किया जाना चाहिए।

कर वसूल करने वाले प्राधिकारियों और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पर्याप्त आय होनी चाहिए ताकि वे रिश्वत लेने आदि की ओर आकर्षित न हो सकें।

वर्तमान प्रणाली के अनुसार घरेलू खर्च के लिए करदाता को 1500 रुपए प्रतिमास की छूट है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

भवन निर्माण आदि के लिए वर्तमान 1 लाख रुपए की छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाना चहिए।

कर निर्धारण प्राधिकारियों और अधिकारियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें वाहन तथा अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिएं क्योंकि जिन लोगों से उनका वास्ता पड़ता है वे न केवल प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं बल्कि धनवान भी होते हैं।

आय कर और अन्य करों का निर्धारण करने और उन्हें लगाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

विरोधी दल के माननीय सदस्य आलोचना ही किये जा रहे हैं किन्तु हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने उन्हें ठीक ही कहा है कि काले धन के परिचालन को समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही रोका जा सकता है जिसमें विरोधी दल तथा व्यापारी आदि शामिल हैं। मेरा विरोधी दलों के सदस्यों से अनुरोध है कि वह सरकार को सहयोग दें, ताकि काले धन के परिचालन को रोका जा सके।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति महोदय, काले धन के बारे में हमारे बहुत से दोस्त यहां बोले हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जिस दिन से हमारे वित्त मंत्री जी ने इस विभाग को संभाला है, उस दिन से वह बहुत अच्छे कदम इस बारे में उठाते जा रहे हैं क्योंकि उनको जो हमारे मंत्री ने कहा है कि पोलिटिकल विल हमारे पास होनी चाहिए। आज जितनी प्रगति हुई है वह उसी वजह से हुई है क्योंकि पोलिटिकल विल हमारे पास है और आगे जाकर इसमें और प्रगति होगी यह जरूर पता चलता है।

इसी वजह से कुछ दिन से यह कदम जोरों से उठा है और आगे उठाने के लिए जो कोशिश हो रही है, उसके लिए धन्यवाद।

मेरे कुछ सजेश्चन्स हैं जो मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष संक्षेप में रखना चाहूंगा। पहला सजेश्चन है वन फेमिलि वन जाब। एक परिवार में एक धन्धे की व्यवस्था की जानी चाहिए कानून बनाकर भी इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा सुझाव है—वन फेमिलि वन रेजिडेंशियल हाउस। प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट कन्सर्न्स को रेजिडेंशियल हाउसेज के बारे में बिजनेस नहीं करने देना चाहिए। सारे के सारे घर सरकार अपने हाथ में ले ले और प्राइवेट लोगों के पास कोई बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक परिवार के लिए जरूर एक रेजिडेंशियल हाउस की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं वे हर साल प्रापर्टी स्टेटमेन्ट सबमिट करते हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए कि उनका स्टेटमेन्ट सही है या नहीं। ऐसे करने से भी इसमें कुछ थोड़ी-सी रूकावट आयेगी।

इसके साथ-साथ मेरा सुझाव है कि मूवेबल और इम्मूवेबल प्रापर्टी पर भी सीलिंग लगनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई सीलिंग लग जाती है तब लोगों में चोरी करने की भावना रूक जायेगी। इसके अलवा किसी के भी पास ज्यादा पैसा नहीं रहना चाहिए। आज गांव-गांव मैं बैंकें खुल गई हैं। सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनावे कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितना पैसा अपने घर में रख सकता है। कोई व्यक्ति या कोई कम्पनी कितना पैसा अपने पास रख सकती है, उसके ऊपर कोई सीलिंग लगाई जानी चाहिए। ऐसा करने से भी ब्लैक-मनी को रोकने में सहायता मिलेगी।

जहां तक डी-मानेटाइजेशन का सम्बन्ध है, इसको करना तो बड़ा मुश्किल होगा। यदि 100 रुपए के नोटों तक डी-मानेटाइज करें तब कुछ लाभ हो सकेगा।

[श्री अनादि चरण दास]

इसके अलावा मेरा सुझाव है कि एक फेमिली को दो-तीन लाख से अधिक कमाने का अवसर न दिया जाए। उससे अधिक यदि किसी के पास पाया जाए तो उसको सरकार ले ले क्योंकि केवल कुछ परिवारों को ही नहीं, समस्त परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इसलिए जो भी लिमिट सरकार तय करे उससे अधिक की प्रापर्टी किसी के पास नहीं रहने देनी चाहिए और यदि किसी के पास पायी जाए तो वह गवर्नमेन्ट ले ले।

इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि देश में लैण्ड रिफार्म्स को कड़ाई के साथ लागू किया जाए। साथ ही साथ देश में जो स्मगल्ड गुड्स आते हैं उनको जलवा दिया जाया करे। आप ऐसे गुड्स को क्यों अलाऊ करते हैं कि कुछ पैसा देकर उनको कोई ले ले। वह हमारे देश का सामान नहीं है। उस सामान के आने से हमारे देश का नुकसान होता है। हमारे देश के मजदूरों को काम नहीं मिलता है। इस तरह के माल को रोका जाना चाहिए।

आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत जो लोन दिया जा रहा है, मेरा सुझाव है कि उसके बारे में यहां सदन में या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर विचार होना चाहिए तथा उसका जो सब्सीडी पोर्शन है उसको इन्ट्रेस्ट-फ्री लोन में तब्दील किया जाना चाहिए, चाहे वह कुछ समय के बाद ही क्यों न वसूल किया जाए। ऐसा करना बहुत जरूरी है ताकि आज जो उसमें पिलफ्रेच हो रहा है उसको रोका जा सके।

जो बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, जो मोनोपली हाउसेज हैं वहां पर बड़ी ब्लैक-मनी होती है उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सदन में हमारे दोस्तों ने बहुत-सी बातें कही हैं, मैं समझता हूं सामाजिक रिफार्म्स करने की भी बहुत जरूरत है। आज हमारे देशवासी भाग्यवादी होते जा रहे हैं इसलिए सामाजिक सुधार लाने की भी बहुत आवश्यकता है। यही चन्द सुझाव देते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव काले धन की चर्चा के सम्बन्ध में इस हाउस के अन्दर भी और हमारे दल की बैठक में काफी दिलचस्पी लेकर विचार व्यक्त किए गए हैं। इसके सम्बन्ध में जो भी कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं, वे वाकई में बहुत ही उचित कदम हैं। चोरी और सीनाजोरी, ऐसी बात वही कर रहा है, जो इससे लिप्त है और कह रहा है कि बहुत देखे हैं ऐसे लोग, लेकिन आपने इस दिशा में जो भी कदम उठाए हैं, उससे सारे देश में तहलका मचा हुआ है और लाखों लोगों की नींद हराम हो गई है। जो कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं किसी भी रूप से आपको इस काम में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए भी नहीं देखना चाहिए कि राजीव जी को देश की जनता ने जिस तरह से समर्थन दिया है और उनके उत्साह को बढ़ाया है, उसमें आप को बराबर साथ मिलेगा, आपको बराबर हिम्मत मिलेगी। आम जनता भी आपका साथ देगी, लेकिन एक ही बात आप को सोचनी पड़ेगी कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। बूंद-बूंद से घड़ा भरने की स्थिति को

आपको थोड़ा-सा रोकना पड़ेगा। अभी तक जो भी बातें हुई हैं, वे इन्टरनेशनल स्तर पर हुई हैं, मैं आपको नीचे की बात बता रहा हूं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि बूंद-बूंद से घड़ा भरने की बात कहां होती है। हमारे इनकम-टैक्स और सेल्स-टैक्स और निचले स्तर के जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, यहां तक कि चपरासी भी, उनकी भी माहवरी बंधी होती है। होता यह है कि जब आफिसर चैकिंग के लिए जाते हैं, तब माहवारी वाला आदमी जाकर सूचना दे देता है कि चैकिंग के लिए इन्सपैक्टर आने वाला है, आप अपना हिसाब-किताब ठीक रखना। इस प्रकार चैकिंग में कुछ नहीं मिलता है इसलिए इसमें आपको इतना करना है कि आपको माहवारी तोड़नी पड़ेगी, चाहे चपरासी की माहवारी हो, चाहे इनकम-टैक्स इंसपैक्टर की माहवारी हो या सेल्स-टैक्स इंसपैक्टर की माहवारी हो, उस माहवारी को आपको बन्द करना पड़ेगा। उस माहवारी को बन्द करने के लिए आपको अचानक छापा मारना होगा। अचानक छापा मारने से यह होगा कि जो उसको माहवारी मिलने वाली राशि होगी वह नहीं मिलेगी और वह उसको गाली देगा और छापा मारने से रकम हमारे शासन के पास आएगी। एक मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी मुखबिर को जो सरकार की तरफ से रकम दी जाती है, उसको और बढ़ा दीजिए, ताकि वह हिम्मत करके लोगों को पकड़ने का काम जोरों से करे ताकि सरकार के पास अधिक पैसा आए।

छापा मारने के बाद वहां पर आपको गोपनीय रूप से जासूस लगाना पड़ेगा, क्योंकि छापा मारने के बाद स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद डिमांड नोटिस होता है और सुनवाई के लिए तारीख दी जाती है, फिर उसमें भी वह देगा या नहीं देगा—यह एक लम्बा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में उसको आपस में सौदा करने का मौका मिल जाता है और दोनों आपस में सौदा कर लेते हैं कि इतना तू रख ले और इतना तू रख ले, तुम को कौन-सा राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना है। आदमी लालची है, वह कहता है कि किसी ने देखा नहीं, कोई गवाही नहीं है और 50-50 हो जाता है।

इस प्रकार जब आप बिना बताए छापा मारेंगे, तब जाकर कुछ काम होगा। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। जहां पर छापा मारा जाता है, वहां के मुनीम और घर-नौकर से भी गोपनीय तरीके से पता लगाया जाए कि रात में ये लोग सौदा तो नहीं कर लिए हैं। दस लाख का रिकार्ड होता है और पांच लाख में बात हो जाती है, बीच में पता नहीं किधर-किधर चला जाता है। इस चीज के बारे में आपको सही ढंग से पता लगाना होगा, लोगों की जो माहवारी बंधी हुई है उसको रोकना पड़ेगा। ये लोग ही व्यापारियों की बिल्डिंग बनाने में मदद दे रहे हैं और इसमें हम लोगों की भी नीयत खराब है।

हमारे यहां जो काला धन फैल रहा है, उसमें धन तो काला है ही, लेकिन हमारा मन भी काला है, इसलिए इन दोनों का मिलान करना मुश्किल है। फिर भी आपने जो स्टेप्स लिए हैं उनसे देश में काला धन कम होगा और आप इस काम को करके दिखलायेंगे ऐसी आशा है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): हमारे वित्त मंत्री जी गोरे हैं लेकिन वह पकड़ने जा रहे हैं काले धन को, मैं उनका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि वह कामयाब हों। वित्त मंत्री जी जानते

[श्री नारायण चौबे]

हैं कि जहां पर कीचड़ होती है वहीं कीड़ें होते हैं। इसी तरह से हमारा पूंजीवाद भी कीचड़ का समाज है और उसी के अन्दर उनको काम करना पड़ेगा, चाहे वे खुद कितने गोरे हो। इसलिए जो बातें श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने कही हैं उसकी तरफ मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ें। अन्यथा बहुत सारी बातें, बहुत सारे सुझाव हमारे बहुत से साथियों ने दिए हैं, वे चाहें कितने ही सादे हों, गोरे हों, उन सबको करना उनके लिए सम्भव नहीं है। अगर इसके लिए मास-सपोर्ट नहीं मिलेगी, मास-सपोर्ट के लिए मोटिवेशन नहीं होगा तो हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। इस देश में हम काले धन को नहीं बढ़ने देंगे, इस देश में समाजवाद को लाकर रहेंगे, इस देश में गरीबों को ऊपर उठायेंगे उनकी गरीबी को दूर करेंगे, जब तक इस तरह के मनोभावों को पैदा नहीं करेंगे, कामयाबी नहीं मिल सकती। हमारे वित्त मंत्री जी चाहे जितने गोरे हों, सादे हों वे चले जायेंगे और कोई काला वित्त मंत्री आकर काले धन को बढ़ा देगा।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं—1943 में बंगाल में बहुत फैमीन हुआ था। चालीस लाख लोग मर गए थे। उस समय सब बड़े काग्रेसी नेता जेल में थे। 1945 में जब पंडित जी जेल से बाहर आए तो बोले कि अगर आजादी होती तो हम उन लोगों को जो ब्लैक-मार्केट करने वाले हैं, लैम्प पोस्ट पर चढ़ाकर फांसी देते। 1947 में आजादी आई उसके बाद कुछ फांसियां हुई, लेकिन मजदूरों और किसानों की आज तक किसी भी ब्लेक मार्केट करने वाले को फांसी दी गई हो, ऐसा कोई मामला मेरी नजर में नहीं है और आप भी ऐसा नही कर सकेंगे। आज काले धन वाला एम० पी० बनकर आता है, तो उसकी ज्यादा इज्जत होती है। जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वह एम० पी० बन कर आता है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है।

श्री मानकूराम सोढ़ी : लक्ष्मी पुत्र को सब मानते हैं।

श्री नारायण चौबे : इन्होंने थोड़ा बहुत कदम बहुत कदम उठाया है, लेकिन वह काफी नहीं है। हमारे बंगाल में एक कहावत है—एक घर में एक बहू और सास थी। सास को फाइलेरिया का रोग था, जिससे उसका पैर मोटा था। वह बहू को कहती थी कि मैं तुझे लात मार दूंगी, लेकिन मारती नहीं थी। बहू उससे बहुत घबराती थी। एक दिन गुस्से में आकर सास ने बहू को लात मार दी। बहू ने देखा कि इसमें कोई दर्द नहीं हुआ। इसलिए हमारे फाइलेरिया वाले पैर की लात का असर पूंजीपतियों को और काले धन वालों को कुछ असर नहीं करता है। उसके लिए तो फुटबाल खेलने के बूट को पहनकर मारो, तो उसका असर होगा।

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वह बूट भी बन रहा है।

श्री नारायण चौबे : बना नहीं है, बूट का आर्डर भी विलायत को चला जाएगा और लोग उसमें भी खा जायेंगे। ज्यादा कुछ कहना बेकार है, जो आप कदम उठा रहे हैं, वे आप जरूर उठाइए। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका कानून भी कुछ काम नहीं करता है, उसमें भी वकील लोग सब खा-पी जाते हैं। सिविल लिबर्टीज वालों की रिपोर्ट आएगी और आप कुछ नहीं कर पायेंगे कम से कम जिस बात के लिए सब लोग कह रहे हैं, उसको तो कीजिए, सौ रुपए के

नोट को डिमोनेटाइज कर दीजिए। यह एक काम आप करो। आप 5 साल के लिए मिनिस्टर बने हो, मालूम नही कब बदल जाओगे। क्या होगा पता नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करोगे, तो कोई चोर बदमाश आदमी आप के खिलाफ रिपोर्ट करेगा और इसका असर कहीं यह न हो कि आप को चला जाने पड़े।

आप लोकपाल बिल यहां ला रहे हो। उसमें आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं लाना चाहते। क्यों ?

एक माननीय सदस्य : इसको आप छोड़ें। आप इस विषय पर बोलो।

श्री नारायण चौबे : क्यों छोड़ो, यह सब इससे मिला हुआ है। मैं आपको बताऊं कि 1970-71 में इंदिरा जी जरा गेहूं को थोड़ा बहुत पकड़ने गयी थीं उसकी ट्रेड को नेशनेलाइज करके लेकिन वह एक साल भी नहीं चला छः महीने के बाद कानून को बदलना पड़ा। वे व्हीट ट्रेड को नेशनेलाइज करना चाहती थीं। जो पुराने लोग हैं, उनको इसके बारे में पता है। हुआ क्या कि बड़े-बड़े लोग चिल्लाने लगे और वह रोकना पड़ा। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप जरा बूट पहन कर लात लगाइए दो एक को। आप एक यही काम कर दीजिए कि 100 रुपये के नोट का डीमोनेटाइजेशन हो जाए।

आप नोटिस दे कर इस को कीजिए लेकिन कीजिए जरूर। फिर देखिए, होता क्या है। हम चाहे जितना कहें, आप सुनते ही नहीं और हमारे बंगाल में एक कहावत है कि चाहे कोई कितनी भी गाली दे, हमने कान में रुई डाल लिया है और कितना भी हमें पीटे, हमने पीठ में सूपा बांध लिया है। हम लोग कितना भी बोलें, आप सुनेगें नहीं। जो रास्ता आपने ब्लैक मनी पकड़ने के लिए अपनाया है, उस पर यहां डिबेट हो रही है और हमारे सामने श्री जर्नादन पुजारी के नाम से एक नोटिस दिया गया है कि कितने-कितने टैक्सों में आप एग्जम्पशन दे रहे हो। आपने बजट में जो पालिसी बनाई है, उसको जब तक आप बदलेगें नहीं, तब तक आप ब्लैक मनी को बन्द नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत ब्लैक मनी आप पकड़ लेगें लेकिन इसको इन्क्रीज करने का जो प्रोसेस है, उसको आप स्टाप नहीं कर सकते।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : सभापति महोदय, मैं केवल 3 या 4 सुझाव देना चाहता हूं।

जब देश में वस्तु-विनिमय की व्यवस्था थी तो काले धन की समस्या नहीं थी। जनजातीय क्षेत्रों में अब भी वस्तु-विनिमय अर्थ-व्यवस्था विद्यमान है। विदेश व्यापार में भी यह विद्यमान है। माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि 100 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया जाए। उनका

[श्री गिरिधर गोमांगो]

आशय यह है कि 100 रुपए के नोटों को रखने की बजाय लोगों को 10 रुपये या 20 रुपये के नोट रखने पड़ेंगे जो कि ज्यादा भारी हो जायेंगे और इससे वे पकड़े जायेगें। (व्यवधान)

काला धन 3 प्रकार से पैदा होता है। अत्यधिक धन हो जाने से, काला बाजारी से और भ्रष्टाचार से। देश में काले धन की उत्पत्ति के यही तीन मुख्य कारण हैं। हम जब काले धन का समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें एक-एक करके कदम उठाने चाहियें। पहले हमें पूँजी को इकटठा होने से रोकना चाहिये। फिर काला बाजारी और विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकना चाहिये।

महादय जब हमारी पार्टी ने 20-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया था तो 19 वां सूत्र काले धन को रोकने के बारे में था। हमारी पार्टी और हमारी सरकार काले धन को जिस किसी रूप में भी वह हो रोकने के लिए वचनबद्ध है।

महोदय, हमने अब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की है। हम भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। सम्पत्ति पर भी हमें उच्चतम सीमा लगानी चाहिये। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम मनुष्यों की सोच और उनकी इच्छाओं पर उच्चतम सीमा लगाने के लिये कोई कानून बना सकते हैं। मेरे विचार में न तो सरकार और न ही भगवान मनुष्यों की इच्छाओं पर कोई सीमा निर्धारित कर सकता है। लेकिन हम वैधानिक और प्रशासनिक उपायों के द्वारा लोगों की सोच पर कुछ रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

पूरी विनम्रता मैं साथ में कुछ सुझाव दे रहा हूं जिस पर सरकार को इस बुराई को समाप्त करने के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदय, हमारे मित्रों ने सुझाव दिया है कि यदि समाजवाद आ जायेगा तो काला धन समाप्त हो जायेगा। मैं इस विचार का हूं कि शासन प्रणाली कोई भी हो जब तक ईमानदारी नहीं है काले धन की बुराई बनी रहेगी। हम समाजवाद की बात करते हैं। हम पूंजीवाद की या किसी और 'वाद' पर लम्बी बहस कर सकते हैं। किन्तु जब तक पलायनवाद से हम छुटकारा नहीं पायेंगे कोई भी 'वाद' सफल नहीं होगा। पलायन वाद क्या है ? यदि राजनीतिज्ञ एक-दूसरे को दोष देकर वास्तविकता से पलायन करेंगे और यदि अधिकारीगण एक-दूसरे पर जिम्मेवारी डालकर पलायन करेंगे तो कोई भी 'वाद' सफल नहीं होगा।

काला धन क्या है ? आप काले धन की तुलना भगवान से कर सकते हैं। जैसे भगवान को नहीं देखा जा सकता वैसे ही काले धन को नहीं देखा जा सकता। परन्तु जैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि काला धन है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न स्तरों पर काले धन पर रोक लगाई जाये। हम काले धन को किस प्रकार रोक सकते हैं ? आपको वित्तीय प्रशासन को मजबूत करना होगा जिसके द्वारा इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन हो सकेगा। प्रशासन क्या है ? प्रशासन का एक दृढ़ रवैया होना चाहिये, उत्तर-

दायित्व होना चाहिये तथा उसे स्थिति का सही मूल्यांकन करना चाहिये और वह लोगों के प्रति जवाब देह होना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहूं कि यह क्यों नहीं हो पाया है। वे कहेंगे कि क्रियान्वयन गलत है। प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि क्रियान्वयन गलत है किन्तु क्रियान्वयन करना किसे है ? क्रियान्वयन हमें ही करना है। प्रश्न हमारे सामने क्रियान्वियन का है। यदि बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो तो किसी भी चीज का विकास हो सकता है। इसी प्रकार यदि अच्छा बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो तो कार्यान्वयन भी किया जा सकता हैं। क्रियान्वयन के लिये बुनियादी ढांचों के लिये इन बातों का होना जरूरी है। (1) निर्वचन (2) विवश (3) आशय (4) प्रभाव और (5) महत्व। जिन कियान्वियन एजेंसियों को आपने इस कार्य का उत्तरदायित्व दिया है उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या उनमें उस कार्य को करने के लिये रूचि है और क्या वे अपने आपको इसके साथ सम्बद्ध महसूस करते हैं। इसके साथ ही उनमें उत्साह भी होना चाहिए तथा वे पहल भी कर सकें। इन सबके साथ-साथ उन्हें उचित अनुदेश भी दिये जाने चाहिएं।

मैं अपना भाषण इस आशय के साथ समाप्त करता हूं कि क्रियान्वयन को जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पुन: सशक्त किया जायेगा और समय की आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक ढांचों में परिवर्तन लाया जायेगा। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अब मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

8.47 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं कार्य मंत्री समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, श्री जनार्दन पुजारी की ओर से मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम,. 1944 में अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं का एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या 186/85-के०उ०शु०, जो भारत के राजपत्र में 22 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 2.6.81 की अधिसूचना संख्या 123/81-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि अल-

प्रतिशत निर्यातोन्मुग उपक्रमों द्वारा उत्पादित और विश्वव्यापी संविदाओं पर भारत में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाओं को सप्लाई किए जाने वाले माल को उक्त अधिसूचना में बिनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पादन शुल्क से छूट देने की व्यवस्था की जा सके ।

(2) अधिसूचना संख्या 187/85-के०उ०शु० तथा 188/85-के०उ०शु० जो भारत के राजपत्र में 22 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 अक्तूबर, 1985 और 30 नवम्बर, 1985 की अवधि के दौरान किसी कारखाने में उत्पादित चीनी के अधिक उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क से छूट देने की व्यवस्था की गई है ।

[ग्रंथालय से रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2380/85]

8.48 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 23 अगस्त 1985/1 भाद्र, 1907 (शक) को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली-6